**संदर्भ Ref.:नि.से.वि. ISD/124/2025-26** **दिनांक Date: July 08, 2025**

| | |
|---|---|
| बीएसई लिमिटेड BSE Ltd.<br>बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre<br>स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477 | नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>National Stock Exchange of India Ltd.<br>निप्स NEAPS<br>स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ<br>सिक्योरिटी Security - UBI-AT/BB |

महोदया Madam / महोदय Sir,

**विषय Subject : Integrated Annual Report of the Bank for FY 2024-25.**

संदर्भ Ref. : Our earlier Ref. letter no. ISD/107/2025-26 dated June 25, 2025.

In compliance with Regulation 34 (1) (a) and 53 (2) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the Integrated Annual Report (including Notice of 23rd Annual General Meeting) of the Bank for the FY 2024-25.

The Integrated Annual Report of the Bank for the FY 2024-25 is also available on the Bank's website:

https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/annual-report-for-the-year-2009-10-onwards

or to:

**Scan QR Code for the Integrated Annual Report 2024-25:**

The 23rd Annual General Meeting of the Bank is scheduled to be held on Friday, August 01, 2025 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

MANGESH MANDREKAR
Digitally signed by MANGESH MANDREKAR
Date: 2025.07.09 06:13:44 +05'30'

**(Mangesh Mandrekar)**
**Company Secretary**

संलग्न Encl.: यथोक्त As above.
Copy to: IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai. (Pursuant to Regulation 53(2) of the SEBI (LODR) Regulations,2015.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

# आनंदमय ग्राहक अनुभव हेतु प्रतिबद्ध
# Committed to Happy Customer Experiences



# एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25
# INTEGRATED ANNUAL REPORT 2024-25

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

VYOM
MOBILE BANKING SUPER APP

# Dream Homes
## Now at
# Lowest Interest Rates

Union Home Loan | Union Green Home Loan

Starting from

# 7.75%*



For more details, visit your nearest Union Bank of India Branch/Retail Loan Points.

(Toll Free No.) 1800 2333 / 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | 9666606060 | www.unionbankofindia.co.in

unionbankofindia | UnionBankTweets | unionbankinsta | UnionBankofIndiaUtube | unionbankofIndia | unionbankinsta

*T&C Apply

# अंदर के **पन्नों में**


| | | |
|---|---|---|
| बैंक के बारे में (पृष्ठ 1-20) | 1 | अंदर के पन्नों में |
| | 3 | कॉपोरेट सूचना |
| | 4 | रेटिंग |
| | 5 | संघठनात्मक अवसंरचना *(दिनांक 27.06.2025 से प्रभावी)* |
| | 6 | निदेशक मंडल |
| | 12 | सीवीओ/केएमपी/सीआरओ/एसएमपी/जीएम *(यथा 31.03.2025)* |
| | 17 | अध्यक्ष का संदेश |
| | 19 | प्रबंधन का संदेश |
| संवहनीय कार्यनीति (पृष्ठ 21-26) | 21 | मूल्य सृजन की गाथा : भारतवर्ष के संवहनीय भविष्य का निर्माण |
| | 24 | पूंजीगत अंतर्संबंध |
| | 25 | भौतिकता और हितधारक प्राथमिकताएँ |
| हमारी पूंजी (पृष्ठ 27-75) | 27 | वित्तीय पूंजी |
| | 36 | प्राकृतिक पूंजी |
| | 55 | बौद्धिक पूंजी |
| | 59 | मानव पूंजी |
| | 63 | सामाजिक और संबंध पूंजी |
| | 68 | विनिर्मित पूंजी |
| प्रकटीकरण मैपिंग (पृष्ठ 76-88) | 76 | आईएसएसबी एस1, आईएसएसबी एस2, जीआरआई एवं टीएनएफ़डी रिपोर्टिंग सूचकांक |
| | 79 | जीआरआई मानक सूचकांक |
| | 81 | टीएनएफडी - प्रकृति से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल |
| | 82 | पुरस्कार एवं सम्मान |
| | 87 | बैंक की सीएसआर गतिविधियाँ |
| नोटिस (पृष्ठ 89-101) | 89 | 23वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना |
| सांविधिक रिपोर्ट (पृष्ठ 102-206) | 102 | निदेशकों की रिपोर्ट |
| | 115 | प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण |
| | 165 | कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट |

| | | |
|---|---|---|
| वित्तीय विवरण (पृष्ठ 207-335) | 207 | स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन) |
| | 216 | स्टैंडअलोन तुलन पत्र |
| | 217 | स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता |
| | 218 | स्टैंडअलोन अनुसूचियां |
| | 288 | स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण |
| | 290 | स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित) |
| | 297 | समेकित तुलन पत्र |
| | 298 | समेकित लाभ एवं हानि खाता |
| | 299 | समेकित अनुसूचियां |
| | 334 | समेकित नकदी प्रवाह विवरण |
| | 336 | बासेल III पूंजी नियमन के अंतर्गत प्रकटन |
| | 337 | कारोबारी उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट |
| | 338 | स्वतंत्र आश्वासन विवरण |
| | 343 | हरित पहल – शेयरधारकों से अपील |


## भविष्योन्मुखी कथन

इस रिपोर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में भविष्योन्मुखी कथन शामिल हैं. हम पाठकों को सावधान करते हैं कि कोई भी भविष्योन्मुखी कथन भविष्य के कार्यनिष्पादन की गारंटी नहीं देता है, और वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं. भविष्योन्मुखी कथनों को 'हो सकता है', 'करेगा', 'तलाश करेगा', 'जारी रखेगा', 'लक्षित करेगा', 'पूर्वानुमान', 'लक्ष्य', 'अनुमानित', 'उम्मीद', 'अनुमान', 'इरादा', 'योजना', 'उद्देश्य', 'विश्वास', 'प्राप्त करेगा' या इसी तरह के शब्दों से पहचाना जा सकता है.

स्वभाव से, भविष्योन्मुखी कथनों में भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित जोखिम और अनिश्चितता शामिल होती है, जिसमें कानून में परिवर्तन, मानकों एवं व्याख्याओं का विकास, ईएसजी रिपोर्टिंग पद्धतियों का विकास और हमारे नियंत्रण से परे बाहरी कारक शामिल हैं. ये कथन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन की वर्तमान मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित हैं और महत्वपूर्ण जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं. वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं. हमारी भविष्य की वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट में की गई है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है.

लागू कानूनों और विनियमों के तहत हमारे दायित्वों के अधीन, हम नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप किसी भी भविष्योन्मुखी कथन को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने या संशोधित करने का कोई दायित्व नहीं लेते हैं.

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें.

# कॉर्पोरेट सूचना

| वर्ग | विवरण |
|---|---|
| प्रधान कार्यालय & केंद्रीय कार्यालय | यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग,<br>नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. |
| ग्लोबल लोकेशन नंबर (जीएलएन) | 8904368511166 |
| विधिक संस्था पहचान (एलईआई) कोड | 5493000P4HD6132SQ711 |
| निवेशक सेवाएं प्रभाग | यूनियन बैंक भवन, 12वां तल, 239, विधान भवन मार्ग,<br>नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. |
| रजिस्ट्रार & शेयर अंतरण एजेंट | केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड<br>इकाई: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 & 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,<br>हैदराबाद – 500032 |
| डिबेंचर ट्रस्टी | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड<br>एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट,<br>मुंबई - 400 001 |
| कंपनी सचिव | सीएस मंगेश मांद्रेकर |
| सचिवीय लेखापरीक्षक | मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी, कंपनी सचिव |
| सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक | मेसर्स छाजेड एंड डोशी, सनदी लेखाकार<br>मेसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार<br>मेसर्स पी चंद्रशेखर एलएलपी, सनदी लेखाकार<br>मेसर्स वी. के. लाधा एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार |
| बीआरएसआर आश्वासन प्रदाता | मेसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |

# रेटिंग

## जारीकर्ता रेटिंग

### एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स

| | |
|---|---|
| जारीकर्ता ऋण रेटिंग | बीबीबी-/सकारात्मक/ए-3 आउटलुक- सकारात्मक |
| सीनियर अंसेक्युर्ड | बीबीबी- आउटलुक- सकारात्मक |

### फिच रेटिंग्स लिमिटेड

| | |
|---|---|
| दीर्घकालिक जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)) | बीबीबी- आउटलुक - स्थिर |
| अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर) | एफ3 आउटलुक- स्थिर |
| व्यवहार्यतारेटिंग (वीआर) | बीबी - आउटलुक- स्थिर |

### जमा का प्रमाणपत्र

**ए1+/स्थिर**

**आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स**

### अतिरिक्त टियर-1 बॉण्ड

**एए+/स्थिर**

**क्रिसिल, केयर, इंद्रारेटिंग, ब्रिकवर्क**

### टियर 2 बॉण्ड

**एएए/स्थिर**

**क्रिसिल, केयर, इंद्रा रेटिंग, आईसीआरए, ब्रिकवर्क**




**क्रिसिल:** क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, **केयर:** केयर रेटिंग्स लिमिटेड, **इंडिया रेटिंग:** इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, **आईसीआरए:** आईसीआरए लिमिटेड, **ब्रिकवर्क:** ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

# संगठनात्मक अवसंरचना (दिनांक 27.06.2025 से प्रभावी)

**निदेशक मंडल**

**अध्यक्ष**

**प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (रिक्त)**

**मुख्य सतर्कता अधिकारी**

## कार्यपालक निदेशक – जमा संग्रहण, आईटी, डिजिटाइजेशन, एसीओई और सेंट्रल रिपॉजिटरी एवं एमआईएस, मानव संसाधन, खुदरा आस्तियां, कृषि कारोबार, संपदा प्रबंधन, रुसू बैंकिंग एवं एफ़आई, गोल्ड लोन, एसएसडी एवं कॉर्पोरेट संप्रेषण, प्रापण

**जमा संग्रहण**
- » जमा संग्रहण
- » सरकारी कारोबार और संपर्क
- » क्रेडिट कार्ड एवं व्यापारी अर्जन कारोबार
- » कासा एवं यूनियन लीप

**सूचना प्रौद्योगिकी**
- » डेटा सेंटर
- » नेटवर्क, सुरक्षा एवं गैर-कोर एप्लिकेशन

**डिजिटाइजेशन**
- » चैनल डिज़ाइन, बिल्ड एवं रन
- » प्लेटफ़ार्म बिल्ड, डिजिटल जर्नी

**एसीओई और सेंट्रल रिपॉजिटरी एवं एमआईएस**

**मानव संसाधन**
- » प्रशासन
- » औद्योगिक संबंध
- » एल एंड डी एवं एएमओ

**खुदरा आस्तियां**

**कृषि कारोबार**

**संपदा प्रबंधन**

**रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन**

**गोल्ड लोन**

**एसएसडी एवं कॉर्पोरेट संप्रेषण**

**प्रापण**

## कार्यपालक निदेशक - लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, एमएसएमई, सैमवी, डीएफ़बी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बोर्ड सचिवालय, कार्यनीति

**लार्ज कॉर्पोरेट**
- » ऋण सिंडिकेशन, एनबीजी
- » कारोबार विकास
- » कॉर्पोरेट रिलेशनशिप कक्ष, संव्यवहार बैंकिंग

**मिड कॉर्पोरेट**

**एमएसएमई**

**सैमवी**

**डीएफ़बी एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग**

**बोर्ड सचिवालय**

**कार्यनीति, सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम**

## कार्यपालक निदेशक - वित्त एवं लेखा और समाधान, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण, परिचालन, ऋण अनुपालन एवं अनुश्रवण, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, सीसो, ट्रेजरी, सीईए (बैंकिंग अनुसंधान), एनपीसी

**वित्त एवं लेखा और समाधान**
- » समाधान
- » इंडियन एएस, विनियामक रिपोर्टिंग, कराधान

परिचालन व्यय एवं गैर-ब्याज आय

**लेखापरीक्षा और निरीक्षण**

**परिचालन**
- » कोर परिचालन, शाखा विस्तार कक्ष
- » डिजिटल कांटैक्ट सेंटर
- » नई पहल
- » वैकल्पिक चैनल
- » ग्राहक सेवा उत्कृष्टता कक्ष

**ऋण अनुपालन एवं अनुश्रवण**
- » ऋण अनुश्रवण

**जोखिम प्रबंधन**
- » जोखिम प्रबंधन
- » संव्यवहार अनुश्रवण एवं धोखाधड़ी प्रबंधन

**अनुपालन**

**सीसो**
- » डीपीओ

**ट्रेजरी**

**सीईए (बैंकिंग अनुसंधान)**

**एनपीसी (राष्ट्रीय प्रसंस्करण कक्ष)**
- » सीबीओ टीएफ़
- » सीबीओ एनपीसी



## श्री श्रीनिवासन वरदराजन

*गैर-कार्यपालक अध्यक्ष*

श्री श्रीनिवासन वरदराजन दिनांक 7 नवंबर, 2022 को बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं. आपको बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में तीन दशक से अधिक का अनुभव है. वर्ष 2019 में अपनी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व आप एक्सिस बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे. आप जेपी मॉर्गन, भारत के प्रबंध निदेशक एवं बाजार प्रमुख थे. आप भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ भी थे. आपने अपने कैरियर की शुरुआत आईसीआईसीआई लिमिटेड से की और समूह के विभिन्न नेतृत्व पदों पर एक दशक तक कार्य किया.

आप वर्तमान में सेबी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति के सदस्य हैं. आप एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड के भी अध्यक्ष हैं और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं. आपने पूर्व में विभिन्न आरबीआई समितियों यथा तकनीकी सलाहकार समिति, रेपो के लिए समिति और स्ट्रिप्स के लिए समिति में काम किया है. आपने पूर्व में फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) और प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है.

आपने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से इंजीनियरिंग की डिग्री और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता से प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है.



## सुश्री ए. मणिमेखलै

*प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 02.06.2025 तक)*

सुश्री ए. मणिमेखलै, 3 जून, 2022 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं.

आप एक अनुभवी बैंकर हैं जिनके पास 3 दशक से अधिक का अनुभव है, सुश्री ए. मणिमेखलै ने अपने कैरियर की शुरुआत भूतपूर्व विजया बैंक में 1988 में एक अधिकारी के रूप में की और बाद में शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यात्मक प्रमुख के रूप में कार्य किया. आपने कार्यनीतिक योजना, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करना, विकास कार्यनीति, कार्य योजना, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण जैसे मुख्य क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्यनीतिक नीतियों को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आप केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं. आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आपको पांच अन्य कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव है, जिनमें कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और ट्रस्टी, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी शामिल हैं.

वर्तमान में, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू.के.) लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में निदेशक भी हैं.

भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों की सदस्य के रूप में आपने आरआरबी के भविष्य का रोड मैप तैयार करने के साथ ही नीति निर्माण, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य शृंखला वित्त, बैंकिंग प्रतिनिधि समस्याएँ और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह के लिए तालमेल बनाना आदि कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है.

आपने बैंगलोर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है. आपने देश के प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं.



## श्री नितेश रंजन

*कार्यपालक निदेशक*

श्री नितेश रंजन 2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक हैं. आप ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने, कर्मचारियों की बेहतर सहभागिता और सशक्त तुलन पत्र के लिए बैंक में डिजिटल रूपान्तरण का नेतृत्व कर रहे हैं. कारोबार को आगे बढ़ाते हुए, आप बैंक में जोखिम और अनुपालन मानकों को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के निदेशक मंडल के सदस्य हैं और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में सुधार पर आईबीए की संचालन समिति के सदस्य भी हैं. आप अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं तथा आपने आईआईएम बेंगलुरू से नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किया है.



## श्री रामसुब्रमणियन एस.

*कार्यपालक निदेशक*

श्री एस. रामसुब्रमणियन ने दिनांक 21 नवंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पदभार ग्रहण करने से पहले, आप केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई, खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप विज्ञान में स्नातक हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) अहर्ता प्राप्त हैं.

अपने बैंकिंग कैरियर में आपने अलग स्थानों और शाखा श्रेणियाँ यथा मुख्य कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट शाखा और केनरा बैंक की हांगकांग शाखा और प्रधान कार्यालय सहित बैंक के प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य किया है.

आप परिचालन और प्रशासन दोनों में समान रूप से पारंगत हैं.



## श्री संजय रुद्र

*कार्यपालक निदेशक*

श्री संजय रुद्र ने 9 अक्टूबर, 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ने से पूर्व, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थे, जहाँ आपने बैंक में बदलाव और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महाप्रबंधक और मुख्य जोखिम अधिकारी जैसे विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं. विभिन्न बैंकिंग पहलुओं जैसे क्रेडिट, एमएसएमई और एकीकृत जोखिम प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, आपके पास ज्ञान का भंडार है और रणनीतिक बैंकिंग पहलों में आप एक प्रेरक शक्ति हैं. आप ज्ञानार्जन एवं विकास (एल&डी) वर्टिकल के भी प्रभारी थे और आपके पास डिजिटल ऋण के विकास और परीक्षण का अतिरिक्त उत्तरदायित्व था.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, आप ट्रेजरी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा आस्ति, कृषि कारोबार, मानव संसाधन, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, रुसु बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और स्वर्ण ऋण कारोबार सहित विभिन्न कारोबार और सहायक पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं. आप नेतृत्व और ज्ञानार्जन के एक प्रबल समर्थक रहे हैं एवं बैंक में ज्ञानार्जन एवं विकास (एल&डी) पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं.

आप भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और वेलिंगकर संस्थान से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा धारक है. आप भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के एसोसिएट सदस्य हैं. आपने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बैंगलोर से वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) द्वारा संचालित नेतृत्व विकास कार्यक्रम पूर्ण किया है. आपने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए के सौजन्य से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा संचालित वैश्विक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर एक सक्रिय सहयोगी के रूप में भी भाग लिया है. आपने महाराष्ट्र निष्पादक एवं ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक सहायक कंपनी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है. आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में भी नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है. आपको स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी) लिमिटेड के नामित निदेशक, पीएसबी एलायंस के स्वतंत्र निदेशक और भारतीय बैंकिंग और प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.



## श्री पंकज द्विवेदी

*कार्यपालक निदेशक (दिनांक 24.06.2025 तक)*

आपने 27 मार्च, 2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले, आप पंजाब एंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे. आपके पास 33 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है.

आपने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) से प्रमाणित एसोसिएट हैं. आपने आईआईएम, रायपुर से वित्तीय जोखिम प्रबंधन में कार्यकारी प्रमाणपत्र कार्यक्रम पूर्ण किया है और आपने आईआईएम बैंगलोर से नेतृत्व विकास कार्यक्रम को भी पूरा किया है, जिसे आईबीए और एगॉन जेहंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है.

पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है और आपको शाखाओं, अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में विभिन्न विभागों में काम करने का समृद्ध अनुभव है. आपने प्रधान कार्यालय में विभिन्न कार्य जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, खुदरा ऋण, विधि एवं वसूली, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट क्रेडिट, बोर्ड सचिवालय, आयोजना एवं विकास, विदेशी विनियम, को-लेंडिंग आदि में कार्य किया है. आप आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बोर्ड में ट्रस्टी भी थे.



## श्री समीर शुक्ला

*सरकार द्वारा नामित निदेशक*

श्री समीर शुक्ला भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के अधिकारी हैं.

वर्तमान में, आप वित्तीय सेवाएं, विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में आपको दिनांक 08.11.2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया है.

भारत सरकार में अनुभव

इससे पहले, आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में काम कर चुके हैं.

कर्नाटक सरकार में अनुभव

- बीदर, धारवाड़ और बल्लारी जिलों में उपायुक्त एवं जिलाधिकारी.
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में जिला पंचायत, रायचूर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी.
- उद्योग विभाग में मैसूर मिनरल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक.
- ग्रामीण विकास में मिशन निदेशक. कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग में आयुक्त.

आपने सरकारी सेवा में आईएएस के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले निजी क्षेत्र के एचसीएल इंफोसिस्टम्स में नेटवर्क इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया है.



## श्री प्रकाश बलियारसिंह

*आरबीआई द्वारा नामित निदेशक*

श्री प्रकाश बलियारसिंह को 14 जुलाई, 2023 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

आप भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक थे. आप एक पेशेवर केंद्रीय बैंकर थे और आपके पास भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों (मुख्य रूप से पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग) के साथ 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है.

आपने अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रधान निरीक्षण अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है. आप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर), जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के साथ-साथ जोखिम एवं पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/उप समितियों के सदस्य भी थे. आपने अंतर्राष्ट्रीय समितियों में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व भी किया है.

आपने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और आपने यूके के ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (वित्त) भी पूर्ण किया है. आपको भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति भी मिली है. वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट हैं.



## श्री सूरज श्रीवास्तव

*अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (दिनांक 11.04.2025 से)*

श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सह सदस्य हैं तथा विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं.

श्री श्रीवास्तव को कराधान एवं लेखापरीक्षा में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में 17 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव रहा है और मेसर्स बत्रा सपरा एंड कंपनी के भागीदार के रूप में आपने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों में सांविधिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षा किए हैं.

श्री श्रीवास्तव ने आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा(आईएसए) मूल्यांकन परीक्षण भी पूर्ण किया है.



## डॉ. प्रीति जय राव

*शेयरधारक निदेशक*

डॉ. प्रीति जय राव को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में फिर से चुना गया है और आपने 29/07/2024 से 28/07/2027 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है तथा आप कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आईआईटी मुंबई से एमएससी (गणित) हैं. आपने हाल ही में डॉक्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज (डीबीए) पूर्ण किया है. आपका शोध "लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए भर्ती एआई का दोहन" पर केंद्रित है. आप व्यावसायिक मूल्य के साथ प्रोद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन प्रक्रिया स्वचालन को बढ़ाने की समर्थक रही हैं.

आपको सभी पाँच महाद्वीपों के ग्राहकों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. विभिन्न कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने सूचना प्रौद्योगिकी टीम का समर्थन और सॉफ्टवेयर सेवाएं सुपुर्दगी और बड़े पैमाने पर भर्ती, प्रशिक्षण और व्यापक कर्मचारी आधार को आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

आपका झुकाव ऐसे नेतृत्व कौशल की ओर है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी के ज्ञान और दृष्टि दोनों की आवश्यकता होती है, साथ ही यह कल्पना करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार संगठनात्मक गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है, ताकि संगठनों को प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाने में मदद मिल सके.

आप पिछले कई वर्षों से प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के निदेशक मंडल की सदस्य हैं.

आप विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिसका लक्ष्य वंचित पृष्ठभूमि की प्रतिभाशाली युवा लड़कियों को वित्तीय सहायता, विशेष कोचिंग, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे मजबूत व्यक्तित्व के साथ सशक्त, आत्मविश्वासी पेशेवर बन सकें.



## श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल

*शेयरधारक निदेशक*

श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है और आपने 26/07/2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 27/07/2024 को बैंक के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है. आपके पास भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों के साथ 36 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. आप एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक (खुदरा कारोबार – वैयक्तिक बैंकिंग और रियल एस्टेट) के पद से सेवानिवृत्त हुए. आपने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में ईडी एवं सीओओ सहित, एसबीआई में कई प्रमुख जिम्मेदारियां संभाली हैं. बैंकिंग, मानव संसाधन, संचालन, बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में आपकी गहन विशेषज्ञता है. आपने मानव संसाधन, प्रशिक्षण, आईटी, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और गवर्नेंस में कई सुप्रसिद्ध पहलों का नेतृत्व किया है.

आपको 2021 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2021 में एसबीआई जीआई की ओर से कंपनी विद ग्रेट मैनेजर्स अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और एसबीआई में ज्ञानार्जन एवं विकास में आपकी अग्रणी पहलों के लिए 2018 में आपने एसबीआई के लिए ब्रैंडन हॉल अवार्ड हासिल किया है.

आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल से एमए (अर्थशास्त्र) और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. आपके पास कई व्यावसायिक प्रमाणपत्र भी हैं जैसे कि आईएसबी हैदराबाद से एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम (एसबीआई के लिए संकलित) और बर्कले यूनिवर्सिटी, यूएसए के साथ ग्लोबल एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम-एआईआईएमए.

# सीवीओ/केएमपी/सीआरओ/एसएमपी/जीएम (यथा 31.03.2025)

## मुख्य सतर्कता अधिकारी



**श्री अजय कुमार सिंह**

## पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)



**श्री पी. के. सामल**
*सीसीओ*



**श्री अविनाश वसंत प्रभु**
*सीएफ़ओ*



**श्री मंगेश मांद्रेकर**
कंपनी सचिव

## मुख्य जोखिम अधिकारी



**श्री अश्विनी कुमार चौधरी**

## मुख्य महाप्रबंधक (वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक)



**श्री के. भास्कर राव**



**श्री अभिजीत बसाक**



**श्री ए. के. विनोद**



**श्री एस. सी. तेली**



**श्री सी. एम. मिनोचा**



**श्री एस. वी. बीजू**



**श्री प्रवीण शर्मा**



**श्री कबीर भट्टाचार्य**

## मुख्य महाप्रबंधक (वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक)


श्री सुदर्शन भट्ट


श्री अरुण कुमार


श्री अनिल कुरील

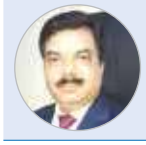

श्री रवींद्र बाबु एम.


श्री संजय नारायण

## महाप्रबंधक


श्री के. एस. डी. एस. वी. प्रसाद


श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल


श्री प्रमोद कुमार गुप्ता


श्री अमरेन्द्र कुमार


श्री ज्ञान रंजन सारंगी


श्री सांतनु कुमार दाश


श्री आर. एल. पट्टनायक


श्री नवीन जैन


श्री सुमित श्रीवास्तव


श्री आलोक कुमार


श्री जी. के. सुधाकर राव


श्री नवनीत कुमार


श्री सर्वेश रंजन


श्री विकास कुमार


श्री मनोज कुमार


श्री गोकुलानंद दास


श्री राजीव शर्मा

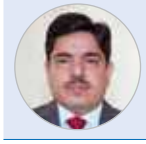

श्री अरुण कुमार


श्री विट्ठल बनशंकरी


श्री विपिन कुमार शुक्ला


श्री गिरीश चन्द्र जोशी


श्री ओमप्रकाश श्रीनिवास करवा


श्री विपन सिंह


श्री राजीव कुमार झा


श्री जितेंदर मनीराम


श्री धीरेंद्र जैन


श्री गुगुलोतु शंकरलाल

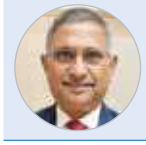

श्री एस. शक्तिवेल


श्री गिरिजा भूषण मिश्रा


श्री मनोज कुमार नंदा


श्री पी. कृष्णन


श्री गुना नंद गामी


श्री जी. एन. वी. रमणा


श्री बिरजा प्रसाद दास


बैज नाथ सिंह


श्री वी. एन. भास्कर राव


श्रीमती रेणु के. नायर


श्री सत्यबान बेहेरा


श्री एन. चेजियन


श्री अजय कुमार


श्री के. प्रमोद कुमार रेड्डी


श्री वी. एस. एस. एस. एस. शास्त्री


श्री श्रीनिवास कुमार पत्रि


श्रीमती सौम्या श्रीधर


श्री हरे कृष्णा दास


श्री सरोज कुमार दाश


श्री ऋषिकेश मिश्र


श्री के महेंद्र रेड्डी


श्री सुनील कुमार जदली


श्रीमती अर्चना शुक्ला


श्री मनोज कुमार

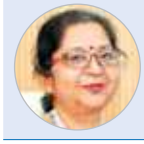

श्री राजेश कुमार


श्री टी. कामेश्वर राव


श्री अखिलेश कुमार


श्रीमती शलिनी मेनन


श्री लोकनाथ साहू


डॉ चेतना पाण्डेय

## आंतरिक लोकपाल



श्रीमती राधिका भाटवेडकर

## संव्यवहार बैंकिंग एवं कॉर्पोरेट संपर्क कक्ष प्रमुख



श्री प्रसाद रामस्वामी

## मुख्य वित्तीय सलाहकार



सुश्री कनिका पसरीचा

## डिजिटल कॉल सेंटर प्रमुख



श्री हितेश सिंधवानी

## संपदा प्रबंधन प्रमुख



श्री ऋषि ढढ्ढा

# संवहनीय विकास एवं **नवोन्मेष का संचालन**



**श्री श्रीनिवासन वरदराजन**
*अध्यक्ष*

**प्रिय सम्मानित शेयरधारक,**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय वर्ष 2024-25 की 106वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. अस्थिर वैश्विक पृष्ठभूमि को देखते हुए, हमारा प्रयास यह रहा है कि हम अपने निवेशकों और पूरे समाज के लिए सृजित मूल्य को अधिकतम करते हुए, संवहनीय कारोबार विकास पर ध्यान केंद्रित करें.

यह रिपोर्ट न केवल बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन को प्रस्तुत करती है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय संवहनीयता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्रों में हमारी पहलों को भी रेखांकित करती है. समग्र रूप में ये तत्व वित्तीय सेवा क्षेत्र के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के लिए हमारे योगदान का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं.

**वित्तीय वर्ष 2024-25: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष**

वित्तीय वर्ष 2024-25 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है, जो नए भरोसे और कार्यनीतिक परिवर्तन के चरण को रेखांकित करता है. इस वर्ष प्रमुख वित्तीय मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जिसमें ऋण वृद्धि, लाभप्रदता, पूंजी पर्याप्तता और आस्ति गुणवत्ता शामिल है. इन गतिविधियों ने न केवल सरकारी बैंकों में जनता के विश्वास को सुदृढ़ किया है, बल्कि उन्हें देश की आर्थिक वृद्धि और विकास कार्यसूची के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में भी स्थापित किया है. पीएसबी में वित्तीय लचीलेपन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जिसमें अधिकांश बैंकों ने अपने समकक्ष निजी बैंकों की तुलना में बेहतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात रिपोर्ट की है. ये परिणाम तुलन पत्र की मजबूती, उन्नत ऋण आघात सहनीयता और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि को समर्थन करने की सुधार क्षमता के संकेत हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इस पुनरुत्थान का अपवाद नहीं रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और तुलन पत्र की मजबूती में सामूहिक सुधार के बीच, यूनियन बैंक ने सुदृढ़ वित्तीय कार्य-निष्पादन, कार्यनीति के अनुशासित क्रियान्वयन तथा समावेशी और उत्तरदायी बैंकिंग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से स्वयं को प्रतिष्ठित किया है. वित्तीय वर्ष 25 में, ₹17,987 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निवल लाभ दर्ज किया गया, जो कि 32% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है. जबकि परिचालन लाभ ₹31,090 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 10% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई. यह दर्शाता है कि, 18.02% पूंजी पर्याप्तता, उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जिसमें सीईटी-1 अनुपात 14.98% है, जो कि विनियामक न्यूनतम से काफी ऊपर है, जो विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है.

**भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता - बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए एक सुदृढ़ मंच**

अस्थिर वैश्विक पृष्ठभूमि और भू-राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए, भारत की समष्टि-अर्थव्यवस्था 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' बनी हुई है. विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों द्वारा समर्थित, बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर बनी रही. वित्तीय वर्ष 25 में 6.5% जीडीपी वृद्धि के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा. मुद्रास्फीति अच्छी रही और हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.6% रही. हमारा चालू खाता घाटा जीडीपी का 1% से कम रहा, जिससे विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित हुई और निवेशकों का विश्वास बढ़ा. विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहा, जिससे समष्टि -वित्तीय स्थिरता संभव हुई और अंतरराष्ट्रीय परिचालन में संलग्न बैंकों के लिए अस्थिरता जोखिम कम हुआ. राजकोषीय मजबूती के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता (राजकोषीय घाटे को 4.8% तक सीमित रखने का लक्ष्य) ने राष्ट्रिक विश्वसनीयता को बढ़ाया है और निजी ऋण विस्तार के लिए राह बनाई है.

**पर्याप्त पूंजी और क्लीन तुलन पत्र के साथ बैंक विकास की अच्छी स्थिति में है**

इसलिए, भले ही वित्तीय वर्ष 2025 में बैंकिंग प्रणाली का ऋण पिछले वर्ष के 16% से घटकर 11% रह गया हो, लेकिन बैंक पर्याप्त पूंजी और क्लीन तुलन

पत्र के साथ विकास करने की अच्छी स्थिति में हैं. इस संबंध में, यूनियन बैंक भी अच्छी तरह से पूंजीकृत है और देश के आर्थिक परिवर्तन में विकास के इंजन के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है.

सरकार और आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक सुविधाजनक वातावरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है. समावेशी संवृद्धि, नवाचार और रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने विशेष रूप से एमएसएमई के लिए लक्षित ऋण गारंटी योजनाओं और सुधारों की एक शृंखला शुरू की है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई अत्यधिक मात्रा में चलनिधि को बढ़ावा देकर और 'कारोबार में सुगमता' हेतु नियमों को अधिक अनुकूल बनाकर विकास को सहयोग करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान कर रहा है. फ्रंट लोडिंग 100 बीपीएस दर में कटौती के अलावा, आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली को ₹11 लाख करोड़ की चलनिधि प्रदान की है और इसके अतिरिक्त ₹2.5 लाख करोड़ की अन्य योजना प्रक्रियाधीन हैं ताकि बैंक जमा और ऋण दरों में संचरण में तेजी लाई जा सके, जिसके फलस्वरूप ऋण वृद्धि में सुधार होगा. आरबीआई द्वारा विकास का समर्थन करने के लिए बैंकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, नीति निर्माताओं द्वारा बताए गए आकांक्षात्मक लक्ष्यों को साकार करने में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

**अस्थिर दुनिया में, यूबीआई अपने हितधारकों का निरंतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है**

इसके बावजूद कि हम वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों और बाहरी अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाली वृद्धि के लिए उभरते जोखिमों से अवगत हैं. इस संदर्भ में, बैंक लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता पर दृढ़ता से ध्यान केन्द्रित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है. इसे प्राप्त करने के लिए, बैंक का बोर्ड अपने प्रमुख जमा आधार अर्थात कासा और खुदरा सावधि जमा में वृद्धि करके संवहनीय समृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. बैंक ने गुणवत्तापूर्ण ग्राहकों को जोड़ने के लिए यूनियन लीप, यूनियन बैंक समृद्धि, यूनियन वेलनेस डिपॉजिट जैसे कई मूल्यवर्धित उत्पाद और योजनाएं शुरू की हैं. हमारा कार्यनीतिक आशय उन समृद्धि क्षेत्रों को लक्षित करना है, जो उपयुक्त जोखिम-रिवार्ड प्रदान करते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि हम तुलन पत्र की गुणवत्ता से समझौता न करें. ग्राहक अनुभव और उपयुक्त बिक्री हमारे मुख्य सिद्धांत होंगे जिन पर हम अपने कारोबार को बढ़ाएँगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा बैंक ग्राहक वे स्तंभ होंगे जिन पर हमारा भविष्य का समृद्धि पथ टिका होगा. ग्राहक आनंद में बढ़ोतरी करते हुए निर्बाध डिजिटल समाधान सभी हितधारकों के लिए बेहतर उत्पादकता और दक्षता सक्षम करेंगे.

**भारत संवृद्धि का मार्गदर्शक बना हुआ है**

वित्तीय वर्ष 26 में आगे बढ़ने के साथ-साथ, व्यापार अनिश्चितता और भू-राजनीतिक गतिविधियों से उत्पन्न जोखिम के कारण निजी पूंजीगत व्यय वसूली और समग्र उपभोग वृद्धि की गति पर संकट की स्थिति बनी हुई है.

फिर भी, मध्यम से दीर्घ अवधि में, भारत संवृद्धि का मार्गदर्शक बना हुआ है और आने वाले दशकों में एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के सपने को साकार करने की क्षमता रखता है. हमारा दृढ़ विश्वास है कि परिस्थितियाँ सामान्य होने पर 7% से अधिक की वृद्धि संभव है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारा लक्ष्य बुनियादी ढाँचे के विकास, एमएसएमई विस्तार, हरित ऊर्जा परिवर्तन और डिजिटल समावेशन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सक्रिय रूप से वित्तपोषित करके भारत की आर्थिक प्रगति को गति देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना है.

हम अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, विनियामकों सहित अपने सभी हितधारकों के प्रति उनके निरंतर समर्थन, सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए बहुत आभारी हैं. जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम इस गति को बनाए रखने, अपने हितधारक संबंधों को सुदृढ़ करने और भविष्य के लिए तैयार, सुदृढ़ और संवहनीय संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

आपके निरंतर विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद.

शुभकामनाओं सहित,

श्रीनिवासन वरदराजन
अध्यक्ष

# प्रबंधन का संदेश

**प्रिय सम्मानित शेयरधारक,**

हमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उपलब्धियों और वित्तीय कार्यनिष्पादन का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के समक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र ने प्रबलता और सुदृढ़ता का प्रदर्शन जारी रखा. इस परिवर्तनशील माहौल में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उभरते अवसरों का लाभ उठाया और मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर सुदृढ़ रहा. हमारी अनुकूलनशीलता, कार्यनीतिक फोकस और परिचालन आघात-सहनीयता ने बैंकिंग परिदृश्य में हमारी स्थिति को मजबूत किया, जो प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों में उत्साहजनक प्रवृत्तियों को दर्शाता है.

**बैंक के कारोबारिक कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं**

वित्तीय वर्ष 2024-25,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जिसमें बैंक ने ₹17,987 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निवल लाभ अर्जित किया, जिसमें वार्षिक आधार पर 32% की वृद्धि हुई है.वर्ष के दौरान हमारा कुल कारोबार ₹22.9 लाख करोड़ रहा, जिसमें ₹13.1 लाख करोड़ का जमा आधार और ₹9.8 लाख करोड़ का अग्रिम शामिल है. लाभप्रदता अनुपात में और सुधार हुआ, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) बढ़कर 1.26% हो गया, और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 17.20% रहा. हमारा निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.91% पर स्थिर रहा, हमारी पूंजी पर्याप्तता उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जिसमें हमारा पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 18.02% है और सामान्य इक्विटी टियर -1 (सीईटी-1) अनुपात 14.98% है, जो भविष्य में विकास हेतु निधि उपलब्ध कराने पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है.

हम कारोबार स्तर और लाभप्रदता दोनो स्तरों पर कार्यनिष्पादन पर संतुलित फोकस के साथ संवहनीय विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. बढ़ती ब्याज दर के माहौल में, हमने उच्च लागत वाली थोक जमाराशियों पर अपनी निर्भरता को कम किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22% की तुलना में वार्षिक आधार पर 5% बढ़ी और चुनिंदा रूप से कम प्रदायी ऋण आस्तियों को प्राथमिकता से हटा दिया गया.फलस्वरूप, कुल जमाराशियों में वार्षिक आधार पर 7.2% की वृद्धि हुई, जबकि अग्रिम राशि में वार्षिक आधार पर 8.6% की वृद्धि हुई, चालू खाता जमाराशियों में 17%, खुदरा सावधि जमाराशियों में 8.6%, खुदरा ऋण देने में 22.1% और एमएसएमई ऋण देने में 12.5% की वृद्धि के साथ खंडवार कार्यनिष्पादन मजबूत रहा.सकल एनपीए अनुपात में 3.6% और निवल एनपीए में 0.63% की कमी के साथ आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है. हमारा प्रावधान कवरेज अनुपात 94.6% रहा, जो सरकारी नीतिगत पहलों और आरबीआई के मौद्रिक सहजता उपायों के प्रभावी होने के कारण ऋण वृद्धि को आगे बढाने के लिए तैयार एक पर्याप्त रूप से प्रावधानीकृत तुलन पत्र को दर्शाता है.

**प्रमुख उपलब्धियां**

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी मजबूत गति जारी रखी, भारत सरकार के ईज 7.0 सुधार सूचकांक में महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त की है. बैंक ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है: विकसित भारत की ओर बैंकिंग (प्रथम स्थान), प्रभावी जोखिम/धोखाधड़ी प्रबंधन, संग्रह और वसूली (द्वितीय स्थान), और उभरती बैंकिंग प्राथमिकताओं के लिए कर्मचारियों का विकास (द्वितीय स्थान)तीन मुख्य विषयों में पुरस्कार अर्जित किए हैं. यह उपलब्धि ग्राहक सेवा, परिचालन दक्षता, जोखिम प्रबंधन और कर्मचारी विकास में उत्कृष्टता लाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कि अधिक उत्तरदायी और मजबूत बैंकिंग क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है.

वर्ष के दौरान, हमारी क्रेडिट रेटिंग में भी सार्थक सुधार हुआ. एसएंडपी ग्लोबल ने हमारे दृष्टिकोण को संशोधित कर बीबीबी-पॉजिटिव रेटिंग के साथ सकारात्मक किया, जबकि इंडिया रेटिंग्स और ब्रिकवर्क रेटिंग्स दोनों ने हमें स्थिर दृष्टिकोण के साथ एक पायदान ऊपर उठाकर एएए कर दिया, जो हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति और मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को रेखांकित करता है. इसके अतिरिक्त, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया गया, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास और भारत के पूंजी बाजारों में बैंक के बढ़ते कद को दर्शाता है.

**सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करना**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, समावेशी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, जिसमें एमएसएमई ऋण को मजबूत करना और ज्ञान (जीवाईएएन), गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की सेवा के लिए उत्पादों में विविधता लाना शामिल है. इस मिशन का एक प्रमुख स्तंभ महिला सशक्तिकरण है. दिनांक 9 नवंबर, 2024 को, माननीय वित्त मंत्री ने बेंगलूरु, चेन्नै, जयपुर, मुंबई और विजयवाड़ा में पाँच समर्पित नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया. इन शाखाओं को विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनुकूल वित्तीय उत्पाद और संसाधन प्रदान करके महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने महिला उद्यमियों को कुल ₹2,577 करोड़ के 20,820 नारी शक्ति ऋण आवेदन मंजूर किए हैं.

महिला उद्यमी शिखर सम्मेलनों और एम्पावर हर पहल के माध्यम से समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत हुई है. हम कौशल विकास पर भी जोर देते हैं, हमारे 33 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरसेटी) ने 4.0 लाख से अधिक व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया है. हमने मऊगंज (मध्य प्रदेश) और पालनाडु (आंध्र प्रदेश) में दो महिला-नेतृत्व वाले आरसेटी की स्थापना करके इस प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाया है, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित हैं, जो महिलाओं को कौशल, आत्मविश्वास और स्थायी आजीविका के अवसरों के साथ सशक्त बनाने के हमारे संकल्प को दर्शाते हैं.

**डिजिटलीकरण हमारी विकास आकांक्षाओं का मूल बना हुआ है**

डिजिटलीकरण हमारी विकास आकांक्षाओं के मूल में बना हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25के दौरान, हमने यूनियन डिजिटल कॉन्टैक्ट सेंटर, वॉट्सऐप पर यूवीकॉर्न 3.0 और वॉयस बैंकिंग के लिए गूगल बिजनेस मैसेज (जीबीएम) प्लेटफ़ॉर्म और एलेक्सा के साथ एकीकरण के साथ अपने डिजिटल पदचिह्न को मजबूत किया. हमारा व्योम ऐप बढ़ कर 3.1 करोड़ उपयोगकर्ता तक पहुंच गया है और व्योम 2.0 के साथ अपग्रेड के लिए तैयार है. हमने पूरी तरह से डिजिटल बचत खाता और चालू खाता खोलने को सक्षम बनाया, जिससे 6.87 लाख बचत खाते और 87,500 करोड़ से अधिक एफडी बनाए गए हैं. 20 डिजिटल ऋण प्रक्रियाओं और यूनियन एमएसएमई सुपरफास्ट एसटीपी और यूनियन डिजिटल ईज़ जैसे नवाचारों के साथ, हमने सुविधाजनक, सुलभ और समावेशी बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए तेज़, तथा आसान ऋण स्वीकृतियाँ दीं है.

**बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमारे नेटवर्क का विस्तार**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 201 नई शाखाएँ खोलकर अपनी पहुँच का विस्तार किया, जिसमें रूसु (ग्रामीण और अर्ध-शहरी) केंद्रों पर 21 प्रमुख शाखाएँ और 5 समर्पित नारी शक्ति शाखाएँ शामिल हैं, जिससे हमारा कुल नेटवर्क 8,621 शाखाओं, 8,910 एटीएम और 23,500 से अधिक कारोबार प्रतिनिधियों तक पहुँच गया है. हमने खासकर उच्च-संभावित और कम पहुँच वाले बाजारों मेंअपने खुदरा जमा आधार को मजबूत करने, ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और कासा विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की है. उच्च-मूल्य वाले ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, बैंक ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 1,250 शाखा-आधारित संपर्क प्रबंधक (आरएम) तैनात किए, जो ग्राहक प्रतिधारण और अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत और प्राथमिकता वाली बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं. हमने समर्पित संपत्ति संपर्क प्रबंधकों (डब्ल्यूआरएम) को तैनात करके अपने संपत्ति संपर्क प्रबंधन की पेशकश को भी मजबूत किया, जिससे अनुकूल, उच्च-गुणवत्ता वाले धन प्रबंधन समाधान सुनिश्चित किए गए हैं.

**मानव संसाधन (एचआर) पहल**

बैंक ने विविध बैंकिंग डोमेन में कर्मचारियों के ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने पर अपना मजबूत ध्यान जारी रखा है. एक सुविज्ञ और अनुकूल कार्यबल की आवश्यकता को पहचानते हुए, हमने कर्मचारियों को नवीनतम ज्ञान और कौशल तक पहुँच प्रदान करने के लिए नया एलएमएस पोर्टल-यूनियन विद्या लॉन्च किया. कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आंतरिक सूचना का प्रसार करने के लिए "यूनियन स्वर" जैसी पहल शुरू की गई है. इसके अलावा, नेतृत्व उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने वाले दूरदर्शी नेतृत्व को विकसित करने के उद्देश्य से, बैंक ने "यूनियन अद्वित" नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) शुरू किया, जिसके पहले वर्ष में 510 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है.

**ईएसजी पहल**

हमें कार्बन पार्टनरशिप कोर अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ) में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक होने पर गर्व है, जो हमारे वित्तपोषित उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. पर्यावरण के अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए, हमने यूनियन ग्रीन होम लोन की शुरुआत की, जिससे ग्राहकों को संवहनीय जीवन पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. हमारी प्रतिबद्धता ऋण देने के साथ-साथ 10 लाख पौधे लगाना, अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करना और स्वच्छता अभियान चलाना जैसी प्रभावशाली पहल शामिल हैं - इन सभी का उद्देश्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहाँ बैंकिंग सक्रिय रूप से संवहनीय और जिम्मेदार प्रथाओं का समर्थन करती है.

**बैंक का दृष्टिकोण**

जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रेरित विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को पूर्णत: अपनाता है. हम आने वाले दशकों में एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने के लिए संकल्पबद्ध हैं. बैंक ने प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सक्रिय रूप से वित्तपोषित करके सरकार के दृष्टिकोण के साथ अपनी विकास रणनीति को संरेखित करने का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित किया है.जब हम एक नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हम सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने, परिवर्तनीय माहौल में भी संवहनीय विकास गति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

# मूल्य सृजन की गाथा : भारतवर्ष के संवहनीय भविष्य का निर्माण

## कार्यपालक सार: बैंक की मूल्य सृजन यात्रा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2025 का कार्यनिष्पादन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एकीकृत विचारधारा, बैंकिंग को लेन-देन संबंधों से आगे ले जाकर एक संवहनीय मूल्य सृजन प्रक्रिया में बदल देती है. हमारे निवल लाभ में ₹17,987 करोड़ के साथ 31.79% की संवृद्धि का होना वित्तीय सफलता के अतिरिक्त कुछ और भी दर्शाता है - यह दर्शाता है कि सभी छः पूंजियों में कार्यनीतिक एकीकरण, कैसे समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देता है.

**बैंक का संवहनीय मूल्य प्रस्ताव:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत में सतत् आर्थिक परिवर्तन का एक उत्प्रेरक है, जो जलवायु-अनुकूल वित्तपोषण और डिजिटल नवाचार में अग्रणी रहते हुए वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लिए बैंक की **8,621 शाखाओं और 8,910 एटीएम** तक व्यापक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है.

**बैंक का मूल्य सृजन मॉडल**

**निविष्टियाँ → कारोबारी गतिविधियाँ → परिणाम → प्रभाव**

## Sustainable Value Creation Framework

### OUR CAPITALS

**FINANCIAL CAPITAL**
- ₹ 13.10 Lakh Crores deposits
- CRAR: 18.02%
- Strong balance sheet

**MANUFACTURED CAPITAL**
- 8,621 branches
- 8,910 ATMs
- 73,900+ employees
- 23,500+ Bcs

**INTELLECTUAL CAPITAL**
- VYOM app (400+ features)
- Digital journeys
- AI/ML capabilities
- Cybersecurity CoE

**NATURAL CAPITAL**
- Climate risk framework
- Green finance portfolio
- Renewable energy focus
- Net-zero commitment 2035

**SOCIAL & RELATIONSHIP**
- Customer trust
- Regulatory compliance
- Community partnerships
- Stakeholder engagement

**HUMAN CAPITAL**
- Skilled workforce
- Learning & development
- Digital capabilities
- Inclusive culture

↓

### OUR BUSINESS ACTIVITIES

**Sustainable Banking**
- Green financing
- Climate risk integration
- ESG governance

**Digital Transformation**
- Technology innovation
- Customer experience
- Process automation
- Cybersecurity

**Financial Inclusion**
- Priority sector lending
- Rural banking
- MSME support
- Accessible banking

**Risk Management**
- Asset quality improvement
- Regulatory compliance
- Cybersecurity measures

**Stakeholder Engagement**
- Customer service
- Employee development
- Community investment

**Operational Excellence**
- Efficiency optimization
- Infrastructure expansion
- Quality enhancement

↓

## OUR OUTCOMES

**Financial Performance**
- Net Profit: ₹ 17,987 Cr(+31.79% growth)
- ROA: 1.26% (+23 bps)
- ROE: 17.20% (+162 bps)
- GNPA: 3.60% (-116 bps)

**Sustainable Impact**
- Green financing: ₹ 28,742 Cr Green
- Net-zero commitment
- Financed emissions tracking via PCAF

**Digital Leadership**
- Digital business: ₹ 66,000 + Cr mobilized
- VYOM users: 3.9mn+
- Digital journeys: 15+
- AI/ML automation: 27

**Social Contribution**
- Priority sector: 44.31%
- MSME advances: ₹ 1.36 Lakh Crores
- CSR investment: ₹ 121.4Cr
- Financial inclusion

**Operational Excellence**
- Credit growth: 8.62%
- Deposit growth: 7.22%
- Branch network: 8,621
- Operational efficiency

**Stakeholder Value**
- Dividend: ₹ 4.75/share
- Customer satisfaction
- Employee engagement
- Regulatory compliance

↓

## SUSTAINABLE VALUE CREATION

**FOR SHAREHOLDERS**
- Superior returns
- Sustainable growth
- Risk-adjusted profits

**FOR CUSTOMERS**
- Enhanced accessibility
- Digital convenience
- Inclusive banking
- Fair pricing

**FOR SOCIETY**
- Economic development
- Financial inclusion
- Climate action
- Skill development

**FOR ENVIRONMENT**
- Climate-positive finance
- Renewable energy support
- Carbon footprint reduction

**FOR EMPLOYEES**
- Career development
- Inclusive workplace
- Skills enhancement

**FOR REGULATORS**
- Compliance excellence
- Risk management
- Transparent reporting

## कार्यनीतिक संदर्भ और बाह्य वातावरण

### परिचालन वातावरण

यूनियन बैंक भारत के गतिशील वित्तीय परिदृश्य को परिचालित करता है, जिसकी विशेषताएँ निम्न हैं:

- **विनियामक विकास:** डिजिटल भुगतान विनियमन, ई.एस.जी  दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और जलवायु जोखिम ढाँचा
- **डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक एकीकरण और निर्बाध अनुभवों के लिए ग्राहकों की अपेक्षाओं को तेजी से अपनाना
- **संवहनीयता अनिवार्यता:** जलवायु कार्रवाई, हरित वित्तपोषण और उत्तरदायी बैंकिंग प्रथाओं पर बढ़ता ध्यान
- **वित्तीय समावेशन लक्ष्य:** सार्वभौमिक वित्तीय एक्सेस और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के सहयोग हेतु सरकारी पहल

### बैंक की प्रतिक्रिया कार्यनीति

बैंक का एकीकृत दृष्टिकोण इन चुनौतियों का समाधान निम्नानुसार करता है:

1. **डिजिटल नवाचार उत्कृष्टता -** व्योम ऐप और ए.आई/एम.एल समाधानों के माध्यम से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग
2. **समावेशी विकास चैंपियन -** ए.एन.बी.सी आवंटन के 44.31% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को पार करना

3. **परिचालन में लचीलापन -** जी.एन.पी.ए को 3.60% तक कम करने के साथ जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना
4. **संवहनीय बैंकिंग नेतृत्व –** हरित वित्त पोर्टफोलियो में ₹28,742 करोड़ के एक्सपोजर के साथ हरित वित्त में अग्रणी

## मूल्य सृजन थीम

**1. जलवायु- अनुकूल बैंकिंग**

**परिदृष्टि:** भारत को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना

**हम मूल्य कैसे सृजित करते हैं:**

- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को वित्तपोषण:** भारत के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को सहयोग प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में ₹27,668 करोड़,
- **संवहनीय उत्पाद:** यूनियन ग्रीन होम (₹197 करोड़), ई.वी के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स (₹779 करोड़), ग्रीन डिपॉजिट (₹29.05 करोड़)
- **जलवायु जोखिम प्रबंधन:** बोर्ड-स्तरीय निरीक्षण और पी.सी.ए.एफ-आधारित उत्सर्जन ट्रैकिंग के साथ व्यापक ई.एस.जी ढाँचा
- **नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धता:** 2035 तक अपने परिचालन में कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना.

**प्रभाव:** नए राजस्व स्रोत का सृजन और जोखिम न्यूनीकरण करते हुए भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान

**2. डिजिटल-फ़र्स्ट नवाचार**

**परिदृष्टि:** प्रौद्योगिकी और ग्राहक-केंद्रित डिज़ाइन के माध्यम से बैंकिंग में बदलाव लाना

**हम मूल्य कैसे सृजित करते हैं:**

- **ग्राहक अनुभव:** 400+ सुविधाओं वाला व्योम ऐप 36% वार्षिक वृद्धि के साथ 3.9 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता जोड़ रहा है
- **कारोबार सृजन:** 15 से अधिक डिजिटल लेंडिंग जर्नी के माध्यम से ₹66,000 करोड़ का संग्रहण
- **परिचालन दक्षता:** हाइपर-ऑटोमेशन के माध्यम से 27 प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया, जिससे लागत में कमी आई और सेवा में सुधार हुआ
- **साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता:** उन्नत एस.ओ.सी, डेटा गोपनीयता ढाँचा और डिजिटल फोरेंसिक क्षमताएं

**प्रभाव:** संवर्धित ग्राहक संतुष्टि, परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धी स्थिति

**3. समावेशी विकास सक्षमकर्ता**

**परिदृष्टि:** भारत के विविध परिदृश्य में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना

**हम मूल्य कैसे सृजित करते हैं:**

- **व्यापक पहुंच:** 8,621 शाखाएं, जिनमें से 30% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे भौगोलिक समावेश सुनिश्चित होता है
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उत्कृष्टता:** कृषि और एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने हेतु विनियामक आवश्यकताओं से 44.31% अधिक का आवंटन,
- **सुलभ बैंकिंग:** दिव्यांग ग्राहकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए "यूनियन एक्सेस" कार्यक्रम
- **कौशल विकास:** 32 आर-सेटी के माध्यम से 75% नियोजन अनुपात के साथ 2,92,535 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया

**प्रभाव:** वित्तीय पहुंच के साथ लाखों लोगों को सशक्त बनाना, आजीविका सृजन में सहयोग और असमानता में कमी

**4. परिचालन उत्कृष्टता**

**परिदृष्टि:** लचीला, कुशल और स्केलेबल बैंकिंग परिचालन तैयार करना

**हम मूल्य कैसे सृजित करते हैं:**

- **आस्ति गुणवत्ता:** 94.61% पर पीसीआर सहित, जी.एन.पी.ए 4.76% से घटकर 3.60% हो गया
- **पूंजीगत सक्षमता :** सी.आर.ए.आर 18.02% पर है जो विकास और अनिश्चितताओं के लिए सुदृढ़ बफर प्रदान करता है
- **राजस्व विविधीकरण:** गैर-ब्याज आय में 23.21% की वृद्धि, पारंपरिक बैंकिंग पर निर्भरता में कमी लाकर
- **जोखिम प्रबंधन:** ऋण, परिचालन, साइबर और जलवायु जोखिमों को कवर करने हेतु एकीकृत रूपरेखा

**प्रभाव:** संवहनीय लाभप्रदता, हितधारक की विश्वसनीयता और कारोबारी निरंतरता

# पूंजीगत अंतर्संबंध

## बैंक की पूंजियाँ कैसे एक दूसरे को सुदृढ़ बनाती हैं:

**वित्तीय पूंजी निम्न को सक्षम करती है:**

- हरित प्रौद्योगिकियों और संवहनीय उत्पादों में निवेश (प्राकृतिक पूंजी)
- डिजिटल अवसंरचना और नवाचार क्षमताएं (बौद्धिक पूंजी)
- शाखा विस्तार और सेवा संवर्द्धन (विनिर्मित पूंजी)
- कर्मचारी विकास और सामुदायिक कार्यक्रम (मानव और सामाजिक पूंजी))

**प्राकृतिक पूंजी संचालन:**

- हरित वित्तपोषण से नए राजस्व स्रोत (वित्तीय पूंजी)
- संवहनीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार (बौद्धिक पूंजी)
- ब्रांड प्रतिष्ठा और हितधारकों के विश्वास में वृद्धि (सामाजिक एवं संबंध पूंजी)
- ग्रीन बिल्डिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से परिचालन दक्षता (विनिर्मित पूंजी)

**बौद्धिक पूंजी क्षमताएँ:**

- डिजिटल परिवर्तन से लागत में कमी और दक्षता में सुधार (वित्तीय पूंजी)
- ग्राहक अनुभव में वृद्धि, निष्ठा का निर्माण (सामाजिक एवं संबंध पूंजी)
- प्रक्रिया स्वचालन से इष्टतम संचालन (विनिर्मित पूंजी)
- बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि (सभी पूंजी)

**विनिर्मित पूंजी समर्थन:**

- वित्तीय समावेशन के लिए व्यापक पहुंच(सामाजिक एवं संबंध पूंजी)
- डिजिटल नवाचारों को लागू करने के लिए मंच(बौद्धिक पूंजी)
- संवहनीय बैंकिंग सेवाओं के लिए अवसंरचना(प्राकृतिक पूंजी)
- राजस्व सृजन और लागत अनुकूलन(वित्तीय पूंजी)

**सामाजिक एवं संबंध पूंजी निम्न उत्पन्न करती है:**

- ग्राहक विश्वसनीयता कारोबार विकास को संचालित करती है (वित्तीय पूंजी)
- उत्पाद नवप्रवर्तन के लिए बाजार आसूचना (बौद्धिक पूंजी)
- विस्तार और परिचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस (विनिर्मित पूंजी)
- संवहनीय पहलों के लिए हितधारकों का समर्थन (प्राकृतिक पूंजी)

## मूल्य सृजन परिणाम वित्त वित्तीय वर्ष 2025

### वित्तीय मूल्य

- **लाभप्रदता वृद्धि :** निवल लाभ में 31.79% की बढ़ोत्तरी से ₹17,987 करोड़ का लाभ
- **दक्षता लाभ:** आर.ओ.ए में 1.26% का सुधार , आरओई में 17.20% का सुधार
- **आस्ति गुणवत्ता:** जी.एन.पी.ए घटकर 3.60% हुआ, तुलन पत्र सुदृढ़ हुआ.
- **शेयरधारक प्रतिलाभ :** लाभांश बढ़कर ₹4.75 प्रति शेयर हो गया

### पर्यावरणीय मूल्य

- **जलवायु वित्तपोषण:** हरित पोर्टफोलियो को सहयोग प्रदान करने के लिए ₹28,742 करोड़
- **हरित उत्पाद:** पोर्टफोलियो में संवहनीय बैंकिंग उत्पादों को लॉन्च किया गया
- **उत्सर्जन प्रबंधन:** पी.सी.ए.एफ़ के माध्यम से व्यापक वित्तपोषित उत्सर्जन ट्रैकिंग
- **परिचालन संवहनीयता:** 3 आई.जी.बी.सी-प्रमाणित हरित भवन

### सामाजिक मूल्य

- **वित्तीय समावेशन:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य से अधिक 44.31% आवंटन
- **सामुदायिक निवेश:** यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन के माध्यम से ₹121.40 करोड़ का निवेश
- **कौशल विकास:** 2,92,535 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, 75% को रोजगार मिला
- **सुलभ बैंकिंग:** पुरस्कृत समावेशी बैंकिंग सेवाएँ

### डिजिटल मूल्य

- **ग्राहक समावेशन :** 400+ सुविधाओं के साथ 3.9 मिलियन से अधिक व्योम उपयोगकर्ताओं का जुड़ना
- **कारोबार सृजन:** डिजिटल चैनलों के माध्यम से ₹66,000 करोड़ का कारोबार
- **प्रक्रिया नवाचार:** बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए 15+ डिजिटल प्रक्रियाएं
- **परिचालन स्वचालन:** 27 प्रक्रियाओं को स्वचालित करके दक्षता में सुधार किया गया

## भावी मूल्य सृजन हेतु रोडमैप

### अल्पावधि (वित्तीय वर्ष 2026)

- हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो का विस्तार
- उन्नत ए.आई-संचालित बैंकिंग सेवाएं शुरू करना
- अतिरिक्त प्रक्रियाओं में हाइपर-ऑटोमेशन के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार
- जलवायु जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करना

### मध्यम अवधि (वित्तीय वर्ष 2027-28)

- एकीकृत ई.एस.जी बैंकिंग समाधान में अग्रणी होना
- भारत का अग्रणी संवहनीय वित्त बैंक बनना
- सभी चैनलों में सम्पूर्ण डिजिटल परिवर्तन
- फिनटेक इकोसिस्टम नेतृत्व स्थापित करना

### दीर्घावधि (वित्तीय वर्ष 2030 और उसके बाद)

- 2035 से पहले ही परिचालन में नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना
- जलवायु जोखिम प्रबंधन में बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त करना
- संरेखित संवहनीय विकास लक्ष्यों प्राप्त करना
- वैश्विक संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं के लिए मॉडल बनना

# भौतिकता और हितधारक प्राथमिकताएँ

**भौतिकता आकलन** एक संरचित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) मुद्दों की पहचान करना और प्राथमिकता देना है जो किसी संगठन के संचालन और उसके हितधारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं.

### पद्धति

बैंक की भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया दायित्वपूर्ण विकास और संवहनीयता पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक चुनौतियों से लगातार निपटने के साथ-साथ हितधारकों के लिए सार्थक मूल्य बनाना है.

यह दृष्टिकोण सबसे प्रभावशाली ईएसजी मुद्दों के लक्षित मूल्यांकन को सक्षम बनाता है जो बैंक के कारोबार प्रदर्शन और हितधारक प्राथमिकताओं दोनों को प्रभावित करते हैं. इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, मूल्यांकन उन कार्यनीतियों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है जो दीर्घकालिक, संवहनीय परिणामों को बढ़ावा देते हैं.

**1 प्रासंगिक ईएसजी विषयों का मूल्यांकन करना**

बैंकिंग क्षेत्र में प्रासंगिक समकक्षों की पहचान करना और बैंक के लिए प्रासंगिक सामग्री विषयों की सूची संकलित करने के लिए उनकी संवहनीयता रिपोर्ट, उद्योग, रेटर, रैंकर्स रिपोर्ट और जीआरआई मानक का विश्लेषण करना.

**2 आंतरिक और बाहरी हितधारकों की पहचान करना**

बैंक और उसके हितधारकों के संबंधों की प्रकृति यह बताती है कि विश्लेषण में हितधारक दृष्टिकोण को कैसे एकीकृत किया जाता है. पहचाने गए भौतिक विषयों के महत्व पर अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ें.

**3 संगठनात्मक प्रभाव और हितधारक असर का आकलन**

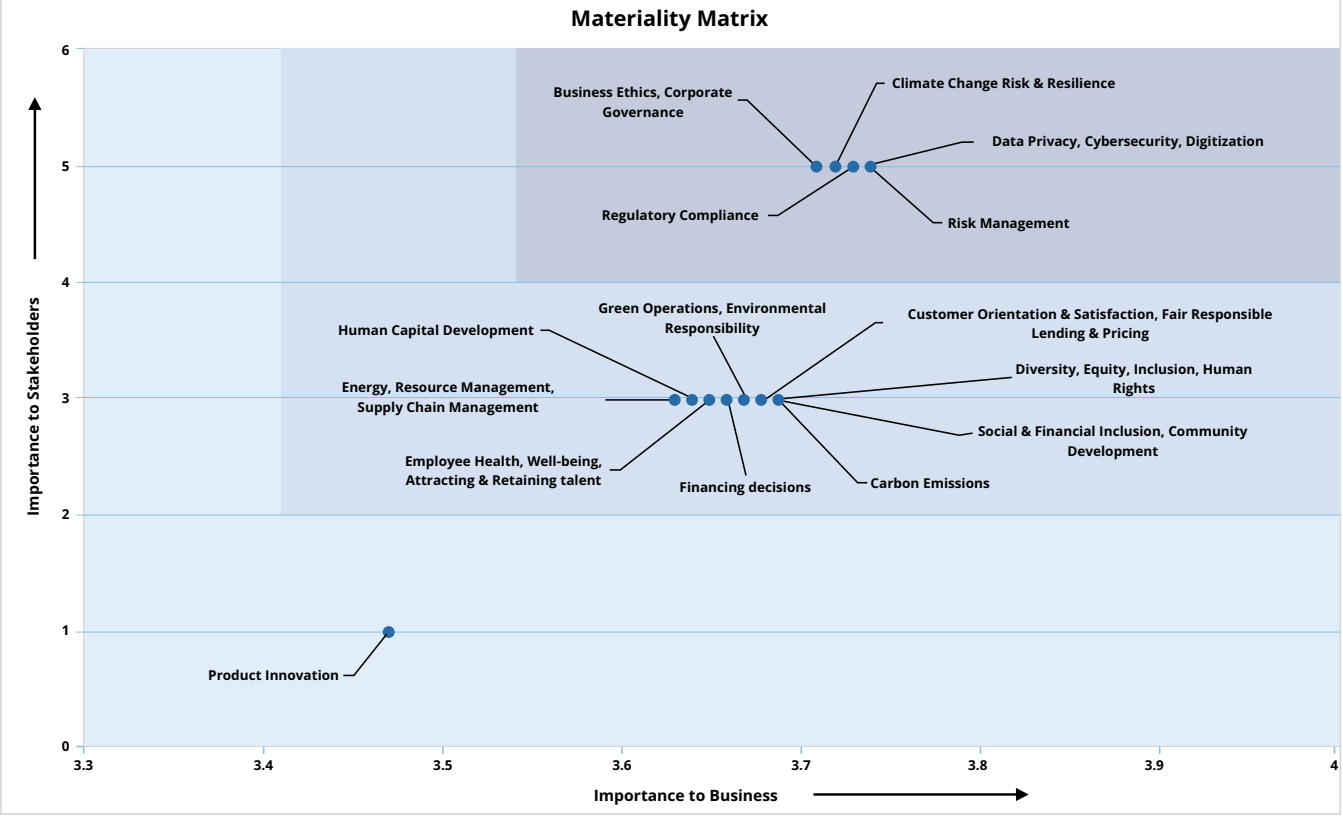
सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, बैंक के ईएसजी प्रभावों का मूल्यांकन करें, व्यावसायिक सफलता के प्रमुख चालकों की पहचान करें और निर्णय लेने में हितधारक प्राथमिकताओं का आकलन करें.

**4 प्राथमिकता को अंतिम रूप देना**

हितधारक और नेतृत्व इनपुट के साथ प्रमुख ईएसजी विषयों को पहचानें और मान्य करें, संवहनीयता लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करें और चल रहे अनुश्रवण के माध्यम से उभरती अपेक्षाओं के अनुकूल हों.

## भौतिकता मैट्रिक्स

बैंक के हालिया ईएसजी भौतिकता मूल्यांकन में, बैंक ने 15 प्रमुख ईएसजी विषयों की जांच की है, जो यूबीआई और उसके हितधारकों की उभरती अपेक्षाओं और धारणा आधारित से प्रभाव संचालित भौतिकता में बदलाव को दर्शाते हैं. परिणामी **भौतिकता मैट्रिक्स** इस प्रकार है:

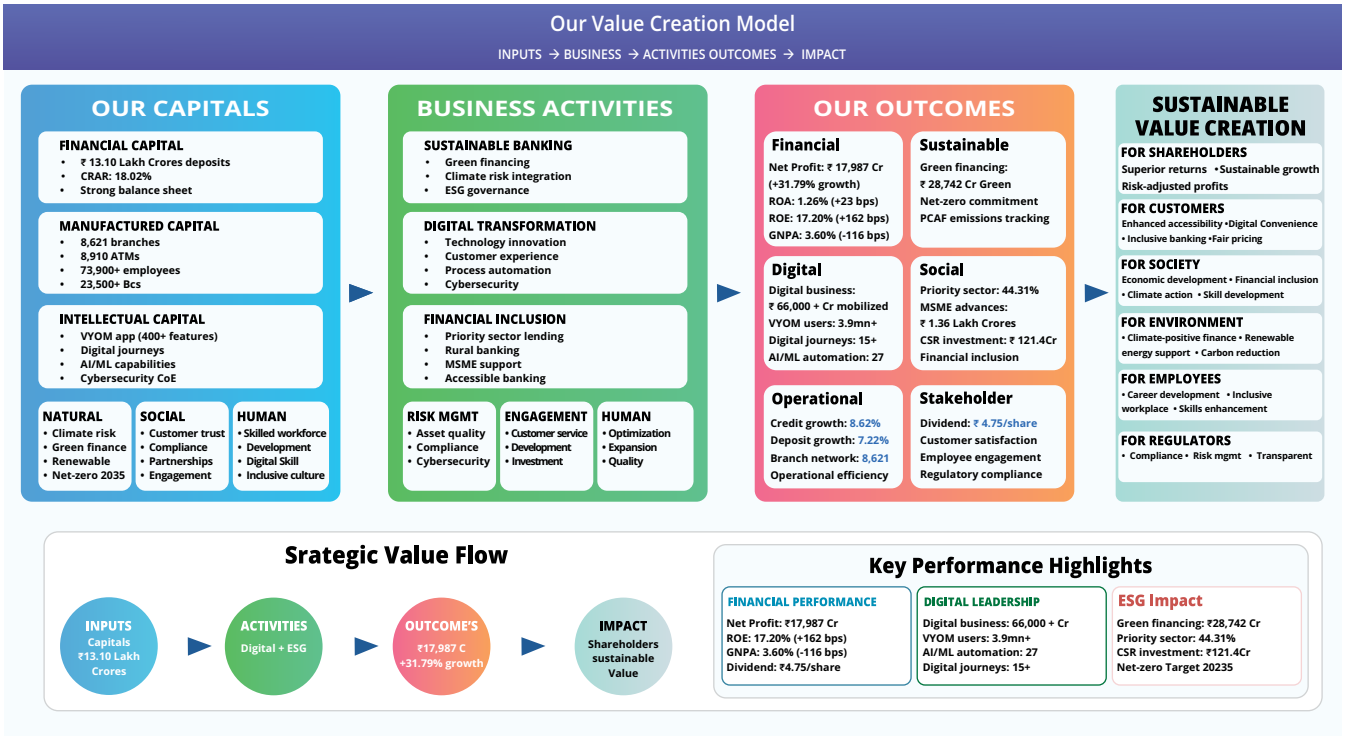



**भौतिकता मैट्रिक्स** के आधार पर, यह देखा जा रहा है कि कारोबारी नैतिकता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन, नियामक अनुपालन, जलवायु परिवर्तन जोखिम एवं लचीलापन और डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटाइजेशन पर ईएसजी विषय उच्च महत्व के हैं.

## हितधारक मूल्यवत्ता प्रस्ताव

- **ग्राहक:** उन्नत डिजिटल अनुभव, समावेशी पहुंच, संवहनीय उत्पाद
- **शेयरधारक:** बेहतर जोखिम-समायोजित प्रतिलाभ, संवहनीय विकास, पारदर्शी शासन
- **कर्मचारी:** कैरियर विकास, समावेशी कार्यस्थल, सार्थक कार्य
- **समुदाय:** आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन, पर्यावरण संरक्षण
- **विनियामक:** अनुपालन उत्कृष्टता, जोखिम प्रबंधन नेतृत्व, बाजार स्थिरता
- **पर्यावरण:** जलवायु-सकारात्मक वित्तपोषण, परिचालन स्थिरता, नवाचार समर्थन

*यह मूल्य सृजन की गाथा एकीकृत विचारधारा के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें वित्तीय कार्यनिष्पादन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रभाव और हितधारकों के मूल्य सृजन अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, जो संवहनीय विकास सुनिश्चित करते हैं जो सभी हितधारकों को लाभ प्रदान करने के साथ-साथ भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं में योगदान करते हैं.*




# वित्तीय पूंजी

## दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए संवहनीय वित्तीय आधार का निर्माण

### वित्तीय पूंजी का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय पूंजी बैंक की समूहित निधि का प्रतिनिधित्व करती है जो सभी कारोबारी गतिविधियों में मूल्य सृजन को सक्षम बनाती है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, संवहनीय संवृद्धि, डिजिटल परिवर्तन, हरित वित्तपोषण और समावेशी बैंकिंग के लिए आधार के रूप में कार्य करता है. वित्तीय वर्ष 2025 में बैंक का लगातार सुदृढ़ वित्तीय कार्यनिष्पादन इसकी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं यथा संवहनीयता और डिजिटल उत्कृष्टता को पुष्ट करता है.

### बैंक की वित्तीय पूंजी रणनीति

- **संवहनीय विकास:** डिजिटल परिवर्तन और ई.एस.जी एकीकरण का लाभ उठाना
- **लाभप्रदता में वृद्धि:** आस्ति-देयता प्रबंधन और राजस्व विविधीकरण का अनुकूलन
- **जोखिम प्रबंधन:** बेहतर आस्ति गुणवत्ता और सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना
- **हितधारक मूल्य:** भविष्य के निवेशों को वित्तपोषित करते हुए लगातार प्रतिलाभ प्रदान करना

## वित्तीय वर्ष 2025 के वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

**अभूतपूर्व लाभप्रदता उपलब्धि**

| मुख्य मैट्रिक्स | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | संवृद्धि | कार्यनीतिक प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| निवल लाभ | ₹13,648 करोड़ | ₹17,987 करोड़ | +31.79% | भावी निवेश हेतु सुदृढ़ आधार |
| निवल ब्याज आय | ₹36,570 करोड़ | ₹37,214 करोड़ | +1.76% | स्थिर कोर बैंकिंग आय |
| गैर ब्याज आय | ₹16,080 करोड़ | ₹19,813 करोड़ | +23.22% | सफलतापूर्ण राजस्व विविधिकरण |
| परिचालन लाभ | ₹28,211 करोड़ | ₹31,090 करोड़ | +10.21% | परिचालन दक्षता अभिलाभ |

**प्रमुख उपलब्धि:**

**निवल लाभ में 31.79% की वृद्धि,** बैंक की एकीकृत रणनीति के सफल क्रियान्वयन को दर्शाती है, जिसमें डिजिटल नवाचार, संवहनीय वित्तपोषण और परिचालनगत उत्कृष्टता का संयोजन किया गया है.

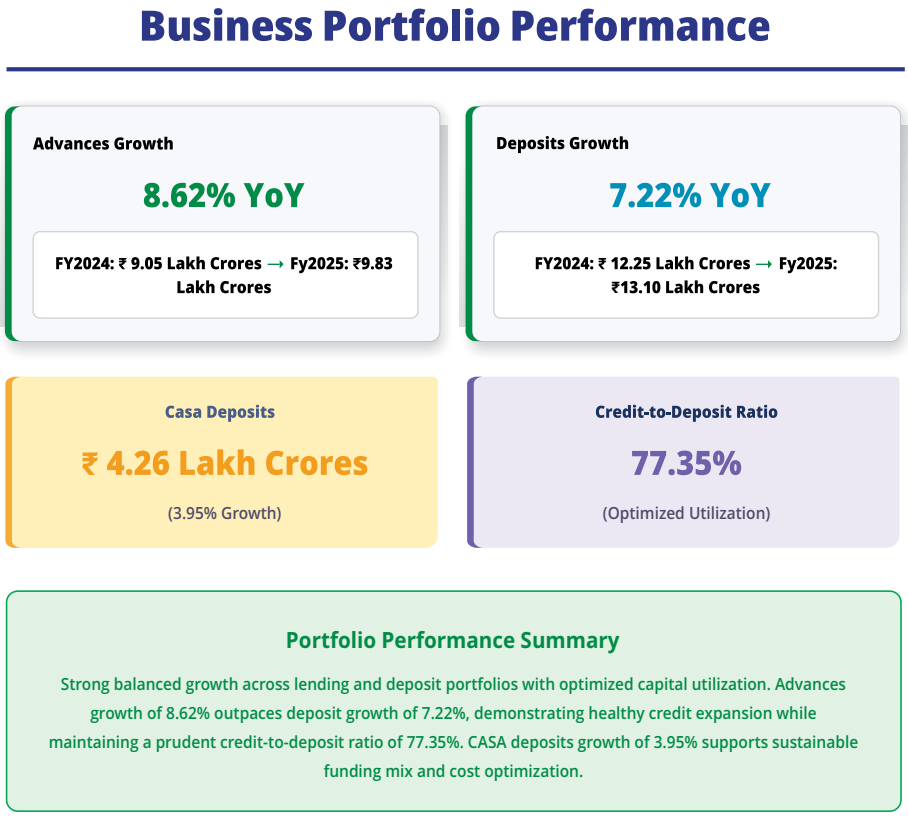
**उन्नत वित्तीय दक्षता**

| लाभप्रदता अनुपात | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | परिवर्तन (बीपीएस) | कार्यनिष्पादन हेतु संचालक |
|---|---|---|---|---|
| आस्तियों पर प्रतिलाभ (आर.ओ.ए) | 1.03% | 1.26% | +23 बीपीएस | आस्ति उपयोग में सुधार |
| इक्विटि पर प्रतिलाभ (आर.ओ.ई) | 15.58% | 17.20% | +162 बीपीएस | संवर्धित शेयरधारक मूल्य |
| निवल ब्याज मार्जिन | 3.10% | 2.91% | -19 बीपीएस | संवृद्धि सहित कार्यनीतिक संतुलन |

**कार्यनीतिक संदर्भ:** आर.ओ.ए और आर.ओ.ई में हुई बढ़ोत्तरी, लाभ हेतु आस्तियों और इक्विटी का उपयोग करने में बैंक बेहतर दक्षता को दर्शाता है, जो हितधारकों के लिए संवहनीय मूल्य सृजन को रेखांकित करता है.

## तुलन पत्र में मजबूती और संवृद्धि

**सुदृढ़ कारोबार संवृद्धि**



**कार्यनीतिक कारोबार संवर्ग का निष्पादन**

| कारोबार संवर्ग | वित्तीय वर्ष 2024 (₹ करोड़) | वित्तीय वर्ष 2025 (₹ करोड़) | वृद्धि % | कार्यनीतिक ध्यान बिन्दु |
|---|---|---|---|---|
| खुदरा अग्रिम | 1,77,488 | 2,16,777 | +22.14% | डिजिटल परिवर्तन एवं ग्राहक अनुभव |
| एमएसएमई अग्रिम | 1,21,269 | 1,36,423 | +12.50% | उद्यमिता एवं कारोबार सृजन में सहयोग |
| कृषि अग्रिम | 1,83,833 | 1,78,479 | -2.91% | संवहनीय कृषि एवं जलवायु अनुकूलन |
| कॉर्पोरेट अग्रिम | 4,22,294 | 4,51,215 | 6.85% | आधारभूत संरचना एवं संवहनीय परियोजनाएं |

**खुदरा बैंकिंग उत्कृष्टता:**

**खुदरा अग्रिमों में 22.14% की वृद्धि,** सफल डिजिटल रूपान्तरण और ग्राहक-केंद्रित उत्पाद नवाचार को दर्शाती है, जो बैंक को संवहनीय संवृद्धि के लिए तैयार करती है.

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत नेतृत्व**

| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु मैट्रिक्स | उपलब्धि | विनियामक लक्ष्य | कार्यनिष्पादन |
|---|---|---|---|
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वाले अग्रिम | ए.एन.बी.सी का 44.31% | ए.एन.बी.सी का 40% | ✓4.31% से अधिकता |
| कृषि अग्रिम | ए.एन.बी.सी का 18.92% | ए.एन.बी.सी का 18% | ✓0.92% से अधिकता |
| लघु एवं सीमांत कृषक | ए.एन.बी.सी का 8.68% | ए.एन.बी.सी का 10% | -1.32% (पीएसएलसी बिक्री उपरांत) |
| सूक्ष्म उद्यम | ए.एन.बी.सी का 8.92% | ए.एन.बी.सी का 7.50% | ✓1.42% से अधिकता |
| कमजोर वर्ग | ए.एन.बी.सी का 9.29% | ए.एन.बी.सी का 12% | -2.71% |

**कार्यनीतिक प्रभाव:**

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 44.31% का आवंटन,** लाभप्रदता बनाए रखते हुए तथा भारत की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

## आस्ति गुणवत्ता उत्कृष्टता

एन.पी.ए में उल्लेखनीय सुधार

# Asset Quality Transformation

### GROSS NPA RATIO

FY2021 **13.74%** → Fy2025 **3.60%**

FY2024: 4.76% ? FY2025: 3.60%

(-116 bps improvement)

(Continuous Improvement)

Significant multi-year transformation

### NET NPA RATIO

FY2024: 1.03% → FY2025: 0.63%

**(-40 bps)**

(-40 bps improvement year-on-year)

Enhanced asset quality management

Sustained improvement momentum

### PROVISION COVERAGE RATIO: 94.61%

**(+192 bps)**

Strong buffer against potential losses

Robust risk mitigation framework

Enhanced financial resilience

**जोखिम प्रबंधन उत्कृष्टता**

| आस्ति गुणवत्ता मैट्रिक्स | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | परिवर्तन | कार्यनीतिक प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| सकल एनपीए राशि | ₹43,098 करोड़ | ₹35,350 करोड़ | -₹7,748 करोड़ | संवर्धित पोर्टफोलियो गुणवत्ता |
| निवल एनपीए राशि | ₹8,990 करोड़ | ₹5,969 करोड़ | -₹3,021 करोड़ | बेहतर वसूली दक्षता |
| ऋण लागत | 0.74% | 0.77% | +3 बीपीएस | सक्रिय जोखिम प्रावधानीकरण |

**वसूली संबंधी कार्यनीतियां:**

- **कानूनी उपाय:** सरफेसी,आई.बी.सी और डी.आर.टी अधिनियमों का त्वरित उपयोग
- **पुनर्गठन:** अर्थक्षम दबावग्रस्त आस्तियों के अनुरूप पुनर्वास
- **एकमुश्त निपटान:** त्वरित समाधान के लिए समझौता वार्ता के माध्यम से समाधान

## पूंजी क्षमता और पर्याप्तता

**सुदृढ़ पूंजी स्थिति**

| पूंजी अनुपात | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | परिवर्तन | विनियामक आवश्यकताएँ |
|---|---|---|---|---|
| सीआरएआर | 16.97% | 18.02% | +105 बीपीएस | न्यूनतम 11.50% |
| सीईटी1 अनुपात | 13.65% | 14.98% | +133 बीपीएस | न्यूनतम 8.00% |
| टियर-1 अनुपात | 15.00% | 16.24% | +124 बीपीएस | न्यूनतम 9.50% |

**पूंजीगत क्षमता :** बैंक का **18.02% सी.आर.ए.आर** विनियामक आवश्यकताओं से भी अधिक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे लचीलापन और संवृद्धि क्षमता सुनिश्चित होती है.

**लाभांश और शेयरधारक प्रतिलाभ**

| शेयरधारक से प्रतिलाभ | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| प्रति शेयर लाभांश | ₹3.60 | ₹4.75 | +₹1.15 |
| कुल चुकता लाभांश | ₹2,748 करोड़ | ₹3,626 करोड़ | +₹878 करोड़ |
| लाभांश प्रतिफल | परिकलित | 47.5% | बढ़ोत्तरी |

**शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता: प्रति शेयर लाभांश में 31.9% की वृद्धि** सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन और निरंतर विकास पथ में विश्वास को दर्शाती है.

## राजस्व विविधीकरण और नवाचार

**ट्रेजरी संचालन उत्कृष्टता**

| ट्रेजरी कार्यनिष्पादन | वित्तीय वर्ष 2025 (₹ करोड़) | कार्यनीतिक योगदान |
|---|---|---|
| निवेश की बिक्री से लाभ | 2,103.00 | सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन |
| विनिमय से लाभ (फोरेक्स) | 907.00 | अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में वृद्धि |
| निवेश मूल्यह्रास /प्रत्यावर्तन | 1,175.00 | - |
| **कुल ब्याजेत्तर ट्रेजरी आय** | **4,186.00** | **राजस्व धारा का विविधिकरण** |

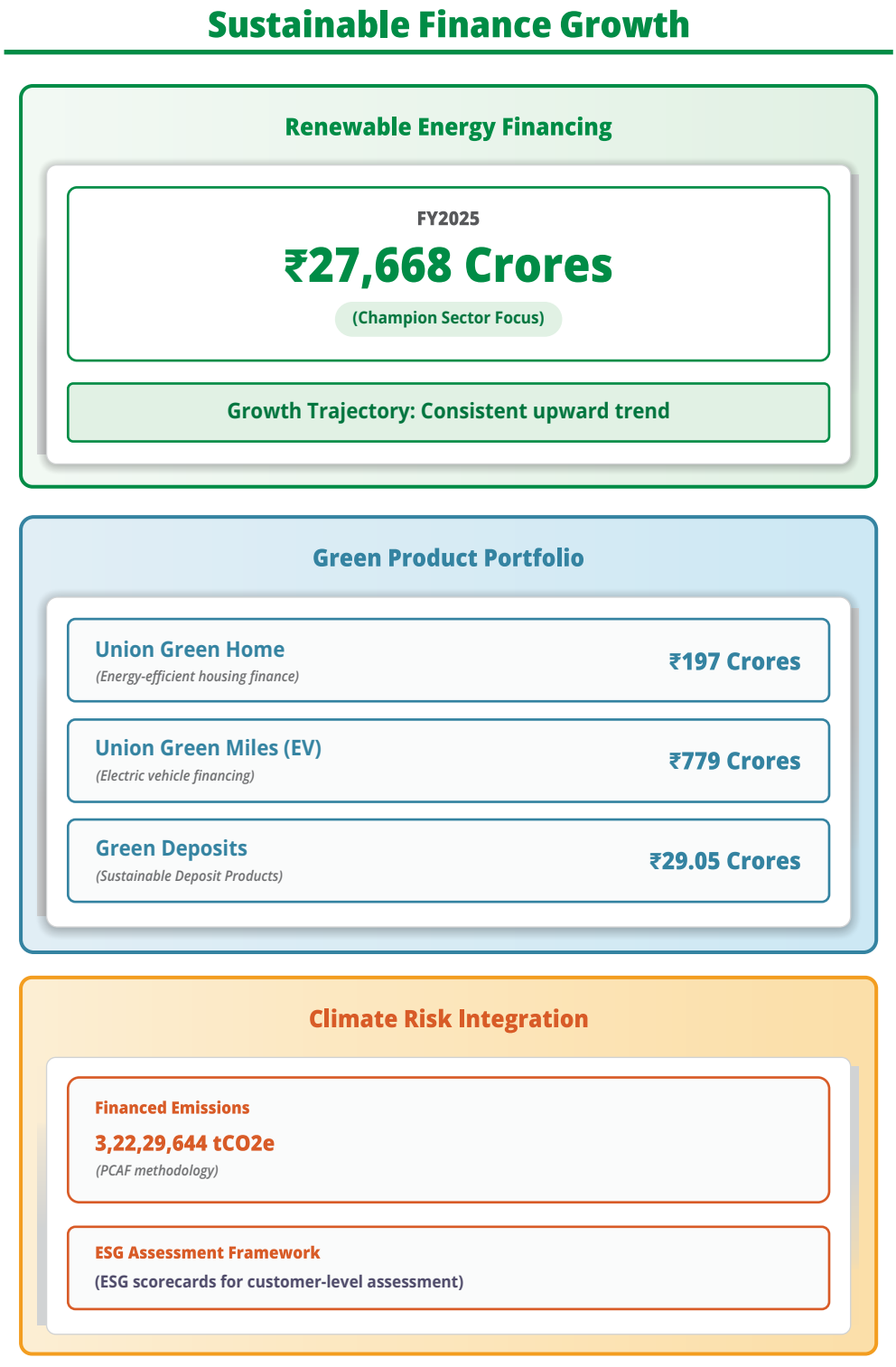
**नवोन्मेषी जमा उत्पाद**

| जमा के क्षेत्र में नए पहल | संगृहीत कारोबार (₹ करोड़) | कार्यनीतिक उद्देश्य |
|---|---|---|
| यूनियन ग्रीन डिपॉज़िट | 29.05 | ईएसजी निवेश आकर्षण |
| यूनियन आरडी मिलियनेर | 383.92 | एच.एन.आई ग्राहक अर्जन |
| यूनियन Sumवृद्धि (333 दिन) | 39,448 | खुदरा जमा वृद्धि |
| यूनियन Sum पूर्ण (456 दिन) | 53,176 | सावधि जमा अनुकूलन |
| व्योम एमआईएस डिपॉज़िट | 92.88 | डिजिटल चैनलों में वृद्धि |

नवप्रवर्तनकारी प्रभाव: इन लक्षित उत्पादों ने 93,130 करोड़ रुपये की नई जमा राशि संगृहीत की, जिससे विविध ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नवप्रवर्तन करने की हमारी क्षमता प्रदर्शित हुई है.

## संवहनीय वित्तीय एकीकरण:

**हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो**



**जलवायु-संबंधी वित्तीय अवसर**

| हरित वित्तीय पहल | राशि (₹ करोड़) | जलवायु पर प्रभाव |
|---|---|---|
| नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना | 27,668 | कार्बन उत्सर्जन में कमी |
| इलेक्ट्रिक वाहनों का वित्तपोषण | 779 | संवहनीय परिवहन |
| ग्रीन होम लोन | 197 | ऊर्जा दक्ष आवास |
| नियोजित ग्रीन बॉन्ड्स | 5,000 | संवहनीय परियोजना निधीयन |

**कार्यनीतिक एकीकरण:**

बैंक का हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो, वित्तीय प्रतिलाभ को पर्यावरणीय प्रभाव के साथ जोड़ता है तथा भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करते हुए नए राजस्व स्रोत बनाता है.

## डिजिटल बैंकिंग का वित्तीय प्रभाव

**वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान डिजिटल चैनल का कार्यनिष्पादन**

| डिजिटल मैट्रिक्स | कार्यनिष्पादन | वित्तीय प्रभाव |
|---|---|---|
| डिजिटल साधनों से प्राप्त कारोबार | ₹66,000 करोड़ | संवर्धित परिचालनगत दक्षता |
| डिजिटल बचत खाते | 4,12,205 नए खाते | निम्न लागत वाले जमा का संग्रह |
| व्योम ऐप से लेनदेन | 39 लाख+ नए उपयोगकर्ता | परिचालन लागत में कमी |
| तृतीय-पक्ष उत्पाद | ₹578.91 करोड़ | शुल्क आधारित आय का विविधीकरण |

**डिजिटल आरओआई:**

**₹66,000+ करोड़ का डिजिटल कारोबार सृजन,** प्रौद्योगिकी निवेश से वित्तीय लाभ, दक्षता में सुधार और बेहतर ग्राहक अनुभव को दर्शाता है.

## अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग एवं व्यापार वित्त

**निर्यात ऋण उत्कृष्टता**

| अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | संवृद्धि % |
|---|---|---|---|
| निर्यात ऋण | ₹17,647 करोड़ | ₹23,684 करोड़ | +34.21% |
| बाज़ार शेयर (एससीबी) | 8.12% | 10.98% | +286 बीपीएस |

**वैश्विक उपस्थिति:**

निर्यात ऋण में बैंक की बढ़ती बाज़ार हिस्सेदारी, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक महत्त्वाकांक्षाओं में बैंक के सहयोग की संवर्धित क्षमता को दर्शाती है.

## वित्तीय पूंजी विकास (3-वर्षीय रुझान)

**विस्तृत कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड**

| मुख्य मैट्रिक्स | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | 3-वर्ष सीएजीआर |
|---|---|---|---|---|
| कर पश्चात लाभ | ₹8,433 करोड़ | ₹13,648 करोड़ | ₹17,987 करोड़ | 46.4% |
| ब्याज आय | ₹80,743 करोड़ | ₹99,778 करोड़ | ₹1,07,726 करोड़ | 15.6% |
| वैश्विक अग्रिम | ₹8,09,905 करोड़ | ₹9,04,884 करोड़ | ₹9,82,894 करोड़ | 10.2% |
| कुल जमा | ₹11,17,716 करोड़ | ₹12,21,528 करोड़ | ₹13,09,750 करोड़ | 8.5% |
| कासा जमा | ₹3,94,055 करोड़ | ₹4,10,134 करोड़ | ₹4,26,325 करोड़ | 4.0% |

**आस्ति गुणवत्ता में परिवर्तन**

| आस्ति गुणवत्ता | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | सुधार |
|---|---|---|---|---|
| जी.एन.पी.ए अनुपात | 7.53% | 4.76% | 3.60% | -393 बीपीएस (3 वर्ष ) |
| एनएनपीए अनुपात | 1.70% | 1.03% | 0.63% | -107 बीपीएस (3 वर्ष ) |
| पीसीआर | 90.34% | 92.69% | 94.61% | +427 बीपीएस (3 वर्ष) |

## जोखिम प्रबंधन ढाँचा

**एकीकृत जोखिम दृष्टिकोण**

**ऋण जोखिम प्रबंधन:**

- उन्नत हामीदारी मानक और निगरानी प्रणालियाँ
- क्षेत्रवार जोखिम सीमाएँ और संकेंद्रित जोखिम प्रबंधन
- पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और सक्रिय निवारक तंत्र

**बाज़ार जोखिम प्रबंधन:**

- ब्याज दर जोखिम निगरानी और आस्ति-देयता अनुकूलन
- जोखिम क्षमता ढाँचे के अंतर्गत ट्रेज़री परिचालन
- विदेशी मुद्रा जोखिम बचाव कार्यनीतियाँ

**परिचालन जोखिम प्रबंधन:**

- प्रक्रिया स्वचालन से परिचालन संबंधी त्रुटियों में कमी
- डिजिटल आस्तियों की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा ढाँचा
- सेवा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कारोबार निरंतरता आयोजना

**जलवायु जोखिम एकीकरण:**

- ग्राहक स्तर पर भौतिक और संक्रमण जोखिम मूल्यांकन
- वित्तपोषित उत्सर्जन ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग (पीसीएएफ पद्धति)
- ऋण निर्णय क्षमता के साथ ईएसजी स्कोरकार्ड का एकीकरण

## वित्तीय पूंजी सक्षमकर्ता

**वित्तीय पूंजी अन्य पूंजी को कैसे शक्ति प्रदान करती है**

**प्राकृतिक पूंजी को समर्थन:**

- पर्यावरण परियोजनाओं के लिए ₹ 5,000 करोड़ के ग्रीन बॉण्ड जारी करने की योजना
- दीर्घकालिक आस्ति मूल्यों की रक्षा हेतु जलवायु जोखिम प्रबंधन
- नए बाजार अवसरों को उत्पन्न करने के लिए संवहनीय वित्त उत्पाद

**विनिर्मित पूंजी को सक्षम बनाना:**

- 8,621 शाखा नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तपोषण
- डिजिटल बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों में निवेश
- हरित भवन पहल के लिए पूंजी आवंटन

**बौद्धिक पूंजी को सशक्त बनाना:**

- डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक समाधानों में अनुसंधान एवं विकास निवेश
- नवाचार क्षमताओं का समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकी अवसंरचना
- डेटा एनालिटिक्स और ए.आई/एम.एल प्लेटफॉर्म विकास के लिए वित्तपोषण

**सामाजिक और संबंध पूंजी को सुदृढ़ करना:**

- यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन के माध्यम से ₹121.40 करोड़ का सीएसआर निवेश
- समावेशी विकास का समर्थन करने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना
- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण

**मानव पूंजी का विकास करना:**

- कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम निवेश
- डिजिटल कौशल वृद्धि और नेतृत्व विकास
- स्वास्थ्य कार्यक्रम और समावेशी कार्यस्थल पहलें

## भविष्य की वित्तीय कार्यनीति

**कार्यनीति प्राथमिकताएँ (वित्तीय वर्ष 2026-28)**

**संवृद्धि में तेज़ी:**

- डिजिटल चैनलों के माध्यम से अग्रिम विकास को बढ़ावा देना
- हरित वित्त को प्रमुख पोर्टफोलियो के रूप में विस्तारित करना
- शुल्क आय योगदान को कुल आय के 25% तक बढ़ाना

**लाभप्रदता में वृद्धि:**

- परिचालन दक्षता के माध्यम से उच्च आरओए बनाए रखना
- कार्यनीति पूंजी आवंटन के माध्यम से स्थिर आरओई प्राप्त करना
- लागत-आय अनुपात को 45% से नीचे रखना

**जोखिम अनुकूलन:**

- सक्रिय एनपीए प्रबंधन के माध्यम से जीएनपीए को कम करना
- सीआरएआर को विनियामक आवश्यकता से ऊपर बनाए रखना
- ईएसजी जोखिम को सभी ऋण निर्णयों में एकीकृत करना

**डिजिटल निवेश:**

- प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए निवेश
- डिजिटल लेनदेन पैठ को अधिकतम करना
- नेक्स्ट जेनरेशन बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म का आरंभ करना

## मूल्य सृजन प्रभाव

### हितधारक मूल्य वितरण

**शेयरधारकों के लिए:**

- प्रबंधन प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हुए **31.79% लाभ वृद्धि**
- वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाते हुए **47.5% लाभांश भुगतान**
- बेहतर पूंजी उपयोग को दर्शाते हुए **आरओई को 17.20% तक बढ़ाया गया**

**ग्राहकों के लिए:**

- परिचालन दक्षता लाभ के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण
- लेनदेन लागत को कम करने वाली उन्नत डिजिटल सेवाएँ
- दीर्घकालिक लक्ष्यों का समर्थन करने वाले संवहनीय वित्त उत्पाद

**अर्थव्यवस्था के लिए:**

- आर्थिक विकास के समर्थन हेतु ₹9.83 लाख करोड़ ऋण
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 44.31% का आवंटन**
- जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करने हेतु **₹28,742 करोड़ का ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो**

**पर्यावरण के लिए:**

- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाला जलवायु-अनुकूल वित्तपोषण
- संवहनीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाले हरित उत्पाद
- सभी वित्तीय निर्णयों में ईएसजी एकीकरण

## मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई)

**वित्तीय स्कोरकार्ड वित्तीय वर्ष 2025**

| केपीआई श्रेणी | लक्ष्य | उपलब्धि | स्थिति |
|---|---|---|---|
| एनआईएम | 2.8-3.0% | 2.91% | प्राप्त |
| आरओए | >1.20% | 1.26% | प्राप्त |
| आरओई | >15% | 17.20% | अधिक |
| जीएनपीए अनुपात | <4% | 3.60% | प्राप्त |
| सीआरएआर | >12.5% | 18.02% | अधिक |

## निष्कर्ष: संवहनीय वित्तीय आधार

वित्तीय वर्ष 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय पूंजी कार्यनिष्पादन इस बात का उदाहरण है कि एकीकृत सोच किस तरह संवहनीय मूल्य का निर्माण करती है. ₹17,987 करोड़ का निवल लाभ और 31.79% की संवृद्धि डिजिटल परिवर्तन, संवहनीय वित्त और समावेशी बैंकिंग में निरंतर निवेश के लिए आधार प्रदान करती है.

**मुख्य उपलब्धियाँ:**

- 1.26% की आरओए और 17.20% की आरओई के साथ **सुदृढ़ लाभप्रदता**
- 3.60% पर जीएनपीए और 94.61% पर पीसीए के साथ **बेहतर आस्ति गुणवत्ता**
- 18.2% पर सीआरएआर के साथ **सुदृढ़ पूंजी** जो संवृद्धि बफर प्रदान करती है
- ₹28,742 करोड़ के हरित वित्त पोर्टफोलियो के साथ **संवहनीय वित्तपोषण नेतृत्व**

**आगे की रूपरेखा:** हमारी वित्तीय शक्ति जलवायु-अनुकूलन बैंकिंग, डिजिटल नवाचार और समावेशी विकास में त्वरित निवेश को सक्षम बनाती है. सुदृढ़ तुलन पत्र, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और विविध राजस्व धाराएँ हमें भारत के संवहनीय संवृद्धि लक्ष्यों में योगदान करते हुए निरंतर मूल्य सृजन प्रदान करने की स्थिति में रखती हैं.

*वित्तीय पूंजी हमारे एकीकृत मूल्य सृजन मॉडल की आधारशिला के रूप में कार्य करती है, जो अन्य सभी पूंजी में परिवर्तन को सक्षम बनाती है, साथ ही बेहतर हितधारक प्रतिलाभ प्रदान करती है और भारत की आर्थिक और पर्यावरणीय आकांक्षाओं का समर्थन करती है.*

# प्राकृतिक पूंजी

## भारत के जलवायु-अनुकूल बैंकिंग बदलते परिवेश का नेतृत्व

### प्राकृतिक पूंजी का संक्षिप्त विवरण

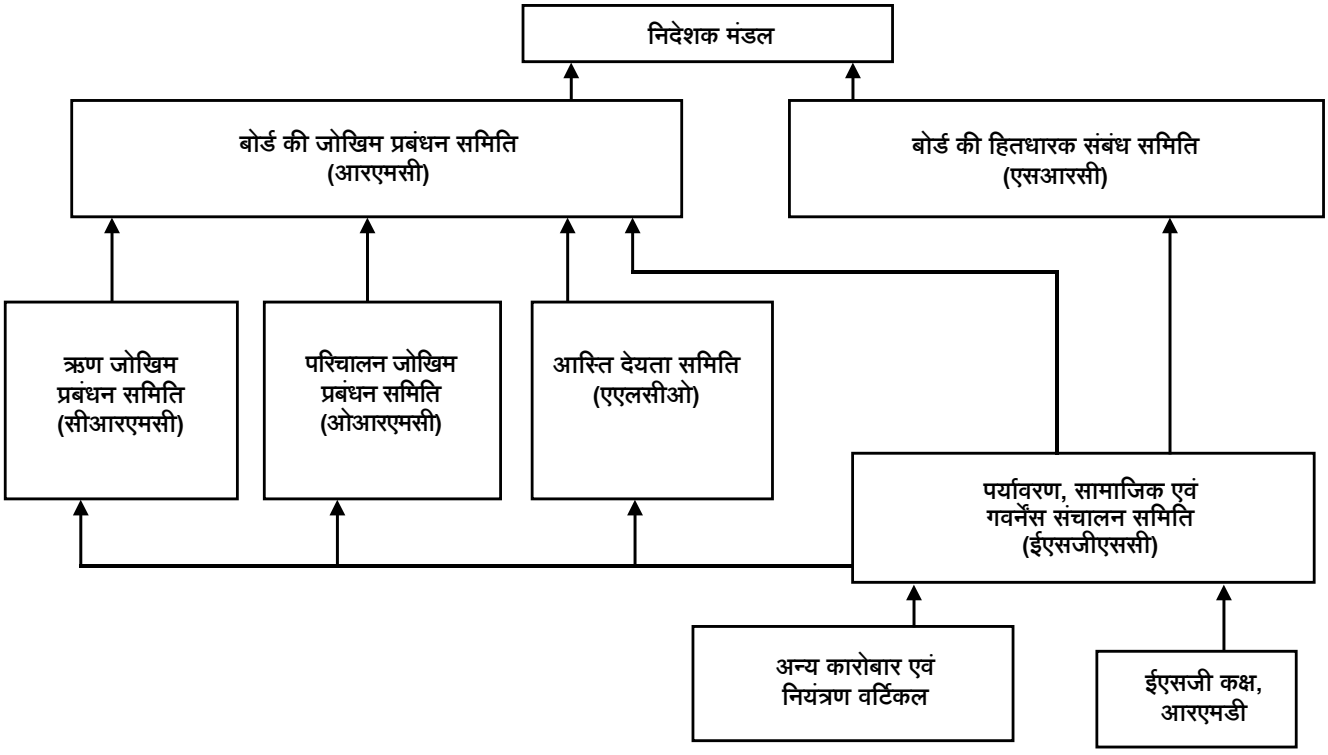
प्राकृतिक पूंजी में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय पर्यावरणीय संसाधन और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो हमारे बैंकिंग उत्पादों और परिचालनों का समर्थन करने और हितधारकों के लिए मूल्य बनाने वाली वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करती हैं. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में, हम मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और अभूतपूर्व अवसर दोनों प्रस्तुत करता है. हमारा दृष्टिकोण पर्यावरणीय प्रबंधन को मुख्य कारोबारी कार्यनीति में एकीकृत करता है, जिससे एक व्यापक जलवायु-अनुकूल बैंकिंग ढाँचा तैयार होता है.

### हमारा प्राकृतिक पूंजी सिद्धांत

- जलवायु नेतृत्व: भारत की नेट-ज़ीरो महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने वाले संवहनीय वित्त समाधानों की शुरुआत
- जोखिम एकीकरण: सभी कारोबारी निर्णयों में जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों को शामिल करना
- नवाचार अभियान: हरित वित्तीय उत्पादों का विकास करना जो बाजार के अवसर उत्पन्न करते हैं
- परिचालन संवहनीयता: 2035 तक अपने परिचालन में नेट-ज़ीरो प्राप्त करना

## गवर्नेंस और कार्यनीतिक रूपरेखा

### बोर्ड-स्तरीय ईएसजी ढाँचा



# ESG GOVERNANCE STRUCTURE

## Board Level Governance

- **BOARD OF DIRECTORS** (Apex ESG Authority)
- **RISK MANAGEMENT Committee** (Climate Risk)
- **STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE** (ESG Oversight)

↓

## Implementation Structure

- **ESG STEERING COMMITTEE** (Strategy & Implementation)
- **ESG CELL** (Implementation Hub)
- Central Coordination and execution
- Strategic Policy implementation
- Cross-functional ESG Integration

↓

## Operational Committee

- **INTERNAL OPERATIONS SUB-COMMITTEE** (Carbon Neutrality)
- **CREDIT PORTFOLIO SUB-COMMITTEE** (Green Transition)
- Specialized focus areas execution
- Operational level ESG implementation

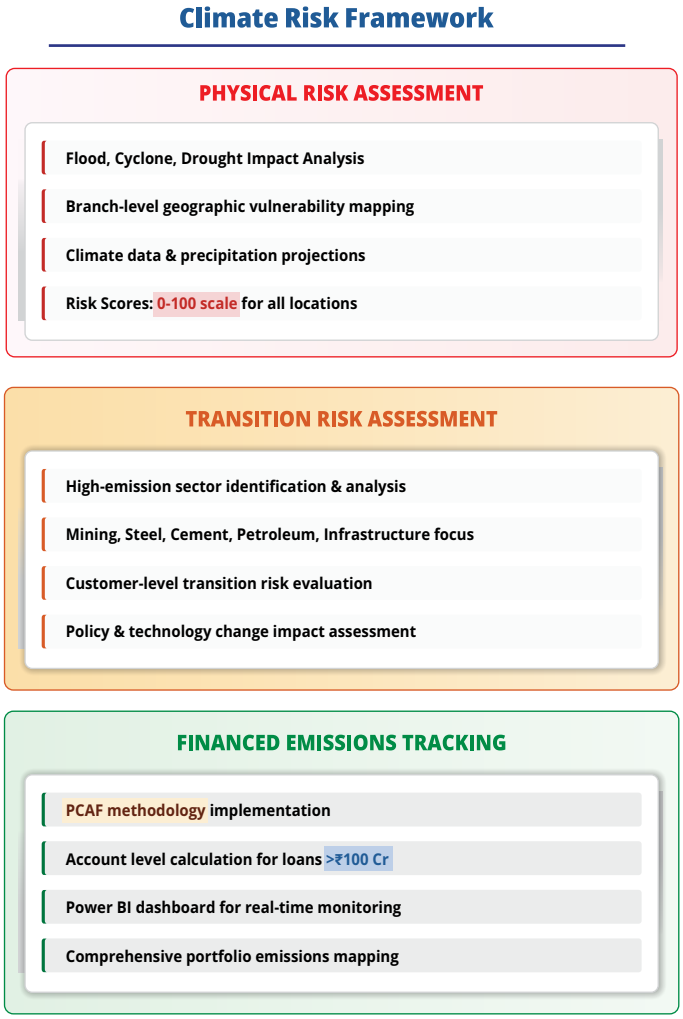
**गवर्नेंस उत्कृष्टता:**

- **बोर्ड अनुमोदन:** स्पष्ट प्राधिकरण प्रत्यायोजन सहित व्यापक ईएसजी जोखिम रूपरेखा
- **त्रैमासिक निरीक्षण:** बोर्ड नेतृत्व के साथ नियमित समिति बैठकें
- **कार्यनीतिक एकीकरण:** सभी प्रमुख कारोबारी निर्णयों में ईएसजी सिद्धांत अंतर्निहित हैं
- **कार्यान्वयन केंद्रण:** समर्पित ईएसजी कक्ष संगठन-व्यापी परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है

**ईएसजी कार्यनीतिक रोडमैप**

| निर्धारित समय-सीमा | कार्यनीतिक लक्ष्य] | मुख्य माइलस्टोन | मूल्य सृजन |
|---|---|---|---|
| अल्पावधि (2027) | नींव निर्माण | कार्मिक क्षमता, हरित उत्पाद, बॉण्ड्स | बाजार स्थिति |
| मध्यावधि (2030) | जोखिम एकीकरण | एंड-टु-एंड जलवायु जोखिम समाधान, ग्राहक ईएसजी आकलन | प्रतिस्पर्धी लाभ |
| दीर्घावधि (2035) | नेतृत्व स्थिति | नेट-ज़ीरो परिचालन, उद्योग बेंचमार्क | संवहनीय नेतृत्व |

## जलवायु जोखिम प्रबंधन उत्कृष्टता



**पर्यावरणगत एवं सामाजिक समुचित सावधानी**

बैंक ने निर्दिष्ट प्रारंभिक सीमाओं से अधिक हरित ऋणों के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक समुचित सावधानी(आईएसडीडी) ढाँचा लागू किया है. यह व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी महत्वपूर्ण हरित वित्तपोषण लेनदेन अनुमोदन से पहले सख्त पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से गुजरते हैं.

ईएसडीडी प्रक्रिया संभावित पर्यावरण जोखिमों, सामाजिक प्रभावों और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानकों के साथ संरेखण का मूल्यांकन करती है. यह ढाँचा ऋण पोर्टफोलियो में पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को कम करते हुए उत्तरदायी वित्तपोषण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है.

**वित्तपोषित उत्सर्जन पोर्टफोलियो (पीसीएएफ़ पद्धति)**

| आस्ति वर्ग | बकाया (₹ करोड़ में) | उत्सर्जन (tCO2e) | कार्यनीतिक प्रतिक्रिया |
|---|---|---|---|
| ऋण एवं अग्रिम – (पीसीएएफ़ डीक्यू – 4.62) | 9,53,513 | 2,39,73,167 | हरित संक्रमण सहयोग |
| सूचीबद्ध इक्विटी एवं कॉर्पोरेट बॉण्ड | 6,264 | 68,397 | ईएसजी निवेश मानदंड |
| राष्ट्रिक कर्ज | 3,29,055 | 81,88,080 | जलवायु नीति निर्धारण |
| कुल पोर्टफोलियो | 12,88,832 | 3,22,29,644 | व्यापक प्रबंधन |

**पीसीएएफ़ नेतृत्व:** यूनियन बैंक पार्टनरशीप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ़) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक है, जो पारदर्शी जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

**उच्च प्रभाव क्षेत्र विश्लेषण**

| क्षेत्र | उत्सर्जन प्रबलता | संक्रमण जोखिम | बैंक की कार्यनीति |
|---|---|---|---|
| बिजली उत्पादन एवं वितरण | बहुत अधिक | संरचनात्मक | नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण वित्तपोषण |
| लौह एवं इस्पात निर्माण | बहुत अधिक | संरचनात्मक | निर्बाध प्रौद्योगिकी ग्रहण सहयोग |
| सीमेंट एवं सीमेंट से बनने वाले उत्पाद | बहुत अधिक | संरचनात्मक | कार्बन ग्रहण प्रोद्यौगिकी वित्तपोषण |
| खनन और उत्खनन | अधिक | महत्वपूर्ण | संवहनीय खनन पद्धति सहयोग |
| रसायन एवं रसायन उत्पाद | अधिक | महत्वपूर्ण | हरित रसायन संक्रमण निधीयन |

**कार्यनीतिक अंतर्दृष्टि:** ये 5 क्षेत्र हमारे वित्तपोषित उत्सर्जन में 65% का योगदान करते हैं, जो ग्राहक जुड़ाव और हरित ऋण परिवर्तन के लिए प्राथमिक लक्ष्य हैं.

## हरित वित्त पोर्टफोलियो नेतृत्व

### नवीकरणीय ऊर्जा समर्थक क्षेत्र

**व्यापक हरित उत्पाद सूट**

| हरित उत्पाद | मंजूर राशि | पर्यावरणीय प्रभाव | बाजार नवोन्मेष |
|---|---|---|---|
| नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना | ₹27,668 करोड़ | वृहत कार्बन फूटप्रिंट कटौती | बाजार नेतृत्व स्थिति निर्धारण |
| यूनियन ग्रीन माइल्स (ईवी) | ₹779 करोड़ | संवहनीय परिवहन संक्रमण | फ़र्स्ट-मूवर लाभ |
| यूनियन ग्रीन होम | ₹197 करोड़ | ऊर्जा-प्रभावी हाउसिंग संवर्धन | ग्राहक को जागरूक बनाना |
| हरित जमा | ₹29.05 करोड़ | ईएसजी निवेश सुविधा | खुदरा ईएसजी जुड़ाव |

### नियोजित हरित बॉण्ड जारी करना

| बॉण्ड श्रेणी | राशि (₹ करोड़) | उद्देश्य | जलवायु प्रभाव |
|---|---|---|---|
| हरित/संवहनीय बॉण्ड | 5,000 | पर्यावरण परियोजना | प्रत्ययक्ष जलवायु कार्य |
| अवसंरचना बॉण्ड | 20,000 | संवहनीय विनिर्माण | अप्रत्यक्ष जलवायु लाभ |
| कुल जारी | 25,000 | व्यापक संवहनीयता | संविभाग रूपांतरण |

**बाजार नेतृत्व:** बैंक का नियोजित ₹5,000 करोड़ का हरित बॉन्ड जारी करना हमें भारत के सबसे बड़े हरित बॉन्ड जारीकर्ताओं में से एक बनाता है, जो संवहनीय वित्त बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

### संवहनीय वित्त वर्गीकरण प्रणाली

बैंक ने ऋणों को हरित और सामाजिक वित्तपोषण श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में बीएसआर कोड का उपयोग करके एक व्यापक संवहनीय वित्त वर्गीकरण प्रणाली विकसित की है. रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए हरित ऋण की टैगिंग खाता स्तर पर की जाती है. यह आधारभूत दृष्टिकोण संगठन में संवहनीय वित्त पोर्टफोलियो की व्यवस्थित पहचान और ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है.

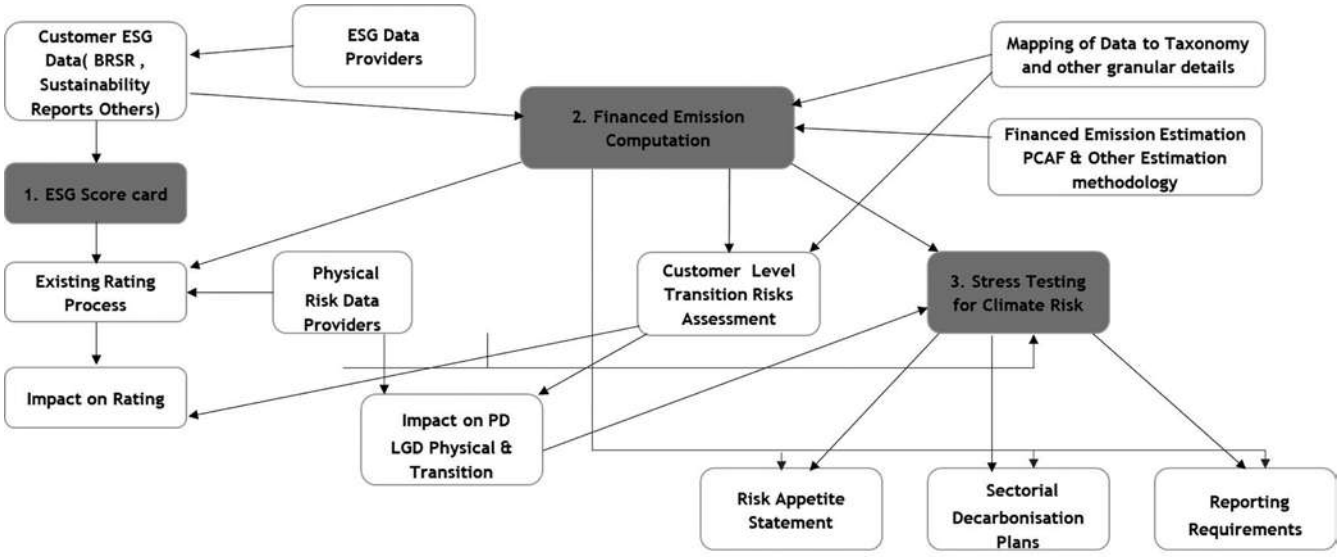
बीएसआर फ्रेमवर्क पर निर्माण करते हुए, बैंक ने जलवायु न्यूनीकरण और अनुकूलन वित्तपोषण के बीच अंतर करने के लिए अपनी वर्गीकरण प्रणाली को और परिष्कृत किया है. यह उन्नत वर्गीकरण जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रवाह और उनके पर्यावरण प्रभाव के सटीक माप को सक्षम करता है.

अतिव्यापी बीएसआर कोड का समाधान करने और वर्गीकरण सटीकता को बढ़ाने के लिए, बैंक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित कर रहा है जो क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली से उधार देने के उद्देश्य का विश्लेषण करता है. यह अभिनव दृष्टिकोण व्यापक क्षेत्रीय वर्गीकरण के बजाय वास्तविक ऋण देने के इरादे के आधार पर सटीक वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाता है.

### उचित संक्रमण वित्त ढाँचा

बैंक एक व्यापक उचित संक्रमण वित्त ढाँचा विकसित करने के एक भाग के रूप में, ऐसे औद्योगिक केन्द्रों की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जो संक्रमण जोखिमों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है. इन चिन्हित हॉटस्पॉट में, बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो का विश्लेषण कर रहा है ताकि संक्रमण-जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को दिए गए ऋणों को मैप किया जा सके, जिसमें खुदरा ऋण, बंधकों और अन्य व्यक्तिगत वित्तपोषण उत्पादों शामिल हैं. यह दृष्टिकोण बैंक को अपने व्यापक ऋण पोर्टफोलियो पर जलवायु संक्रमण के व्यापक प्रभाव को समझने और प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए समान संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए लक्षित समर्थन तंत्र विकसित करने में सक्षम करेगा, जिनकी आजीविका कार्बन-प्रधान उद्योगों पर निर्भर करती है.

### जलवायु जोखिम में नवाचार - एंड-टू-एंड जलवायु जोखिम समाधान



# Climate Risk Solution

## Customer Esg Scorecard System

- Listed companies assessment
- Unlisted entities evaluation
- MSME borrower ESG scoring
- Risk monitoring dashboard

## Integrated System Capabilities

- Financed emission calculation
- Physical risk assessment
- Transition risk evaluation
- Biodiversity and nature risk assessment
- Decarbonization plan
- Credit rating impact analysis

## System Integrations

| | |
|---|---|
| CRISIL ICON *(Internal Rating System)* | LAS *(Loan Automated Solution)* |
| Finacle Core Banking | Risk Monitoring Dashboard and reporting |

**प्रौद्योगिकी नवाचार:** एंड-टू-एंड जलवायु जोखिम समाधान के कार्यान्वयन से व्यापक ग्राहक-स्तरीय ईएसजी आकलन सक्षम होंगे, जो हमारे मौजूदा सिस्टम के साथ संक्रमण और भौतिक जोखिमों को एकीकृत करेगा.

**प्रकृति और जैव विविधता जोखिम मूल्यांकन**

| आकलन ढाँचा | कार्यान्वयन | कार्यनीति मूल्य |
|---|---|---|
| टीएनएफ़डी लीप पहुँच | परियोजना ऋणों पर पायलट >₹250 करोड़ | व्यापक जोखिम कवरेज |
| स्थान निर्धारण इंटरफेस | भौगोलिक एवं क्षेत्र मैपिंग | उन्नत समुचित सावधानी |
| मूल्यांकन निर्भरताएं | प्रकृति प्रभाव आकलन | जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीति |
| अवसर पहुंच | संवहनीय परियोजना पहचान | नया कारोबार विकास |
| उत्तरदायित्व तैयार | जोखिम प्रबंधन एकीकरण | प्रतिस्पर्धी लाभ |

**गवर्नेंस एवं कार्यनीति**

बैंक ने ₹250 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट ऋणों पर प्रकृति और जैव विविधता जोखिम मूल्यांकन के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है, जो प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण के लिए बैंक प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में टीएनएफ़डी लीप पद्धति को लागू करता है. यह पहल उभरते नियामक ढाँचे के साथ संरेखित है और बैंक को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रकृति से संबंधित वित्तीय जोखिम प्रबंधन में सबसे आगे रखती है.

**जोखिम प्रबंधन ढाँचा**

हमारा प्रकृति और जैव विविधता जोखिम मूल्यांकन ढाँचा चार प्रमुख चरणों में संचालित होता है:

**स्थान निर्धारण (एल):** डबल्यूडीपीए और गूगल अर्थ इंजन जैसे उपकरणों का उपयोग करके संवेदनशील जैव विविधता क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों की निकटता की पहचान करने के लिए परियोजना स्थानों का भौगोलिक मानचित्रण करना.

**मूल्यांकन (ई):** पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भरता, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर जैव विविधता के प्रभाव, और पानी, हवा और मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव सहित प्रकृति से संबंधित निर्भरताओं और प्रभावों का आकलन करना.

**आकलन (ए):** संभावित पर्यावरणीय प्रभावों से परिचालन, विनियामक, प्रतिष्ठा और वित्तीय जोखिमों सहित प्रकृति से संबंधित जोखिमों का परिमाणीकरण करना.

**तैयार करना (पी):** जैव विविधता प्रबंधन योजनाओं, आवास बहाली प्रतिबद्धताओं और चल रहे अनुश्रवण ढाँचे सहित जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों का विकास करना.

**मुख्य जोखिम श्रेणी आकलन:**

- **भौतिक जोखिम:** निवास का विनाश, वनों की कटाई, जल प्रदूषण और मृदा क्षरण के माध्यम से जैव विविधता पर प्रत्यक्ष प्रभाव
- **संक्रमण जोखिम:** जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विनियामक परिवर्तन, अनुपालन आवश्यकताओं का विकास और हितधारकों की अपेक्षाओं में बदलाव
- **प्रणालीगत जोखिम:** पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भरता जो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय क्षरण से बाधित हो सकती है

**मेट्रिक और लक्ष्य**

बैंक सात प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक मूल्यांकन के आधार पर प्रकृति से संबंधित जोखिम रेटिंग (निम्न, मध्यम, उच्च) प्रदान करता है: परियोजना स्थान संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाव क्षमता, विनियामक अनुपालन स्थिति, जैव विविधता निर्भरता, न्यूनीकरण उपायों की पर्याप्तता, निगरानी ढाँचा की मजबूती और समग्र जोखिम प्रोफ़ाइल.

**भावी विकास**

बैंक इस पायलट कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है और अभ्यासों को व्यापक ऋण नीतियों में एकीकृत कर रहा है. हम एकीकृत जलवायु जोखिम समाधान भी लागू कर रहे हैं जिसमें अन्य जोखिमों के साथ-साथ प्रकृति और जैव विविधता जोखिम का भी आकलन किया जाता है.

**प्रवर्तक स्थिति:** हम पायलट आधार पर **प्रकृति और जैव विविधता जोखिम आकलन** कर रहे हैं, जो हमें विनियामक आवश्यकताओं और बाजार अपेक्षाओं से आगे रखता है.

## परिवर्तन आयोजना उत्कृष्टता

### उच्च-उत्सर्जन क्षेत्र रूपान्तरण कार्यनीति

| क्षेत्र | वर्तमान चुनौती | संक्रमण सहयोग | वित्तीय अवसर |
|---|---|---|---|
| खनन एवं उत्खनन | अधिक वित्तीय उत्सर्जन | शुद्ध निष्कर्षण प्रौद्योगिकी | हरित खनन वित्त |
| सीमेंट उत्पाद | प्रक्रिया उत्सर्जन | कार्बन कैप्चर एवं विकल्प सामाग्री | संवहनीय सीमेंट परियोजना |
| पेट्रोलियम एवं कोयला | जीवाश्म इंधन निर्भरता | नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण | स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण |
| आधारभूत धातु | ऊर्जा-प्रधान प्रक्रिया | पर्याप्त एवं नवीकरणीय बिजली | हरित इस्पात वित्त |
| रसायन | हाइ कार्बन फूटप्रिंट | हरित रसायन एवं पुनर्निवेशन | सर्कुलर अर्थव्यवस्था समाधान |

### ग्राहक संक्रामण सहयोग ढाँचा

**डीकार्बोनाइजेशन कार्यनीतियाँ:**

- स्वच्छ ऊर्जा अपनाना: सौर, पवन, स्वच्छ हाइड्रोजन वित्तपोषण
- ऊर्जा दक्षता: प्रक्रिया अनुकूलन और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति
- कार्बन कैप्चर: कठिन-से-कम करने वाले क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन
- सर्कुलर अर्थव्यवस्था: सामग्री पुनर्चक्रण और संधारणीय संसाधन उपयोग
- नवाचार वित्त: सफल प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास सहायता

**उद्योग सहयोग:**

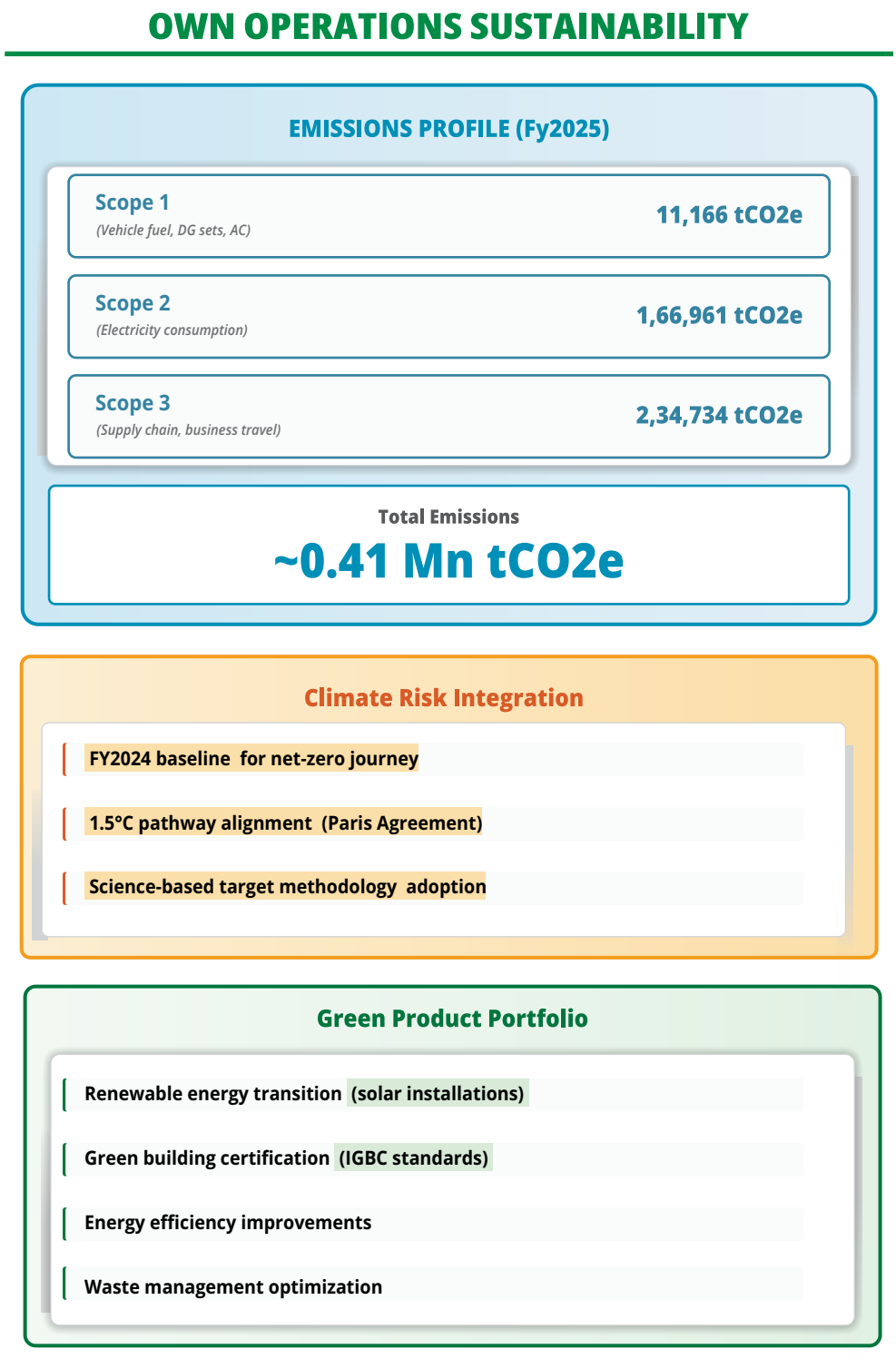
- क्षेत्र परिवर्तन पहलों में सक्रिय भागीदारी
- सर्कुलर अर्थव्यवस्था समाधानों के लिए साझेदारी विकास
- ग्राहक डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता संबंध
- उद्योग कार्यक्षेत्रों में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करना

### बैंक की संक्रमण योजना

| उद्योग | खनन और उत्खनन | सीमेंट और सीमेंट उत्पाद | पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन | अवसरंचना | मूल धातु और धातु उत्पाद | रसायन और रासायनिक उत्पाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्रमुख संक्रमण प्रौद्योगिकियां और कार्यनीतियाँ** | ❖ थर्मल कोयले का क्रमिक फेज-आउट<br>❖ संक्रमण धातु<br>❖ साइट पर संचालन का डीकार्बोनाइजेशन<br>❖ स्वच्छ बिजली<br>❖ सीसीएस (कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज)<br>❖ वैकल्पिक सज्जीकरण और निष्कर्षण | ❖ स्वच्छ बिजली<br>❖ स्वच्छ ईंधन<br>❖ क्लिंकर विकल्प<br>❖ सीसीएस<br>❖ पुनर्चक्रण<br>❖ ऊर्जा दक्षता | ❖ स्वच्छ ईंधन<br>❖ स्वच्छ बिजली<br>❖ सीसीएस<br>❖ थर्मल कोल फेज-आउट<br>❖ भंडारण और लचीलापन | ❖ नवीकरणीय ऊर्जा<br>❖ स्मार्ट ग्रिड<br>❖ उन्नत निर्माण सामग्री<br>❖ मॉड्यूलर निर्माण<br>❖ जीवनचक्र प्रबंधन<br>❖ उन्नत दक्षता | ❖ पुनर्चक्रण और माध्यमिक उत्पादन<br>❖ स्वच्छ बिजली<br>❖ सीसीएस<br>❖ अक्रिय एनोड<br>❖ स्वच्छ ईंधन<br>❖ उन्नत कच्चे माल | ❖ वैकल्पिक फीडस्टॉक्स<br>❖ स्वच्छ हाइड्रोजन<br>❖ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उन्मूलन<br>❖ सीसीएस<br>❖ पुनर्चक्रण |
| **बैंक से उद्योगों की आवश्यकता और बैंक से उत्पन्न होने वाले वित्तीय अवसर** | ❖ बैंक ग्राहकों को उनकी संक्रमण योजना पर संक्रमण समाधान प्रदान करके ग्राहकों के साथ जुड़कर उनका का समर्थन कर सकता है.<br>❖ बैंक नीति निर्माताओं के साथ सहयोग करके व्यवस्थित परिवर्तन के लिए भागीदार बन सकता है और संक्रमण योजना को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी में भाग ले सकता है.<br>❖ बैंक डीकार्बोनाइजेशन प्रयास में ग्राहकों का समर्थन करने के लिए वाणिज्यिक अवसरों की पहचान कर सकता है.<br>❖ बैंक अभिनव वित्तपोषण समाधान और मिश्रित वित्त साझेदारी को लागू करने का भी लक्ष्य रख सकता है. | | | | | |

## स्वयं परिचालन संवहनीयता

### नेट-जीरो प्रतिबद्धता 2035



**स्कोप 3 उत्सर्जन - श्रेणी 15 वित्तपोषित उत्सर्जन के अलावा**

| स्कोप 3 श्रेणी | उत्सर्जन (tCO2e) |
|---|---|
| श्रेणी 1 (क्रय की गई वस्तु एवं सेवाएं) | 37,837 |
| श्रेणी 2 (पूंजीगत वस्तु एवं सेवाएं) | 18,817 |
| श्रेणी 3 (स्कोप 1 और 2 के अलावा ईंधन और ऊर्जा) | 41,347 |
| श्रेणी 5 (संचालन में उत्पन्न अपशिष्ट) | 10,590 |
| श्रेणी 6 (व्यापार यात्रा) | 23,292 |
| श्रेणी 7 (कर्मचारी की नियमित यात्रा) | 1,00,677 |
| श्रेणी 8 (अपस्ट्रीम लीज्ड एसेट) | 2,173 |
| **कुल** | **2,34,734** |

**नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना**

| सौर संस्थापन स्थिति | क्षमता | पर्यावरण लाभ |
|---|---|---|
| कमीशंड एंड वर्किंग | 1,137 किलोवाट (22 स्थान) | त्वरित उत्सर्जन में कमी |
| निवल मिटरिंग प्रतीक्षारत | 78 किलोवाट (3 स्थान) | ग्रिड समामेलन लाभ |
| कार्य प्रगति पर | 80 किलोवाट (2 स्थान) | प्रसार संवेग |
| निविदा | 50 किलोवाट (1 स्थान) | भविष्य क्षमता योग |
| कुल नियोजित | 1,345 किलोवाट | प्रत्याशित कार्बन न्यूनता |

**ग्रीन बिल्डिंग पहल**

| प्रमाणन प्रगति | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| आईजीबीसी प्रमाणन स्थान | 1 | 3 | कार्बन फुटप्रिंट न्यूनीकरण |
| ऊर्जा पर्याप्तता अतिलाभ | आधार | मापने योग्य | परिचालन लागत कमी |
| कार्बन फुटप्रिंट में कमी | प्रारंभिक | प्रत्याशित | उत्सर्जन उन्नयन अंश |

**व्यापक पर्यावरण प्रबंधन**

| पहल | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | पर्यावरण प्रभाव |
|---|---|---|---|
| ई-वेस्ट पुनर्चक्रण | 1.11 मीट्रिक टन | 18.09 मीट्रिक टन | 1,530% वृद्धि |
| ऊर्जा उपभोग | 858217 जीजे | 892585 जीजे | दक्षता अनुकूलन |
| नवीकरणीय ऊर्जा | 12664 जीजे | 16542 जीजे | 11% वृद्धि |

परिचालन उत्कृष्टता: **नवीकरणीय ऊर्जा में** हमारी उल्लेखनीय **वृद्धि** हमारे परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है.

**मूल्य शृंखला ईएसजी आकलन**

बैंक ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन मापदंडों में विक्रेता के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए एक व्यापक ईएसजी मूल्यांकन ढाँचा विकसित किया है. यह व्यवस्थित दृष्टिकोण हमारे मूल्य शृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता प्रथाओं के निरंतर मूल्यांकन को सक्षम बनाता है. इस निगरानी ढाँचे के माध्यम से, बैंक पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों, सामाजिक जिम्मेदारी प्रथाओं और शासन मानकों सहित प्रमुख स्थिरता मीट्रिक में उनके चल रहे कार्यनिष्पादन के आधार पर विक्रेताओं को ईएसजी कार्यनिष्पादन रेटिंग प्रदान करता है.

ईएसजी निगरानी प्रक्रिया विक्रेता जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थिरता कार्यनिष्पादन को लगातार ट्रैक किया जाता है और किसी भी उभरते जोखिम की तुरंत पहचान की जाती है और उसका समाधान किया जाता है.

## कारोबार में जलवायु जोखिम एकीकरण

**परिदृश्य विश्लेषण ढाँचा**

बैंक ने कुछ चयनित उधारकर्ताओं के लिए एनजीएफएस व्यवस्थित और अव्यवस्थित परिदृश्यों के लिए जलवायु जोखिम परिदृश्य विश्लेषण आयोजित किया है. प्रत्येक उधारकर्ता के अनुमानित वित्तीय के आधार पर परिदृश्य समायोजित पीडी (डिफ़ॉल्ट की संभावना) की गणना की गई थी. किसी क्षेत्र से संबंधित सभी उधारकर्ताओं की वर्ष-वार औसत पीडी की तुलना पीडी (डेल्टा पीडी) में परिदृश्य-वार और वर्ष-वार वृद्धि का पता लगाने के लिए बिना किसी समायोजन के पीडी के साथ की गई थी. बैंक ने पायलट आधार पर बॉटम-अप स्ट्रेस टेस्टिंग भी आयोजित की है.

**भौतिक जोखिम मूल्यांकन:**

- **अल्पकालिक (2030):** परिचालन पर तीव्र मौसम घटना प्रभाव
- **मध्यम अवधि (2040):** परिसंपत्ति मूल्यों पर दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन प्रभाव
- **दीर्घकालिक (2050):** व्यवसाय मॉडल पर प्रणालीगत जलवायु प्रभाव

बैंक ने जलवायु डेटा और वर्षा अनुमानों का उपयोग करके बाढ़ के कारण होने वाले भौतिक जोखिम का आकलन किया है. भौतिक जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्षा अनुमान युग्मित मॉडल अंतर तुलना परियोजना चरण 6 (सीएमआईपी 6), विशेष रूप से एमआईआरओसी मॉडल से जलवायु डेटा पर आधारित हैं.

चक्रवात के कारण होने वाले भौतिक जोखिम के लिए, बैंक ने सीएलआईएमएडीए (भौतिक जोखिम के आकलन के लिए उपयोग किया जाने वाला ओपन-सोर्स पैकेज) का उपयोग किया है जो प्रभाव और क्षति कार्य प्रदान करता है. अक्षांश और देशांतर के आधार पर बैंक प्रत्येक स्थान के लिए प्रत्याशित वार्षिक प्रभाव (ईएआई) पर पहुंच गया है.

**संक्रमण जोखिम मूल्यांकन:**

- नीति जोखिम: कार्बन मूल्य निर्धारण और विनियामक परिवर्तनों का प्रभाव
- प्रौद्योगिकी जोखिम: हाइ-कार्बन क्षेत्रों में अवद्ध आस्ति मूल्यांकन
- बाजार जोखिम: ग्राहक वरीयता संवहनीय विकल्पों की ओर स्थानांतरित होती है
- प्रतिष्ठा जोखिम: हितधारक संबंधों पर ईएसजी कार्यनिष्पादन प्रभाव

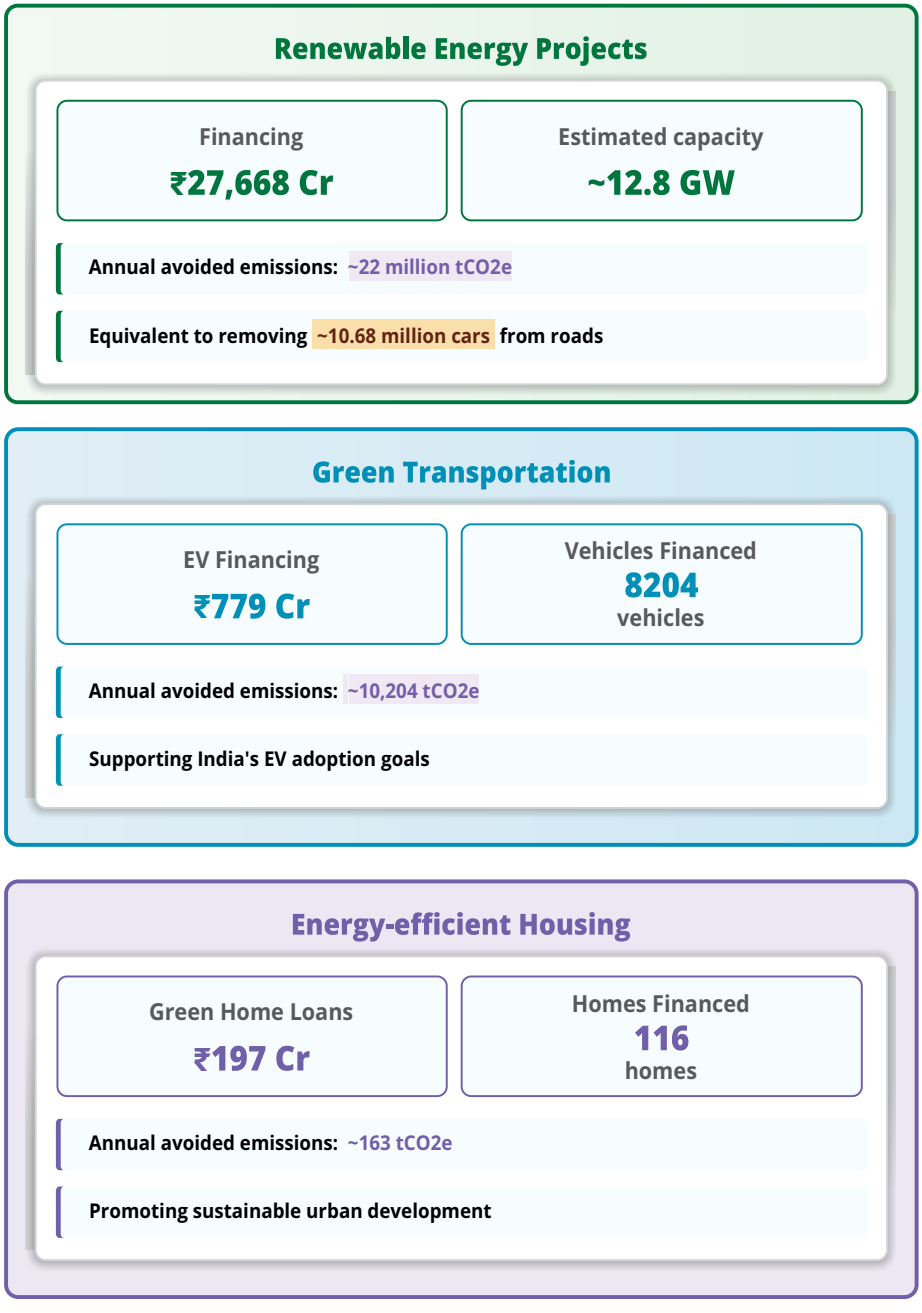
**दबाव परीक्षण कार्यान्वयन**

| दबाव परीक्षण श्रेणी | कार्यप्रणाली | कारोबारी अनुप्रयोग |
|---|---|---|
| जलवायु भौतिक जोखिम | भौगोलिक सुभेद्यता मैपिंग | शाखा नेटवर्क लचीलापन योजना, संपार्श्विक सुभेद्यता, कॉर्पोरेट के नकदी प्रवाह पर प्रभाव |
| संक्रमण जोखिम | क्षेत्र उत्सर्जन तीव्रता विश्लेषण | क्रेडिट संविभाग अनुकूलन, ग्राहक के राजस्व और लाभप्रदता पर कार्बन कर का प्रभाव |
| संयुक्त परिदृश्य | एकीकृत जलवायु प्रभाव मॉडलिंग | कार्यनीतिक कारोबार योजना |

**आईसीएएपी एकीकरण:** जलवायु जोखिम हमारी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया में अंतर्निहित है, जो विनियामक अनुपालन और कार्यनीति जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करता है.

## परिहार्य उत्सर्जन और सकारात्मक प्रभाव

**वित्तपोषित परिहार्य उत्सर्जन गणना**




**जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव:** हमारा हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो संभावित रूप से सालाना 30+ मिलियन tCO2e से बचाता है, जो हमें भारत के जलवायु लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाता है.

## संवहनीय वित्तीय ढाँचा

**बोर्ड स्वीकृत ढाँचा घटक**

| ढाँचा घटक | प्रमाणीकरण | कार्यनीतिक उद्देश्य |
|---|---|---|
| संसाधन जुटाना | क्रिसिल द्वितीय पक्ष के सुझाव | बाजार की विश्वसनीयता |
| वित्तपोषण ढाँचा | स्वतंत्र प्रमाणीकरण | पारदर्शी आबंटन |
| आश्वासन तंत्र | बाह्य प्रमाणीकरण | हितधारक विश्वास |
| प्रभाव रिपोर्टिंग | नियमित निगरानी | जवाबदेही ढाँचा |

**यूएन एसडीजी संरेखण**

| एसडीजी लक्ष्य | हमारा योगदान | वित्तीय आबंटन | मापित प्रभाव |
|---|---|---|---|
| एसडीजी 7 (स्वच्छ ऊर्जा) | नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण | ₹27,668 करोड़ | अतिरिक्त क्षमता ट्रैकिंग |
| एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) | हरित उत्पाद पोर्टफोलियो | ₹975+ करोड़ | उत्सर्जन में कमी के मैट्रिक |
| एसडीजी 11 (संवहनीय शहर) | हरित गृह वित्तपोषण | ₹197 करोड़ | ऊर्जा दक्षता संवर्धन |
| एसडीजी 9 (नवाचार) | स्वच्छ प्रौद्योगिकी समर्थन | एकीकृत | नवाचार वित्तपोषण |

## भागीदारी पारिस्थितिकी तंत्र

**कार्यनीतिक जलवायु भागीदारियां**

| भागीदार | सहयोग क्षेत्र | कार्यनीतिक मूल्य |
|---|---|---|
| पीसीएएफ (कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय भागीदारी) | उत्सर्जन पद्धति | वैश्विक सर्वोत्तम पद्धति |
| जीआईजेड (डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल ज़ुसामेनरबीट) | इस्पात एवं सीमेंट क्षमता निर्माण | क्षेत्र विशेषज्ञता |
| सीईईडब्ल्यू (ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद) | जीसीएएम इंडिया मॉडल उपयोग के मामले | नीतिगत अंतर्दृष्टि |

**वैश्विक सम्मान:** हमारी पीसीएएफ हस्ताक्षरकर्ता स्थिति और अंतरराष्ट्रीय भागीदारियां हमें संवहनीय बैंकिंग पद्धतियों में एक वैचारिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती हैं.

## प्राकृतिक पूंजी जोखिम और अवसर मैट्रिक्स

**जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण**

| जोखिम श्रेणी | प्रभाव स्तर | न्यूनीकरण रणनीति | कारोबार अवसर |
|---|---|---|---|
| भौतिक जलवायु जोखिम | कम | भौगोलिक विविधीकरण | जलवायु-लचीले अवसंरचना का वित्तपोषण |
| संक्रमण जोखिम | मध्यम | क्षेत्र जोखिम प्रबंधन | हरित संक्रमण वित्तपोषण |
| विनियामक जोखिम | कम | सक्रिय अनुपालन | प्रथम प्रस्तावक का लाभ |
| प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम | मध्यम | ईएसजी नेतृत्व की स्थिति | ब्रांड विभेदीकरण |
| अवद्ध हुई आस्तियां | कम-मध्यम | पोर्टफोलियो अनुश्रवण | आस्ति रूपान्तरण वित्तपोषण |

### अवसर की पहचान एवं कैप्चर

| अवसर के क्षेत्र | बाज़ार का आकार (2030) | हमारी स्थिति | अधिग्रहण कार्यनीति |
|---|---|---|---|
| नवीकरणीय ऊर्जा वित्त | $100+ बिलियन (भारत) | बाज़ार में अग्रणी | पोर्टफोलियो का विस्तार |
| ग्रीन बॉन्ड बाज़ार | $50+ बिलियन (भारत) | प्रारंभिक प्रवेशकर्ता | ₹5,000 करोड़ जारी करना |
| जलवायु तकनीक वित्तपोषण | $50+ बिलियन (भारत) | एक्सप्लोरर | आरबीआई द्वारा प्रस्तावित जलवायु टेक सैंडबॉक्स का लाभ उठाएं |
| कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग | $50+ बिलियन (भारत) | एक्सप्लोरर | बाजार में प्रवेश की तैयारी |

## कार्यनिष्पादन माप एवं रिपोर्टिंग

### प्राकृतिक पूंजी केपीआई

| केपीआई श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2025 में कार्यनिष्पादन | दीर्घकालिक लक्ष्य |
|---|---|---|
| हरित वित्त पोर्टफोलियो | ₹28,742 करोड़ | बाज़ार में अग्रणी बनना |
| वित्तपोषित उत्सर्जन तीव्रता | आधार रेखा स्थापित | क्षेत्रवार उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करें |
| स्वामित्व परिचालन उत्सर्जन | 0.41 एमएन tCO2e | नेट-जीरो(2035) |
| हरित बिल्डिंग प्रमाणन | 3 आईजीबीसी परिसर | 2030 तक सभी स्वामित्व वाले परिसरों के लिए प्रमाणन प्राप्त करना (जहां भी संभव हो) |
| नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता | 1.0+ मेगावाट योजनाबद्ध | 2030 तक सभी संभव परिसरों में छत के अधिकार के साथ सौर ऊर्जा स्थापित करना |

## जलवायु जोखिम डैशबोर्ड मेट्रिक्स

# Climate Risk Metrics

### Transition Risk Exposure

**67.36%**

(High-emission sectors of financed emissions)

- Customer transition plans: Under development
- Sector-specific risk assessment and monitoring

### Physical Risk Vulnerability

**0-100**

(Branch risk scores scale mapping)

- Climate data integration Operational planning
- Collateral risk assessment Geographic vulnerability
- Comprehensive physical risk evaluation framework

### PORTFOLIO DECARBONIZATION

| Baseline emissions | Avoided emissions |
|---|---|
| **32.5 Mn** | **22+ Mn** |
| *tCO2e (PCAF methodology)* | *tCO2e (renewable energy)* |

- Net climate impact Strongly positive
- Systematic decarbonization measurement and tracking

## भविष्य हेतु प्रस्तावित नवाचार और भावी कार्यनीति

**प्रौद्योगिकी एकीकरण रोडमैप**

| नवाचार क्षेत्र | वर्तमान स्थिति | वित्तीय वर्ष 2026 हेतु योजनाएं | कार्यनीतिक प्रभाव |
|---|---|---|---|
| ईएसजी डेटा एकीकरण | कार्यान्वयन के अंतर्गत | परिचालन उपयोग | ऋण आकलन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में ईएसजी आकलन |
| लैटिट्यूड / लांगिट्यूड स्तर भौतिक जोखिम आकलन | कार्यान्वयन के अंतर्गत | पायलट कार्यान्वयन | विस्तृत भौतिक जोखिम अनुश्रवण |
| वित्तपोषित उत्सर्जन मूल्यांकन | परिचालन | डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना | सूचित निर्णय लेना |
| संक्रमण जोखिम मूल्यांकन | कार्यान्वयन के अंतर्गत | ग्राहक स्तर पर विस्तृत मूल्यांकन | संक्रमण वित्त के अवसर |

### बाजार विकास कार्यनीति

**हरित वित्त विस्तार:**

- नवीकरणीय ऊर्जा को अग्रणी पोर्टफोलियो बनाना
- क्षेत्र-विशिष्ट हरित वित्तपोषण उत्पाद विकसित करना
- हरित एमएसएमई और खुदरा उत्पाद केंद्र बनाना

**जलवायु जोखिम का नेतृत्व:**

- जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए भारत का बेंचमार्क बनना
- स्वामित्वपूर्ण जलवायु जोखिम आकलन उपकरण विकसित करना
- कॉर्पोरेट ग्राहकों को जलवायु परामर्श सेवाएं प्रदान करना
- उद्योग के मानकों के विकास में अग्रणी बनना
- नियमित रूप से यूबीआई जलवायु वार्ता (जलवायु परिवर्तन पर बैंक उधारकर्ता वार्ता) का आयोजन करना

**संवहनीय नवाचार:**

- समाधान विकास के लिए जलवायु तकनीक स्टार्टअप के साथ साझेदारी करना
- नेक्स्ट जेनरेशन संवहनीय बैंकिंग उत्पाद विकसित करना
- जलवायु-अनुकूल बैंकिंग कारोबार मॉडल में अग्रणी

## प्राकृतिक पूंजी के माध्यम से हितधारक मूल्य सृजन

**पर्यावरण हितधारक मूल्य**

**जलवायु एवं पर्यावरण के लिए:**

- भारत के 500 गीगावाट लक्ष्य को पूरा करने के लिए **₹27,668 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण**
- 2035 तक **नेट-जीरो परिचालन प्रतिबद्धता नेतृत्व का प्रदर्शन करना**
- **व्यापक उत्सर्जन ट्रैकिंग से** पोर्टफोलियो डीकार्बोनाइजेशन संभव करना
- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की सुरक्षा हेतु **प्राकृतिक जोखिम मूल्यांकन**

**समाज एवं समुदाय के लिए:**

- ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में **स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच**
- ई.वी. और नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के माध्यम से **वायु गुणवत्ता में सुधार**
- अनुकूलन परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से **जलवायु आघात-सहनीयता निर्माण**
- संवहनीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में **हरित रोजगार सृजन**

### आर्थिक हितधारक मूल्य

**शेयरधारकों के लिए:**

- हरित वित्त पोर्टफोलियो से **नए राजस्व स्रोत (₹28,742 करोड़)**
- व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन के माध्यम से **जोखिम शमन**
- बढ़ते संवहनीय वित्त बाजार में **भविष्य के लिए तैयार स्थिति**
- विकसित होती आवश्यकताओं से **पहले विनियामक अनुपालन ग्राहकों के लिए:**

**ग्राहकों के लिए:**

- संवहनीयता लक्ष्यों का समर्थन करने वाले **नवोन्मेषी हरित उत्पाद**
- नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता परियोजनाओं के लिए **प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण**
- जलवायु परिवर्तन नियोजन के लिए **जोखिम परामर्श सेवाएं**
- कॉर्पोरेट जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए **ईएसजी वित्तपोषण समाधान**

**वित्तीय प्रणाली के लिए:**

- जलवायु जोखिम एकीकरण के माध्यम से **प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण**
- संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं के लिए **बाजार मानक निर्धारण**
- उत्सर्जन मापन और रिपोर्टिंग में **उद्योग नेतृत्व**
- जलवायु-अनुकूल बैंकिंग के लिए **नवोन्मेषी प्रदर्शन**

## विनियामक नेतृत्व और अनुपालन

**विनियामक ढाँचा संरेखण**

| विनियमन/दिशानिर्देश | हमारा कार्यान्वयन | अनुपालन स्थिति | कार्यनीतिक लाभ |
|---|---|---|---|
| आरबीआई जलवायु जोखिम दिशानिर्देश | व्यापक ढाँचा | कार्यान्वयन के अंतर्गत | शीघ्र कार्यान्वयनकर्ता को लाभ |
| सेबी ईएसजी प्रकटीकरण मानदंड | विस्तृत रिपोर्टिंग | आवश्यकताओं को पूरा करना | हितधारक विश्वास |
| अंतरराष्ट्रीय मानक | पीसीएएफ, टीसीएफडी, आईएसएसबी एस2 संरेखण | अग्रणी अभ्यास | वैश्विक मान्यता |
| वर्गीकरण विकास | सक्रिय भागीदारी | विकास को प्रभावित करें | विचार नेतृत्व |

**विनियामक उत्कृष्टता:** जलवायु जोखिम विनियमन के प्रति हमारा सक्रिय दृष्टिकोण हमें उद्योग जगत में अग्रणी और विनियामकों हेतु अधिमानित भागीदार के रूप में स्थापित करता है.

## अन्य पूंजियों की साथ एकीकरण

**प्राकृतिक पूंजी मूल्य निर्माण संबंध**

**वित्तीय पूंजी को सक्षम बनाना:**

- **₹28,742 करोड़ का हरित पोर्टफोलियो** उत्कृष्ट जोखिम-समायोजित रिटर्न दे रहा है
- **जलवायु जोखिम न्यूनीकरण,** परिसंपत्ति मूल्यों की सुरक्षा और प्रावधानों में कमी
- **नवीन बाजार अवसर** विविध राजस्व धाराएं सृजित कर रहे हैं
- परिचालन स्थिरता पहल के माध्यम से **लागत अनुकूलन**

**बौद्धिक पूंजी का उपयोग करना:**

- **जलवायु जोखिम प्रौद्योगिकी** आकलन और निगरानी क्षमताओं को बढ़ा रही है
- उत्सर्जन ट्रैकिंग और पोर्टफोलियो अनुकूलन के लिए **डेटा विश्लेषण**
- हरित उत्पाद वितरण और ग्राहक सहभागिता के लिए **डिजिटल प्लेटफॉर्म**
- संवहनीय समाधान विकास के लिए **नवोन्मेषी साझेदारी**

**विनिर्मित पूंजी का समर्थन:**

- **हरित भवन प्रमाणन से** परिचालन दक्षता में सुधार
- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों से** परिचालन लागत में कमी आएगी
- **संवहनीय अवसंरचना** दीर्घकालिक परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ाता है
- **जलवायु-अनुकूल सुविधाएं** कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं

**सामाजिक एवं संबंध पूंजी को मजबूत बनाना:**

- **सामुदायिक जलवायु लाभ** परिचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस को बढ़ाता है
- संवहनीय वित्तीय समाधानों के माध्यम से **ग्राहक जुड़ाव**
- पारदर्शी जलवायु कार्रवाई के माध्यम से **हितधारकों का विश्वास**
- सक्रिय अनुपालन नेतृत्व के माध्यम से **विनियामक संबंध**

## भविष्य के लिए दृष्टिकोण: जलवायु-अनुकूल बैंकिंग नेतृत्वकर्ता

**जलवायु नेतृत्व के लिए कार्यनीतिक स्तंभ**

1. **पोर्टफोलियो रूपान्तरण (2025-2030)**
   - क्षेत्र विशेष उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करें
   - हरित पोर्टफोलियो को वृद्धिशील कारोबार का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाना
2. **परिचालन उत्कृष्टता (2025-2035)**
   - 2035 तक नेट-ज़ीरो परिचालन प्राप्त करना (वैश्विक बैंकिंग लक्ष्यों से आगे)
   - परिचालन के लिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा
   - लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट
3. **नवोन्मेषी नेतृत्व (2025-2030)**
   - व्यापक जलवायु जोखिम मूल्यांकन समाधान लागू करना
   - कॉर्पोरेट्स के लिए एकीकृत ईएसजी सलाहकार सेवाएं बनाएं
   - अग्रणी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और वित्तपोषण समाधान
4. **बाजार विकास (2025-2030)**
   - जारी किए गए बॉन्ड में प्रमुख हिस्सेदारी के साथ भारत के हरित बॉन्ड बाजार में अग्रणी
   - जलवायु तकनीक वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना
   - प्रकृति-अनुकूलन वित्तपोषण ढाँचे का विकास करना
   - अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त साझेदारी स्थापित करना

**निष्कर्ष: कार्यनीतिक विभेदक के रूप में प्राकृतिक पूंजी**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्राकृतिक पूंजी कार्यनीतिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है - यह एक व्यापक कारोबारी रूपान्तरण है जो प्रतिस्पर्धी लाभ पैदा करता है, नए राजस्व स्रोत उत्पन्न करता है, और दीर्घकालिक लचीलापन बनाता है. हमारा **₹28,742 करोड़ का हरित पोर्टफोलियो, व्यापक जलवायु जोखिम ढाँचा** और **नेट-जीरो परिचालन प्रतिबद्धता** हमें भारत के जलवायु-अनुकूल बैंकिंग लीडर के रूप में दर्शाती है.

**वित्तीय वर्ष 2025 की प्रमुख प्राकृतिक पूंजी उपलब्धियां:**

- नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण में **बाजार नेतृत्व**
- पीसीएएफ-आधारित उत्सर्जन ट्रैकिंग और परिदृश्य विश्लेषण के माध्यम से **जोखिम एकीकरण उत्कृष्टता**
- **नवोन्मेषिता** - संपूर्ण जलवायु जोखिम समाधान और प्रकृति मूल्यांकन में अग्रणी
- हरित भवन प्रमाणन में 300% वृद्धि के साथ **परिचालन स्थिरता**

**कार्यनीतिक मूल्य सृजन:** हमारे प्राकृतिक पूंजी निवेश भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान करते हुए सभी हितधारक समूहों में मापनीय प्रतिलाभ उत्पन्न करते हैं. कोर बैंकिंग परिचालन में पर्यावरणीय विचारों का एकीकरण एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ बनाता है जो दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा देता है.

**भविष्य के लिए तैयार स्थिति:** चूंकि जलवायु संबंधी विचार बैंकिंग विनियमनों और ग्राहकों की अपेक्षाओं के लिए केंद्र बन गए हैं, इसलिए हमारा व्यापक प्राकृतिक पूंजी ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि हम बाजार के विकास में आगे रहें, भारत के एक स्थायी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के दौरान जोखिमों का न्यूनीकरण करते हुए अवसरों को प्राप्त करना.

*प्राकृतिक पूंजी एक कार्यनीतिक विभेदक के रूप में कार्य करती है जो वित्तीय कार्यनिष्पादन को बढ़ाती है, नवोन्मेषिता को बढ़ावा देती है, हितधारक संबंधों को मजबूत करती है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भारत के संवहनीय बैंकिंग रूपान्तरण में अग्रणी स्थान पर स्थापित करती है.*

# बौद्धिक पूंजी

## ज्ञान-आधारित आस्तियों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना

### परिचय

बौद्धिक पूंजी हमारी प्रणालियों, प्रक्रियाओं, संबंधों और संगठनात्मक संस्कृति में अंतर्निहित अमूर्त, ज्ञान-आधारित आस्तियों का प्रतिनिधित्व करती है. ये तत्व दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने, नवोन्मेषिता को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रखने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हमारी बौद्धिक पूंजी में तकनीकी नवोन्मेषिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा ढाँचे, कर्मचारी ज्ञान प्रणाली और ग्राहक-केंद्रित समाधान शामिल हैं जो पारंपरिक बैंकिंग को डिजिटल रूप से सक्षम, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित सेवा वितरण मॉडल में परिवर्तित कर देते हैं.

## ग्राहक केंद्रित डिजिटल रूपान्तरण

### डिजिटल उत्पाद पोर्टफोलियो और कारोबारी प्रभाव

यूनियन बैंक ने व्यापक डिजिटल समाधानों के माध्यम से ग्राहक अनुभव में क्रांति ला दी है. हमारी डिजिटल ऋण यात्रा ने पारंपरिक बैंकिंग प्रक्रियाओं को बदल दिया है, जिससे वित्तीय वर्ष 2025 में **₹66,000+ करोड़ का कारोबार जुटाया जा सका है**. हमने वैयक्तिक ऋण, वाहन ऋण, बचत खाते, यूनियन नारी शक्ति, डिजिटल किसान तत्काल और एमएसएमई ऋण मूल्यांकन को कवर करते हुए **15+ डिजिटल प्रक्रियाएँ** लागू की हैं.

देयता पक्ष में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), सावधि और आवर्ती जमा, और व्योम के माध्यम से एमआईएस प्रसंस्करण के लिए डिजिटल प्रक्रिया के साथ समान नवोन्मेषिता देखा गया है, जिससे कारोबार जुटाने में **₹92.88 करोड़** का सृजन हुआ है.

### व्योम – फ्लेगशिप मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्म

हमारा व्योम एप्लीकेशन डिजिटल नवोन्मेषिता का एक प्रमाण है, जो अनवेषणात्मक यूआई/यूएक्स डिज़ाइन के साथ **400+ सुविधाएँ** प्रदान करता है. इस प्लेटफ़ॉर्म ने व्योम (39.24 लाख) और इंटरनेट बैंकिंग(6.95 लाख) प्लेटफ़ॉर्म पर **46.19 लाख ग्राहकों** को सफलतापूर्वक जोड़ा है, जो न केवल बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उड़ानों, होटलों, गिफ्ट कार्ड और दान के लिए एकीकृत मार्केटप्लेस सेवाओं के माध्यम से जीवनशैली की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है.

वित्तीय वर्ष 2025 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे "यूबीआई का डिजिटल रुपी" एप को दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए समर्पित सुगम्यता सुविधाओं के साथ अद्यतित करना था, जिससे समावेशी बैंकिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई.

### उद्योग क्षेत्र में प्रथम नवाचार

| नवाचार | उपलब्धि | प्रभाव |
|---|---|---|
| सीबीडीसी नेतृत्व | सीबीडीसी-खुदरा के लिए कोहोर्ट 2 में पहला बैंक; डब्ल्यू-सीबीडीसी के लिए 9 बैंकों में से एक | डिजिटल मुद्रा अपनाने में अग्रणी |
| मेटावर्स बैंकिंग | "यूनि-वर्स" प्लेटफॉर्म वाला पहला भारतीय बैंक | मार्च 2025 तक 3.69+ लाख हिट्स |
| व्हाट्सएप बैंकिंग | यूवीकॉन (UVConn) प्लेटफॉर्म 70+ सेवाएं | 2.45 करोड़ ग्राहक अनुरोधों की पूर्ति की गई |
| गूगल कारोबार संदेश | जीबीएम प्लेटफॉर्म पर पहला पीएसबी | 2.31 लाख लाइव एजेंट सहित 5.30 लाख उपयोगकर्ता |
| वॉयस बैंकिंग | एआई-संचालित यूनियन वॉयस असिस्टेंट (यूवीए) | 30,000+ लेनदेन पूरे हुए |

### डिजिटल सेवा उत्कृष्टता

निर्बाध ग्राहक सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कई डिजिटल टचपॉइंट के माध्यम से प्रदर्शित होती है. इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडबल्यू) प्रणाली यूपीआई-आधारित एटीएम लेनदेन को सक्षम बनाता है, जबकि हमारी व्यापक क्यूआर-आधारित प्रणाली फॉर्म 15जी/एच के प्रस्तुतीकरण से लेकर ग्राहक प्रतिक्रिया संग्रह तक सब कुछ सुविधाजनक बनाती है. डिजिटल संपर्क केंद्र (डीसीसी) प्रौद्योगिकी-संचालित वैयक्तिकरण के साथ 24/7 निर्बाध सेवाएं प्रदान करता है.

## डिजिटल लर्निंग के माध्यम से कर्मचारी सशक्तिकरण

### यूनियन विद्या – ज्ञानार्जन एवं विकास में परिवर्तन

हमारी प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली कर्मचारी विकास में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है. यूनियन विद्या ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 65.23+ लाख घंटे सीखने के लिए दिए हैं, जो प्रति तिमाही प्रति कर्मचारी औसतन 22 घंटे हैं. इस प्लेटफ़ॉर्म में अधिकारियों के लिए 10 अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल शामिल हैं, जो साइबर सुरक्षा से लेकर जलवायु जोखिम और बैंकिंग में नैतिकता तक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं.

डिजिटल एक्सेसिबल लाइब्रेरी, डेज़ी फोरम ऑफ इंडिया और सुगम्य पुस्तकालय के साथ साझेदारी में विकसित की गई है, जो समावेशी शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह पहल दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए विशेष संसाधन प्रदान करती है, जिससे पेशेवर विकास के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है.

### प्रशिक्षण वितरण में नवाचार

हमारे वीआर-आधारित इमर्सिव प्रशिक्षण मॉड्यूल अत्याधुनिक शिक्षण तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं. देश भर में **3 यूएलए** के माध्यम से **575 कर्मचारियों को** प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें व्यापक मूल्यांकन प्रणाली प्रभावी ज्ञान अंतरण सुनिश्चित करती है. मेटा लर्निंग फ्रेमवर्क, चार स्तंभों - क्वेरी आधारित प्रशिक्षण, भिन्नकालिक कार्यक्रम, यूनियन मंच और यूबीआईक्यूयूई पर बनाया गया है - निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है.

### कर्मचारी डिजिटल सेवाएँ

| सेवा | विवरण | प्रभाव |
|---|---|---|
| एसटीपी स्टाफ ऋण | स्वचालित स्टाफ ओवरड्राफ्ट और वाहन ऋण | मैनुअल प्रसंस्करण समाप्त |
| यूनियन ग्रीन हब | पिनकोड-आधारित जोखिम मूल्यांकन के साथ इन-हाउस ईएसजी पोर्टल | केंद्रीकृत ईएसजी जानकारी |
| माई डायरी पोर्टल | जमा, अग्रिम, लॉकर के लिए एकीकृत डैशबोर्ड | महत्वपूर्ण समय की बचत |
| एचआर मित्रा (प्रगति पर) | मानव संसाधन संबंधी प्रश्नों के लिए जेन एआई चैटबॉट | एचआरएमएस एकीकरण |
| फ्रंटलाइन सहायक (प्रगति पर) | क्षेत्र कर्मचारियों के लिए एआई समर्थन | व्यापक जानकारी तक पहुंच |

## अवसंरचना का आधुनिकीकरण और प्रक्रिया उत्कृष्टता

### डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी

यूनियन बैंक ने कृषि, खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों में समाधान लागू करने के लिए **84 फिनटेक कंपनियों को सूचीबद्ध किया है** और **18 को सक्रिय रूप से शामिल** किया है. हमारा लेखा समेकक कार्यान्वयन हमें वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) और वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) दोनों के रूप में परिचालित करने वाले **पहले सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता** के रूप में स्थान देता है, जो कई प्लेटफार्मों पर **13 लेखा समेकक** को एकीकृत करता है.

### सीआरएम और ग्राहक आसूचना

हमारे कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सीआरएम एज का एकीकरण शाखाओं, विपणन कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में व्यापक ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रदान करता है. यह प्लेटफ़ॉर्म क्रॉस-सेल/अप-सेल अवसरों, प्रति ग्राहक उत्पाद विश्लेषण, ग्राहक संबंध मूल्य मूल्यांकन और एकीकृत शिकायत प्रबंधन को सक्षम बनाता है, जिससे ग्राहक सेवा वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि होती है.

### स्वचालित उत्कृष्टता

हमारे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आरपीए सीओई) ने हाइपर-ऑटोमेशन पहल के माध्यम से **27 स्वचालित प्रक्रियाओं** को लागू किया है. एआई, एमएल और रोबोटिक्स का प्रयोग करने वाले इस व्यापक दृष्टिकोण ने कर्मचारियों के समय को कार्यनीतिक गतिविधियों के लिए मुक्त कर दिया है, जबकि महत्वपूर्ण लागत बचत और दक्षता में सुधार हुआ है.

**प्रौद्योगिकी अवसंरचना उन्नति**

| पहल | स्थिति | प्रमुख लाभ |
|---|---|---|
| डेटा केंद्र आधुनिकीकरण | पूर्ण | शून्य डेटा हानि के लिए 4-वे आर्किटेक्चर वाला ग्रीन डेटा केंद्र |
| सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क (एसडीएन) | कार्यान्वित | केंद्रीकृत अनुश्रवण के साथ 100% नेटवर्क अपटाइम |
| कोर बैंकिंग अपग्रेड | प्रक्रियाधीन | फिनेकल 10.2.18 से 10.2.25 बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए |
| क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस | प्रक्रियाधीन | निजी, सार्वजनिक और हाइब्रिड विनियोजन के साथ बहु-क्लाउड कार्यनीति |
| डेटा लेक प्लेटफ़ॉर्म | प्रक्रियाधीन | संरचित/असंरचित डेटा एकीकरण के साथ उन्नत वैश्लेषिकी |

## साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता नेतृत्व

**उद्योग-अग्रणी अनुपालन और प्रमाणन**

यूनियन बैंक ने डेटा गोपनीयता के लिए **आईएसओ 27701:2019 प्रमाणन** प्राप्त करने वाले भारत के पहले वित्तीय संस्थान के रूप में **उद्योग-प्रथम मान्यता प्राप्त** की है. हमारे व्यापक प्रमाणन संविभाग में पीसीआई पीआईएन, सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 और आईएसओ प्रमाणन (27001, 31000, 22301) शामिल हैं, जो विनियामक आवश्यकताओं से परे सक्रिय अनुपालन को प्रदर्शित करते हैं.

**उन्नत सुरक्षा अवसंरचना**

हमारा 24/7 **साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी) साइबर** सुरक्षा अवसंरचना की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जिसमें निरंतर खतरे की अनुश्रवण और प्रतिक्रिया के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करने वाले समर्पित विशेषज्ञ कार्यरत हैं. डिजिटल फोरेंसिक और मैलवेयर विश्लेषण लैब एटीएम, सीआरएम और ईमेल प्रणाली में सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत क्षमताएं प्रदान करता है.

**साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई)** कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए अगली पीढ़ी की साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है.

**आधुनिक एप्लिकेशन सुरक्षा**

निजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर **कुबेरनेट्स और डेवसेकऑप्स प्लेटफ़ॉर्म** को अपनाने से एप्लिकेशन डेवलपमेंट का आधुनिकीकरण हुआ है. **13 इन-हाउस एप्लिकेशन** को सीआई/सीडी प्रक्रियाधीन एकीकरण के साथ कंटेनर्राइज़ड किया गया है, जिससे सुरक्षा और परिनियोजन दक्षता में वृद्धि हुई है. एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर ऑफिस **टीओजीएएफ़ फ्रेमवर्क** का इष्टतम उपयोग करते हुए आईटी परिदृश्य प्रबंधन और अतिरेक उन्मूलन को सुनिश्चित करता है.

## जन जागरूकता और ग्राहक शिक्षा

**नवोन्मेषी सुरक्षा शिक्षा**

यूनियन बैंक ने साइबर सुरक्षा शिक्षा को वैयक्तिक बनाने के लिए उद्योग जगत में पहली बार साइबर सुरक्षा मेसकोट **"U SuरKsha"** और **"U रKshak"** आरंभ किए हैं. हमारे बहु-चैनल जागरूकता अभियान सोशल मीडिया, ईमेल, एसएमएस और नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले यूनिट (एनईडीयू) का शाखाओं में प्रयोग करके डिजिटल भुगतान सुरक्षा और खतरे की रोकथाम के विषय में ग्राहकों को शिक्षित करते हैं.

**सीडैक हैदराबाद** के साथ सहयोग के माध्यम से, हम मासिक वेबिनार आयोजित करते हैं और सभी ग्राहकों को नियमित साइबर सुरक्षा सलाह प्रदान करते हैं, जिससे नवीनतम सुरक्षा प्रथाओं और संभावित खतरों के विषय में निरंतर शिक्षित किया जाता है.

## बौद्धिक संपदा कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड वित्तीय वर्ष 2025

| मीट्रिक श्रेणी | प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक | वित्तीय वर्ष 2025 की उपलब्धि |
|---|---|---|
| डिजिटल कारोबार | डिजिटल ऋण जुटाने का प्रयास | ₹66,000 करोड़ |
| ग्राहक जुड़ाव | डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ग्राहक | 46.19 लाख |
| सेवा उत्कृष्टता | यूवीकॉन (UVConn) ग्राहक अनुरोध | 2.45 करोड़ |
| कर्मचारी विकास | कुल प्रदान किए गए ज्ञानार्जन घंटे | 65.23+ लाख घंटे |
| प्रक्रिया स्वचालन | स्वचालित प्रक्रियाएं कार्यान्वित की गईं | 27 प्रक्रियाएँ |
| प्रौद्योगिकी साझेदारी | सक्रिय फिनटेक सहयोग | 18 कार्यान्वयन |
| सुरक्षा नेतृत्व | विशिष्ट उद्योग प्रमाणन | आईएसओ 27701:2019 (भारत में प्रथम) |
| नवोन्मेषिता तक पहुंच | मेटावर्स प्लेटफ़ॉर्म जुड़ाव | 3.69+ लाख हिट्स |

## कार्यनीतिक दृष्टिकोण

**भविष्य के लिए नवाचार रोडमैप**

यूनियन बैंक की बौद्धिक पूंजी कार्यनीति **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एकीकरण**, उन्नत सुरक्षा के लिए **ब्लॉकचेन अपनाने** और इमर्सिव बैंकिंग अनुभवों के लिए **मेटावर्स विस्तार पर केंद्रित है**. हमारे रोडमैप में उन्नत एनालिटिक्स कार्यान्वयन, एपीआई-फर्स्ट आर्किटेक्चर विकास और व्यापक साइबर लचीलापन वृद्धि शामिल है.

**ज्ञान प्रबंधन विकास**

हम निरंतर अनुसंधान और विकास के लिए **एआई-संचालित ज्ञान अन्वेषण प्लेटफॉर्म, पूर्वानुमानित प्रशिक्षण प्रणाली** और **नवाचार प्रयोगशालाएं** विकसित कर रहे हैं. यह विकास भारतीय बैंकिंग में प्रौद्योगिकी अग्रणी बनने के हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करेगा, साथ ही समावेशी, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित सेवा वितरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा.

कार्यनीतिक बौद्धिक पूंजी विनियोजन के माध्यम से, यूनियन बैंक डिजिटल रूपान्तरण, परिचालन उत्कृष्टता और नवोन्मेषिता नेतृत्व को आगे बढ़ा रहा है, तथा भारत के बैंकिंग विकास में स्वयं के लिए अग्रणी स्थान सुनिश्चित कर रहा है.

# मानव पूंजी

## लोगों के माध्यम से विकास को सशक्त बनाना

**परिचय: मूल्य सृजन में मानव पूंजी की भूमिका**

वैश्विक वित्त के उभरते परिदृश्य में, मानव पूंजी एक सहायक संसाधन से मूल्य सृजन के कार्यनीतिक समर्थक में परिवर्तित हो गई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम मानते हैं कि हमारे कर्मचारी अगली पीढ़ी के डिजिटल रूप से सक्षम सार्वभौमिक बैंक बनने के हमारे मिशन की आधारशिला है. मानव पूंजी के प्रबंधन के लिए हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से एकीकृत रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप है, जो मानव पूंजी को संवहनीय मूल्य सृजन के लिए आवश्यक छह प्रमुख पूंजी में से एक के रूप में पहचान प्रदान करता है.

हमारी समग्र मानव पूंजी कार्यनीति कर्मचारी यात्रा के हर चरण ऑनबोर्डिंग से लेकर विशेषज्ञता और नेतृत्व विकास तक को संबोधित करती है. यह कार्यनीति कारोबारी उद्देश्यों को जनप्रथाओं के साथ एकीकृत करती है, जिससे संगठन और उसके हितधारकों दोनों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन संभव होता है, जबकि समावेशी नीतियों, कर्मचारी-केंद्रित प्रणालियों और नेतृत्व पोषण द्वारा समर्थित उच्च-कार्यनिष्पादन संस्कृति का निर्माण होता है.

## ज्ञानार्जन एवं विकास उत्कृष्टता

**ज्ञान उत्कृष्टता को संस्थागत बनाना**

**ज्ञानार्जन एवं विकास पर मास्टर पॉलिसी** के कार्यान्वयन के माध्यम से ज्ञानार्जन एवं विकास में क्रांति आ गई है, जो ई-लर्निंग, वर्चुअल सेशन और भिन्नकालिक प्रोग्राम को मानकीकृत करता है. हमारी नई ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली, **यूनियन विद्या**, एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करती है जो अनिवार्य और विशेष प्रशिक्षण दोनों तक पहुँच को सुव्यवस्थित करती है, जिससे सभी कर्मचारियों के लिए संरचित ज्ञानार्जन मार्ग सुनिश्चित होता है.

निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता हमारे अधिदेश से प्रमाणित होती है कि **प्रत्येक कर्मचारी को सालाना कम से कम एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त होता है**. इस पहल ने असाधारण परिणाम दिए हैं, वित्तीय वर्ष 2024-2025 में **65.23+ लाख घंटे सीखने के लिए प्रदान किए गए**, जो प्रति तिमाही प्रति कर्मचारी औसतन 22 घंटे है. हमारे प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकारियों के लिए **10 अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल शामिल हैं**, जो केवाईसी/एएमएल और साइबर सुरक्षा से लेकर जलवायु जोखिम और बैंकिंग में नैतिकता तक आवश्यक दक्षताओं को कवर करते हैं.

**प्रशिक्षण प्रदान करना और उसका प्रभाव**

| प्रशिक्षण चैनल | आयोजित कार्यक्रम | कवर किए गए कर्मचारी | प्रमुख केंद्रित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| यूनियन लर्निंग अकादमी (यूएलए) | 571 सीटीपी/एलटीपी कार्यक्रम | 17,190 कर्मचारी | उन्नत कौशल विकास |
| आभासी कार्यक्रम/वेबिनार | 379 कार्यक्रम | 37,174 कर्मचारी | डिजिटल ज्ञानार्जन वितरण |
| अंचलीय ज्ञानार्जन केंद्र | 776 कक्षा कार्यक्रम | 21,365 कर्मचारी | स्थानीय कौशल निर्माण |
| स्थानिक कार्यक्रम | 742 कार्यक्रम | 31,136 कर्मचारी | क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण |
| बाह्य प्रशिक्षण | उन्नत कार्यक्रम | 1,164 कर्मचारी | विशिष्ट विशेषज्ञता |
| विदेशी प्रशिक्षण | अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र | 51 अधिकारी | वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ |

**समवेशी ज्ञानार्जन नवाचार**

समावेशी शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता डिजिटल लर्निंग यूनिट (डीएलयू) के तहत शुरू की गई **डिजिटल एक्सेसिबल लाइब्रेरी** से स्पष्ट होती है. **डेज़ी फोरम ऑफ इंडिया (डीएफआई)** और **सुगम्य पुस्तकालय** के साथ भागीदारी के माध्यम से हम दृष्टिबाधित और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से भारत की सबसे बड़ी सुलभ ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी प्रदान करते हैं. यह पहल एक समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए हमारे समर्पण को पुष्ट करती है जहाँ प्रत्येक कर्मचारी को पेशेवर विकास के अवसरों तक समान पहुँच प्राप्त होती है.

**मेटा लर्निंग फ्रेमवर्क** चार कार्यनीतिक स्तंभों के माध्यम से हमारी निरंतर सीखने की संस्कृति को सुदृढ़ बनाता है: क्वेरी-आधारित प्रशिक्षण सत्र, चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम, यूनियन मंच (ज्ञान साझा करने का मंच), और यूबीआईक्यूयूई (रचनात्मक समस्या-समाधान). यह व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ज्ञानार्जन न केवल निर्धारित हो बल्कि दैनिक कार्यों में अंतर्निहित हो.

## नेतृत्व विकास और प्रतिभा प्रबंधन

### भविष्य के लिए तैयार नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण करना

हमारा प्रमुख **"यूनियन अद्वित" नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी)** वृहद पैमाने पर नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है. एक सुदृढ़ निदान और नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से, पहले वर्ष में **510 कार्यपालकों** का चयन किया गया, जिसमें कक्षा प्रशिक्षण, कार्यपालकों हेतु कोचिंग, सलाह और निरंतर फीडबैक लूप सहित व्यापक हस्तक्षेप में भाग लिया गया. कार्यक्रम की सफलता ने वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन के साथ **600 कार्यपालकों** को लक्षित करने वाली विस्तार योजनाओं को आरंभ किया है.

नेतृत्व में लैंगिक विविधता के महत्व को पहचानते हुए, हम विशेष **महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं** जो अल्प-प्रतिनिधित्व की चुनौतियों का समाधान करते हैं और बाहरी वक्ताओं के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते हैं. ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करते हुए जीवन और करियर की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं.

### प्रतिभा अर्जन एवं उत्तराधिकार उत्कृष्टता

यूनियन बैंक की प्रतिभा कार्यनीति तत्काल आवश्यकताओं और भविष्य के नेतृत्व प्रक्रियाधीन विकास दोनों पर केंद्रित है. वित्तीय वर्ष 2025 में एक महत्वपूर्ण पहल विभिन्न राज्यों में स्थानीय भाषाओं में दक्षता के साथ लगभग **1,500 स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ)** की भर्ती थी. यह कार्यनीतिक नियुक्ति ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संप्रेषण में कमी का निवारण करती है, जिससे ग्राहक सेवा वितरण और बाजार पैठ में सीधे सुधार होता है.

भावी प्रतिभाओं को विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता **प्रशिक्षु कार्यक्रम** के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर लगभग **259 प्रशिक्षु** शामिल होते हैं. यह कार्यक्रम भविष्य की प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाधीन के रूप में कार्य करता है, जबकि बीएफ़एसआई परिचालन और बैंक उत्पादों में व्यावहारिक, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करता है.

**उत्तराधिकार आयोजना ढाँचा:** प्रतिभा पहचान समिति और उत्तराधिकार प्रबंधन समिति की बैठक मार्च 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए **50 से अधिक** महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए प्रतिभा पूल की पहचान करने के लिए आयोजित की गई, ताकि संगठनात्मक निरंतरता और कार्यनीतिक क्षमता विकास को सुनिश्चित किया जा सके.

---

## विविधता, समानता और समावेशी नेतृत्व

### समावेशी कार्यस्थल का निर्माण

यूनियन बैंक एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जहाँ हर कर्मचारी को मूल्यवान, सम्मानित महसूस हो और उसे आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें. हमारे व्यापक डीईआई ढाँचे में यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पॉश), समान अवसर और विविधता, समानता और समावेशन पर सुदृढ़ नीतियां शामिल हैं, जिनका सक्रिय कार्यान्वयन और नियमित जागरूकता कार्यक्रम जारी किया जाता है.

### कर्मचारी प्रतिनिधित्व और समावेशन मेट्रिक्स

| श्रेणी | अधिकारी | लिपिक | अधीनस्थ-स्टाफ | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल कर्मचारी | 44,107 | 23,818 | 6,020 | 73,945 | 100% |
| अनुसूचित जातियां (एससी) | 7,651 | 4,523 | 2,230 | 14,404 | 19.48% |
| अनुसूचित जनजातियां (एसटी) | 3,424 | 1,875 | 500 | 5,799 | 7.84% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 13,458 | 7,610 | 1,984 | 23,052 | 31.17% |
| महिला कर्मचारी | 12,061 | 7,628 | 1,907 | 21,596 | 29.21% |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 2,995 | 1,610 | 429 | 5,034 | 6.81% |
| भूतपूर्व सैनिक | 861 | 3,147 | 404 | 4,412 | 5.97% |
| दिव्यांग | 1,672 | 817 | 151 | 2,640 | 3.57% |

**73,945 कर्मचारियों की कुल संख्या में से, बैंक में 2,640 दिव्यांग कर्मचारी हैं, जो कुल कार्यबल का लगभग 3.57% है. बैंक विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इनमें से 901 दृष्टिहीन, 350 मूक-बधिर, 40 बौद्धिक रूप से अक्षम हैं और 1,349** अस्थिरोग दिव्यांग हैं. यह समावेशी दृष्टिकोण कार्यस्थल में विविधता और समान अवसर के प्रति बैंक के समर्पण को दर्शाता है.

### विशेष समावेश पहल

दिव्यांग कर्मचारियों को सहायता देने के प्रति हमारा समर्पण व्यावहारिक उपायों के माध्यम से प्रदर्शित होता है, जिसमें दृष्टिबाधित सहकर्मियों के लिए **जेएडबल्यूएस स्क्रीन-रीडिंग सॉफ़्टवेयर** का प्रावधान और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते की दरों में सक्रिय संशोधन शामिल है. बैंक महिला कर्मचारियों के लिए

अधिमानी पदस्थी सुनिश्चित करता है और कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए दंपति आधारित स्थानांतरण पर विचार करता है.

हमने शिकायतों के समाधान और सभी संगठनात्मक स्तरों पर समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए महाप्रबंधक स्तर पर **मुख्य संपर्क अधिकारियों** के साथ शीर्ष स्तर पर **अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठों** की स्थापना की है.

## कर्मचारी जुड़ाव और कल्याण

### व्यापक कर्मचारी सहायता

यूनियन बैंक का **कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) - यूनियन स्वर (कल्याण और लचीलेपन का समर्थन)** शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यापक सहायता प्रदान करता है. यह कार्यक्रम जोखिम वर्गीकरण प्रणालियों, सभी कार्यालयों में **आपातकालीन संकट टीमों** और कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए विशेष आहार और पोषण परामर्श के साथ **24/7 परामर्श सेवाएं** प्रदान करता है.

हमारी कल्याण पहल पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ती है, हम हैबिल्ड हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी के माध्यम से **दैनिक ऑनलाइन योग सत्र**, सभी कार्यालयों में चेयर डेस्क योग, और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा तनाव, चिंता और अवसाद का निदान करने वाले नियमित वेबिनार आयोजित करते हैं. कार्यक्रम सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए **24/7 चिकित्सा सलाह** भी प्रदान करता है.

### डिजिटल कर्मचारी सेवाएँ और कल्याण

**स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) प्रक्रियाओं** की शुरुआत कर्मचारी सुविधा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. ये डिजिटल समाधान मैन्युअल प्रसंस्करण को खत्म करते हैं, अनुमोदन मंजूरी मिलने पर स्वचालित रूप से ऋण खाते खोलते हैं, और एसओडी सीमाओं तक तत्काल पहुंच प्रदान करते हैं.

कर्मचारियों की 9-14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए **सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के लिए प्रतिपूर्ति** योजना वित्तीय वर्ष 2025 में आरंभ की गई एक उल्लेखनीय कल्याणकारी पहल है. यह स्वास्थ्य सेवा पहल परिवार कल्याण और निवारक स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कर्मचारियों से आगे बढ़कर उनके परिवारों तक हमारी देखभाल को बढ़ाती है.

### संप्रेषण एवं वचनबद्धता उत्कृष्टता

**हमारी बहु-चैनल संप्रेषण कार्यनीति में "यूनियन धारा", "द विद्या टाइम्स"** और **"बैंकिंग अपडेट"** जैसे विभिन्न आंतरिक प्रकाशन शामिल हैं, साथ ही **"यूनियन रेडियो"** और **"यूनियन पॉडकास्ट"** जैसे ऑडियो-विजुअल माध्यम भी शामिल हैं. **"यूनियन मंच"** कर्मचारियों को अनुभव और सफलता की कहानियाँ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा मिलता है.

**कम्युनिटी कनेक्ट** प्लेटफॉर्म हमारी आंतरिक सामुदायिक सहभागिता प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो कार्यालय के कार्यक्रमों और कार्य वर्षगांठों से लेकर कर्मचारियों की पदोन्नति तक विविध विषयों पर सक्रिय चर्चाओं को बढ़ावा देता है, तथा एक सुसंगत संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करता है.

## मानव संसाधन परिवर्तन और गवर्नेंस

### कार्यनीतिक मानव संसाधन विकास

यूनियन बैंक में मानव संसाधन व्यापक परिवर्तन पहलों के माध्यम से एक कार्यनीतिक कारोबारी कार्य के रूप में विकसित हुआ है जो कर्मचारी अनुभव को बढ़ाते हुए प्रतिभा और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है. हमारा परिष्कृत **कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)** कैरियर की प्रगति और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के साथ एकीकृत पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करता है.

### पुरस्कार एवं सम्मान ढाँचा

हमारा व्यापक **पुरस्कार एवं सम्मान ढाँचा** सक्रिय रूप से कर्मचारी योगदान को स्वीकार करता है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में **₹16.59 करोड़** वितरित किए गए हैं. इस ढाँचे में शामिल माइलस्टोन सम्मान कार्यक्रम:

| पुरस्कार श्रेणी | पात्रता | सम्मान मूल्य |
|---|---|---|
| क्रिस्टल पुरस्कार | 15 वर्ष पूरे | 100 ग्राम चांदी के समतुल्य |
| रजत जयंती पुरस्कार | 25 वर्ष पूरे | 150 ग्राम चांदी के समतुल्य |
| सेवानिवृत्ति पुरस्कार | सेवानिवृत्ति | 250 ग्राम चांदी के समतुल्य |
| स्टार परफ़ौर्मर पुरस्कार | 80%+ कार्यनिष्पादन स्कोर | कार्यनिष्पादन-आधारित पुरस्कार |

### आचार संहिता एवं गवर्नेंस

**पहली आचार संहिता** की शुरूआत नैतिक निर्णय लेने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है, कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ सशक्त बनाती है जो बैंक के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं. यह ढाँचा लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाती है.

## उद्यम सम्मान एवं पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2025

| पुरस्कार श्रेणी | सम्मानकर्ता संगठन | उपलब्धि | दिनांक |
|---|---|---|---|
| कार्यबल नियोजन | भारतीय सम्मेलन | एचडीएम पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ कार्यबल नियोजन 2024 | मार्च 2025 |
| ज्ञानार्जन एवं विकास | अंतरराष्ट्रीय कारोबार सम्मेलन | निरंतर ज्ञानार्जन और नेतृत्व विकास में उत्कृष्टता | फ़रवरी 2025 |
| मानव संसाधन उत्कृष्टता | एपेक्स इंडिया फाउंडेशन | मानव संसाधन उत्कृष्टता के लिए प्लैटिनम पुरस्कार और प्रशिक्षण के लिए स्वर्ण पुरस्कार | नवंबर 2024 |
| नवोन्मेषिता | एशियन लीडरशिप पुरस्कार | नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं वाला संगठन | अक्टूबर 2024 |
| नेतृत्व विकास | पीपल एक्सिलेंस पुरस्कार | नेतृत्व और डिजिटल ज्ञानार्जन परिवर्तन में उत्कृष्टता | अगस्त 2024 |

**निरंतर दसवीं बार**, यूनियन बैंक को प्रतिष्ठित **गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार** प्राप्त हुआ, जिससे कर्मचारी विकास और प्रशिक्षण उत्कृष्टता में अग्रणी के रूप में हमारी स्थिति सुदृढ़ हुई.

## मानव पूंजी कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड वित्तीय वर्ष 2025

| कार्यनिष्पादन मैट्रिक | उपलब्धि | प्रभाव |
|---|---|---|
| प्रदान किए गए कुल ज्ञानार्जन घंटे | 65.23+ लाख घंटे | व्यापक कौशल विकास |
| प्रति कर्मचारी औसत ज्ञानार्जन | 22 घंटे/तिमाही | निरंतर क्षमता निर्माण |
| नेतृत्व विकास प्रतिभागी | 510 अधिकारी (यूनियन अद्वित) | भविष्य के लिए तैयार नेतृत्व प्रक्रियाधीन |
| स्थानीय भाषा अधिकारियों की भर्ती | 1,500 एलबीओ | क्षेत्रीय बाजार में पैठ बढ़ी |
| वितरित किए गए कर्मचारी पुरस्कार | ₹16.59 करोड़ | सम्मान संस्कृति को सुदृढ़ बनाना |
| जुड़े हुए प्रशिक्षु | 259 उम्मीदवार | सामुदायिक प्रतिभा विकास |
| आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम | 1,350+ कार्यक्रम | बहु-चैनल ज्ञानार्जन वितरण |
| बाह्य प्रशिक्षण एक्सपोजर | 1,164 कर्मचारी | उन्नत कौशल अधिग्रहण |

## कार्यनीतिक दृष्टिकोण और यूएन एसडीजी संरेखण

### भविष्य के कार्यबल का निर्माण

यूनियन बैंक की मानव पूंजी कार्यनीति **संयुक्त राष्ट्र के अनेक संवहनीय विकास लक्ष्यों** के अनुरूप है, जो जिम्मेदार रोजगार प्रथाओं और सामाजिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है:

**एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण):** व्यापक कल्याण कार्यक्रमों और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों के माध्यम से

**एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)**: संवहनीय शिक्षण पहल और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से

**एसडीजी 5 (लैंगिक समानता):** महिला नेतृत्व कार्यक्रमों और समावेशी कार्यस्थल नीतियों के माध्यम से

**एसडीजी 8 (अच्छा कार्य और आर्थिक विकास):** सार्थक रोजगार और कैरियर विकास के अवसर प्रदान करके

**एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी):** समावेशी नियुक्ति प्रथाओं और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए समर्थन के माध्यम से

**एसडीजी 16 (शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं):** नैतिक गवर्नेंस ढाँचे और पारदर्शी प्रथाओं के माध्यम से

### भविष्य हेतु कार्यनीतिक केंद्र

हमारा मानव पूंजी रोडमैप प्रतिभा प्रबंधन के लिए **डिजिटल एचआर परिवर्तन, एआई-संचालित शिक्षण प्रणाली** और **पूर्वानुमानित विश्लेषण** पर जोर देता है. **हम अपने नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना, कर्मचारी कल्याण पहलों को** बढ़ाना और अपनी **विविधता और समवेशी ढाँचे को सुदृढ़ करना** जारी रखेंगे.

मानव संसाधन प्रक्रियाओं में **उन्नत प्रौद्योगिकियों** का एकीकरण, निरंतर सीखने के लिए **नवोन्मेषिता प्रयोगशालाओं का विकास, तथा विशिष्ट कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना**, यूनियन बैंक को उभरते बैंकिंग परिदृश्य में पसंदीदा नियोक्ता के रूप में स्थापित करेंगी.

कार्यनीतिक मानव पूंजी निवेश के माध्यम से, यूनियन बैंक भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास में सार्थक योगदान करते हुए संगठनात्मक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए कौशल, ज्ञान और उत्साह से परिपूर्ण, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण जारी रखता है.

# सामाजिक और संबंध पूंजी

## विश्वास का निर्माण और साझा मूल्य का सृजन

**परिचय: हितधारक सहभागिता के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत को सामाजिक रूप से समावेशी, डिजिटल रूप से सशक्त, पर्यावरण के प्रति जागरूक और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में अग्रणी है. बैंक की कार्यनीतिक पहल संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो जिम्मेदार बैंकिंग और संवहनीय विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

बैंक की संवहनीय कार्यनीति के मूल में सामाजिक और संबंध पूंजी का प्रभावी उपयोग निहित है. बैंक दीर्घकालिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, नवोन्मेषिता को बढ़ावा देता है, और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देता है. समावेशी विकास पर बैंक का ध्यान, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, सरकार के नेतृत्व वाली पहलों और सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए सक्रिय समर्थन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है.

यूनियन बैंक मानता है कि महत्वपूर्ण हितधारकों-कर्मचारियों, ग्राहकों, विनियामकों, शेयरधारकों और सोसाइटियों -के साथ सार्थक वचनबद्धता, संवहनीय विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. बैंक ने एक बहुआयामी वचनबद्धता कार्यनीति अपनाई है जो समावेशिता, नवोन्मेषिता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बैंक के मूल मूल्यों को दर्शाती है.

## हितधारक जुड़ाव ढाँचा

**व्यापक हितधारक कार्यनीति**

बैंक का हितधारक जुड़ाव मॉडल विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित मूल्य प्रस्ताव देने पर आधारित है. प्रत्येक हितधारक समूह को समर्पित चैनलों के माध्यम से अनुकूलित ध्यान प्रदान किया जाता है, जिससे प्रभावी संप्रेषण और संबंध निर्माण सुनिश्चित होता है.

| हितधारक | जुड़ाव चैनल | कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | प्रमुख प्रतिक्रियाएँ |
|---|---|---|---|
| **कर्मचारी** | डिजिटल प्लेटफॉर्म (एकम एप), नेतृत्व संप्रेषण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कल्याण पहल | विकास के अवसर, नवोन्मेषिता संस्कृति, योग्यता आधारित विकास, स्वास्थ्य सेवा लाभ | पुरस्कार, व्यापक कल्याण कार्यक्रम, कैरियर गतिशीलता पहल में ₹16.59 करोड़ |
| **ग्राहकों** | व्योम एप, शाखा संपर्क, डिजिटल चैनल, फीडबैक प्रणाली | डिजिटल सुविधा, कुशल कर्मचारी, निष्पक्ष आचरण, त्वरित शिकायत समाधान | 15+ डिजिटल प्रक्रियाएँ, ₹ 2.45 करोड़ व्हाट्सएप पूछताछों का समाधान, सुगम्यता नवोन्मेषिता |
| **शेयरधारकों** | वार्षिक महासभा बैठकें, त्रैमासिक बैठकें, निवेशक सम्मेलन, विनियामक प्रकटीकरण | मूल्य सृजन, पारदर्शिता, गवर्नेंस, कार्यनीतिक संप्रेषण | उन्नत ईएसजी प्रकटीकरण, नियमित डिजिटल सत्र, विस्तृत वार्षिक रिपोर्टिंग |
| **सामाजिक** | यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी), सीएसआर पहल, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम | सामाजिक विकास, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास | यूबीएसएफ़टी द्वारा ₹121.40 करोड़ का योगदान, ₹37.70 करोड़ की 89 परियोजनाओं को मंजूरी |
| **विनियामक** | विनियमित बैठकें, नीति मंच, अनुपालन टीम, समय पर रिपोर्टिंग | निष्पक्ष ग्राहक आचरण, जोखिम प्रबंधन, परिचालन उत्कृष्टता | समर्पित अनुपालन टीम, समय पर विनियामक रिटर्न, निरंतर वचनबद्धता |

## कर्मचारी संबंध उत्कृष्टता

**संवहनीय कर्मचारी भागीदारी का निर्माण**

कर्मचारियों के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से परे आपसी वृद्धि और विकास पर निर्मित संवहनीय भागीदारी बनाने के लिए है. बैंक का लोगों को प्राथमिकता देने वाला दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी निरंतर सीखने, नेतृत्व विकास, कल्याण कार्यक्रमों और समावेशी कार्यस्थल प्रथाओं के माध्यम से सफलता के लिए मूल्यवान, समर्थित और सुसज्जित महसूस करे.

### डिजिटल संप्रेषण एवं सहभागिता

**एकम मोबाइल ऐप** बैंक के सक्रिय कर्मचारी सहभागिता मंच के रूप में कार्य करता है, जो वास्तविक समय में विचार साझा करने, कार्यनिष्पादन समीक्षा तक पहुंच और परस्पर चर्चाओं को सक्षम करता है. यह डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण खुलेपन, नवाचार और निरंतर सहभागिता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और हमारे आंतरिक सामुदायिक बंधनों को मजबूती प्रदान करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की व्यापक **जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति** पहलों में एचआचर आपके द्वार पोर्टल और व्हिसलब्लोआर नीति शामिल है, जो संबंधित रिपोर्टिंग और समाधान हेतु सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है. ये पारदर्शिता-केंद्रित पहल पूरे संगठन में जवाबदेही और नैतिक आचरण को सुदृढ़ करती हैं.

### कर्मचारी का सम्मान एवं विकास

**पुरस्कार और सम्मान (आर&आर) कार्यक्रम** के अंतर्गत सभी संगठनात्मक स्तरों पर उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में **₹ 16.59 करोड़** वितरित किए गए, बैंक की कार्य-आवर्तन और कैरियर गतिशीलता के अवसर विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में ज्ञानार्जन और नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जो डिजिटल, कार्यात्मक और व्यवहारवादी शिक्षण मॉड्यूल को कवर करने वाले व्यापक प्रशिक्षण तंत्र द्वारा समर्थित है.

### व्यापक कल्याण ढाँचा

सभी कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के लिए **स्वास्थ्य बीमा कवरेज**, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए **विशेष स्वास्थय देखभाल योजनाओं** और कर्मचारियों की 9-14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए **"सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण हेतु प्रतिपूर्ति योजना"** की शुरुआत के माध्यम से कर्मचारी कल्याण पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है.

**कर्मचारी सहायता कार्यक्रम – यूनियन स्वर** व्यापक शारीरिक और मानसिक कल्याण सहायता प्रदान करता है, जिसमें योग सत्र, पोषण विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ वर्चुअल परामर्श, ध्यान सत्र और कर्मचारियों और आश्रितों के लिए अनाम परामर्श सेवाएं शामिल हैं.

---

## ग्राहक अनुभव में सुधार

### असाधारण डिजिटल-फर्स्ट बैंकिंग प्रदान करना

यूनियन बैंक की ग्राहक संबंध कार्यनीति निरंतर नवाचार के माध्यम से संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है, जो ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई मजबूत और अनुकूलित प्रणालियों द्वारा समर्थित है. बैक की प्रोद्योगिकी, व्यक्तिगत सेवा और दूरदर्शी कार्यनीतियों का मिश्रण यह सुनिश्चित करता है कि हम स्थायी सबंध बनाते समय अपेक्षाओं को पार कर जाएं.

### प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा उत्कृष्टता

**स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) प्रक्रिया** के कार्यान्वयन की बैंक की कार्यनीति ने मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करके, तेजी से सेवा वितरण को सक्षम करके और सहज डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से संतुष्टि में सुधार करके ग्राहक अनुभव में क्रांति ला दी है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान लागू की गई **15+ डिजिटल प्रक्रियाएँ** ग्राहक-केंद्रित नवाचार के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है.

**यूनियन वर्चुअल कनेक्ट (यूवीकॉन)- व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने 2.45 करोड़ पुछताछ/ अनुरोधों** को पूरी किया हैं, जबकि **गूगल बिजनेस मैसेज (जीबीएम) प्लेटफॉर्म 5.3 लाख उपयोगकर्ताओं** को जोड़ता है, जिसमें **2.31 लाख** लाइव एजेंट सेवाओं का उपयोग करते हैं. ये बहु-चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में बैंकिंग उत्पाद और सेवा की जानकारी तक पहुंच को सक्षम करते हैं

### समावेशी बैंकिंग नेतृत्व

**"यूनियन एक्सेस"** वर्ष 2022 में शुरु की गई बैंक की प्रमुख सुगम्य बैंकिंग पहल का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है. दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लिकेशन को अपग्रेड करने और वैश्विक डब्ल्यूसीएजी सुगम्यता दिशानिर्देशों के अनुसार हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट को पुन: डिजाइन करने के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025 में बैंक की प्रतिबद्धता दृढ़ हुई है.

**उद्योग सम्मान:** बैंक की सुगम्यता पहल ने पुर्तगाल (अक्टूबर 2024) में **कोरस इंफोसिस फिनेकल बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड में सामाजिक, संवहनीय और जिम्मेदार बैंकिंग में कांस्य पुरस्कार** अर्जित कर **अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा** प्राप्त की है. बैंक ने अहमदाबाद के वस्त्रपुर में ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन में **भारत का पहला सुगम्य और बोलने वाला एटीएम** स्थापित किया है.

### ग्राहक सेवा उत्कृष्टता

बैंक का व्यापक **शिकायत निवारण तंत्र** पूर्वनिर्धारित टर्नअराउंड समय के साथ संरचित एस्केलेशन मैट्रिक्स के माध्यम से संचालित होता है, जिससे कुशल समस्या समाधान सुनिश्चित होता है. **सीआरएम एज़ प्रणाली** फोन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पत्र, ईमेल और सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म सहित कई माध्यमों से एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रदान करता है.

**वित्तीय वर्ष 2025 में शिकायत निष्पादन:** बैंक को **5,66,215 शिकायतें** प्राप्त हुई और **5,60,903** शिकायतों (आगे बढ़ाई गयी सहित) का सफलतापूर्वक समाधान किया गया, जो ग्राहकों की समस्याओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

---

## शेयरधारक मूल्य सृजन

**पारदर्शी संप्रेषण के माध्यम से विश्वास को बढ़ावा देना**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वार्षिक महासभा बैठकों, तिमाही आय बैठकें, निवेशक सम्मेलनों और व्यापक विनियामक प्रकटीकरण के माध्यम से शेयरधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखता है. हमारी कार्यनीति पहल दीर्घकालिक मूल्य निर्माण, मजबूत शासन, अनुपालन उत्कृष्टता, और संवहनीय नेतृत्व पर केंद्रित है.

**ईएसजी नेतृत्व एवं रिपोर्टिंग**

कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में में स्थापित एक **समर्पित ईएसजी कक्ष** सभी ईएसजी संबंधित गतिविधियों के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करता है. **"यूनियन ग्रीन हब"** पोर्टल क्षेत्र कर्मियों के लिए केंद्रीकृत ईएसजी ज्ञान प्रदान करता है, जो संवहनीयता और जिम्मेदार बैंकिंग के लिए बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है.

ईएसजी पहलों और उपलब्धियों को इस वेब पोर्टल पर मुख्य रूप से प्रकट किया गया है, जो संवहनीय और जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है. यह पारदर्शिता पर्यावरण, सामाजिक और शासन आयामों में नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए निवेशकों में विश्वास पैदा करती है.

---

## सामुदायिक निवेश और समाजिक प्रभाव

**यूनियन बैंक सोशल फाउंडेसन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी)**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्वेच्छापूर्वक पिछले वर्ष के निवल लाभ का 1% तक अपने समर्पित **यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी)** के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करता है. 2 मार्च, 2006 को स्थापित और आयकर अधिनियम की धारा 12 एए और 80जी के अंतर्गत पंजीकृत, यूबीएफएसटी धर्मार्थ गतिविधियों को पूरा करने के लिए बैंक की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है.

**वित्तीय वर्ष 2025 में सीएसआर निवेश:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूबीएसफटी को **₹121.40** करोड़ का योगदान दिया था, जिसमें से **₹37.70 करोड़ 89 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए थे** और **₹25.47 करोड़ 70 परियोजनाओं के लिए वितरित किए गए थे.**

**सीएसआर पोर्टफोलियो वितरण और प्रभाव**

| केन्द्रित क्षेत्र | परियोजनाएं | निवेश (₹ करोड़) | प्रमुख पहल |
|---|---|---|---|
| स्वास्थ्य | 21 | 15.46 | 13 एम्बुलेंस (₹3.01 करोड़), एमआरआई स्कैनर, सीटी स्कैन मशीन, कैंसर देखभाल उपकरण |
| कौशल विकास | 3 | 12.25 | आरसेटी प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक विकास |
| शिक्षा | 29 | 3.07 | इंटरएक्टिव स्मार्ट पैनल, विज्ञान प्रयोगशालाएं, बुनियादी ढाँचे का विकास |
| सामुदायिक विकास | 19 | 3.24 | ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, महिला सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति |
| स्वच्छता | 8 | 2.26 | सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण |
| पर्यावरण संरक्षण | 5 | 1.14 | सौर पैनल लगाना, वृक्षारोपण |
| शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता | 3 | 0.08 | एक्सेसीबिलिटी अवसंरचना |
| धरोहर | 1 | 0.20 | सांस्कृतिक विरासत संरक्षण |
| **कुल** | **89** | **37.70** | **व्यापक सामाजिक प्रभाव** |

**शिक्षण एवं कौशल विकास उत्कृष्टता**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिक्षा पहल अल्पसेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है. **16 संस्थानों** को **₹1.29 करोड़** के बुनियादी अवसंरचना में निवेश से लाभ हुआ, जबकि 10 स्कूलों को प्रत्यक्ष छात्र लाभ के लिए ₹1.60 करोड़ मिले. सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छता सुविधा के लिए **₹2.26 करोड़** का निवेश विशेष रूप से बालिकाओं के उच्च उपस्थिति दर को प्रोत्साहित करता है.

**छात्रवृत्ति कार्यक्रम**: बैंक ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले **28 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 1.40 करोड़** प्रदान किए. प्रत्येक छात्र पांच साल के लिए सालाना ₹ 1.00 लाख प्राप्त करेंगे, जो अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति बैंक की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

**स्वास्थय सेवा अवसंरचना का विकास**

बैंक के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान से देश भर में चिकित्सा अवसंरचना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. प्रमुख निवेशों में **₹9.60 करोड़** महत्वपूर्ण स्वास्थय जांच उपकरण जैसे मैग्नेटॉम सेम्प्रा 1.5 टी एमआरआई स्कैनर, 128-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन और डायग्नोस्टिक उपकरण शामिल हैं. **₹3.01 करोड़** मूल्य की **13 कस्टम-बिल्ट एम्बुलेंस** का दान विभिन्न स्थानों पर आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है.

**ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)**

**32 आरसेटी** (अग्रणी बैंक जिलों में 25) के माध्यम से, बैंक ने **75% नियोजन अनुपात** के साथ **2,92,535 उम्मीदवारों** को प्रशिक्षित किया है. बैंक के व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल में व्यावसायिक और उद्यमशीलता कौशल शामिल हैं जिनमें सिलाई, लघु व्यवसाय प्रबंधन और स्थानीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप व्यापार शामिल हैं. कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 71% महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है.

**उपकरण सहायता:** सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर, बैंक चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक टूल एवं उपकरण जैसे सिलाई मशीन प्रदान करता है, जिससे तत्तकाल आय-सृजन गतिविधियों को सक्षम किया जा सकता है और आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान दिया जा सकता है.

## विनियामक अनुपालन उत्कृष्टता

**सामाजिक पूंजी फाउंडेशन के रूप में विनियामक संबंध**

बैंक का विनियामक अनुपालन ढाँचा सामाजिक और संबंध पूंजी की आधारशिला के रूप में कार्य करता है. पारदर्शी अनुपालन प्रथाओं, सक्रिय विनियामक जुड़ाव और नैतिक शासन प्रतिबद्धता के माध्यम से, बैंक सभी हितधारकों के लिए विश्वास, स्थिरता और दीर्घकालिक मूल्य को सुदृढ़ करता है.

**अनुपालन अवसंरचना**

**स्वतंत्र अनुपालन विभाग** विभिन्न कानूनों, विनियमों और विनियामक प्राधिकरण निर्देशों के तहत अनुपालन आवश्यकताओं को परिभाषित करता है, निगरानी और समीक्षा करता है. यह संरचित दृष्टिकोण जवाबदेही, पारदर्शिता और सक्रिय जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जो विनियामकों और हितधारकों के साथ विश्वास बनाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

**बोर्ड-स्तर पर्यवेक्षण:** वरिष्ठ प्रबंधन के सहयोग से निदेशक मंडल, अनुपालन कार्यनिष्पादन और जोखिम गवर्नेंस की देखरेख करता है. उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है कि विनियामक आवश्यकताओं को सत्यनिष्ठा और तत्परता के साथ पूरा किया जाए, नैतिक आचरण और पारदर्शिता संस्कृति को मजबूत किया जाए.

**प्रमुख अनुपालन ढाँचे**

| अनुपालन क्षेत्र | कार्यान्वयन | प्रभाव |
|---|---|---|
| ग्राहक संरक्षण | उचित प्रथाएं संहिता, मजबूत शिकायत तंत्र, पारदर्शी प्रकटीकरण | ग्राहक विश्वसनीयता में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण |
| साइबर सुरक्षा एवं आईटी गवर्नेंस | आरबीआई दिशानिर्देश अनुपालन, डिजिटल भुगतान सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल | हितधारक विश्वास, परिचालन लचीलापन, डिजिटल सत्यनिष्ठा |
| जोखिम प्रबंधन | शीघ्र पहचान ढाँचे, रोकथाम प्रोटोकॉल, बोर्ड पर्यवेक्षण | विनियामक अनुपालन में वृद्धि, हितधारक विश्वास |
| विनियामक रिपोर्टिंग | आरबीआई, सेबी, अन्य को समय पर, सटीक वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना | पारदर्शिता. जवाबदेही, मजबूत गवर्नेंस |

**सामाजिक एवं संबंध पूंजी कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड वित्तीय वर्ष 2025**

| कार्यनिष्पादन मैट्रिक | उपलब्धि | हितधारक पर प्रभाव |
|---|---|---|
| कर्मचारी सहभागिता | ₹16.59 करोड़ के पुरस्कार वितरित किए गए | कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण में वृद्धि |
| ग्राहक सेवा उत्कृष्टता | 2.45 करोड़ व्हाट्सएप पूछताछ में सहायता की गई | ग्राहक अनुभव और सुगम्यता में सुधार |
| डिजिटल नवाचार | 15+ डिजिटल प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन | ग्राहक सुविधा और जुड़ाव में वृद्धि |
| सीएसआर निवेश | यूबीएसएफटी में ₹121.40 करोड़ का योगदान दिया गया | महत्वपूर्ण सामुदायिक विकास प्रभाव |

| कार्यनिष्पादन मैट्रिक | उपलब्धि | हितधारक पर प्रभाव |
|---|---|---|
| परियोजना कार्यान्वयन | 89 स्वीकृत परियोजनाएं (₹37.70 करोड़) | केन्द्रित क्षेत्रों में विविध सामाजिक प्रभाव |
| कौशल विकास | आरसेटी के माध्यम से 2,92,535 उम्मीदवार प्रशिक्षित | आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता |
| स्वास्थ्य अवसंरचना | ₹15.46 करोड़ के चिकित्सा उपकरण दान किए गए | अल्प-सेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंच में वृद्धि |
| शैक्षणिक सहायता | राज्य में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 28 छात्रों को ₹1.40 करोड़ की छात्रवृत्ति | दीर्घकालिक शैक्षणिक उत्कृष्टता |
| सुगम्यता नेतृत्व | भारत का पहला बोलने वाले एटीएम की स्थापना | समावेशी बैंकिंग नवाचार |
| शिकायत समाधान | 5,60,903 शिकायतों का समाधान | ग्राहक संतुष्टि एवं विश्वास का निर्माण |

## सामाजिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार एवं सम्मान

**उद्योग नेतृत्व सम्मान**

**कोरस इंफोसिस फिनेकल बैंकिंग इनोवेशन पुरस्कार 2025:** "यूनियन एक्सेस- सुगम्य बैंकिंग कार्यक्रम" के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए की गयी पहल के लिए **समाजिक, संवहनीय और जिम्मेदार बैंकिंग (पुर्तगाल) में कांस्य पुरस्कार.**

**ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल पुरस्कार 2024:** साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मान, उन्नत सुरक्षा उपायों के माध्यम से हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

## कार्यनीतिक दृष्टिकोण एवं यूएन एसडीजी संरेखण

**एसडीजी एकीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रभाव**

बैंक की सामाजिक और संबंध पूंजी पहल यूएन के कई संवहनीय विकास लक्ष्यों में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती है:

**एसडीजी 1 (गरीबी में कमी):** कमजोर वर्गों को ₹ 79,473 करोड़ और अल्पसंख्यक समुदायों को ₹ 44,562 करोड़ के ऋण

**एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा):** ₹ 15,912 करोड़ शिक्षा ऋण और व्यापक शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे के लिए सहयोग

**एसडीजी 5 (लैंगिक समानता):** महिला लाभार्थियों को ₹ 1,39,406 करोड़ ऋण और आरसेटी प्रशिक्षण में महिलाओं की 71% भागीदारी

**एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास):** ₹ 1,36,423 करोड़ एमएसएमई अग्रिम और व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम

**एसडीजी 10 (असमानता में कमी):** सुगम्य बैंकिंग पहल और समावेशी वित्तीय सेवाएं

**एसडीजी 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी):** सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ कार्यनीतिक सहयोग

**भविष्य की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं**

बैंक की सामाजिक और संबंध पूंजी कार्यनीति **डिजिटल पहुंच में वृद्धि, सीएसआर निवेश में वृद्धि, मजबूत सामुदायिक भागीदारी** और **नवाचारी वित्तीय समावेशन उत्पादों** के माध्यम से विस्तार करना जारी रखेगी. इसके अतिरिक्त, बैंक **समाज की भलाई के लिए प्रोद्योगिकी का उपयोग, ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रमों का विस्तार करेगा** और सभी टचपॉइंट्स पर **हितधारकों की भागीदारी को मजबूत करेगा**.

सभी हितधारक चर्चाओं में **ईएसजी सिद्धांतों** का एकीकरण, **समुदाय-केंद्रित बैंकिंग समाधानों** का विकास और सामाजिक प्रभाव के लिए **यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट** की स्थापना यूनियन बैंक को जिम्मेदार बैंकिंग और संवहनीय विकास में नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रदर्शित करेगी.

कार्यनीतिक समाजिक और संबंध पूंजी परिनियोजन के माध्यम से, यूनियन बैंक असाधारण हितधारक अनुभव और संवहनीय दीर्घकालिक विकास प्रदान करते हुए विश्वास का निर्माण करना, साझा मूल्य का निर्माण और भारत के सामाजिक-आर्थिक सुधार में सार्थक योगदान देना जारी रखता है.

# विनिर्मित पूंजी

## पर्यावरण के प्रति जागरूक वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा

**भूमिका**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हमारी विनिर्मित पूंजी समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन के रूप में कार्य करती है, जिसमें पूरे देश में मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यनीतिक रूप से स्थित एक विशाल और विविध बुनियादी ढाँचा नेटर्वक शामिल है. हम डिजिटल भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग और सूक्ष्म वित्तीयन समाधानों सहित नवीन और सुगम्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं.

यूबीआई अपने परिचालन में संवहनीयता और पर्यावरणीय प्रबंधन को प्राथमिकता देता है, अपने पारिस्थितिकी फुटप्रिन्ट को कम करते हुए ग्राहकों को असाधारण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है. बैंक वित्तीय समावेशन, उद्यमिता का समर्थन और लाखों ग्राहकों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इस प्रकार देश के वित्तीय परिदृश्य को आकार देने और अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

**अवसंरचना अवलोकन**

| अवसंरचना घटक | ब्यौरा |
|---|---|
| शाखाएं | 8,621 |
| एटीएम | 8,910 |
| शाखा वितरण | ग्रामीण (30%) • अर्ध-शहरी (29%) •शहरी (20%) • मेट्रो (21%) |
| विदेश में शाखाएं | दुबई एवं सिडनी |
| कारोबार प्रतिनिधि | 23,500+ |
| कर्मचारी | 73,900+ |
| एमएसएमई ऋण केंद्र | 135 |
| यूनियन एमएसएमई फर्स्ट शाखाएं | 114 |
| खुदरा ऋण केंद्र | 137 |
| कृषि ऋण केंद्र | 54 |
| स्वर्ण ऋण केंद्र | 1,685 |
| एसएएमबी एवं एआरबी | 3 एसएएमबी एवं 30 एआरबी |
| एलसीबी एवं एमसीबी | 12 एलसीबी एवं 38 एमसीबी |

**सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम**

**5 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां** (एक लंदन, यूनाइटेड किंगडम सहित):

- यूनियन आस्ति प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
- आंध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड
- यूबिआई सर्विसेज लिमिटेड

**3 संयुक्त उद्यम** (मलेशिया में एक संयुक्त उद्यम सहित):

- स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहाद

**सहयोगी संस्था:** चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

**मुख्य कार्यनिष्पादन हाइलाइट्स वित्तीय वर्ष 2025**

1. समग्र कारोबार में 5 वां सबसे बड़ा पीएसबी
2. संवहनीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए **₹27,668 करोड़** की स्वीकृति
3. कार्बन फुटप्रिन्ट को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के अंतर्गत **₹779 करोड़** की स्वीकृति
4. यूनियन ग्रीन होम्स के अंतर्गत **₹197 करोड़** स्वीकृत किए गए, जो संवहनीय जीवनशैली के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है
5. गृह ऋण में **₹94,825 करोड़**, आवास की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन का प्रदर्शन करता है
6. कुल खुदरा ऋण में **₹2,16,777 करोड़, 22.14% वर्ष दर वर्ष वृद्धि** को दर्शाता है
7. पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से **₹1,428 करोड़** और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से **₹173 करोड़** का वित्तपोषण किया गया
8. शैक्षणिक ऋण के अंतर्गत **₹15,912 करोड़** का वित्तपोषण, शैक्षणिक उन्नति का समर्थन
9. कृषि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए **₹1,61,864 करोड़** और लघु और सीमांत किसानों को **₹ 74,261 करोड़** का वित्तपोषण किया गया
10. **12.50% वर्ष दर वर्ष वृद्धि** के साथ कुल एमएसएमई अग्रिम **₹1,36,423 करोड़**
11. व्योम और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर **46.19 लाख ग्राहक**
12. 31 मार्च, 2025 तक पीएमजेडीवाई खातों में कुल शेष राशि **₹13,266 करोड़**
13. वित्तीय वर्ष 2025 में ट्रेजरी परिचालन से कुल आय **₹32,848 करोड़**

## अग्रिम पोर्टफोलियो

**1. कॉर्पोरेट ऋण**

यूबीआई की कॉर्पोरेट ऋण क्षमताएं हमारी विनिर्मित पूंजी की आधारशिला हैं, जो बैंक को भारत और विदेशों में कारोबार का सहयोग करने में सक्षम बनाती है. प्रमुख बाजारों में मजबूत उपस्थिति के साथ, हम नवाचारी वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं.

**ग्लोबल पहुंच:** पूरे भारत में 12 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं और 38 मिड कॉर्पोरेट शाखाओं सहित 8,621 शाखाओं का हमारा नेटवर्क, साथ ही दुबई, सिडनी, लंदन (यूके सहायक कंपनी) और मलेशिया (संयुक्त उद्यम) में उपस्थिति, हमें वैश्विक महत्वाकांक्षाओं वाले कारोबार का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है.

**2. एमएसएमई अग्रिम**

हमारी एमएसएमई ऋण क्षमताएं हमारी विनिर्मित पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जो पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित और उन्नति करने हेतु सशक्त बनाती हैं.

**वित्तीय वर्ष 2025 कार्यनिष्पादन:**

| एमएसएमई श्रेणी | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2025 (₹ करोड़) | % वृद्धि |
|---|---|---|---|
| सूक्ष्म | 61,362 | 68,416 | 11.49% |
| लघु | 37,582 | 43,896 | 16.80% |
| मध्यम | 22,325 | 24,111 | 8.00% |
| **कुल एमएसएमई** | **1,21,269** | **1,36,423** | **12.50%** |

**विशेष एमएसएमई पहल**

**एमएसएमई दिवस:** क्षेत्रीय कार्यालय की भागीदारी के साथ शाखा स्तर पर आउटरीच कैंप आयोजित करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है.

**स्वीकृत ऋण गारंटी योजनाएं (वित्तीय वर्ष 2024-25):**

| योजनाएं | खाते | राशि (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| सीजीटीएमएसई | 3,02,552 | 17,481 |
| सीजीएफएमयू (कृषि से संबंधित सहित) | 3,88,215 | 31,613 |
| **कुल** | **6,90,767** | **49,094** |

**विशिष्ट एमएसएमई अवसंरचना:**

- **यूनियन एमएसएमई ऋण केंद्र:** ₹36,293 करोड़ स्वीकृत
- **यूनियन एमएसएमई फर्स्ट शाखाएं:** ₹12,230 करोड़ स्वीकृत

**विशिष्ट एमएसएमई योजनाएं (वित्तीय वर्ष 2025):**

| योजना | स्वीकृत खाते | राशि (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| यूनियन एमएसएमई सुविधा | 4,267 | 3,361 |
| यूनियन नारी शक्ति | 20,820 | 2,577 |
| यूनियन इक्विपमेंट फाइनेंस | 1,127 | 744 |
| यूनियन आयुष्मान प्लस | 483 | 334 |
| यूनियन कांट्रैक्टर | 436 | 604 |
| यूनयन टेक्सटाइल | 882 | 613 |
| यूनियन एमएसई सपोर्ट | 512 | 579 |
| **कुल** | **28,527** | **8,812** |

**क्लस्टर विकास कार्यनीति:** वित्तीय वर्ष 2025 में ₹1,441 करोड़ की कुल स्वीकृति के साथ पूरे भारत में 20 अनुमोदित क्लस्टर-विशिष्ट योजनाएं.

### 3. खुदरा अग्रिम

गृह और शिक्षा ऋण केंद्रित उत्पादों सहित, खुदरा ऋण बैंक के कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का लगभग 23% है.

**वित्तीय वर्ष 2025 खुदरा कार्यनिष्पादन:**

| ऋण का प्रकार | वित्तीय वर्ष 2024 (₹ करोड़) | वित्तीय वर्ष 2025 (₹ करोड़) | वृद्धि(₹ करोड़) | % वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| गृह ऋण | 86,079 | 94,825 | 8,746 | 10.16% |
| वाहन ऋण | 20,340 | 22,462 | 2,122 | 10.43% |
| शैक्षणिक ऋण | 14,068 | 15,912 | 1,845 | 13.12% |
| बंधक ऋण | 15,043 | 16,152 | 1,109 | 7.37% |
| वैयक्तिक ऋण | 11,450 | 11,225 | -226 | -1.97% |
| अन्य | 30,508 | 56,202 | 25,693 | 84.22% |
| **कुल खुदरा (पीडब्ल्यूओ को छोड़कर)** | **1,77,488** | **2,16,777** | **39,289** | **22.14%** |

### 4. कृषि अग्रिम

31 मार्च, 2025 तक कृषि अग्रिम घरेलू अग्रिमों का 18.87% है. हमने कृषि प्राथमिकता के अंतर्गत 18% के वैधानिक लक्ष्य के सापेक्ष एएनबीसी का 18.92% हासिल किया.

**कृषि पोर्टफोलियो (वित्तीय वर्ष 2025):**

| श्रेणी | राशि (₹ करोड़) | % शेयर |
|---|---|---|
| फॉर्म ऋण (फसल, निवेश एवं संबंधित) | 1,44,214 | 80.80% |
| कृषि सहायक गतिविधियां | 32,505 | 18.21% |
| कृषि अवसंरचना | 1,760 | 0.99% |
| **कुल कृषि अग्रिम** | **1,78,479** | **100.00%** |

**प्रमुख कृषि उपलब्धियां:**

- लघु और सीमांत किसानों को ऋण: ₹ 74,261 करोड़ रुपए (एएनबीसी का 8.68% )
- पीएसएलसी- लघु एवं सीमांत किसान बिक्री :₹50,000 करोड़
- नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए: ₹7,079 करोड़ राशि के 3.38 लाख

**5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण**

**प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र कार्यनिष्पादन (वित्तीय वर्ष 2025):**

| श्रेणी | राशि (₹ करोड़) | एएनबीसी का % | बेंचमार्क | वर्ष दर वर्ष वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण | 3,79,092 | 44.31% | 40% | 16% |
| कृषि | 1,61,864 | 18.92% | 18% | 3% |
| लघु एवं सीमांत किसान | 74,261 | 8.68% | 10% | -29%* |
| सूक्ष्म उद्यम | 76,344 | 8.92% | 7.50% | 6% |

*पीएसएलसी के बाद एसएमएफ में ₹50,000 करोड़ की बिक्री

**समाजिक उत्थान पहल**

**सामाजिक विकास के लिए विशिष्ट उधार:**

- **महिला लाभार्थी:** ₹ 1,39,406 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 7.8% की वृद्धि)
- **अलपसंख्यक समुदाय:** ₹ 44,562 करोड़
- **कमजोर वर्ग:** ₹79,473 करोड़

**ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):**

- 32 आरसेटी स्थापित (लीड बैंक जिलों में 25)
- 2,92,353 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया
- 2,19,268 उम्मीदवारों का नियोजन (75% नियोजन अनुपात)

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):**

- प्रायोजक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी)
- आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में 276 सीबीएस शाखाएं
- कारोबार वृद्धि: 17.85% से ₹ 25,272.67 करोड़

# जमा एवं कासा

**1. कासा कार्यनिष्पादन**

**31 मार्च, 2025 तक कासा स्थिति:**

- कासा शेष राशि: ₹ 4.26 लाख करोड़
- कासा अनुपात: 33.52%

**यूनियन लीप पहल:** हमारी महत्वपूर्ण कासा परिवर्तन परियोजना – **देयता वृद्धि, अधिग्रहण और संरक्षण-** वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने और बाजार नेतृत्व हासिल करने की दिशा में हमारे प्रगतिशील कदम को दर्शाती है.

**कार्यनीतिक कासा पहल:**

- नए ग्राहक अर्जन के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग चैनल
- उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए संबंध प्रबंधक मॉडल
- विशेष रूप से तैयार बैंकिंग समाधानों के लिए व्यापक ग्राहक जुड़ाव

**2. मीयादी जमा कार्यनिष्पादन**

**मीयादी जमा वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)**

| मानदंड | मार्च-21 | मार्च-22 | मार्च-23 | मार्च-24 | मार्च-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| खुदरा मीयादी जमा | 3,93,473 | 4,47,285 | 4,41,287 | 4,58,949 | 4,98,255 |
| बल्क जमा | 1,92,562 | 2,07,716 | 2,70,837 | 3,30,178 | 3,47,248 |
| मीयादी जमा | 5,86,035 | 6,55,001 | 7,12,124 | 7,89,127 | 8,45,503 |
| **कुल जमा** | **9,21,633** | **10,32,102** | **11,17,716** | **11,99,199** | **12,71,745** |

## अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

**ए. व्यापार वित्त**

हमारे व्यापक नेटवर्क में 119 अधिकृत डीलिंग शाखाएं, केंद्रीकृत व्यापार वित्त बैक कार्यालय और केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक कार्यालय शामिल हैं, जो निर्यातकों और आयातकों के लिए व्यापक व्यापार वित्त समाधान सक्षम करते हैं.

**बी. वैश्विक भुगतान और सेवाएं**

**अंतर्राष्ट्रीय विनिमय वोस्ट्रो शाखा (आईईवीबी):**

- वोस्ट्रो तंत्र के तहत 7 विदेशी बैंक खाते
- रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत 1 एक्सचेंज हाउस खाता
- विशिष्ट रुपया वोस्ट्रो तंत्र के अंतर्गत 2 विदेशी बैंक खाता

**प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध**

- 93 देशों में 794 बैंकों के साथ आरएमए संबंध
- 15 विभिन्न मुद्राओं में 34 बैंकों के साथ नोस्ट्रो खाते

**सी. निर्यात ऋण बाजार हिस्सेदारी वृद्धि**

- **मार्च 2024:** 8.12% बाजार हिस्सेदारी (₹17,647 करोड़)
- **मार्च 2025:** 10.98% बाजार हिस्सेदारी (₹ 23,684 करोड़)
- **वृद्धि:** 34.12%

**डी. नई अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पहल**

- 5000 यूएसडी तक के आवक प्रेषण के लिए स्वत: क्रेडिट
- विदेशी आवक प्रेषण रसीदों के लिए एमएमएस अलर्ट

## ट्रेजरी परिचालन

**वित्तीय वर्ष 2025 में ट्रेजरी कार्यनिष्पादन:**

| ब्याजेतर ट्रेजरी आय | वित्तीय वर्ष 2025 (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| निवेश की बिक्री पर लाभ | 2,103.00 |
| विनिमय लाभ (विदेशी मुद्रा) | 907.00 |
| निवेश मूल्यह्रास/प्रतिवर्तन | 1,175.00 |
| **कुल ब्याजेतर ट्रेजरी आय** | **4,186.00** |

## संपदा प्रबंधन एवं संपर्क बैंकिंग

**तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण (वित्तीय वर्ष 2025):**

| उत्पाद | वित्तीय वर्ष 2024 (₹ करोड़) | वित्तीय वर्ष 2025 (₹ करोड़) | % वृद्धि |
|---|---|---|---|
| जीवन बीमा | 278.40 | 451.47 | 62.17% |
| गैर-जीवन बीमा | 29.76 | 37.16 | 24.88% |
| स्वास्थ्य बीमा | 54.49 | 53.10 | -2.55% |
| म्यूचुअल फंड | 20.80 | 29.74 | 42.95% |
| मर्चेंट बैंकिंग | 5.06 | 7.45 | 47.23% |
| **कुल** | **388.50** | **578.91** | **49.01%** |

**नए उत्पाद की पेशकश:**

- एसयूडी लाइफ एवं इंडिया फर्स्ट लाइफ के द्वारा जीवन बीमा एनएफओ
- यूनियन सुरक्षा (मणिपाल सिग्ना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा)
- यूनियन कैंसर सुरक्षा (कैंसर लाभ उत्पाद)
- चार म्यूचुअल फंड एनएफओ पेश किए गए
- व्योम मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से 3-इन-1 खाता

## जलवायु कार्रवाई एवं संवहनीयता

यूनियन बैंक जलवायु परिवर्तन को हल करने और संवहनीयता को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता को पहचानता है. हम 2035 तक **स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन के लिए अपने परिचालन में नेट-जीरो** प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो वैश्विक 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा प्रयासों के साथ संरेखित है.

**यूएन एसडीजी संरेखण**

| एसडीजी | हमारा योगदान | वित्तीय वर्ष 2025 का प्रभाव |
|---|---|---|
| एसडीजी 1: गरीबी में कमी | वित्तीय समावेशन और लक्षित ऋण | कमजोर वर्ग हेतु: ₹79,473 करोड़;<br>अल्पसंख्यको हेतु: ₹44,562 करोड़ |
| एसडीजी 4: गूणवत्तापूर्ण शिक्षा | शैक्षणिक ऋण और अवसंरचान सहयोग | शिक्षा ऋण हेतु: ₹15,912 करोड़ |
| एसडीजी 5:लैंगिक समानता | महिला सशक्तिकरण पहल | महिला लाभार्थीयों हेतु: ₹1,39,406 करोड़ |
| एसडीजी 7: स्वच्छ ऊर्जा | नवीकरणीय ऊर्जा हेतु वित्तपोषण | नवीकरणीय ऊर्जा हेतु : ₹27,668 करोड़;<br>ईवी हेतु वित्तपोषण: ₹779 करोड़ |
| एसडीजी 8: आर्थिक विकास | एमएसएमई एवं विकास हेतु वित्तपोषण | एमएसएमई अग्रिम: ₹1,36,423 करोड़ |
| एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई | हरित वित्तपोषण एवं कार्बन में कमी | हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो: ₹28,742 करोड़ |
| एसडीजी 17: साझेदारी | कार्यनीतिक साझेदारी | पीसीएएफ हस्ताक्षरकर्ता, जीआईजेड साझेदारी, सीईईडब्ल्यू सहयोग |

**हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो**

- **हरित जमा:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 29.05 करोड़ नए जमा जुटाए गए
- **नवीकरणीय ऊर्जा वित्त:** ₹ 27,668 करोड़
- **यूनियन ग्रीन माइल्स:** ₹ 779 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए
- **यूनियन ग्रीन होम्स:** ₹ 197 करोड़ संवहनीय आवास के लिए

## पुरस्कार और सम्मान वित्तीय वर्ष 2025

**प्रमुख प्राप्त सम्मान**

1. **.सर्वश्रेष्ठ कार्यबल योजना 2024 के लिए एचडीएम पुरस्कार –** इंडिया कन्वेंशन (मार्च 2025)
2. **एशिया एल एंड डी नियोक्ता ब्रांडिंग पुरस्कार** (फरवरी 2025): :
   - o निरंतर ज्ञानार्जन और विकास में उत्कृष्टताt
   - o वर्ष का नेतृत्व विकास कार्यक्रम
3. **इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2024-** एकाधिक श्रेणी में विजेता:
   - o **प्लेटिनम:** इकोसिस्टम क्षेत्र में नवाचार, ईएसजी में नवाचार, आधुनिक प्रौद्योगिकी में नवाचार, उत्पाद में नवाचार
   - o **स्वर्ण:** कॉर्पोरेट बैंकिंग नवाचार
4. **कोरस-फिनेकल बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड 2024** – सामाजिक, संवहनीय और जिम्मेदार बैंकिंग में कांस्य पुरस्कार (पुर्तगाल)
5. **ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल अवार्ड 2024 –** साइबर सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्टता
6. **द ओपन ग्रुप इंडिया अवार्ड्स 2024 –** ओपेन स्टैंडर्ड्स में नवाचार और उत्कृष्टता
7. **फिनोविट्टी अवार्ड 2024 –** नवाचारी उत्पादों के लिए बैंकिंग फ्रंटियर्स सम्मान
8. **आईबीईएक्स इंडिया बीएफअसआई टेक अवार्ड 2025:**
   - o आईटी जोखिम और प्रबंधन – विजेता
   - o उभरती प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उपयोग – विशेष उल्लेख
   - o परिचालन क्षमता में उत्कृष्टता – विशेष उल्लेख
9. **एसकेओसीएच बीएफएसआई गोल्ड अवार्ड 2024 –** साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र
10. **एचआर उत्कृष्टता अवार्ड:**
    - o एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम अवार्ड
    - o स्वर्ण प्रशिक्षण उत्कृष्टता अवार्ड
    - o नवाचारी मानव संसाधन प्रथाओं के लिए एशियाई नेतृत्व पुरस्कार

**11. एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार वित्तीय वर्ष 23-24**

- o प्रथम स्थान –एमएसएमई के लिए अनुकूल सर्वश्रेष्ठ बैंक
- o उपविजेता – सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक

12. **एफआईईओ निर्यात उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार-** लगातार दो वर्ष 2020-21 एवं 2021-22

13. **अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सम्मान:**

- o स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग उत्कृष्टता पुरस्कार – सिटी बैंक
- o विशिष्ट गुणवत्ता सम्मान पुरस्कार – जेपी मॉर्गन

## कार्यनीतिक दृष्टिकोण

हमारी विनिर्मित पूंजी कार्यनीति निम्नलिखित पर केंद्रित है:

**डिजिटल परिवर्तन:** ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश.

**संवहनीय विकास:** हरित वित्तपोषण विकल्पों का विस्तार करना और भारत के कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन में सहयोग करना.

**अवसंरचना संवर्धन:** अधिकतम पहुंच और दक्षता के लिए हमारे शाखा नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफार्मों का अनुकूलन

**नवाचारी नेतृत्व:** अगली पीढ़ी की बैंकिंग सेवाओं के लिए एआई, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना.

**वित्तीय समावेशन:** अल्पसेवित समुदायों की सेवा करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाना.

हमारी मजबूत विनिर्मित पूंजी के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सभी हितधारकों को असाधारण मूल्य प्रदान करते हुए भारत के आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संवहनीयता और सामाजिक विकास के लिए मुख्य स्रोत के रूप में तैनात है.

| **जमा: ₹13,09.750 करोड़** | **अग्रिम: ₹9,82.894 करोड़** | |
|---|---|---|
| निवल लाभ: ₹17.987 करोड़ | सकल एनपीए: 3.60% | निवल एनपीए: 0.63% |

# आईएसएसबी एस1, आईएसएसबी एस2, जीआरआई एवं टीएनएफ़डी रिपोर्टिंग सूचकांक

## आईएसएसबी एस1 – संवहनीयता – संबंधित वित्तीय सूचना के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

### 1. गवर्नेंस

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| गवर्नेंस प्रक्रियाएँ, नियंत्रण, और कार्यवाहियाँ | बोर्ड- स्तरीय ईएसजी पर्यवेक्षण | 36-37 |
| | ईएसजी गवर्नेंस अवसंरचना | 36 |
| | ईएसजी कार्यनीतिक रोडमैप | 38 |
| संवहनीयता-संबंधित जोखिम एवं अवसरों का बोर्ड पर्यवेक्षण | बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) | 36 |
| | पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस संचालन समिति (ईएसजीएससी) | 36 |
| गवर्नेंस प्रक्रियाओं में प्रबंधन की भूमिका | ईएसजी कक्ष, आरएमडी | 36 |
| | कार्यान्वयन अवसंरचना | 37 |

### 2. कार्यनीति

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| संवहनीयता-संबंधित जोखिम एवं अवसर | मूल्य सृजन थीम | 21 |
| | कार्यनीति संदर्भ एवं बाह्य पर्यावरण | 22 |
| कारोबार मॉडल एवं मूल्य शृंखला | बैंक के मूल्य सृजन मॉडल | 21-22 |
| | पूंजी का परस्पर संबंध | 24 |
| कार्यनीति एवं निर्णयन | बैंक की प्रतिक्रिया कार्यनीति | 22 |
| | भावी मूल्य सृजन हेतु रोडमैप | 25 |
| वित्तीय स्थिति, कार्यनिष्पादन एवं नकदी प्रवाह | मूल्य सृजन परिणाम वित्तीय वर्ष 2025 | 24 |
| | वित्तीय कार्यनिष्पादन हाइलाइट्स वित्तीय वर्ष 2025 | 28 |

### 3. जोखिम प्रबंधन

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ | जोखिम प्रबंधन ढाँचा | 34 |
| | एकीकृत जोखिम दृष्टिकोण | 34 |
| जोखिम पहचान एवं मूल्यांकन | जलवायु जोखिम प्रबंधन उत्कृष्टता | 38 |
| | उच्च-प्रभाव क्षेत्र विश्लेषण | 39 |
| जोखिम प्राथमिकता एवं निगरानी | पर्यावरणीय सामाजिक ड्यू डिलिजेंस | 39 |
| | दबाव परीक्षण कार्यान्वयन | 46 |

**4. मेट्रिक्स एवं लक्ष्य**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| प्रगति को मापने का मेट्रिक्स | प्राकृतिक पूंजी केपीआई | 49 |
| | कार्यनिष्पादन माप एवं रिपोर्टिंग | 49 |
| संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य | नेट-जीरो प्रतिबद्धता 2035 | 44 |
| | भावी कार्यनीति प्राथमिकताएँ | 67 |
| उद्यम-आधारित मेट्रिक्स | जलवायु जोखिम डैशबोर्ड मेट्रिक्स | 50 |
| | यूएन एसडीजी संरेखण | 48, 62, 67, 74 |

## आईएसएसबी एस2 – जलवायु-संबंधित प्रकटीकरण

**1. गवर्नेंस**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| जलवायु-संबंधित जोखिम और अवसर पर बोर्ड पर्यवेक्षण | बोर्ड-स्तरीय ईएसजी पर्यवेक्षण | 36-37 |
| | जोखिम प्रबंधन समिति (जलवायु जोखिम) | 36 |
| जलवायु-संबंधित जोखिम आकलन में प्रबंधन की भूमिका | ईएसजी संचालन समिति | 37 |
| | ईएसजी कक्ष (कार्यान्वयन हब) | 37 |

**2. कार्यनीति**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| जलवायु-संबंधित जोखिम एवं अवसर | जलवायु-अनुकूल बैंकिंग | 23 |
| | संक्रमण योजना उत्कृष्टता | 43 |
| कारोबार मॉडल एवं मूल्य शृंखला | हरित वित्त पोर्टफोलियो नेतृत्व | 39 |
| | ग्राहक संक्रमण समर्थन ढाँचा | 43 |
| कार्यनीति एवं निर्णयन | जलवायु नेतृत्व कार्यनीति | 51 |
| | बाजार विकास कार्यनीति | 51 |
| वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह | जलवायु-संबंधित वित्तीय अवसर | 33 |
| | संवहनीय वित्तपोषण एकीकृत | 32 |

**3. जोखिम प्रबंधन**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| जलवायु जोखिम पहचान एवं आकलन | जलवायु जोखिम ढाँचा | 38 |
| | भौतिक जोखिम आकलन एवं संक्रमण जोखिम आकलन | 38 |
| जलवायु जोखिम प्राथमिकताएँ एवं निगरानी | वित्तपोषित उत्सर्जन पोर्टफोलियो (पीसीएएफ़ कार्यपद्धति) | 39 |
| | कारोबार में जलवायु जोखिम एकीकरण | 46 |
| जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया | परिदृश्य विश्लेषण ढाँचा | 46 |
| | दबाव परीक्षण कार्यान्वयन | 46 |

## 4. मेट्रिक्स एवं लक्ष्य

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| जीएचजी उत्सर्जन (स्कोप 1,2,3) | स्वयं परिचालन संवहनीयता | 44 |
| | वित्तपोषित उत्सर्जन पोर्टफोलियो | 39 |
| जलवायु-संबंधित लक्ष्य | नेट-जीरो प्रतिबद्धता 2035 | 44 |
| | नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना | 45 |
| जलवायु-संबंधित मेट्रिक्स | परिहार्य उत्सर्जन और सकारात्मक प्रभाव | 47 |
| | जलवायु जोखिम डैशबोर्ड मेट्रिक्स | 50 |
| संक्रमण योजना | उच्च-उत्सर्जन क्षेत्र परिवर्तन कार्यनीति | 43 |
| | नवाचार पाइपलाइन एवं भावी कार्यनीति | 51 |

## 5. जलवायु-संबंधित वित्तीय सूचना

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग / उप-अनुभाग | पेज संदर्भ |
|---|---|---|
| जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रभाव | हरित वित्त पोर्टफोलियो | 32 |
| | जलवायु-संबंधित वित्तीय अवसर | 33 |
| जलवायु परिदृश्य विश्लेषण | परिदृश्य विश्लेषण ढाँचा | 46 |
| | भौतिक मूल्यांकन आकलन | 46 |

# जीआरआई मानक सूचकांक

## जीआरआई 2: सामान्य प्रकटीकरण

### 2.1 संगठनात्मक विवरण

| प्रकटीकरण | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| 2-1 संगठनात्मक विवरण | कॉर्पोरेट सूचना | 3 |
| | अवसंरचना का संक्षिप्त विवरण | 68 |
| 2-2 संवहनीयता रिपोर्टिंग में शामिल संस्थाएं | सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम | 68-69 |
| 2-6 गतिविधियाँ, वैल्यू चेन और कारोबारी संबंध | बैंक का मूल्य सृजन मॉडल | 21-22 |
| | अवसंरचना का संक्षिप्त विवरण | 68 |

### 2.2 कार्यनीति, नीतियां और प्रथाएं

| प्रकटीकरण | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| 2-22 संवहनीय विकास कार्यनीति विवरण | मूल्य निर्माण की कहानी: भारत के संवहनीय भविष्य का निर्माण | 21 |
| | हमारा प्राकृतिक पूंजी दर्शन | 36 |
| 2-23 नीतिगत प्रतिबद्धताएं | आचार संहिता और गवर्नेंस | 61 |
| | संवहनीय वित्त ढाँचा | 48 |

### 2.3 हितधारक जुड़ाव

| प्रकटीकरण | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| 2-29 हितधारक जुड़ाव हेतु दृष्टिकोण | हितधारक जुड़ाव फ्रेमवर्क | 63 |
| | विस्तृत हितधारक कार्यनीति | 63 |

## जीआरआई 3: महत्वपूर्ण विषय

| प्रकटीकरण | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| 3-1 महत्वपूर्ण विषयों को निर्धारित करने की प्रक्रिया | भौतिकता और हितधारक प्राथमिकताएं | 25-26 |
| 3-2 महत्वपूर्ण विषयों की सूची | अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दे | 26 |

## आर्थिक कार्यनिष्पादन

| प्रकटीकरण | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन | वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें वि.व. 2025 | 28-31 |
| | राजस्व विविधीकरण और नवाचार | 31 |
| जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | सामुदायिक निवेश और सामाजिक प्रभाव | 65-66 |
| | प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | 71 |

## पर्यावरणगत

| मानक | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| जीआरआई 302: ऊर्जा | स्व-परिचालन संवहनीयता | 44-45 |
| | नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना | 45 |
| जीआरआई 305: उत्सर्जन | उत्सर्जन प्रोफाइल (वि.व.2025) | 44 |
| | वित्तपोषित उत्सर्जन पोर्टफोलियो | 39 |
| जीआरआई 308: आपूर्तिकर्ता पर्यावरण आकलन | वैल्यू चेन ईएसजी आकलन | 45 |

## सामाजिक

| मानक | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| जीआरआई 401: रोजगार | कर्मचारी प्रतिनिधित्व और समावेशन मेट्रिक्स | 60 |
| | मानव पूंजी कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड | 62 |
| जीआरआई 404: प्रशिक्षण और शिक्षा | ज्ञानार्जन और विकास उत्कृष्टता | 59 |
| | प्रशिक्षण और प्रभाव | 59 |
| जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर | विविधता, इक्विटी और समावेश नेतृत्व | 60 |
| | विशेष समावेशन पहल | 60 |
| जीआरआई 413: स्थानीय समुदाय | यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (UBSFT) | 65 |
| | सीएसआर पोर्टफोलियो और प्रभाव | 65 |
| जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता | साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता नेतृत्व | 57 |
| | उद्योग-अग्रणी अनुपालन और प्रमाणन | 57 |

# टीएनएफडी - प्रकृति से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल

**1. गवर्नेंस**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| प्रकृति से संबंधित निर्भरताओं, प्रभावों, जोखिमों और अवसरों की बोर्ड निगरानी | बोर्ड-स्तरीय ईएसजी निरीक्षण | 16-17 |
| | पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस संचालन समिति | 16 |
| प्रकृति से संबंधित मुद्दों का आकलन करने में प्रबंधन की भूमिका | ईएसजी सेल, आरएमडी | 16 |
| | परिचालन समितियां | 17 |

**2. कार्यनीति**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| प्रकृति से संबंधित निर्भरता, प्रभाव, जोखिम और अवसर | प्रकृति और जैव विविधता जोखिम आकलन | 22 |
| | जलवायु जोखिम में नवाचार - एंड-टू-एंड जलवायु जोखिम समाधान | 20-21 |
| कारोबार मॉडल और वैल्यू चेन | वैल्यू चेन ईएसजी आकलन | 25 |
| कार्यनीति और संसाधन आबंटन | हरित वित्त पोर्टफोलियो नेतृत्व | 19 |
| | संवहनीय वित्त वर्गीकरण प्रणाली | 20 |

**3. जोखिम और प्रभाव प्रबंधन**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| प्रकृति से संबंधित जोखिम और प्रभाव की पहचान और आकलन | टीएनएफडी एलईएपी दृष्टिकोण | 22 |
| | जोखिम प्रबंधन ढाँचा | 22 |
| प्रकृति से संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं | आकलन ढाँचा कार्यान्वयन | 22 |
| | गवर्नेंस और कार्यनीति | 22 |
| समग्र जोखिम प्रबंधन में एकीकरण | कारोबार में जलवायु जोखिम एकीकरण | 25 |
| | एकीकृत जोखिम दृष्टिकोण | 14 |

**4. मीट्रिक और लक्ष्य**

| प्रकटीकरण आवश्यकता | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| प्रकृति से संबंधित मेट्रिक्स | मेट्रिक्स और लक्ष्य | 22 |
| | कार्यनिष्पादन मापन और रिपोर्टिंग | 28 |
| प्रकृति से संबंधित लक्ष्य | भविष्य का विकास | 22 |
| | कार्यनीतिक प्राथमिकताएं | 6 |
| स्थान की जानकारी | लोकेट इंटरफेस | 22 |
| | भौगोलिक मैपिंग | 22 |

## अतिरिक्त टीएनएफडी-विशिष्ट प्रकटीकरण

| प्रकटीकरण क्षेत्र | अनुभाग/उप-अनुभाग | पृष्ठ संदर्भ |
|---|---|---|
| एलईएपी आकलन प्रक्रिया | प्रकृति और जैव विविधता जोखिम आकलन | 22 |
| परिदृश्य विश्लेषण | परिदृश्य विश्लेषण ढाँचा | 25 |
| पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भरता | जोखिम श्रेणियों का आकलन किया गया | 22 |
| प्रकृति पर प्रभाव | प्रमुख जोखिम श्रेणियों का आकलन किया गया | 22 |
| स्थान-आधारित आकलन | परियोजना स्थानों का भौगोलिक मैपिंग | 22 |

# पुरस्कार एवं **सम्मान**







Platinum Sponsors
accenture
EY Shape the future with confidence
KPMG
Red Hat
Qorus
Further. Faster. Together.
Finacle


FINNOVITI
Awarded to
Union Bank
Of India




2024 ELITE QUALITY
RECOGNITION
AWARD
J.P.Morgan
UNION BANK OF INDIA
U.S. DOLLAR CLEARING
MT103 99.49%


Qorus | Infosys | Finacle
Banking Innovation Awards 2024
Bronze Winner
Social, Sustainable
& Responsible Banking
यूनियन बैंक
Union Bank
Union Access Accessible
Banking Program


citi
Services
USD Payments
Straight Through Processing Excellence Award
Union Bank of India
Mumbai
2024
Commercial Payments STP Rate 99%+
Treasury Payments STP Rate 99%+
Aashish Mishra


Indian Micro Small & Medium Enterprises
in Association with

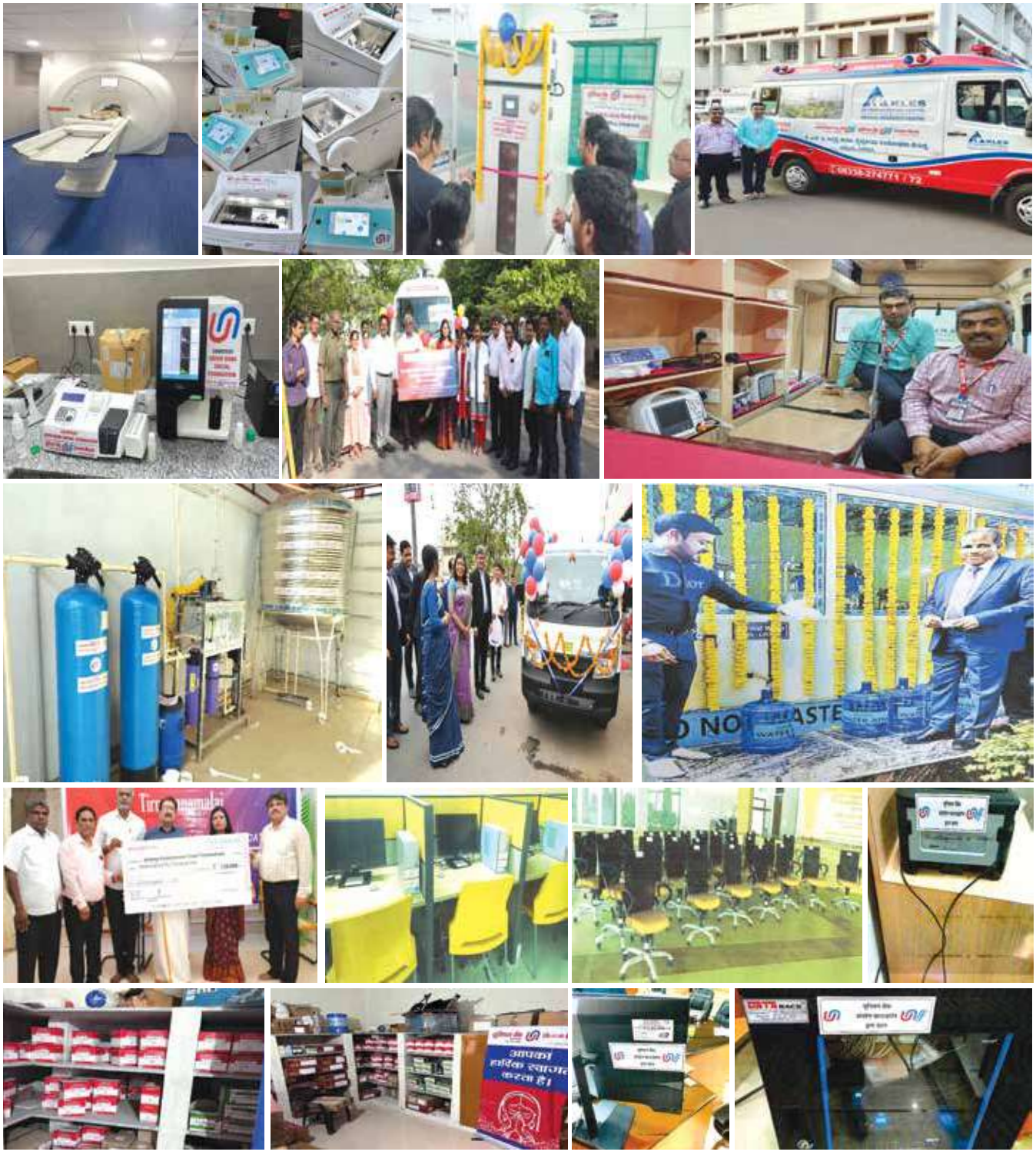



Infosys Finacle
INNOVATION AWARDS 2024
Congratulations
Union Bank of India
#InspiringBetterBanking


AWARD OF MERIT
TOGAF® Standard / Enterprise Architecture


2024 QUALITY RECOGNITION AWARD
J.P.Morgan
UNION BANK OF INDIA
EURO CLEARING
MT103 94.27%

# बैंक की सीएसआर गतिविधियाँ





Chennai Zone
Corporate Social Responsibility
Donation of Computer Laboratory Equipements for
Ramakrishna Mission Vidyapith, Chennai
Donated by :
UNION BANK OF INDIA





















# 23वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **23वीं (तेईसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 2025 को प्रात: 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थान) में **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से निम्नलिखित कारोबारों के लिए आयोजित की जाएगी:

## सामान्य कारोबार:

**मद क्र. 1**

दिनांक **31 मार्च, 2025** के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ व हानि खाते, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण.

**मद क्र. 2**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर ₹4.75/- का लाभांश घोषित करने हेतु.

## विशेष कारोबार:

**मद क्र. 3**

**बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/या अतिरिक्त टियर-1 /टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना.**

**विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:**

"**संकल्प किया कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("**अधिनियम**") की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("**योजना**") के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 ("**विनियमन**") एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ("**आरबीआई**"), भारत सरकार ("**जीओआई**"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [**सेबी (आईसीडीआर) विनियमन**] यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [**सेबी (एलओडीआर) विनियमन**] यथा संशोधित, सेबी (गैर-प्रवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021, यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन **बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल** (जिसे इसके बाद "**बोर्ड**" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तों के अधीन **राशि जो कि ₹6,000 करोड़ (रुपए छ: हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो** की पूंजी का भारत या भारत के बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते:

- ऐसे इक्विटी शेयर और/अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) **राशि जो कि ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो के इक्विटी शेयर जो ₹7633.60 करोड़ (रुपए सात हजार छ: सौ तैतीस करोड़ एवं साठ लाख मात्र)**, की विद्यमान चुकता इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल रु.10,000 करोड़ (रुपए दस हज़ार करोड़ मात्र) की प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की अधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा तक, या भविष्य में अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी की सीमा तक, इसमें जो भी अधिक है, इस प्रकार होगी कि किसी भी स्थिति में भारत सरकार हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 51% की अंशधारिता रखेगी.

- निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के बेमीयादी ऋण लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स जिसमें गौण डिबेंचर्स, बॉण्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए **राशि जो कि अतिरिक्त टियर-1 बॉण्ड के रूप में ₹2000 करोड़ (रुपए दो हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो एवं टियर-2 बॉण्ड के रूप में ₹1000 करोड़ (रुपए एक हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो**, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिह्नित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन/इंफ्रास्ट्रक्चर/विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर I या टियर II बॉण्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है. एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (**"एनआरआई"**), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), सोसाइटियों, ट्रस्टों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (**क्यूआईबी**) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (**"एफआईआई"**)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (**एफ़पीआई**), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी/ अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं.

**"पुन: संकल्प किया** कि इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) से हो सकता है; आगे सार्वजनिक ऑफर, प्रमोटर/प्रमोटर समूह के साथ या के बिना सार्वजनिक शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के लिए उनके अधिकार का निर्गम, डिपॉजिटरी रसीद/एडीआर/जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी स्थानन, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं या बैंक के कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा ऑफर, निर्गम, इक्विटी/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थानन या आबंटन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

**"पुन: संकल्प किया कि** उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में, बोर्ड को सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार होगा जो निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरीके से और जहां आवश्यक हों, लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/या ऐसे नियम व शर्तें जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी भी एवं सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार तय कर सकता है और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं."

**"पुन: संकल्प किया कि** सूचीबद्ध विनियमों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रुप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुरूप तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) और ऐसी शर्तों के अध्यधीन बोर्ड अपने विवेकानुसार समय-समय पर एक या अधिक किस्तों में इक्विटी शेयर या वारंट के अलावा कोई भी प्रतिभूति निर्गम, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है, जो बाद की तिथि पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या विनिमेय योग्य हैं, इस तरह से कि भारत सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूंजी का 51% से कम नहीं रखती है, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय I में परिभाषित किया गया है, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेखित है, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के माध्यम से तथा ऐसे तरीके से और ऐसे मूल्य, नियमों एवं शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों या कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं जो उस समय प्रचलित हो सकते हैं.

**"पुन: संकल्प किया कि** सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय I के अन्तर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

बी) बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत तक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तिथि, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी."

**"पुन: संकल्प किया कि** भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीबद्धता का अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त

प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड को होगा."

**"पुन: संकल्प किया कि** एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू हो सकता है, किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा लागू हो."

**"पुन: संकल्प किया कि** निर्गम किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998, यथासंशोधित, के अधीन होंगे तथा सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरुप होंगे एवं लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो, ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप पात्र होंगे."

**"पुनः संकल्प किया कि** निर्गमित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं."

**"पुन: संकल्प किया कि** इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य हेतु, बोर्ड को निवेशक संवर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक ट्रांच (किस्त) पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक ऑफर की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है."

**"पुन: संकल्प किया कि** बोर्ड को किसी भी बुक रनर (रों), लीड मैनेजर (रों), बैंकर (रों), हमीदार (रों), डिपॉजिटरी (रियों), रजिस्ट्रार (रों), लेखापरीक्षक (कों), अरेंजर (रों) तथा अन्य ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाएं करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी / प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया जाता है एवं एतद्द्वारा ऐसा किया जाता है."

**"पुन: संकल्प किया कि** उपरोक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड, लीड मैनेजरों, हमीदारों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों, निर्गम(मों) का फॉर्म, जिसमें निवेशक का वह संवर्ग शामिल है जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम राशि/ वारंटो की प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या मोचन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिभूतियों के निर्गम/ रूपान्तरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तिथि या बही बंदी एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, के शर्तों को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्द्वारा किया जाता है."

**"पुन: संकल्प किया कि** ऐसी उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुई हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

**"पुन: संकल्प किया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व घटक, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुन: ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व घटक, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है."

**"पुन: संकल्प किया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी या कोई प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/ निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है."

**मद क्र. 4:**

**बैंक के अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सूरज श्रीवास्तव (डीआईएन: 09444372) की नियुक्ति**

**विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:**

**"संकल्प किया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथासंशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 6/1(xi)/2024-बीओ.I दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के जरिए बैंक के अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सूरज श्रीवास्तव (डीआईएन: 09444372) की नियुक्ति अधिसूचना की तिथि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि

के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है."

**मद क्र. 5:**

**बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी, कंपनी सचिव की नियुक्ति**

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:**

**"संकल्प किया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 24 ए(1ए), यथासंशोधित और अन्य लागू क़ानूनों, यदि कोई हो, सेबी (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी सांविधिक संशोधन(नों) या पुन: अधिनियमन सहित) द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन से मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी, कंपनी सचिव, फ़र्म पंजीकरण सं. BA92897 को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए एवं एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है."

**निदेशक मंडल के आदेश से**
**कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

Mangesh Mandrekar

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

**(मंगेश मांद्रेकर)**
कंपनी सचिव

## नोट्स

**1. व्याख्यात्मक विवरण**

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

**2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन**

ए. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र. 09/2024, दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफ़डी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्तूबर, 2024, एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन"), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ़.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) का आयोजन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. कारोबार मद क्र. 3 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 23वीं एजीएम वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

बी. बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने बैठक की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है.

सी. केफिन टेक्नोलोजीज लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.

डी. एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

ई. चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है.

एफ़. सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात 10.45 पूर्वाह्न [आईएसटी] से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है. वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 16(vii) में वर्णित क्रेडेंशियल के साथ कृपया https://emeetings.kfintech.com पर जाएं. बैठक के पहले या उसके दौरान तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है.

जी सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी. एमसीए परिपत्रों के अनुसार बड़े शेयरधारकों

(अर्थात शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त की बाध्यता के बिना वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं. संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 23वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

एच. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी.

आई. वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान बुधवार, **30 जुलाई, 2025 को शाम 5 बजे तक** किया जा सकता है. स्पीकर के रुप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें. बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 12 में प्रदत्त अनुसार अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.bank भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा. हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रुप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं.

जे. वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंक: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करके वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं.

के. भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, **25 जुलाई, 2025 से** पूर्व बैंक विवरण, ईमेल पता, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयरधारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयरधारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे.

**3. परोक्षी की नियुक्ति**

एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तद्नुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इसलिए, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. हालांकि, सदस्यों के प्रतिनिधियों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से नियुक्त किया जा सकता है.

**4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कंपनी या कोई निकाय निगम, जो बैंक का शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को mail@csraginichokshi.com पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक की कार्यसमाप्ति तक या उससे पूर्व अर्थात **शनिवार, 26 जुलाई, 2025 शाम 5.00 बजे तक** प्रस्तुत नहीं किया जाता है.

**5. बही बंदी**

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम तथा लाभांश के भुगतान, यदि वार्षिक महासभा बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के उद्देश्य हेतु **शनिवार 26 जुलाई, 2025 से शुक्रवार, 01 जुलाई, 2025 (दोनों दिनों सहित)** तक बंद रहेगी.

**6. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो**

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदावाकृत/अदत्त लाभांश के भुगतान के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) या बैंक की निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो की अवधि के लिए अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना अपेक्षित है. जबकि, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2021-22 से अदत्त लाभांश के विवरण के लिए, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा पर जा सकते है: https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx

अदावाकृत लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया और अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध कराए गए हैं.

**7. पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन**

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/ मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुख्तारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफ़एससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें,

ए. **इलेक्ट्रानिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए:** संबन्धित डिपॉज़िटरी सहभागी (डीपी) को

बी. **भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए:** बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित **फॉर्म आईएसआर-1** में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने अपेक्षित विवरणों को प्रदान करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है.

सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है. सदस्यों जिन्होंने अब तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि **फॉर्म एसएच-13** जमा कर इसे पंजीकृत करें. यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह **फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14**, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें.

बैंक के आरटीए का पता:

**केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,**
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद – 500 032
दूरभाष.: 040 – 67162222

डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx पर उपलब्ध हैं.

ई. इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयरधारित करने वाले शेयधारकों को पते में परिवर्तन करने हेतु बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित निक्षेपागार सहभागी को सुझाव भेजना चाहिए.

एफ़. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में उनके संबंधित फोलियो नंबर/रों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/ क्लाईंट नंबर (इलेक्ट्रोनिक/डिमेट रूप में शेयर धारित करने वाले) का उल्लेख करें.

**8. निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करना और शेयरों के प्रेषण हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण**

सदस्य कृपया यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/ पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निम्नलिखित सेवा अनुरोध को प्रसंस्कृत करने के दौरान पुष्टि पत्र के जरिए **केवल अमूर्तीकृत रूप में** सूचीबद्ध ईकाइयों को प्रतिभूतियां निर्गम करने को अधिदेशित किया है.

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र निर्गम करना;
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र /फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन.

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए **फॉर्म आईएसआर – 4** को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx पर उपलब्ध है. यह नोट किया जा सकता है कि कोई भी सेवा अनुरोध केवल फोलियो के केवाईसी अनुपालित होने के बाद ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है. शेयरधारकों से भी अनुरोध है

कि शेयरों के प्रेषण के संबंध में सेबी द्वारा सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें.

**9. स्थिति के परिवर्तन की रिकॉर्डिंग**

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को तत्काल सूचित करें:

ए) स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवास स्थिति में परिवर्तन.

बी) भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित, यदि पहले न दिया गया हो.

**10. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

प्राधिकारियों द्वारा अनुमति के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपॉज़िटरी सहभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डिमेट रूप शेयर के मामले में निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं.

**11. कट ऑफ / रिकॉर्ड तिथि**

**ई-वोटिंग के लिए:**

कंपनी [प्रबंधन एवं प्रशासन] नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1 से 5 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025** तक मान्यता दी जाएगी.

**12. लाभांश का भुगतान**

यदि लाभांश, निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्त्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान **सोमवार, 11 अगस्त, 2025** से निम्नानुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल"), संयुक्त रूप से "डिपॉजिटरीज़" द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान **शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025** को कार्यसमाप्ति तक किया जाएगा.
- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को शुक्रवार, **25 जुलाई, 2025** को कारोबार अवधि की समाप्ति तक बैंक के साथ दर्ज किया है.

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए लाभांश आय कर योग्य होगा और बैंक को प्रति शेयरधारक आधार पर ₹ 5000 से अधिक राशि के लाभांश पर पैन आधार पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर स्त्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता है. विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन को डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित है) और बैंक / बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है) के साथ अद्यतित करें.

**13. वोट देने का अधिकार**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्र सरकार के अलावा, तदनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में** वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो **कट ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को** शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जाएगा. इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

**14. लेखों एवं अन्य संबंधित प्रश्नों पर जानकारी**

शेयरधारक जो लेखों एवं अन्य संबंधित क्वेरी पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.bank पर मेल करें, जो बैंक को वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से पूर्व **30 जुलाई, 2025 को शाम 5 बजे** तक प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे. कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे जो कट-ऑफ तिथि अर्थात **25 जुलाई, 2025** को शेयरधारक हैं.

साथ ही, शेयरधारकों जो कट-ऑफ तिथि को शेयर धारक हैं वे वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर भी जा सकते हैं और ***"post your queries here"*** पर क्लिक करके प्रश्न/क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान विंडो सक्रिय हो जाएगा और **30 जुलाई, 2025 को शाम 5 बजे** बंद हो जाएगा.

**15. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण**

सेबी ने अपनी अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से अधिदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु प्रेषण एवं रूपांतर अनुरोधों सहित सभी अनुरोधों को केवल अमूर्तीकृत फॉर्म में संसाधित किया जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए एवं भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अमूर्तीकरण के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को अमूर्तीकृत करें. सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं.

**16. नोटिस में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:**

i. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा महासभा बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ सूचीबद्ध विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा बैठक में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्य को बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.

ii. वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे.

iv. शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा वार्षिक महासभा बैठक से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, भौतिक या अमूर्तीकृत फॉर्म में शेयर धारित करते हों, कारोबार मद क्र. 1 से 5 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा कट ऑफ तिथि शुक्रवार, **25 जुलाई, 2025** को अपना वोट कर सकते हैं. इसके पश्चात केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. एक बार जब एक शेयरधारक संकल्प पर अपना वोट कर देते हैं, उसके बाद शेयरधारक को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

vi. कोई व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेजने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.bank पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक evoting@kfintech.com को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **31 जुलाई, 2025 को शाम 5.00 बजे से पूर्व** लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.

vii. रिमोट ई-वोटिंग एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, **डीमैट मोड** में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरीज सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनमुति है. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें.

**वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) – डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन**

| एनएसडीएल | सीडीएसएल |
|---|---|
| **1. उपयोगकर्ता आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले ही पंजीकृत है:** | **1. मौजूदा उपयोगकर्ता जो ईजी/इजीयस्ट (Easi/Easiest) का विकल्प लिया है** |
| I. यूआरएल: https://eservices.nsdl.com | I. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login<br>अथवा<br>यूआरएल: www.cdslindia.com |
| II. 'आईडीईएएस' सेक्शन में "बेनिफिशल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें. | II. नई प्रणाली माइईजी (Myeasi) पर क्लिक करें. |
| III. नए पेज पर, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सैस टु ई-वोटिंग" पर क्लिक करें. | III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें. |
| IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे. | IV. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा.<br>V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें. |

| एनएसडीएल | सीडीएसएल |
|---|---|
| **2. उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं** | **2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं** |
| I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com<br>II. "आईडीईएएस" के लिए "ऑनलाइन पंजीयन" चयन करें.<br>III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें. | I. पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर लिंक उपलब्ध है.<br>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें. |
| **3. उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं** | **3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं** |
| I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें | I. यूआरएल: www.cdslindia.com<br>II. डि-मैट खाता संख्या एवं पैन सं. प्रदान करें.<br>III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डि-मैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा.<br>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है. |
| **4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं.** | |
| I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/<br>II. "शेयरधारक/सदस्य" सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकॉन को क्लिक करें.<br>III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16-अंकों का डि-मैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्ट करें.<br>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटिरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं.<br>V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे. | |

**महत्वपूर्ण नोट:**

सदस्य जो अपना यूजर आईडी /पासवर्ड पुन: प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प का उपयोग करें.

**डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क**

| सदस्य जिनको कोई तकनीकी समस्या आ रही है - एनएसडीएल | सदस्य जिनको कोई तकनीकी समस्या आ रही है – सीडीएसएल |
|---|---|
| लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते है. | लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022-23058738 और 22-23058542- 43 पर सपंर्क कर सकते हैं. |

**वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करनेवाले) - डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए लॉगिन**

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपके सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

**भौतिक रूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति**

ए. ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है.

बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रैस बार में https://evoting.kfintech.com यूआरएल टाइप करें.

सी. आपके ई-मेल आईडी में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें. आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लाईंट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा. हालांकि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण किया है तो अपना वोट देने के लिए आप मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

डी. उचित तरीके से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.

ई. आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरक्टर का हो जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,$ आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

एफ़. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा.

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.

एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

आई. 'SUBMIT' पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा. पुष्टि हेतु 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें. एकबार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं.

जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमेट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ़, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ़/ जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी जो mail@csraginichokshi.com ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVENT No.....' के प्रारूप में रखें.

viii. यदि आपको ई-वोटिंग से संबंधी कोई क्वेरी या समस्या है तो आप हेल्प सेक्शन के अंतर्गत https://evoting.Kfintech.com पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफ़एक्यू) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

ix. इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेंजे या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, **25 जुलाई, 2025** को शेयरधारक के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.

xi. संयुक्त धारक के मामले में, शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.

xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए इस नोटिस को केवल एक सूचना मानना चाहिए.

xiii. मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी की सुश्री रागिनी चोकशी या श्री उमा शंकर हेगड़े, पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्त्ता के रूप में की गयी है ताकि वे निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें.

xiv. बैठक के अध्यक्ष, वार्षिक महासभा बैठक शुरु होने के बाद वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में दिए गए कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

**17. वोटिंग के परिणाम**

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट अर्थात www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट अर्थात https://evoting.kfintech.com पर प्रस्तुत किया जाएगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को संप्रेषित किए जाएंगे.

**18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता**

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है, सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी की सुश्री रागिनी चोकशी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगी. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रुप में कार्य करेंगी.

**19. बैठक के परिणाम**

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अधीन संकल्प(पों) को पारित माना जाएगा.

**20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट**

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक महासभा बैठक की कार्यवाही को निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

## व्याख्यात्मक विवरण

**मद क्रमांक 3:**

**पूंजी जुटाना:**

बैंक, बैंकिंग कारोबार एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों में शामिल है. वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹10,000 करोड़ है. यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹7,633.60 करोड़ रही.

बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी का **74.76%** है. यथा 31 मार्च, 2025 को जोखिम भारित आस्तियों का पूंजी निधि निम्नानुसार रहा:

**पूंजी पर्याप्तता अनुपात – बासेल III**

(₹ करोड़ में)

| पैरामीटर | दिनांक 31 मार्च, 2025 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क | मार्च 31, 2025 | मार्च 31, 2024 |
|---|---|---|---|
| कुल जोखिम भारित आस्तियां | लागू नहीं | 7,03,920 | 6,64,188 |
| कुल पूंजी निधि | | 1,26,825 | 1,12,689 |
| सीईटी 1 पूंजी | | 1,05,465 | 90,693 |
| टियर 1 पूंजी | | 1,14,336 | 99,622 |
| सीआरएआर (%) | 11.50 | 18.02 | 16.97 |
| सीईटी 1 (%) | 8.00 | 14.98 | 13.65 |
| टियर 1 (%) | 9.50 | 16.24 | 15.00 |
| टियर 2 (%) | लागू नहीं | 1.77 | 1.97 |

नोट: आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी 1 एवं टियर 1 अनुपात में 2.50 प्रतिशत का सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) शामिल है. टियर II अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है.

कारोबार आस्तियों के विस्तार हेतु बासेल III दिशानिर्देशों के अंतर्गत पूंजी एवं लीवरेज अनुपात अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए और विकास अनुमानों के आधार पर, आपके निदेशकों ने ₹ 6,000 करोड़ (रूपये छ: हजार करोड़ मात्र) की पूंजी जुटाने का निर्णय लिया है.

लक्षित कारोबार वृद्धि के विस्तार एवं उसकी प्राप्ति और सामान्य उधारी के उद्देश्य हेतु विनियामक अनुपालन एवं अतिरिक्त पूंजीगत निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुरूप में अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन और/या अन्य संस्थागत और/या भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन अन्य माध्यम (मों) और अन्य विनियामक प्राधिकरणों सहित सार्वजनिक निर्गम (अर्थात आगे सार्वजनिक प्रस्ताव) और/या अधिकार निर्गम और/या निजी स्थानन के माध्यम इक्विटी शेयर पूंजी जुटा सकते हैं. संवर्धित पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

यदि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम क्यूआईपी के माध्यम से किया जाता है, तो यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा.

बैंक एक या एक से अधिक भागों में निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉण्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों / ग्रीन बॉण्ड आदि सहित लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की ऐसी संख्या बढ़ा सकता है, जिसे सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति निर्गम एवं सूचीबद्ध करना), विनियमन, 2021 के साथ अनुपालन में और आरबीआई द्वारा टियर I और टियर II के रूप चिन्हित एवं वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा आगे कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है, तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो. उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में, यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में

वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा.

उपर्युक्त कारणों से, अत: एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित हैं जिसमें बोर्ड पर्याप्त लचीलेपन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके.

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मण्डल उचित समय, माध्यम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर/बॉण्ड निर्गम कर सकें. एकबार पारित हो के बाद यह प्रस्तावित संकल्प बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2024 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में इसी तरह से पूर्व में पारित संकल्प का स्थान लेगा.

विशेष संकल्प के अनुरूप इक्विटी शेयरों और या बॉण्ड का प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा.

आपके निदेशक नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को बैंक में शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, संकल्प में इच्छुक या सम्बद्ध नहीं माना जाएगा.

**मद क्रमांक 4:**

**बैंक के अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सूरज श्रीवास्तव (डीआईएन: 09444372) की नियुक्ति**

श्री सूरज श्रीवास्तव (डीआईएन: 09444372) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ. संख्या 6/1(xi)/2024-बीओ.आई दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के तहत अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित किया गया है. तदनुसार, श्री श्रीवास्तव 11 मार्च, 2025 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पदस्थ हैं.

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ.सं.6/20/2019-बीओ.आई दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अनुसार, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के अंतर्गत नामित निदेशकों को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र माना जाता है.

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के प्रथम प्रावधान और विनियमन 25(2ए) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया जाना है.

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सूरज श्रीवास्तव की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जाती है.

श्री श्रीवास्तव ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 16(1)(बी) के तहत "स्वतंत्र निदेशक" शब्द की परिभाषा में उल्लिखित स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है.

**संक्षिप्त परिचय:**

श्री श्रीवास्तव भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं और विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं. श्री श्रीवास्तव के पास कराधान और लेखापरीक्षा अभ्यास में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 19 वर्षों से अधिक का समृद्ध पेशेवर अनुभव है.

मेसर्स बत्रा सपरा एवं कंपनी के भागीदार के रूप में, आपने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षा किया है.

श्री श्रीवास्तव ने आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (आईएसए) मूल्यांकन परीक्षण भी पूर्ण किया है.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निमनुसार हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री श्रीवास्तव के कौशल/निपुणता/क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

श्री सूरज श्रीवास्तव को छोड़कर, बैंक के कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प में इच्छुक या संबद्ध नहीं है.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की अनुशंसा करते हैं.

**मद क्र. 5:**

**मेसर्स रागिनी चोकसी एवं कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव की वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए बैंक में सचिवीय लेखापरीक्षा के रूप में नियुक्ति.**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015, यथासंशोधित, के विनियमन 24ए के अनुसार, निदेशक मंडल की अनुशंसा के आधार पर, बैंक सचिवीय लेखापरीक्षा नियुक्त करता है. तदनुसार, बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर, शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु **वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक दो वर्ष की अवधि के लिए** मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी की नियुक्ति का प्रस्ताव है.

बैंक द्वारा 17 मार्च, 2023 को जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति का नोटिस, बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षा और अन्य प्रमाणन कार्यों को पांच वर्षों हेतु करने के लिए पेशेवर कंपनी सचिव / भागीदारी फर्म / पेशेवर कंपनी सचिवों के एलएलपी की नियुक्ति के लिए जारी किया गया.

तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के बाद, बैंक ने मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले पांच वित्तीय वर्षों के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है. चूंकि मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी ने बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में तीन वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) पूर्ण कर लिए हैं. इसलिए मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी गई है.

मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी 1991 में स्थापित पेशेवर कंपनी सचिव की एक फर्म है. फर्म कॉर्पोरेट कानूनों, सेबी विनियमों के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें सचिवीय लेखापरीक्षा, ड्यू डिलिजेंस लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं. फर्म की भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समीक्षा की जाती है. मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी ने पुष्टि की है कि फर्मों को किसी अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2012 के विनियम 24 (1ए) के संदर्भ में बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हैं. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 24 (1बी) के दायरे में प्रदान सेवाएं को सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/ सीआईआर/ पी/2024/185 दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के साथ पढ़ी जानी चाहिए.

बैंक के कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प में इच्छुक या संबद्ध नहीं है.

**निदेशक मंडल के आदेश से**
**कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

**(मंगेश मांद्रेकर)**
कंपनी सचिव

# निदेशकों की रिपोर्ट

**प्रिय शेयरधारकों,**

निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की 106वीं वार्षिक रिपोर्ट, 'लेखापरीक्षित तुलन पत्र', 'लाभ और हानि खाता', 'नकदी प्रवाह विवरण' और 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण' पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' और 'कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट'भी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का हिस्सा हैं.

## 1. मुख्य बातें:

1.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आई तथापि यह विश्व में सबसे तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बनी रही. राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5% जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की 9.2% वृद्धि से कम रही. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है, जो वैश्विक व्यापार तथा भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के बीच काफी हद तक अपरिवर्तित रहने की संभावना है. वित्तीय वर्ष 2024-25 की दौरान में ग्रामीण खर्च में गिरावट आई जिस में दूसरी छमाही के अंत में सुधार हुआ और निजी पूंजीगत व्यय चक्र के सुधार में और भी देरी देखी गई. वर्ष के दौरान विनिर्माण गतिविधियों में धीमी गति से वृद्धि हुई. वास्तविक जीडीपी के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 9.8% अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12.0% से कम है. हालांकि मुद्रास्फीति के आँकड़े में गिरावट के कारण नॉमिनल जीडीपी आकड़े में गिरावट देखी गई, वास्तविक गतिविधि में गिरावट भी स्पष्ट रही. नरमी चक्र के साथ-साथ, सिस्टम में अधिशेष चलनिधि सुनिश्चित करने में आरबीआई द्वारा कुल ₹11 लाख करोड़ के चलनिधि उपाय महत्वपूर्ण रहे हैं. तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में रियल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि को अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता है.

1.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सेवा क्षेत्र की वृद्धिमंद रही, जबकि कृषि क्षेत्र की वृद्धि में तेज़ी आई. मांग पक्ष पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुँचने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी उपभोग व्यय में सुधार हुआ. यद्यपि, पूंजी निर्माण वृद्धि में गिरावट आई तथापि चुनाव वर्ष में दूसरी छमाही में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ोत्तरी द्वारा इसे गति दी गयी. फिर भी, बुनियादी ढांचे पर खर्च के प्रति सरकार के निरंतर प्रयास ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास चक्र में सकारात्मक रूप से योगदान दिया है. समग्र आर्थिक गतिविधिमें मंदी की पृष्ठभूमि में, बैंक ऋण वृद्धि 2024-25 के दौरान कम होकर पिछले वर्ष के 20.2% से 11.0% हो गई. उद्योग में बैंक ऋण वृद्धि वर्षानुवर्ष 7.8% रही.यद्यपि मार्च 2025 में कृषि ऋण वृद्धि 10.4% के साथ दोहरे अंकों में रही तथापि यह मार्च 2024 के 20.0% से कम रही. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रतिभूत खुदरा और एनबीएफसी उपक्षेत्रों में आरबीआई द्वारा लागू विनियामक प्रतिबंधों के कारण सेवा क्षेत्र और व्यक्तिगत ऋण खंडों में ऋण की वृद्धि में कुछ मंदी देखी गई, फिर भी, वे वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि के मुख्य कारक बने रहे. वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएसएमई ऋण 14.1% की वृद्धि दर्ज करते हुए सुदृढ़ रहा. सरकारी नकदी शेष और पूंजी बहिर्वाह में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में अधिशेष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में चलनिधि की स्थिति घाटे में रही. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यापारिक निर्यात की वृद्धि में मामूली सुधार हुआ और यह पिछले वर्ष में (-) 3.1% से बढ़कर 0.1% हो गया. दुनिया के अग्रणी सेवा-निर्यातक देशों में से, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवा निर्यात में शीर्ष पांच देशों में अपना स्थान बनाए रखा. भारत की सॉफ्टवेयर, कारोबार और परिवहन सेवाओं ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्यात वृद्धि में योगदान दिया है.तथापि, व्यापार युद्धों और वैश्विक मंदी की भावनाओं के बीच भारत के निर्यात का दृष्टिकोण सौम्य बना हुआ है.

1.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कीमतें अस्थिर रहीं. हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान औसतन 4.6% रही और अक्टूबर 2024 में बढ़कर 6.2% हो गई. फिर भी, खाद्य आघातों का प्रभाव कम होने के साथ दूसरी छमाही में एक तीव्र सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही तक हेडलाइन मुद्रास्फीति 4% की लक्ष्य दर से नीचे आ गई. फरवरी 2023 से नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने के बाद, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2024-25 की दूसरी छमाही में मौद्रिक सहजता का आरंभ किया. इसने अक्टूबर 2024 में समायोजन को वापस लेने से तटस्थ होने के रुख को बदल दिया और फरवरी 2025 में नीतिगत रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25% कर दिया. दिसंबर 2024 में, आरबीआई ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 बीपीएस घटा दिया.

1.4 आगे चलकर, खपत मांग एवं पूंजीगत व्यय में सुधार के कारण भारत की वृद्धि में लचीलापन दिखने की उम्मीद है. उपभोग और पूंजीगत व्ययपर सरकार का बल, एमएसएमई कारोबार वृद्धि, लचीला सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का मजबूत दृष्टिकोण, समग्र संवृद्धि को गति प्रदान करेगा. केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में घोषित उपाय घरेलू खपत में सुधार के लिए शुभ संकेत हैं और विशेष रूप से एमएसएमई के नेतृत्व में विभिन्न विनिर्माण उप क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं. तथापि, भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और वैश्विक मंदी के दबाव से भारत के विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा हो रहा है.

1.5 2024 की दूसरी छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधि स्थिर रही, जबकि कुछ एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में सुस्त वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि विनिर्माण और व्यापार निर्यात में कमजोरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूत विकास गति को कम कर दिया. वित्तीय क्षेत्र की अस्थिरता, भू-राजनीतिक एवं व्यापारिक तनाव बढ़ने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के विश्व आर्थिक परिदृश्य (डबल्यूईओ) के अप्रैल 2025 के अपडेट के अनुसार, वैश्विक विकास 2024 में 3.3% से घटकर 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% रहने की उम्मीद है. सभी देशों में मंदी देखी जाने की उम्मीद है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 2024 में 1.8% से 2025 में 1.4% और 2026 में 1.5% तक कम होने की उम्मीद है. उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी 2025 में 3.7% और 2026 में 3.9% की मंदी की उम्मीद है, जो 2024 में 4.3% थी. वैश्विक मुद्रास्फीति भी 2024 में 5.7% से 2025 में 4.3% और 2026 में 3.6% के निम्न स्तर पर सामान्य होने की उम्मीद है. व्यापार युद्धों के प्रतिकूल प्रभावों का वैश्विक व्यापार पर सीधा संकुचनकारी प्रभाव होने की आशंका को देखते हुए, आईएमएफ़ ने 2024 में 3.8% से 2025 में वैश्विक व्यापार वृद्धि को घटाकर 1.7% कर दिया. तथापि, 2026 में 2.5% की वृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए मामूली सुधार की उम्मीद है. आईएमएफ़ ने अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में पिछले साल की तुलना में 2025 के लिए यूएस और चीन के वृद्धि पूर्वानुमानों को 100 बीपीएस कम कर दिया. तथापि, अमेरिका और चीन के बीच संभावित व्यापार समझौते के संदर्भ में उत्साहजनक घटनाक्रम से नकारात्मक स्पिल-ओवर और वैश्विक मंदी का प्रभाव सीमित होने की संभावना है.

1.6 आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2025 में एशिया वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 60% का योगदान देगा. 2024 में 5.3% की वृद्धि के बाद, 2025 और 2026 में एशिया की जीडीपी क्रमशः 4.5% और 4.6% वृद्धिहोनेकी उम्मीद है. भारत और चीन को एशिया में विकास के सबसे बड़े चालक माना जा रहा है. आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3%की दर सेवृद्धिकरेगा, जबकि चीन 2025 और 2026 में 4.0% की दर से वृद्धिकरेगा.

1.7 वैश्विक मूल्य शृंखला का अभिन्न अंग होने के नाते, भारत की वृद्धि में थोड़ी मंदी आने का अनुमान है, जैसा कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने कहा है. भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में बने रहने के लिए तैयार है, जिससे यह अनुमान है की वह वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा. भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 2025 में 5वे स्थान पर है, लेकिन जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चौथा स्थान हासिल करने का अनुमान है. आईएमएफ का अनुमान है कि 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

1.8 भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5% लगाया है. फिर भी, हम उम्मीद करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि 6.3% रहेगी और अगले वित्तीय वर्ष में यह और घटक र6% हो जाएगी. तथापि, मामूली जीडीपी मंदी के समय, क्रेडिट मंदी अधिक प्रमुख हो जाती है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देखा गया है. फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से सरकार द्वारा उपभोग और पूंजीगत व्यय, तीव्र वृद्धि वाले सेवा क्षेत्र, सामान्य मानसून पूर्वानुमान द्वारा समर्थित कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ दृष्टिकोण से अपनी विकास यात्रा में लचीले बने रहने की संभावना है. सुदृढ़ कॉर्पोरेट तुलनपत्र, सरकारी खर्च और तेल की कीमतों में कमी भी भारत की विकास गतिशीलता में सकारात्मक रूप से योगदान देगी. तथापि, वैश्विक मंदी और अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है,जिसका घरेलू खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. अच्छी तरह से समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रयास, निस्संदेह उच्च वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर विकास संभावनाओं के संदर्भ में बेहतर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं.

**स्रोत:** आरबीआई मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अक्टूबर 2024, अप्रैल 2025),आरबीआई भाषण और एमपीसी सदस्य टिप्पणियाँ,आईएमएफ़ डबल्यूईओ अप्रैल 2025,आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025

## 2. बैंक का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1919 में स्थापित बैंक की 31 मार्च, 2025 तक 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 8,621 घरेलू शाखाएँ, 8,910 एटीएम और 73,900 से अधिक कर्मचारी हैं. बैंक की सिडनी और दुबई डीआईएफसी में 2 विदेशी शाखाएँ, 5 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी संगठन हैं. 31 मार्च, 2025 तक बैंक का वैश्विक कारोबार ₹ 22,92,644 करोड़ रहा, जिसमें ₹ 13,09,750 करोड़ की कुल जमा राशि और ₹ 9,82,894 करोड़ का सकल अग्रिम शामिल है. 31 मार्च, 2025 तक बैंक का परिचालन लाभ और निवल लाभ क्रमशः ₹ 31,090 करोड़ और ₹ 17,987 करोड़ रहा.

## 3. डिजिटाईजेशन

बैंक ने निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाकर डिजिटल परिवर्तन परियोजना शुरू की है. पिछले दशक में वित्तीय सेवा उद्योग में नवाचारों ने वित्तीय क्षेत्र के परिदृश्य में मूलभूत बदलाव किए हैं तथा बैंकिंग विनियमन एवं पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के तरीके में युगांतकारी सुधार किए हैं.

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने विभिन्न खंडों के तहत 15 से अधिक डिजिटल प्रक्रियाएं लागू की हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
2. सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)
3. सावधि जमा (एफडी)

**₹ 66,000 + करोड़**
15 से अधिक ऋण प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न कारोबार

**22.39+ लाख**
नवीनीकृत/समीक्षित खाते

**4,12,205 खाते**
खोला गया डिजिटल बचत खाता

**₹ 185 + करोड़**
तृतीय पक्ष उत्पादों से कारोबार (एमएफ+बीमा)

**46.19 लाख**
शामिल हुए ग्राहक
व्योम (39.24 लाख) + इंटरनेट बैंकिंग (6.95 लाख) पंजीकृत

**1.65 लाख**
सीबीडीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ता

**₹ 22,600 + करोड़**
सभी डिजिटल चैनलों पर डिजिटल जमा

4. आवर्ती जमा (आरडी)
5. वैयक्तिक ऋण
6. वाहन ऋण
7. प्री क्वालिफाइड कारोबार ऋण
8. व्यक्तियों के लिए चालू खाता
9. यूनियन डिजिटल ईज़ (EASE)
10. डिजिटल पीएम विश्वकर्मा
11. डिजिटल यूनियन रूफ टॉप सोलर योजना
12. कृषि सावधि ऋण समीक्षा
13. डिजिटल सह-उधार मॉड्यूल
14. स्टाफ़ कन्वेयंस ऋण
15. स्टाफ क्लीन ओवरड्राफ्ट

इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ाने के साथ-साथ, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 6 डिजिटल प्रक्रियाओं के उत्पाद/सीमा को बढ़ाया है, अर्थात् -

यूनियन एमएसएमई सुपरफास्ट एसटीपी (सीमा वृद्धि ₹ 25.00 लाख से ₹ 100.00 लाख तक)

तरुण एवं किशोर मुद्रा एसटीपी (नए बैंक ग्राहकों के लिए विस्तारित).

3.यूनियन नारी शक्ति (नए बैंक ग्राहकों के लिए विस्तारित)

4.डिजिटल केसीसी एसटीपी (सीमा ₹ 1.60 लाख से बढ़ाकर ₹ 2.00 लाख की गई तथा ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों के लिए बढ़ा दी गई)

5.डिजिटल केसीसी नवीनीकरण (सीमा बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख)

6.एमएसएमई- डिजिटल रूप से आकलित समीक्षा/नवीनीकरण (सीमा बढ़ाकर ₹ 25.00 लाख की गई)

बैंक ने 15 से अधिक ऋण प्रक्रियाओं से ₹ 74,300+ करोड़ का डिजिटल कारोबार जुटाया, जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 66,000 करोड़ का कारोबार सृजित हुआ.

**सीआरएम**

बैंक ने सीआरएम एज को क्रियान्वित किया है; जो शाखाओं, विपणन अधिकारी और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए एक व्यापक एकीकृत समाधान है, जो एक ही मंच पर क्रॉस सेल/अप सेल, प्रति ग्राहक उत्पाद (पीपीसी), ग्राहक संबंध मूल्य (सीआरवी), ग्राहक संतुष्टि स्कोर, ग्राहक द्वारा प्राप्त कुल सेवाएं, ग्राफिकल रिपोर्ट, शिकायत और सेवा प्रबंधन तथा प्रश्नों का समाधान जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है.

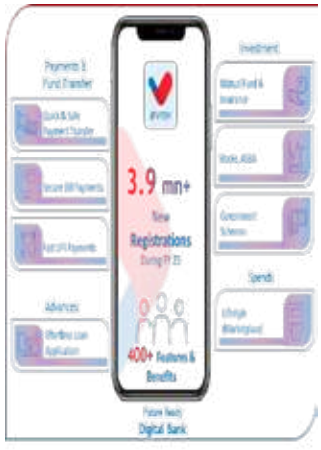
सीआरएम बैंक को लीड्स को स्वचालित रूप से ऑनबोर्ड करने, लीड्स को ट्रैक/प्रबंधित करने, ग्राहक सेवा में सुधार करने और शिकायतों का समय पर और प्रभावी तरीके से प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है; सीआरएम क्रॉस-सेलिंग के लिए विभिन्न मॉड्यूल भी प्रदान करता है जैसे ग्राहक 360-डिग्री व्यू (विस्तार से), एनालिटिक्स टूल, अभियान प्रबंधन समाधान आदि. इसके अलावा, लीड जनरेशन और फॉलो-अप तथा ग्राहक सहायता के लिए कॉल सेंटर एजेंटों, बैंक के कारोबार प्रतिनिधि /डीएसए/ सीएसए को सीआरएम एक्सेस दिया जाता है.

**5.1 मिलियन+**
लीड कैप्चर किए गए

**13 मिलियन+**
टिकट दर्ज किए गए

**4.25**
औसत हैपिनेस रेटिंग

### व्योम ऐप




बैंक व्योम 400 से ज़्यादा सुविधाएँ और लाभ प्रदान करता है, जिसमें खोजपूर्ण यूआई/यूएक्स डिज़ाइन है, जो जुड़ाव को बढ़ाता है और अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है. व्योम एक मार्केटप्लेस के माध्यम से जीवनशैली सुविधाएँ प्रदान करता है, जहाँ ग्राहक फ़्लाइट टिकट, होटल, कैब, बस टिकट बुक कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, मोबाइल डीटीएच और डेटा कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं और दान कर सकते हैं. बैंक ने व्योम ऐप में डिजिटल म्यूचुअल फ़ंड, डिजिटल बीमा और विभिन्न एसटीपी प्रक्रियाएँ भी शामिल की हैं.

वित्त वर्ष 25 के दौरान, बैंक ने व्योम पर 3.9 मिलियन से अधिक नए उपयोगकर्ता पंजीकृत किए हैं और क्रेडिट स्कोर, पीओएस जारी करना, यूनियन मिलियनेयर डिपॉजिट स्कीम, एंड-टू-एंड डिजिटल सेविंग अकाउंट (एनटीबी) खोलना, री-केवाईसी अद्यतन का कार्यान्वयन, एमआईएस - मासिक आय योजना खोलना, जनसुरक्षा के माध्यम से बीमा प्रक्रिया में वृद्धि और चैट बॉट "यूवीआई के साथ चैट" के साथ एकीकरण जैसी विभिन्न सुविधाओं को लागू किया है.

बैंक के यूपीआई लेनदेन में सालाना आधार पर 36% की वृद्धि देखी गई है. बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान यूपीआई लेनदेन पर क्रेडिट कार्ड के लिए ईएमआई सुविधा, यूपीआई इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट, यूपीआई लाइट ऑटो टॉप-अप और यूपीआई सर्किल सुविधा जैसी कई सुविधाएँ शुरू की हैं. बैंक यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) योजना के खाताधारकों को राशि जमा करने की सुविधा भी प्रदान करता है.



Bank has showcased new features of UPI namely UPI Interoperable Cash Deposit, UPI Lite Auto Top-up and UPI Circle (Delegated payments through UPI) in Global Fintech festival 2024, Mumbai. RBI Deputy Governor Shri T Rabi Shankar launched UPI Interoperable Cash Deposit (UPI ICD) feature introduced by NPCI. The live demo of UPI ICD was showcased to all the audience on Union Bank of India CRM machine.

Subhadra Yojana Subsidy Credit using CBDC (Digital e₹)



Bank is one amongst the very few Banks in the CBDC ecosystem participated in the Subsidy Credit under Subhadra Yojana of Odisha State Government and released the subsidy with 100% success rate ensuring efficient and transparent subsidy delivery, eliminating intermediaries and enhancing financial inclusion for women.

### यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपी (e₹) ऐप

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उन कुछ बैंकों में से एक है जो रिटेल और होलसेल दोनों सेगमेंट में लाइव हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डब्ल्यू-सीबीडीसी (होलसेल) को लागू करने वाले 9 बैंकों में से एक और सीबीडीसी-आर (रिटेल) को लागू करने वाले 13 बैंकों में से एक है. बैंक सीबीडीसी-रिटेल सेगमेंट के साथ लाइव होने वाला कोहोर्ट 2 में पहला बैंक है.

वित्तीय वर्ष 2025 में, "यूबीआई का डिजिटल रुपी" ऐप को समावेशिता को बढ़ावा देने और दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अपग्रेड किया गया है. दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से नेविगेशन मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ऐप में एक समर्पित "एक्सेसिबिलिटी" विकल्प एकीकृत किया गया है.

बैंक ने एचआरएमएस को डिजिटल रुपी ऐप के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिससे कर्मचारियों के लाभों को सीधे सीबीडीसी वॉलेट में जमा करना आसान हो गया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने टोकन समाधान सेवा (टीआरएस), वितरित टोकन सेवा प्लेटफ़ॉर्म (डीटीएसपी) और मल्टी टोकन नेटवर्क (एमटीएन) को लागू किया है. सुरक्षित और कुशल डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए पी2पी का उपयोग करके यूपीआई निधि अंतरण, सीबीडीसी सिस्टम में वेलोसिटी चेक और बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाएँ भी पेश की गई हैं. ये प्रगति बेहतर डिजिटल बैंकिंग समाधानों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

## वित्तीय वर्ष 25 का कार्यनिष्पादन

## 1.65 लाख

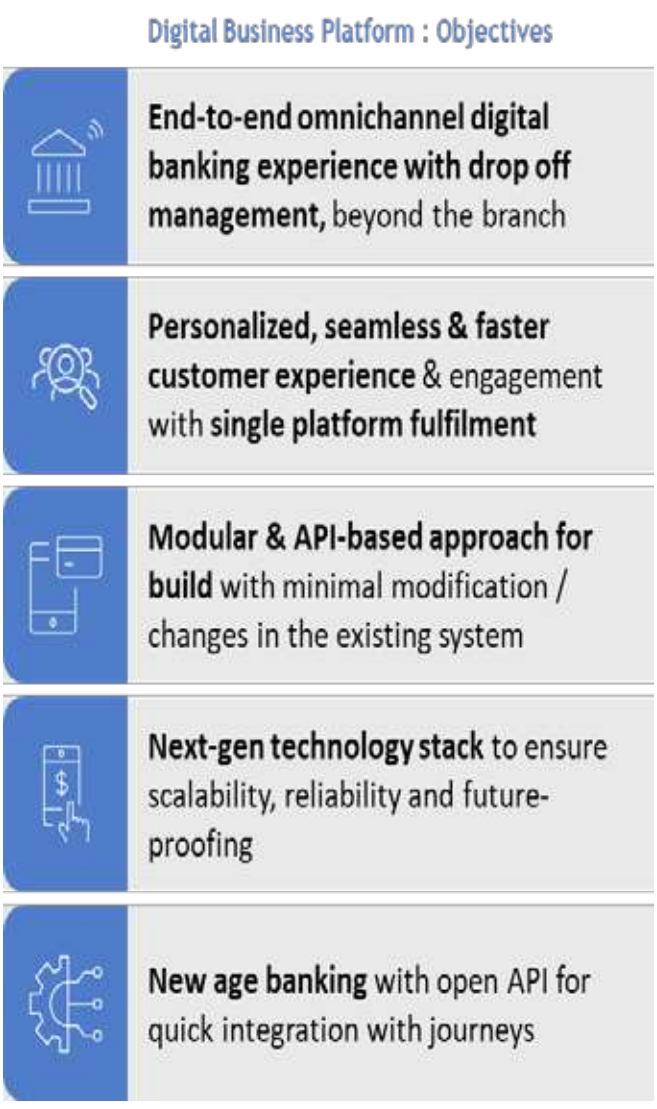
### पंजीकृत खुदरा उपयोगकर्ता

### फिनटेक एवं पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी:

डिजिटल कारोबार ने बैंक को नए वेब, मोबाइल और मल्टी एक्सपीरियंस ऐप के साथ-साथ अनुकूलता के एकीकरण का समर्थन करने की गति को तेज कर दिया है. बैंक ने 84 फिनटेक को सूचीबद्ध किया है, इनमें से 18 फिनटेक को कृषि, खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों में विभिन्न डिजिटल समाधानों को लागू करने के लिए शामिल किया गया है.

वर्तमान में, बैंक ने डिजिटल प्रक्रिया की दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए फिनटेक के साथ साझेदारी करके निम्नलिखित समस्तरीय क्षमताओं का निर्माण किया है -

1. वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)
2. एपीआई एग्रीगेटर
3. स्टेटमेंट विश्लेषक
4. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)
5. डिजिटल मूल्यांकन रिपोर्ट
6. डिजिटल टाइटल जांच रिपोर्ट
7. डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन







डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, बैंक का लक्ष्य ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, लागत कम करना और उधारकर्ताओं के लिए ऋण तक पहुंच को आसान बनाना है तथा बैंक को नवीन और विशिष्ट तरीकों से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाना है.

**डिजिटल प्रक्रियाएँ:**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने निर्बाध और सुगम डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए कई स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) प्रक्रियाएँ, उन्नत सुविधाएं और उन्नत प्रौद्योगिकियां लागू की हैं.

1. **डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन:**

   बढ़ते डिजिटल कारोबार को भुनाने और मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम/ आर्किटेक्चर बनाने के लिए, बैंक ने डिजिटल परिदृश्य में एक प्रमुख स्थान स्थापित करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए "प्रोजेक्ट संभव" शुरू किया है. इस प्रयास का उद्देश्य अत्याधुनिक माइक्रोसर्विसेज आधारित डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर, अनुकूलित डिजिटल अनुभव प्रदान करना है.

   इस प्लेटफॉर्म को ओमनी-चैनल अनुभव, डेटा संचालित वैयक्तिकरण, ओपन बैंकिंग एकीकरण और मजबूत फिनटेक भागीदारी सहित उन्नत कार्यक्षमताओं को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कारोबार विकास में तेजी आए. डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म को विभिन्न आंतरिक और बाहरी प्रणालियों/ अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि विभिन्न एसटीपी प्रक्रिया और आस्तियां बनाई जा सकें जैसे कि ऐप, सहायक पोर्टल, नेट बैंकिंग आदि.

   "सहायक पोर्टल" को डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के भाग के रूप में लॉन्च किया गया, जिसे टैब के माध्यम से शाखाओं, क्षेका, अंका और विपणन अधिकारियों के लिए सुलभ बनाया गया है. सहायक पोर्टल का उपयोग ड्रॉप-ऑफ प्रक्रिया को पूरा करने और शाखाओं में आने वाले ग्राहकों के लिए नई प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है. यह कम डिजिटल साक्षरता वाले ग्राहकों की सेवा करने में मददगार होगा.

   ग्राहक के पास प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कई बिंदु होंगे जैसे "ओपन वेब", इन-ऐप एक्सेस या शाखा सहायक पोर्टल के माध्यम से. सभी ग्राहक अर्थात बैंक के नए ग्राहक (एनटीबी) और बैंक के मौजूदा ग्राहक (ईटीबी) बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग के भाग के रूप में साझा किए गए लिंक का उपयोग करके ओपन वेब पर ऋण प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

   डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म को ओपन वेब और सहायक पोर्टल पर 7 डिजिटल प्रक्रियाओं के साथ लाइव किया गया है, यथा लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), सावधि जमा (एफडी) और आवर्ती जमा (आरडी) सहायक पोर्टल पर हैं; और व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण और पूर्व-योग्यता व्यवसाय ऋण ओपन-वेब और सहायक पोर्टल पर हैं.

2. **डिजिटल पर्सनल लोन:**

   संपार्श्विक मुक्त असुरक्षित ऋण जिसका उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है. बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के बैंक में मौजूदा (इटीबी) और बैंक में नए (एनटीबी) ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ऋण की स्वीकृति और संवितरण.

**3. डिजिटल वाहन ऋण (4डब्ल्यू):**

बैंक में मौजूदा (इटीबी) और बैंक में नए (एनटीबी) ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए नए चौपहिया वाहन की खरीद के लिए बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप और कम टीएटी के एंड-टू-एंड डिजिटल संवितरण अनुभव.

**4. पूर्व योग्यता व्यवसाय ऋण:**

एक वित्तपोषण समाधान जिसे व्यवसायों को प्रारंभिक पात्रता मूल्यांकन के आधार पर ऋण तक त्वरित और आसान पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह व्यवसायों को पूर्ण आवेदन प्रक्रिया के बिना ऋण प्रस्ताव प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे वे अपनी वित्तीय ज़रूरतों की कुशलतापूर्वक योजना बना सकते हैं.

**5. डिजिटल बचत खाता**

बैंक अगली पीढ़ी के डिजिटल बचत खातों की पेशकश करता है, जिसे ग्राहक शाखा में जाए बिना अपनी पात्रता के आधार पर 10 अलग-अलग बचत योजनाओं में से चुन सकते हैं. वीकेवाईसी और आधार तथा पैन के ऑनलाइन सत्यापन के उपयोग से खाता खोलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है और ग्राहक तुरंत लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं.

**6. व्यक्तियों के लिए चालू खाता एसटीपी**

बैंक, व्यक्तियों के लिए एक सुविधाजनक और निर्बाध ऑनलाइन डिजिटल चालू खाता खोलने की प्रक्रिया प्रदान करता है, यह ग्राहकों को शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना, अपने घर या कार्यालय में आराम से चालू खाता खोलने की अनुमति देता है.

**7. यूनियन डिजिटल ईज़:**

कारोबारिक उद्देश्य के लिए पात्र उधारकर्ताओं को डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर नकदी प्रवाह-आधारित ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) प्रदान करना विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए जो स्थायी आस्तियों के सृजन, मौजूदा व्यवसाय के विस्तार या अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से विनिर्माण/ सेवा/ व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हैं.

**8. डिजिटल पीएम विश्वकर्मा:**

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, विपणन सहायता आदि के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विशेष रूप से सक्षम लोगों, ट्रांसजेंडरों, पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीप क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों जैसे वंचित और शोषित समूहों के लोगों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

पीएम विश्वकर्मा के तहत लक्षित लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

**9. डिजिटल सह-उधार मॉड्यूल:**

यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के साथ साझेदारी करके ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अभिनव प्लेटफ़ॉर्म है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कुशल प्रसंस्करण, विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन और ऋण पोर्टफोलियो की वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करता है.

**10. डिजिटल यूनियन रूफ टॉप सोलर योजना:**

बैंक ने यूआरटीएस योजना के तहत पीएम सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना के लिए डिजिटल एसटीपी प्रक्रिया विकसित की है. डिज़ाइन की गई प्रक्रिया का उद्देश्य त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्रक्रिया प्रदान करके संभावित ग्राहकों के बीच हमारे सौर रूफ टॉप ऋण उत्पाद अपनाने को बढ़ावा देकर ग्राहक सेवा के उच्च मानक को बनाए रखना है.

**11. कृषि मियादी ऋण समीक्षा:**

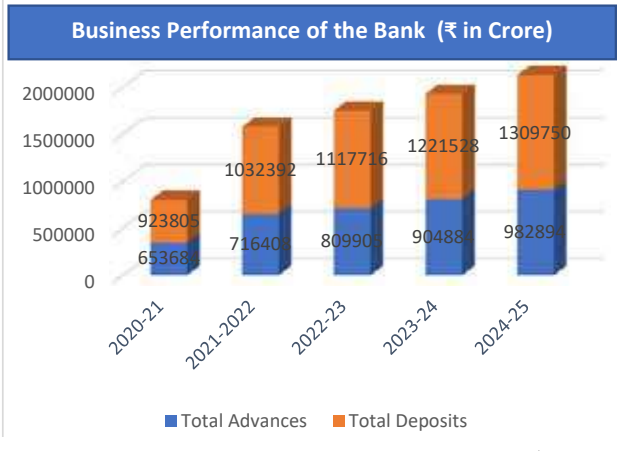
डिजिटल फुटप्रिंट को मजबूत करने और डिजिटल मोड में मियादी ऋण समीक्षा की सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करने के लिए, बैंक ने एसटीपी प्रक्रिया के माध्यम से कृषि मियादी ऋण (₹ 25.00 लाख तक) की डिजिटल रूप से समीक्षा की शुरुआत की है. डिजिटल प्रक्रिया में कोई मैनुअल हस्तक्षेप शामिल नहीं है या न्यूनतम है जो शाखाओं को टीएटी को कुछ मिनटों तक कम करने में मदद करेगा.

**12. स्टाफ वाहन ऋण और क्लीन ओवरड्राफ्ट:**

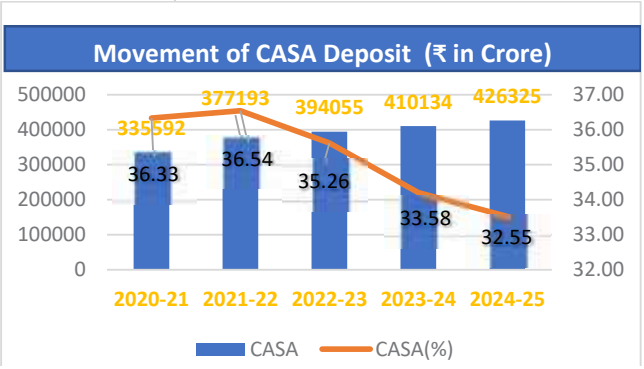
स्टाफ वाहन ऋण और स्टाफ क्लीन ओवरड्राफ्ट के लिए न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, स्टाफ ऋण प्रस्तावों को शुरू से अंत तक डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिए पूर्णतः स्वचालित प्रणाली, जिससे टर्नअराउंड समय में कमी आएगी और मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा.

## 4. कारोबार की मुख्य बातें:

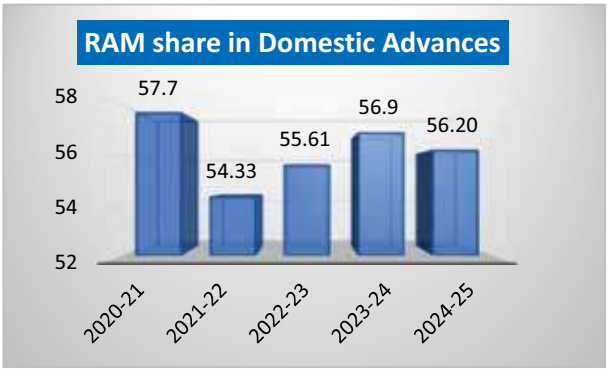
4.1 31 मार्च 2025 तक बैंक का वैश्विक कारोबार ₹22,92,644 करोड़ था.




4.2 31 मार्च 2025 तक कुल जमा राशि ₹ 13,09,750 करोड़ थी. इसमें से कासा का हिस्सा (चालू खाता और बचत खाता) 31 मार्च 2025 तक 32.55% था.




4.3 31 मार्च, 2025 तक सकल अग्रिम ₹ 9,82,894 करोड़ रहा. बैंक का रैम खंड ₹ 53,679 करोड़ रहा. वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर खुदरा क्षेत्र में 22.14% की वृद्धि, कृषि क्षेत्र में -2.91% की वृद्धि और एम.एस.एम.ई अग्रिम में 12.50% की वृद्धि हासिल की गई. रैम अग्रिम, घरेलू अग्रिम का 56.20% प्रतिशत रहा.




4.4 31 मार्च 2025 को बैंक का विदेशी कारोबार ₹ 74918 करोड़ रहा जबकि 31 मार्च 2024 तक ₹ 53,583 करोड़ रुपये था. बैंक की डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में दो विदेशी शाखाएँ हैं. यूनियन बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में भी काम करता है और अपने संयुक्त उद्यम - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद के माध्यम से कुआलालंपुर (मलेशिया) में काम करता है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम है. विदेशी शाखाओं का सकल अग्रिम पोर्टफोलियो 31 मार्च 2024 के ₹31,252 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 को ₹36,919 करोड़ रहा और विदेशी शाखाओं का निवल लाभ 31 मार्च 2024 के ₹109 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 को ₹190 करोड़ रहा .

## 5. आय और व्यय:

**तालिका 1: आय और व्यय विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्रम. | मानदंड | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| 1 | अर्जित ब्याज | 1,07,726 | 99,778 |
| 2 | अन्य आय | 19,813 | 16,080 |
| 3 | कुल आय (1+2) | 1,27,539 | 1,15,858 |
| 4 | व्यय किया गया ब्याज | 70,512 | 63,208 |
| 5 | निवल ब्याज आय (1-4) | 37,214 | 36,570 |
| 6 | परिचालन व्यय | 25,937 | 24,440 |
| | जिसमें से स्थापना व्यय | 14,668 | 14,377 |
| 7 | कुल व्यय | 96,449 | 87,648 |
| 8 | परिचालन लाभ (3-7) | 31,090 | 28,211 |
| 9 | प्रावधान | 13,103 | 14,562 |
| 10 | कुल लाभ / हानि | 17,987 | 13,648 |
| 11 | प्रति शेयर आय (₹ में) | 23.56 | 18.95 |

## 6. लाभप्रदता और दक्षता:

6.1 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.21% की वृद्धि के साथ ₹31,090 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया,जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह ₹28,211 करोड़ था.

6.2 हमारे बैंक का निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31.79% की वृद्धि के साथ ₹ 17,987 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2024 को यह ₹ 13,648 करोड़ था.

6.3 आपके बैंक का लागत-से-आय अनुपात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45.48% रहा.

6.4 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.26% रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ 17.20% रहा.

**तालिका 2: दक्षता अनुपात**

| मापदंड (%) | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ | 1.26 | 1.03 |
| इक्विटि पर प्रतिलाभ | 17.20 | 15.58 |

6.5 वर्ष 2024-25 के लिए आपके बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं .

| तालिका 3: उत्पादकता | | |
|---|---|---|
| मापदंड | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
| प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में) | 31.00 | 28.02 |
| प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में) | 265.94 | 251.17 |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ करोड़ में) | 42.04 | 37.18 |

6.6 लाभांश:

बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹10/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.75 का लाभांश देने की अनुशंसा की है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह ₹3.60 था.

## 7. शेयरधारकों के लिए प्रतिफल:

7.1 31 मार्च 2025 तक बैंक की निवल मालियत ₹ 1,04,562 करोड़ थी.

## 8. आस्ति गुणवत्ता:

8.1 बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जी.एन.पी.ए.) 31 मार्च 2024 के दौरान ₹ 43,098 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2025 को ₹ 35,350 करोड़ थी. सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जी.एन.पी.ए. 31 मार्च 2024 के 4.76% की तुलना में 31 मार्च 2025 को 3.60% थी.

8.2 बैंक का निवल एनपीए 31 मार्च 2024 को ₹ 8,990 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 को ₹ 5,969 करोड़ रहा और निवल एनपीए अनुपात 31 मार्च 2024 के 1.03% की तुलना में 31 मार्च 2025 को 0.63 % रहा.

## 9. पूंजी पर्याप्तता:

9.1 बासेल III मानकों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2025 तक 18.02% रहा. हमारे बैंक की सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी I) पूंजी 31 मार्च, 2025 को 14.98% रही.

| तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|
| मापदंड | आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2025 | मार्च 31, 2025 | मार्च 31, 2024 |
| कुल जोखिम-भारित आस्तियां | लागू नहीं | 7,03,920 | 6,64,188 |
| कुल पूंजी निधि | | 1,26,825 | 1,12,689 |
| सीईटी 1 कैपिटल | | 1,05,465 | 90,693 |
| टियर 1 कैपिटल | | 1,14,336 | 99,622 |
| सीआरएआर (%) | 11.50 | 18.02 | 16.97 |

| तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|
| मापदंड | आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2025 | मार्च 31, 2025 | मार्च 31, 2024 |
| सीईटी 1 (%) | 8.00 | 14.98 | 13.65 |
| टियर 1 (%) | 9.50 | 16.24 | 15.00 |
| टियर 2 (%) | 2.00 | 1.77 | 1.97 |

9.2 बैंक द्वारा संगृहीत पूंजी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने कोई इक्विटी पूंजी और बासेल III अनुरूप टियर 1/टियर 2 बॉन्ड नहीं जुटाए हैं.

## 10. नेटवर्क

बैंक का शाखा नेटवर्क पूरे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक 8621 शाखाएँ हैं, जिनमें 2 विदेशी शाखाएँ (सिडनी और दुबई में) शामिल हैं. इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

## 11. पुरस्कार एवं सम्मान:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को डिजिटाईजेशन, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि क्षेत्रों के तहत किए गए विभिन्न पहलों के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

मार्च 2025 में इंडियन कन्वेन्शन द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्यबल नियोजन 2024 के लिए एच.डी.एम पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

एशिया एल&डी द्वारा पुरस्कार: फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलनों द्वारा नियोक्ता ब्रांडिंग सम्मेलन और पुरस्कार

- निरंतर ज्ञानार्जन एवं विकास में उत्कृष्टता
- वर्ष का नेतृत्व विकास कार्यक्रम

## 12. ब्रांडिंग और मार्केटिंग

आज की गतिशील दुनिया में पहचान बनाने और अपने मूल्य को बढ़ाने में ब्रांडिंग का महत्व काफी बढ़ गया है; ब्रांडिंग दुनिया के सबसे विविध और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक में भावनात्मक संबंध बनाने में मदद कर सकती है. यह विश्वसनीयता स्थापित करने, उत्पादों और सेवाओं को विशिष्ट रूप से स्थापित करने और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कारोबार विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हमारा बैंक वर्ष के दौरान प्रिंट/टीवी/रेडियो/डिजिटल/ओओएच और सोशल मीडिया जैसे सभी मीडिया में ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्पेस में बहुत सक्रिय रहा है.

### पारंपरिक मीडिया

हमारे बैंक ने टीवीसी, स्टैटिक क्रिएटिव और आकर्षक जिंगल्स के माध्यम से टीवी और रेडियो जैसे पारंपरिक मीडिया स्पेस की यादों को ताज़ा किया. प्रिंट और ओओएच मीडिया के माध्यम से आकर्षक क्रिएटिव पेश किए

गए हैं. हमारे बैंक द्वारा साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता अभियान सहित ग्राहक जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए हैं.

बैंक के एमएसएमई उत्पादों के लिए "सोच से सच तक" थीम के तहत एक आकर्षक और लोकप्रिय टीवी विज्ञापन तैयार किया गया. यूनियन बैंक के साथ इस थीम पर एक और आकर्षक ब्रांड टीवी विज्ञापन जारी किया गया, जिसका शीर्षक था "बैंकिंग इस ऑल्वेज़ ऑन". हमारे बैंक ने "यूनियन समृद्धि" जैसी खुदरा जमा योजनाओं के विपणन के लिए व्यापक अभियान भी चलाए.

युवा छात्रों को ज्ञान और वित्तीय जागरूकता के क्षेत्र में शामिल करने की अपनी पहल के रूप में, हमारे बैंक ने48 शहरों में कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए यू-जीनियस 3.0 नामक राष्ट्रव्यापी क्विज़ कार्यक्रम का तीसरा संस्करण आयोजित किया. बैंक ने एक हैकथॉन इवेंट-I D E A की भी मेज़बानी की, जो डीएफ़एस और आईबीए के मार्गदर्शन में पीएसबी हैकथॉन सीरीज़ 2025 में पहला इवेंट था.

### डिजीटल मीडिया

भारतवर्ष 900 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, सबसे तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. समाचार, मनोरंजन, खेल आदि जैसी विषयवस्तु के लक्षित वर्ग तक पहुँच के लिए डिजिटल मीडिया की ओर कड़े रुझान को ध्यान में रखते हुए, हमारा बैंक डिजिटल स्पेस में सक्रिय रहा है और लोकप्रिय डिजिटल समाचार, यात्रा और उपयोगिता पोर्टल/ऐप और चैनलों पर जीवंत और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करता रहा है.

### सोशल मीडिया

यूनियन बैंक अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लिंक्डइन और थ्रेड्स पर उत्पादों/सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहा है. उपयोगकर्ताओं को वार्तालाप सत्र/प्रत्यक्ष संदेश, ग्राहक सेवा सहायता, ऑनलाइन प्रतियोगिता, शैक्षिक पोस्ट/वीडियो, ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने आदि के माध्यम से कारोबारिक संवाद में शामिल किया गया. उपयोगकर्ता संवाद का उपयोग ब्रांड अवधारणा को समझने और सोशल मीडिया के माध्यम से कारोबारिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया.

बैंक ने सोशल मीडिया के माध्यम से लागत प्रभावी ब्रांड प्रचार पर काम किया है और आकर्षक स्थिरचित्र/वीडियो पोस्ट के साथ गतिशील सामग्री पोस्ट की है, जिससे ग्राहकों को उत्पादों, सेवाओं और ऑफ़र के बारे में जानकारी मिली है. सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक कारणों, महान व्यक्तित्वों को याद करने, महत्वपूर्ण दिनों/घटनाओं का स्मरण, सार्वजनिक हित पर जुड़ाव अभियान आदि पर पोस्ट के माध्यम से भी जागरूकता उत्पन्न की गई.

बैंक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं. ग्राहकों को सुरक्षित लेनदेन की प्रक्रियाओं, धोखाधड़ी की रोकथाम और जिम्मेदार डिजिटल बैंकिंग संव्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न चैनलों पर नियमित अभियान, सूचनात्मक पोस्ट और डिजिटल सुरक्षा सलाह प्रसारित की जा रही है.

साइबर सुरक्षा जागरूकता के तहत, बैंक सक्रिय रूप से फ़िशिंग प्रयासों की पहचान करने, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा करने और नकली ऐप या धोखाधड़ी वाले लिंक से बचने के लिए सुझाव साझा करता है. बैंक के द्वारा एक हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर श्री नील नितिन मुकेश के माध्यम से एक साइबर अपराध जागरूकता वीडियो भी जारी किया गया है. ग्राहकों को नियमित रूप से ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड या कार्ड विवरण जैसे संवेदनशील क्रेडेंशियल्स को साझा न करने के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है.

यह पहल विनियामक दिशानिर्देशों और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप सुरक्षित और सूचित डिजिटल बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

बैंक सभी हैंडल पर 24x7 उपलब्ध है जो बहुत ही सक्रिय है और प्रश्नों का तुरंत जवाब देता है. पिछले वर्ष, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के 74 लाख प्रश्नों का जवाब दिया गया, जिससे समय पर मार्गदर्शन, उचित पुनर्निर्देशन और शिकायत निवारण सुनिश्चित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक संतुष्टि हुई. बैंक ब्रांड को आम जनता द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जो 706.88 लाख इंप्रेशन और 18.19 लाख जुड़ाव के साथ तर्कसंगत है.

बैंक के पास सोशल मीडिया पर पर्याप्त संख्या में फॉलोअर्स हैं जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 52.01 लाख हो गए हैं.

बैंक मौजूदा या नए उत्पादों के बारे में समग्र प्रतिक्रियाओं का लगातार आकलन कर रहा है, पहलों के बारे में फीडबैक एकत्र कर रहा है, उत्पाद पेशकशों और प्रदान की गई सेवाओं में ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राहकों की रुचि का अवलोकन कर रहा है.

### वैबसाइट

हमारे बैंक ने एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए उन्नत UI/UX डिज़ाइन के साथ एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है. अपडेट में बेहतर उपयोगिता के लिए उन्नत कैलकुलेटर, अधिकांश उत्पाद के लिए समर्पित लीड पेज और दृश्यता और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए बेहतर एसईओ अनुकूलन शामिल हैं. नई वेबसाइट में सुविधाओं, लाभों और विशिष्टताओं के साथ व्यापक उत्पाद पृष्ठ शामिल हैं.

## 13. बैंक के बोर्ड में निदेशकों में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए.

- बैंक के शेयरधारक निदेशक डॉ. जयदेव मदुगुला, अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 28.06.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए.
- हमारे बैंक की शेयरधारक निदेशक डॉ. प्रीति जय राव, अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 29.07.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुईं.

- श्री प्रकाश चंद्र कंडपाल दिनांक 27.07.2024 से बोर्ड में बैंक के शेयरधारक निदेशक चुने गए हैं.
- डॉ. प्रीति जय राव दिनांक 27.07.2024 से बोर्ड में बैंक की शेयरधारक निदेशक चुनी गई हैं.
- बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री सूरज श्रीवास्तव अपना कार्यकाल पूरा होने पर 21.12.2024 को निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए.
- बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री लक्ष्मण उप्पार अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 21.03.2025 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए हैं.

## 14. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में :

- लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा यदि कोई भौतिक विचलन हुआ है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है.
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है, तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में हमारे बैंक की स्थिति और उस अवधि के लिए हमारे बैंक के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके.
- आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई.
- वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था कि अवधारणा के आधार पर तैयार किये गए हैं.
- हमारे बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए थे और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे. स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्द का अर्थ हमारे बैंक द्वारा अपने कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें हमारे बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है.
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद हैं और ये प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं.

## 15. बैंक का बाजार पूंजीकरण

| विवरण | 28.03.2025 तक बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपए में) | सूचीबद्ध संस्थाओं में रैंक |
|---|---|---|
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | 96,320.84 | 90 (शीर्ष 100 में) |
| बीएसई लिमिटेड | 96,336.10 | 90 (शीर्ष 100 में) |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इक्विटी कैश मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा टी+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र में शामिल किया गया है.

इसके अलावा, बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने बैंक की बाजार की धारणा को बढ़ाने के लिए बैंक के हितधारकों के साथ काफी बातचीत की है.

## 16. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में दी गई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कोई ऑडिट कमियाँ नहीं है.

## 17. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

### 17.1 समावेशी विकास को सशक्त बनाना:

**यूनियन बैंक का सामाजिक प्रभाव (सीएसआर)**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कंपनी की अपने संचालन के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से प्रबंधित करने की प्रतिबद्धता का एक अभिन्न अंग है, जो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है. इसमें समाज को लौटाने के लिए, परोपकारी कार्यों में भाग लेने और सकारात्मक सामाजिक मूल्य प्रदान करने के लिए कंपनी के प्रयास शामिल हैं. आज, कंपनियाँ बदलाव लाने और सकारात्मक ब्रांड छवि बनाने के लिए सीएसआर के महत्व को तेजी से पहचान रही हैं. सीएसआर को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, परोपकारी जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी शामिल हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं. हम अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से समाज पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए समर्पित हैं. समाज की जरूरतों के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करके, हम सभी के लिए बेहतर और अधिक समावेशी भविष्य में योगदान करने का प्रयास करते हैं.

यूनियन बैंक समावेशी विकास, ग्रामीण विकास और सरकारी पहलों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है. हमारा बैंक ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है जो वंचित समाज का उत्थान करती हैं और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के अवसरों तक पहुँच में

सुधार करती हैं. हमारी ग्रामीण विकास पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना और टिकाऊ कृषि और कौशल विकास को बढ़ावा देना है. सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए बैंक सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है. यूनियन बैंक एक स्थायी सामाजिक प्रभाव बनाने और अधिक समावेशी और समृद्ध समाज को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है.

यूनियन बैंक पिछले वर्ष के प्रकाशित निवल लाभ का 1% तक स्वैच्छिक सीएसआर/धर्मार्थ गतिविधियों के लिए आवंटित करता है, हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण यह अनिवार्य नहीं है.

अपनी सीएसआर/धर्मार्थ गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित करने के लिए, हमारे बैंक ने 2 मार्च, 2006 को यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) की स्थापना की. यू.बी.एस.एफ.टी का प्राथमिक उद्देश्य वंचित समुदायों का उत्थान करना और गरीबों और वंचित लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार करना है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन द्वारा 89 परियोजनाओं के लिए कुल ₹37.70 करोड़ का दान स्वीकृत किया गया और 70 परियोजनाओं के लिए ₹ 25.47 करोड़ की राशि संवितरित की गई. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (UBSFT) को ₹121.40 करोड़ का दान दिया.

ये पहल सामाजिक उत्तरदायित्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनका उद्देश्य उन समुदायों पर सार्थक प्रभाव डालना है जिनकी हम सेवा करते हैं.

| ₹ 37.70 करोड़ | 89 |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) द्वारा स्वीकृत की गयी दान राशि | अनुमोदित परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की संख्या |

**यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी)**

वंचित समुदायों के उत्थान और गरीबों व शोषित लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए, सीएसआर/धर्मार्थ गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तारित शाखा के रूप में, बैंक ने 2 मार्च, 2006 को एक ट्रस्ट के रूप में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) की स्थापना की. यूबीएसएफटी धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और बैंक को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया है.

यूबीएसएफटी का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी पहल को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है. यूबीएसएफटी का लक्ष्य कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना है. यूबीएसएफटी के मुख्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार, शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचा और उपकरण प्रदान करना और निरंतर और सतत कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है.

यूबीएसएफटी का मिशन ऐसे कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करना, क्रियान्वित करना, उनमें भाग लेना, वित्तपोषित करना या अन्यथा सहायता प्रदान करना है जो व्यक्तियों और समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देते हैं.

यूबीएसएफटी बोर्ड का नेतृत्व हमारे बैंक के एमडी एवं सीईओ करते हैं, जिसमें कार्यपालक निदेशक वाइस चेयरमैन ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं. अन्य ट्रस्टियों में यूनियन बैंक के महाप्रबंधक और एक स्वतंत्र ट्रस्टी शामिल हैं. यूबीएसएफटी बोर्ड यूनियन बैंक की सीएसआर प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है और गतिविधियों की नियमित समीक्षा करता है. यूबीएसएफटी के मुख्य कार्यपालक बोर्ड के निर्देशों के क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं.

यूनियन बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी (एसआरसी) भी स्थापित की है, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ हमारे बैंक और यूबीएसएफटी की सीएसआर गतिविधियों की तिमाही आधार पर निगरानी करती है. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता वाली इस समिति में कार्यपालक निदेशक और गैर-आधिकारिक निदेशक गण शामिल हैं.

**वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहल**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में यूनियन बैंक/यूबीएसएफटी द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- शिक्षा और कौशल विकास: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और बेहतर भविष्य के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों का समर्थन करना.
- स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता: स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पहल प्रदान करने हेतु संगठनों के साथ साझेदारी करना.
- आजीविका संवर्धन: व्यक्तियों और समुदायों के आजीविका अवसरों, उद्यमशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहल करना.
- पर्यावरण संरक्षण: ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देती हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना.
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, कृषि और खेती की तकनीक, तथा ग्रामीण आजीविका सुधार पर केंद्रित परियोजनाओं का कार्यान्वयन.

## 18. ईज़ (उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उन्नत पहुँच

और सेवा उत्कृष्टता (ईज़) सुधार एजेंडा का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ाना है. इस एजेंडे में कई परिवर्तन हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक परिवर्तन के तहत बैंकिंग क्षेत्र की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए संशोधन लाए गए हैं, जिसमें वित्तीय समावेशन में सुधार, डिजिटल बैंकिंग का लाभ उठाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रभावी शासन सुनिश्चित करना शामिल है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईज़ एजेंडा के छठे संस्करण "आधुनिक क्षमताओं द्वारा सक्षम ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग" थीम के तहत लॉन्च किया गया था और हमारे बैंक को ईज़ 6.0 वार्षिक सूचकांक में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, साथ ही सभी चार थीम में दूसरा स्थान प्राप्त किया था.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईज़ का सातवाँ संस्करण "आर्थिक विकास: ग्राहक प्रसन्नता" लचीली बैंकिंग" थीम के तहत लॉन्च किया गया, जिसमें बैंकों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, एक मजबूत ग्राहक सेवा अभिविन्यास बनाए रखने, परिचालन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नए युग की क्षमता निर्माण को उत्प्रेरित करने पर जोर दिया गया. ईज़ 7.0 बैंकिंग सेवाओं के और अधिक डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देता है और भारत के वित्तीय क्षेत्र के आधुनिकीकरण में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जो पीएसबी को उत्कृष्टता के वैश्विक मानकों के साथ जोड़ता है.

ईज़ सुधार एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ है, जो आधुनिकीकरण, दक्षता और ग्राहक-प्रथम प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देता है. इस फ्रेमवर्क के तहत हमारे बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में सुधार, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, शासन सुधारों से लेकर परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रगति की है. ईज़ 7.0 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के तहत हमारे बैंक की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

- चैंपियन क्षेत्र में पहचान और क्षमता निर्माण.
- वी-केवाईसी के माध्यम से डिजिटल बचत खाता खोलने की प्रक्रिया को अपनाना.
- एमएसएमई के लिए युवा-उन्मुख उद्यमशीलता उत्पाद - "यूनियन युवा शक्ति" की शुरुआत.
- ग्राहक अनुभव के आधार पर शीर्ष शाखाओं को प्रोत्साहन.
- चैटबॉट के माध्यम से सेवाओं की संख्या में वृद्धि.
- आईवीआर पर शाखा दौरा संतुष्टि के लिए फीडबैक कैप्चर तंत्र की शुरुआत.
- बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहकों को उनके दायित्व संबंध के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करना.
- शाखा में टैबलेट के माध्यम से दी जानेवाली सेवाओं की संख्या में वृद्धि.
- गैर-गृह शाखाओं में सेवाओं की संख्या में वृद्धि.
- डिजिटल चैनलों के माध्यम से सेवाओं की संख्या में वृद्धि.
- बैंक के लिए समग्र एआई रणनीति की स्थापना और संचालन के लिए मुख्य एआई अधिकारी की भूमिका का परिचय दिया गया.
- बैंक में जनरल एआई कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक तकनीकी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया.
- बैंक में निर्देशात्मक विश्लेषणात्मक मॉडलों की तैनाती.
- वेबसाइट कार्यनिष्पादन से संबंधित मीट्रिक्स का विश्लेषण करने के लिए वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का निर्माण किया.
- क्लाउड प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ाना तथा क्लाउड कार्यनिष्पादन की निगरानी को बेहतर बनाना.
- रियल टाइम अपडेट के साथ ई.एफ.आर.एम.एस प्लेटफॉर्म पर लाइव चैनलों/उत्पादों की संख्या में वृद्धि.
- लिपिकीय कर्मचारियों के लिए केआरए का कार्यान्वयन.
- कर्मचारियों को उनके प्रश्नों के विशिष्ट जवाब प्राप्त करने के लिए ज्ञान रिपोजिटरी फ्रेमवर्क और जेन-एआई सक्षम चैटबॉट की शुरुआत.

वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए नवीनतम ईज़ 7.0 सूचकांक में, बैंक को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत दूसरे स्थान पर रखा गया है. आपके बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के सूचकांक में कुल पाँच विषयों में से दो विषयों में प्रथम स्थान और दो विषयों में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है, अर्थात बैंकिंग 'विकसित' भारत की ओर", "ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता", "नए युग की तकनीक और अन्य उन्नत क्षमताओं को अपनाना", "प्रभावी जोखिम/धोखाधड़ी प्रबंधन, संग्रह और वसूली" और "उभरती बैंकिंग प्राथमिकताओं के लिए कर्मचारियों का विकास करना".

जैसे-जैसे भारत ईज़ एजेंडा (ईज़ 8.0) के अगले चरण के साथ आगे बढ़ रहा है, ये उपलब्धियाँ एक अधिक लचीले और प्रतिस्पर्धी बैंक के लिए एक ठोस आधार तैयार करती हैं जो तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है. ईज़ के माध्यम से आपके बैंक के चल रहे परिवर्तन से स्थायी लाभ होने की संभावना है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह आने वाले वर्षों में भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहेगा.

**ईज़ नेक्स्ट (स्तंभ– II): बैंक-विशिष्ट 3-वर्षीय रोडमैप कार्यक्रम :**

बैंक विशिष्ट कार्यनीतिक पहलों के लिए ईज़ नेक्स्ट (स्तंभ-II) के भाग के रूप में, हमारे बैंक ने वित्तीय और गैर-वित्तीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से 46 मानदंडों को कवर करते हुए निम्नलिखित 5 पहलों को प्राथमिकता दी थी.

- ग्राहक सेवा एवं परिचालन उत्कृष्टता.
- जोखिम संरचना और पूंजी आवंटन.
- देनदारी फ्रेंचाइजी में वृद्धि.
- ज्ञानार्जन एवं विकास.

- तकनीकी लचीलापन और साइबर सुरक्षा.

इन पहलों से बैंक को ग्राहक सेवा में सुधार करने, जोखिम संरचना को मजबूत करने और तकनीकी लचीलेपन और साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने में मदद मिली है.

## 19. अभिस्वीकृतियाँ:

19.1 निदेशकगण भारत और विदेश में हमारे बैंक के शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर ट्रांसफर एजेंट और प्रतिनिधियों को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं.

19.2 निदेशकगण बैंक के कामकाज में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सतर्कता आयोग, बीएसई, एनएसई, वित्तीय संस्थानों, प्रतिनिधि बैंकों और हमारे बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं.

19.3 निदेशकगण वर्ष के दौरान हमारे बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन में स्टाफ सदस्यों द्वारा दी गई समर्पित सेवा और बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी असीम सराहना व्यक्त करते हैं तथा आने वाले वर्षों में हमारे बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके निरन्तर सहयोग की आशा करते हैं.

19.4 निदेशकगण यह भी चाहते हैं कि स्टाफ सदस्य सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें तथा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें.

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**



स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

# प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

## 1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1. वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि लचीली बनी रही, हालांकि यह ऐतिहासिक औसत से नीचे रही, वर्ष 2025 में उच्चावृति संकेतक विकास की गति में मंदी का संकेत दे रहे हैं. कई टैरिफ़ लगाए जाने के कारण बढ़ते व्यापारिक तनावों ने वृद्धि परिदृश्य को अनिश्चित बना दिया है. हालांकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी हो रही है, फिर भी कई अर्थव्यवस्थाओं में अवस्फीति की गति सुस्त और असमान होने के कारण यह लक्ष्य से ऊपर बनी रही. विभिन्न देशों में मौद्रिक नीति पथ में विचलन जारी है.

1.2. 2024 की दूसरी छमाही में, समायोजी वित्तीय स्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उछाल के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रही. हालाँकि, 2025 की पहली तिमाही के लिए उच्चावृति संकेतक, वैश्विक आर्थिक संवृद्धि में मंदी का संकेत देते हैं, क्योंकि वैश्विक सम्मिश्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का आउटपुट सूचकांक वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही के बाद से सबसे कमज़ोर था. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2024 की चौथी तिमाही में 2.4% बढ़ी (तीसरी तिमाही के कुल 3.1% से कम), यह उपभोक्ता और सरकारी व्यय में वृद्धि और आयात में गिरावट से समर्थित रही, हालांकि आंशिक रूप से निवेश में गिरावट से समायोजित रही. उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, चीन की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2024 की चौथी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष 5.4% तक बढ़ गई, जो वर्ष 2024 में सबसे मजबूत तिमाही वृद्धि को दर्शाती है. आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने 2024 की चौथी तिमाही में उच्च नए ऑर्डर और बढ़ी हुई उत्पादन गतिविधियों द्वारा लचीली वृद्धि का प्रदर्शन किया. समग्र रूप से, दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2024 में मजबूत विनिर्माण निर्यात और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के कारण स्वस्थ गति से वृद्धि होने की उम्मीद है, और वर्ष 2025 में भी वृद्धि दर स्थिर रहने की उम्मीद है.

1.3. मौद्रिक नीति की बदलती अपेक्षाओं और प्रशुल्क युद्धों (टैरिफ वार) की आशंकाओं के कारण वित्तीय बाज़ारों में उतार-चढ़ाव रहा है. भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, व्यापारिक तनावों में वृद्धि और पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी के कारण जनवरी 2025 में इक्विटी में उच्च स्तरों से गिरावट रही. व्यापारिक युद्ध की आशंकाओं के कारण मार्च से बिकवाली और भी तेज हो गई. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल 2024 की चौथी तिमाही में मजबूत हुई, लेकिन विकास में मंदी की चिंताओं के कारण उसके बाद नरम हो गई. अधिकांश प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल 2024 की चौथी तिमाही से मजबूत हुई, जिसका कारण है स्थिर मुद्रास्फीति और बढ़ती आर्थिक नीति अनिश्चितता के बीच ब्याज दरों की एक मजबूत भविष्य पथ की अपेक्षा रही. अमेरिका में, 2024 की चौथी तिमाही में बॉन्ड प्रतिफल मजबूत हुई और 10-वर्षीय ट्रेज़री प्रतिफल में 79 बीपीएस की वृद्धि हुई, क्योंकि डॉट प्लॉट अनुमान में संशोधन कर 2025 के अंत तक इसमें 50 बीपीएस की दर में कटौती की गई, जबकि यह पहले 100 बीपीएस था. हालांकि, 2025 की पहली तिमाही में, प्रतिफल में नरमी आई, जिसका कारण विकास में मंदी की आशंका, बाजार में सुधार और नीतिगत दरों तथा राजकोषीय घाटे की बदलती धारणाएं रहीं.

1.4. अक्टूबर 2024 में सोने की कीमतों में 4.9% माह-दर-माह की वृद्धि हुई, जो अमेरिकी चुनावों में ट्रम्प की जीत की बढ़ती संभावनाओं और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी चुनावों के संबंध में बढ़ती अनिश्चितता से प्रेरित थी. नवंबर और दिसंबर में कीमतों में गिरावट से यह तेजी काफी हद तक संतुलित हो गई, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ट्रेज़री प्रतिफल में वृद्धि ने सोना रखने की अवसर लागत बढ़ा दी, जिससे 2024 की चौथी तिमाही में सोने की कीमतों में 1.5% तिमाही-दर-तिमाही की गिरावट आई. इसके बाद, 2025 की पहली तिमाही में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें 19.5% की वृद्धि हुई और पहली बार 3100 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई, जो सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक सोने की खरीद के कारण हुआ.

1.5. वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में 2024 की चौथी तिमाही में कुछ नरमी आई, लेकिन 2025 की पहली तिमाही में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण धातुओं और कृषि की कीमतें थीं. 2024 की चौथी तिमाही में, ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी गई वैश्विक कमोडिटी की कीमतें अस्थिर रहीं और इनमें गिरावट की प्रवृति देखी गई, जिसके कारण धातु की कीमतों में नरमी के चलते कुल 1.6% की कमी दर्ज की गई. हालाँकि, यह गिरावट 2025 की पहली तिमाही में पूरी तरह से संतुलित हो गई, जब ऊर्जा और धातु की कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में 7.7% की तीव्र वृद्धि हुई.

1.6. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका में मिल्टन तूफान के कारण अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण कीमत $80 प्रति बैरल को पार कर गई. उसके बाद 2024 की चौथी तिमाही में कीमतों में नरमी आई और मंद रहीं, जो भू-राजनीतिक और आर्थिक कारकों के मिश्रण से प्रेरित होकर $74-76 प्रति बैरल की सीमा में बनी रहीं. जहां एक ओर तनाव में कमी, चीन के अपेक्षाकृत कमजोर प्रोत्साहन उपायों और मध्य पूर्व में युद्धविराम की चर्चाओं ने कीमतों को नीचे बनाए रखा, वहीं प्रतिबंधों की आशंका और भू-राजनैतिक तथा अन्य व्यापार तनावों के बढ़ने से समय-समय पर कीमतों में उछाल आया. दिसंबर 2024 के अंत से जनवरी 2025 के मध्य तक कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जो रूस के ऊर्जा क्षेत्र

पर प्रतिबंधों, टैरिफ लगाने की धमकियों और ठंडे मौसम की स्थिति को दर्शाती है. इसके बाद, भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में कमी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक+) से बेहतर आपूर्ति प्रतिक्रिया के बाद, इसमें नरमी आई है. हाल ही में, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की अनिश्चितता के कारण टैरिफ लगाने के बाद ऊर्जा और धातुओं की कीमतों में भी गिरावट आई है.

1.7. कई देशों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रही क्योंकि अवस्फीति में कमी आई. जबकि मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में कमी आई है, सेवाओं की मुद्रास्फीति महामारी से पहले के स्तर से अधिक बनी हुई है, खासकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में.

1.8. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा मार्च 2025 में जारी अपनी आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि का अनुमान 2025 में 3.1% और 2026 में 3.0% लगाया गया था. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) द्वारा अप्रैल 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, वैश्विक अवस्फीति जारी है, और मुद्रास्फीति 2025 में 4.3% और 2026 में 3.6% तक घटने की उम्मीद है. वैश्विक व्यापार वृद्धि (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 2024 में 3.8% से घटकर 2025 में 1.7% होने का अनुमान है, जिसके 2026 में 2.5% तक पुनः बढ़ने का अनुमान है. हालाँकि, अमेरिकी प्रशासन द्वारा हाल ही में की गयी पारस्परिक टैरिफ घोषणाएँ और संबंधित नीतिगत अनिश्चितता, वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रही हैं.

1.9. यूएस फेड ने सितंबर 2024 में सहजता चक्र शुरू किया, जिससे संघीय निधि दर के लिए लक्ष्य सीमा 50 बीपीएस से घटकर 4.75-5.00 प्रतिशत हो गई. इसके बाद की दो बैठकों में, अर्थात नवंबर और दिसंबर में, इसने संघीय निधि दर को 25 बीपीएस से घटाकर 4.25-4.50 प्रतिशत कर दिया. हालांकि, 2025 में, जनवरी और मार्च की दोनों बैठकों में नीतिगत दर को यथावत रखा गया. अपनी मार्च 2025 की बैठक में, फेड ने नोट किया कि ट्रंप द्वारा व्यापार टैरिफ वृद्धि पर आर्थिक परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई थी. मार्च की बैठक में जारी आर्थिक अनुमानों के सारांश के अनुसार, संघीय खुला बाज़ार समिति (एफ़ओएमसी) को अनुमान था कि 2025 के अंत तक संघीय निधि दरों के लिए लक्ष्य सीमा 3.75-4.00 प्रतिशत होगी, जो 2025 में 50 बीपीएस की और कटौती का संकेत दे रही है, जो कि दिसंबर 2024 के अनुमान के समान ही है. इस दौरान, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के दौरान आयोजित अपनी सभी चार बैठकों में जमा सुविधा दर (डीएफआर) में प्रत्येक बार 25 बीपीएस की कमी करते हुए अपनी नीतिगत दरों को कम करना जारी रखा, जिससे जून 2024 में अपना सहजता चक्र शुरू करने के बाद से बेंचमार्क दर में संचयी रूप से 150 बीपीएस की कमी की

## 2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9.2% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.5% की वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीडीपी ₹ 187.97 लाख करोड़ के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह ₹ 176.51 लाख करोड़ थी. आपूर्ति पक्ष से, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रमशः 4.4%, 5.9% और 7.2% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में क्रमशः 2.7%, 10.8% और 9.0% की वृद्धि हुई थी. पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि में सुधार हुआ, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट देखी गई.

2.2. बढ़ते व्यापारिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के कारण आईएमएफ ने अप्रैल के अपने आउटलुक में 2025 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी विकास पूर्वानुमान को जनवरी के आउटलुक से 30 आधार अंकों से घटाकर 6.2% कर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी जून की मौद्रिक नीति में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% लगाया है, जिसमें पहली तिमाही 6.5%, दूसरी तिमाही 6.7%, तीसरी तिमाही 6.6% और चौथी तिमाही भी 6.3% है. ग्रामीण क्षेत्रों से निरंतर मांग, शहरी खपत में प्रत्याशित पुनरुद्धार, सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि द्वारा समर्थित स्थिर पूंजी निर्माण में अपेक्षित सुधार, उच्च क्षमता उपयोग और कॉर्पोरेट्स और बैंकों के स्वस्थ तुलनपत्र से वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है. वर्तमान समय में अनिश्चित प्रतीत होने वाले उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कारण व्यापारिक निर्यात पर दबाव पड़ेगा, जबकि सेवा निर्यात में लचिलापन बने रहने की उम्मीद है. आपूर्ति पक्ष की बात करें तो कृषि क्षेत्र में संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई दे रही हैं, औद्योगिक गतिविधि में सुधार जारी है और सेवा क्षेत्र के लचीले होने की उम्मीद है. हालांकि, वैश्विक व्यापार व्यवधानों से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां, परिदृश्य के लिए जोखिम उत्पन्न करती रहती हैं.

## 3. कीमत परिदृश्य:

3.1. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 में औसतन 5.4% से घटकर 2024-25 में 4.6% हो गई, क्योंकि मूल मुद्रास्फीति कम हुई जबकि 2024-25 की दूसरी छमाही के अंत में सब्जियों की कीमतों में धीमे सुधार सहित खाद्य मुद्रास्फीति कम हुई. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2024-25 की पहली छमाही में औसतन 4.6% से बढ़कर 2024-25 की दूसरी छमाही में 4.7% हो गई. हेडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई में 3.6% से बढ़कर अक्टूबर 2024 तक 6.2% हो गई, जो सब्जियों तथा खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल से प्रेरित होकर ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई. आगामी महीनों में, जैसे ही सब्जियों की कीमतों में सुधार के कारण खाद्य मुद्रास्फीति कम हुई, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से मार्च 2025 में 3.3% तक कम हो गई. 2024-25 में मूल (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति धीमी रही तथा उसमें व्यापक गिरावट आई, जिसमें मुख्य वस्तुओं और सेवाओं दोनों श्रेणियों को शामिल किया गया. अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान यह 3.1-3.9 प्रतिशत के दायरे में रही, फिर मार्च 2025 में 4.1% तक मजबूत हुई. 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान मुख्य

मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव उप-समूह के कारण हुई, जो आधार प्रभावों के अलावा सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी मुख्य रूप से मुख्य मुद्रास्फीति के कारण हुई क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.3% की तुलना में 3.5% तक कम हो गई, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 6.7% (वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.0%) पर अपेक्षाकृत स्थिर रही.

3.2. हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च से जून 2024 के दौरान लगभग 5% पर स्थिर रही, उसके बाद अनुकूल आधार प्रभावों से इसमें तेज़ी से गिरावट आई. इसी अवधि में मूल मुद्रास्फीति 3.2% से घटकर 3.1% हो गई, जो वर्तमान सीपीआई (2012=100) श्रृंखला में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है. एक वर्ष से अधिक समय (जून 2023 से) तक देखी गई यह निरंतर क्रमिक नरमी जुलाई-सितंबर 2024 में बाधित हुई, जब मुख्य मुद्रास्फीति औसतन 3.4% रही, जिसका कारण मुख्य रूप से मोबाइल टैरिफ संशोधन का प्रभाव था.

3.3. 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, खाद्य मूल्य झटकों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखने को मिला. हालांकि, पूर्व-निवारक मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों ने अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों पर इनके द्वितीयक प्रभावों को सीमित करने और अवस्फीति प्रक्रिया को बनाए रखने में सहायता की है. आपूर्ति पक्ष के उपायों ने भी सामान्य मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों पर क्षेत्रीय मूल्य आघातों के प्रभाव को कम करने में भूमिका निभाई है. 2024-25 की चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में तेज सुधार के कारण सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय नरमी आई, और मजबूत कृषि उत्पादन के चलते इसके आगे भी बनी रहने की संभावना है. तथापि, अमेरिका द्वारा व्यापार टैरिफ में बढ़ोतरी और लगातार भू-राजनीतिक तनाव के कारण कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता का घरेलू मुद्रास्फीति परिदृश्य पर प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है.

3.4. हेडलाइन मुद्रास्फीति के कम होने और आरबीआई की लक्ष्य सीमा के अंतर्गत आने आने की उम्मीद है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति की गति घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों द्वारा निर्धारित की जाएगी. आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 3.7% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें पहली तिमाही 2.9%, दूसरी तिमाही 3.4%, तीसरी तिमाही 3.9% और चौथी तिमाही 4.4% होगी, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित होंगे. ऊर्ध्वगामी जोखिम निरंतर भू-राजनीतिक संघर्षों और परिणामी आपूर्ति व्यवधानों; कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता; और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं. अधोगामी जोखिम भू-राजनीतिक संघर्षों के शीघ्र समाधान; राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और ऋण पथ का पालन; वैश्विक मांग में कमी की स्थिति में वैश्विक कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में और सुधार; और आपूर्ति की स्थिति में सुधार से उत्पन्न हो सकते हैं.

## 4. शेयर बाजार का कार्यनिष्पादन

4.1. भारतीय इक्विटी बाजारों ने 2024-25 की पहली छमाही में ऊपर की ओर गति जारी रखी, बीएसई सेंसेक्स जुलाई 2024 में ऐतिहासिक 80,000 अंक को पार कर गया. मई माह में, बेहतर घरेलू और वैश्विक संकेतों से सकारात्मक बाजार भावनाओं के मद्देनजर भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया. सितंबर में यूएस फेड द्वारा दर में 50 बीपीएस की कटौती के बीच घरेलू इक्विटी में तेजी जारी रही और यह नए उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसमें प्रमुख वैश्विक एमएससीआई सूचकांक में भारतीय इक्विटी का भार चीन से आगे निकल गया. कुल मिलाकर, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 14.5% की तेजी आई और सितंबर 2024 के अंत में यह 84,300 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार सूचकांक ने बेंचमार्क सेंसेक्स से बेहतर कार्य-निष्पादन करना जारी रखा, बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक में 2024-25 की पहली छमाही के दौरान क्रमशः 25.5% और 32.4% की वृद्धि हुई. विदेशी निवेशक 2024-25 की पहली छमाही के दौरान इक्विटी में समग्र निवल खरीदार बने रहे. दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) से समर्थन मजबूत रहा. कुल मिलाकर, पहली छमाही में डीआईआई और एफ़पीआई क्रमशः ₹ 2.26 लाख करोड़ और ₹ 0.82 लाख करोड़ के निवल खरीदार रहे.

4.2 घरेलू इक्विटी बाजार में 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान वैश्विक टैरिफ युद्धों (नवंबर में अमेरिकी चुनावों में ट्रम्प की जीत के बाद)और भू-राजनीतिक तनावों को लेकर अनिश्चितता के बीच लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिससे जोखिम-विमुख रुझान और तीव्र एफ़पीआई बहिर्गमन शुरू हो गया. घरेलू इक्विटी बाजारों में निवल एफ़पीआई प्रवाह 2024-25 की दूसरी तिमाही में नकारात्मक हो गया. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) से प्रवाह मजबूत बना रहा. कुल मिलाकर, दूसरी छमाही में एफ़पीआई ₹2.2 लाख करोड़ के निवल विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ₹3.6 लाख करोड़ के निवल क्रेता खरीदार रहे. बेंचमार्क बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सेंसेक्स 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान 8.2% गिरकर मार्च 2025 के अंत में 77,415 पर बंद हुआ. दूसरी छमाही के दौरान बीएसई के सभी सेक्टोरल सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई. व्यापक बाजार सूचकांकों ने बेंचमार्क से कम कार्य-निष्पादन किया तथा बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक में क्रमशः 15.8% और 18.4% की गिरावट आई.

## 5. प्रतिफल उतार-चढ़ाव:

5.1. 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, जी-सेक प्रतिफल में कमी आई. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, यूएस प्रतिफल में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण प्रतिफल में मजबूती आई. इसके बाद, यूएस प्रतिफल में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, और सरकारी पत्रों की पुनर्खरीद के साथ वे कम हो गए. अगस्त और सितंबर में कम मुद्रास्फीति आंकड़े और यूएस में नीतिगत सहजता चक्र की शुरुआत के कारण प्रतिफल में नरमी जारी रही.

5.2. 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल

6.62 से 6.86% की सीमा में रही. संघीय खुला बाजार समिति (एफ़ओएमसी) द्वारा दरों में कटौती की धीमी गति के संकेत के बाद प्रतिफल में वृद्धि हुई और उसके बाद यह स्थिर रही. जनवरी के उत्तरार्ध में प्रतिफल में कमी आई, क्योंकि अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़े अनुमान से कम रहे, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और उभरते बाजार के स्थानीय मुद्रा सूचकांक (ईएमएलसीआई) में भारतीय सरकारी बॉन्ड शामिल किए गए. फरवरी के दौरान प्रतिफल में सीमित दायरे में कारोबार हुआ और तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने के कारण फरवरी के अंत में स्थिर रहा जिससे वृद्धि में तेज़ी दिखी. मार्च के दौरान, प्रतिफल में नरमी देखी गई, जिसका कारण अपेक्षा से कम सीपीआई आंकड़े, आरबीआई द्वारा चलनिधि उपाय, अप्रैल-सितंबर 2024 के लिए अपेक्षा से कम केंद्र सरकार की उधार कैलेंडर और दरों में एक और कटौती की संभावना रही.

5.3. 2024-25 की पहली छमाही के दौरान टी-बिलों पर प्रतिफल में कमी आई, क्योंकि चलनिधि अधिशेष में बनी रही. वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता, तंग चलनिधि की स्थिति और दरों में कटौती की कम उम्मीदों के बीच तीसरी तिमाही के दौरान टी-बिलों पर प्रतिफल में मजबूती आई. जनवरी और फरवरी के दौरान, घरेलू प्रतिफल में गिरावट और नीतिगत ढील की उम्मीदों के कारण सभी अवधियों में टी-बिल दरों में कमी आई. मार्च में वैश्विक और घरेलू विकास को देखते हुए टी-बिल दरों में कमी आई.

## 6. बाह्य क्षेत्र

6.1. 2024-25 के दौरान, व्यापारिक निर्यात में 0.1% की मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि व्यापारिक आयात में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई. 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, भारत के व्यापारिक निर्यात में 0.9% की कमी आई, जबकि आयात में 3.9% की वृद्धि हुई. परिणामस्वरूप, 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान व्यापारिक व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यूएस $121.9 बिलियन से बढ़कर यूएस $137.5 बिलियन हो गया. 2024-25 के दौरान सेवाओं के निर्यात में 13.6% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 4.8% से उल्लेखनीय वृद्धि है, जो भारतीय सेवाओं की मजबूत वैश्विक मांग को दर्शाती है. 2024-25 की दूसरी छमाही में, सेवाओं के निर्यात में पिछले वर्ष की मामूली 4.7% वृद्धि की तुलना में 16.0% की वृद्धि हुई. सेवा आयात में संकुचन से सुधार हुआ और 2024-25 के दौरान 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि घरेलू मांग में तेजी के कारण दूसरी छमाही के दौरान 12.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

6.2 चालू खाता घाटा (सीएडी), पिछली तिमाही में जीडीपी के 1.1% के घाटे और 2023-24 की चौथी तिमाही में जीडीपी के 0.5% के अधिशेष से 2024-25 की चौथी तिमाही में 1.3% के अधिशेष में परिवर्तित हो गया. वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी के 0.7% के घाटे से वित्त वर्ष 2024-25 में सीएडी बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% हो गया, जिसका मुख्य कारण उच्च व्यापार घाटा था. वित्त वर्ष 2024-25 में भुगतान संतुलन (बीओपी) 63.8 बिलियन डॉलर के अधिशेष से 5 बिलियन डॉलर के घाटे में बदल गया. यह वित्त वर्ष 2024-25 में पूर्ण रूप से सीएडी को वित्त वर्ष 2023-24 में $26.1 बिलियन से $23.4 बिलियन तक सीमित करने के बावजूद है.

6.3. चालू खाता घाटा (सीएडी), 2023-24 की पहली तिमाही में 1.0% के घाटे और 2023-24 की चौथी तिमाही में 0.5% अधिशेष से मामूली रूप से बढ़कर 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 1.1% पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण उच्च व्यापारिक व्यापार घाटा था. इसके अलावा, सीएडी, 2024-25 की दूसरी तिमाही में 1.8% बढ़ गया तथा चौथी तिमाही में अधिशेष में जाने के पूर्व 2024-25 की तीसरी तिमाही में 1.1% कम हुआ.

6.4. भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2024-25 के दौरान घटकर 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2023-24 में 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन में वृद्धि और बाह्य एफडीआई में वृद्धि है. एफडीआई प्रवाह के प्रमुख स्रोतों में सिंगापुर, मॉरीशस, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड और जापान शामिल हैं, जिनका कुल एफडीआई में 80% योगदान है. 2024-25 की पहली तिमाही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मुख्य रूप से इक्विटी में निवल आउटफ़्लो के कारण कम हुआ, हालांकि जेपी मॉर्गन के बेंचमार्क उभरते बाजार सूचकांक में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने की घोषणा के बाद ऋण प्रवाह मजबूत रहा है. हालांकि, 2024-25 की दूसरी तिमाही में एफपीआई प्रवाह ने ऋण प्रवाह में निरंतर वृद्धि और इक्विटी प्रवाह में पुनरुद्धार के साथ बदलाव दर्ज किया. वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफपीआई प्रवाह दर्ज किया गया, जबकि एक वर्ष पूर्व यह निवल प्रवाह 20.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल आउटफ़्लो दर्ज किया, क्योंकि पोर्टफोलियो निवेशक मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार एवं भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के कारण इक्विटी में निवल विक्रेता बन गए. कुल मिलाकर, एफपीआई ने वर्ष 2024-25 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 44.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल प्रवाह से काफी कम है. अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, बढ़ते अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और कॉर्पोरेट आय में कमी ने एफपीआई रुझानों को कम कर दिया है.

6.5. मुद्रा बाजार में, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान भारतीय रुपया (INR) ने मूल्यह्रास पूर्वाग्रह के साथ एक सीमाबद्ध तरीके से कारोबार किया. मार्च के अंत और सितंबर 2024 के अंत के बीच, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.5% कमजोर हुआ, हालांकि इसने कई समकक्षीय ईएमई मुद्राओं से बेहतर कार्य-निष्पादन किया. 2024-25 के उत्तरार्ध के दौरान, भारतीय रुपये को मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण गिरावट का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, लगातार एफ़पीआई के बहिर्गमन, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि और व्यापारिक घाटे में वृद्धि ने रुपये की गिरावट

को और बढ़ा दिया. हालांकि, एफ़पीआई अंतर्वाह और बेहतर जोखिम रुझानों के समर्थन से मार्च 2025 में रुपये में सुधार हुआ. रुपये ने वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को दर्शाते हुए, विशेष रूप से 2024-25 की चौथी तिमाही में अत्यधिक अस्थिरता का भी अनुभव किया. कई वैश्विक घटनाओं ने 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव में योगदान दिया, जिसमें अमेरिकी चुनाव, टैरिफ घोषणाएं और यूएस फेड की बैठकों से मिले थोड़े सख्त संकेत शामिल हैं. मार्च 2024 के अंत और मार्च 2025 के अंत के बीच, रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2.6% की गिरावट आई, जिसमें 2024-25 की दूसरी छमाही में सबसे अधिक गिरावट आई. इसके बावजूद, 2024-25 के दौरान रुपये का मूल्यह्रास कुछ समकक्षीय ईएमई की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली रहा.

6.6. 28 मार्च, 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 665.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2024-25 में ग्यारह महीने के वार्षिक व्यापारिक आयात और दिसंबर 2024 तक बकाया विदेशी ऋण के 92.7% के बराबर रहा.

## 7. चलनिधि की स्थिति:

7.1. रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन में चुस्ती और लचीलापन बनाए रखा और वित्तीय बाजारों के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बदलती चलनिधि गतिशीलता के मद्देनजर दो-तरफ़ा परिचालन किया. 2023-24 की दूसरी छमाही में सिस्टम चलनिधि घाटे की स्थिति से 2024-25 की पहली छमाही में अधिशेष में परिवर्तित हो गई. पहली छमाही के भीतर, पहली तिमाही में सिस्टम चलनिधि, चलन में मुद्रा (सीआईसी) में मौसमी विस्तार, सरकारी नकदी शेष के निर्माण और बैंकों द्वारा रखे गए अतिरिक्त नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष में वृद्धि के साथ घाटे में रही. परिणामस्वरूप, 2024-25 की पहली तिमाही में एलएएफ़ (एमएसएफ़ सहित) के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन ₹ 0.5 लाख करोड़ रहा. दूसरी तिमाही में बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी, रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा खरीद और चुनावों के बाद सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ चलनिधि की गतिशीलता बदल गई. दूसरी तिमाही में रिजर्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से अतिरिक्त चलनिधि को नियंत्रित किया. परिणामस्वरूप, दूसरी तिमाही में एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹ 1.3 लाख करोड़ रहा.

7.2. यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर 4% लक्ष्य के अनुरूप रही थी, 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अक्टूबर 2024 में समायोजन वापस लेने के रुख को परिवर्तित कर तटस्थ कर दिया, जबकि विकास का समर्थन करने की आवश्यकता उभरी. चलनिधि की स्थिति को सुगम बनाने के लिए, बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को दिसंबर 2024 में निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 50 बीपीएस से घटाकर 4.0% कर दिया गया, जिससे सीआरआर को महामारी से पहले के स्तर पर बहाल किया गया, जबकि बैंकिंग प्रणाली को ₹ 1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि जारी की गई. बाजारों को आश्वस्त करने और अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 2024-25 की चौथी तिमाही में चलनिधि संवर्धन के कई उपाय किए. इसने 16 जनवरी, 2025 से प्रभावी अगले कार्य दिवस पर प्रतिवर्तन के साथ सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी शुरू की. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने टर्म रेपो नीलामियों, खुले बाज़ार खरीद परिचालनों और यूएस डॉलर/भारतीय रुपया खरीद/बिक्री स्वैप के माध्यम से दीर्घकालिक चलनिधि को इंजेक्ट किया. रिज़र्व बैंक ने 2 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़) के तहत एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) के लिए उपलब्ध कुल सीमा को ₹ 10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 15,000 करोड़ कर दिया और अप्रैल 2025 के लिए खुले बाज़ार खरीद परिचालनों के मासिक कैलेंडर की घोषणा की. इसके अतिरिक्त, फरवरी 2025 में एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25% कर दिया.

7.3. सिस्टम चलनिधि, जिसे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निवल शेष राशि द्वारा मापा जाता है, 2024-25 की पहली छमाही में अधिशेष से 2024-25 की दूसरी छमाही में घाटे में परिवर्तित हो गई. भारत सरकार (जीओआई) के नकदी शेष में परिवर्तन, चलन में मुद्रा (सीआईसी) में विस्तार और अस्थिर पूंजी प्रवाह दूसरी छमाही के दौरान चलनिधि के प्रमुख संचालक बनकर प्रकट हुए. मुद्रा की मांग में वृद्धि और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों के कारण बैंकिंग प्रणाली चलनिधि के क्षरण की आंशिक रूप से भरपाई दूसरी छमाही के दौरान भारत सरकार की नकदी शेष में कमी, सीआरआर में कमी और रिजर्व बैंक के चलनिधि संवर्धन वाले उपाय, जिसमें भारत सरकार के बॉण्ड बायबैक के अलावा ओएमओ, एफएक्स स्वैप शामिल हैं, द्वारा की गई.

## 8 आरबीआई के नीतिगत निर्णय:

8.1 फरवरी, 2023 से नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने के बाद, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2024-25 की दूसरी छमाही में मौद्रिक सहजता की शुरुआत की. इसने अक्टूबर, 2024 में समायोजन वापस लेने के रुख को परिवर्तित कर तटस्थ कर दिया और फरवरी, 2025 की बैठक में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया. दिसंबर, 2024 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा रखे जाने वाले आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 बीपीएस तक कम कर दिया

8.2 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, जैसे-जैसे चलनिधि की स्थिति अधिशेष में परिवर्तित हुई, ओवरनाइट मुद्रा बाजार दरें नरम हुईं और सामान्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के भीतर रहीं. हालाँकि, पहली छमाही के अंत (30 सितंबर) में, बैंकों द्वारा गैर-संपार्श्विक बाजार में अपने एक्सपोजरों को कम करने के कारण भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) में 15 बीपीएस की वृद्धि हुई, जिससे आगामी तिमाही में उच्च जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकता

हुई. औसतन, पहली छमाही के दौरान डब्लूएसीआर नीतिगत रेपो दर से 5 आधार अंक (बीपीएस) अधिक रहा, जबकि 2023-24 की दूसरी छमाही में यह 21 आधार अंक था

8.3 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, डब्ल्यूएसीआर, जो नीतिगत कॉरीडोर के भीतर रहा और अक्टूबर-नवंबर के दौरान नीतिगत रेपो दर के निकट रहा, दिसंबर के दूसरे भाग और जनवरी के आरंभ में कठोर हो गया, तथा एलएएफ कॉरीडोर (एमएसएफ दर) की अधिकतम सीमा के करीब पहुंच गया और कभी-कभी इसे पार भी कर गया. जनवरी के मध्य से दैनिक वीआरआर के आरंभ, फरवरी में नीतिगत रेपो दर में कटौती और आरबीआई के चलनिधि संवर्धन के उपायों के साथ डब्ल्यूएसीआर में नरमी आई. नीतिगत रेपो दर पर डब्ल्यूएसीआर का औसत प्रसार दिसंबर, 2024 में 15 बीपीएस के उच्च स्तर से घटकर मार्च, 2025 में 7 बीपीएस हो गया.

## 9 बैंकिंग वातावरण:

9.1 भारत का बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ और लचीला बना हुआ है, जिसे आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार, खराब ऋणों के लिए बढ़ा हुआ प्रावधान, संवहनीय पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि का समर्थन प्राप्त है.

9.2 2024-25 के दौरान बैंक ऋण की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में कमी आई. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) 2024-25 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए जाने वाले वृद्धिशील ऋण के प्रमुख संचालक बने रहें, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की हिस्सेदारी में गिरावट आई. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का खाद्येत्तर बैंक ऋण 21 मार्च, 2025 तक वर्ष-दर-वर्ष 12.0% की धीमी गति से बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.3% था. क्षेत्र-वार, उद्योग की तुलना में बैंक ऋण वृद्धि में सुधार हुआ तथापि यह 8.0% वर्ष-दर-वर्ष पर धीमी रही. जबकि मार्च, 2025 में कृषि ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में 10.4% रही, लेकिन यह मार्च, 2024 में 20.0% से कम हो गई. मार्च, 2025 में सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक ऋण क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि में क्रमशः 13.4% और 14.0% की कुछ कमी के बावजूद, वे 2024-25 के दूसरी छमाही के दौरान खाद्येत्तर ऋण वृद्धि के प्रमुख संचालक बने रहे. अपरिवर्तित जोखिम भार वाले वैयक्तिक ऋण खंडों में वृद्धिशील ऋण में उत्तरोत्तर सुधार हुआ, जबकि बढ़े हुए जोखिम भार वाले ऋण श्रेणियों के लिए यह कम हुआ. कुछ नरमी के बावजूद आवास ऋण में तेज गति से वृद्धि हुई, जबकि वाहन ऋण की वृद्धि धीमी हो गई.

9.3 21 मार्च, 2025 को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 10.3% रही तथा सकल अग्रिमों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 11.0% रही. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा तथा ऋण वृद्धि के बीच का अंतर 77 बीपीएस तक बढ़ गया है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 80.8% था, जिसमें वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 86.3% था. सतत ऋण मांग तथा ऋण और जमा वृद्धि के बीच लगातार अंतर के संयोजन ने बैंकों (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) को वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए अपनी सावधि जमा दरों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जमा वृद्धि ऋण वृद्धि से कम रही.

9.4 2024-25 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, कुल सकल गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात मार्च 2025 में घटकर 2.3% रह गया, जो एक वर्ष पहले 3.0% था. सभी प्रमुख क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ.

9.5 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, बैंकों की ऋण और जमा दरों में वृद्धि हुई, जो चल रही मौद्रिक नीति संचरण को दर्शाती है, जिसमें निरंतर ऋण मांग तथा ऋण और जमा वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर के मद्देनजर बाद में तेजी से समायोजन किया गया. कुल बकाया अस्थिर दर वाले ऋणों में ईबीएलआर से लिंक ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में 56.6% से बढ़कर जून 2024 के अंत में 57.5% हो गई. साथ ही, इसी अवधि में एमसीएलआर से लिंक ऋणों की हिस्सेदारी 39.2% से घटकर 38.6% हो गई. कम पुनर्निर्धारण अवधि वाले ईबीएलआर से लिंक ऋणों की बढ़ती हिस्सेदारी ने वर्तमान सख्त चक्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डब्ल्यूएएलआर के प्रसार में सहायता की..

9.6 दूसरी छमाही के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया अस्थिर दर ऋणों में बाह्य बेंचमार्क-आधारित ऋण दर (ईबीएलआर) से लिंक ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में 56.6% से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत में 60.6% हो गई. परिणामस्वरूप, एमसीएलआर से लिंक ऋणों की हिस्सेदारी घटकर 35.9% रह गई. ऋण दरों में तेजी से समायोजन के साथ, ईबीएलआर प्रणाली ने मौद्रिक नीति संचरण की गति को तीव्र कर दिया है. एमसीएलआर और अन्य परंपरागत दरों से जुड़े ऋणों का जारी रहना समग्र मौद्रिक नीति संचरण में बाधा के रूप में कार्य करता है..

## 10 संसाधन जुटाना

बैंक में जमा संग्रहण विभाग, बैंक की वित्तीय स्थिति और परिचालन सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसकी प्रमुख भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

### 10.1 जमा आकृष्ट करना और उसका प्रतिधारण:

- विभिन्न प्रकार की सावधि जमाओं को आकृष्ट करने हेतु कार्यनीति तैयार करना.
- विभिन्न ग्राहक वर्गों (व्यक्ति, व्यवसाय आदि) के अनुरूप जमा योजनाओं को तैयार करना और उनका प्रचार करना.

### 10.2 ग्राहक संबंध प्रबंधन:

- निष्ठता और दीर्घकालिक जमा को प्रोत्साहित करने हेतु जमाकर्ताओं के साथ सुदृढ़ संबंध बनाना.

### 10.3 बाजार अनुसंधान और विश्लेषण:

- जमा उत्पादों और अभियानों को परिष्कृत करने के लिए जमा प्रवृत्तियों, प्रतिस्पर्धी पेशकशों और ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करना.

### 10.4 शाखाओं के साथ समन्वय:

- सतत विकास को बनाए रखने के लिए जमा संग्रहण हेतु शाखाओं को मार्गदर्शन और लक्ष्य प्रदान करना.

**10.5 उत्पाद विकास और नवोन्मेष:**

- बदलती बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए जमा उत्पादों का विकास करना तथा मौजूदा उत्पादों को अद्यतन करना.
- यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं.

**10.6 अनुश्रवण और रिपोर्टिंग:**

- जमा वृद्धि पर नज़र रखना तथा आगे सुधार लाने के लिए नियमित रिपोर्ट तैयार करना.

**10.7 अनुपालन और जोखिम प्रबंधन:**

- यह सुनिश्चित करना कि सभी जमा संग्रहण गतिविधियाँ बैंकिंग विनियमों के अनुरूप हों.

**वर्ष के दौरान की गई पहल:**

❖ **यूनियन ग्रीन डिपॉजिट का शुभारंभ:** बैंक ने अप्रैल 2024 माह में ईएसजी ढांचे के अंतर्गत यूनियन ग्रीन डिपॉजिट नामक एक नया सावधि जमा उत्पाद आरंभ किया है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 11.99 करोड़ का कारोबार प्राप्त किया है.

❖ **यूनियन आरडी मिलियनेयर का शुभारंभ:** आकर्षक ब्याज दर के साथ खुदरा सावधि जमा की वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने एचएनआई (उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति) ग्राहकों को लक्षित करते हुए एक नई योजना आरडी मिलियनेयर आरंभ की है. इस आवर्ती जमा उत्पाद में, जमा की परिपक्वता मूल्य न्यूनतम ₹ 10.00 लाख है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 383.92 करोड़ का कारोबार प्राप्त किया है.

❖ **यूनियन संवृद्धि का शुभारंभ:** खुदरा सावधि जमा की वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने एक नई योजना यूनियन संवृद्धि आरंभ की है, जो 333 दिनों की अवधि के लिए एक सावधि जमा है, जिसमें बैंक ने उक्त अवधि में उच्च दरें प्रदान की हैं. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 महीनों के दौरान ₹ 39,448 करोड़ का कारोबार प्राप्त किया है, जिसमें एनटीबी (बैंक के लिए नए) ग्राहकों से ₹ 3,140 करोड़ प्राप्त हुए हैं.

❖ **यूनियन संपूर्ण का शुभारंभ:** खुदरा सावधि जमा की वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने एक नई योजना यूनियन संपूर्ण भी आरंभ की है, जो 456 दिनों की अवधि के लिए एक सावधि जमा है जिसमें बैंक ने उक्त अवधि में उच्च दरें प्रदान की हैं. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 महीनों के दौरान ₹ 53,176 करोड़ का कारोबार प्राप्त किया है, जिसमें एनटीबी से ₹ 2,043 करोड़ प्राप्त हुए हैं.

❖ **व्योम में एमआईएस सक्षम किया गया:** व्योम (मोबाइल फोन ऐप) का उपयोग करने वाले ग्राहकों की सुगमता के लिए, बैंक ने व्योम में एमआईएस सक्षम करने की पहल की है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्योम के माध्यम से एमआईएस में प्राप्त कुल कारोबार ₹ 92.88 करोड़ है.

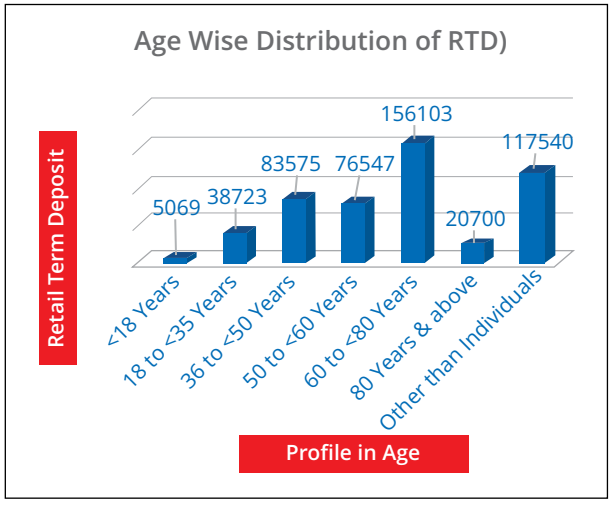
**सावधि जमा कार्य-निष्पादन वर्ष दर वर्ष**
(राशि ₹ करोड़ में)

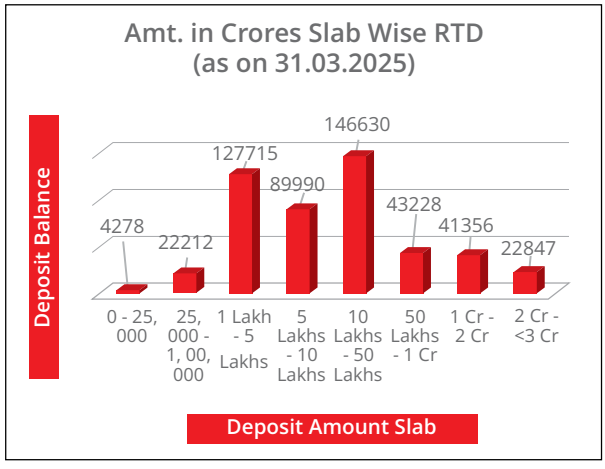
| मानदंड | मार्च-21 | मार्च-22 | मार्च-23 | मार्च-24 | मार्च-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| खुदरा सावधि जमा | 3,93,473 | 4,47,285 | 4,41,287 | 4,58,949 | 4,98,255 |
| थोक जमा | 1,92,562 | 2,07,716 | 2,70,837 | 3,30,178 | 3,47,248 |
| सावधि जमा | 5,86,035 | 6,55,001 | 7,12,124 | 7,89,127 | 8,45,503 |
| **कुल जमा** | **9,21,633** | **10,32,102** | **11,17,716** | **11,99,199** | **12,71,745** |

*आरबीआई के निर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 15.06.2024 से खुदरा सावधि जमा की राशि को मौजूदा <2.00 करोड़ से परिवर्तित कर <3.00 करोड़ कर दिया है.

**वर्ष दर वर्ष सावधि जमा वृद्धि**
(राशि ₹ करोड़ में)

| मानदंड | वित्त 20-21 | वित्त 21-22 | वित्त 22-23 | वित्त 23- 24 | वित्त 24-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| | निरपेक्ष | निरपेक्ष | निरपेक्ष | निरपेक्ष | निरपेक्ष |
| खुदरा सावधि जमा | 33,835 | 50,279 | -5,997 | 17,662 | 39,306 |
| थोक जमा | -16,185 | 15,154 | 63,120 | 59,341 | 17,070 |
| सावधि जमा | 17,650 | 68,966 | 57,123 | 77,003 | 56,376 |
| **कुल जमा** | **56,650** | **1,10,469** | **85,614** | **81,483** | **72,546** |






**वर्ष दर वर्ष खुदरा सावधि जमा का भौगोलिक वितरण**
(राशि ₹ करोड़ में)

| मानदंड | वित्त वर्ष 21-22 | वित्त वर्ष 22-23 | वित्त वर्ष 23- 24 | वित्त वर्ष 24-25 |
|---|---|---|---|---|
| शाखा श्रेणी | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| ग्रामीण | 37516 | 40667 | 44940 | 51486 |
| अर्ध शहरी | 65038 | 69509 | 74976 | 82970 |
| शहरी | 116448 | 113040 | 118771 | 130067 |
| महानगर | 228282 | 218071 | 220263 | 233733 |
| बैंक कुल | 447285 | 441287 | 458949 | 498255 |

**आगे की राह:**

- **आवर्ती जमा अभियान**

  लक्ष्य – अप्रैल – 25 के दौरान ₹ 1,500 करोड़ की पहली किस्त का कुल संग्रह

  वित्तीय वर्ष 25-26 - ₹18,000 करोड़ (12 महीनों के लिए ₹ 1500 करोड़ प्रति माह)

- **यूनियन वेलनेस प्रोडक्ट**

  लक्ष्य - वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 8000 करोड़ यानी ₹ 2000 करोड़ प्रति तिमाही

- एनटीबी ग्राहकों के लिए एफडी/आरडी खाते खोलने के लिए एसटीपी यात्रा

  लक्ष्य - वित्तीय वर्ष 25-26 में ₹ 1000 करोड़ की निधि के 10,000 खाते

## 11 ऋण प्रबंधन

### 11.1 समग्र ऋण:

दिनांक 31.03.2025 तक बैंक का कुल अग्रिम ₹ 9,82,894 रहा, कॉर्पोरेट एवं अन्य अग्रिम ₹ 4,51,215 करोड़ रहा. देश भर में 12 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएँ (एलसीबी) और 38 मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ (एमसीबी) कॉर्पोरेट ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं. हमारे बैंक ने लार्ज कॉर्पोरेट की निवेश-ग्रेड परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण संवितरण किया है, इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के अवसरों में भाग लिया है.

### 11.2 मिड कॉर्पोरेट:

एमसीवी ने मिड कॉरपोरेट वर्टिकल नियंत्रित खातों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.25% की वृद्धि दर्ज की है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 22211.00 करोड़ की राशि के कुल 193 नए व्यापार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से ₹ 9369 करोड़ की राशि के 82 खातों में अंतिम मंजूरी दी गई है.

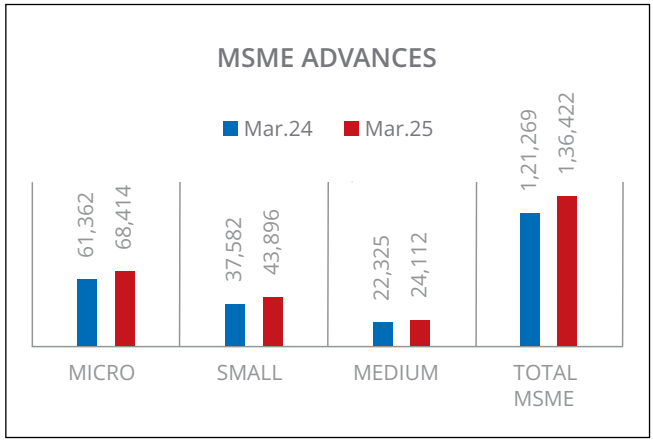
एमसीवी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 179 खातों में ₹ 8424 करोड़ की वृद्धि प्रदान की है. एमसीवी की गैर-ब्याज आय में नई मंजूरी/वृद्धि/गैर-निधि आधारित ऋण सीमाओं (तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर) के उपयोग से वर्ष दर वर्ष आधार पर 84.47% की वृद्धि दर्ज की गई.

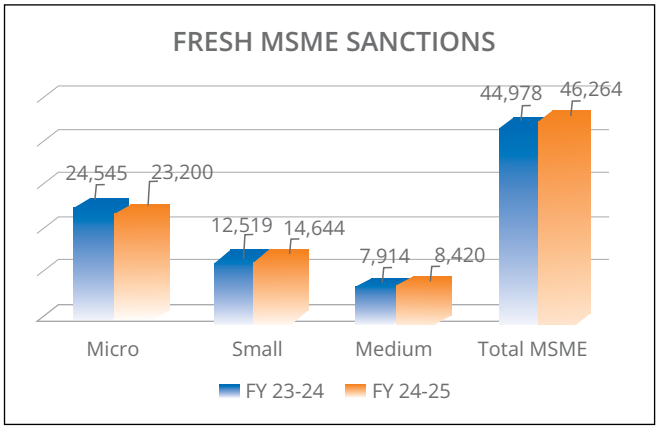
### 11.3 एमएसएमई:

- **वित्तीय पूंजी**

**कारोबार वृद्धि**
(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च 24 | मार्च 25 | वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| कुल एमएसएमई अग्रिम | 1,21,269 | 1,36,422 | 12.50% |






**चिन्हित एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत कार्य-निष्पादन:** बैंक ने लक्षित एमएसएमई खंड के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं. वर्ष के दौरान चिन्हित की गई एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत बैंक के कार्य-निष्पादन का विवरण निम्नलिखित है.

| योजना का नाम | मंजूर खाता (संख्या) | मंजूर राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| यूनियन एमएसएमई सुविधा | 4267 | 3361 |
| यूनियन नारी शक्ति | 20820 | 2577 |
| यूनियन उपकरण वित्त | 1127 | 744 |
| यूनियन आयुष्मान प्लस | 483 | 334 |
| यूनियन कोंट्रेक्टर | 436 | 604 |
| यूनियन टेक्सटाइल | 882 | 613 |
| यूनियन एमएसई सपोर्ट | 512 | 579 |

**एमएसएमई ऋण केंद्र:** वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे 135 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्रों ने ₹ 36,293 करोड़ के ऋण प्रस्तावों को मंजूर/मूल्यांकित किया है, जिनमें से ₹ 10,311 करोड़ उनके अपने प्रत्यायोजन के अंतर्गत थे.

**शाखा प्रबंधक प्रत्यायोजन शक्ति अभियान:** एमएसएमई के अंतर्गत स्थायी कारोबार प्राप्त करने के लिए, वर्टिकल ने वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान एमएसएमई ऋणों हेतु शाखा प्रबंधक प्रत्यायोजन के उपयोग के लिए अभियान शुरू किया है. इस अभियान को क्षेत्र से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली और कुल 3,60,334 ऋण खातों को मंजूरी दी गई, जिससे ₹ 13,597 करोड़ की राशि प्राप्त हुई.

**आउटरीच कैंप:** एमएसएमई कारोबार के अंतर्गत विकास को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने नियमित रूप से अपने निर्धारित क्षेत्रों का दौरा किया है. इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई कारोबार आकड़ों में सुधार के साथ उनके क्षेत्रों के अनुश्रवण में वृद्धि हुई है.

**क्लस्टर विशिष्ट योजनाएँ:** बैंक के पास पूरे भारत में 20 स्वीकृत क्लस्टर विशिष्ट योजनाएं हैं. वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कुल मंजूरी ₹ 1,441 करोड़ थी.

**यूनियन एमएसएमई फर्स्ट शाखाएं:** एमएसएमई क्लाइंट बेस की जरूरतों को पूरा करने और उनकी ऋण आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए, बैंक के पास देश भर में 114 यूएमएफबी हैं, जिनका कुल एमएसएमई पोर्टफोलियो ₹ 12,230 करोड़ का है. वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान इन यूएमएफबी के माध्यम से ₹ 6275 करोड़ की राशि के 2025 ऋण मंजूर किए गए हैं.

- **विनिर्मित पूंजी**

❖ नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ: बैंक ने देश भर में पाँच स्थानों पर नारी शक्ति शाखाएं आरंभ की हैं. इन शाखाओं का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया. इन शाखाओं के माध्यम से दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं निम्नलिखित हैं

- महिला उद्यमियों के लिए उपयुक्त ऋण और जमा उत्पाद.
- सलाहकार सेवाएं.
- स्टार्टअप्स के लिए कार्यशालाएं.
- कौशल विकास कार्यक्रम.
- मेंटरशिप और नेटवर्किंग

नारी शक्ति शाखाओं के अंतर्गत कुल कारोबार ₹ 276 करोड़ (अग्रिम: ₹ 190 करोड़ और जमा ₹ 86 करोड़) है.

❖ एमएसएमई ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान 16 एमएसएमई फर्स्ट शाखाएं आरंभ की गईं.

❖ सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों की भागीदारी से शाखा स्तर पर आउटरीच शिविर आयोजित किए जाते हैं.

❖ संवहनीय कारोबार की मात्रा बढ़ाने के लिए, एमएसएमई ऋण बही में वृद्धि हेतु वर्टिकल द्वारा निम्नलिखित अभियान चलाए गए.

| अभियान का नाम | खाते | मंजूर राशि |
|---|---|---|
| एमएसएमई इम्पावर अभियान | 2443 | 11,759 |
| क्वांटम लीप एमएसएमई अभियान | 849 | 4,290 |
| **कुल** | **3292** | **16,049** |

❖ ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत मंजूरी: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया संपार्श्विक मुक्त ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करने में अग्रणी है. वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान मंजूरी का विवरण निम्नानुसार है.

| योजना | खाते | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| सीजीटीएमएसई | 3,02,552 | 17,481 |
| सीजीएफएमयू (कृषि संबद्ध सहित) | 3,88,215 | 31,613 |
| **कुल** | **6,90,767** | **49,094** |

- **बौद्धिक पूंजी**

  **डिजिटल परिवर्तन:** एमएसएमई ग्राहक अब अपनी कारोबारिक आवश्यकताओं के लिए डिजिटल रूप से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस मोर्चे पर, बैंक ने डिजिटल प्रक्रियाएँ शुरू की हैं, जिसके माध्यम से ₹ 1.00 करोड़ तक के ऋण डिजिटल रूप से मंजूर किए जा सकते हैं.

  प्रत्येक डिजिटल उत्पाद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

| डिजिटल प्रक्रियाएँ | खाते | मंजूर राशि |
|---|---|---|
| एसटीपी शिशु मुद्रा | 39,624 | 189 |
| एसटीपी किशोर और तरुण मुद्रा | 65,426 | 2,740 |
| नारी शक्ति एसटीपी | 8,087 | 438 |
| एमएसएमई सुपरफास्ट एसटीपी | 905 | 266 |
| यूनियन डिजिटल ईज़ | 1,546 | 70 |
| कार्यशील पूंजी संवर्धन | 49 | 4 |
| **कुल** | **1,15,637** | **3,707** |

**बैंक द्वारा की गई अन्य डिजिटल पहल**

- ✓ एमएसएमई खातों का ₹ 25.00 लाख तक का डिजी नवीनीकरण: वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान, 12.32 लाख एमएसएमई खातों की डिजिटल रूप से समीक्षा की गई, जो स्लैब के अंतर्गत कुल खातों का 98% है.
- ✓ डिजिटल चैनल के माध्यम से मंजूरी की अधिकतम सीमा ₹ 0.25 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 1.00 करोड़ कर दी गई है.

- **मानव पूंजी**

  ज्ञानार्जन एवं विकास: एमएलपी प्रमुखों सहित एमएसएमई ऋण केंद्रों (एमएलपी) में पदस्थ ऋण अधिकारियों के व्यापक विकास, उनकी कार्य भूमिका में बेहतर कार्यान्वयन के लिए ज्ञान के स्तर में वृद्धि हेतु मौजूदा प्रशिक्षण संरचना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

- **सामाजिक एवं संबंध पूंजी**

  - ❖ पीएमएमवाई: उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और महत्वाकांक्षी युवाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए, बैंक वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 18,649 करोड़ की कुल मंजूरी के साथ 7,10,680 आवेदनों को मंजूरी देकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है..
  - ❖ पीएमईजीपी: वर्टिकल सभी स्तरों पर नियमित निगरानी के साथ सभी क्षेत्रों में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने 7,072 व्यक्तियों को उद्यमिता की यात्रा शुरू करने में सक्षम बनाया है, जिसके लिए कुल ₹ 1010 करोड़ मंजूर किए गए हैं.
  - ❖ पीएम विश्वकर्मा: कारीगरों को सहायता प्रदान करने और उनके व्यापार को संरक्षित करने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 173 करोड़ के साथ 19,761 कारीगरों को सहायता प्रदान की है.
  - ❖ स्टैंडअप इंडिया: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत ₹ 249 करोड़ की संचयी मंजूरी के साथ 1300 आवेदनों को मंजूरी दी है.
  - ❖ यूनियन सोलर (नया उत्पाद): हरित ऊर्जा के उपयोग के लिए कारोबारों को प्रोत्साहित करने और जलवायु नियंत्रण की दिशा में योगदान करने के लिए, 462 इकाइयों को ₹ 423.00 करोड़ की मंजूरी राशि के साथ सहायता प्रदान की गई.

## 12. खुदरा:

खुदरा ऋण, बैंक में ऋण प्रदान करने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और यह बैंक के कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का लगभग 23% है तथा खुदरा ऋण के अंतर्गत गृह और शिक्षा ऋण बैंक के केंद्रित उत्पाद हैं. बैंक ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुदरा क्षेत्र के अंतर्गत सतत वृद्धि प्रदर्शित की है. बैंक उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा और वैयक्तिक ऋण प्रदान करता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कुल खुदरा ऋण अग्रिम (पीडब्लूओ को छोड़कर) ₹ 216777 करोड़ तक पहुँच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) 22.14% की वृद्धि दर्शाता है.

(₹ करोड़ में)

| खुदरा ऋण वृद्धि | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2025 | वृद्धि | % वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| गृह ऋण | 86079 | 94825 | 8746 | 10.16% |
| वाहन ऋण | 20340 | 22462 | 2122 | 10.43% |
| शिक्षा ऋण | 14068 | 15912 | 1845 | 13.12% |
| बंधक ऋण | 15043 | 16152 | 1109 | 7.37% |
| वैयक्तिक ऋण | 11450 | 11225 | -226 | -1.97% |
| अन्य | 30508 | 56202 | 25693 | 84.22% |
| **कुल खुदरा अग्रिम (पीडब्लूओ को छोड़कर)** | **177488** | **216777** | **39289** | **22.14%** |

**वैयक्तिक एवं बंधक ऋण:**

बैंक वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी वर्ग के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर वैयक्तिक ऋण और बंधक ऋण प्रदान करता है. वैयक्तिक ऋण विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, शिक्षा और यात्रा को पूरा करते हैं. पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा उपचार, यात्रा या किसी भी अप्रत्याशित व्यय सहित व्यक्तिगत व्ययों के वहन हेतु विशेष वैयक्तिक ऋण उपलब्ध है. बंधक ऋण ग्राहक को उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आवश्यकताओं को सुगम बनाने में मदद करता है. इन क्षेत्रों में प्रतिबद्ध वृद्धि, अपने ग्राहकों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करने में बैंक की भूमिका को प्रदर्शित करती है.

**विशेष पहल और योजना**

- **प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0):**

  केंद्रीय बजट 2024 में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा. तदनुसार, 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) आरंभ की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शहरी भारत के पात्र नागरिक बेहतर जीवन स्तर का जीवन जी सकें.

  प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) - शहरी क्षेत्रों के लिए 'सभी के लिए आवास' मिशन 01.09.2024 से 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी)/प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किफायती कीमत पर आवास निर्माण, क्रय हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके. नई विशिष्ट आवास ऋण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) बैंक द्वारा तैयार की गई है. बैंक योजना के सफल कार्यान्वयन और पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चला रहा है.

- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए गृह ऋण योजना: शहरी क्षेत्र**

  'सभी के लिए आवास' की सरकारी पहल के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कम आय वाले व्यक्तियों को आवास ऋण हेतु औपचारिक ऋण प्रदान करने के लिए एक तंत्र या योजना तैयार करने की पहल की है, जिनके पास या तो न्यूनतम या कोई प्रमाणित आय या आय प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके पास बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों के डिजिटल फुटप्रिंट हैं.

  बैंक सरकार की पहल के अनुसार उत्पादों को संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है, पात्र लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आय स्रोत (दस्तावेजी प्रमाण नहीं) वाले व्यक्तियों के लिए एक नई विशिष्ट आवास ऋण योजना तैयार की गई.

- **यूनियन ग्रीन होम:**

  हाल के वर्षों में, पर्यावरण संरक्षण और जीवन के विभिन्न पहलुओं में संवहनीय प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता बढ़ रही है. ऐसा ही एक क्षेत्र है जहाँ संवहनीयता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है, वह है "आवास क्षेत्र". लोग पर्यावरण पर अपने घरों के प्रभाव के संबंध में अधिक जागरूक हो रहे हैं और सक्रिय रूप से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपायों की तलाश कर रहे हैं. मानसिकता में इस परिवर्तन के कारण भारत में ग्रीन होम ऋण की मांग बढ़ रही है.

  संवहनीय वित्त पहल के भाग के रूप में और ग्रीन होम ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बैंक ने विशिष्ट गृह ऋण योजना "यूनियन ग्रीन होम" तैयार की है. बैंक इस क्षेत्र के अंतर्गत कम ब्याज दर और अन्य प्रोत्साहनों के साथ गृह ऋण प्रदान कर रहा है.

- **यूनियन एजुकेशन प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम - विद्यालक्ष्मी ) योजना:**

  भारत सरकार की पहल के अनुसार "पीएम - विद्यालक्ष्मी" नामक एक विशेष शिक्षा ऋण योजना तैयार की गई है. इस योजना के अंतर्गत मेरिट चैनल के माध्यम से शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले छात्रों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है. यह शिक्षा ऋण उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने भारत में 860 क्यूएचईआई में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया है. सभी पारिवारिक आय वर्गों के छात्र इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे.

- **खुदरा ऋण का डिजिटलीकरण:**

  समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण भारतीय बैंकिंग परिवेश तीव्र गति से विकसित हो रहा है. भारत की डिजिटल ऋण वृद्धि मुख्य रूप से जनसांख्यिकी में परिवर्तन (35 वर्ष से कम उम्र की युवा आबादी और महत्वाकांक्षी ग्राहक), अकाउंट एग्रीगेटर और पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत, तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सरकार की पहल से प्रेरित है. बैंक ने ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपनी खुदरा सेवाओं को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण निवेश किया है. डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ग्राहकों को ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देते हैं, जिससे पेपर-आधारित प्रक्रिया की आवश्यकता कम हो जाती है और अनुमोदन में तेजी आती है. बैंक ने प्रमुख संस्थानों हेतु शिक्षा ऋण योजना और रूफ टॉप सोलर योजना के लिए डिजिटल ऋण प्रक्रिया शुरू की है. बैंक के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार, कई अन्य डिजिटल ऋण पहल विकास के अधीन हैं और वे झंझट रहित ऋण अनुमोदन के लिए ग्राहक हेतु उपलब्ध होंगे.

**12.1 कृषि:** कृषि ऋण हमेशा से हमारे बैंक के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहा है. दिनांक 31.03.2025 तक कृषि अग्रिम बैंक के सकल अग्रिम का 18.16% रहा.

बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक कृषि प्राथमिकता के अंतर्गत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 18% के वैधानिक लक्ष्य के सापेक्ष में

एएनबीसी में 18.92% की उपलब्धि प्राप्त की. दिनांक 31.03.2025 तक कृषि के लिए ऋण ₹ 1,78,479 करोड़ रहा.

छोटे और सीमांत किसानों को ₹ 74,261 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया, जो 31 मार्च, 2025 तक एएनबीसी के 10% के बेंचमार्क के सापेक्ष में एएनबीसी का 8.68% है. बैंक ने पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान के अंतर्गत ₹ 50000 करोड़ की बिक्री की. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 7079 करोड़ की राशि के 3.38 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं.

**12.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:**

बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. 31 मार्च, 2025 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 3,79,092 करोड़ रहा, जिसमें एएनबीसी को 44.31% का ऋण दिया गया, जबकि एएनबीसी को 40% का सांविधिक लक्ष्य दिया गया था. इसमें पीएसएलसी की बिक्री और आरआईडीएफ/ सिडबी/ मुद्रा/ एनएचबी में निवेश शामिल है.

**तालिका 5: प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (31.03.2025 को समाप्त तिमाही) लेखापरीक्षा उपरांत (₹ करोड़ में)**

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण* | 31.03.25 | 31.03.24 | वर्ष दर वर्ष (%) | एएनबीसी से % | बेंचमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | 3,79,092 | 3,27,728 | 16% | 44.31 | 40% |
| कृषि प्राथमिकता क्षेत्र | 1,61,864 | 1,57,248 | 3% | 18.92 | 18% |
| लघु एवं सीमांत किसान | 74,261 | 1,05,042 | -29% # | 8.68 | 10% |
| सूक्ष्म उद्योग | 76,344 | 72,136 | 6% | 8.92 | 7.50% |

**(*पीएसएलसी बिक्री/खरीद के बाद और आरआईडीएफ सहित)**
**(# एसएमएफ़ में 50000 करोड़ की पीएसएलसी की बिक्री के बाद)**

**सामाजिक उत्थान के लिए विशिष्ट ऋण**

हमारे बैंक ने समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक विकास और समान अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है. तदनुसार, बैंक ने समाज के विभिन्न कमजोर और वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं.

**महिला लाभार्थी:** महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, बैंक महिला उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, महिला लाभार्थियों को कुल बकाया ऋण 31 मार्च, 2024 तक ₹ 1,29,304 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2025 में ₹ 1,39,406 करोड़ हो गया है, जिसमें 7.8% की वृद्धि हुई है.

**अल्पसंख्यक समुदाय:** बैंक अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप वित्त प्रदान कर रहा है. 31 मार्च, 2025 तक अल्पसंख्यकों को बकाया ऋण ₹ 44,562 करोड़ था.

**कमजोर वर्ग:** बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लिए वित्तपोषण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. 31 मार्च 2025 तक पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ की निवल बिक्री सहित कमजोर वर्ग को वित्त एएनबीसी के 9.29% के साथ ₹ 79,473 करोड़ रहा, जबकि एएनबीसी को 12% का बेंचमार्क दिया गया था.

**ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी):** ग्रामीण युवाओं के बीच रोजगार की समस्या को कम करने के उद्देश्य से, बैंक ने 32 आर-सेटी की स्थापना की है, जिनमें से 25 आर-सेटी उन जिलों में हैं जहां 31 मार्च, 2025 तक बैंक के पास "लीड बैंक जिम्मेदारी" है. हमारे आर-सेटी में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,70,890 है, जिनमें से 2,76,475 उम्मीदवार 74% के सेटलमेंट अनुपात के साथ सेटल हो चुके हैं.

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी), गुंटूर, आंध्र प्रदेश राज्य को प्रायोजित करता है. इसके पास आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में फैली 276 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीजीजीबी का कारोबार 17.85% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 25,272.67 करोड़ हो गया है. कुल जमा ₹ 12,113.92 करोड़ और अग्रिम ₹ 13,159.28 करोड़ रहा, जबकि निवल लाभ ₹ 302.25 करोड़ रहा. दिनांक 31.03.2025 तक सकल एनपीए 0.55% और निवल एनपीए 0% है.

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई):** बैंक उन किसानों के लाभ के लिए पीएमएफ़बीवाई को कार्यान्वित कर रहा है, जो अक्सर जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं और बहुत पीड़ित होते हैं. बटाईदार और किरायेदार किसानों सहित सभी किसान जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाते हैं, पीएमएफ़बीवाई के अंतर्गत कवर होते हैं.

**क्षेत्र विशिष्ट योजनाएँ:** बैंक ने कृषि के अंतर्गत ऋण प्रदान करने में वृद्धि करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर 28 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं.

**आत्मनिर्भर भारत योजनाएँ/उभरते नवीकरणीय क्षेत्र:**

बैंक ने कृषि अवसंरचना निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण जैसी विभिन्न आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के माध्यम से कृषि अवसंरचना, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण में हो रहे भारी निवेश का लाभ उठाना शुरू कर दिया है.

बैंक अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा रहा है, जैसे संपीड़ित बायो गैस योजनाएं, सौर ऊर्जा संयंत्र, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पंप सेटों का सौरीकरण, ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और हरित वित्तपोषण में सुधार करने में मदद मिल सके.

- **कृषि में डिजिटलीकरण:**

**डिजिटल केसीसी- नए**

निम्नलिखित राज्यों में ₹ 2.00 लाख तक की नई मंजूरी के लिए डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी एसटीपी) शुरू किया गया.

ए. कर्नाटक में 28.03.2023 से

बी. मध्य प्रदेश में 19.09.2022 से

सी. उत्तर प्रदेश राज्य (पायलट आधार) में 18.07.2023 से

डी. ओडिशा राज्य में 22.08.2024 से

ई. तमिलनाडु राज्य में 11.12.2024 से

₹ 2.00 लाख तक की नई मंजूरी के लिए केसीसी एसटीपी को धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्तर (सभी शेष राज्यों में जहां भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हैं) तक विस्तारित किया जाएगा.

बैंक ने निम्नलिखित राज्यों में ₹ 1.60 लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्वतः नवीनीकरण एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) शुरू किया है.

ए. कर्नाटक में 29.11.2022 से

बी. मध्य प्रदेश में 30.11.2022 से

**जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से केसीसी-एसटीपी यात्रा:**

₹ 1.60 लाख तक की नई मंजूरी के लिए जनसमर्थ पोर्टल के साथ डिजिटल केसीसी एसटीपी दिनांक 27.09.2024 को कर्नाटक राज्य (सभी जिला), महाराष्ट्र राज्य (बीड जिला), यूपी राज्य (फरुकाबाद और वाराणसी जिला) में लाइव किया गया.

**डिजिटल किसान तत्काल:**

डिजिटल ऋण कारोबार को बढ़ाने और कृषक समुदाय की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने दिनांक 24.12.2024 को पूरे देश में एसटीपी (एंड टू एंड) यात्रा के माध्यम से "डिजिटल यूनियन किसान तत्काल ऋण" योजना शुरू की है.

**डिजिटल केसीसी-नवीनीकरण और संवर्द्धन**

डिजिटल फुटप्रिंट को मजबूत करने और सीबीएस में उपलब्ध आंतरिक भूमि रिकॉर्ड रिपॉजिटरी का उपयोग करने के लिए, बैंक ने दिनांक 22.08.2024 को ₹ 10 लाख तक की सरलीकृत डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) नवीनीकरण प्रक्रिया विकसित कर अखिल भारतीय स्तर पर लाइव किया.

**12.3 वित्तीय समावेशन:**

**प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजीडीआई) खाते:**

वित्तीय समावेशन पहल प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते -यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बैंक रहित आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है. बैंक ने लाखों पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिससे व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं करने में मदद मिली है. यूनियन बैंक ने गत वर्ष ₹ 10,917.81 करोड़ के 2.95 करोड़ खातों की तुलना में 31 मार्च, 2025 तक ₹ 13,266.06 करोड़ की शेष राशि के साथ 3.21 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं.

पीएमस्वनिधि योजना के माध्यम से 0.99 लाख से अधिक सड़क विक्रेताओं को वित्तपोषित करने से वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है. इस प्रकार, बैंक वंचित समुदायों के जीवन को बदल रहा और उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है.

| पीएमजेडीवाई खाते (संख्या करोड़ में) | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|
| कुल पीएमजेडीवाई खाते | 2.95 | 3.21 |
| पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि (₹ करोड़ में) | 10,918 | 13,266 |

**बैंक प्रतिनिधि अवसंरचना:**

यूनियन बैंक ने विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत बैंक प्रतिनिधि अवसंरचना विकसित की है. बैंक 24,347 से अधिक कारोबार प्रतिनिधियों को रोजगार दिया है जो मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं तथा दूरदराज के वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं. ये प्रतिनिधि खाता खोलने, नकद जमा, निकासी और ऋण आवेदन सहित विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं, बैंक की पहुंच बढ़ाते हैं और सेवा की पहुंच सुनिश्चित करते हैं.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन

| क्रम संख्या | योजना | नामांकित खातों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) | 15,81,492 |
| 2 | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) | 78,19,103 |
| 3 | अटल पेंशन योजना (एपीवाई) | 7,72,910 |

## 13 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

हमारे बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2024 तक ₹ 53,583 करोड़ के सापेक्ष में 31 मार्च, 2025 तक ₹ 74,918 करोड़ रहा. हमारे बैंक की डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में दो विदेशी शाखाएँ हैं और यह लंदन, यूनाइटेड किंगडम में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से और कुआलालंपुर (मलेशिया) में अपने संयुक्त उद्यम - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद के माध्यम से परिचालन करता है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम है. विदेशी शाखाओं का सकल अग्रिम पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2024 तक ₹ 31,252 करोड़ के सापेक्ष में 31 मार्च 2025 तक ₹ 36,919 करोड़

रहा और विदेशी शाखाओं का निवल लाभ 31 मार्च, 2024 तक ₹ 109 करोड़ के सापेक्ष में 31 मार्च, 2025 तक ₹ 190 करोड़ रहा.

### 13.1 व्यापार वित्त

हमारा बैंक भारत और विदेशों में संचालित एक व्यापक, सुसज्जित शाखा नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों को कारोबार वित्त उत्पादों और सेवाओं का एक समग्र प्रदान करता है. देश भर में फैली 119 अधिकृत डीलिंग शाखाएँ, केंद्रीकृत व्यापार वित्त बैक ऑफिस और केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक ऑफिस हैं, जो व्यापार वित्त पोर्टफोलियो के व्यवस्थित विकास, बाजार की माँगों और बदलते नियामक मानदंडों के अनुसार नीतियाँ बनाने और नए उत्पादों को नया रूप देने के लिए हैं.

हमारा बैंक घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों/ प्रतिनिधि बैंकों और व्यापारिक समुदाय के बीच एक मजबूत संबंध बनाकर उनके बीच तालमेल और व्यापार प्रवाह में सुधार करता है.

### 13.2 वैश्विक भुगतान और सेवाएँ

**अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज वोस्ट्रो शाखा**- हमारी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज वोस्ट्रो शाखा (आईईवीबी) विदेशी स्थानों से भारत में आवक धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करती है. हमारे बैंक में वोस्ट्रो तंत्र के अंतर्गत विदेशी बैंकों के 7 खाते, रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत एक्सचेंज हाउस का 1 खाता और विशेष रुपया वोस्ट्रो तंत्र के अंतर्गत विदेशी बैंकों के 2 खाते हैं.

**प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध -** अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारा बैंक 93 देशों में 794 बैंकों के साथ आरएमए संबंध बनाए हुए है और 15 विभिन्न मुद्राओं में 34 बैंकों के साथ नोस्ट्रो खाते हैं.

### 13.3 "व्यापार वित्त व्यवस्था"

हमारे बैंक के पास विदेशी मुद्रा लेनदेन को डिजिटल बनाने की दिशा में, "ट्रेड नेक्स्ट" का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए मुंबई और मैंगलोर में केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा बैक ऑफिस चालू किए गए.

**व्यापार वित्त समाधान - ट्रेड नेक्स्ट**

ट्रेड नेक्स्ट हमारे ग्राहकों हेतु कुशलतापूर्वक और उनकी सुविधा के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए एक अद्वितीय डिजिटल व्यापार सेवा मंच है. मंच निर्यात, आयात, गारंटी और विप्रेषण सहित सभी प्रकार के व्यापार लेनदेन का समर्थन करता है.

**प्रमुख विशेषताऐं:**

- **सुविधा -** अपने घर या कार्यालय से सेवा का लाभ उठाएं, शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं. 24x7 उपलब्धता - व्यापार से संबंधित लेनदेन चौबीसों घंटे शुरू किया जा सकता है.
- **अनुकूलन -** वैयक्तिक डैशबोर्ड, अनुकूलित टेम्पलेट्स.
- **डिजिटलीकरण के माध्यम से कागज रहित बैंकिंग -** सभी व्यापार लेनदेन के प्रबंधन के लिए समर्पित पोर्टल, सलाह और स्विफ्ट संदेशों की स्वचालित मेलर सूचनाएं.
- **दक्षता -** डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण के कारण टीएटी में पर्याप्त सुधार.
- **संबंध प्रबंधक -** समर्पित संबंध प्रबंधकों के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा.
- **अनुपालन -** अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ विनियामक मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना.

समय के साथ, विदेशी मुद्रा बैक कार्यालयों ने व्यापार वित्त लेनदेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त किया है, जिसमें ग्राहक 'ट्रेड नेक्सट' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा बैक ऑफिस परिचालन को मजबूत किया जा रहा है.

निरंतर सुधार और नवाचार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमारे बैंक ने स्विफ्ट प्रणाली में कई सिस्टम संवर्द्धन और अपडेट किए हैं.

इन संवर्द्धन का उद्देश्य परिचालन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और हमारे ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है.

**केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक ऑफिस (सीएसबीओ)**

स्विफ्ट एक एकीकृत वेब सक्षम मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जो केंद्रीय रूप से चलता है और इंटरफ़ेस चैनलों और शाखाओं द्वारा एक्सेस किया जाता है, जिससे वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की सुविधा मिलती है.

स्विफ्ट नेटवर्क पर सीमा पार लेनदेन को संभालने और संदेशों के सुचारू और पूरी तरह से सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए मुंबई में केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक ऑफिस स्थापित किया गया है.

### 13.4 निर्यातकों/आयातकों की बैठक

हमारा बैंक शाखाओं, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर निर्यात ऋण की वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है. हमारे बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में निर्यातकों / आयातकों की बैठकें आयोजित की गईं.

### 13.5 निर्यात ऋण के मामले में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि

हमारे बैंक के निर्यात ऋण पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मार्च 2024 को ₹ 17647.00 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 को ₹ 23684.00 हो गई है, जो 34.31% की वृद्धि को दर्शाता है.

परिणामस्वरूप, एससीबी के बीच निर्यात ऋण में बैंक की बाजार हिस्सेदारी 8.12% (मार्च 2024 तक) से बढ़कर 10.98% (मार्च 2025 तक) हो गई है, जो सेगमेंट में अपनी स्थिति को प्रदर्शित करती है.

**13.6 पुरस्कार / सम्मान**

i) एफ़ईआईओ ने देश में निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारे योगदान हेतु बैंक को लगातार 2 वर्षों 2020-2021 और 2021-2022 के लिए पुनः "एक्सपोर्ट एक्सीलेंस गोल्ड अवार्ड" से सम्मानित किया है.

ii) हमारे बैंक को सीमा पार विप्रेषण के प्रसंस्करण के लिए सिटी बैंक से स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एक्सीलेंस अवार्ड और जेपी मॉर्गन से एलीट क्वालिटी रिकॉग्निशन अवार्ड प्राप्त हुआ है.

**13.7 नई पहल -** विदेशी आवक विप्रेषण का प्रसंस्करण और एसएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को विदेशी आवक विप्रेषण की प्राप्ति की सूचना.

i) आवक प्रेषण का कुशल प्रसंस्करण सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के विश्वसनीय सुविधा प्रदाता के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है. इस दिशा में, हमारे बैंक द्वारा निवासी और अनिवासी व्यक्तिगत ग्राहकों दोनों के लिए 5,000 अमेरीकी डालर तक की आवक विप्रेषण को ऑटो क्रेडिट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे लाभार्थियों को निर्बाध और समय पर ऋण सुनिश्चित हो सके.

ii) हमारे बैंक ने ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से विदेशी आवक विप्रेषण की प्राप्ति के बारे में सूचित करने की पहल की है. यह पहल सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट के साथ उनके विदेशी आवक विप्रेषण की प्राप्ति के बारे में तुरंत सूचित किया जाए. यह दृष्टिकोण ग्राहक जागरूकता और सुविधा को बढ़ाता है.

## 14. ट्रेजरी

**14.1 ट्रेजरी परिचालन:**

- बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप एक विवेकपूर्ण चलनिधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए, ट्रेजरी का लक्ष्य नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इष्टतम लाभ उत्पन्न करना है. विभिन्न अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधनों और विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन. उचित संशोधित अवधि के साथ एक उचित एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश बही को बनाए रखने से हमें अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
- उच्च पूंजी-गहन उपकरणों को कम करके बैंक की पूंजी का संरक्षण करना तथा कम पूंजी-गहन उपकरणों का लाभ उठाकर एनआईएम और आरओसीई में वृद्धि करना.

**14.2 ट्रेजरी कार्यनीति:**

उचित/अनुकूल ब्याज दर अवधि के दौरान एक बड़ी निवेश बही बनाना और अनुमोदित नीति के अनुसार एम-अवधि बनाए रखना. यह ट्रेजरी लाभ का एक स्रोत होगा.

वित्तीय बाजार में सभी उपलब्ध अंतरपणन अवसरों का पता लगाना, जैसे विदेशी मुद्रा बनाम मुद्रा बाजार, दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ब्याज दर वायदा (आईआरएफ), दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस), दीर्घकालिक राजकोषीय देयताएं बनाम संरचित व्युत्पन्न आदि.

प्रत्येक स्तर पर समग्र दक्षता स्तर में सुधार के लिए एसीआई डीलिंग प्रमाणन, ट्रेडिंग गेम में निपुणता आदि जैसे विभिन्न आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से जनबल को सुदृढ़ करना.

- बैंक के नए ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग में और नए एवं पुराने ग्राहकों को सहज अनुभव प्रदान करने हेतु प्रभावी उपयोग के लिए ट्रेजरी बिक्री टीम को मजबूत करना. हम पीडी कारोबार को गतिशील बनाने के लिए बिक्री टीम का विस्तार भी कर रहे हैं.

**14.3 2024-25 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश:**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख मापदंडों पर ट्रेजरी कार्यनिष्पादन का लक्ष्य बनाम उपलब्धि निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | वि.व. 2024-25 हेतु लक्ष्य | वि.व. 2024-25 हेतु वास्तविक |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 28,900.00 | 28,689.95 |
| निवेश की बिक्री पर लाभ | 2,150.00 | 3,285.93 |
| विनियम लाभ (फॉरेक्स) | 900.00 | 907.12 |
| **कुल ट्रेजरी आय** | **31,950.00** | **32,883.00** |

**14.4 वर्ष के दौरान नई पहल:**

ऋण सिंडिकेशन: ट्रेजरी शाखा कॉर्पोरेट्स/एनबीएफ़सी को उनके बॉण्ड जारी करने के बारे में सलाह देती है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफ़सी/ कॉर्पोरेट्स के बॉण्ड/डिबेंचर में भाग लेकर ऋण सिंडिकेशन गतिविधि भी करती हैं.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमारे बैंक ने कुल ₹ 5.01 करोड़ का अरेंजर शुल्क अर्जित किया है. प्राइम डेटाबेस (प्राइमरी मार्केट मॉनिटर) के अनुसार 01 अप्रैल, 24 से 31 मार्च, 25 की अवधि के लिए, हमारे बैंक को कुल निर्गमों के 31.50% शेयर के साथ 13वां स्थान प्राप्त हुआ. प्राइम डेटाबेस के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान हमारे बैंक की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो कुल निर्गमों में 12.14% की हिस्सेदारी के साथ 16वें स्थान पर था.

**14.5 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नियोजित नई पहल**

**डीलिंग रूम ट्रेडिंग सिस्टम का उन्नयन:**

डीलिंग रूम सिस्टम के उन्नयन के लिए विक्रेता पहचान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, विक्रेताओं के साथ नियम और शर्तों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है. डीलिंग रूम सिस्टम के उन्नयन की समस्त प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के अंत तक पूर्ण कर ली जाएगी. इससे ट्रेजरी की दक्षता में सुधार के लिए उन्नत प्रणालियों के साथ डीलिंग रूम का सुचारू संचालन होगा.

**बॉण्ड एफआरए/फ्यूचर डेस्क की स्थापना:**

बैंक ने एक समर्पित संरचित डेरिवेटिव डेस्क स्थापित करने की योजना बनाई है जो ग्राहकों को अपने जोखिमों को अधिक कुशलतापूर्वक और वास्तविक समय के आधार पर कम करने में मदद करेगी. इससे हमारे ऋण वर्टिकल को संरचित डेरिवेटिव की मदद से संरचित ऋण उत्पादों द्वारा ग्राहकों को उधार लेने की लागत को कम करने में भी मदद मिल रही है.

**मौजूदा ग्राहक कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाना और नए ग्राहकों को शामिल करना:**

ट्रेज़री संबंध समूह मौजूदा ग्राहकों के साथ-साथ नए ग्राहकों के अधिग्रहण से एफएक्स कारोबार को आगे बढ़ाएगा; ग्राहक के लिए व्हाइट लेबल स्क्रीन एफएक्स वॉल्यूम बढ़ा सकता है; कारोबार वित्त समाधान (फिनस्ट्रा) दस्तावेज़ के प्रबंधन के लिए ग्राहकों को लचीलेपन के कारण अधिक एफएक्स कारोबार प्रदान करेगा.

## 15. आस्ति गुणवत्ता

### 15.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के कार्यनिष्पादन का सार:

एनपीए का स्तर मार्च, 2024 तक ₹ 43098 करोड़ से घटकर मार्च, 2025 तक ₹ 35,350 करोड़ हो गया, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक की नकद वसूली और उन्नयन तथा अन्य वसूली एवं कमी के आकड़ों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | वि. व. 2024-25 |
|---|---|
| 31.03.2024 तक सकल एनपीए | 43,098 |
| 31.03.2025 तक सकल एनपीए | 35,350 |
| नकद वसूली | 4,926 |
| डमी लेज़र वसूली | 2,497 |
| बट्टे खाते डाले गए (रिट्रेन ऑफ) खातों में वसूली | 4,311 |
| सकल नकद वसूली | 11,735 |
| उन्नयन | 3,263 |
| सकल नकद वसूली+ उन्नयन | 14,995 |
| सकल एनपीए % | 3.60 |

### 15.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शुरू की गई वसूली कार्यनीतियां

- ❖ उन्नत निगरानी और शीघ्र निपटान के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में बेंगलूरू और दिल्ली में दो सैमवी, केंद्रीय कार्यालय (अनेक्स) स्थापित किए गए हैं.
- ❖ 4.00 लाख खातों के उन्मूलन और रनिंग लेजर में ₹ 4000 करोड़ की कमी करने के लक्ष्य के साथ विशेष योजना सैम-आरंभ शुरू की गई है.
- ❖ नीलामी के अंतर्गत संपत्तियों के लिंक के साथ क्यूआर कोड प्रसारित करके ई-नीलामी के लिए व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
- ❖ हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को मेगा ओटीएस शिविर आयोजित किए जा रहे हैं.
- ❖ सरफेसी के अंतर्गत पात्र संपत्तियों के कब्जे की कार्रवाई और नीलामी में तेजी लाने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को सरफेसी मामलों के आवंटन को युक्तिकरण.
- ❖ कम मूल्य के एनपीए (बकाया <₹ 10 लाख) में वसूली हेतु वसूली एजेंटों के रूप में आईआईबीएफ प्रमाणपत्र धारक कारोबार प्रतिनिधियों की सेवाओं का उपयोग करना.
- ❖ इरादतन चूक मामलों की शीघ्र जांच.
- ❖ एनसीएलटी मामलों की केंद्रित निगरानी और सीआईआरपी मामलों पर फील्ड को त्वरित समाधान/सुझाव प्रदान करना.
- ❖ डीएलएसए और डीआरटी के परामर्श से अतिरिक्त लोक अदालत का आयोजन.
- ❖ कार्यनिष्पादन बनाम लक्ष्य की निगरानी के लिए अंचल कार्यालय/विशेष शाखाओं (एआरबी एवं सैमबी) की नियमित समीक्षा.

## 16. रिलेशनशिप बैंकिंग

हमारे बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान संपदा प्रबंधन वर्टिकल के माध्यम से ₹ 578.91 करोड़ की आय अर्जित की.

**31.03.2025 तक संपदा प्रबंधन आय आंकड़े**

(राशि ₹ करोड़ में)

| कारोबार मापदंड | वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आकड़े | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक आकड़े | % वृद्धि वर्ष दर वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| जीवन बीमा | 278.40 | 527.00 | 451.47 | 62.17% |
| गैर-जीवन बीमा | 29.76 | 59.00 | 37.16 | 24.88% |
| स्वास्थ्य बीमा | 54.49 | 109.00 | 53.10 | -2.55% |
| म्यूचुअल फंड | 20.80 | 39.00 | 29.74 | 42.95% |
| मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग | 5.06 | - | 7.45 | 47.23% |
| **कुल आय** | **388.50** | **734.00** | **578.91** | **49.01%** |

### 16.1 वर्ष के दौरान की गयी पहलें

- संपदा प्रबंधन मॉडल (डबल्यूआरएम-एचएनआई मॉडल) अगस्त'24 में शुरू किया गया. संपदा संपर्क प्रबन्धकों को बैंक के एचएनआई ग्राहकों के साथ मैप गया ताकि ग्राहकों की निवेश आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. अधिक संख्या में डब्ल्यूआरएम तैनात करने तथा लैटरल डब्ल्यूआरएम को पारिश्रमिक पर लेने की प्रक्रिया चल रही है.
- मुख्य कारोबार वर्टिकल के साथ शुरू किए गए उत्पादों को एकत्रित करना.
- कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आईआरडीएआई लाइसेंस का नवीनीकरण 31-03-2028 तक किया गया.
- मंगलुरु, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और दिल्ली में

एचएनआई की बैठक आयोजित की गई.

- एसपी प्रमाणित स्टाफ 17150 से बढ़कर 18131 हो गए. बेहतर उत्पाद ज्ञान और अद्यतन नियामक दिशानिर्देशों की जानकारी के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया.
- उन्नत शाखा सक्रियन.
- बड़ी और बहुत बड़ी शाखाओं पर अधिक ध्यान.
- बीमा-एएसबीए प्रक्रिया कार्यान्वयन शुरू किया गया. विकास प्रक्रियाधीन है.
- बीमा और म्यूचुअल फंड उत्पादों तथा संबंधित बाजार गतिविधियों के लिए मासिक इन-हाउस पत्रिका 'इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स' लॉन्च की गई.
- एसयूडी लाइफ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केयर हेल्थ, मणिपाल सिग्ना, बजाज आलियांज, चोला एमएस और यूनाइटेड इंडिया इन्स कंपनी के बीमा उत्पादों को डिजिटल चैनलों के माध्यम से खरीदने के लिए व्योम ऐप पर ऑनबोर्ड किया गया.

### 16.2 2024-25 में शुरू किए गए नए उत्पाद:

**नए उत्पाद / बैंक नेटवर्क में विकास:**

1. जीवन बीमा एनएफओ: एसयूडी लाइफ और इंडिया फर्स्ट लाइफ द्वारा जीवन बीमा एनएफओ शुरू किए गए.
2. यूनियन सुरक्षा: मणिपाल सिग्ना की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को सस्ती दरों पर ईएमआई कवर, बाल शिक्षा कवर आदि जैसे लाभों के साथ शुरू किया गया.
3. यूनियन कैंसर सुरक्षा: मणिपाल सिग्ना द्वारा बैंक के ग्राहकों और उसके कर्मचारियों के लिए कैंसर के निदान हेतु एकमुश्त लाभ प्रदान करने वाला एक लाभ उत्पाद शुरू किया गया.
4. म्यूचुअल फंड एनएफओ: चार एनएफओ (यूनियन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड, यूनियन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और यूनियन गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स) शुरू किए गए.
5. 3-इन-1 खाता: (बचत, डीमैट और ट्रेडिंग खाता) बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन व्योम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया.

### 16.3 डिजिटल पहल:

16.3.1 मैसर्स फिनटेक ब्लू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मोबाइल ऐप और शाखा पोर्टल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है. ऑनबोर्ड किए जाने वाले कुल 50 उत्पादों में से, एसयूडी लाइफ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केयर हेल्थ, मणिपाल सिग्ना, बजाज एलियांज, चोला एमएस और यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 38 बीमा उत्पादों को 31.03.2025 तक लाइव किया गया.

16.3.2 डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिसियों को नवीनीकृत करने, बीमा दावों को बढ़ाने, कमीशन मिलान आदि जैसी सेवाओं के लिए विकास की प्रक्रिया चल रही है.

16.3.3 म्यूचुअल फंड निवेश के लिए 19 एएमसी द्वारा शाखा पोर्टल (यूनियन इन्वेस्ट) को लाइव किया गया.

## 17. सरकारी कारोबार

हमारे बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान दिया है और वित्तीय वर्ष 24-25 में 6,20,146 लघु बचत खाते संग्रहीत किए हैं.

पूरे भारत में 14 लाख छात्रों के शुल्क संग्रह के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ नए सिरे से हमारा गठबंधन हुआ है. केवीएस के साथ दिनांक 20.08.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

हमारे कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए आईसीईजीएटीई पोर्टल के माध्यम से सीमा शुल्क भुगतान सुविधा सक्षम की गई.

डीएमआरसी के लिए ग्राहक भुगतान पोर्टल का विकास कार्य पूरा हुआ जो दिनांक 3 अक्टूबर'24 को लाइव हुआ.

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ और आरपीएसएफ) के साथ उनके कर्मचारियों के वेतन खाते खोलने के लिए सूचीबद्ध हो गए, जिनकी कुल संख्या 75000 है.

हमारे बैंक को परिवेश 2.0 पोर्टल में भुगतान गेटवे एकीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (परिवेश 2.0 पोर्टल) के अंतर्गत सीएएमपीए शुल्क के संग्रह के लिए पीजी एकीकरण प्रक्रिया में है.

पूरे भारत में दूरदर्शन केंद्रों के 32 केंद्रों के लिए प्रसार भारती का संग्रह खाता खोला गया.

प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म 'वेव्स' का संग्रह खाता खोला गया. पेमेंट गेटवे सुविधा भी एकीकृत है और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव है.

सेल के कर्मचारियों के वेतन खाते खोलने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जीईएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

उम्मीदवारों से अखिल भारतीय परामर्श शुल्क संग्रह के लिए एनआईएफ़टी मुख्यालय को भुगतान गेटवे सुविधा प्रदान की गई. एनआईएफ़टी दमन, पटना और वाराणसी परिसरों के लिए भुगतान गेटवे सेवाएं सक्षम की गईं.

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत पीएमएफएमई योजना के लिए, मंत्रालय बेहतर एमआईएस और समाधान के लिए राज्यवार पीएफएमएस से जुड़े खाते चाहता था. तदनुसार, 36 राज्य खाते खोले गए हैं और पीएफएमएस पोर्टल पर लिंक किए गए हैं.

## 18. मानव संसाधन प्रबंधन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम मानते हैं कि हमारे कर्मचारी हमारी सबसे मूल्यवान आस्ति है और हमारी सफलता की प्रेरक शक्ति हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, हमने एक गतिशील, विकास-उन्मुख और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता जारी रखी. वर्ष के दौरान हमारी रणनीतिक मानव संसाधन पहल हमारे कार्यबल को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ उनके विकास को संरेखित करने पर केंद्रित रही.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक अगली पीढ़ी का डिजिटल रूप से सक्षम सार्वभौमिक बैंक बनने का लक्ष्य रखता है, जो ग्राहक केंद्रित कारोबार मॉडल और कर्मचारी विकास में महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से समावेशी, उत्तरदायी और जिम्मेदार बैंकिंग के लिए जाना जाता हो. हमारा बैंक कार्यबल में विविधता, विभिन्न क्षेत्रों और अंचलों में समानता का सृजन, विविधता, समानता और समावेशन की संस्कृति को विकसित करने और संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक का मानना है कि उसकी मानव पूंजी सबसे मूल्यवान आस्ति है और इस तथ्य का सम्मान करता है कि कर्मचारी व्यक्तिगत भिन्नता, जीवन के अनुभव, ज्ञान, आविष्कारशीलता, नवाचार, आत्म-अभिव्यक्ति, अद्वितीय क्षमताएं और प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं. बैंक अपने दैनिक कार्यों में विविधता, समानता और समावेशी प्रथाओं को शामिल करने तथा कर्मचारियों के लिए समावेशिता और आत्मीयता का वातावरण बनाने का प्रयास करता है.

चूंकि मानव संसाधन कार्य तेजी से विकसित हो रहे हैं, और केवल सहायक कार्य के रूप में कार्य करने के बजाय, मानव संसाधन ने एक रणनीतिक साझेदार के रूप में एक नई भूमिका की ओर कदम बढ़ाया है, जो बैंक के लिए कारोबार जुटाने में महत्वपूर्ण है. संपूर्ण कर्मचारी यात्रा तीन चरणों में होती है, परिचयात्मक चरण, विशेषज्ञता चरण और नेतृत्व विकास चरण और तदनुसार हमने तीनों स्तरों पर उनके कैरियर विकास के लिए उपाय किए हैं. नेतृत्व विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे उद्योग हेतु भविष्य के लिए तैयार लीडरों को तैयार करना है. बैंक के मानव संसधान परिवर्तन परियोजना के माध्यम से बैंक प्रतिभा, कार्यनिष्पादन और प्रौद्योगिकी को सतत रूप से अनुकूलित और एकीकृत करके कर्मचारियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि परिचालन उत्कृष्टता और रणनीतिक प्रभाव दोनों को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक व्यावसायिक मूल्य का निर्माण किया जा सके.

### 18.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमुख कार्यनीतिक मानव संसाधन पहल:

#### 18.1.1 ज्ञानार्जन एवं विकास में निवेश

- ज्ञानार्जन एवं विकास पर एक मास्टर नीति सक्रिय रूप से लागू की गई, जिसमें ई-लर्निंग, आभासी (वर्चुअल) प्रशिक्षण और चरणबद्ध कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियां शामिल थीं.
- बैंक ने विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में कर्मचारियों के ज्ञान के स्तर को बेहतर बनाने की अपनी पहल जारी रखी. नए एलएमएस पोर्टल यूनियन विद्या का शुभारंभ किया गया और बैंक के कार्यबल को अच्छी तरह से सूचित, अनुकूलनीय और नवीनतम ज्ञान और कौशल से सुसज्जित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने सभी अधिकारियों द्वारा पूर्ण किए जाने वाले अनिवार्य ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों/मॉड्यूलों की संख्या बढ़ाकर दस पाठ्यक्रम कर दी.
- केवाईसी/एएमएल, साइबर सुरक्षा जागरूकता, सोशल मीडिया का जिम्मेदार उपयोग, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, सतर्कता, जोखिम प्रबंधन, परिस्थिति जोखिम, ईएएसई सुधार, बैंकिंग में नैतिकता और बैंक की रणनीतिक पहल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाले अनिवार्य ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया. सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ई-लर्निंग पूरा करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों की सराहना की गई.
- विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के लिए कार्य-विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के लिए भूमिका-आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल भी प्रदान किए गए.
- यूनियन विद्या में प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) का भी शुभारंभ किया गया. यह अग्रणी पहल प्रशिक्षण और विकास में एक नए युग को चिह्नित करती है, जो इसे और अधिक सुलभ, कुशल और भविष्य के लिए तैयार करके सीखने के दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करती है. टीएमएस एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा जो पूरे प्रशिक्षण जीवनचक्र को कैप्चर करता है तथा सभी कर्मचारियों के लिए संरचित ज्ञानार्जन मार्ग सुनिश्चित करेगा. यह पहल हमारे कार्यबल की योग्यता, दक्षता और अनुकूलनशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, जो हमारे बैंक के भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप है. इस पहल के अंतर्गत, प्रत्येक स्टाफ सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा, जिससे निरंतर ज्ञानार्जन और कौशल वृद्धि सुनिश्चित होगी.
- बैंक के ज्ञानार्जन एवं विकास प्रभाग ने अपनी डिजिटल लर्निंग यूनिट (डीएलयू) के अंतर्गत एक डिजिटल एक्सेसिबल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है, जो एक समावेशी कार्यस्थल के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है. बैंक ने हाल ही में डेज़ी फोरम ऑफ इंडिया (डीएफआई) के साथ साझेदारी की है और भारत की सबसे बड़ी सुलभ ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी, सुगम्य पुस्तकालय में शामिल हो गया है. यह साझेदारी विशेष रूप से प्रिंट दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए है. डीएफएल और सुगम्य पुस्तकालय के साथ एकीकरण दृश्यहीन प्रिंट दिव्यांगता वाले कर्मचारियों के लिए सुलभ पुस्तकों और शिक्षण सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. डिजिटल एक्सेसिबल लाइब्रेरी यूनियन विद्या मंच के माध्यम से उपलब्ध है, जिसकी अभिगम्यता केवल दृष्टिबाधित और प्रिंट दिव्यांगता वाले कर्मचारियों तक ही सीमित है.

- चार स्तंभों पर निर्मित "मेटा लर्निंग" ढांचा- प्रश्न आधारित प्रशिक्षण सत्र, चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम, यूनियन मंच (ज्ञान साझा करने वाला मंच), और यूबीआईसीई (रचनात्मक समस्या-समाधान), को निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मजबूत किया गया.

- बैंक ने उभरते अवसरों के लिए अपने कार्यबल को तैयार करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और अग्रगामी दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ प्रदान करना जारी रखा. प्रशिक्षण उत्कृष्टता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दसवीं बार प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

- "यूनियन अद्वित" नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) एक संपूर्ण चयन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ आरंभ हुआ, जिसमें बैंक ने पहले वर्ष के दौरान 510 प्रतिभागियों को विस्तृत चयन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया का चयन किया है. कार्यक्रम का मिशन नेतृत्व उत्कृष्टता को सशक्त बनाना और दूरदर्शी लीडरों को तैयार करना है जो नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देते हैं. इस कार्यक्रम में योग्यता अंतराल की पहचान करने के लिए निदान उपकरण, कक्षा कार्यक्रम, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, कोचिंग, दीर्घकालिक शिक्षण संलग्नता के रूप में वांछित कौशल और योग्यताएं विकसित करने के लिए सतत आधार पर फीडबैक जैसे विभिन्न शिक्षण कार्य शामिल होंगे. अब, यूनियन अद्वित के पहले वर्ष की सफलता और विभिन्न स्तरों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष प्रबंधन संवर्ग में 600 और अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है.

- **एचआर कॉन्क्लेव "इग्नाइट'25"**: यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानव संसधान प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है. यह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच प्रशिक्षण में सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर केंद्रित है. यह पहल दर्शाती है कि बैंक अपने समकक्षों के साथ मिलकर नेतृत्व प्रशिक्षण के तरीके को आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहा है. इससे यह भी पता चलता है कि बैंक निरंतर ज्ञानार्जन और ज्ञान साझा करने की संस्कृति बनाने के लिए काम कर रहा है.

- **महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम**: हमारा बैंक महिला नेतृत्व विकास के लिए समर्पित एलडीपी कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित करता है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान करना तथा उनकी उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करना है. इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करने और शिक्षित करने में मदद करने के लिए बाहरी वक्ताओं को भी शामिल किया जाता है.

- वर्ष के दौरान स्टडी सर्किल नामक एक नई पहल शुरू की गई, जिसमें बैंक द्वारा डोमेन विशेषज्ञों को अपने डोमेन विशिष्ट शिक्षाप्रद/ज्ञानवर्धक ज्ञान साझा करने की श्रृंखला पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, इसके लिए आस-पास के बैंकों के सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया.

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिव्यांगता समावेशन और ग्राहक सहायता पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक औपचारिक प्रशिक्षण और जागरूकता तंत्र है. इस पहल को मानव संसाधन और आईटी विभागों के भीतर एक समर्पित सुगम्यता कक्ष द्वारा समन्वित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली के सहयोग से व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित किए जाएं. दिव्यांगता संवेदीकरण नए कर्मचारियों के लिए प्रेरण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है. यूनियन विद्या में "दिव्यांगता, समावेशन और सुगम्यता पर सामान्य जागरूकता" पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम एलएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है. यह जागरूकता पाठ्यक्रम कर्मचारियों को समावेशन, समानता और सुगम्यता की आवश्यक समझ प्राप्त करने, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ग्राहक सेवा संवर्द्धित करने और बैंक के भीतर दिव्यांग सहयोगियों के लिए एक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है. यूनियन विद्या में उपलब्ध सुगम्यता से संबंधित ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों की अन्य सूची निम्नानुसार हैं:

  - दिव्यांगता शिष्टाचार.
  - भारतीय सांकेतिक भाषा पर परिचयात्मक पाठ्यक्रम.
  - बैंकिंग क्षेत्र में एंड्रोइड डेवलपर्स के लिए मोबाइल सुगम्यता की अनिवार्यता.
  - बैंकिंग क्षेत्र में आईओएस डेवलपर्स के लिए मोबाइल सुगम्यता की अनिवार्यता.
  - दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए जॉज़ (JAWS) स्क्रीन रीडर.

  सभी नए शामिल किए गए कर्मचारियों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन और समर्थन पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया जाता है. यह सत्र मानव संसाधन और प्रशिक्षण विभागों के समन्वय में सुगम्यता कक्ष द्वारा तैयार किया गया है. उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  - विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का परिचय.
  - दिव्यांग व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय क्या करें और क्या न करें.
  - डिजिटल सुगम्यता की मूल बातें.
  - सहायक तकनीकों का उपयोग
  - वास्तविक जीवन परिदृश्य और समावेशी ग्राहक सेवा दृष्टिकोण.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल सुगम्यता और समावेशी बैंकिंग प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई क्षमता निर्माण पहलें की हैं.

18.1.2 **कार्यनिष्पादन प्रबंधन और सम्मान में संवर्द्धन:** बैंक एक पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) में विश्वास करता है जो कैरियर की प्रगति और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के साथ एकीकृत है.

- कर्मचारी के कार्यनिष्पादन का निष्पक्ष और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पीएमएस को और अधिक परिष्कृत किया गया, जिसमें व्यक्तिगत योगदान को संगठनात्मक लक्ष्यों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए पुरस्कार और सम्मान ढांचे का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया, जिससे उच्च कार्यनिष्पादन की संस्कृति सुदृढ़ हुई. वर्ष के दौरान 36507 कर्मचारियों (49.37) को पुरस्कार एवं सम्मान ढाँचे के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया.
- वर्ष के दौरान "स्टार परफॉर्मर रिवॉर्ड" की भी शुरुआत की गई, जो 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन स्कोर से जुड़ा हुआ है, जिन्हें इस श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया जाएगा.
- सेवाओं का सम्मान और मान्यता: 'माइलस्टोन पुरस्कार' के अंतर्गत बैंक में पूरी की गई सेवाओं के वर्षों के आधार पर कर्मचारियों को पुरस्कृत करके कर्मचारियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदान को मान्यता दी गई, जैसे कि 15 साल पूरा करना (क्रिस्टल पुरस्कार), 25 साल पूरा करना (सिल्वर जुबली पुरस्कार) और अधिवर्षिता पुरस्कार.

18.1.3 **प्रतिभा अर्जन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** बैंक का मानना है कि इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए सही प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

- बैंक ने अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना जारी रखा, उम्मीदवारों के व्यापक समूह तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया.
- स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ) की भर्ती: देश के विभिन्न राज्यों में गैर-भाषाई अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए, पहली बार बैंक ने लगभग 1500 स्थानीय बैंक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें उस राज्य की स्थानीय भाषा में दक्षता प्राप्त है, जहां उनका चयन और पदस्थापन किया गया है, ताकि वे स्थानीय ग्राहकों, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें, जिससे उनके मुद्दों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और परिणामस्वरूप ग्राहक सेवाओं में सुधार हो सके.
- विशेष कौशल लाने के लिए वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन पदों पर डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती पर जोर दिया गया.
- प्रशिक्षु (अपरेंटिस) अधिनियम के अनुरूप, बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया और यह प्रशिक्षुता कार्यक्रम बीएफएसआई और बैंक के उत्पादों से संबंधित ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के लिए व्यावहारिक, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करके भविष्य की प्रतिभा की सूची बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहा.
- बैंक की एक सुपरिभाषित उत्तराधिकार आयोजना नीति है, ताकि आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार नेतृत्वकर्ताओं का एक सशक्त समूह सुनिश्चित किया जा सके. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराधिकार आयोजना प्रक्रिया पूरी हो गई है और बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारियों की पहचान कर ली है.

18.1.4 **विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई) को बढ़ावा देना:** बैंक एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां प्रत्येक कर्मचारी मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे और उसे आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें.

- बैंक ने पीओएसएच (POSH), समान अवसर और डीईआई पर अपनी नीति को दृढ़तापूर्वक लागू किया है. बैंक अपने दैनिक कार्यों में विविधता, समानता और समावेशिता प्रथाओं को शामिल करने तथा कर्मचारियों के लिए समावेशिता और आत्मीयता का वातावरण बनाने का
- प्रयास करता है. पीओएसएच (यौन उत्पीड़न की रोकथाम), समान अवसर, तथा विविधता, समानता और समावेशन पर नीतियों को सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया गया तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए एक सहायक वातावरण बनाने का प्रयास किया, जिसमें दिव्यांग स्टाफ सदस्यों के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, जैसे कि दृष्टिबाधित सहकर्मियों के लिए JAWS स्क्रीन-रीडिंग सॉफ्टवेयर का प्रावधान आदि.
- अपने दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान परिवहन भत्ता दर में सक्रिय रूप से संशोधन और वृद्धि की. यह निर्णय एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए बैंक के समर्पण को रेखांकित करता है जहाँ प्रत्येक कर्मचारी मूल्यवान और समर्थित महसूस करता है और जहाँ सुलभता से संबंधित वित्तीय विचार उनके पेशेवर जीवन में बाधा नहीं डालते हैं. यात्रा में आसानी की सुविधा कर्मचारी के मनोबल और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है.
- बैंक ने शीर्ष स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कक्षों की स्थापना की है, ताकि इन श्रेणियों से

संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जा सके. बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए हैं.

- समावेशन सेल: विविधता, समानता, सुगम्यता और समावेश पर एक प्रतिबद्ध संगठन होने के नाते; बैंक ने मई 2022 में केंद्रीय कार्यालय में मानव संसाधन विभाग में एक "समावेशन कक्ष" की स्थापना की है, ताकि बैंक में दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) कर्मचारियों/ अधिकारियों की आवश्यताओं को पूरा किया जा सके. समावेशन कक्ष की प्रमुख जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ❖ कर्मचारी संलग्नता के माध्यम से विभिन्न वार्षिक दिव्यांगता दिवसों को मनाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करके जागरूकता फैलाने और सहानुभूति बढ़ाने के लिए प्रासंगिक वर्टिकलों के साथ समन्वय करना.
  - ❖ यूनियन एक्सेस टीम के साथ सहयोग करना, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रस्तावों को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग उत्पादों की सुगम्यता में सुधार करने की दिशा में काम करता है, ताकि कर्मचारी संबंधित पोर्टलों, दस्तावेजों और प्रणाली में डिजिटल सुगम्यता सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को बढ़ाया जा सके.
  - ❖ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, नवीनतम दिशानिर्देशों आदि सहित सामग्री के साथ मासिक समाचार पत्र, ऑनलाइन क्विज़ आदि जैसी कर्मचारी संलग्नता पहल के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देना.
  - ❖ बैंक के डिजिटल उत्पादों/ आंतरिक प्लेटफार्मों में सुगम्यता सुविधाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्रों को डिजाइन करने हेतु इनपुट साझा करने सहित जागरूकता पहल के संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रणाली के साथ समन्वय करना.
  - ❖ क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों के समन्वय से दिव्यांग कर्मचारियों/ अधिकारियों की शिकायतों/ प्रश्नों का समाधान करना.
  - ❖ यह सुनिश्चित करना कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों/ अधिकारियों से संबंधित इस विषय पर भारत सरकार/ राज्य सरकारों/ भारतीय रिजर्व बैंक/ आईबीए के सभी अधिनियमों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन किया जाता है.
- 31.03.2025 तक बैंक में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के साथ-साथ महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा.

### समावेशन मेट्रिक्स

| विवरण | अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ स्टाफ | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कुल कर्मचारी** | **44107** | | **23818** | | **6020** | | **73945** | |
| अनुसूचित जाति (एस सी) | 7651 | 17.35 | 4523 | 18.99 | 2230 | 37.04 | 14404 | 19.48 |
| अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 3424 | 7.76 | 1875 | 7.87 | 500 | 8.31 | 5799 | 7.84 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 13458 | 30.51 | 7610 | 31.95 | 1984 | 32.96 | 23052 | 31.17 |
| भूतपूर्व सैनिक | 861 | 1.95 | 3147 | 13.21 | 404 | 6.71 | 4412 | 5.97 |
| महिलाएं | 12061 | 27.34 | 7628 | 32.03 | 1907 | 31.68 | 21596 | 29.21 |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 2995 | 6.79 | 1610 | 6.76 | 429 | 7.13 | 5034 | 6.81 |

| कुल | 73945 | |
|---|---|---|
| जिसके अंतर्गत | | |
| श्रेणी | संख्या | प्रतिशत |
| ईडब्ल्यूएस | 1051 | 1.42 |
| सामान्य | 29639 | 40.08 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 23052 | 31.17 |
| अनुसूचित जाति | 14404 | 19.48 |
| अनुसूचित जनजति | 5799 | 7.84 |

| कुल | 73945 | |
|---|---|---|
| जिसके अंतर्गत | | |
| श्रेणी | संख्या | प्रतिशत |
| दृष्टिहीन | 901 | 1.22 |
| मूक एवं बधिर | 350 | 0.47 |
| बौद्धिक रूप से अक्षम | 40 | 0.05 |
| आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग | 1349 | 1.82 |
| भूतपूर्व सैनिक | 4412 | 5.97 |

18.1.5 **कर्मचारी सहभागिता और संचार को मजबूत बनाना:** एक प्रेरित कार्यबल के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना तथा खुले संचार चैनल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है.

- कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक स्वास्थ्य पर आंतरिक संचार की सुविधा के लिए "यूनियन स्वर" जैसी पहल की गई और डेस्क योग, महत्वपूर्ण विषयों पर वेबिनार आदि जैसी कई कर्मचारी सहभागिता गतिविधियां आयोजित की गईं. भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए आत्महत्या रोकथाम जागरूकता अभियान और मानसिक स्वास्थ्य दिवस जैसे कर्मचारी सहभागिता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं.
- कर्मचारियों को सूचित और संलग्न रखने के लिए "यूनियन धारा", "यूनियन सृजन", "द विद्या टाइम्स" और "बैंकिंग अपडेट्स (वर्टिकल द्वारा पत्रिकाएं/ई-पत्रिकाएं)" सहित विभिन्न आंतरिक प्रकाशनों के साथ-साथ "यूनियन रेडियो" और "यूनियन पॉडकास्ट" जैसे दृश्य-श्रव्य माध्यमों का उपयोग किया गया.
- "यूनियन मंच" प्लेटफॉर्म ने स्टाफ सदस्यों को अपने अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे एक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा मिला.
- कम्युनिटी कनेक्ट विविध विषयों पर कर्मचारियों के बीच सक्रिय चर्चा के लिए बैंक का आंतरिक सामुदायिक सहभागिता मंच है - चाहे वह कार्यालय-व्यापी कार्यक्रम हो, कार्य वर्षगांठ हो, कर्मचारी पदोन्नति हो या कुछ और हो.

18.1.6 **कर्मचारी कल्याण में संवर्द्धन:** बैंक व्यापक कार्यस्थल सुरक्षा कार्यक्रमों और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. बैंक ने यूनियन स्वर शुरू किया है, जिसके माध्यम से बैंक अपने कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए सहायता और समर्थन प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने में सक्षम होगा.

कर्मचारी जुड़ाव और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से कई प्रमुख पहल की जाती हैं, जैसा कि नीचे उल्लिखित है.

- परामर्श सत्र के बाद मामलों को निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली के साथ, मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए 24/7 परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गईं.
- ऐसे मामलों से निर्बाध निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी आंचलिक, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालयों में आपातकालीन संकट दल स्थापित किए गए हैं. इन टीमों को, संकटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.
- मानसिक कल्याण के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आहार और पोषण परामर्श प्रदान किया जाता है.
- तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य संबंधित चुनौतियों जैसे विषयों को संबोधित करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में नियमित रूप से वेबिनार आयोजित किए जाते हैं.
- कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए दैनिक ऑनलाइन योग सत्र उपलब्ध हैं, जो विभिन्न दिनचर्या को समायोजित करने के लिए लचीले समय-निर्धारण की पेशकश करते हैं.
- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय, अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में चेयर डेस्क योग और मानक योग सत्र वैयक्तिक रूप से आयोजित किए जाते हैं.
- सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा सलाह 24/7 उपलब्ध कराई गई थी.

18.1.7 **स्टाफ ऋण के लिए एसटीपी जर्नियाँ:** स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) एक प्रमुख तकनीकी प्रगति है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा न्यूनतम या बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के ऋण प्रस्तावों को डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिये किया जाता है. एसटीपी ने ऋणों के प्रसंस्करण और निर्बाध अनुमोदन के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है, इस प्रकार टर्नअराउंड समय को 10-15 दिनों से घटाकर, कुछ मिनटों में कर दिया है. सभी कर्मचारियों के कल्याण हेतु एसटीपी के लाभों को प्राप्त करने के लिए, बैंक ने ओवरड्राफ्ट और वाहन ऋण के लिए एसटीपी प्रक्रिया विकसित की है, जिन्हें वर्ष के दौरान शुरू किया गया है और इन ऋणों की मैनुअल प्रोसेसिंग / मंजूरी को समाप्त कर दिया गया है।

18.1.8 **सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के लिए प्रतिपूर्ति:** 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं वाले सभी स्थायी कर्मचारी अपनी बालिकाओं (9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में) के टीकाकरण के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं. बैंक सभी कर्मचारियों को घातक बीमारी यानी सर्वाइकल कैंसर के बारे में संवेदनशील बना रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा कि 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी कर्मचारियों की बालिकाओं को बीमारी के निदान हेतु पूरी तरह से टीका लगाया गया है.

18.1.9 **आचार संहिता:** बैंक द्वारा नैतिक निर्णय के लिए ढांचे के रूप में नैतिकता दस्तावेज की पहली संहिता कर्मचारियों को स्पष्ट दिशानिर्देश और अपेक्षाएं प्रदान करने, उन्हें बैंक के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप ठोस निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है. यह कर्मचारी मनोबल, उत्पादकता और बढ़ी हुई ग्राहक संतुष्टि में सुधार करता है और जोखिमों को कम करने और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

### 18.1.10 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुरस्कार और सम्मान

| नाम / श्रेणी | पुरस्कार प्रदाता (संगठन का नाम) |
|---|---|
| एचडीएम अवार्ड्स फॉर बेस्ट वर्कफोर्स प्लानिंग 2024 | इंडियन कॉनवेंशन |
| सर्वश्रेष्ठ कार्यबल योजना 2024 हेतु एचडीएम पुरस्कार | भारतीय कन्वेंशन |
| निरंतर ज्ञानार्जन और विकास में उत्कृष्टता | एशिया एल एंड डी: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन द्वारा नियोक्ता ब्रांडिंग सम्मेलन और पुरस्कार |
| वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व विकास कार्यक्रम | |
| एचआर एक्सीलेंस अवार्ड (प्लेटिनम पुरस्कार) | एपेक्स इंडिया फाउंडेशन |
| ट्रेनिंग एक्सीलेंस अवार्ड (गोल्ड पुरस्कार) | |
| अभिनव मानव संसाधन प्रथाओं वाला संस्थान | एशियाई नेतृत्व पुरस्कार |
| अनुकरणीय नेतृत्व पुरस्कार | |
| नेतृत्व विकास में उत्कृष्टता | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन द्वारा पीपल एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड्स |
| ज्ञानार्जन और विकास में उत्कृष्टता | |
| डिजिटल लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स | |

आने वाले वर्ष में, बैंक इन कार्यनीतिक पहलों पर कार्य करना जारी रखेगा, जो कर्मचारियों की उभरती जरूरतों और गतिशील बैंकिंग वातावरण के अनुकूल होगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कौशल, ज्ञान और जुनून से लैस भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. बैंक का मानना है कि अपने लोगों में निवेश करके, यह हमारे संगठन की भविष्य की सफलता और हमारे ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा देने की हमारी क्षमता में निवेश कर रहा है.

## 18.2 राजभाषा:

- **राजभाषा और पत्रिका का प्रकाशन:** राजभाषा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं एक द्विभाषी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी कार्यों में हिंदी के संवर्धन, प्रचार तथा उपयोग पर बल देना जारी रखा है. राजभाषा, हिंदी को बढ़ावा देने में पहल और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है.

- **बैंकिंग परिचालन में हिंदी को बढ़ावा देना:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है. बैंक आधिकारिक संचार में हिंदी के बड़े पैमाने पर उपयोग को सुनिश्चित करता है, जिसमें आंतरिक परिपत्र, नोटिस और रिपोर्ट शामिल हैं. बैंक कर्मचारियों को अपने दिन-प्रतिदिन के काम में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे द्विभाषी वातावरण को बढ़ावा मिलता है. .

- **बहुभाषी प्रकाशन:** बैंक व्यापक पाठकवर्ग की जरूरतों के अनुसार हिंदी में विभिन्न सामग्रियों का प्रकाशन करता है. उल्लेखनीय प्रकाशनों में आंतरिक त्रैमासिक द्विभाषी कॉर्पोरेट पत्रिका 'यूनियन धारा' और हिंदी पत्रिका 'यूनियन सृजन' शामिल हैं. इन प्रकाशनों में कर्मचारियों द्वारा योगदान किए गए लेख, कहानियां और कविताएं शामिल हैं, जो संगठन के भीतर साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देती हैं. वित्तीय वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, एनपीए प्रबंधन, भाषा और साहित्य, रुसू बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विशेष अंक प्रकाशित किए गए हैं.

- **कर्मचारी भागीदारी और प्रशिक्षण:** यूनियन बैंक अपने कर्मचारियों की हिंदी दक्षता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है. इन सत्रों में आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण, संचार और ग्राहक संपर्क में हिंदी का प्रभावी उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक कर्मचारियों के बीच हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन करता है. बैंक ने दक्षिण/पूर्वी भारतीय भाषाओं में कर्मचारियों को व्यावहारिक भाषा कौशल प्रदान करने के लिए 'यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष कार्यक्रम' के तहत 500 से अधिक स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया है. उक्त प्रशिक्षण से ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी.

- **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का समन्वय:** भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सौंपे गए नराकास के समन्वय की जिम्मेदारी बैंक बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है. बैंक के पास पूरे भारत में 29 नराकास के समन्वय का उत्तरदायित्व है. ये नराकास समय-समय पर बैठकों और प्रतियोगिताओं के आयोजन माध्यम से भाषा के उपयोग को बढ़ावा देते हैं..

- **सम्मान और पुरस्कार:** हिंदी को बढ़ावा देने में बैंक के प्रयासों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है. बैंक को वर्ष में कुल 507 राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

  - ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, मऊ को नराकास के समन्वय हेतु प्रतिष्ठित "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" प्राप्त हुआ है.
  - ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा को हिंदी कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से "क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार" प्राप्त हुआ है.
  - ❖ वित्तीय सेवा विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भाषाई क्षेत्र 'ख' में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में द्वितीय स्थान भी प्राप्त हुआ है.
  - ❖ बैंक के विभिन्न कार्यालयों और शाखाओं को नराकास से 86 शील्ड प्राप्त हुए हैं. बैंक के 30 स्टाफ सदस्यों ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए हैं.
  - ❖ बैंक की कॉरपोरेट गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' को पीआरसीआई

से 'रजत पुरस्कार' और 'यूनियन धारा' को 'आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार' मिला है.

- **डिजिटल और बहुभाषी समर्थन**

  यूनियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है:

  - **मोबाइल बैंकिंग:** 13 भाषाओं में उपलब्ध है जो ग्राहकों की एक विस्तृत श्रेणी के लिए सुलभता सुनिश्चित करती है.
  - **इंटरनेट बैंकिंग:** उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 2 भाषाओं में उपलब्ध है.
  - **कॉल सेंटर:** व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हुए, 11 भाषाओं का समर्थन करता है.
  - **एसएमएस सुविधा:** 13 भाषाओं में उपलब्ध है जो ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है.
  - **चुनिंदा एसटीपी यात्रा:** हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जो ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ऋण अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाती है.
  - **यूवीकॉन:** बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा 06 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जो हमारे हितधारकों को बैंक के साथ जुड़ने का एक नया अनुभव प्रदान करती है.
  - **धन्यवाद पत्र:** हिंदी, अंग्रेजी और 09 क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित किया जाता है.

- **राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:** हिंदी के उपयोग की निगरानी और बढ़ावा देने के लिए, यूनियन बैंक ने विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (राभाकास) की स्थापना की है. ये समितियां नियमित रूप से हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं और बैंक के परिचालन में इसके उपयोग को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देती हैं.

- **प्रकाशन और ज्ञान प्रसार:** यूनियन बैंक अपने प्रकाशनों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करता है, जो विभिन्न कर्मचारियों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई भाषाओं में जारी किए जाते हैं. यह प्रकाशन, बैंकिंग अद्यतन, उद्योग अंतर्दृष्टि और कर्मचारी योगदान को कवर करते हैं तथा समावेशिता और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं. वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे असमिया, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि में ग्राहक संपर्क के लिए उपयोगी पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं. साइबर सुरक्षा पर स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर मायाजल नामक एक कार्टून पुस्तिका हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम में प्रकाशित की गई है. इसी प्रकार, "ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के विविध आयाम" शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है.

- यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय भाषा को बढ़ावा दिया गया.

## 19. नेटवर्क

- 31 मार्च 2025 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8619 शाखाओं और 2 विदेशी शाखाओं (सिडनी, दुबई डीआईएफसी) के साथ देश भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है, इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में हैं.

- 31.03.2024 को हमारी कुल 8464 शाखाएं थीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 46 शाखाओं का पुनर्गठन किया गया और 201 नई शाखाएं खोली गईं.

| 31.03.2025 को श्रेणीवार शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| पंक्ति लेबल | ग्रामीण | अर्ध शहरी | शहरी | मेट्रो | कुल योग |
| **01.04.2024 तक कुल शाखाएं** | **2540** | **2436** | **1728** | **1760** | **8464** |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्गठित | -1 | -13 | -15 | -17 | -46 |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खोली गईं | 53 | 95 | 31 | 22 | 201 |
| आरबीआई द्वारा श्रेणी में परिवर्तन | -3<br>+8 | -3<br>+6 | -10<br>+1 | -1<br>+2 | -17<br>+17 |
| **31.03.2025 तक कुल** | **2597** | **2521** | **1735** | **1766** | **8619** |

हमारे बैंक में कुल 23,500 कारोबार प्रतिनिधि, 8910 एटीएम, 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू), 5 स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई भी हैं.

## 20. सूचना प्रौद्योगिकी

आपका बैंक नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित सुदृढ़ आईटी प्रणालियों के साथ एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. बैंक आईटी संचालित सुविधाजनक और अनुकूलनीय बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सुखद अनुभव प्राप्त करता है जहां आईटी उन्हें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वर्तमान कारोबारी माहौल में, संगठन खुद को सुदृढ़ कर रहे हैं और अधिक डेटा-संचालित बनकर, लागत में कमी और अधिक दक्षता के लिए अपने परिचालन को डिजिटाइज़ करके, अधिक लचीलेपन के लिए क्लाउड अपनाने और कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करके मजबूत बन रहे हैं. कारोबार का समर्थन करने और

बदलते कारोबारी परिदृश्य को देखते हुए और विकास के उभरते अवसरों को भुनाने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति तैयार की थी.

बैंक की आईटी कार्यनीति को बैंक के समग्र कारोबारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समग्र डिजिटल और एनालिटिक्स कार्यनीतियों के साथ जोड़ा गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटी कार्यनीति को मोटे तौर पर तीन प्रमुख विषयों में वर्गीकृत किया गया था यथा बैंक को चलाएं बैंक को बदलें और बैंक को रूपांतरित करें. बैंक को चलाएँ विषय में लचीले बुनियादी ढांचे, शासन, जोखिम और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. बैंक को बदलें विषय में काम करने के नए तरीके, अपस्किलिंग और मानव संसाधन परिवर्तन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और चुस्त प्रौद्योगिकी और नवाचार और नए युग की बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है. बैंक को रूपांतरित करें विषय में डिजिटल परिवर्तन और डेटा अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, संगठन ने उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं. संचालन की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए इसके अनुकूलनीयता को सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया गया. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

## 20.1 नवोन्मेषी बैंकिंग समाधान

बैंक ने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपनाकर खुद को प्रतिस्थापित किया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की यात्रा और समग्र अनुभव को समृद्ध बनाना है. बैंक ने ग्राहकों की सुविधा और अनुभव को प्राथमिकता देने के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है.

विभिन्न नवीन बैंकिंग समाधान/ पहल इस प्रकार हैं:

### 20.1.1 बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए

ए) **यूनियन वर्चुअल कनेक्ट (यूवीकॉन) - व्हाट्सएप बैंकिंग:** बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6 पूछताछ / सेवा सुविधाओं जैसे: बैलेंस पूछताछ, चेक बुक अनुरोध, चेक स्टेटस, मिनी स्टेटमेंट, डोरस्टेप बैंकिंग, ईएमआई कैलकुलेटर, ऋण के लिए आवेदन, खाता खोलना, एटीएम खोज, शाखा खोज आदि के साथ एक संवादी बैंकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में यूवीकॉन -व्हाट्सएप बैंकिंग पहल शुरू की थी.

यूवीकॉन को अब लगभग 70 सेवाएँ प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें खाता विवरण, ब्याज प्रमाणपत्र जेनेरेशन, डेबिट कार्ड ग्रीन पिन, फॉर्म 15 जी/एच, फॉर्म 16/16ए, ऋण विवरण, क्रेडिट कार्ड विवरण, क्रेडिट कार्ड ग्रीन पिन आदि शामिल हैं. ग्राहक 9666606060 पर "Hi" भेजकर यूवीकॉन तक पहुँच सकते हैं. यूवीकॉन (व्हाट्सएप बैंकिंग) पर 45 लाख से अधिक ग्राहक पंजीकृत हैं. यूवीकॉन ने अब तक 2.45 करोड़ से अधिक ग्राहक पूछताछ/ अनुरोधों को पूरा किया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ग्राहक सेवा अनुभव हुआ है.

बी) **गूगल बिजनेस मैसेज (जीबीएम):** हमारा बैंक जीबीएम प्लेटफॉर्म पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. जीबीएम गूगल के वेबपेज पर उपलब्ध एक चैट प्लेटफ़ॉर्म है, जो बैंक के ग्राहकों को बैंक के वर्चुअल असिस्टेंट "यूवीए" से सीधे संवाद करने की अनुमति देता है. ग्राहक अपने प्रश्नों के समाधान के लिए लाइव एजेंट के साथ चैट करने की सुविधा का विकल्प भी चुन सकते हैं. बैंक जीबीएम के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ भी सकता है. एण्ड्रोएड डिवाइस के माध्यम से गूगल पर यूबीआई या यूनियन बैंक या यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया आदि सर्च करके जीबीएम तक पहुँचा जा सकता है. जीबीएम का उपयोग वर्तमान में लीड उत्पन्न करने और ग्राहकों को चैट वार्तालाप के माध्यम से सीधे लाइव एजेंटों तक पहुँचाने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है. जीबीएम के माध्यम से, बैंक के पास बैंक के उत्पादों को क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग करने का अवसर है.

- आज की तारीख तक कुल उपयोगकर्ता – लगभग 5.30 लाख
- उपयोगकर्ताओं ने लाइव एजेंट सेवाओं का लाभ उठाया – लगभग 2.31 लाख

**कारोबारी लाभ:**

- जीबीएम, एनटीबी (न्यू टू बैंक) ग्राहकों सहित ग्राहकों को गूगल सर्च, गूगल मैप्स आदि जैसे विभिन्न गूगल अंतिम बिन्दु के माध्यम से क्रॉस-सेलिंग/ अपसेलिंग का अनूठा लाभ प्रदान करता है
- जीबीएम सहायक अनुभव और समृद्ध सुविधाओं के माध्यम से बिक्री बढ़ाने, ग्राहक संतुष्टि और निष्ठा में बढ़ोतरी करने में मदद करेगा.

सी) **मेटावर्स:** नवाचार में अग्रणी, हमारा बैंक बैंकिंग में अपने आंतरिक परिचालन और ग्राहकों के अनुभव दोनों को बदलने के लिए उभरती हुई तकनीकों का उपयोग कर रहा है. हमारा बैंक मेटावर्स वर्चुअल लाउंज, "यूनी-वर्स" लॉन्च करके मेटावर्स प्लेटफ़ॉर्म पर प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बैंक है, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने का एक व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है. मेटावर्स में कुल हिट लगभग 3.69 लाख हैं (31 मार्च, 2025 तक).

डी) **वीआर आधारित गहन प्रशिक्षण मॉड्यूल:** हमारे बैंक ने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए कार्यस्थल की चुनौतियों से निपटने, सुरक्षित सोशल मीडिया उपस्थिति बनाए रखने आदि जैसी विभिन्न चिंताओं को हल करने के लिए वीआर आधारित गहन प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किए हैं. सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल में मूल्यांकन के लिए मॉड्यूल विशेष से संबंधित प्रश्नोत्तर/ फीडबैक के माध्यम से मूल्यांकन शामिल किया गया है. प्रशिक्षण मॉड्यूल वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्मचारियों को गहन और संवादमूलक

प्रशिक्षण सत्र प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कर्मचारियों के निरंतर ज्ञानार्जन और विकास के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं.

वीआर आधारित प्रशिक्षण देश भर में 3 यूएलए द्वारा प्रदान किया जा रहा है और 31 मार्च, 2025 तक कुल 575 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है.

**ई) यूनियन वॉयस असिस्टेंट :** बैंक ने यूनियन वॉयस असिस्टेंट - एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) द्वारा संचालित एलेक्सा चैनल के माध्यम से वॉयस बैंकिंग कार्यान्वित किया है. यह ग्राहकों को सरल वॉयस कमांड के माध्यम से खाते से संबंधित जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें सुविधाजनक और हैन्ड-फ्री बैंकिंग अनुभव मिलता है . 31 मार्च, 2025 तक यूवीए में कुल लेनदेन लगभग 33,265 रहे हैं.

**एफ) हाइपरऑटोमेशन :** बैंक ने हाइपरऑटोमेशन परियोजना भी कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत 27 प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है.

**जी) बीबीपीएस के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय शुल्क संग्रह का एकीकरण**

बैंक ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) शुल्क संग्रह को बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है जो शैक्षणिक इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है. बीबीपीएस पर केवीएस शुल्क संग्रह के माध्यम से 1250+ केवी स्कूलों के छात्रों को बीबीपीएस पर सुविधाजनक शुल्क भुगतान का लाभ मिलेगा.

कुल सफल लेनदेन – 6,67,214 (31 मार्च, 2025 तक) कुल राशि ₹ 131.03 करोड़.

**कारोबारी लाभ :**

प्रति लेनदेन लागत कम हो जाती है.

बैंक के कासा को बढ़ाने में सहायता करना.

**एच) यूनी पे प्लस**

यूनी पे प्लस को स्वचालित भुगतान प्रसंस्करण के लिए कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यूनी पे प्लस पोर्टल कॉर्पोरेट ग्राहकों को भुगतान सेवाएँ प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, सीआरसी कई कॉर्पोरेट ग्राहकों से व्यवसाय प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं. 150 से अधिक कॉर्पोरेट यूनी पे प्लस के साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें से प्रमुख हैं:

- एमवीआरपीएल (महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण लिमिटेड)
- तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी)
- ओडिशा राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम (ओपीएचडब्ल्यूसी)
- जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- यूबीआई कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी
- टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
- शाकम्भरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड
- रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- कोंकण फिनकैप को ऑपरेटिव बैंक
- मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक
- पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ)

लेनदेन की कुल संख्या = 3,46,798

कुल लेनदेन मूल्य = ₹ 23,458.47 करोड़

मासिक औसत लेनदेन = 28,900

मासिक लेनदेन मूल्य = ₹ 1,954.87 करोड़

**कारोबार लाभ :**

31-03-2025 तक कुल 150+ से अधिक कॉर्पोरेट यूनी पे प्लस पर शामिल हैं, जिनके 222 खाते हैं.

- चालू एवं बचत खाते – 84 (संख्या में) जिनका शेष ₹ 442.77 करोड़ है.
- नकद ऋण एवं ओवरड्राफ्ट खाते – 138 (संख्या में) जिनका शेष ₹ 930.67 करोड़ है.

**आई) इंटरनेट बैंकिंग में डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन को सक्षम करना**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहकों को कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफ़टी) विकल्प प्रदान किया गया है. टोकनाइजेशन से ऑनलाइन लेनदेन में मर्चेंट वेबसाइट पर ग्राहकों के कार्ड विवरण संग्रहीत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. इंटरनेट बैंकिंग में सीओएफ़टी ग्राहकों को सभी मर्चेंट से संबंधित डेबिट कार्ड टोकन विवरण एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर देखने की सुविधा देता है, पहले यह व्यक्तिगत मर्चेंट वेबसाइट पर जाकर किया जाता था. इस सुविधा का उपयोग करके ग्राहक टोकन को सक्षम/अक्षम कर सकते हैं. यह रुपे कार्ड एवं वीजा कार्ड दोनों के लिए समर्थित है.

**कारोबार लाभ :**

ग्राहकों को कई मर्चेंट वेबसाइटों पर जाने के बजाय अपने टोकन विवरण को देखने/प्रबंधित करने के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान किया जाता है, जो साइबर धोखाधड़ी को कम करने में मदद करता है.

**जे) एनसीएमसी वॉलेट**

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) की पहल के तहत, देश भर में विभिन्न मेट्रो, टोल प्लाजा और अन्य परिवहन प्रणालियों द्वारा निर्बाध यात्रा को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मॉडल तैयार किया गया था. नेट बैंकिंग के माध्यम से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी आर-वॉलेट) खातों को रिचार्ज करने की सुविधा समर्थित है. ग्राहक पीओएस टर्मिनल से अपने वॉलेट खाते में नकद या खाते से सीधे डेबिट द्वारा भी पैसे डाल सकते हैं. यह एनपीसीआई की पहल है जो केवल रुपे एनसीएमसी डेबिट कार्ड के लिए है.

**कारोबार लाभ :**

- रुपे डेबिट कार्ड जारी करने की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ग्राहक उसी कार्ड का उपयोग प्रीपेड वॉलेट के रूप में कर सकते हैं.
- ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अधिकतम ₹ 2,000 तक का वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को विभिन्न पीओएस बिंदुओं उदाहरणार्थ: मेट्रो स्टेशन, टोल प्लाजा आदि पर ऑफलाइन भुगतान की सुविधा मिलती है.

**के) इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडबल्यू):**

डिजिटल क्रांति के अनुरूप और ग्राहकों को एटीएम टर्मिनलों पर अधिक सुरक्षित और निर्बाध लेनदेन के लिए सक्षम करने के लिए, यूपीआई के माध्यम से नकद निकासी सक्षम की गई है जो गतिशील रूप से उत्पन्न एक क्यूआर कोड को प्रदर्शित करता है जिसे यूपीआई समर्थित मुख्य एप्प के माध्यम से स्कैन और अधिकृत किया जा सकता है. यूपीआई पिन का उपयोग करके यूपीआई एप्प में लेनदेन के सफल प्राधिकरण के बाद, एटीएम टर्मिनल पर उचित विकल्प/ बटन का चयन करके निकासी शुरू की जा सकती है.

**कारोबारी लाभ:**

- सुरक्षित और निर्बाध लेनदेन प्रदान करने के लिए कार्ड क्लोनिंग को रोकता है.
- एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुँच के लिए कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है.
- पूरे भारत में 1,309 एनसीआर एटीएम में आईसीसीडब्ल्यू को सक्षम किया गया है.

**एल) अकाउंट एग्रीगेटर:**

बैंक वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) और वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) दोनों के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बन गया है, जो ऋण वितरण में सुधार के लिए सरकार की डिजिटल पहल का एक हिस्सा है.

अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ऋणदाताओं को ग्राहक की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में मदद करता है, ताकि भौतिक दस्तावेजीकरण के बिना निर्बाध सेवा प्रदान की जा सके.

कोई भी वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) अपने अकाउंट एग्रीगेटर हैंडल पर ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के आधार पर डेटा का अनुरोध कर सकता है. बैंक ने रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (रीबिट) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी स्टैक को लागू किया है.

वर्तमान में बैंक ने 13 अकाउंट एग्रीगेटर के साथ एकीकृत किया है और एफआईयू समाधान सॉफ्टवेयर एए ब्रांच पोर्टल, एलएएस एसटीपी यात्रा और एमएसएमई यात्रा के साथ एकीकृत है. 13 अकाउंट एग्रीगेटर हैं:

- एनईएसएल एसेट डाटा लिमिटेड (एनएडीएल)
- पर्फ़िओस अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड(अनुमति)
- कूकीजार टेक्नालॉजिस प्राइवेट लिमिटेड (फिनवू)
- फिनसेक एए सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (वन मनी)
- कैम्सफिनसर्व
- डैशबोर्ड अकाउंट एग्रीगेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएएएफई)
- एनएसडीएल ई-गवर्नेंस (प्रोटीन सुरक्षा एए)
- योडली फिनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
- टैली एज एए
- क्रिफ कनेक्ट
- अनकोर एए सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
- आज्ञा सेतु एए
- डिजियो इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड

**एम) समावेशी और सुलभ बैंकिंग**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो वास्तव में समावेशी हैं. 2022 में शुरू की गई हमारी प्रमुख सुलभ बैंकिंग पहल 'यूनियन एक्सेस', विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे बैंकिंग सभी के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाती है.

इन प्रयासों के सम्मान में, यूनियन एक्सेस को अक्टूबर 2024 में पुर्तगाल में आयोजित कोरस इंफोसिस फिनाकल बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली. बैंक को सामाजिक, सतत और जिम्मेदार बैंकिंग में कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवाओं को सभी के लिए समावेशी बनाने के लिए डिज़ाइन की गई प्रभावशाली पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से सुलभ बैंकिंग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गहरा किया :

सुलभ डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लिकेशन जो सहायक तकनीकों का समर्थन करते हैं, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से और आत्मविश्वास के साथ सीबीडीसी लेनदेन करने में सक्षम बनाते हैं.

वैश्विक डब्ल्यूसीएजी अभिगम्यता दिशानिर्देशों के अनुसार एक पुन: डिज़ाइन की गई कॉर्पोरेट वेबसाइट विकसित की गई है, जिसमें अभिगम्यता सेवाओं के लिए समर्पित अनुभाग हैं.

दृश्य और प्रिंट दिव्यांग व्यक्तियों को ज्ञान संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी डिजिटल लर्निंग यूनिट और सुगम्य पुस्तकालय के बीच साझेदारी.

समावेशी सेवा वितरण में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाओं नामक एक कस्टम ई-लर्निंग मॉड्यूल.

अभिगम्यता सहायता ईमेल, व्हाट्सएप, ग्राहक सेवा केंद्रों सहित बैंक के सेवा चैनलों में सन्निहित है और दिव्यांगता के जीवित अनुभव वाले लोगों सहित अभिगम्यता पेशेवरों की आंतरिक क्षमता के साथ समर्पित इन-हाउस समर्थन द्वारा संचालित है.

सुलभ और समावेशी बैंकिंग हमारे नेतृत्व की मजबूत प्रतिबद्धता है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम मानते हैं कि सही मायने में समावेशी बैंकिंग केवल पहुंच के बारे में नहीं है बल्कि यह उन सभी ग्राहकों की गरिमा, स्वतंत्रता और वित्तीय समावेशन के बारे में है जिन्हें बैंक सेवा प्रदान करता है.

### 20.1.2 बेहतर गवर्नेंस हेतु

डीआईटी प्रभावी निर्णय लेने, जोखिम प्रबंधन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक गवर्नेंस ढांचे और प्रथाओं की स्थापना कर रहा है, जिससे संगठन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.

बैंक के पास मजबूत डेटा गवर्नेंस और गोपनीयता प्रथाएं हैं जो बैंक की आईटी नीति और डेटा गवर्नेंसनीति में परिभाषित हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक को गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) आईएसओ 27701:2019, के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, आईएसओ 27701 जो डेटा गोपनीयता का प्रबंधन करने के लिए पीआईआई (व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी) नियंत्रकों और पीआईआई प्रोसेसर के लिए ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है. यह मौजूदा आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) को बढ़ाकर व्यक्ति और संगठन के गोपनीयता अधिकारों के लिए जोखिम को कम करता है. आईएसओ 27701 प्रमाणन गोपनीयता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करके, गोपनीयता जोखिमों को कम करने, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करके हितधारकों/ ग्राहकों के बीच विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है. यह डेटा की अखंडता, सटीकता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करता है, जो निर्णय लेने और उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों के साथ विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. आईएसओ 27701 और मजबूत डेटा अखंडता प्रथाओं का संयोजन संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को मजबूत करता है.

**एंटरप्राइज़ समाधान संरचना अभ्यास**

बैंक ने पुराने और गलत संरेखित उपकरणों और प्रणालियों से संगठनात्मक जोखिम को कम करने के लिए, इष्टतम कार्यनिष्पादन हेतु आईटी एप्लिकेशन परिदृश्य को सुव्यवस्थित करने के लिए और अतिरेक को हटाने के लिए, टोगाफ़ (टीओजीएएफ) फ्रेमवर्क का उपयोग करके एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) कार्यालय स्थापित किया है.

आईटी परिदृश्य में आने वाले आर्किटेक्चर परिवर्तन अनुरोधों की समीक्षा, अनुशंसा और अनुमोदन के लिए एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) कार्यालय और आर्किटेक्चर गवर्नेंस बोर्ड (एजीबी) को 01-04-2024 से प्रभावी रूप से संचालित किया गया है. इसने बैंक को व्यापार और आईटी सहयोग स्थापित करने और आईटी के माध्यम से व्यापार रणनीति चलाने के लिए लाभान्वित किया है.

- **डेटा गोपनीयता ढांचा**

  इसमें डीपीडीपी संगठन संरचना और डेटा गोपनीयता प्रभाव विश्लेषण शामिल हैं. डेटा सेंटर, पवई और डीआर साइट, बेंगलुरु में बैंक की आईटी प्रणालियाँ आईएसओ 27701:2019 प्रमाणन (पीआईएमएस- गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली) की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं. हमारा बैंक देश का पहला वित्तीय संस्थान है जिसने विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने एवं गोपनीयता जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए डेटा गोपनीयता में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया है.

- **आईटीएसएम/ आईटीएएम/ आईटीओएम**

  चूंकि बैंक के दिन-प्रतिदिन के परिचालन में आईटी कार्यशीलता तेजी से महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही हैं, इसलिए कारोबार की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए आईटीएसएम और आईटीएम सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना अनिवार्य हो गया है. यह सेवा अनुरोध प्रबंधन क्षेत्रों जैसे परिवर्तन एवं निर्गम प्रबंधन, घटना का प्रबंधन, कार्यप्रवाह और ऑर्केस्ट्रेशन से संबंधित है.

**पीसीआई पिन प्रमाणीकरण:**

भुगतान कार्ड उद्योग व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रमाणन एटीएम और पीओएस पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर ऑनलाइन और ऑफ़लाइन भुगतान कार्ड लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) डेटा के सुरक्षित प्रबंधन, प्रसंस्करण और संचरण के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं का एक सेट है. हमारा बैंक पीसीआई पिन प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का दूसरा पीएसबी है.

**पीसीआई डीएसएस प्रमाणन:**

भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई डीएसएस) एक विश्व स्तर पर स्वीकृत मानक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नीतियों और प्रक्रियाओं का एक सेट है, जिसका उद्देश्य कार्ड-आधारित लेनदेन की सुरक्षा को अनुकूलित करना एवं कार्ड धारक की जानकारी को दुरुपयोग और उल्लंघनों से बचाना है. हमारा बैंक एसबीआई के बाद दूसरा पीएसबी है जिसने 9 महीने के रिकॉर्ड समय में यह उपलब्धि हासिल की है.

### 20.1.3 आघात-सह बुनियादी संरचना हेतु

बुनियादी ढांचे की एक ठोस नींव का निर्माण करना जो मजबूत, अनुकूलनीय और आघात-सह हो, तथा अप्रत्याशित चुनौतियों और व्यवधानों के बावजूद निर्बाध संचालन एवं निरंतरता सुनिश्चित करे.

#### 20.1.3.1 डेटा सेंटर आधुनिकीकरण:

- **ग्रीन डेटा सेंटर**

  बैंक ने एक ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया है, जो संवहनीय प्रौद्योगिकियों और संसाधन प्रबंधन का उपयोग करके अधिकतम ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ काम कर सकता है.

- **शून्य डेटा हानि प्राप्त करने के लिए 4-स्तरीय अवसंरचना**

  डीआर साइट पर आपदा के मामले में शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने और व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए निकट आपदा रिकवरी साइट सफलतापूर्वक स्थापित की गयी है. यह डीआर साइट पर आपदा के मामले में अधिकतम उपलब्धता और कम डेटा हानि प्राप्त करके बेहतर ग्राहक सेवा के माध्यम से बैंक को लाभान्वित करता है.

- **मुख्य प्रणाली पर दबाव कम करना - सीबीएस का आधुनिकीकरण**

  मुख्य प्रणाली पर दबाव को कम करने का अर्थ है घटक-आधारित संरचना को अपनाना. माइक्रोसर्विसेज का उपयोग करके छोटे एप्लीकेशनों की श्रृंखला बनाकर मोनोलिथ सिस्टम को छोटे घटकों में बांटना, जिससे प्रणाली लचीली बनती है.

  परिचालन को सुव्यवस्थित करने, जटिलताओं को कम करने और मापनीयता बढ़ाने के लिए मुख्य बुनियादी ढांचे पर दबाव को कम करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधारभूत ढांचा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला और अनुकूल है.

- **रैंसमवेयर रिकवरी समाधान**

  बैंक रैंसमवेयर हमलों से जल्दी से उबरने की अपनी क्षमता को बढ़ाने, डाउनटाइम और वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए एक रैंसमवेयर रिकवरी समाधान स्थापित कर रहा है. समाधानों में आमतौर पर अपरिवर्तनीय बैकअप जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि रैंसमवेयर द्वारा डेटा को बदला या हटाया नहीं जा सकता है, इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा होती है. समाधान तेजी से वसूली क्षमता भी प्रदान करता है, जिससे बैंक को तेजी से परिचालन बहाल करने और हमले के प्रभाव को कम करने की अनुमति मिलती है. बैंक अपने डेटा की सुरक्षा करने, ग्राहक विश्वास बनाए रखने और साइबर खतरों के सामने व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत रैंसमवेयर रिकवरी समाधान लागू कर रहा है.

#### 20.1.3.2 अगली पीढ़ी का सुरक्षा परिचालन केंद्र

बैंक नेक्स्ट-जेन एसओसी के साथ मौजूदा सुरक्षा तरीकों को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है जो एआई और मशीन लर्निंग के साथ उन्नत सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) को एकीकृत करता है ताकि खतरों का अधिक कुशलता से पता लगाया जा सके और उन पर प्रतिक्रिया दी जा सके. नेटवर्क ट्रैफ़िक की लगातार निगरानी और पैटर्न का विश्लेषण करके, नेक्स्ट-जेन एसओसी वास्तविक समय में विसंगतियों और संभावित सुरक्षा उल्लंघनों की पहचान कर सकता है, जिससे तेजी से घटना प्रतिक्रिया की अनुमति मिलती है और संचालन पर प्रभाव कम होता है.

#### 20.1.3.3 सुदृढ़ सीबीएस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर

बैंक ने डीआर ऑटोमेशन टूल का उपयोग करके सुरक्षित बीसीपी के लिए डीआर स्विचिंग ऑपरेशंस को स्वचालित किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक एक व्यापक क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाता है जिसमें निजी, हाइब्रिड और सार्वजनिक क्लाउड वातावरण शामिल हैं. यह बहुआयामी दृष्टिकोण बैंक को संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने, डेटा सुरक्षा बढ़ाने और अनुप्रयोगों और सेवाओं को तैनात करने में लचीलापन बनाए रखने की अनुमति देता है. इन उन्नत तकनीकों को एकीकृत करके, बैंक एक बेहतर ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता और बाजार की बढ़ती मांगों के अनुकूल होने की चपलता सुनिश्चित करता है. बैंक ने डीआर ऑटोमेशन टूल का उपयोग करके सुरक्षित बीसीपी के लिए डीआर स्विचिंग ऑपरेशंस को स्वचालित कर दिया है. इसके अतिरिक्त, बैंक एक व्यापक क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाता है जिसमें निजी, हाइब्रिड और सार्वजनिक क्लाउड वातावरण शामिल हैं. यह बहुआयामी दृष्टिकोण बैंक को संसाधन उपयोग को

अनुकूलित करने, डेटा सुरक्षा बढ़ाने और अनुप्रयोगों और सेवाओं को तैनात करने में लचीलापन बनाए रखने की अनुमति देता है. इन उन्नत तकनीकों को एकीकृत करके, बैंक एक बेहतर ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता और बाजार की बढ़ती मांगों के अनुकूल होने की चपलता सुनिश्चित करता है.

**20.1.3.4 एपीएम टूल के माध्यम से वास्तविक समय कार्यनिष्पादन की निगरानी:**

डीआईटी, हैदराबाद में एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एपीएमसीओई) सभी सर्वरों/ उपकरणों और एप्लिकेशन मॉनिटरिंग आवश्यकताओं के लिए एक एकल एकीकृत एप्लिकेशन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है - एंड यूजर एप्लिकेशन एप्लिकेशन और एम्बेडेड इन्फ्रास्ट्रक्चर घटक जैसे एप्लिकेशन सर्वर, डेटाबेस, वेब सर्वर, वर्चुअल सिस्टम और क्लाउड रिसोर्सेज.

बैंक एप्लिकेशनों और इनके बुनियादी ढांचों की वास्तविक समय निगरानी के लिए हील एपीएम टूल का उपयोग कर रहा है. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस, सीबीएस डोमेस्टिक, सीबीएस ओवरसीज, एफआई गेटवे, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, स्विफ्ट, लेंडिंग ऑटोमेशन सिस्टम (एलएएस), एसएमएस गेटवे, क्रेडिट कार्ड होस्ट सिस्टम, एटीएम स्विच, ई2एफए (सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम), एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) मिडलवेयर, बीबीपीएस, डीमैट, यूवीकॉन, यूनियन प्रेरणा, यूनियन सरस मेटावर्स और वीडियो केवाईसी जैसे 23 महत्वपूर्ण एप्लिकेशन हील एपीएम प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं.

**एपीएमसीओई में की गई प्रमुख गतिविधियां:**

- विभिन्न चैनलों के एप्लिकेशन की 24x7 निगरानी.
- चैनल के कामकाज में रिपोर्ट किए गए किसी भी उत्पादन मुद्दों के लिए संबंधित व्यावसायिक विभागों का समर्थन करना.
- मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी / आरटीजीएस, एलएएस, सीटीएस, डीएमएस और सीएमएस जैसे महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों की 24x7 निगरानी की जा रही है और टीम रिपोर्ट किए गए मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित विक्रेता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करती है, यदि कोई हो और प्रति घंटा आंकड़े पोस्ट कर रही है.
- यदि विक्रेता टीम द्वारा स्तर 1 पर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो संबंधित एप्लिकेशन स्वामियों को संबंधित विक्रेताओं के साथ आगे अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तत्काल सतर्क कर दिया जाता है.
- प्रमुख एप्लिकेशन प्रदर्शन घटनाओं के लिए विस्तृत मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) साझा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, एप्लिकेशनों की प्रदर्शन स्थिरता को बढ़ाया जाता है.
- कॉर्पोरेट बल्क अपलोड से संबंधित इंटरनेट बैंकिंग के सभी प्रति घंटा बैचों का निष्पादन.

**हील एपीएम टूल का उपयोग करके प्रमुख केपीआई की निगरानी की गई:**

- **सेवा वितरण मानचित्र (एसडीएम):** एसडीएम हील में कॉन्फ़िगर की गई सेवाओं का एकल फलक दृश्य प्रदान करता है.
- **तत्काल लेनदेन निगरानी:** उपयोग पैटर्न, एसएलए उल्लंघन, प्रतिक्रिया समय, कुल मात्रा, विफल लेनदेन आदि के लिए डैशबोर्ड.
- **घटक केपीआई निगरानी:** महत्वपूर्ण घटकों से विस्तृत केपीआई दिखाने के लिए डीप डाइव स्क्रीन.
- **स्वचालित फोरेंसिक / उपचारात्मक क्रियाएं:** मौजूदा वर्कफ़्लो मापदंडों के आधार पर अलर्ट प्रदान करना.
- **एप्लिकेशन निगरानी विशिष्ट विशेषताएं:** एप्लिकेशन- विशिष्ट कस्टम केपीआई की निगरानी करना.
- **कॉन्फ़िगरेशन वॉच:** सटीक मूल कारण के लिए कार्यनिष्पादन में गिरावट के लिए कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तनों को सहसंबंधित करना.
- **लॉग विश्लेषक:** एप्लीकेशनों द्वारा बनाए गए लॉग के विश्लेषण के बावजूद त्रुटि अनुरेखण.
- **घुसपैठ की निगरानी:** जेवीएम स्तर पर कोड पीस की घुसपैठ की निगरानी और ट्रेस करना.
- **अंतिम उपयोगकर्ता निगरानी:** ब्राउज़र इंटरैक्शन (डैशबोर्ड) के आधार पर अंतिम-उपयोगकर्ता अनुभवों की निगरानी करना.
- **कस्टम रिपोर्ट:** बैंकों की आवश्यकता के आधार पर, कस्टम डैशबोर्ड रखे जाते हैं.

**20.1.3.5 आघातसहनीय ऑपरेशन सेंटर (आरओसी):**

बैंक आईटी रेजिलिएंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो आईटी परिचालन (आईटीओपीएस) में एकीकृत निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एकीकृत करके बैंक के परिचालन आघातसहनीय लक्ष्य को बढ़ाएगा. यह दृष्टिकोण कार्यनिष्पादन निगरानी और घटना विश्लेषण में सुधार करने के लिए मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करता है, जिससे आईटी टीमों को आउटेज की भविष्यवाणी करने और रोकने और मुद्दों को जल्दी से हल करने में, न्यूनतम व्यवधान और एक सहज ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है.

**20.1.3.6 सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क**

बैंक ने नेटवर्क संचालन को आसान बनाने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए अपने डीसी, एनडीसी और डीआर को पारंपरिक नेटवर्क संरचना से एसडीएन फैब्रिक में स्थानांतरित कर दिया है. इससे

निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं :

- नेटवर्क डिवाइस/ राउटर की केंद्रीकृत निगरानी और नियंत्रण.
- 100% नेटवर्क अपटाइम
- डेटा ट्रैफ़िक की निगरानी और विश्लेषण करने की क्षमता.

### 20.2 बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए अन्य प्रमुख पहल

#### ए) सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 प्रमाणन

हमारे बैंक की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सुविधा को आईएसएसीए के सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 पर मूल्यांकित किया गया है. सीएमएमआई के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं- प्रक्रिया सुधार, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, संसाधन अनुकूलन और ग्राहक संतुष्टि. इसमें उत्पाद विकास, सेवा वितरण और समग्र संगठनात्मक कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और मॉडल भी शामिल हैं.

**सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 मूल्यांकन के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:**

- उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करना.
- विभिन्न टीमों में प्रक्रिया का मानकीकरण, जिससे प्रदेय में निरंतरता बनी रहे.
- उत्पादों और सेवाओं की पूर्वानुमानित और समय पर सुपुर्दगी.
- प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पुनःकार्य को कम करने से लंबे समय में प्रयास और लागत में बचत होती है.
- जोखिम प्रबंधन के लिए पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया से कमजोरियों की पहचान होती है और समय रहते उनका समाधान होता है.
- ब्रांड छवि और साख निर्माण.

#### बी) कुबेरनेटेस और डेवसेकऑप्स

एजाइल मेथडोलोजी को प्राप्त करने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने बैंक के ऑन-प्रिमाइसेस प्राइवेट क्लाउड पर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर (कुबेरनेटेस प्लेटफ़ॉर्म) के साथ एंड-टू-एंड डेवसेकॉप्स प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया है. बैंक ने माइक्रो सर्विसेज़ आधारित बैंक के एप्लिकेशन्स के विकास के लिए डेवसेकॉप्स पर आधारित ऐप आधुनिकीकरण प्लेटफ़ॉर्म (कुबेरनेटेस) को अपनाया है. माइक्रो-सर्विसेज (या माइक्रो-सर्विस आर्किटेक्चर) एक क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चरल दृष्टिकोण है जिसमें एकल एप्लिकेशन कई शिथिल रूप से संयुक्त और स्वतंत्र रूप से परिनियोजित छोटे घटकों या सेवाओं से बना होता है.

यह मौजूदा एकीकृत एप्लिकेशन्स को आधुनिक बनाने और क्लाउड की शक्ति का दोहन करने तथा नवीनतम सॉफ़्टवेयर विकास पद्धति के अनुसार बाज़ार मानक एप्लिकेशन्स को विकसित करने के लिए उपयोगी है. वर्तमान में, 13 इन-हाउस विकसित एप्लिकेशन्स को कंटेनरीकरण में परिवर्तित किया गया है और सीआई/सीडी पाइपलाइन के साथ कुबेरनेट्स प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है.

इसके अलावा, कुबेरनेट्स प्लेटफॉर्म पर 6 सीओटीएस एप्लिकेशन भी तैनात किए गए हैं.

#### सी) सीआरएम (ज़ोहो) का लैस (एलएएस) के साथ एकीकरण

सीआरएम (ज़ोहो) एलएएस के साथ एकीकृत है जिसमें प्रसंस्करण अधिकारी एलएएस एप्लिकेशन में सीआरएम के माध्यम से उत्पन्न लीड देख सकता है जो सीआरएम एप्लिकेशन के माध्यम से उत्पन्न लीड के प्रसंस्करण को सरल करता है.

बैंक को कॉर्पोरेट वेबसाइट, एसीओई, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, व्योम, सोशल मीडिया, फिनटेक पार्टनर्स, बीसी एजेंट्स, कॉल सेंटर, डीबीयू आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से लीड प्राप्त हो रही है. अक्सर देखा गया है कि इन लीड पर कार्रवाई नहीं होती हैं और इनकी निगरानी नहीं की जाती. इसलिए, बैंक ने सीआरएम-एज़ एप्लीकेशन शुरू किया है जो विभिन्न स्रोतों से लीड को चैनलाइज़ करता है. यह एकीकरण लैस पर विभिन्न स्रोतों से इन लीड को प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है और इन लीड के प्रसंस्करण की स्थिति लैस से सीआरएम में वापस अपडेट की जाती है.

### 20.3 पुरस्कार और सम्मान

बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं.

| क्र. सं. | पुरस्कार प्रदाता | पुरस्कार का नाम | पुरस्कार श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | इन्फोसिस | इन्फोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2024 | पारिस्थितिकी तंत्र के नेतृत्व में नवाचार-<br>1) एसटीपी जर्नी<br>2) बीबीपीएस ऋण चुकौती<br>3) इंटरऑपरेबल कार्डलेस नकद निकासी |
| | | | ईएसजी के नेतृत्व वाले नवाचार - पेपरलेस जर्नी को अपनाना<br>आधुनिक प्रौद्योगिकियों के नेतृत्व वाला नवाचार:<br>1) हाइपरऑटोमेशन<br>2) कुबेरनेट्स पर फिनेकल तैनाती |
| | | | उत्पाद नवाचार<br>1) पीएम स्वनिधि माइक्रो-क्रेडिट सुविधा की तैनाती<br>2) डिजिटल पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण |
| | | | कॉर्पोरेट बैंकिंग नवाचार:<br>यूनियन पे प्लस |

| क्र. सं. | पुरस्कार प्रदाता | पुरस्कार का नाम | पुरस्कार श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 2 | बैंकिंग फ्रंटियर्स | फिननोविटी अवार्ड्स | वीआर आधारित शिक्षण समाधान और ऑपरेशन वज्र |
| 3 | ओपन ग्रुप | ओपन ग्रुप इंडिया अवार्ड्स 2024 | टोगाफ स्टेंडर्ड /एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर |
| 4 | क्वोरस | क्वोरस फिनेकल इन्फोसिस्टम बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड्स | यूनियन एक्सेस |
| 5 | ग्लोबल फिनटेक फेस्टीवल | ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल | साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता |
| 6 | आईबीए | आईबीए अवार्ड 2024-25 | सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक-विजेता<br>टेक टैलेंट एंड ऑर्गनाइजेशन- विजेता<br>आईटी जोखिम और प्रबंधन- रनर अप<br>फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन- रनर अप<br>डिजिटल बिक्री और जुड़ाव- रनर अप<br>डिजिटल वित्तीय समावेशन- रनर अप |
| 7 | आईबीईएक्स इंडिया | आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसआई टेक अवार्ड 2025 | आईटी जोखिम और प्रबंधन- विजेता<br>परिचालन दक्षता में उत्कृष्टता- विशेष उल्लेख<br>संवर्धित ग्राहक सेवा- विशेष उल्लेख |

### 20.4 भविष्य की डिजिटल पहल

खुद को अग्रणी प्रमुख बैंकिंग संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए, बैंक ने ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता दोनों को बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों में लगन से काम किया है. ग्राहकों के साथ संचार को निजीकृत करने की आकांक्षा के साथ बैंक व्यक्तिगत इंटरएक्टिव स्टेटमेंट और वीडियो का उपयोग कर रहा है.

बैंक समाशोधन प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने के लिए एआई-आधारित सीटीएस समाशोधन के कार्यान्वयन पर विचार कर रहा है, जिससे कर्मचारियों पर कार्यभार और चेक के लिए प्रसंस्करण समय कम हो सके, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ जाती है. इसके अतिरिक्त, बैंक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए जनरेटिव एआई के संभावित उपयोग के मामलों की खोज कर रहा है.

रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीएई) बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक का उद्देश्य विभिन्न संचालन और स्वचालित प्रक्रियाओं की निगरानी, सुधार करना और अनुकूलन करना है. ग्रीन ऑफिस ऑटोमेशन को प्राथमिकता देते हुए, बैंक सावधानीपूर्वक दस्तावेजों, अंतर कार्यालयीन पत्रों और प्रस्तावों को डिजिटल रूप से तैयार करने, आगे बढ़ाने और डिजिटल हस्ताक्षर करने पर जोर देगा. यह न केवल परिचालन दक्षता को बढ़ाता है बल्कि अनुपालन और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रत्यायोजित प्राधिकरण के साथ भी संरेखित करता है.

दृढ़ परिचालन आघात-सहनीयता की खोज में, हमारी आईटी कार्यनीति बैंगलोर डीआर साइट के लिए एनडीआर और बीसीपी सुदृढ़ीकरण जैसी प्रमुख पहलों के साथ बुनियादी ढांचे के आघात-सहनीयता को मजबूत करने पर केंद्रित है.

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) की स्थापना के बाद, बैंक ने सही प्रतिभा को शामिल करके और डेटा की शक्ति का उपयोग करने के लिए आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें अपस्किल करके अपनी एनालिटिक्स टीम को मजबूत किया है. बैंक आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से संरचित और असंरचित डेटा का उपयोग करके उन्नत विश्लेषण करने के लिए एक अगली-पीढ़ी की अत्याधुनिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर – डेटा लेक – स्थापित कर रहा है. यह बैंक को अधिक सूचित निर्णय लेने और ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाने में सक्षम करेगा.

इसके अलावा, बैंक ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने, सूचित निर्णय लेने में सहायता करने और वर्णनात्मक विश्लेषण और विभिन्न श्रेणियों (खुदरा, एमएसएमई, कृषि, आदि) में विभिन्न मशीन लर्निंग-आधारित उपयोग मामलों के माध्यम से कम जोखिम के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहा है.

निर्णय लेने के लिए, बैंक शीर्ष प्रबंधन और वर्टिकल को अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण और दृश्य डैशबोर्ड का उपयोग करता है, जिससे डेटा-संचालित निर्णय लेना सक्षम होता है. ग्राहक प्रतिधारण में सुधार करने के लिए, बैंक ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके और पहचाने गए ग्राहकों तक पहुंचकर ग्राहक पलायन के संभावित उदाहरणों की पहचान करने के लिए प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का उपयोग करता है.

बैंक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का उपयोग करके एनालिटिक्स-आधारित उपयोग के मामलों के माध्यम से ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ऑफ़र तैयार करता है, संभावित लीड की पहचान करने के लिए ग्राहक डेटा का लाभ उठाता है और बैंक के विभिन्न कार्यों जैसे खुदरा, एमएसएमई, कृषि, आदि का समर्थन करता है, जिससे कारोबार बढ़ाने में योगदान होता है.

जोखिम प्रबंधन के लिए, बैंक ने विभिन्न संभावित दबावग्रस्त खाता मॉडल लागू किए हैं, पैटर्न का पता लगाने और नियमित खातों में स्ट्रेस के शुरुआती संकेतों की भविष्यवाणी करने के लिए ग्राहकों के ऐतिहासिक डेटा (पुनर्भुगतान व्यवहार, खाता उपयोग, लेनदेन व्यवहार और खाता रखरखाव) का लाभ उठाया है.

**प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र**

- **जनरेटिव एआई:**

  जनरेटिव एआई बैंक के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है, जो बैंक को गहरे ग्राहक संबंधों को बढ़ावा देने, ग्राहकों की संतुष्टि और निष्ठा को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाकर कई रास्ते प्रदान करता है. इस तकनीक का उपयोग करने के लिए, बैंक ने जनरेटिव एआई को लागू करने के लिए विक्रेता को ऑनबोर्ड करने के इरादे से आरएफपी जारी की है.

  फ्रंटलाइन असिस्टेंट और एचआर मित्र को सीयूजी (क्लोज्ड यूजर ग्रुप) मॉडल के तहत तैनात किया गया है.

  - **एचआर मित्र –** मौजूदा एचआरएमएस प्लेटफॉर्म के साथ आगे एकीकरण के साथ एचआर मैनुअल, नीतियों, परिपत्रों आदि के लिए जेन एआई संचालित चैटबॉट. कर्मचारी चैटबॉट से ही एचआरएमएस प्लेटफॉर्म की एचआर संबंधित कार्यों की पूछताछ करेंगे.
  - **फ्रंटलाइन असिस्टेंट –** जेन एआई चैटबॉट ने बैंक के फील्ड के कर्मचारियों को बैंक के उत्पादों और सेवाओं, एफएक्यू, एसओपी, आईटी / एप्लिकेशन सपोर्ट / परिचालन आदि से संबंधित कर्मचारियों के प्रश्नों को हल करने से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया.

- **आघातसहनीय ऑपरेशन सेंटर (आरओसी):**

  बैंक आईटी रेजिलिएंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो आईटी परिचालन (आईटीओपीएस) में एकीकृत निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एकीकृत करके बैंक के परिचालन लचीलापन लक्ष्य को बढ़ाएगा. यह दृष्टिकोण कार्यनिष्पादन निगरानी और घटना विश्लेषण में सुधार करने के लिए मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करता है, जिससे आईटी टीमों को आउटेज की भविष्यवाणी करने और रोकने तथा मुद्दों को जल्दी से हल करने में, न्यूनतम व्यवधान और एक सहज ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है.

- **कोर बैंकिंग आधुनिकीकरण:**

  बैंक अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली को फिनेकल 10.2.18 से 10.2.25 में अपग्रेड कर रहा है ताकि सिस्टम कार्यनिष्पादन को बढ़ाया जा सके, सुरक्षा विशेषताओं में सुधार किया जा सके और बैंक की उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप नई कार्यक्षमताओं का समर्थन किया जा सके. फिनेकल को संस्करण 10.02.25 में अपग्रेड करना सिस्टम के लचीलेपन, कार्यनिष्पादन और मापनीयता को बढ़ाकर महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता है. यह संस्करण उन्नत सुविधाओं का परिचय देता है जैसे कि बेहतर रीयल-टाइम प्रोसेसिंग क्षमताएं और माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए समर्थन बढ़ाना, जो कोर को हॉलो करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.

- **क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस:**

  बैंक क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीओई) स्थापित करने की परिकल्पना कर रहा है जो क्लाउड अपनाने को प्रेरित करता है और क्लाउड संचालन का अनुकूलन करता है. सीसीओई विभिन्न प्रकार के क्लाउड वातावरणों में क्लाउड कार्यनीतियों के प्रबंधन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: निजी, सार्वजनिक, हाइब्रिड और एसएएएस. सभी महत्वपूर्ण एप्लिकेशन्स को निजी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया जाएगा. हाइब्रिड क्लाउड में, गैर-क्रिटिकल एप्लिकेशन के ऐप और वेब सर्वर को पब्लिक क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा और डीबी सर्वर को प्राइवेट क्लाउड इन्फ्रा पर होस्ट किया जाएगा. फिनटेक एप्लिकेशन को सीधे पब्लिक क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया जाएगा. बैंक तेजी से तैनाती और सेवा के लिए क्लाउड नेटिव एसएएएस एप्लिकेशनों जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 आदि की मेजबानी करने की भी परिकल्पना करेगा.

- **डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म:**

  डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म: बैंक डिजिटल परिदृश्य में दक्षता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चैनलों में निर्बाध बातचीत और लेनदेन को सक्षम करने के लिए एक व्यापक डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म लागू कर रहा है

  ईटीबी ग्राहकों के लिए चार देयता प्रक्रिया जैसे एफडी, आरडी, पीपीएफ और एसएसए असिस्टेड पोर्टल पर लाइव हैं; और तीन ऋण प्रक्रिया जैसे कि वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण और पूर्व-योग्य व्यवसाय ऋण ओपन-वेब और असिस्टेड पोर्टल पर लाइव हैं.

- **डेटा लेक:**

  बैंक एक परिवर्तनकारी डेटा लेक और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के साथ अपनी डेटा क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है. यह अगली पीढ़ी का डेटा रिपोजिटरी समाधान विभिन्न स्रोतों से संरचित और असंरचित डेटा के बड़े सेट को संग्रहीत करेगा, उन्नत विश्लेषण प्रदान करेगा, डेटा अन्वेषण में सुधार करेगा, लागत में कटौती करेगा और तथ्यों के एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा. इससे बेहतर अंतर्दृष्टि, बेहतर आंतरिक/विनियामक रिपोर्टिंग, आसान डेटा पहुंच, अधिक सटीक विश्लेषण, कारोबारी दक्षता और अंततः निर्णय लेने, ग्राहक सेवा, विनियामक अनुपालन और हमारे बाजार की स्थिति में सुधार होगा.

- **डिजिटल संपर्क केंद्र:**

  उपर्युक्त बैंकिंग सेवाओं को निरंतर और निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए, बैंक वैयक्तिकरण, कॉल पर समाधान, ग्राहक जुड़ाव, त्वरित प्रतिक्रिया और प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल संपर्क केंद्र भी कार्यान्वित कर रहा है. यह संपर्क केंद्र द्वारा समर्थित ग्राहक आधार का विस्तार करेगा और संपर्कों को शाखा सेवा माध्यम से संपर्क केंद्र माध्यम में स्थानांतरित करेगा.

## 21 जोखिम प्रबंधन

### जोखिम प्रबंधन विभाग

जोखिम प्रबंधन अनिश्चितताओं की पहचान, आकलन और शमन की रणनीतिक प्रक्रिया है जो किसी संगठन के उद्देश्यों को प्रभावित कर सकती है. वैश्विक वित्तीय बाजारों के विकसित होने के साथ ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और भी स्पष्ट हो गई, जिससे जटिलता और अस्थिरता बढ़ गई.

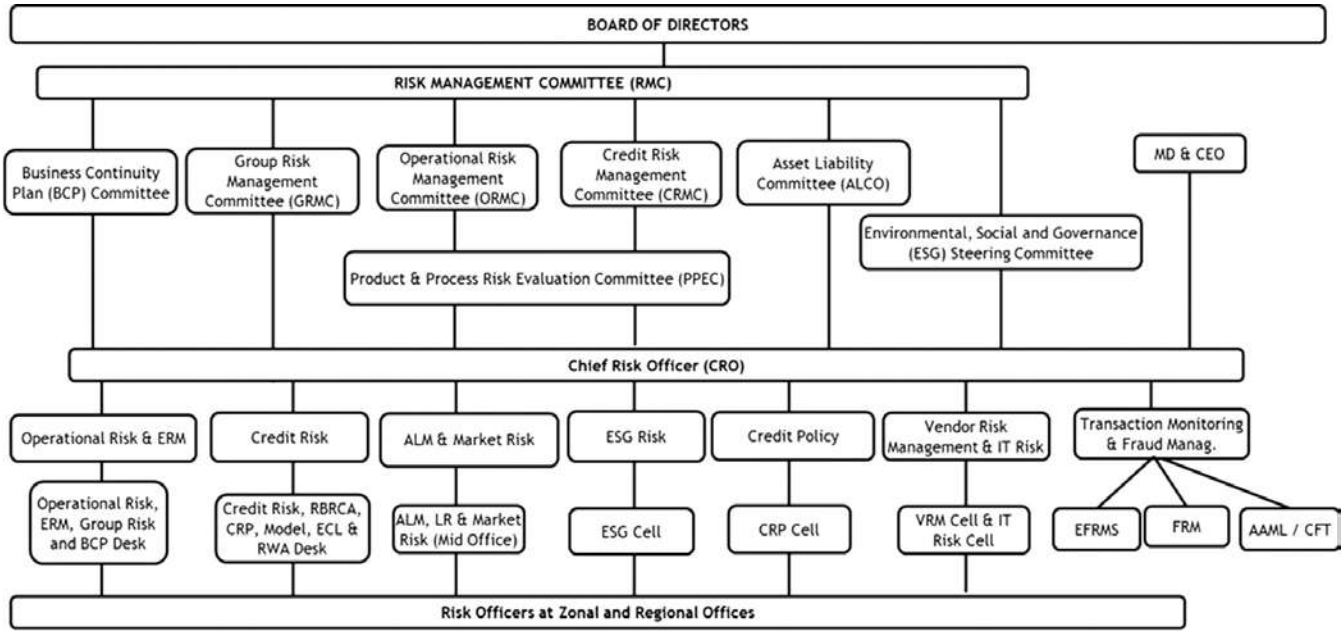
बैंक का जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण है. इसके जोखिम दर्शन में अपनी जोखिम वहन क्षमता और विनियामक ढांचे के भीतर एक स्वस्थ पोर्टफोलियो विकसित करना और बनाए रखना शामिल है. बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करता है कि शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और उपलब्ध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य के साथ व्यावसायिक कार्य भागीदार हैं.

जोखिम प्रबंधन बैंक में एक बोर्ड संचालित कार्य है जिसमें शीर्ष स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है जो विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष अधिकारियों की परिचालन स्तर समितियों द्वारा समर्थित है. बैंक का निदेशक मंडल बैंक की जोखिम वहन क्षमता और जोखिम नीतियों का अनुमोदन करता है. आरएमसी जोखिम रणनीति और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जोखिम के स्तर और दिशा की समीक्षा करता है, विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियो विविधीकरण और जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करता है. जोखिम रणनीति और नीतियों को बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को प्रभावी ढंग से सूचित किया जाता है.

हमारा बैंक उचित नीतियों, संगठन संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम को संबोधित करता है. हमारे बैंक ने रणनीतियों और उद्देश्यों में ईएसजी जोखिम से संबंधित विचारों को शामिल करने, शासन संरचनाओं में ईएसजी जोखिमों को एकीकृत करने और विभिन्न ईएसजी पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित ईएसजी सेल बनाया है. हमारे बैंक ने महत्वपूर्ण कार्यों की आउटसोर्सिंग के कारण तीसरे पक्ष के विक्रेताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए समर्पित विक्रेता जोखिम प्रबंधन सेल भी बनाया है. आईटी जोखिम के खिलाफ बैंक के परिचालन आघातसहनीयता और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आईटी जोखिम प्रबंधन सेल की स्थापना की गई है.

हमारे बैंक में जोखिम प्रबंधन गतिविधि को अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम अधिकारियों की तैनाती करके क्षेत्रीय स्तर की इकाइयों तक भी बढ़ाया गया है. इन जोखिम अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी पहचान करना, उनका आकलन करना, निगरानी करना, रिपोर्ट करना और न्यूनीकरण के सुझाव देना है.

हमारे बैंक के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित जोखिम वहन क्षमता विवरण और यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जोखिम कार्य है कि बैंक अपनी जोखिम वहन क्षमता के भीतर काम करता है.



**ऋण जोखिम प्रबंधन**

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण चुकाने या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के कारण वित्तीय नुकसान के जोखिम की पहचान, आकलन और कम करना शामिल है. यह प्रभावी जोखिम नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता बनाए रखना सुनिश्चित करता है.

हमारे बैंक के पास ऋण एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के लिए अच्छी तरह से परिभाषित ऋण मूल्यांकन तंत्र और जोखिम प्रबंधन ढांचे हैं. हमारे बैंक में, ऋण जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के पास है. सीआरएमसी पोर्टफोलियो विश्लेषण, एक्सपोजर सीलिंग की स्थापना और निगरानी, रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल को परिष्कृत करने, दबावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने आदि के लिए नियमित रूप से बैठक करता है.

हमारे बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं, जोखिम श्रेणी निर्धारण प्रणाली, बड़े मूल्यों के अग्रिमों के लिए ऋण मूल्यांकन की जोखिम आधारित समीक्षा (आरबीआरसीए) और ऋण जोखिम/पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न उपकरण हैं. हमारे बैंक के पास सभी अग्रिमों के लिए एक मानकीकृत और अच्छी तरह से परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है. यह ऋण मंजूरी के लिए एक समिति दृष्टिकोण को अपनाता है और विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियां हैं.

हमारे बैंक के पास बैंक की ऋण गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार करने, लागू करने और अद्यतन करने के लिए समर्पित ऋण नीति कक्ष भी हैं. प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक की उधार प्रथाएं नियामक आवश्यकताओं, जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों और बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों. ऋण नीति टीम उत्पाद विकास और नवाचार का एक अभिन्न अंग है. यह नए ऋण उत्पादों को डिजाइन करने और बाजार की जरूरतों और ऋण रुझानों के आधार पर मौजूदा उत्पादों में संशोधन के लिए अन्य वर्टिकल के साथ सहयोग करता है.

हमारे बैंक ने आंतरिक खपत के लिए शीर्ष अनुसंधान कंपनियों से उद्योग अनुसंधान/ विश्लेषण रिपोर्ट भी सब्सक्राइब की है. जोखिम भरे क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, संबंधित एक्सपोजर की तत्काल समीक्षा की जाती है.

हमारा बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो पर प्रत्येक तिमाही में स्ट्रेस परीक्षण भी आयोजित करता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और वृहद आर्थिक चरण में परिवर्तनों के अनुरूप स्ट्रेस परिदृश्यों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है.

हमारे बैंक ने पूर्वानुमानित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर एक पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली स्थापित की है, जो दबाव संकेतों को पहले से पहचानने में मदद करता है और नियमित आधार पर उधारकर्ताओं की वांछित क्रेडिट गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित शमन उपाय करने में मदद करता है.

हमारा बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है. हमारे बैंक के पास एक 'डायनेमिक रेटिंग फ्रेमवर्क' भी है, जो दबाव और ट्रिगर की शीघ्र पहचान करने और उपयुक्त शमन तंत्र को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है. बैंक ने ऋण हामीदारी को सुदृढ़ करने के लिए बड़े मूल्य वाले खातों के लिए 'ऋण मूल्यांकन ढांचे की जोखिम आधारित समीक्षा' भी शुरू की है.

हमारे बैंक ने ऋण स्वचालन समाधान (एलएएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म अपनाया है. इन प्लेटफार्मों पर आंतरिक रेटिंग मॉडल होस्ट किए जाते हैं, जो सिबिल, आरबीआई चूककर्ताओं की सूची आदि के साथ जुड़ें होते हैं. बैंक के सीआरएआर पर पहुंचने के दौरान, ऋण जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है. हमारे बैंक ने इष्टतम जोखिम-पुरस्कार विचारों के लिए आरएआरओसी फ्रेमवर्क को अपनाया है, जिसमें एक निश्चित कट-ऑफ सीमा से ऊपर कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट प्रस्तावों की सभी नई मंजूरियों/ समीक्षाओं/ नवीकरण के लिए आरएआरओसी गणना अनिवार्य है. ब्याज दर (आरओआई) में रियायत से संबंधित ऋण निर्णय आरएआरओसी से जुड़े होते हैं, जिससे बैंक की लाभप्रदता बनाए रखने और हितधारकों के लिए मूल्य सृजन में मदद मिलती है. ऋण के मूल्य निर्धारण पर निर्णय लेते समय, आरएआरओसी ढांचे का उपयोग व्यक्तिगत लेनदेन से जोखिम समायोजित लाभप्रदता का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो बैंक को हितधारकों के लिए स्थायी लाभप्रदता और मूल्य सृजन सुनिश्चित करने में मदद करता है.

**परिचालन जोखिम प्रबंधन**

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है. प्रभावी प्रबंधन में वित्तीय और प्रतिष्ठित प्रभाव को कम करने के लिए जोखिमों की पहचान करना, नियंत्रण लागू करना और निगरानी करना शामिल है.

परिचालनात्मक जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, हमारे बैंक ने एक व्यापक परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है, जिसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा किया जाता है और समीक्षा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है. ओआरएमसी का प्राथमिक लक्ष्य बैंक के भीतर एक संरचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करके परिचालन जोखिम को कम करना है.

एक स्वतंत्र परिचालन जोखिम प्रबंधन सेल इस ढांचे को लागू करता है. ढांचे के तहत, बैंक के पास रक्षा की तीन पंक्तियाँ हैं. रक्षा की पहली पंक्ति कारोबार इकाई (सहायता और परिचालन सहित) है जो मुख्य रूप से दिन-प्रतिदिन के आधार पर परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. रक्षा की दूसरी पंक्ति, जोखिम प्रबंधन विभाग और अनुपालन विभाग हैं, जो जोखिम का आकलन करने और हमारे बैंक के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का विकास करता है. रक्षा की तीसरी पंक्ति आंतरिक लेखा परीक्षा है.

टीम हमारे बैंक के भीतर गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता की समीक्षा करती है. व्यापक प्रणालियों और प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा का उपयोग परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है.

बैंक द्वारा शुरू किए गए सभी नए उत्पाद / प्रक्रियाएं, उत्पाद और प्रक्रिया जोखिम मूल्यांकन समिति (पीपीईसी) के माध्यम से गुजरती हैं, यह प्रक्रिया परिचालन जोखिम के मुद्दों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मदद करती है.

बैंक ने परिचालन हानियों के आंकड़े संकलित किए हैं और सुधारात्मक उपाय करने के लिए, हुई परिचालन हानियों का विश्लेषण कर रहा है. बैंक के उत्पादों/ प्रक्रियाओं में अवशिष्ट जोखिमों का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है. विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की पहचान की गई है और न्यूनतम सीमा तय कर दी गई है. हमारा बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के तहत पूंजी गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन कर रहा है.

हमारा बैंक सभी स्तरों पर मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से इसे सन्निहित करके जोखिम-जागरूकता संस्कृति भी बना रहा है. जोखिम अधिकारियों के लिए बैंक में आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है. विभिन्न कार्यों और क्षेत्र कार्यकर्ताओं में बैंक में जोखिम संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग मॉड्यूल अनिवार्य कर दिया गया है.

हमारे बैंक के पास एक मजबूत कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा उद्धार योजना (डीआरपी) है जिसका समय-समय पर परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी भी परिचालन आकस्मिकता को पूरा कर सकता है. किसी भी अप्रत्याशित प्रतिकूल घटना या परिस्थितियों के दौरान व्यापार व्यवधानों और प्रणाली विफलता को कम करने और अपने व्यवसाय, कर्मचारियों और ग्राहकों पर संभावित प्रभाव को कम करने के लिए एक अच्छी तरह से प्रलेखित बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना है. योजना विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार डिज़ाइन की गई है और नियमित रूप से समीक्षा की जाती है.

इसके अलावा, बैंक ने आईटी और गैर-आईटी से संबंधित व्यवधानों के लिए बीसीपी त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) का भी गठन किया है. क्यूआरटी व्यवधान की निगरानी करता है और विभिन्न वर्टिकलों/क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश देता है और सामान्य स्थिति बहाल होने तक स्थिति की निगरानी भी करता है.

### आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

एएलएम को जोखिम प्रबंधन की कार्यनीतिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो बैंक की आस्तियों और देयताओं के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होता है और बचाव-व्यवस्था और प्रतिभूतिकरण द्वारा परिपक्वता पैटर्न या अवधि के अनुसार उनका मिलान किया जाता है. एएलएम का उद्देश्य प्रणाली में जानबूझकर या अनजाने में उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण और मूल्य, विनियोजन, मिश्रण और निधियों की अवधि के वैज्ञानिक सम्मिश्रण के माध्यम से आस्तियों और देयताओं के प्रबंधन की एक व्यापक प्रणाली बनाना है.




हमारे बैंक में, आस्ति देयता के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) के पास है. आस्ति देयता समिति विभिन्न आस्तियों और देयताओं के आकार, मिश्रण, अवधि और संरचना की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है. यह मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी और प्रबंधन करती है. परिसंपत्ति और देयता उत्पादों का मूल्य निर्धारण भी एएलसीओ द्वारा तय किया जाता है. इसका मूल उद्देश्य आय के परिप्रेक्ष्य और आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य दोनों से मूल्य वृद्धि है. हमारा बैंक अपने ब्याज दर जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विभिन्न लागत कारकों पर विचार करके विभिन्न बेंचमार्क उधार दरों की गतिशील रूप से समीक्षा करता है.

हमारे बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति है जो बैंकिंग और व्यापार बहियों में ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम के प्रबंधन और शमन में सहायता करती है.

हमारा बैंक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन, दबाव परिदृश्यों को विकसित करना, व्यावहारिक अध्ययन सुनिश्चित करता है और उसके पास आकस्मिक निधियन योजना भी है. बैंक ने चलनिधि मानकों पर बासेल III ढांचे के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों को अपनाया है. इनमें अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रबंधन, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) शामिल हैं. चलनिधि की निगरानी प्रमुखता से स्टॉक दृष्टिकोण और प्रवाह दृष्टिकोण दोनों माध्यमों से की जाती है. एएलएम डेस्क और मिड-ऑफिस क्रमशः बैंकिंग एवं व्यापार बहियों में बाजार जोखिम का मापन तथा निगरानी करते हैं.

### बाजार जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम, बाजार की कीमतों में प्रतिकूल गतिविधि से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान को संदर्भित करता है, जैसे कि ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, इक्विटी मूल्य या कमोडिटी की कीमतें. इसे संस्थान की कमाई और पूंजी की सुरक्षा के लिए जोखिम मूल्य (वैल्यू-एट-रिस्क), दबाव परीक्षण और हेजिंग रणनीतियों जैसी तकनीकों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है.




हमारे बैंक में, बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) के पास है. मिड-ऑफिस सीमाओं की तुलना में पदों की निगरानी करके और ट्रेजरी विभाग के साथ समन्वय करके बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है. मिड-ऑफिस सीधे मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करता है. यह बाजार जोखिम पर एएलसीओ को आवश्यक इनपुट/सूचना प्रदान करता है.

हमारे बैंक की ट्रेजरी नीति और बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है जो व्यापार बहियों में ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम के प्रबंधन और शमन में सहायता करती है.

जोखिम उपायों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'दबाव परीक्षण नीति' द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जो बैंक की निवेश बही पर प्रतिकूल परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का आकलन करने में बैंक का मार्गदर्शन करता है, जिसमें विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और बैंक के लाभ और हानि पर उनका प्रभाव शामिल है. दबाव परीक्षण के परिणाम आवधिक आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

बैंक के बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना विनियामक कारकों को लागू करके मानकीकृत मापन विधि (एसएमएम) का उपयोग करके की जा रही है.

**आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी)**

हमारा बैंक एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) भी आयोजित करता है जिसमें बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले भौतिक जोखिमों को सूचीबद्ध किया जाता है, और उनके मापन और प्रबंधन के तरीकों की गणना की जाती है. भविष्य की कारोबारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य और दबाव ग्रस्त परिस्थितियों में पूंजी की पर्याप्तता का भी आकलन किया जाता है.

हमारा बैंक प्रत्येक वर्ष आईसीएएपी ढांचे की समीक्षा करता है, ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि बैंक जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखे. आईसीएएपी सत्यापन एक सत्यापन समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है. आईसीएएपी के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं:

- जोखिम आंशिक रूप से या पिलर 1 के तहत कॅप्चर नहीं किया गया.
- विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए आकलन के तरीके.
- दबाव परिदृश्यों (दबाव परीक्षण) के तहत पूंजी की जरूरतों का अनुमान लगाना.
- भविष्य के विकास के लिए पूंजी आवश्यकताएं (जोखिम वहन क्षमता विवरण)

हमारे बैंक के पास पूंजी आवश्यकताओं, वांछित स्तरों, उपयोग और आकस्मिक उपायों के लिए बोर्ड अनुमोदित पूंजी योजना है. हमारा बैंक कारोबार विकास के साथ पूंजी नियोजन को एकीकृत करता है, इष्टतम उपयोग और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है. कर्मचारियों को पूंजी प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया जाता है और संभावित जोखिमों का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षण किया जाता है. अनुमानित कारोबारिक आवश्यकताओं के आधार पर सक्रिय रूप से पूंजी जुटाई जाती है.

**ईएसजी और जलवायु जोखिम**

ईएसजी और जलवायु जोखिम पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस कारकों को संदर्भित करते हैं जो एक वित्तीय संस्थान के दीर्घकालिक कार्यनिष्पादन और लचीलापन को प्रभावित कर सकते हैं. इन जोखिमों के प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन, विनियामक बदलावों और प्रतिष्ठित प्रभावों जैसे मुद्दों को हल करने के लिए जोखिम ढांचे में धारणीयता विचारों को एकीकृत करना शामिल है.

हमारे बैंक के बोर्ड ने ईएसजी और जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव को हल करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है. बैंक अपने कारोबारों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव पैदा करके और पर्यावरण की चुनौतियों का पता करके पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के सभी ईएसजी और जलवायु जोखिम संबंधी मामलों को देखती है. बैंक ने बैंक में ईएसजी संक्रमण की निगरानी के लिए ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) का गठन किया. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी जोखिम फ्रेमवर्क और जलवायु जोखिम नीति तैयार की है. बैंक ने संसाधन जुटाने और वित्तपोषण ढांचे और आश्वासन से संबंधित पहलुओं को कवर करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित संवहनीय वित्तपोषण ढांचा भी तैयार किया है.




हमारे बैंक ने ईएसजी से संबंधित जोखिम और अवसरों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करने के लिए एक अलग ईएसजी सेल की स्थापना की है. बैंक ने वर्टिकल-वार ईएसजी से संबंधित कार्रवाई बिंदुओं और समय-सीमा की पहचान की है. बैंक के अपने परिचालनों में निवल शून्य-उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कार्य बिंदु तैयार करने के लिए बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन के परिसर की देखभाल करने वाले कार्यक्षेत्रों को शामिल

करते हुए एक उप-समिति का गठन किया गया है. इसके अलावा, बैंक के ऋण वर्टिकलों के तहत एक अन्य उप-समिति का गठन किया गया है जो बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को संवहनीय/ हरित वित्त की ओर स्थानांतरित करने के पीछे प्रेरक शक्ति होगी. समिति, कार्बन-गहन क्षेत्रों में ऋण जोखिम के प्रतिशत को मापने और कम करके स्थायी वित्त के लिए नए रास्ते और अवसरों का पता लगाने पर काम कर रही है. बैंक ने ऋण हामीदारी में वित्तपोषित उत्सर्जन का उपयोग करके भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम का आकलन शुरू कर दिया है, ग्रैन्युलैरिटी के जिला स्तर पर संपार्श्विक के भौतिक जोखिम की पहचान की है और विभिन्न जलवायु परिदृश्यों के तहत ग्राहक स्तर पर कॉर्पोरेट के लिए भौतिक और संक्रमण जोखिम का मूल्यांकन भी किया है.

हमारा बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल हेतु साझेदारी (पीसीएएफ) के लिए हस्ताक्षरकर्ता बनने वाला भारत का पहला प्रमुख बैंक बन गया है, जिसने बैंक को पीसीएएफ डेटाबेस और कार्यप्रणाली तक पहुंच प्रदान की है. बैंक ने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो सीईईडब्ल्यू द्वारा विकसित वैश्विक परिवर्तन विश्लेषण मॉडल (जीसीएएम) भारत मॉडल नामक उन्नत मॉडलिंग और परिदृश्य विश्लेषण उपकरण तक पहुंच प्रदान करता है. हमारे बैंक ने तकनीकी सहायता और क्षमता विकास के लिए ड्यूशगेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं. अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ ये साझेदारी हमारे बैंक की मजबूत ईएसजी और जलवायु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है. हमारे बैंक ने अपने ऋण परिचालनों में जलवायु जोखिम समाधान को एकीकृत करना भी शुरू कर दिया है. बैंक ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईएसजी से संबंधित विषयों का एकीकरण भी शुरू कर दिया है.

बेंगलुरु में हमारे बैंक के प्रशिक्षण केंद्र "यूनियन बैंक ज्ञानार्जन केंद्र" को भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है. हमारे बैंक ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनियन ग्रीन होम, यूनियन ग्रीन व्हीकल, यूनियन ग्रीन डिपॉजिट जैसे कई उत्पाद लॉन्च किए हैं.

हमारा बैंक उत्सर्जन/ उत्सर्जन तीव्रता और कार्बन तटस्थता में कमी के लिए समयबद्ध मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में कार्य कर रहा है. हमारे बैंक ने 2035 तक अपने स्वयं के परिचालन में शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किया है. हमारा बैंक कम कार्बन अर्थव्यवस्था में देश के सामूहिक परिवर्तन में राष्ट्रीय उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है.

### विक्रेता जोखिम प्रबंधन कक्ष

तृतीय पक्ष विक्रेता, बैंकिंग परिचालन के अभिन्न भाग बन गए हैं. समय के साथ, बैंक ने माना है कि आउटसोर्सिंग बैंक के भीतर एक महत्वपूर्ण कार्य है. एक विक्रेता पर जोखिम और विफलताएं सीधे बैंक के परिचालन, वित्तीय, ग्राहकों और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं.

बैंक ने आउटसोर्सिंग गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरएमडी के भीतर एक समर्पित विक्रेता जोखिम प्रबंधन कक्ष की स्थापना की है. बोर्ड ने आउटसोर्सिंग जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, विक्रेता जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी है.




बैंक द्वारा विक्रेताओं के केंद्रीकृत डाटाबेस का प्रबंधन "केंद्रीकृत विक्रेता जोखिम प्रबंधन प्रणाली" (सीवीआरएमएस) नामक इनहाउस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है. हमारे बैंक ने विक्रेताओं की प्रभावी निगरानी के लिए सीवीआरएमएस में आउटसोर्सिंग जीवनचक्र तैयार किया है. हमारा बैंक, एक बार प्री-ऑनबोर्डिंग चरण में और उसके बाद आवधिक आधार पर ऑनबोर्डिंग के बाद, नियमित रूप से अपने विक्रेताओं और उनकी सेवाओं की समीक्षा कर रहा है. सेवा प्रदाताओं की समीक्षा में गतिविधि वर्गीकरण, अंतर्निहित जोखिम मूल्यांकन, ड्यू डिलिजेंस, परिवर्धित ड्यू डिलिजेंस, साइबर जोखिम मूल्यांकन, विक्रेता कर्मचारियों का ड्यू डिलिजेंस और पुलिस सत्यापन, मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक, कारोबार निरंतरता योजना और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मूल्यांकन शामिल हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेता परिचालन वातावरण में पर्याप्त सुरक्षा उपायों को बनाए रखता है और आवश्यक बीसीपी रखता है. हमारे बैंक के पास नियमित आधार पर विक्रेता साइट का निरीक्षण करने की एक प्रणाली है.

### आईटी जोखिम मूल्यांकन कक्ष

बैंक ने तकनीकी परिवर्तनों, नए कार्यान्वयन और अनुकूलन का मूल्यांकन करके बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य का समर्थन करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग के तहत आईटी जोखिम मूल्यांकन कक्ष का गठन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद विकास के प्रारंभिक चरण में आईटी से संबंधित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन किया जा रहा है. कक्ष मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की प्रत्यक्ष निगरानी में काम करता है..

हमारे बैंक का आईटी जोखिम मूल्यांकन कक्ष आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंकों की आंतरिक नीतियों और आईटी गवर्नेंस ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीआईटी (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी), अनुपालन, लेखापरीक्षा और डिजिटाइजेशन वर्टिकल सहित प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग करता है.

आईटी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्राथमिकता, जोखिम शमन, नियंत्रण प्रभावशीलता, परिवर्तन पहचान और मूल्यांकन, व्यापार प्रभाव विश्लेषण (बीआईए) रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा शामिल है.

**संव्यवहार अनुश्रवण और धोखाधड़ी प्रबंधन**

संव्यवहार अनुश्रवण और धोखाधड़ी प्रबंधन वर्टिकल का गठन धोखाधड़ी के मामलों की बेहतर निगरानी और धोखाधड़ी करने में अपनाई गई कार्यप्रणाली का शीघ्र पता लगाने के दृष्टिकोण के साथ किया गया था. ये बैंक को ओटीएमएस अलर्ट, ईएफआरएमएस अलर्ट, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके धोखाधड़ी की रोकथाम, शीघ्र पहचान और समय पर रिपोर्टिंग के लिए एक मजबूत प्रणाली प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे.




हमारे बैंक ने तत्काल के आधार पर स्रोत प्रणाली यानी सीबीएस (फिनेकल) पर लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाने और उन्हें रोकने के उद्देश्य से तत्काल निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) शुरू की है.

यह एक अनूठी अवधारणा है जिसमें नए खोले गए बचत और चालू खातों की निगरानी प्रारंभिक प्रथम वर्ष के लिए की जा रही है और सीबीएस में 24/7 आधार पर संवर्धित ड्यू डिलिजेंस (ईडीडी) रिकॉर्ड करने की सुविधा है.

नए खोले गए कासा खातों की निगरानी वेग जांच के आधार पर बाहरी आधार पर की जा रही है. इस तरह के वेग जांच में ग्राहक प्रोफाइल आदि के अनुसार लेनदेनों की संख्या, लेनदेन राशि शामिल हैं.

हमारे बैंक के पास स्रोत प्रणाली (सीबीएस) पर निरंतर आधार पर और लेनदेन/ घटना/ गतिविधि के समापन से लगभग वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन और घटनाओं की निगरानी के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र है; जो एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से तुरंत नामित उपयोगकर्ताओं को सचेत करता है. इस प्रकार क्षति, यदि कोई हो, को तत्काल रोका जा सकता है.

बैंक ने मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किए हैं जो वास्तविक समय / निकटतम वास्तविक समय के आधार पर म्यूल खातों का सक्रिय रूप से पता लगाने में सक्षम हैं. मशीन लर्निंग के माध्यम से पहचाने गए कई खातों को I4सी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से साइबर अपराध की शिकायतों के माध्यम से भी रिपोर्ट किया जा रहा है. यह उपाय वास्तविक ग्राहकों की रक्षा करने में मदद करता है जो अनजाने में म्यूल खातों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई करके साइबर-धोखेबाजों के शिकार हो सकते हैं.

ये पहलें, हमारे बैंक को भारतीय बैंकिंग उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थान देती हैं, धोखाधड़ी का पता लगाने और शमन क्षमताओं को बढ़ाती हैं.

**समूह जोखिम प्रबंधन**

समूह जोखिम समूह संस्थाओं में से किसी के सामने आने वाले जोखिमों पर जोर देता है जिनकी पूरे समूह में एक सामान्य प्रतिध्वनि होती है, जिसका समूह-व्यापी प्रभाव हो सकता है. हमारा बैंक, अपनी समूह संस्थाओं के माध्यम से, विविध वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, प्रतिभूति और पूंजी बाजार, बीमा, म्यूचुअल फंड और खुदरा आस्ति कारबारों में भाग लेता है. बैंक ने सामान्य और दबावग्रस्त स्थितियों के तहत अपनी समूह संस्थाओं के लिए जोखिमों, आंतरिक नियंत्रणों, न्यूनीकरणों और पूंजी मूल्यांकन के लिए एक ढांचा / नीति बनाई है.

**उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)**

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) एक संरचित दृष्टिकोण है जो संगठन में जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन और निगरानी के लिए अपनाया जाता है. पारंपरिक जोखिम प्रबंधन के विपरीत, जो अक्सर अलगाव में विशिष्ट खतरों पर केंद्रित होता है, ईआरएम एक समग्र ढांचा प्रदान करता है जो रणनीतिक निर्णय लेने में जोखिम विचारों को एकीकृत करता है. ईआरएम साइलो में प्रबंधन के बजाय बैंक-व्यापी स्तर पर इन जोखिमों को संबोधित करने की एक प्रक्रिया है.

हमारे बैंक ने एक ईआरएम ढांचा तैयार किया है जो बैंक को अपने समग्र जोखिम स्तर के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. ईआरएम को वित्तीय, परिचालन, रणनीतिक, नियामक और प्रतिष्ठित जोखिमों सहित जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हमारे बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति है.

## 22. अनुपालन

हमारे बैंक ने एक विस्तृत अनुपालन नीति द्वारा निर्देशित एक सुदृढ़ एवं सुप्रलेखित अनुपालन ढाँचा स्थापित किया है. अनुपालन कार्य, विनियामक तथा सांविधिक दिशानिर्देशों, निष्पक्ष कार्य संहिताओं, आंतरिक नीतियों, सरकारी निदेशों का पालन तथा धन-शोधन एवं गैरविधिक गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

अनुपालन विभाग विभिन्न प्रक्षेत्र यथा, विनियामक अनुपालन, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण, परिचालन अनुपालन, अनुपालन परीक्षण जाँच तथा नीति समीक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली समर्पित टीमों के माध्यम से परिचालन करता है. ये टीमें अनुपालन जोखिमों के प्रभावी रूप से प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु कारोबार वर्टिकल के सान्निध्य में तथा अन्य बीमा कार्य करती हैं. विनियामक अनुपालन टीम, समय के साथ बदलती विनियामक आवश्यकताओं के विषय में आंतरिक हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका भी निभाती है.

हमारे बैंक ने परिचालन दक्षता में सुधार हेतु अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, मानवीय हस्तक्षेपों को कम करने, विनियामकों के साथ समन्वय बढ़ाने तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी का

लाभ उठाना जारी रखा है. अनुपालन जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी तथा प्रबंधन के लिए एक संरचित प्रक्रिया मौजूद है, साथ ही अननुपालन के किसी भी मामले को एस्केलेट करने तथा उसके समाधान के लिए तंत्र भी है. अनुपालन आवश्यकताओं को डिजाइन चरण से ही उत्पादों तथा प्रक्रियाओं में सन्निहित किया जाता है.

मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, हमारे बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा विनियामक परिवर्तनों पर अद्यतनों तथा अनुपालन जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर शिक्षा तथा क्षमता निर्माण में निवेश किया है.

पूरे समूह में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए, समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी (जीसीसीओ), बैंक तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए जा रहे अनुपालन का निरीक्षण करता है. बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय तथा अंचल स्तर पर अपनी अनुपालन संरचना को और सुदृढ़ किया है ताकि क्षेत्र स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा सके. मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखापरीक्षा, सूचना सुरक्षा तथा संव्यवहार एवं धोखाधड़ी अनुश्रवण विभागों के प्रमुखों का एक समर्पित आश्वासन समूह, नियमित रूप से प्रमुख अनुपालन मुद्दों तथा प्रमुख विनियामक निदेशों की स्थिति की समीक्षा करता है.

एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति को शामिल करने के अपने जारी प्रयासों में, हमारे बैंक ने कारोबार वर्टिकल तथा क्षेत्रीय इकाइयों में लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं. अनुपालन जागरूकता सप्ताह, फ्लायर्स, कैप्सूल का वितरण तथा जागरूकता सत्र जैसी विशेष पहलें विनियामक ज्ञान को बढ़ाने तथा "अनुपालन-सर्वप्रथम" मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई हैं. इसके अतिरिक्त, सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए केआरए में अब अनुपालन हेतु बढ़ा हुआ भारांक शामिल है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है.

हमारा बैंक विनियामक निदेशों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के विभागों, नियंत्रक कार्यालयों तथा शाखाओं में नियमित अनुपालन परीक्षण जांच आयोजित करता है. भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) जैसे विनियामक निकायों से प्राप्त पत्रादि के उत्तरों का प्रबंधन करने के लिए एक केन्द्रीकृत अनुपालन पैकेज लागू किया गया है. अनुपालन कार्य की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व बैंक के सभी स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं. अंचल अनुपालन अधिकारियों तथा आंचलिक अनुपालन निगरानी समितियों की एक संरचित स्व-प्रमाणन प्रक्रिया है जो अंचल स्तर पर विनियामक तथा सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करती है.

बैंक ने व्यक्तिगत स्तर की अनुपालन निगरानी, प्रमाणन तथा सत्यापन की सुविधा के लिए अनुपालन निगरानी उपकरण विकसित तथा अभिनियोजित किया है, जिससे जवाबदेही तथा पारदर्शिता में वृद्धि हुई है.

दीर्घकालिक अनुपालन आवश्यकताओं को बैंक की कारोबारी रणनीति के साथ एकीकृत किया गया है. अनुपालन सरोकारों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, उत्पाद डिजाइन, आईटी सिस्टम तथा डिजिटल ऋण परिचालन में अंतर्निहित किया गया है. सतत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नीति, प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी स्तरों पर व्यवस्थित जांच तथा नियंत्रण को संस्था का हिस्सा बनाया गया है. हितधारक के विश्वास को बनाए रखने के लिए अधिक पारदर्शिता, जोखिम गवर्नेंस तथा प्रकटीकरण प्रथाओं को अपनाया गया है.

हमारा बैंक अपने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन तथा गवर्नेंस ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, तथा वित्तीय स्थिरता और संस्थागत सत्यनिष्ठा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग प्रदान करने हेतु उद्योग जगत की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना जारी रखता है.

## 23. आंतरिक लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण वर्टिकल द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां की जाती हैं:

i. शाखाओं और अन्य इकाइयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
ii. चुनिंदा शाखाओं और अन्य इकाइयों की समवर्ती लेखापरीक्षा
iii. नियंत्रण कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल की प्रबंधन लेखापरीक्षा
iv. आईएस लेखापरीक्षा
v. विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा
vi. विशेष लेखापरीक्षाएं एवं विशेष रिपोर्टें
vii. एसीई, सीएओसी
viii. डेटा डंप विश्लेषण
ix. कर्मचारी जवाबदेही-डीएफएस दिशानिर्देशों की जांच के लिए डेटा प्रदान करना

### शाखाओं तथा अन्य इकाइयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 6080 शाखाओं की लेखापरीक्षा शुरू हुई, जिनमें से 5938 शाखाओं में कार्य पूर्ण हो गया है तथा 5904 शाखाओं को दिनांक 31.03.2025 तक रेटिंग प्रदान कर दी गई है. कम जोखिम के अंतर्गत शाखाओं की संख्या 4299 (72.82%), मध्यम जोखिम की 1533 (25.97%), उच्च जोखिम की 72 (1.22%) तथा अत्यधिक उच्च जोखिम वाली शाखाएं शून्य हैं. इसके अतिरिक्त, 798 अन्य इकाइयों की लेखापरीक्षा शुरू हुई, जिनमें से 763 की लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्ण हुई. इस अवधि के दौरान 'बी' श्रेणी की 114 शाखाओं की विदेशी मुद्रा लेखापरीक्षा की गई.

### चुनिंदा शाखाओं तथा अन्य इकाइयों की समवर्ती लेखापरीक्षा:

विभाग ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1873 समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति (नए/नवीनीकृत) की है तथा 1848 समवर्ती लेखा परीक्षकों ने दिनांक 31.03.2025 तक, 1843 शाखाओं/वर्टिकल/इकाइयों को कवर किया. कुल 1843 शाखाओं/वर्टिकल/इकाइयों में से 1341 कारोबारी शाखाएँ हैं, ये शाखाएँ दिनांक 31.03.2024 तक बैंक के कुल कारोबार का 54.64% जमा तथा 77.99% अग्रिम कवर करती हैं. समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत कुल 39 वर्टिकल /सब-वर्टिकल को कवर किया गया.

**राजस्व लेखापरीक्षा (आय का क्षरण)**

आय के क्षरण का सीधा प्रभाव लाभ पर पड़ता है. स्टाफ की ओर से लापरवाही की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से, एक प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें प्रत्येक मामले में क्षरण के सापेक्ष अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है ताकि बैंक उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई कर सके. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तीन (3) राजस्व लेखापरीक्षा (आय का क्षरण) विशेष अभियान आयोजित किए गए. दिनांक 31-03-2025 तक कुल 502.08 करोड़ की राशि का पता चला तथा 408.87 करोड़ वसूले गए.

**नियंत्रण कार्यालयों तथा केंद्रीय कार्यालय वर्टिकलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा**

प्रबंधन लेखा परीक्षा में संगठनात्मक उद्देश्य, नीतियों, प्रक्रियाओं, संरचना, नियंत्रण और प्रणाली जैसे प्रबंधकीय पहलुओं की समीक्षा शामिल है ताकि बैंक की गतिविधियों पर प्रबंधन की दक्षता या कार्यनिष्पादन की जांच की जा सके. प्रबंधन लेखापरीक्षा, कार्यों को पूरा करने तथा समग्र कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करती है. यह बेहतर परिणामों तथा गुणवत्ता के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं, नियंत्रण और गवर्नेंस प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणालीगत एवं अनुशासित दृष्टिकोण अपनाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऑडिटी यूनिट की सहायता करने का प्रयास करेगा. 134 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 अंचल कार्यालय, 18 अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय, 34 केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल, 7 अन्य कार्यालय, प्रबंधन लेखापरीक्षा के तहत कवर किए गए हैं.

**आईएस लेखापरीक्षा:**

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचे के भीतर नियंत्रणों का एक परीक्षण है. बैंक ने आईटी आस्तियों की आईएस लेखापरीक्षा करने के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया है, जिसमें अनुमोदित वार्षिक आईएस लेखापरीक्षा योजना के अनुसार बैंक की आंतरिक आईएस लेखापरीक्षा टीम, चयनित सर्ट-इन पैनलबद्ध आईएस लेखापरीक्षा सेवा प्रदाता के साथ आईएस लेखापरीक्षा कर रहा है.

अवधि के दौरान, 289 आईटी एप्लीकेशनों / प्रक्रियाओं तथा 74 प्रशासनिक कार्यालयों एवं 3 विदेशी कार्यालयों की आईएस लेखापरीक्षा की गई है तथा 100% लक्ष्य हासिल किया गया है. इन नियमित आईएस लेखापरीक्षा के साथ, सीआईएसओ तथा स्वामित्व लेखापरीक्षा टीम को आईटी नियंत्रण स्थिति प्रदान करने के लिए 35 पूर्व-कार्यान्वयन आईएस लेखापरीक्षा किए गए थे. विनियामक/आंतरिक दिशानिर्देशों जैसे स्विफ्ट, सीएससीएफ, व्यापक स्विफ्ट, आरबीआई केआरआई डाटा, यूआईडीएआई अनुपालन, आरए लेखापरीक्षा आदि के अनुसार 25 विशेष केन्द्रित आईएस लेखापरीक्षा भी की गयी थी.

**विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा:**

बैंक की शाखाएं दुबई एवं सिडनी में हैं तथा यूके में एक सहायक शाखा भी है. सभी तीन स्थानों की वार्षिक लेखापरीक्षा समय सारिणी के अनुसार पूर्ण की जाती है. दुबई तथा सिडनी शाखाओं में आवधिक लेखापरीक्षा भी पूर्ण कर ली गई है.

**विशेष लेखापरीक्षा तथा विशेष रिपोर्ट:**

विशेष लेखापरीक्षा: यह लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण वर्टिकल सहित ज़ेडएओ / आरओ / जेडओ तथा / अथवा केंद्रीय कार्यालय के संबंधित कार्यात्मक विभागों जैसे नियंत्रण कार्यालयों से विशिष्ट अनुरोधों की प्राप्ति पर आयोजित की जा रही है. विशेष लेखापरीक्षा करने के ऐसे अनुरोध में सिफारिशों के विशिष्ट कारण, मुद्दों की प्रकृति तथा गंभीरता तथा उन विशिष्ट क्षेत्रों का निरपवाद रूप से उल्लेख किया जाएगा जहां लेखा-परीक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 114 विशेष लेखापरीक्षाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से 111 विशेष लेखापरीक्षाएं पूर्ण तथा जारी की गईं.

विशेष रिपोर्ट: विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य शाखा/खातों में अनियमितताओं की ओर प्रबंधन/नियंत्रक कार्यालयों का तत्काल ध्यान आकर्षित करना है, ताकि ऐसी अनियमितताओं के सुधार/नियमितीकरण के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें तथा बैंक के हितों की रक्षा की जा सके. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 103 विशेष रिपोर्ट जारी की गईं.

कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) तथा केंद्रीय कार्यालय लेखापरीक्षा समिति (सीओएसी):

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 24 जुलाई 2024 तक, एएंडआई वर्टिकल द्वारा 4 एसीबी बैठकें आयोजित की गई, बाद में आरबीआई एसएसएम से प्राप्त निर्देश के अनुसार एसीबी को बोर्ड सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया.
- एसीई एक तिमाही में कम से कम एक बार तथा एक वर्ष में कम से कम छह बार बैठक आयोजित करेगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 7 एसीई बैठकें आयोजित की गईं
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय कार्यालय लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें आयोजित की गईं.

**डेटा डंप विश्लेषण**

डेटा डंप विश्लेषण सिस्टम में उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण इन-हाउस गतिविधि है, जिसका उद्देश्य बैंक और नियामक (आरबीआई) द्वारा परिभाषित उत्पादों/प्रक्रियाओं की नीतियों/दिशानिर्देशों से डेटा अंतर, विचलन की पहचान करना है. यह गतिविधि नीतियों के अनुरूप कैप्चर किए गए डेटा की सटीकता तथा पूर्णता बनाए रखने के लिए क्षेत्र पदाधिकारियों की सहायता करने के लिए रखी गई है. लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण केंद्रीय कार्यालय में डेटा विश्लेषण टीम (डीएटी), नियंत्रण अंतराल की पहचान के लिए विभिन्न परिदृश्यों पर विश्लेषण करती है. डेटा डंप विश्लेषण की शुरुआत यानी दिसंबर 2021 के बाद से, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण वर्टिकल ने 152 परिदृश्यों का विश्लेषण किया. वित्तीय वर्ष 2024-25 (मार्च 2025 तक) में 26 नए परिदृश्यों पर किए गए डेटा डंप विश्लेषण तथा उनके अवलोकन/निष्कर्ष एसीई के समक्ष रखे गए.

**कर्मचारी जवाबदेही की जांच के लिए डेटा प्रदान करना -डीएफएस दिशानिर्देश:**

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा ₹ 50.00 करोड़ (धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर) तक की अनर्जक आस्तियों के लिए कर्मचारी जवाबदेही ढांचा

संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. तदनुसार, अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों में ₹ 0.10 करोड़ से ₹1.00 करोड़ तक के खातों के लिए कर्मचारी जवाबदेही समिति को 7 कार्य दिवसों के भीतर तथा इसी प्रकार ₹1.00 करोड़ से ₹ 50.00 करोड़ तक के खातों के लिए लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा 15 कार्य दिवसों के अंदर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक प्रणाली है.

**भविष्य का दृष्टिकोण:**

दूरस्थ लेखापरीक्षा: शाखाओं हेतु दूरस्थ लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है. ई-थिक मॉड्यूल के 2385 आरबीआईए मास्टर चेकलिस्ट के बिंदुओं के 280 लेखापरीक्षा बिंदु जो उक्त चेकलिस्ट का 10% हैं, उनको पहले चरण के कार्यान्वयन के तहत लाया गया है.

फ़िनास्ट्रा के साथ दूरस्थ लेखापरीक्षा एकीकरण: फिनास्ट्रा के साथ इंटरफेस का निर्माण प्रक्रियाधीन है. इस चरण के तहत, अन्य 388 चेकलिस्ट बिंदुओं (13%) को दूरस्थ लेखापरीक्षा के दायरे में लाया जाएगा.

डीएमएस के साथ दूरस्थ लेखापरीक्षा एकीकरण: डीएमएस मॉड्यूल पूर्णरूपेण कार्यात्मक होने पर तथा उसके ई-थिक के साथ एकीकृत होने पर शेष मास्टर चेकलिस्ट बिंदुओं को दूरस्थ लेखापरीक्षा के तहत लागू किया जाएगा.

दूरस्थ लेखापरीक्षा मॉड्यूल के कार्यान्वयन के साथ, वर्टिकल निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना करता है:

- ✓ लागत तथा प्रयास में बचत
- ✓ लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार.

## 24. साइबर सुरक्षा

### 24.1 साइबर सुरक्षा गवर्नेंस ढांचा तथा कार्य योजनाएं

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा गवर्नेंस ढांचा तथा सुदृढ़ डेटा गवर्नेंस तथा गोपनीयता प्रथाओं को लागू किया है, जिसका विवरण इसकी आईटी नीति तथा डेटा गवर्नेंस नीति में दिया गया है. बैंक के पास अपनी गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) के लिए आईएसओ 27701:2019 प्रमाणन है, जो इसकी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) को उन्नत बनाता है तथा व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) का प्रबंधन सुनिश्चित करता है. यह प्रमाणन हितधारक के भरोसे को जगाता है, गोपनीयता जोखिमों को कम करता है, तथा विधिक अनुपालन सुनिश्चित करता है जिससे डेटा अखंडता, सटीकता तथा विश्वसनीयता सुदृढ़ होती है. बैंक कई प्रमुख विनियामक ढाँचों का पालन करता है, जिसमें आरबीआई साइबर सुरक्षा ढाँचा 2016, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण 2021 पर आरबीआई मास्टर निर्देश तथा आईटी गवर्नेंस, जोखिम, नियंत्रण तथा आश्वासन प्रथाओं पर आरबीआई मास्टर निर्देश 2023 शामिल हैं. इसकी आईटी प्रणाली अंतरराष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन ढांचे, विशेष रूप से आईएसओ 31000: 2018 का अनुपालन करती है, तथा इसमें विस्तृत जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम उपचार योजनाएं शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन), आईएसओ 22301 (कारोबार निरंतरता प्रबंधन), आईएसओ 27701 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन), पीसीआई डीएसएस (भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक), तथा पीसीआई पिन (भुगतान कार्ड उद्योग पिन सुरक्षा) के मानकों को पूरा करता है. 14 नवंबर, 2022 से, सीबीएस, आरटीजीएस, एनईएफ़टी, आईएमपीएस स्विच, एटीएम स्विच तथा यूपीआई स्विच जैसी कई प्रमुख प्रणालियों को इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा "संरक्षित प्रणाली" के रूप में नामित किया गया है. नतीजतन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना सुरक्षा प्रथाओं तथा "संरक्षित प्रणालियों" के लिए प्रक्रियाएं) नियम, 2018 का अनुपालन करता है, जिससे सुदृढ़ साइबर सुरक्षा तथा डेटा सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होते हैं.

### 24.2 साइबर सुरक्षा अवसंरचना तथा खतरे के न्यूनीकरण के लिए कार्यनीतियाँ

- नीतियां तथा कार्य योजनाएं: इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, एटीएम संचालन तथा अन्य सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों के साथ समन्वित किया गया है.
- 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी): बैंक के साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की आधारशिला, साइबर खतरों की निगरानी, पता लगाने तथा प्रतिक्रिया करने के लिए उन्नत उपकरणों तथा तकनीकों का उपयोग करने वाले विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम.
- रक्षा की गहन रणनीति: एक व्यापक, बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे के साथ समग्र सुरक्षा प्रदान करता है.
- एथिकल हैकिंग लैब: बैंक की परिधि अथवा इंटरनेट-फेसिंग एप्लिकेशन/आस्तियों में गैप की पहचान करता है.
- भेद्यता मूल्यांकन/प्रवेश परीक्षण (वीए/पीटी) लैब: एप्लीकेशनों तथा प्रणालियों के नियमित वीए तथा पीटी आयोजित करता है.
- रेड-टीमिंग अभ्यास: कमजोरियों तथा कारोबारी जोखिमों की पहचान करने के लिए बाहरी विक्रेताओं के साथ आयोजित किया जाता है, मौजूदा नियंत्रणों का परीक्षण करने के लिए हमलावर के कार्यों का अनुकरण करता है.

### 24.3 ग्राहक जागरूकता गतिविधियां

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं तथा डिजिटल सुरक्षा पर ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जारी रखता है. बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें लागू की हैं कि ग्राहकों को संभावित साइबर खतरों तथा उन्हें कम करने के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाए. ग्राहक जागरूकता के लिए की गई प्रमुख गतिविधियां यहां दी गई हैं::

ए) **सुरक्षित उपयोग दिशानिर्देश:** बैंक डिजिटल चैनलों तथा उत्पादों का उपयोग करने के लिए व्यापक, सुरक्षित उपयोग दिशानिर्देश, नियम तथा शर्तें प्रदान करता है. अधिकतम दृश्यता तथा जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों को विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है.

- इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग ऐप व्योम: सुरक्षित उपयोग दिशानिर्देश बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल तथा मोबाइल बैंकिंग ऐप व्योम के यूजर इंटरफेस में एकीकृत हैं. यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक हर बार इन डिजिटल चैनलों का उपयोग करने पर सर्वोत्तम प्रथाओं तथा सुरक्षा उपायों से अवगत हों.
- पासबुक तथा एटीएम स्लिप: ग्राहकों को जारी की गई पासबुक तथा सफल लेनदेन के बाद उत्पन्न एटीएम पर्चियों पर सुरक्षा संदेश मुद्रित किए जाते हैं. यह निरंतर अनुस्मारक ग्राहकों के बीच सुरक्षित बैंकिंग आदतों को सुदृढ़ करने में सहायता करता है.
- वीडियो तथा सोशल मीडिया पोस्टर: बैंक साइबर सुरक्षा के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक वीडियो तथा सूचनात्मक पोस्टर का उपयोग करता है. ये सामग्रियां फ़िशिंग प्रयासों की पहचान करने से लेकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने तक विभिन्न विषयों को कवर करती हैं.

बी) **जन जागरूकता अभियान:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को डिजिटल भुगतान उत्पादों का उपयोग करते समय आने वाले खतरों तथा हमलों के प्रकारों के बारे में सूचित करने के लिए लगातार जन जागरूकता अभियानों में संलग्न है. ये अभियान एहतियाती उपायों को उजागर करते हैं जो ग्राहक स्वयं को बचाने के लिए ले सकते हैं.

- ईमेल तथा एसएमएस: ग्राहकों को संभावित खतरों के बारे में सचेत करने तथा ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में सुझाव प्रदान करने के लिए ईमेल तथा एसएमएस के माध्यम से नियमित संचार भेजे जाते हैं.

सी) **साइबर सुरक्षा जागरूकता डिस्प्ले:** डिजिटल संचार के अतिरिक्त, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता भौतिक बैंकिंग अनुभव का एक दृश्यमान हिस्सा है.

- नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले यूनिट (एनईडीयू): रचनात्मक साइबर सुरक्षा जागरूकता संदेश तथा पोस्टर शाखाओं में एनईडीयू स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाते हैं. ये दृश्य अनुस्मारक ग्राहकों द्वारा बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करने के दौरान साइबर सुरक्षा को अपने दिमाग में सबसे आगे रखने में सहायता करते हैं.
- साइबर सुरक्षा लचीलापन पर एक गहन ध्यान यूनियन बैंक की पहलों को लोगों, प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी में संचालित करता है.

डी) **मासिक साइबर सुरक्षा टिप्स:** बैंक सभी ग्राहकों को साइबर सुरक्षा युक्तियों की मासिक आधार पर थोक ईमेल भेजने के लिए एक प्रमुख भागीदार, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी) हैदराबाद का सहयोग प्राप्त करता **है.**

- सीडैक साझेदारी: इस साझेदारी के माध्यम से, बैंक व्यावहारिक साइबर सुरक्षा युक्तियों हेतु नियमित पत्रादि भेजता है, जिससे ग्राहकों को नवीनतम सुरक्षा प्रथाओं तथा संभावित खतरों के बारे में सूचित रहने में सहायता मिलती है

ई) **ऑनलाइन वेबिनार:** व्यापक दर्शकों तक पहुंचने तथा गहन साइबर सुरक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए, बैंक सी-डैक हैदराबाद के समन्वय में ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करता है.

- मासिक वेबिनार: ये वेबिनार मासिक रूप से आयोजित किए जाते हैं तथा पूरे भारत में बैंक ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं. सत्र कई विषयों को कवर करते हैं, जिसमें नवीनतम साइबर सुरक्षा खतरे और उनसे बचाव कैसे करें, जिसमें सीखने तथा जुड़ाव के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करना शामिल है.

एफ) **मल्टी-चैनल संचार:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टी-चैनल दृष्टिकोण अपनाता है कि साइबर सुरक्षा संदेश सभी ग्राहकों तक पहुंचे, चाहे उनका पसंदीदा संचार माध्यम कुछ भी हो.

- इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग: महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा जानकारी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल तथा मोबाइल बैंकिंग ऐप व्योम पर प्रदर्शित की जाती है.
- क्रेडिट कार्ड विवरण: ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड विवरण के साथ सुरक्षा संदेश प्राप्त करते हैं, जो उनके वित्तीय दस्तावेजों के साथ साइबर सुरक्षा के महत्व को सुदृढ़ करते हैं.
- एसएमएस तथा ईमेल: नियमित अलर्ट और सुझाव एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं.
- सोशल मीडिया चैनल: बैंक साइबर सुरक्षा जागरूकता सामग्री साझा करने के लिए लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स तथा यूट्यूब का उपयोग करता है.
- नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले यूनिट (एनईडीयू): शाखाओं में भौतिक डिस्प्ले यूनिट यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहकों के शाखाओं में भौतिक संपर्क के दौरान साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं का स्मरण कराया जाए. इन व्यापक पहलों के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ

इंडिया डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में सक्षम एक अच्छी तरह से सूचित ग्राहक आधार बनाने के लिए समर्पित है.

**24.4 साइबर सुरक्षा पर गहन ध्यान जनता के मध्य, प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी में यूनियन बैंक की पहल का मार्गदर्शन करता है**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को सामने तथा केंद्र में रखा है, जबकि ओमनीचैनल उपस्थिति के साथ अपने डिजिटल कारोबार को बढ़ा रहा है. बैंक ने अपने हितधारकों के बीच डिजिटल विश्वास बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा संस्कृति का विकास किया है. बैंक ने हैदराबाद में अपने परिसर में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) की स्थापना की है, जिसे उद्योग की अग्रणी नई पीढ़ी की साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को सीखने, आत्मसात करने तथा लागू करने का काम सौंपा गया है जो न केवल बैंक की साइबर सुरक्षा आस्तियों की रक्षा करेगा बल्कि अपने कर्मचारियों तथा ग्राहकों के लिए एक व्यापक जागरूकता तथा शिक्षा कार्यक्रम पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. सीसीओई ने बाहरी संस्थानों जैसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडैक), हैदराबाद तथा साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आईटी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार (डबल्यूबी-सीएस-सीओई) के साथ हितधारकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता वेबिनार/प्रशिक्षण आयोजित करने में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

बैंक ने ग्राहकों तथा कर्मचारियों के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) भी विकसित किया है. बैंक कई चैनलों, जैसे एसएमएस, बहुभाषी ईमेल, एटीएम, शाखाओं में डिस्प्ले यूनिट्स, सोशल मीडिया तथा बैंक की वेबसाइट पर जागरूकता अभियान माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच बनाता है. ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता वेबिनार पूरे भारत में बैंक के सभी अंचल कार्यालय के स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं. एक अनूठी, अपनी तरह की पहली पहल साइबर सुरक्षा शुभंकर "U SuRKsha" तथा "U RKshak" की शुरुआत है ताकि अपने लोगों के लिए शैक्षिक साइबर सुरक्षा युक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अनुकूल बनाया जा सके तथा उन्हें बढ़ावा दिया जा सके.

इसके अतिरिक्त, बैंक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) को जारी रखने के लिए पहल करता है, जो हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है. इस दिन, यूनियन बैंक ग्राहकों को साइबर सुरक्षा विषयों पर ई-मेल भेजता है, सोशल मीडिया पर सृजनात्मक पोस्ट करता है, तथा आकर्षक वेबिनार आयोजित करने के लिए साइबर सुरक्षा डोमेन से प्रख्यात वक्ताओं को आमंत्रित करता है. अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप, वार्षिक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम), अक्टूबर के पूरे महीने में विभिन्न साइबर सुरक्षा विषयों पर एक दैनिक वेबिनार के साथ मनाया जाता है. बैंक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान https://cybercrime.gov.in पर अथवा 1930 पर भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी का प्रसार भी कर रहा है.

बैंक विभिन्न साइबर सुरक्षा गतिविधियों के लिए एक वार्षिक कार्य योजना को लागू करके अपने स्टाफ सदस्यों के बीच साइबर सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ कर रहा है तथा उसे बढ़ावा दे रहा है जिसमें पूरे भारत में टाउनहॉल बैठकें आयोजित करना, साइबर सुरक्षा युक्तियों के साथ दैनिक मेल, इंटरैक्टिव पज़ल्स तथा क्रॉसवर्ड शामिल हैं.

बैंक नियमित रूप से नवीनतम साइबर सुरक्षा समाचार तथा रुझानों पर स्टाफ सदस्यों को अद्यतन करने के लिए आंतरिक पुस्तिकाएं तथा समाचार स्निपेट प्रकाशित करता है. सभी कर्मचारियों के लिए एक मासिक फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास जागरूकता पैदा करता है तथा कर्मचारियों के बीच कमजोरियों की पहचान करता है जिन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा हैंडहोल्डिंग के साथ दूर किया जा सकता है. यूनियन बैंक ने आईटी तथा साइबर सुरक्षा में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इन-हाउस प्रमाणन प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा कार्यपालक विकास कार्यक्रम (सीएसईडीपी) भी तैयार किया है. बैंक ने एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा गवर्नेंस संरचना भी बनाई है जिसमें कार्यकारी तथा बोर्ड स्तरों पर नीतियां, प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश तथा समितियां शामिल हैं.

**24.5 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां**

यूनियन बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, एटीएम परिचालन तथा अन्य सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण के अनुरूप अपनी नीतियों तथा कार्य योजनाओं को सुसंगत बनाया है. बैंक के डाटा सेंटर (डीसी) तथा डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट को सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (27001) तथा व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (22301) के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त है. बैंक की उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 31000 प्रमाणित है. बैंक के पास सभी कार्ड भुगतान प्रणालियों तथा एटीएम स्विच परिचालनों के लिए पीसीआई-डीएसएस प्रमाणन है. सिस्टम तथा गोपनीय बैंक/ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि बहुस्तरीय रक्षात्मक तंत्र के साथ गहन संरचना तथा डेटा हानि अथवा क्षरण रोकथाम रणनीति. इसमें एंड-पॉइंट डिवाइस पर संसाधित डेटा, ट्रांसमिशन में डेटा के साथ-साथ सिस्टम पर संग्रहीत डेटा की सुरक्षा शामिल है. बैंक की विक्रेता-प्रबंधित सुविधाओं में डेटा सुरक्षा तथा संरक्षण भी अनिवार्य है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक साइबर सुरक्षा ढांचा भी लागू किया है तथा चौबीसों घंटे काम करने वाली एक समर्पित, कुशल टीम के साथ 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) की स्थापना की है. सी-एसओसी साइबर खतरों की पहचान करने, पता लगाने तथा रोकने में सहायता करता है. यह विभिन्न स्तरों पर हमले के संवाहकों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण कारोबारी अनुप्रयोगों के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है. बैंक ने अपने डेटा सुरक्षा नियंत्रणों को स्वचालित करके तथा एक सुदृढ़ आईटी बुनियादी ढांचे को विकसित करके बैंक की

साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 'सुरक्षा निहित डिज़ाइन' दृष्टिकोण अपनाया है.

अपने साइबर बुनियादी ढांचे को समग्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बैंक ने व्यापक, बहुस्तरीय सुरक्षा संरचना के साथ 'गहन रक्षा' रणनीति अपनाई है. बैंक ने अपनी आईटी आस्तियों की सुरक्षा के लिए परिधि सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा, अंतिम स्तर तक सुरक्षा, पहचान तथा पहुँच प्रबंधन, खतरे की खुफिया तथा डेटा सुरक्षा जैसे प्रत्येक स्तर पर साइबर सुरक्षा समाधान भी लागू किए हैं. बैंक द्वारा अपने सीसीओई के तहत स्थापित एथिकल हैकिंग लैब को दैनिक आधार पर बैंक की परिधि अथवा इंटरनेट-फेसिंग एप्लिकेशन/आस्तियों में अंतर की पहचान करने का काम सौंपा गया है.

भेद्यता मूल्यांकन/व्यापन परीक्षण प्रयोगशाला (वीए/पीटी) भी सीसीओई के अंतर्गत है, तथा यह एप्लीकेशनों के आवधिक वीए तथा पीटी का संचालन करती है. बाहरी विक्रेताओं की सहायता से, बैंक अपने आईटी बुनियादी ढांचे में कमजोरियों, कारोबारी जोखिम, बचाव की प्रभावकारिता आदि की पहचान करने के लिए रेड-टीमिंग अभ्यास भी करता है. ये एक हमलावर के कार्यों का अनुकरण करते हैं तथा पहले से मौजूद न्यूनीकरण नियंत्रणों का परीक्षण करते हैं.

बैंक ने निरंतर स्वचालित रेड टीम अभ्यास मंच, ब्रीच अटैक सिमुलेशन तथा डिजिटल जोखिम निगरानी के साथ अटैक सरफेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन की व्यवस्था की है. यह परियोजना बैंक को जोखिम के न्यूनतम स्तर पर लाने, परिधि की निरंतर निगरानी, खतरे का पता लगाने और घटना प्रतिक्रिया में सुधार एवं सार्वजनिक डोमेन में उजागर बैंक की संवेदनशील जानकारी जैसे कार्ड डेटा, ग्राहक क्रेडेंशियल्स की पहचान करने में सक्षम बनाती है.

हमारे बैंक में साइबर खतरों तथा घटनाओं की पहचान क्षमताओं तथा बैंक की तत्परता का आकलन करने और उनमें सुधार करने के लिए आंतरिक साइबरड्रिल व्यवस्था है. पता लगाने की क्षमताओं, प्रतिक्रिया समय में सुधार करना, संचार को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है तथा यह सुनिश्चित करना है कि टीम के सभी सदस्य वास्तविक साइबर घटना के दौरान अपनी भूमिकाओं को समझें.

बैंक ने एप्लीकेशनों की डिजिटल फोरेंसिक तैयारी, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा तथा नेटवर्क उपकरणों, एटीएम / सीआरएम के मैलवेयर विश्लेषण, संदिग्ध ईमेल आदि की समीक्षा के लिए डिजिटल फोरेंसिक तथा मालवेयर विश्लेषण लैब की स्थापना की है. इसके अतिरिक्त यह संभावित उल्लंघनों को रोकने तथा प्रतिक्रिया देने के लिए विसंगतियों का पता लगाने तथा विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है

बैंक ने साइबररेंज सिमुलेशन प्लेटफॉर्म खरीदा है जो इमर्सिव प्रशिक्षण परिदृश्यों में सिम्युलेटेड खतरों से बचाव का अभ्यास करने के लिए एक वातावरण की सुविधा प्रदान करता है तथा उल्लंघन होने की घटना की स्थिति हेतु अनिवार्य रूप से तैयारी तथा पूर्वाभ्यास करता है.

बैंक ने हाल ही में प्रोएक्टिव रैंसमवेयर रेडीनेस आकलन किया है ताकि रैंसमवेयर हमलों के मद्देनजर सुरक्षात्मक, निवारक, खोजपूर्ण, प्रीडिक्टिव तथा रिकवरी नियंत्रणों को समझा जा सके तथा इस आकलन के किसी भी निष्कर्ष पर ध्यान दिया जा सके जो संगठन की ऐसे रैंसमवेयर हमलों का विरोध करने अथवा रिकवर करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है.

**नई साइबर सुरक्षा जागरूकता पहलें:-**

बैंक के ग्राहकों के लिए मौजूदा साइबर सुरक्षा जागरूकता पहलों के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित नई पहल लागू की गई

- बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट में चार साइबर सुरक्षा जागरूकता संदर्शिका, खंड I, खंड II, खंड III, खंड IV अपलोड की गई हैं जिनमें नवीनतम साइबर धोखाधड़ी तथा सुरक्षा युक्तियों के बारे में कार्यप्रणाली शामिल है,
- क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को भेजे जाने वाले ईमेल के मुख्य भाग में साइबर सुरक्षा जागरूकता युक्तियों को शामिल किया गया है.
- ग्राहक को भेजे जा रहे मासिक बैंक खाता विवरण के ईमेल निकाय में साइबर सुरक्षा जागरूकता युक्तियों को शामिल किया गया है
- ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर साइबर सुरक्षा ऑडियो जिंगल/ वीडियो/ बैनर/ सुरक्षा टिप्स प्रदर्शित की गई.

**आरबीआई साइबर सुरक्षा ढांचा**

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति को लागू किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों के साथ सुदृढ़ साइबर सुरक्षा गवर्नेंस संरचना को विधिवत शामिल किया गया है. संभावित साइबर खतरों की पहचान करने तथा उन्हें कम करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन तथा भेद्यता आकलन आवश्यक हैं, हमारा बैंक संभावित साइबर खतरों की पहचान करने तथा उन्हें कम करने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जोखिम का आकलन कर रहा है.

बैंक ने सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुगतान सुरक्षा नीतियों तथा प्रक्रियाओं को तैयार तथा कार्यान्वित किया है, जिसमें डेटा सुरक्षा, अभिगम नियंत्रण तथा घटना प्रतिक्रिया सहित साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है. हमने साइबर सुरक्षा नीति के तहत घटना प्रतिक्रिया तथा रिपोर्टिंग तंत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा प्रलेखित किया है.

बैंक साइबर सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए बाहरी/तृतीय पक्ष लेखा परीक्षकों के माध्यम से समय-समय पर सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा साइबर सुरक्षा समाधानों/प्रक्रियाओं का आकलन कर रहा है.

**समूह सीआईएसओ**

बैंक ने अपनी सभी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के लिए ग्रुप सीआईएसओ की अवधारणा को लागू किया है. समूह सीआईएसओ, समूह संस्थाओं के साइबर सुरक्षा जोखिम की देखरेख करता है, संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेता है तथा अपने साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए संस्थाओं के प्रबंधन के सलाहकार के रूप में कार्य करता है.

## 25. विश्लेषणात्मक क्षमताएं

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) की स्थापना के पश्चात, हमारे बैंक ने कुशल पेशेवरों को शामिल करके तथा आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से उनकी विशेषज्ञता को संवर्द्धित कर अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इस पहल का उद्देश्य डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि की पूरी क्षमता को अनलॉक करना है.

इसके अलावा, हमारा बैंक ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने, सूचित निर्णय लेने का समर्थन करने और जोखिमों को कम करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है. यह वर्णनात्मक विश्लेषण तथा खुदरा, एमएसएमई और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक मॉडल का उपयोग करके विकसित मशीन लर्निंग उपयोग मामलों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है. उपयोग से संबन्धित मामले ग्राहक प्रतिधारण, नए उत्पादों के लिए व्यक्तिगत ऑफ़र, जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ स्ट्रेस की पहचान जैसे व्यापक क्षेत्रों को संबोधित करते हैं.

बैंक वर्तमान में अगली पीढ़ी के अत्याधुनिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज़ डेटा लेक को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है, जिसे उन्नत विश्लेषण का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है. डेटा लेक का कार्यान्वयन, बैंक को संरचित और असंरचित डेटा वाले विविध डेटा सेटों की विशाल मात्रा को संग्रहीत करने के लिए एक एकीकृत और स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, जो बहु स्रोतों जैसे - आंतरिक सिस्टम, ग्राहकों से वार्ता, बाह्य प्रतिक्रियाओं और अन्य से प्राप्त डेटा का सहज एकीकरण करना संभव बनाता है, जिससे वास्तविक समय में अभिगम्यता और उन्नत विश्लेषण की सुविधा प्राप्त होती है.

इस पहल के परिकल्पित लाभों में तीव्र और अधिक सटीक जोखिम प्रबंधन, सुदृढ़ रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रणाली, बेहतर विनियामक अनुपालन और ग्राहक अनुभवों को वैयक्तिकृत करने की क्षमता शामिल है. डेटा लेक मॉडल विकास के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले, सुलभ डेटा प्रदान करके एआई और मशीन लर्निंग में भविष्य के नवाचारों हेतु नींव का निर्माण करता है, जैसे कि खुदरा एवं एमएसएमई पोर्टफोलियो के लिए क्रेडिट अंडरराइटिंग स्कोरकार्ड और नेक्स्ट-बेस्ट-प्रोडक्ट; एक उन्नत क्रॉस-सेल और अप-सेल इंजन. यह तथ्य के एकल-स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो अलग-अलग डेटा स्रोतों के बीच सटीक डेटा परंपरा और सुसंगतता सुनिश्चित करता है और हमारे बैंक को अधिक सूचित विकल्प बनाने और अपने सम्मानित ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने में सशक्त बनाता है.

## 26. ऋण अनुपालन एवं अनुश्रवण

**वसूली प्रबंधन:**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हमारे बैंक ने निम्नलिखित के माध्यम से वसूली प्रबंधन में सुधार किया है:

**कॉल सेंटर :** ऋण खातों में देय राशियों की समय पर वसूली एवं संग्रहण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमारे बैंक ने एक पूर्ण कॉल सेंटर स्थापित किया है. फुल टाइम समतुल्य (FTE) उन उधारकर्ताओं को टेली कॉलिंग के लिए कॉल सेंटर में तैनात किए जाते हैं जिनके खाते दबाव में हैं. इसके द्वारा उधारकर्ता को उसके अतिदेय के बारे में स्मरण कराया जाता है जिससे वसूली में वृद्धि होती है. इसके अतिरिक्त, रिटेल के साथ-साथ एमएसएमई सेगमेंट के तहत उन उधारकर्ताओं को प्राथमिकता कॉलिंग तथा वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर (वीआरएम) कॉलिंग भी की जाती है, जिनके खाते दबाव में हैं. डेज पास्ट ड्यू (डीपीडी)+1 वाले सभी उधारकर्ताओं तथा उन उधारकर्ताओं को भी कॉल किया जाता है जिनके खाते की पुनर्संरचना की गई है. इसके माध्यम से उधारकर्ता की चुकौती की आदत में सुधार होता है तथा बैंक की वसूली दक्षता में वृद्धि होती है.

**फील्ड ऑन स्ट्रीट (एफ़ओएस) तथा ग्राहक संबंध कार्यकारी (सीआरई):** कॉल सेंटर सुविधा के अतिरिक्त, हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड (यूबीआईएसएल) तथा क्वेस कॉर्प के माध्यम से फील्ड ऑन स्ट्रीट (एफ़ओएस) की सेवाएं परिनियोजित की हैं. ये एफओएस वसूली के लिए उन उधारकर्ताओं के पास भौतिक रूप से जा रहे हैं जिनके खाते दबाव में हैं. हमारे बैंक ने उधारकर्ताओं से मिलने के लिए ग्राहक संबंध अधिकारी (सीआरई) के रूप में सभी क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को भी तैनात किया है. एफओएस/सीआरई द्वारा ग्राहक यात्रा का आवंटन उन्हें प्रदान किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाता है तथा वे उधारकर्ताओं के पास जाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं. इसके माध्यम से उधारकर्ताओं के बीच चुकौती संस्कृति विकसित की जाती है तथा वसूली दक्षता में सुधार होता है.

**बीबीपीएस:** डिजिटल युग में, ग्राहक को परेशानी मुक्त तरीके से अपनी बकाया राशि की चुकौती करने में आसानी की आवश्यकता है. इसे देखते हुए हमारा बैंक उधारकर्ताओं को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सक्षम क्लिक पे लिंक के साथ एसएमएस भेज रहा है. यह एसएमएस उन सभी उधारकर्ताओं को भेजा जाता है जो डीपीडी के 7 दिनों से पहले तथा डीपीडी के 1 दिन के बाद ईएमआई आधारित मीयादी ऋण लेते हैं. इससे मीयादी ऋण खातों में चुकौती के लिए डिजिटल लेनदेन की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है.

## 27. सतर्कता

बैंक का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) तथा दो अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों (एसीवीओ) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करते हैं. सीवीओ तथा एसीवीओ को केंद्रीय कार्यालय में तैनात 46 कार्यरत सतर्कता अधिकारियों / अधिकारियों तथा 144 क्षेत्र सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें पूरे भारत में क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों से मैप किया जाता है. टीम का प्रबंधन केंद्रीय कार्यालय

में 02 डीजीएम तथा 06 एजीएम द्वारा किया जाता है, साथ ही दिल्ली तथा मुंबई, दोनों स्थानों पर 02 एजीएम पदस्थ हैं. प्रत्येक स्तर पर सतर्कता अधिकारी, एक निवारक कार्य बल के रूप में कार्य करते हैं, जो स्थायी कारोबार विकास सुनिश्चित करते हैं तथा बैंक की लाभप्रदता में योगदान करते हैं. आश्वासन कार्यों का एक हिस्सा होने के नाते, इसे बैंक के रक्षा स्तंभों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है, जो सभी चरणों में पारदर्शिता के साथ सत्यनिष्ठा तथा जवाबदेही के वातावरण को लागू करता है. विभाग में 03 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र हैं- निवारक, भागीदारी तथा दंडात्मक. इसके अतिरिक्त, विभाग का उद्देश्य संगठन के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के सुधार के लिए प्रणालीगत सुधार प्रदान करना है. संभावित जोखिमों को सक्रिय रूप से सामने लाकर तथा उनका समाधान करके, सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी से जुड़े वित्तीय, विधिक तथा प्रतिष्ठागत जोखिमों को कम करने में सहायता करता है तथा संगठन तथा इसके हितधारकों के हितों की रक्षा करता है.

व्हिसल ब्लोअर तंत्र को संगठनों के लिए सहभागी सतर्कता सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के पास उच्च प्रबंधन को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करके धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अधिकार का दुरुपयोग, निर्धारित प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने जैसे आंतरिक/बाहरी खतरों से बैंक की सुरक्षा करने के लिए पहुंच तथा अवसर होता है. यह मानव संसाधन विभाग के कार्यपालक निदेशक के अधिकार क्षेत्र में है.

सहभागी सतर्कता को कार्यान्वित करने के लिए-

1. चल रही धोखाधड़ी, उनकी कार्यप्रणाली तथा उपचारात्मक निवारक कार्रवाई हेतु प्रत्येक महीने के दूसरे गुरुवार को सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जाता है.
2. सटीक जागरूकता के प्रयास के साथ, एक इन-हाउस फिल्म का निर्देशन किया गया था जिसमें वित्तीय प्रणाली में बिचौलियों को शामिल करने की आसन्नता को प्रदर्शित किया गया था, जो बैंक की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा प्रामाणिकता के अपने मूल मूल्यों - बिचौलियों को ना कहें - के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देती है-.
3. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 के दौरान सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बनाए रखने तथा आदर की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 01 वीडियो गीत जारी किया गया.
4. इसके अतिरिक्त, सीजीजीबी (प्रायोजित आरआरबी) द्वारा "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति" की अवधारणा के साथ 25 लघु वीडियो तैयार किए गए.
5. जागरूकता पैदा करने के लिए, संगठन की सभी इकाइयों में आवधिक निवारक सतर्कता दौरे आयोजित करके सभी स्तरों पर सहभागी सतर्कता अभियान चलाया जाता है. प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता अभियान चलाने का यह भी एक मुख्य उद्देश्य है.
6. विभाग ने शाखाओं तथा नियंत्रण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए शिक्षाप्रद श्रृंखला अर्थात साप्ताहिक श्रृंखला- "दृष्टि" 52 अंक, मासिक श्रृंखला "सतर्कता से सफलता" -12 अंक तथा त्रैमासिक श्रृंखला "यूनियन विजिल" के 4 अंक भी परिचालित किए हैं.

विशेष रूप से धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों के संबंध में जागरूकता पैदा करने तथा उपयुक्त प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए एवं कार्यात्मक प्रमुखों को सलाह देने के लिए बैंक की सभी कार्यात्मक इकाइयों को कवर करते हुए कुल 8907 निवारक सतर्कता दौरे किए गए. उन्नत पीवीएवी की अवधारणा को उन इकाइयों के लिए पीवीएवी आयोजित करने के आशय को और सुदृढ़ करने के लिए पेश किया गया था जिन्हें जोखिम सातत्य पर उच्च स्थान पर चिह्नित किया गया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 626 ई-पीवीएवी आयोजित किए गए.

निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए आईटी प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के प्रयास में, बैंक के संवहनीयता सिद्धांत में योगदान करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न पहल की गईं. अनुशासनात्मक प्रक्रिया का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण "प्रोजेक्ट विश्वास" के रूप में शुरू किया गया था जो एचआर, ईआर तथा सतर्कता अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन उपयोगकर्ता अनुकूल मंच, दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने तथा एकत्र करने, मामले की कुशल समीक्षा तथा त्वरित कार्रवाई करने की सुविधा प्रदान करता है. इसे मौजूदा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणालियों तथा कोर बैंकिंग डेटाबेस के एकीकरण के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि निर्बाध डेटा प्रवाह तथा अनुशासनात्मक मामलों की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित की जा सके

वर्ष के दौरान संगठन में कार्रवाई योग्य घटनाओं की जांच तथा रोकथाम के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में विभिन्न प्रणालीगत सुधार पेश किए गए:

1. निवारक उपाय
2. निरोधक उपाय
3. जागरूकता उपाय

डिजिटल सतर्कता डैशबोर्ड की एक अवधारणा तैयार की गई थी जिसमें अद्यतन स्थिति के साथ सतर्कता के विभिन्न वर्गों जैसे निवारक, दंडात्मक, सीबीआई, एबीबीएफएफ, शिकायतें आदि का विवरण शामिल है. इसे पाक्षिक आधार पर उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है.

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 के अग्रदूत के रूप में 16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक निवारक सतर्कता अभियान मनाया गया/शुरू किया गया तथा "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" की परिकल्पना के साथ अखिल भारतीय स्तर पर सभी शाखाओं/कार्यालयों में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 उचित रूप से मनाया गया.

समारोह के तहत, अखिल भारतीय आधार पर संगठन तथा आउटरीच गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा उसके लिए उपलब्ध उपचारात्मक उपायों पर भारत की आम जनता तथा युवाओं के बीच जागरूकता फैलाई जा सके. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के तहत कुल 16895 कार्यक्रम आयोजित किए गए. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान 75,000+

स्टाफ सदस्यों तथा 10,50,657 नागरिकों ने सत्यनिष्ठा शपथ ली थी. अभियान अवधि के दौरान आचरण नियमों, साइबर स्वच्छता, नैतिकता तथा गवर्नेंस, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं (ऋण तथा गैर-ऋण क्षेत्रों) तथा खरीद पर स्निपेट शामिल हैं.

वर्ष के दौरान विभाग को कुल 635 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा सभी 635 शिकायतों का निपटान टीएटी के भीतर किया गया. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एमडी तथा सीईओ के साथ नियमित रूप से त्रैमासिक संरचित बैठकें आयोजित की जाती हैं.

इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया से किसी प्रकार का मनोबल न गिरे. उच्च प्रबंधन, अनुशासनात्मक अधिकारियों के साथ-साथ सतर्कता तंत्र द्वारा एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ताकि कामकाज में एकरूपता, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके.

## 28. परिचालन

### ए. बैंकिंग उद्योग में पहल

**यूवीकॉन 3.0:**

यूवीकॉन एक अभिनव, 24X7 डिजिटल बैंकिंग टूल है जो व्हाट्सएप मैसेंजर चैट सेवा पर 9666606060 नंबर पर उपलब्ध है. यूवीकॉन 3.0 ग्राहकों से उनके खातों से संबंधित पूछताछ के लिए जुड़ने हेतु व्हाट्सएप संचार प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है. यूवीकॉन वर्तमान में 7 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बांग्ला और मराठी) में लाइव है और 70 गैर-वित्तीय सेवाओं के साथ उपलब्ध है, जो ग्राहकों के लिए बैंकिंग को सहज बनाता है. 70 सेवाओं में से 10 सेवाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाइव किया गया है. यूवीकॉन को 19 देशों में एनआरआई ग्राहकों के लिए सक्षम किया गया है. इसके अलावा, सभी नए ऑनबोर्ड किए गए ग्राहकों को व्हाट्सएप के माध्यम से सभी सेवाओं के क्रिएटिव के साथ स्वागत संदेश भेजा जा रहा है. वर्तमान में, 44.50 लाख+ से अधिक उपयोगकर्ताओं को यूवीकॉन पर ऑनबोर्ड किया गया है और ग्राहकों द्वारा 249 लाख+ पूछताछ की गई है.

### बी. परिचालन वर्टिकल द्वारा कार्यान्वित योजनाएं:

बैंकिंग को सुगम बनाने और ग्राहक उत्कृष्टता के लिए बैंक द्वारा कार्यान्वित ग्राहक केंद्रित/उन्मुख योजनाएं निम्नलिखित हैं.

| क्र. सं. | योजना का नाम | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | डिजिटल संपर्क केंद्र | बैंक का डिजिटल संपर्क केंद्र 14.11.2024 को स्थापित किया गया है. बैंक के नए डिजिटल संपर्क केंद्र का उद्देश्य सुदृढ़ बैक ऑफिस प्रबंधन और हिंदी और अंग्रेजी सहित 19 भाषाओं में बहुभाषी सुविधा के साथ प्रश्नों/अनुरोधों/शिकायतों का त्वरित समाधान करना है. इसमें एचएनआई/एनआरआई ग्राहकों के लिए एक अलग डेस्क भी है. यह ग्राहकों के प्रश्नों/अनुरोधों/शिकायतों के लिए एंड टू एंड डिजिटल समाधान की सुविधा प्रदान करता है. |
| 2. | ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने वाले मासिक खाता विवरण में संशोधन. | ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिए ई-मेल में सुरक्षा जागरूकता जानकारी को शामिल किया गया है. |
| 3. | लॉकर अतिदेय नोटिस जारी करने का केंद्रीकरण | लॉकर अतिदेय नोटिसों के केंद्रीकृत प्रेषण हेतु प्रणाली कार्यान्वित की गई हैं. |
| 4. | सीबीएस प्रणाली में चेक बुक जारी करने की प्रक्रिया में सुधार | धोखाधड़ियों को कम करने तथा चेक बुक प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सीबीएस प्रणाली में वितरित/अवितरित चेक बुक को नियंत्रित करने की प्रणाली के साथ चेक बुक जारी करने की प्रक्रिया में सुधार और चेक बुक की ट्रैकिंग आरंभ की गई है. |
| 5. | रिमोट डिपॉज़िट कैप्चर (आरडीसी) का उपयोग करके टैबलेट के माध्यम से जावक समाशोधन | रिमोट डिपॉज़िट कैप्चर (आरडीसी) ऐप का उपयोग करके टैबलेट के माध्यम से चेक को जावक समाशोधन के लिए स्कैन किया जा सकता है. ऐप एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से एमआईसीआर बैंड और अन्य डेटा को स्वचालित रूप से पढ़ता है, जो डेटा निष्कर्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है. |
| 6 | टैबलेट के माध्यम से सेवाओं/पोर्टलों की उपलब्धता | ग्राहकों के उपयोग और सुविधा के लिए टैबलेट बैंकिंग में निम्नलिखित सेवाएं/पोर्टल जोड़े गए हैं:<br>1) उदगम<br>2) यूनियन विद्या<br>3) यूआईडीएआई पोर्टल<br>4) माय एनपीएस<br>5) लॉकर के लिए आवेदन<br>6) एपीवाई के लिए नामांकन<br>7) मृत्यु दावा पोर्टल<br>8) पीएमईजीपी पोर्टल<br>9) पीएमएफबीवाई पोर्टल |
| 7 | ग्राहक प्रतिक्रिया कैप्चर प्रणाली | ग्राहक प्रतिक्रिया कैप्चर को निम्नलिखित चैनलों के लिए शामिल किया गया है:<br>1) टैबलेट<br>2) ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने वाले मासिक खाता विवरण.<br>3) यूवीकॉन |
| 8 | सेवाओं का संवर्द्धन अनिवार्य शाखा भ्रमण के बिना ही पूर्ण किया जा सकता है | इज 7.0 एजेंडा के अनुसार, कॉर्पोरेट वेबसाइट में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य शाखा भ्रमण के बिना नीचे दी गई सेवाएं प्रदान की जाती हैं:<br>1) अन्य शाखा में खाता स्थानांतरण<br>2) नई पासबुक हेतु अनुरोध |
| 9 | इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनआरआई सेवाएं | विशेष रूप से हमारे एनआरआई ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग में निम्नलिखित सेवाओं को लाइव किया गया है:<br>1) पता अद्यतन<br>2) खाते का निवासी से अनिवासी में रूपांतरण<br>3) खाते का अनिवासी से निवासी में रूपांतरण |
| 10 | प्राथमिकता वाले ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित ग्राहकों हेतु समर्पित हेल्प लाइन नंबर. | प्राथमिकता वाले ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1800 425 2407 लाइव किया गया है. |

| क्र. सं. | योजना का नाम | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 11 | ग्राहक केवाईसी विवरण में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में परेशानी मुक्त री-केवाईसी. | ग्राहक अपना री-केवाईसी कॉर्पोरेट वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल एप्लिकेशन (व्योम) जैसे डिजिटल चैनलों या व्हाट्सएप बैंकिंग (यूवीकॉन) पर उपलब्ध लिंक-आधारित सेवा के माध्यम से जमा कर सकते हैं. |
| 12 | 8 अंकों का टोल फ्री नंबर 1800-2333 | बैंक ने ग्राहकों के लिए नया 8 अंकों का टोल-फ्री नंबर – 1800-2333 शुरू किया है. |
| 13 | स्टाफ हेतु रीयल-टाइम क्वेरी पोर्टल - "हमसे पूछें". | बैंक ने स्टाफ सदस्यों हेतु दिन-प्रतिदिन की बैंकिंग पूछताछ के समाधान हेतु एक रीयल-टाइम क्वेरी पोर्टल शुरू किया है. |

### सी. शिकायत निवारण प्रणाली

ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है. शिकायत निवारण प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से चिह्नित और निर्धारित किया गया है. शिकायत निवारण की प्रक्रिया में शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु प्रणाली और मानक परिचालन प्रक्रियाओं को सभी स्तरों पर निर्धारित किया गया है.

शिकायत निवारण नीति: संशोधित नीति में ग्राहक शिकायतों के समाधान के लिए रूपरेखा तैयार की गई है; इसका उद्देश्य शिकायत की प्रकृति के आधार पर एक अच्छी तरह से संरचित एस्केलेशन मैट्रिक्स और पूर्व-निर्धारित टीएटी/समय-सीमा के माध्यम से ग्राहक आरोपों और शिकायतों के मामलों को कम करना है. इसका उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है.

बैंक की वेबसाइट पर शिकायत निवारण अधिकारी के विवरण का अद्यतन: बैंक ने शिकायतों के त्वरित समाधान में ग्राहकों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय एवं अंचलीय शिकायत निवारण अधिकारियों के संपर्क एवं अन्य विवरण अब अपनी बैंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. अब हमारी वेबसाइट में मुख्य शिकायत अधिकारी स्तर से लेकर अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक संरचित शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है.

ग्राहक शिकायतों का प्रबंधन: बैंक के पास कॉर्पोरेट वेबसाइट, आईवीआर, कॉल सेंटर, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, ईमेल आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है. ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने पर ग्राहकों को शिकायत का टिकट नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है. इसके अतिरिक्त, साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर 24X7 कार्रवाई की जाती है. शिकायत दर्ज करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शाखाओं/ग्राहकों को क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जाते हैं.

**वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है.**

| | |
|---|---|
| 01 अप्रैल 2024 को लंबित शिकायतें | 6,331 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें | 5,66,215 |
| वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें | 5,60,903 |
| 31 मार्च 2025 को लंबित शिकायतें | 11,643 |

## 29. अवसर

**29.1** आरबीआई के नेतृत्व वाली एमपीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती की और इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही में एक और 75 बीपीएस की कटौती की, ताकि विकास धीमा होने तथा 4% लक्ष्य सीमा के भीतर मुद्रास्फीति रहने के प्रति आश्वस्त होने की चिंताओं को हल किया जा सके. दर में कटौती के साथ, आरबीआई ने सीआरआर कटौती, ओएमओ खरीद तथा विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से लगभग (₹ 10.5-11 लाख करोड़) के कई चलनिधि उपायों की घोषणा की. जहां दर में कटौती के चक्र से जमा दरों पर नीचे की ओर दबाव पड़ा, वहीं थोक जमाओं में संचरण सबसे अधिक देखा गया, जबकि खुदरा सावधि जमा और बचत जमा दरों में यह अभी भी प्रगति पर है.

**29.2** क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों में विकास देखने को मिलेगा: ट्रेड वार की सकारात्मकता कुछ क्षेत्रों में भारत के कार्यनीतिक लाभ के रूप में देखी जा सकती है. आपूर्ति-शृंखला में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हुए, चीन प्लस वन मॉडल भारत के विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगा. क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों के अंतर्गत, एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 7 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना पर जोर दिया गया, जो बैंकों को एमएसएमई को आसानी से ऋण देने और ऋण सृजन में मदद करने के लिए अवसर प्रदान करती है.

एमएसएमई को बैंक ऋण, ट्रेड वार के बीच कार्यनीतिक लाभ के रूप में भारत के विनिर्माण विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा. भारत के एमएसएमई इंफ्रा (विशेष रूप से बिजली), रक्षा आदि जैसे घरेलू उन्मुख क्षेत्रों के अलावा कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र जैसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त सकते हैं. तथापि, अभी भी व्यापार सौदों और ट्रम्प के क्षेत्र विशेष पूर्वाग्रह का क्षेत्रीय ऋण सृजन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए, इस संबंध में, अमेरिका-भारत व्यापार सौदे की रूपरेखा एक अस्थिर दुनिया में क्षेत्र विशेष ऋण अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, जहाँ व्यापक-आधारित निजी पूंजीगत व्यय वसूली में देरी हुई है.

**29.3** प्रतिफल पर दबाव के बीच ट्रेजरी में वृद्धि : आरबीआई के तरलता राहत उपायों के रूप में, बैंकों के ट्रेजरी में अतिरिक्त एसएलआर होल्डिंग पर लाभ देखने को मिल सकता है जो एनडीटीएल (एससीबी) का लगभग 25% है. वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत से बैंकिंग प्रणाली की तरलता में अधिशेष की ओर बदलाव और राहत चक्र में 100 बीपीएस दर में कटौती द्वारा समर्थित अल्पकालिक दरों में दीर्घकालिक दरों की तुलना में तेजी से गिरावट के कारण सॉवरेन प्रतिफल वक्र में तेजी आई. अतः, हम उम्मीद करते हैं कि बैंक ट्रेजरी में लाभ अग्रिम रूप से होगा,

यदि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति 4% लक्ष्य के भीतर रहती है तो दूसरी छमाही में एक छोटी विंडो खुलने की संभावना है, जो मौद्रिक नीति में और ढील के लिए अवसर प्रदान करेगी.

**30. चुनौतियाँ:**

**30.1 रेपो दर में कटौती से ब्याज मार्जिन पर दबाव पड़ने की संभावना:** आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, "मौद्रिक नीति चक्र में ढील से शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर असर पड़ सकता है क्योंकि ऋण का बढ़ता हिस्सा बाहरी बेंचमार्क -आधारित उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़ा हुआ है, जिसे रेपो दर में बदलाव के साथ कई बार रीसेट किया जाता है. दूसरी ओर, सावधि जमा, जो बढ़ रहे हैं, में निश्चित संविदात्मक दरें हैं जो कम बार बदलती हैं". तथापि, एनआईएम पर विशेष प्रभाव जमा दरों में सुधार की मात्रा और गति, तथा एमसीएलआर दर संशोधन जैसे कारकों पर निर्भर है, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली के लिए लगभग 35% ऋण पोर्टफोलियो एमसीएलआर से जुड़ा हुआ है और यह बैंकों के विवेक पर निर्भर करता है, हालांकि यह फंड की लागत और प्रतिस्पर्धी ताकतों के रुझान से बंधा हुआ है.

**30.2 समग्र विकास पर बाहरी आघातों के कारण कारोबार वृद्धि में दबाव:** प्रतिकूल परिस्थितियां ट्रेड वार और वैश्विक मंदी कई माध्यमों से भारत के विकास पर दबाव डालेगी. समग्र गतिविधियों और निवेश भावना में कोई भी गिरावट अर्थव्यवस्था की ऋण मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जिससे भारत में बैंकों के कारोबार विकास पर दबाव पड़ेगा. आर्थिक चक्र के नियम बताते हैं कि कम आर्थिक विकास के समय, ऋण वृद्धि कम रहती है, और आरबीआई के शोध के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सुधार से ऋण वृद्धि में तेजी आने की संभावना है..

**30.3 प्रतिकूल कारोबारी वातावरण और मंदी से विशिष्ट क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता संबंधी समस्याएं बढ़ने का खतरा:** समग्र आर्थिक गतिविधि में मंदी से क्षेत्र-विशिष्ट विकास और कारोबारी कार्यनिष्पादन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025 के अनुसार, बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2025 में 2.3% से बढ़कर मार्च 2027 में 2.5% हो सकता है, जिसका प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रमशः 5.6% और 5.3% तक बढ़ने का जोखिम है. इसके अतिरिक्त, घरेलू विकास में मंदी से आय प्रवाह प्रभावित हो सकता है और खुदरा और एमएसएमई दोनों क्षेत्रों में एनपीए बढ़ सकता है. साथ ही, ट्रेड वार से संबंधित प्रभावों के कारण उद्योग-विशिष्ट एनपीए देखे जा सकते हैं. जबकि बड़े उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता बाहरी झटके के प्रभाव को देरी से दिखाती है, खुदरा और एमएसएमई क्रेडिट पर तत्काल प्रभाव पड़ता हैं और एनपीए की उच्च दर का अनुमान लगाया जा सकता है. अतः, बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और दबाव में किसी भी वृद्धि से निपटने के लिए ठीक से प्रावधान किया गया है, साथ ही एनपीए का स्तर भी एक दशक से अधिक समय में सबसे कम है.

**31. परिदृश्य**

31.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाहरी विपरीत परिस्थितियों के बीच सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की. आर्थिक गतिविधियों में गति आई तथा एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों (एसएई) ने निजी अंतिम उपभोग व्यय में मज़बूत वृद्धि के कारण वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 6.5% वर्ष-दर-वर्ष पर रखा. आपूर्ति पक्ष पर, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 6.4% की वृद्धि हुई, जो कृषि तथा सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित थी. हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2024-25 के दौरान औसतन 4.6% रही है, जो 2023-24 के लिए दर्ज 5.4% से कम है, जिसमें अधिकांश गिरावट चतुर्थ तिमाही: 2024-25 में हुई है. उपभोग में सुधार के साथ-साथ सरकार के पूंजीगत व्यय बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियां सुदृढ़ रहीं. निजी खपत में तेजी, कृषि गतिविधियों में तेजी, सेवा क्षेत्र का निरंतर लचीलापन, बैंकों तथा कंपनियों की मजबूत तुलन पत्र तथा पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर संवृद्धि परिदृश्य के लिए अच्छा है. केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित उपाय घरेलू खपत में सुधार के लिए अच्छे हैं. तथापि, बढ़ते संरक्षणवादी उपायों, लगातार भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती आपूर्ति श्रृंखला दबाव तथा अस्थिर वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कारण वैश्विक व्यापार के बारे में अनिश्चितता परिदृश्य को अनिश्चित बनाती है.

31.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ऋण वृद्धि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और समग्र जमा वृद्धि के साथ संरेखित होने की अपेक्षा है. मुद्रास्फीति के लक्ष्य स्तर से नीचे नरमी देखने और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में नीतिगत दरों में 75 बीपीएस की कटौती की है. आगे, आरबीआई के पास मौजूदा समय में नीतिगत सहजता के लिए स्थान सीमित है और यह भविष्य की नीतिगत कार्रवाइयों का आकलन करने के लिए (मुद्रास्फीति) डेटा पर निर्भर रहेगा.

कृते और निदेशक मंडल की ओर से



स्थान: मुंबई
तिथि:

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

**स्रोत:** आरबीआई मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अक्तूबर'24 अप्रैल'25), आईएमएफ़ डबल्यूईओ अप्रैल 2025 आउटलुक

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

## 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में बैंक के सिद्धांत

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनकी संपदा के सृजन करने और उसकी रक्षा करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीतियों, सुविचारित कारोबार योजनाओं, प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण तथा अपने विधिक एवं नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के अनुपालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि बोर्ड एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा.

1.4 सर्वोत्तम पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए, बोर्ड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करने में मदद करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बैंक में प्रचलित कार्यपद्धतियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा:

- बोर्ड एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन (विनियामक एवं नीति)
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, व्हिसल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि.

1.5 बैंक एक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करता है.

## 2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970, यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है.

2.2 बोर्ड के उत्तरदायित्वों में बैंक के समग्र कार्य का अनुश्रवण सहित कारोबार संचालन, कारोबार समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण आदि संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है.

2.3 बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है. बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें आवधिक अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं.

2.4 31 मार्च, 2025 को बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक अर्थात प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) एवं चार कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त पाँच गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. उनका समृद्ध एवं बृहद् अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पद रिक्त रहे. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए निदेशक और एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद यथा 31 मार्च, 2025 रिक्त रहे.

## 2.6 यथा 31 मार्च, 2025 निदेशक मंडल का संघटन निम्नानुसार है:

| क्रम संख्या | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्षता की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र) | 07-11-2022 | एसआरसी<br>आरएमसी<br>आईटीएससी<br>एससीबीएमएफ़<br>एनआरसी<br>एचआरएससी<br>बीसीपीई | शून्य | 3 | 2 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति, जो अधिसूचना की तिथि अर्थात 07.11.2022 से तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक) | 03-06-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आरएमसी<br>आईटीएससी<br>एससीबीएमएफ़<br>डीपीसी<br>एसटीसीबी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>आरईएमसी<br>सीडीआरसीएफ़<br>आरसीबी एवं डब्ल्यूडी | शून्य | 3 | 2 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 03.06.2022 से तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बनी रहेंगी.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं विपणन |
| 3 | श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 10-03-2021 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ | 6725 | 2 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 10.03.2021 से तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिसूचना के अनुसार, श्री नितेश रंजन का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र: अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन, बैंकिंग |
| 4 | श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 21-11-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 21.11.2022 से तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |

| क्रम संख्या | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्षता की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 09-10-2023 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 09.10.2023 से और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु (अर्थात 30.06.2026) तक प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : जोख़िम, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंधन |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 27-03-2024 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 27.03.2024 से तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |
| 7 | श्री समीर शुक्ला, सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) | 08-11-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>एससीबीएमएफ़<br>डीपीसी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>बीसीपीई | शून्य | 3 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 08.11.2021 से निदेशक के रुप में नामित. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त |
| 8 | श्री प्रकाश बलियारसिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) | 14-07-2023 | एमसीबी<br>एसीबी<br>डीपीसी | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर दिनांक 14.07.2023 से निदेशक के रुप में नामित. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग विनियमन एवं पर्यवेक्षण, वित्त |
| 9 | सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 29-07-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आरएमसी<br>आईटीएससी<br>एनआरसी<br>सीडीआरसीएफ़<br>बीसीपीई | 3000 | 2 | 1 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन 29.07.2024 से 28.07.2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर |

| क्रम संख्या | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्षता की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 27-07-2024 | एमसीबी आरएमसी एससीबीएमएफ़ आरसीबीडब्ल्यूडी | 300 | 0 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन 27.07.2024 से 26.07.2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, एचआर, परिचालन, बीमा एवं म्यूचुअल फ़ंड |

**$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर**

| | | |
|---|---|---|
| एसीबी | - | बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति |
| बीसीपीई | - | बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति |
| सीएसी - I | - | ऋण अनुमोदन समिति- I |
| सीडीआरसीएफ | - | पूंजी निधि जुटाने हेतु निदेशकों की समिति |
| आरएमसी | - | जोखिम प्रबंधन समिति |
| एससीबीएमएफ़ | - | धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण एवं फॉलोअप हेतु बोर्ड की विशेष समिति |
| एसआरसी | - | हितधारकों की संबंध समिति |
| डीपीसी | - | अनुशासनिक कार्यवाही समिति – सतर्कता/गैर-सतर्कता |
| एसटीसीबी | - | बोर्ड की शेयर अंतरण समिति |
| एचआरएससी | - | बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति |
| आईटीएससी | - | सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति |
| एमसीबी | - | बोर्ड की प्रबंधन समिति |
| एनआरसी | - | नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति |
| आरसीएबीडबल्यूडी | - | इरादतन चूककर्ताओं हेतु बोर्ड की समीक्षा समिति |
| आरईएमसी | - | बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति |

**2.7 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन: :**

**नियुक्तियां:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड में निम्नलिखित नए निदेशक शामिल किए गए:-

| क्रम संख्या | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल | 62 | 27-07-2024 | 26-07-2027 | बैंकिंग, एचआर, परिचालन, बीमा एवं म्यूचुअल फ़ंड | श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप निर्वाचित किया गया है और उन्होंने 27.07.2024 को बैंक के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है जो 26.07.2027 तक चलेगा. वह भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक (खुदरा कारोबार – वैयक्तिक बैंकिंग और रियल एस्टेट) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. श्री कंदपाल ने भारतीय स्टेट बैंक में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ और एसबीआई फंड्ज मैनेजमेंट लिमिटेड में ईडी एवं सीओओ के रूप में कई प्रमुख उत्तरदायित्व संभाले हैं. |

| क्रम संख्या | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | उनके पास बैंकिंग, मानव संसाधन, परिचालन, बीमा और म्यूचुअल फ़ंड के क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता है तथा उन्होंने बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने मानव संसाधन, प्रशिक्षण, आईटी, कारोबार प्रक्रिया पुनरुत्थान और गवर्नेंस में कई प्रमुख पहलों का नेतृत्व किया है.<br><br>श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल वर्तमान में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सोशल वर्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में सेवा दे रहे हैं.<br><br>श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल को 2021 में बिजनेस लीडर ऑफ द इयर अवार्ड और एसबीआई जीआई की ओर से 2021 में कंपनी विद ग्रेट मैनेजर्स अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, तथा उन्होंने 2018 में एसबीआई में ज्ञानार्जन एवं विकास में उनके अग्रणी पहलों के लिए ब्रैंडन हॉल पुरस्कार प्राप्त किया है.<br><br>श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से एम. ए. (अर्थशास्त्र) की डिग्री और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई से वित्तीय प्रबंधन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है. उनके पास आईएसबी हैदराबाद से एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम (एसबीआई के लिए तैयार किया गया) और बर्कले विश्वविद्यालय, यूएसए से ग्लोबल एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम – एआईआईएमए, जैसे कई व्यावसायिक प्रमाणपत्र भी हैं. |

**कार्यकाल समापन:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित सदस्यों का निदेशक के रूप में कार्यकाल पूर्ण हुआ:

| क्रम संख्या | निदेशक का नाम | पदनाम | कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री जयदेव मदुगुला | शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 27.06.2024 | कार्यकाल पूर्ण होने पर |
| 2. | सुश्री प्रीति जय राव | शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 28.07.2024 | कार्यकाल पूर्ण होने पर |
| 3. | श्री सूरज श्रीवास्तव | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र) | 20.12.2024 | कार्यकाल पूर्ण होने पर |
| 4. | श्री लक्ष्मण एस उप्पर | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र) | 20.03.2025 | कार्यकाल पूर्ण होने पर |

### 2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध:

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी परस्पर संबंध नहीं है.

### 2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) तथा हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता एवं सदस्यता को इस प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में, जहां वे निदेशक थे, 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं रहे या उन्होंने 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया.

31 मार्च, 2025 तक बैंक और अन्य सूचीबद्ध/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों में निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण, जहां वे निदेशक थे, निम्नानुसार है:

| क्रम संख्या | निदेशक का नाम एवं पदनाम | कंपनी का नाम | समिति का नाम | सदस्य/ अध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन,<br>गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1. इंडिया डेब्ट रेसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. इन्स्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अड्वाइसरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै,<br>प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 1. जनरल इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | | एसआरसी | अध्यक्ष |
| | | 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 3 | श्री नितेश रंजन,<br>कार्यपालक निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| | | 2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम | एसीबी | सदस्य |
| 4 | श्री रामसुब्रमणियन एस.,<br>कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 5 | श्री संजय रुद्र,<br>कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी,<br>कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 7 | श्री समीर शुक्ला,<br>सरकार नामित निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| | | | एसआरसी | सदस्य |
| | | 2. राष्ट्रीय आवास बैंक | एसीबी | सदस्य |
| 8 | श्री प्रकाश बलियारसिंह,<br>भारिबैं द्वारा नामित निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| 9 | श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल,<br>शेयरधारक निदेशक | 1. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | एसआरसी | अध्यक्ष |
| | | 3. न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | एसीबी | सदस्य |
| 10 | सुश्री प्रीति जय राव,<br>शेयरधारक निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | अध्यक्ष |

**2.10 निदेशकों द्वारा भाग लिए गए अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का विवरण:** बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है: http://www.unionbankofindia.co.in/english/familarisation.aspx

**2.11** सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप पेशारत कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है तथा इस संबंध में पेशारत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है.

**2.12** बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमन में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा वे प्रबंधन से स्वतंत्र है.

2.13 2024-25 के दौरान निदेशकों तथा बोर्ड एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

| क्रमांक | निदेशक का नाम | प्रकार | बोर्ड और बोर्ड की समिति (समितियों) के सदस्य | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बोर्ड | | एमसीबी | | एसीबी | | एसआरसी | | आरएमसी | | आईटीएससी | | एससीएमएफ | | डीपीपीसी | | एसटीसीबी ** | |
| | | | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* |
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन<br>दिनांक 07.11.2022 से | एनईसी | 14 | 14 | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | | |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै<br>दिनांक 03.06.2022 से<br>02.06.2025 तक | एमडी एंड सीईओ | 14 | 14 | 31 | 31 | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | श्री नितेश रंजन<br>दिनांक 10.03.2021 से | ईडी | 14 | 14 | 31 | 29 | - | - | 6 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | श्री रामसुब्रमणियन एस<br>दिनांक 21.11.2022 से | ईडी | 14 | 14 | 31 | 30 | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | श्री संजय रुद्र<br>दिनांक 09.10.2023 से | ईडी | 14 | 14 | 31 | 28 | - | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी<br>दिनांक 27.03.2024 से | ईडी | 14 | 14 | 31 | 26 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | श्री समीर शुक्ला<br>दिनांक 08.11.2021 से केंद्र सरकार द्वारा नामित | एनईडी | 14 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 8 | श्री प्रकाश बलियारसिंह<br>दिनांक 14.07.2023 से आरबीआई द्वारा नामित निदेशक | एनईडी | 14 | 13 | 31 | 30 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 9 | सुश्री प्रीति जय राव<br>दिनांक 29.07.2021 से | आईडी/<br>एसडी | 14 | 13 | - | - | 13 | 12 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल<br>दिनांक 27.07.2024 से | आईडी/<br>एसडी | 10 | 10 | 31 | 31 | | | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | |
| निदेशक जो वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान, दिनांक 31.03.2025 से पहले बैंक के बोर्ड में थे, उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | डॉ. जयदेव मदुगुला<br>दिनांक 28.06.2018 से<br>27.06.2024 तक | आईडी/<br>एसडी | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर<br>दिनांक 21.03.2022 से<br>20.02.2025 तक | आईडी/<br>एनईडी | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 2 |
| 3 | श्री सूरज श्रीवास्तव<br>दिनांक 21.12.2021 से<br>20.12.2024 तक | आईडी/<br>एनईडी | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

** शेयर अंतरण समिति को विभिन्न अंतरालों पर, परिपत्र संकल्प के रूप में 20 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और इन्हें अनुमोदित कराया गया

एमडी एंड सीईओ - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ईडी- कार्यपालक निदेशक

एनईडी - गैर-कार्यपालक निदेशक

आईडी - स्वतंत्र निदेशक

एसडी - शेयरधारक निदेशक

एनईसी- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

2.14 2024-25 के दौरान निदेशकों तथा बोर्ड एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

| क्रमांक | निदेशक का नाम | प्रकार | बोर्ड और बोर्ड की समिति (समितियों) के सदस्य | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आरसीएनसीबी और डब्ल्यूडी | | एनआरसी | | एचआरएससी | | सीएसी-I | | आरईएमसी | | आरईएमसी | | बीसीपीई | |
| | | | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* | आयोजित* | उपस्थिति* |
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन<br>दिनांक 07.11.2022 से | | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै<br>दिनांक 03.06.2022 से 02.06.2025 तक | | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 26 | 26 | 4 | 4 | - | - | | |
| 3 | श्री नितेश रंजन<br>दिनांक 10.03.2021 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 5 | 26 | 23 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | श्री रामसुब्रमण्यम एस<br>दिनांक 21.11.2022 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 4 | 26 | 25 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | श्री संजय रुद्र<br>दिनांक 09.10.2023 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 5 | 26 | 18 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी<br>दिनांक 27.03.2024 से | | | | | | 5 | 5 | 26 | 23 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | श्री समीर शुक्ला<br>दिनांक 08.11.2021 से केंद्र सरकार द्वारा नामित | एनईडी | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 4 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | श्री प्रकाश बलियार सिंह<br>दिनांक 14.07.2023 से आरबीआई द्वारा नामित निदेशक | एनईडी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | सुश्री प्रीति जय राव<br>दिनांक 29.07.2021 से | आईडी/ एसडी | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल<br>दिनांक 27.07.2024 से | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| निदेशक जो वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान, दिनांक 31.03.2025 से पहले बैंक के बोर्ड में थे, उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | डॉ. जयदेव मदुगुला<br>दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2024 तक | आईडी/ एसडी | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर<br>दिनांक 21.03.2022 से 20.02.2025 तक | आईडी/ एनईडी | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | श्री सूरज श्रीवास्तव<br>दिनांक 21.12.2021 से 20.12.2024 तक | आईडी/ एनईडी | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

### 3. वार्षिक महासभा बैठक

बैंक के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक महासभा बैठक **शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024** को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित रहे:

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री श्रीनिवासन वरदराजन | अध्यक्ष |
| सुश्री ए. मणिमेखलै | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक |
| श्री रामसुब्रमणियन एस | कार्यपालक निदेशक |
| श्री संजय रुद्र | कार्यपालक निदेशक |
| श्री पंकज द्विवेदी | कार्यपालक निदेशक |
| श्री सूरज श्रीवास्तव | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक |
| श्री लक्ष्मण एस उप्पर | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक |
| सुश्री प्रीति जय राव | शेयरधारक निदेशक |

### 4. बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण:

वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की 14 बैठकें हुईं. ये बैठकें दिनांक 29.04.2024, 10.05.2024, 11.06.2024, 19.07.2024, 14.08.2024, 27.09.2024, 21.10.2024, 06.11.2024, 19.12.2024, 27.01.2025, 29.01.2025, 21.02.2025, 27 से 28.02.2025 और 19.03.2025 को आयोजित हुईं.

### 5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण एवं फॉलोअप हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ़)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)
6. बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
7. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)
8. आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)
9. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
10. अनुशासनिक कार्यवाही समिति – सतर्कता/गैर-सतर्कता (डीपीसी)
11. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
12. इरादातन चूककर्ताओं हेतु बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीबीडबल्यूडी)
13. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
14. पूंजीगत निधि की जुटाने हेतु निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
15. बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

### 5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

**5.1.1 संघटन:**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खंड 13 के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं –

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों को धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित किया गया और उसके पश्चात उन्हें दो बार प्रत्येक छह माह की अवधि हेतु पुनः नामांकित किया जा सकता है.

  सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.1.2 कार्य:**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/राइट ऑफ प्रस्ताव, ऋण अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि पर विचार करने के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गई है.

वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीबी की 31 बैठकें आयोजित की गई.

### 5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

**5.2.1 संघटन:**

भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है. वर्तमान में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं –

- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक.

इस बैठक में कार्यपालक निदेशकों को आमंत्रित किया गया.

श्री लक्ष्मण उप्पर, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है.

**5.2.2 कार्य:**

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मदों के कैलेंडर के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है. .
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
    - अंतर-शाखा समायोजन खाते
    - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया प्रविष्टियां, जिनका मिलान न हुआ हो.
    - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
    - धोखाधड़ी
    - हाउसकीपिंग से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र
3. एसीबी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षाओं के संबंध में, एसीबी लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. यह वार्षिक/अर्ध-वार्षिक वित्तीय लेखों को अंतिम रूप देने से पहले और बाद में तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करती है.
5. एसीबी, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.
6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची – II के भाग – सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 12 बैठकें हुई. ये बैठकें दिनांक 10.05.2024, 30.05.2024, 19.07.2024, 24.07.2024, 19.09.2024, 21.10.2024, 28.10.2024, 19.11.2024, 18.12.2024, 27.01.2025, 15.02.2025, और 17.03.2025 को आयोजित हुई.

## 5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

**5.3.1 संघटन:**

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार, निदेशक मंडल बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा. कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (एससीआर एवं एएलएम) पर निदेशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) कर दिया.

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- तीन गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक.

**5.3.2 कार्य:**

समिति का गठन बैंक में जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए किया गया है. यह समिति बैंक के समग्र जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है.

वित्त मंत्रालय, सरकार भारत के पत्र संख्या एफ.सं. 16/19/2019-बीओ. आई दिनांक 30.08.2019, के अनुसार जोखिम के प्रबंधन, माप और नियंत्रण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण के तहत एक जोखिम धारणीय तंत्र युक्त संस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें शामिल हैं - i बैंक के लिए जोखिम धारणीय विवरण और बैंक के लिए जोखिम सीमाएं; ii. भौतिक और प्रतिष्ठा संबंधी दोनों जोखिमों के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं, नियंत्रण और प्रणालियां iii. कार्यान्वयन और अनुश्रवण की देखरेख के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निरूपण.

यह भी परिकल्पना की गई थी कि जोखिम प्रबंधन समिति को समय-समय पर बैंक के जोखिम धारणीयता ढांचे के अनुपालन की समीक्षा करने और स्वीकृत जोखिम धारणीयता के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करने का अधिकार दिया जा सकता है.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई.

## 5.4 धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण एवं फॉलोअप हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ़)

**5.4.1 संघटन:**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 1 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. हालांकि, यह विशेष समिति केवल रु. 1 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का अनुश्रवण जारी रखेगी.

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को छोड़कर बोर्ड के दो अन्य सदस्य

**कार्य :**

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु. 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों का अनुश्रवण एवं समीक्षा करना है ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली प्रणालीगत कमियों को पहचानने तथा उनको दूर करने हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने में यदि कोई देरी हुई हो तो उसके कारणों का पता लगाया जा सके तथा/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जा सके.
- सीबीआई/ पुलिस जाँच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके.
- धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व की जाँच सुनिश्चित की जा सके तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल किया जा सके.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा की जा सके.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय किए जा सकें.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)

**5.5.1 संघटन :**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी है और यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति की संरचना इस प्रकार है

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.5.2 कार्य :**

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.6 बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

**5.6.1 संघटन :**

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रण पर प्रतिभाग करते हैं.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.6.2 कार्य :**

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं समीक्षा :

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण कार्यनीति.
   - समग्र जनबल आयोजना व स्किल गैप की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
   - उत्तराधिकार आयोजना.
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी कार्यनिष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर

नीतियों को सुव्यवस्थित करना

- पुरस्कार एवं प्रोत्साहन
- पदोन्नति
- तैनाती

4. प्रशिक्षण
   - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों हेतु सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.7 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

### 5.7.1. संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है.

डॉ. प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक समिति की वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.7.2 कार्य :

**हितधारकों से संबंधित:**

1. बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, महासभा बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का अनुश्रवण एवं निपटान करना.
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.
4. बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना.

**ग्राहक सेवा संबंधी:**

1. बैंक में समग्र ग्राहक शिकायत निवारण के कार्यों का अनुश्रवण करना
2. ग्राहक सेवाओं की निगरानी करना और बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना
3. ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के हित में नीतियां बनाना और उनकी समीक्षा करना

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित:**

1. बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समीक्षा करना
2. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों/ परियोजनाओं का समय-समय पर अनुमोदन और समीक्षा करना

**ईएसजी संबंधित:**

1. ईएसजी से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना.
2. ईएसजी से संबंधित सभी मामलों और गतिविधियों पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना एवं निगरानी करना;
3. ईएसजी से संबंधित पहलों और नीतियों के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी करना;
4. विभिन्न ईएसजी पहलों के प्रभाव का आकलन करना;
5. आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए ईएसजी मामलों के प्रकटन की समीक्षा करना;
6. ईएसजी से संबंधित उभरते जोखिमों की पहचान करना और बोर्ड तथा बैंक की समितियों को इसकी संस्तुति करना

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

### 5.7.3. अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री मंगेश मांद्रेकर को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया.

### 5.7.4. वर्ष 2024-25 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण:

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है: -

| क्र. सं. | विवरण | दिनांक 31.03.25 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | दिनांक 31.03.24 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| ए. | वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |
| बी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या | 15 | 10 |
| सी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या | 15 | 10 |
| डी. | वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |

### 5.8 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

**5.8.1 संघटन :**

आईटी गवर्नेंस उपायों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी कार्यनीति समिति बनाने की संस्तुति की है. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- एमडी एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- दो गैर – कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक)

डॉ. प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.8.2 कार्य:**

- आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी कार्यनीति वास्तव में आईटी कार्यनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को लागू किया है जिससे आईटी कारोबार में वृद्धि कर सके.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहे और यह कि बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- कार्यनीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक की सुस्थिर संवृद्धि के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम का पर्याप्त शमन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना.
- आईटी कार्यनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का अनुश्रवण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

### 5.9 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी. वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ़. नं. 16/19/2019-बीओ.1, दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बैंक बोर्ड की अलग नामांकन समिति एवं बोर्ड की पारिश्रमिक समिति के स्थान पर, उक्त दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को निष्पादित करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है.

इस प्रकार, वित्त मंत्रालय के उपरोक्त दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशक मण्डल ने दिनांक 06.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है.

**5.9.1 संघटन:**

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर दिशानिर्देश क्र. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) निदेश, 2019 को जारी किया है. उक्त निदेशों के पैरा 4.1 के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने की आवश्यकता है. समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित दो गैर-कार्यपालक निदेशक

**5.9.2 कार्य :**

बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन निदेशकों के रुप में चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त एवं उचित" स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया निष्पादित करना.

डॉ. प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की बैठक 4 बार आयोजित की गयी.

## 5.10 अनुशासनिक कार्यवाही समिति-सतर्कता/गैर-सतर्कता (डीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीसी-V) थीं.

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र एफ. सं. 16/19/2019-बीओ.1, दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों को बनाए रखने की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की समीक्षा अपने बोर्ड में करने की सलाह दी थी.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और दिनांक 24.10.1990 के वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों और आधारभूत संघटन को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 06.12.2019 से निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को समामेलित करने का निर्णय लिया.

**5.10.1 संघटन:**

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रुप में मंजूरी दी है –

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.10.2 कार्य:**

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना, टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमश: टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना.
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है.
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जाँच की समीक्षा करना
- अभ्यावेदन के आधार पर, प्रकटन की तिथि से 15 दिनों के अंदर उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा करना
- महाप्रबंधकों के लिए प्रमुख दंड हेतु नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.11 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

**5.11.1 संघटन:**

समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
- दो गैर कार्यपालक निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.11.2 कार्य:**

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में किए जा रहे लेनदेन को और आसान बनाने के उद्देश्य से, सेबी ने दिनांक 25.01.2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से केवल निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय ही अमूर्त रूप में शेयर जारी करेंगी:

ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना

बी. अदावी उचंत खाते से दावा

सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/विनिमय

डी. पृष्ठांकन

ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना

एफ़. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन

जी. प्रेषण

एच. परिवहन

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.12 इरादातन चूककर्ता हेतु बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीबीडबल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थी अर्थात "असहयोगी" उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के इरादातन

चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीबीडबल्यूडी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों को बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सके.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों के संघटन के आधार पर उनका विलय करने का निर्णय लिया तथा इरादातन चूककर्ताओं की पहचान तथा असहयोगी उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए, दिनांक 06.12.2019 से प्रभावी, असहयोगी उधारकर्ता तथा इरादातन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा नाम से निम्न संघटन की एकल समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.12.1 कार्य:**

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व उनके ऋण अनुशासन पालन पुनः करने एवं सहयोगी व्यवहार के कारण उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.
- इरादातन चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति ने 4 बैठकें आयोजित कीं.

## 5.13 पूंजीगत निधियों को जुटाने हेतु निदेशकों की समिति (सीडीआरएफ़सी)

**5.13.1 संघटन:**

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों को जुटाने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण शामिल हैं.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.13.2 कार्य:**

बोर्ड / शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत समिति को पूंजीगत निधियों को जुटाने हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने और ऐसे सभी कार्य, कृत्य तथा काम करने के लिए प्राधिकार हैं, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अंतर्गत प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है.

## 5.14 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

**5.14.1 संघटन:**

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ. सं. 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को सलाह दी है कि वह बैंक के प्रबंध निदेशकों एवं सीईओ, आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) के प्रभारी कार्यपालक निदेशकों और आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) के प्रभारी महाप्रबंधकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु एक बोर्ड समिति का गठन करे.

इसके अलावा, एमओएफ संचार दिनांक 14.11.2019 के अनुसार, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड के अनुमोदन से निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाना है-

1. गैर-कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामित निदेशक, और
3. बोर्ड में सबसे लंबे समय से सेवारत शेयरधारक निदेशक.

एनईसी के कार्यालय में रिक्ति के मामले में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष एनईसी के स्थान पर समिति का सदस्य होगा.

**5.14.2 कार्य:**

प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों और जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का मूल्यांकन करना, उनकी समीक्षा करना और उनको स्वीकार करना.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई.

## 5.15 ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी-I)

**5.15.1 संघटन:**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड

13ए के अनुसार, बैंक ने ऋण अनुमोदन समिति-I का गठन किया है. समिति रु. 800 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते जिनकी वैध रेटिंग है) और अन्य खातों के मामले में रु. 600 करोड़ तक और रु. 800 करोड़ तक के समूह एक्सपोजर के मामले में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा यदि एक्सपोजर ऐसी सीमाओं से अधिक है, तो बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा.

सीएसी-I का संघटन निम्नानुसार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- ऋण के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक
- वित्त के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/मुख्य वित्तीय अधिकारी और
- जोखिम प्रबंधन के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक

बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.15.2 कार्य:**

अनुमोदन/ समीक्षा-नवीनीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौता/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव, पूंजी और राजस्व व्यय के अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराए पर लेना आदि सहित ऋण संबंधी सभी मामले, जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, सीएसी-1 के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाते हैं.

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 31 बैठकें आयोजित की गईं.

**5.16** निदेशकों का विवरण, वर्ष के दौरान बोर्ड एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है.

## 6. सामान्य सभा की बैठकें

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की सामान्य सभा की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है

| बैठक का स्वरूप | दिनांक एवं समय | कार्यक्रम स्थल | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|
| 20वीं वार्षिक महासभा बैठक | 30 जून, 2022 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के माध्यम से | बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी राशि रु. 8100 करोड़ से अधिक न हो. |
| 21वीं वार्षिक महासभा बैठक | 4 अगस्त, 2023 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के माध्यम से | बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी राशि रु. 10,100 करोड़ से अधिक न हो.<br>श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएन: 02453845) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति.<br>श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएन: 00033882) की बैंक के अंश-कालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति. |
| 22वीं वार्षिक महासभा बैठक | 26 जुलाई, 2024 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के माध्यम से | बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी कुल राशि रु. 10,000 करोड़ से अधिक न हो.<br>केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का निर्वाचन. |

## 7. प्रकटन

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिदेशों/ परिपत्रों से संचालित होता है.

यह बताया गया है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है.

इस रिपोर्ट में गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी दी गई है. सूचीबद्धता विनियमों द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

### 7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं. इनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

**बैठक शुल्क (फीस):**

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (3) के खंड (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ. सं. 15/1/2011-बीओ-आई दिनांक 30 अगस्त, 2019, राष्ट्रीयकृत बैंक योजना के खंड 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु नीचे उल्लेखित बैठक शुल्क के पात्र हैं, साथ ही वे बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भी पात्र हैं, जो प्रति निदेशक ₹ 25 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है.

निदेशक मंडल ने 29 जुलाई, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु 1 अप्रैल, 2021 से ₹ 70,000 एवं बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु ₹ 35000 बैठक शुल्क के भुगतान को अनुमोदन प्रदान किया गया. बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹ 20000 एवं बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹ 10000 के अतिरिक्त शुल्क को भी अनुमोदन प्रदान किया गया.

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है: https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/shareholders-information

**यात्रा एवं विराम भत्ता:**

शुल्क के अतिरिक्त, जिसके लिए निदेशक भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं, बैंक के कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले प्रत्येक ऐसे निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार उनके यात्रा और विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

**7.2 महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटन**

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जिसके बड़े स्तर पर बैंक के हितों के विपरीत होने की संभावना हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/ फ़र्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है.

**7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन**

बैंक के गैर – कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बैंक के बोर्ड एवं बोर्ड की समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति हेतु बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

**7.4 सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने न तो इक्विटी पूंजी जुटाई है और न ही कोई बेसल III के अनुपालन वाले अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड/ टियर 2 बॉन्ड जारी किए हैं.

**7.5 अर्थदंड या आक्षेप:**

विगत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

**7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति:**

बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है और इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है – https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/policies-and-disclosures

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

**7.7 प्रमुख सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु नीति:**

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु नीति तैयार की है तथा इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/policies-and-disclosures

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक कंपनी नहीं है

**7.8 संबंधित पक्ष लेनदेन नीति:**

बैंक ने संबंधित पक्ष लेनदेनों के प्रबंधन हेतु संबंधित पक्ष लेनदेन नीति तैयार की गई है. उक्त नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/policies-and-disclosures

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक का ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं था, जिससे वृहद स्तर पर बैंक का हित प्रभावित होने की संभावना हो.

**7.9 लाभांश वितरण नीति:**

बैंक ने वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है. उक्त नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/policies-and-disclosures

**7.10 अधिग्रहण संहिता:**

बैंक ने समय-समय पर सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन, 2011 यथा संशोधित के प्रावधानों का भी अनुपालन किया है.

**7.11 सेबी (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध) विनियमन, 2015 का अनुपालन:**

विनियमों के अनुसार बैंक के शेयर में लेनदेन करने में नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध हेतु बैंक ने

एक आचार संहिता तैयार की है. इन विनियमों के संदर्भ में अपेक्षित विभिन्न प्रपत्रों को तैयार किया गया है, जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें. इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरों में लेनदेन के लिए व्यापार विंडो को बैंक के निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बंद रखा गया था:

| ट्रेडिंग विन्डो बंद होने कि तिथि | बंद होने का कारण |
|---|---|
| 01 अप्रैल, 2024 से 10 मई, 2024 | 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 जुलाई, 2024 से 19 जुलाई, 2024 | 30 जून, 2024 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 अक्तूबर, 2024 से 21 अक्तूबर, 2024 | 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 जनवरी, 2025 से 27 जनवरी, 2025 | 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |

**7.12 प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण**

वार्षिक रिपोर्ट में इसका अलग से उल्लेख किया गया है.

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट**

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया.

**7.13 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार:**

बैंक ने सूचीबद्धता विनियमन के उप – विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपनी वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया हैं.

**7.14 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क का विवरण:**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल ₹ 68.47 करोड़ के शुल्क का भुगतान किया गया है.

**7.15 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटन (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:**

ए. 31.03.2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या: 1 (एक)

बी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दाखिल की गई शिकायतों की संख्या : 13 (तेरह)

सी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या : 10 (दस)

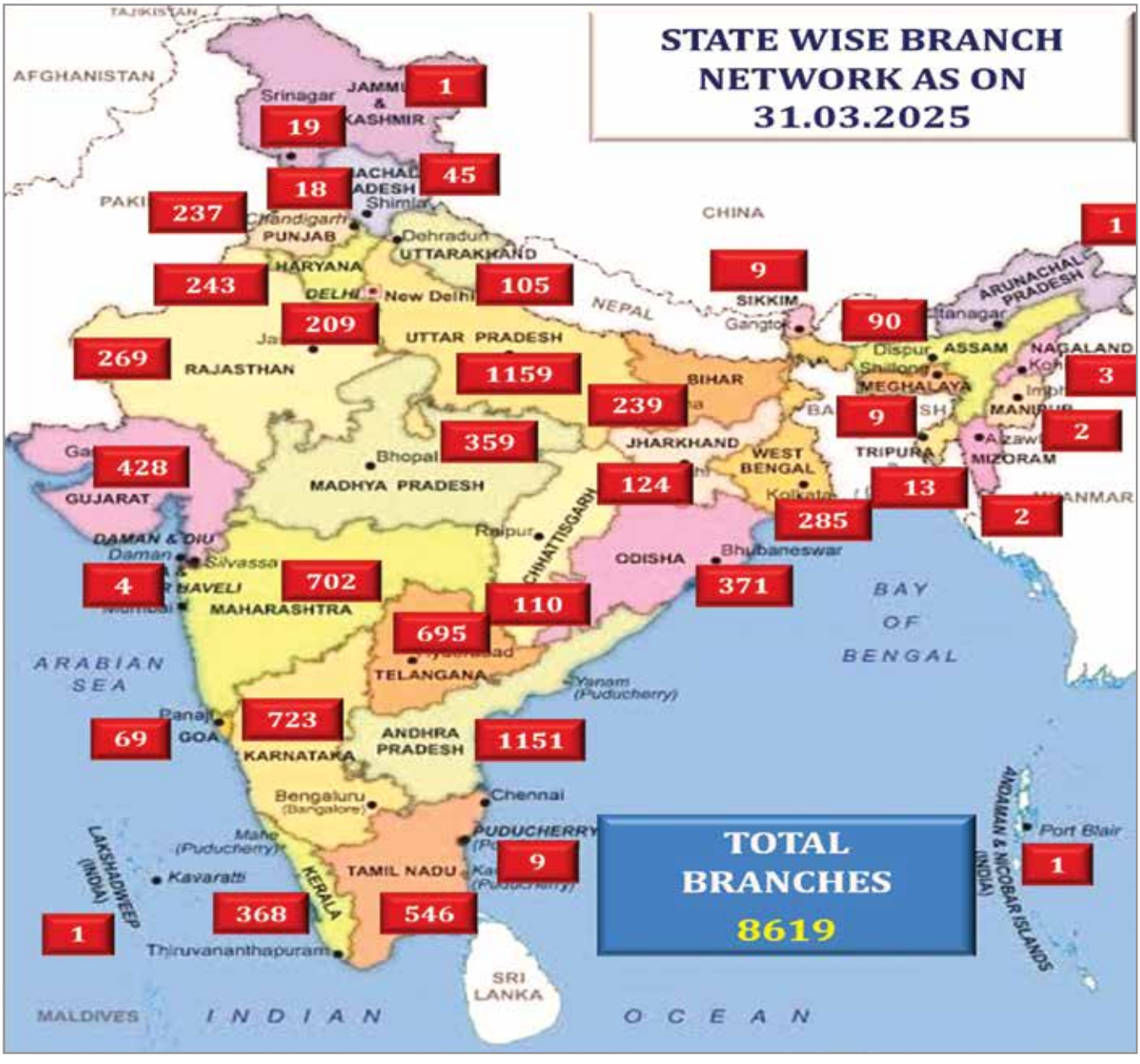
डी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या: 3 (तीन)

**7.16 शाखा नेटवर्क:**

31 मार्च 2025 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8619 शाखाओं और 2 विदेशी शाखाओं (सिडनी, दुबई डीआईएफसी) के साथ देश भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है, इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में हैं. 31.03.2024 को हमारी कुल 8464 शाखाएं थीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 46 शाखाओं का पुनर्गठन किया गया और 201 नई शाखाएं खोली गईं.

| पंक्ति लेबल | ग्रामीण | अर्ध शहरी | शहरी | मेट्रो | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.2024 तक कुल शाखाएं** | **2540** | **2436** | **1728** | **1760** | **8464** |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्गठित | -1 | -13 | -15 | -17 | -46 |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खोली गईं | 53 | 95 | 31 | 22 | 201 |
| आरबीआई द्वारा श्रेणी में परिवर्तन | -3<br>+8 | -3<br>+6 | -10<br>+1 | -1<br>+2 | -17<br>+17 |
| **31.03.2025 तक कुल** | **2597** | **2521** | **1735** | **1766** | **8619** |

भारत में दिनांक 31.03.2025 तक शाखाओं की राज्यवार स्थिति नीचे दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित की गई है.



### 7.17 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत या विदेश में सभी ऋण लिखतों या कोई सावधि जमा कार्यक्रम या निधि संग्रहण हेतु बैंक का कोई प्रस्ताव या योजना, सभी की संशोधन सहित क्रेडिट रेटिंग की सूची प्राप्त की गई है:

| रेटिंग एजेंसी | बासेल III | | जमा प्रमाणपत्र | आउटलुक |
|---|---|---|---|---|
| | अतिरिक्त टियर 1 | टियर 2 | | |
| ब्रिकवर्क | BWR AA+ | BWR AAA | - | स्थाई |
| क्रिसिल | CRISIL AA+ | CRISIL AAA | - | स्थाई |
| केयर | CARE AA+ | CARE AAA | - | स्थाई |
| इंडिया रेटिंग | IND AA+ | IND AAA | IND A1+ | स्थाई |
| इकरा लिमिटेड | - | ICRA AAA | ICRA A1+ | स्थाई |

**एफ़आईटीसीएच रेटिंग लिमिटेड:**

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| दीर्घकालिक जारीकर्ता मानक रेटिंग (आईडीआर) | "BBB-" आउटलुक स्थाई |
| अल्पावधि जारीकर्ता मानक रेटिंग (आईडीआर) | F3 |
| व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) | BB- |

**स्टैंडर्ड एवं पूअर ग्लोबल रेटिंग्स**

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग (दीर्घकालिक/अल्पावधि) | BBB-/सकारात्मक/A-3 |
| एसएसीपी | BB+ |
| आउटलुक: सकारात्मक | |

7.18 **बैंक की प्रमुख सहायक कंपनियों का विवरण:** बैंक की कोई भी सहायक कंपनी प्रमुख सहायक नहीं हैं.

## 8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारिता पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर "निवेशक संबंध" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध कराये गए हैं.

## 9. शेयरधारकों की सूचना

**9.1 वित्तीय वर्ष –** 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक

**9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता -** बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हैं तथा बॉन्ड एनएसई में सूचीबद्ध है. स्टॉक स्क्रिप कोड का विवरण निम्नानुसार है: -

| नाम | कोड |
|---|---|
| **बीएसई लिमिटेड (बीएसई),**<br>फिरोज़ जीजीभाय टॉवर्स,<br>दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001 | 532477 |
| **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई),**<br>एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक,<br>बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 | UNIONBANK-EQ |

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इक्विटी शेयरों के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दिनांक 28 अप्रैल, 2025 को दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्र (टियर I एवं टियर II पूंजी) के रूप में अरक्षित गैर परिवर्तनीय – बॉण्ड जारी किए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2025 को तत्संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | आईएसआईएन | बॉण्ड विवरण | शृंखला | राशि (रु.करोड़ में) | आबंटन की तिथि | परिपक्वता तिथि | कूपन दर (प्र.व.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INE692A08029 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XX | 1,000 | 15-सितंबर-16 | स्थाई | 9.50 |
| 2 | INE692A08110 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXVII | 500 | 15-दिसंबर-20 | स्थाई | 8.73 |
| 3 | INE692A08128 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXVIII | 1,000 | 11-जनवरी-21 | स्थाई | 8.64 |
| 4 | INE692A08136 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXIX | 205 | 29-जनवरी-21 | स्थाई | 8.73 |
| 5 | INE692A08169 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXII | 2,000 | 22-नवंबर-21 | स्थाई | 8.70 |
| 6 | INE692A08177 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXIII | 1,500 | 20-दिसंबर-21 | स्थाई | 8.40 |
| 7 | INE692A08185 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXIV | 1,500 | 02-मार्च-22 | स्थाई | 8.50 |
| 8 | INE692A08193 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXV | 1,320 | 25-जुलाई-22 | स्थाई | 8.69 |
| 9 | INE692A08227 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXVII | 663 | 23-दिसंबर-22 | स्थाई | 8.40 |
| 10 | INE692A08045 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXII | 750 | 24-नवंबर-16 | 24-नवंबर-26 | 7.74 |
| 11 | INE112A08051 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ II | 1,000 | 8-नवंबर-19 | 8-नवंबर-29 | 8.93 |
| 12 | INE692A08094 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXV | 1,000 | 16-सितंबर-20 | 16-सितंबर-30 | 7.42 |
| 13 | INE692A08102 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXVI | 1,000 | 26-नवंबर-20 | 26-नवंबर-35 | 7.18 |
| 14 | INE692A08144 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXX | 850 | 24-जून-21 | 24-जून-31 | 7.19 |
| 15 | INE692A08151 | बासेल III अनुपालन टियर II | Bond Series XXXI | 1,150 | 9-जुलाई-21 | 9-जुलाई-36 | 7.25 |
| 16 | INE692A08219 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXVI-A | 1,500 | 29-नवंबर-22 | 29-नवंबर-37 | 7.85 |
| 17 | INE692A08201 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXVI-B | 700 | 29-नवंबर-22 | 29-नवंबर-32 | 7.80 |
| | **कुल** | | | **17,638.00** | | | |

**9.3 लाभांश:**

निदेशक मंडल ने लागू करों (यदि कोई हो) की कटौती के उपरांत, वित्तीय वर्ष 2025-25 के लिए अंकित मूल्य ₹ 10/- के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 4.75 के लाभांश की संस्तुति की है.

**वार्षिक महासभा बैठक के विवरण:**

| | |
|---|---|
| लेखों पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक | गुरुवार, 08 मई, 2025 |
| वार्षिक महासभा बैठक की तिथि, समय और स्थान | शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2025 सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) में |
| बही बंदी की तिथियां | शनिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2025 से शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2025 (दोनों दिन सहित) |
| ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि | मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 2025(पूर्वाहन 09:00 बजे भारतीय मानक समय) से गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 2025(अपराहन 5:00 बजे भारतीय मानक समय) |

**9.4 वित्तीय कैलेंडर:**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

| वित्तीय परिणाम | घोषणा की संभावित तिथि |
|---|---|
| 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 अगस्त, 2025 तक |
| 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 नवम्बर, 2025 तक |
| 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 फरवरी, 2026 तक |
| 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 15 मई, 2026 तक |

**9.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :**

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है. सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2018 के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों के भौतिक अंतरण की अनुमति नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि डीमैट खाता खोलकर अपनी भौतिक शेयर धारिता को परिवर्तित करा लें.

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाज़ारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिक रूप में (डीमटीरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

i. ड्यूप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना
ii. अदावाकृत उचंत खाते से दावा
iii. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान
iv. पृष्ठांकन
v. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
vi. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
vii. संचारण
viii. स्थानांतरण

शेयरधारक / दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर - 4 (संचारण हेतु आईएसआर - 5) जमा करेगा और आरटीए / सूचीबद्ध संस्था, सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के बाद, यदि कोई आपत्तियां हों तो उनको दूर कर, ऐसे अनुरोधों के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक / दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टिकरण पत्र" जारी करेगी.

पुष्टिकरण पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके तहत शेयरधारक / दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को अभौतिक करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी से अनुरोध करेगा.

आरटीए पुष्टिकरण पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिभूति धारक / दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने की जानकारी देते हुए एक अनुस्मारक जारी करेगा.

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाण पत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के पश्चात, प्रमाण पत्र के ऊपर/पीछे "पुष्टिकरण पत्र जारी" पर मुहर लगाएगा.

डिपॉजिटरी प्रतिभागी पुष्टिकरण पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध तैयार करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/आरटीए को अग्रेषित करेगा.

यदि पुष्टिकरण पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के उचंत निलंब डीमैट खाते में जमा किया जाएगा.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को अपने

रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है. निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए को नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं.

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

| **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)** | **डिबेंचर ट्रस्टी** | **कंपनी सचिव** |
|---|---|---|
| केफिन टेक्नालजी लिमिटेड<br>यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं 31-32,<br>गच्चीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,<br>नानक्रमगुडा, हैदराबाद - 500032<br>फोन नं: 040- 67162222<br>फैक्स नं.: 040 – 23001153<br>ई-मेल: einward.ris@kfintech.com | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड<br>एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,<br>17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,<br>मुंबई – 400 001.<br>फोन – (022) 40807001<br>फ़ैक्स – (022) 66311776<br>ई-मेल:<br>itsl@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com | निवेशक सेवाएं प्रभाग<br>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,<br>12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,<br>239, विधान भवन मार्ग,<br>नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.<br>फोन -(022) 2289 6636<br>फैक्स -(022) 22025238<br>ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.bank |

**9.6 अन्य सूचनाएं:**

शेयरधारकों के प्रश्नों का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक सक्रिय रूप से शेयरधारकों को एक अर्द्ध-वार्षिक पत्र प्रेषित करता है ताकि निवेशकों के साथ अच्छे संबंध को बढ़ावा दिया जा सके.

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डीपी में पंजीकृत है.

**9.7 शेयरों का अमूर्तिकरण:**

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) कोड, आईएनई692A01016 है.

अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकृत कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकेगा. इससे लाभांश भुगतान भी तेज़ तथा सुगमतापूर्वक हो सकेगा.

**दिनांक 31.03.2025 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:**

| श्रेणी | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|---|
| भौतिक | 78,910 | 1,47,70,798 | 0.19 |
| **डीमैट** | | | |
| एनएसडीएल | 3,40,851 | 1,66,50,99,635 | 21.81 |
| सीडीएसएल | 6,46,684 | 5,95,37,35,174 | 78.00 |
| **कुल** | **10,66,445** | **7,63,36,05,607** | **100.00** |

नोट: बैंक के प्रमोटर की पूरी शेयरधारिता अमूर्तिकृत रूप में उपलब्ध है.

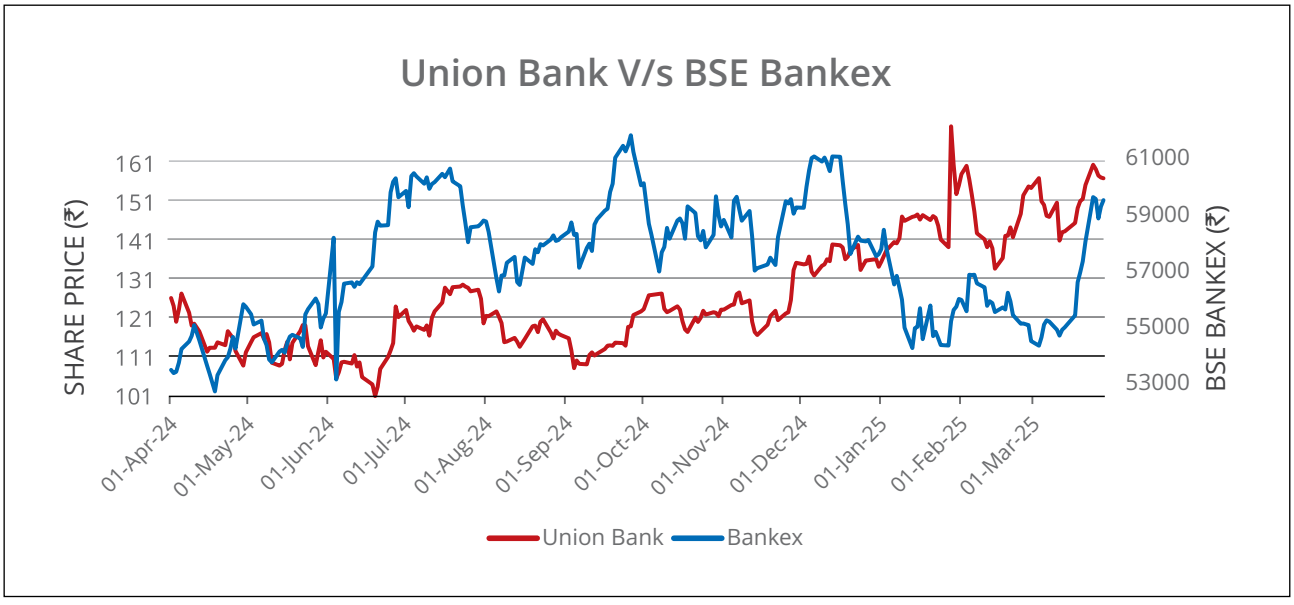
इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया है. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है.

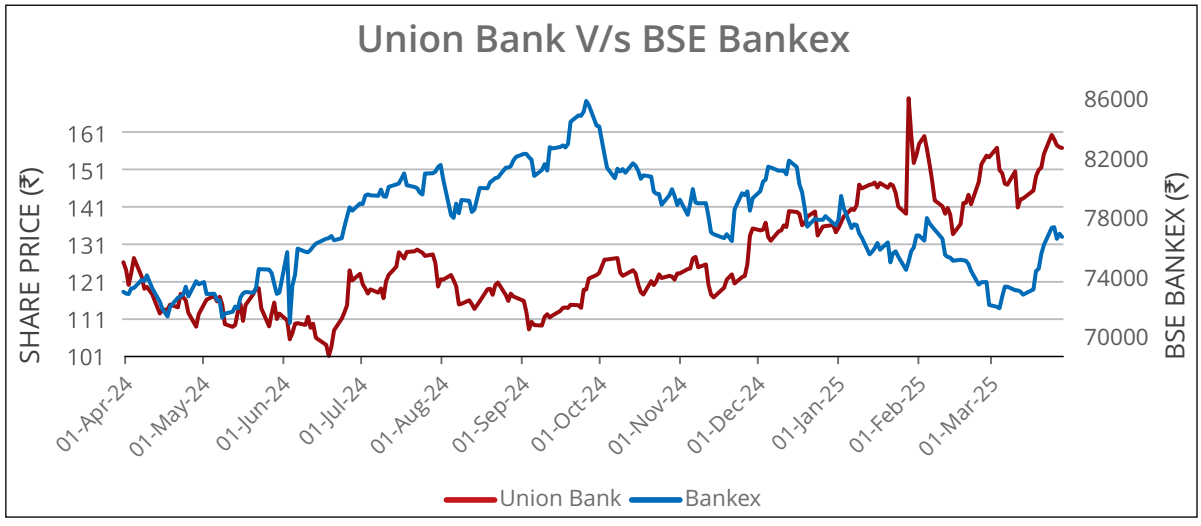
बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के अमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है. परिणामस्वरूप, वर्ष 2024-25 के दौरान 1710 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 385,317 शेयरों का अमूर्तिकृत किया है.

**9.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा :**

| माह | बीएसई | | | एनएसई | | | बीएसई सेंसेक्स | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च (₹) | निम्न (₹) | मात्रा (संख्या, लाख में) | उच्च (₹) | निम्न (₹) | मात्रा (संख्या, लाख में) | उच्च | निम्न |
| अप्रैल-2024 | 163.15 | 138.05 | 186.89 | 163.20 | 138.10 | 3,149.65 | 75124.28 | 71816.46 |
| मई-2024 | 161.65 | 130.4 | 263.63 | 161.80 | 130.35 | 4,523.30 | 76009.68 | 71866.01 |
| जून-2024 | 172.45 | 129.6 | 280.21 | 172.50 | 129.55 | 3,700.55 | 79671.58 | 70234.43 |
| जुलाई-2024 | 142.7 | 129.3 | 196.17 | 142.74 | 129.10 | 2,697.80 | 81908.43 | 78971.79 |
| अगस्त-2024 | 136.15 | 116.35 | 183.47 | 136.09 | 116.30 | 2,329.07 | 82637.03 | 78295.86 |
| सितंबर-2024 | 128.6 | 117.15 | 110.11 | 129.00 | 117.11 | 2,380.30 | 85978.25 | 80895.05 |
| अक्तूबर-2024 | 123.7 | 106.55 | 118.39 | 123.64 | 106.68 | 2,082.45 | 84648.4 | 79137.98 |
| नवंबर-2024 | 126.25 | 112.1 | 108.62 | 126.20 | 112.00 | 1,698.83 | 80569.73 | 76802.73 |
| दिसंबर-2024 | 130.9 | 115.85 | 95.94 | 130.90 | 115.85 | 2,453.62 | 82317.74 | 77560.79 |
| जनवरी-2025 | 126.85 | 100.75 | 136.45 | 126.85 | 100.81 | 3,521.28 | 80072.99 | 75267.59 |
| फरवरी-2025 | 121.85 | 106.6 | 72.76 | 121.87 | 106.63 | 2,338.93 | 78735.41 | 73141.27 |
| मार्च-2025 | 128.65 | 107.6 | 61.25 | 128.59 | 107.60 | 2,208.89 | 78741.69 | 72633.54 |
| **31.03.25 को समाप्ति कीमत** | | | **126.20** | | | **126.18** | | |
| **बाज़ार पूंजीकरण** | | | **₹ 96,336 करोड़** | | | **₹ 96,320 96,336 करोड़** | | |

* स्रोत-बीएसई वेबसाइट (www.bseindia.com)






**9.9 शेयरधारिता का वितरण:**

| शेयरधारिता | यथा 31.03.2025 | | | | यथा 31.03.2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % |
| 500 तक | 907656 | 87.1962 | 938530740 | 1.2295 | 816175 | 87.22 | 84034404 | 1.10 |
| 501से1000 | 64032 | 6.1514 | 488358680 | 0.6397 | 56164 | 6.00 | 43117613 | 0.56 |
| 1001 से 2000 | 31785 | 3.0535 | 472253670 | 0.6187 | 27676 | 2.96 | 41599588 | 0.54 |
| 2001 से 3000 | 14502 | 1.3932 | 365167570 | 0.4784 | 13949 | 1.49 | 35238325 | 0.46 |
| 3001 से 4000 | 7188 | 0.6905 | 252336940 | 0.3306 | 6683 | 0.71 | 23420115 | 0.31 |
| 4001 से 5000 | 4321 | 0.4151 | 201615150 | 0.2641 | 4295 | 0.46 | 20190369 | 0.26 |
| 5001 से 10000 | 6702 | 0.6438 | 477526120 | 0.6256 | 6145 | 0.66 | 44170650 | 0.58 |
| 10001 एवं इससे अधिक | 4749 | 0.4562 | 73140267200 | 95.8135 | 4713 | 0.50 | 7341834543 | 96.18 |
| **कुल** | **1040935** | **100.00** | **76336056070** | **100.00** | **935800** | **100.00** | **76336056070** | **100.00** |

बैंक के प्रति इक्विटि शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10/- है.

**9.10 शेयरधारिता का पैटर्न:**

दिनांक 31.3.2025 को दिनांक 31.03.2024 के सापेक्ष बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:

| शेयरधारक की श्रेणी | यथा 31.03.2025 | | यथा 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | धारित शेयरों की संख्या | कुल का % | धारित शेयरों की संख्या | कुल धारिता का % |
| प्रोमोटर | | | | |
| भारत सरकार | 5,70,66,60,850 | 74.76 | 5,70,66,60,850 | 74.76 |
| **सार्वजनिक** | | | | |
| **संस्थागत निवेशक** | | | | |
| म्युच्युअल फंड & यूटीआई | 28,43,86,885 | 3.73 | 28,50,70,855 | 3.73 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/ राज्य सरकार संस्थान) | 60,44,26,977 | 7.91 | 64,98,33,025 | 8.51 |
| एफ़आईआई & विदेशी म्यूचुअल फंड | 54,26,92,426 | 7.11 | 51,58,27,515 | 6.76 |
| **अन्य** | | | | |
| निजी कॉर्पोरेट निकाय | 2,18,81,598 | 0.29 | 2,81,77,462 | 0.37 |
| भारतीय जनता | 44,50,82,581 | 5.83 | 42,40,96,910 | 5.56 |
| एनआरआई/ओसीबी/अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक | 2,84,74,290 | 0.37 | 2,39,38,990 | 0.31 |
| **कुल** | **7,63,36,05,607** | **100.00** | **6,83,47,47,466** | **100.00** |

**9.11 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची:**

दिनांक 31.03.2025 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

| क्र. | नाम | शेयर | पूंजी का% |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 5706660850 | 74.76 |
| 2 | भारतीय जीवन बीमा निगम | 484800558 | 6.35 |
| 3 | एचडीएफसी म्यूचुअल फंड | 102046313 | 1.34 |
| 4 | निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड- | 61555610 | 0.81 |
| 5 | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड | 52636032 | 0.69 |
| 6 | एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 29671856 | 0.39 |
| 7 | गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल | 21959508 | 0.29 |
| 8 | वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फ़ंड | 21624946 | 0.28 |
| 9 | वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फ़ंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एक श्रृंखला | 19665318 | 0.26 |
| 10 | पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स – पाइनब्रिज इंडिया इक्विटि | 19219697 | 0.25 |

**9.12 अदावाकृत/अदत्त लाभांश:**

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह राशि निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जायेगी. वर्तमान विभिन्न लाभांश खातों हेतु अंतरण की प्रस्तावित तिथि निम्नानुसार दी गई है:

| क्र. सं | संबंधित लाभांश खाते | अदत्त लाभांश बैंक खाता सं. | वित्तीय वर्ष | लाभांश का दर | आईईपीएफ़ को अंतरण की प्रस्तावित तारीख | यथा 31.03.2025 को शेष (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | यूबीआई | 066221090000005 | 2021-22 | ₹ 1.90 प्रति शेयर | 11-08-29 | 3,44,28,653.00 |
| 2. | यूबीआई | 317901090049834 | 2022-23 | ₹ 3.00 प्रति शेयर | 15-09-30 | 5,08,13,482.00 |
| 3. | यूबीआई | 066221090000026 | 2023-24 | ₹ 3.60 प्रति शेयर | 01-09-31 | 7,97,68,086.00 |
| | **कुल** | | | | | **16,50,10,221.00** |

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बॉन्ड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in).

**9.13 अदावाकृत शेयर:**

**ए) भौतिक रूप में:**

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान के तरीके के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2024 को शेष | 4 | 600 |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | शून्य | शून्य |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | शून्य | शून्य |
| 31.03.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 4 | 600 |

**बी) डीमैट रूप में:**

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के प्रबन्धन के तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफ़पीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

| विवरण (यूबीआई-एफ़पीओ) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2024 को शेष | 216 | 26414 |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 3 | 605 |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 3 | 605 |
| 31.03.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 213 | 25809 |

| विवरण (पूर्व-आंध्रा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2023 को शेष | 168 | 13089 |
| वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 0 | 0 |
| 31.03.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 168 | 13089 |

| विवरण (यूबीआई – पुष्टिकरण पत्र) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2024 को शेष | 29 | 15,064 |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 18 | 3,244 |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 34 | 5,326 |
| 31.03.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 45 | 17146 |

ऊपर बताए गए सभी शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

**10. सूचीबद्धता विनियमन की विवेकाधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति**

| क्र. सं | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | बोर्ड<br>एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए पात्र होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है. | अनुपालन किया गया. |
| 2. | शेयरधारकों के अधिकार<br>विगत छ: माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए. | बैंक के आरटीए/ बैंक में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने वाले सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से अर्धवार्षिक सूचना भेजी जाती है. |
| 3. | लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत<br>सूचीबद्ध कंपनी बिना कमियों के लेखापरीक्षा अभिमत के वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए. | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई संशोधित मत नहीं रहा है. |
| 4. | आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग<br>आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. | बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे मुख्य महाप्रबंधक, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करते हैं. तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है. |

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

## सीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(8) के प्रावधान के अनुसार)

प्रति ,

निदेशक मंडल,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

ए. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

1) इन विवरणों में कोई भी विवरण तथ्यात्मक रूप से असत्य नहीं है या कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

2) ये विवरण सूचीबद्ध संस्था के कार्यों की वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैर-कानूनी या सूचीबद्ध संस्था की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों को तैयार करने या उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, यदि कोई हो, और उन कमियों को दूर करने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों के संबंध में लेखा-परीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है.

डी. हमने लेखा-परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित किया है

1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन,

2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन जिनका वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है: और

3) हमें ज्ञात हुए धोखाधड़ी के प्रमुख मामले और उनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो.

(अविनाश प्रभु)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08.05.2025

## आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकतों का अनुपालन

प्रति

सदस्यगण
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

1. यह प्रमाणपत्र हमारे नियुक्ति पत्र दिनांक 27 सितंबर, 2023 की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है.

   इस प्रमाणपत्र में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन") यथा संशोधित, के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी, ई में निर्धारित है.

**प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

3. बैंक का निदेशक मंडल और प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करता है, जिसमें सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार करना शामिल है. इस जिम्मेदारी में सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं को तैयार करना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है.

**लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व**

4. हमारी जांच उपर्युक्त सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है.

5. सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें कि बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है या नहीं.

6. हमने अपनी जांच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए जारी रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट [संशोधित 2016] ('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार की है. मार्गदर्शन नोट में यह आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें.

7. हमने ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी)1 के प्रासंगिक तथा लागू अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

**अभिमत**

8. उपरोक्त के अनुसार हमारी जांच और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर, सूचीबद्धता विनियमों की विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है:

   i. बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मकारों और गैर-कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और न ही कोई ऐसा निदेशक था, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो.

9. हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**उपयोग पर प्रतिबंध**

10. यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित किया गया है और केवल इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम हो सके, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व या किसी कर्तव्य के निर्वहन को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं जिसे यह प्रमाणपत्र प्रदर्शित किया गया है या जिसके पास यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकता है.

कृते जी एस माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 08744N

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन:25091007BMMLYY5655

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन:25136169BMJFAQ2991

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं. 28508
यूडीआईएन:2502850BMKZWN7905

सीए सुनीता पाण्डेय
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन:25076989BMLJYS8160

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2025

# यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए के अंतर्गत]

हमने निम्नलिखित की जाँच की है :

ए) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("सूचीबद्ध संस्था") द्वारा सभी दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराये गए एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है,

बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज में की गई फाइलिंग/प्रस्तुतियां,

सी) सूचीबद्ध संस्था की वैबसाइट,

डी) अन्य कोई दस्तावेज़/ फ़ाइल, जो भी संबंधित है, जिनके आधार पर इस प्रमाण पत्र को तैयार किया गया है.

31 मार्च, 2025 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन के संबंध में निम्न के प्रावधानों के साथ:

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") एवं विनियमन, इसके अंतर्गत जारी परिपत्र, दिशानिर्देश; एवं

बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों की जाँच की गई है, में शामिल हैं:-

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का भौतिक अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018; **(समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था के लिए लागू नहीं)**

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटि) विनियम, 2021 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार; **(समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था के लिए लागू नहीं)**

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018; (जहां तक लागू हो) और उसके अंतर्गत जारी परिपत्र / दिशानिर्देश

(ए) सूचीबद्ध संस्था ने नीचे निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है:-

| क्र. सं. | अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियमन/ परिपत्र / दिशानिर्देश) | विनियमन/ परिपत्र क्र. | विचलन | किसके द्वारा कार्रवाई की गई | कार्रवाई का प्रकार | उल्लंघन का ब्यौरा | अर्थदंड की राशि | पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस) द्वारा किए गये अवलोकन/ टिप्पणी | प्रबंधन की प्रतिक्रिया | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:<br>(ई) एक निदेशक, तत्संबंधी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अंतर्गत कामगार हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा.<br>(एफ़) एक निदेशक, तत्संबंधी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अंतर्गत कामगार नहीं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा.<br>(जी) एक निदेशक, जो पंद्रह वर्षों से कम अवधि तक सनदी लेखाकार रहा हो, उसे भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा.<br>(एच) खंड (i) के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा छः से अधिक निदेशक नामित नहीं किए जाएंगे. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई), (एफ़) और (जी) | बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मकार और गैर-कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहे हो. | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कामगार और गैर-कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) और (एच) के अधीन खंड (i) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, केन्द्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक छह निदेशक नामित किए जाएंगे. | हमारा बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है. निदेशक मंडल की संरचना उक्त अधिनियम की धारा 9(3) के उपबंधों द्वारा शासित होती है.<br>उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक के बोर्ड में 16 निदेशक होते हैं, जिनमें से 2 शेयरधारक निदेशकों को, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा आपस में चुना जाता है.<br>इन 2 शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, सभी शेष अर्थात 14 निदेशक (पूर्णकालिक और गैर-कार्यकारी) या तो भारत सरकार और आरबीआई द्वारा बोर्ड में नियुक्त या नामित किए जाते हैं. ये नियुक्तियां बोर्ड और अन्य शेयरधारकों की शक्तियों से परे हैं. | |

(बी) विगत रिपोर्टों में पाई गई टिप्पणियों के अनुपालन में सूचीबद्ध संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:

| क्र. सं. | पिछली रिपोर्टों में पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस) की अवलोकन/ टिप्पणियां | समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां | अनुपालन आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियम/परिपत्र/ दिशानिर्देश) | सूचीबद्ध संस्था पर उल्लंघन / विचलन और की गई कार्रवाई/ लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हो, का विवरण | सूचीबद्ध कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, | सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाइयों पर पीसीएस की टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कामगार और गैर-कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) और (एच) के अधीन खंड (i) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम छ: निदेशक नामित किए जाएंगे. | मार्च 31, 2024 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:<br>(ई) तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अधीन कर्मकार हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे;<br>(एफ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अधीन कामगार न होने वाले तदनुरूपी नए बैंक के कर्मचारियों में से एक निदेशक, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श के पश्चात् नामित किया जाएगा;<br>(जी) एक निदेशक जो कम से कम पंद्रह वर्षों तक सनदी लेखाकार रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा.<br>(एच) खंड (i) के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा छह से अधिक निदेशक नामित नहीं किए जाएंगे | बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मकार और गैर-कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) और (एच) के अधीन खंड (i) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, केन्द्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक छह निदेशक नामित किए जाएंगे. | सेबी एलओडीआर के अनुसार गैर-कार्यपालक अध्यक्ष (स्वतंत्र) के शामिल होने के साथ, बैंक के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. | इसलिए अनुपालन किया गया. |
| 2. | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक, आरबीआई द्वारा 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' पर जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया. | मार्च 31, 2024 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47A (1) (सी) के अनुसार, यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है या यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की किसी भी अपेक्षा का अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा. | 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करना | बैंक ने ऐसी और घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं. | बैंक के संज्ञान में है और आवश्यक कदम उठाए गए हैं. |

I. हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं, कि समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था की अनुपालन स्थिति निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | विवरण | अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन |
|---|---|---|---|
| 1. | **सचिवीय मानक:**<br>बैंक का अनुपालन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 118(10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार है एवं यह अनिवार्य रूप से लागू है. | हाँ | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक संबंधित बैंक है कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक |
| 2. | **नीतियों को अपनाना एवं यथासमय अद्यतन करना:**<br>• सेबी विनियमों के तहत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनाया जाता है.<br>• सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं एवं सेबी द्वारा जारी विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है तथा इन्हें यथासमय अद्यतित किया गया है. | हाँ | कोई नहीं |
| 3. | **वेबसाइट का रखरखाव एवं प्रकटीकरण:**<br>• सूचीबद्ध संस्था एक कार्यात्मक वेबसाइट का रखरखाव कर रही है.<br>• वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के तहत दस्तावेजों/ सूचना का यथासमय प्रसार.<br>• विनियम 27(2) के तहत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक एवं विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के प्रासंगिक दस्तावेज (जों)/अनुभाग को पुनः निर्देशित करते हैं. | हाँ | कोई नहीं |
| 4. | **निदेशक की निरर्हता:**<br>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत बैंक का कोई भी निदेशक निरर्हित नहीं है. | हाँ | कोई नहीं |
| 5. | **संस्थाओं की सहायक कंपनियों की जो जाँच की गई है, उसके विवरणों को जांचना:**<br>(ए) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों की पहचान<br>(बी) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के साथ-साथ अन्य सहायक कंपनियों की अपेक्षाओं का प्रकटीकरण. | हाँ | कोई नहीं |
| 6. | **दस्तावेजों का संरक्षण:**<br>सूचीबद्ध संस्था सेबी विनिमयों के तहत निर्धारित अभिलेखों को संरक्षित कर रही है एवं उसका रखरखाव कर रही है एवं सेबी एलओडीआर विनिमय, 2015 के तहत निर्धारिक दस्तावेजों के संरक्षण की नीति और अभिलेखीय नीति के अनुसार अभिलेखों का निपटान कर रही है. | हाँ | कोई नहीं |

| क्र.सं. | विवरण | अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन |
|---|---|---|---|
| 7. | **कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:**<br>सूचीबद्ध संस्था ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में/ सेबी विनियमों में निर्धारित वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन किया है. | हाँ | कोई नहीं |
| 8. | **संबंधित पार्टी लेनदेन:**<br>(ए) सूचीबद्ध संस्था ने सभी संबंधित पार्टी लेनदेन हेतु लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की है.<br>(बी) सूचीबद्ध संस्था ने पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान किए हैं कि, यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो क्या लेनदेन लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित/ अनुसमर्थित/ अस्वीकृत कर दिया गया है. | हाँ<br>लागू नहीं | कोई नहीं |
| 9. | **घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण:**<br>सूचीबद्ध संस्था ने सेबी एलओडीआर विनिमय, 2015 की अनुसूची III सहित विनियम 30 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किए गए हैं. | हाँ | कोई नहीं |
| 10. | **आंतरिक व्यक्ति द्वारा व्यापार निषेध: (*)**<br>सूचीबद्ध संस्था विनियम 3(5) एवं 3(6) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में है. | हाँ | कोई नहीं |
| 11. | **सेबी या स्टॉक एक्स्चेंज द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो:**<br>सेबी विनियमों और इसपर जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के तहत सेबी या स्टॉक एक्स्चेंजों द्वारा (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं के तहत को शामिल करते हुए) सूचीबद्ध संस्था/ इसके प्रमोटरों/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है. | हाँ | कोई नहीं |
| 12. | **सूचीबद्ध इकाई या इसकी सामग्री सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखा परीक्षकों का इस्तीफा:**<br>वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था या इसकी किसी भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी से सांविधिक लेखा परीक्षक के इस्तीफे के मामले में, सूचीबद्ध इकाई और/या इसकी महत्वपूर्ण सहायक (कों) ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के मास्टर परिपत्र के अध्याय V की धारा V-D के पैराग्राफ 6.1 और 6.2 का अनुपालन किया है. | नहीं | कोई नहीं |
| 13. | **अतिरिक्त गैर-अनुपालन, यदि कोई हो:**<br>सभी सेबी विनियमन/ परिपत्र/ मार्गदर्शन नोट आदि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है. | नहीं | कोई नहीं |

(*) हम पुष्टि करते हैं कि:

1. कंपनी के पास एक संरचित डिजिटल डेटाबेस है;
2. एसडीडी को कौन एक्सेस कर सकता है, इसके लिए नियंत्रण मौजूद है;
3. पिछली तिमाही में प्रसारित सभी यूपीएसआई को डेटाबेस में शामिल किया गया है;
4. प्रणाली ने दिनांक और समय के साथ यूपीएसआई की प्रकृति को कैप्चर किया है;
5. डेटाबेस का रखरखाव आंतरिक रूप से किया जाता है और एक ऑडिट ट्रेल बनाए रखा गया है;
6. डेटाबेस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इसमें 8 वर्षों तक का रिकॉर्ड बनाए रखने की क्षमता है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि सूचीबद्ध इकाई एल.ओ.डी.आर विनियमों के विनियमन 46 (2) (जेडए) के संदर्भ में कर्मचारी लाभ योजना दस्तावेजों की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में है.

**कार्यक्षेत्र और समीक्षा की धारणा और सीमा:**

1. लागू कानूनों का अनुपालन और प्रस्तुत दस्तावेजों और सूचनाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन की जिम्मेदारी है.
2. हमारी जिम्मेदारी प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं की हमारी परीक्षा के आधार पर रिपोर्ट करना है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है.
3. हमने सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय रिकॉर्ड और खाते बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है.
4. यह रिपोर्ट पूरी तरह से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24 ए (2) के संदर्भ में अनुपालन के उद्देश्य से है और यह न तो सूचीबद्ध इकाई की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके साथ प्रबंधन ने सूचीबद्ध इकाई के मामलों का संचालन किया है.

**कृते रागिनी चोकसी एवं कंपनी,**
(कंपनी सचिव)

**रागिनी चोकसी**
एफसीएस सं.: 2390
सीपी सं.: 1436
यूडीआईएन: F002390G000466073
समकक्ष समीक्षा सं. 4166/2023
फर्म पंजीकरण सं. 92897

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28.05.2025

# फॉर्म नं. एमआर-3

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**01-04-2024 से 31-03-2025 तक की अवधि के लिए**

सेवा में,

सदस्य,
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
यूनियन बैंक भवन, 239,
विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400 021

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (जिसे आगे से "बैंक" कहा गया है) द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा-परीक्षण किया है. सचिवीय लेखा-परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि हमें कॉरपोरेट संहिता/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो.

सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा रखी गई बैंक की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत की बहियों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के लेखा-परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो यहाँ और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के लेखा-परीक्षण की अवधि के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत की बहियों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का निम्न प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया है:

i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

ii. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970;

iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);

iv. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998;

v. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियमन और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

vi. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी हेतु उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियमन;

vii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन एवं दिशा-निर्देश:-

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन 2011;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार पर प्रतिषेध) विनियम, 2015;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे एवं श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमन, 2021;

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियमन, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि) विनियमन, 2009;

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियमन, 1993

जे) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियमन, 2018;

हमने बैंक पर लागू अन्य अधिनियमों, क़ानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु बैंक द्वारा बनाई गई प्रणालियों एवं तंत्र के संबंध में बैंक तथा उसके अधिकारियों द्वारा की गई प्रस्तुति पर विश्वास किया है.

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक. **(लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित नहीं है)**

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ["सूचीबद्धता विनियमन"]

निम्नलिखित को छोड़कर, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यतः अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- *वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मकारों और गैर-कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और न ही कोई ऐसा निदेशक था, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) और (एच) के तहत पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, जो खंड (i) के उपबंधों के अधीन है, जिसके अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम छह निदेशक नामित किए जाएंगे.*
- *वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक की लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कम से कम 2/3 निदेशक शामिल नहीं थे.*

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि**

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम, नियम एवं विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए.

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई है, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को प्राप्त किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं या कार्य हुए, जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है:

1. 27 जून, 2024 से श्री जयदेव मदुगुला के गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक, शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
2. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों पर रु. 3.60/- के अंतिम लाभांश की घोषणा.
3. श्री प्रकाश चन्द्र कंदपाल का गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक, शेयरधारक निदेशक के रूप में 27 जुलाई, 2024 से निर्वाचन.
4. 20 दिसंबर, 2024 से श्री सूरज श्रीवास्तव के गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र निदेशक, शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
5. 20 मार्च, 2025 से श्री लक्ष्मण एस उप्पर के गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र निदेशक, शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.

कृते **रागिनी चोकसी एंड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

**रागिनी चोकसी**
(भागीदार)
एम.सं.: F2390
सीओपी सं.: 1436
यूडीआईएन: एफ002390जी000661510
पीआर सं.: 4166/2023

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

**इस रिपोर्ट को हमारे उक्त तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है.**

**अनुलग्नक "ए"**

सेवा में,

सदस्य,
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
यूनियन बैंक भवन, 239,
विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400 021

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी उक्त तिथि की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है.

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की उपयुक्त पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है. यह सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय प्रकट करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं.

3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, वहां हमने क़ानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन एवं घटी हुई घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्राप्त किबे हैं.

5. कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू क़ानूनों, नियमों एवं विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है. हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन करने तक सीमित थी.

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

कृते **रागिनी चोकसी एंड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

**रागिनी चोकसी**
(भागीदार)
एम.सं.: F2390
सीओपी सं.: 1436
यूडीआईएन: एफ002390जी000661510
पीआर सं.: 4166/2023

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

## निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
यूनियन बैंक भवन, 239,
विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमन 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसार हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित), जिसका केन्द्रीय कार्यालय यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था.

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और पोर्टल (www.mca.gov.in) पर आवश्यक सत्यापन [निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित] तथा बैंक और इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | डीआईएन | बैंक में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीनिवासन वरदराजन | 00033882 | 07-11-2022 |
| 2. | ए. मणिमेखलै | 08411575 | 03-06-2022 |
| 3. | नितेश रंजन | 08101030 | 10-03-2021 |
| 4. | रामसुब्रमणियन एस. | 08747165 | 21-11-2022 |
| 5. | संजय रुद्र | 09650826 | 09-10-2023 |
| 6. | पंकज द्विवेदी | - | 27-03-2024 |
| 7. | समीर शुक्ला | 06435463 | 08-11-2021 |
| 8. | प्रकाश बलियारसिंह | 10864760 | 14-07-2023 |
| 9. | लक्ष्मण एस उप्पर | 02453845 | 21-03-2022 |
| 10. | प्रकाश चंद्र कंदपाल | 06452437 | 27-07-2024 |
| 11. | प्रीति जय राव | 03352049 | 29-07-2021 |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें.

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

कृते **रागिनी चोकसी एंड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

**रागिनी चोकसी**
(भागीदार)
एम.सं.: 2390
सीओपी सं.: 1436
यूडीआईएन: एफ002390जी000661532
पीआर सं.: 4166/2023

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.06.2025

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

**प्रति**

**भारत के राष्ट्रपति /**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य**

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

## अभिमत

1. हमने संलग्न **यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक")** के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सार सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष की विवरणियाँ शामिल हैं

   i) हमने प्रधान कार्यालय, 20 शाखाओं और एक ट्रेज़री शाखा की लेखापरीक्षा की है;

   ii) 2023 घरेलू शाखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों ने की है और

   iii) 2 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षकों ने की है.

   हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षकों के लिए शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है. तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाते तथा रोकड़ प्रवाह विवरण में 7108 घरेलू शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों सहित) से प्राप्त विवरणियां भी शामिल हैं, जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है. इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 30.70%, जमा का 51.41%, राजस्व का 22.26%, ब्याज आय का 23.17% और ब्याज खर्च का 45.85% हिस्सा है.

   हमारे अभिमत में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं, जैसा कि बैंक के लिए अपेक्षित है एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं और:

   ए. तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2025 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;

   बी. लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा

   सी. नकद प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है.

## अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को इन आवश्कताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

## मुख्य लेखापरीक्षा मामले

3. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वो मामले हैं जो, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहे हैं. ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर अपना अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते हैं. हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं.

| क्र. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 1 | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण** | |
| | 31 मार्च, 2025 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 87.20% थे, जो आस्तियों का बड़ा एक वर्ग है. उक्त पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं. बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) की सेवाओं के उपयोग पर अधिक निर्भर करता है.<br><br>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है. चूंकि गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान हेतु प्रबंधन आकलन के विचारणीय स्तर, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं के आवेदन और समग्र लेखापरीक्षा के लिए महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिह्नित किया है. | हमारा लेखापरीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था.<br><br>हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं.<br><br>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:<br>• आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली;<br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण;<br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br>• अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीददारी, बिक्री तथा निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण रखा है.<br>• हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-निष्पादित के रूप में आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा प्रावधान किया है.<br>• हमने परीक्षण जांच के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.<br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखापरीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है.<br>• हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की भी समीक्षा की है.<br>• इसके अतिरिक्त, हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. |

| क्र. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| | | • परीक्षा जांच के आधार पर, बड़े ऋणों पर भारिबैं के सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ('सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों ('एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया.<br>• हमने बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.<br>• अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन.<br>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है. |
| 2 | **वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण** | |
| | वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ़्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं. प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं. बैंक के पास सूचना और प्रौद्योगिकी (डीआईटी) का एक आंतरिक विभाग है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है. तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है. | के रूप में पहचान की है. सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली जिनका उपयोग लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए किया जाता है, हमारे लेखापरीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिक्योरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे. विशेषत:<br>• हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं.<br>• हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त की गई. इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए / संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था.<br>• हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैन्युअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूरक नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा. |

| क्र. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| **3** | **आस्थगित करों की पहचान करना एवं मापना** | |
| | बैंक ने 31 मार्च, 2025 को ₹ 2,73,93,829 ('000 में) निवल आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान. | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल था. हमारी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया की दोनों जाँचें की हैं. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:<br>• आय पर "करों के लिए लेखांकन" एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;<br>• एकरूपता, प्रबंधन अभ्यावेदन, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया<br>• लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा. |
| **4** | **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे** | |
| | अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 के नोट सं. 18 और अनुसूची 18 के नोट सं. 14 ई). प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है.<br><br>तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है. प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं मुकदमेबाजी अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे. तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित है. इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है. | हमने लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों. हमने मोटे तौर पर प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव का परिणाम भविष्य के विवरण पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं.<br><br>हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/मुकदमों के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में तब्दील होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है. |

## स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट के अंदर परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटन को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी केवल चिह्नित अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से विरोधाभासी है या लेखापरीक्षा में जानकारी ली गई है, या तात्विक रूप से मेल नहीं होता है.

जब हम अन्य सूचना को पढ़ते हैं और यदि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है और प्रासंगिक कानूनों और विनियमनों के तहत लागू उचित कार्रवाई करेंगे.

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और इसके प्रभारियों के उत्तरदायित्व

5. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं. इस उत्तरदायित्व में बैंकों की आस्तियों के सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन करना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है, प्रकटन, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो.

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होगा.

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारा मत शामिल करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सके.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न धोखाधड़ी को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आतंरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो.
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन.
- लेखांकन की कार्यशील संस्था आधारित प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं

या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नज़र आती है तो स्टैंडअलोन वितीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हैं. हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं.

- प्रकटन सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें एवं क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रस्तुति माना जाए.

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में भी उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेंस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आतंरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी को भी कथन देते हैं कि हमने वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना की है और उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं तथा जहां लागू हो वहां सुरक्षा से संबन्धित उचित उपाय भी प्रदान करते हैं.

चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, गवर्नेंस के प्रभारी को संप्रेषित मामलों में से हम केवल उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हों, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये विशेष हैं. हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोकप्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों.

## अन्य मामले

7. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 02 विदेशी शाखाओं सहित 2025 शाखाओं और कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सुचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण/सूचना यह प्रदर्शित करता है कि 31 मार्च, 2025 को कुल आस्तियां ₹ 26,71,07,53,741.23 (हजार में) है एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 2,98,50,46,471.49 (हजार में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है. दिनांक 31 मार्च, 2025 को ये शाखाएं और कार्यालय 30.10% अग्रिम, 46.54% जमा, 38.69% गैर निष्पादक आस्तियों और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के राजस्व का 24.58% को कवर करती हैं. इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

### हमारी अभिमत में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

8. इस विवरण में शामिल 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का बैंक के पाँच संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से चार पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, और उन्होंने 10 मई, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किए थे.

हमारी अभिमत में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

## अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं;

उपर्युक्त अनुच्छेद 5, 6 एवं 7 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:

ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता" के संबंध में पत्र क्र.डीओएस.एआरजी. क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 में अपेक्षित तथा जिसे उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

(ए) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो.

(बी) वित्तीय लेनदेन या मामले, जिनका बैंक की कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, के संबंध में कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है.

(सी) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने का प्रतिबंध बैंक पर लागू नहीं है.

(डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबन्धित अन्य मामलों में, हमारी कोई विशेष या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

(ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारे रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है.

11. इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे मत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं. उन लेखों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है;

बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के लेखों बहियों और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों से मेल खाते हैं;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबन्धित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है; और

डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन:25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई
दिनांक: 8 मई 2025

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

**(नियत तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधि विषयक और नियामक अपेक्षाओं' पर रिपोर्ट के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ई) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") की अपेक्षाओं के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.**

हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ("मार्गदर्शी नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है. इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित है.

### लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शी नोट ("मार्गदर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसए) को ध्यान में रखकर हमने अपनी लेखापरीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के अनुसार हमें नैतिक अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गये और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं या नहीं.

हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है. चयनित प्रकियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक विसंगतियों के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हो सकते हैं.

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वस्नीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकार्ड्स के रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्तियाँ और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा प्रवृत्ति को समय रहते रोकना और वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का पता लगाना.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाओं, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना, त्रुटियों के कारण तथ्य दोष या धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

### अभिमत

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य मामलों के तहत निम्न अनुच्छेदों में शाखा लेखापरीक्षकों

द्वारा प्रदत्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित थे.

**अन्य मामले**

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह विदेशी शाखाओं सहित 2025 शाखाओं और कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है.

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन:25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई
दिनांक: 8 मई 2025

# स्टैंडअलोन तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2025

(₹ 000' में)

| विवरण | अनुसूची क्रमांक | यथा 31 मार्च, 2025 | यथा 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं** | | | |
| पूंजी | 1 | 7,63,36,056 | 7,63,36,056 |
| आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष | 2 | 1,05,34,16,007 | 89,33,53,596 |
| जमाराशियाँ | 3 | 13,09,74,95,178 | 12,21,52,83,740 |
| उधार | 4 | 27,34,17,880 | 26,94,83,682 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 5 | 49,78,91,960 | 46,51,19,095 |
| **कुल** | | **14,99,85,57,081** | **13,91,95,76,169** |
| **आस्तियां** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष | 6 | 89,50,34,824 | 52,89,75,024 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 7 | 41,83,04,946 | 66,40,53,736 |
| निवेश | 8 | 3,54,38,13,963 | 3,37,90,35,284 |
| अग्रिम | 9 | 9,53,51,33,435 | 8,70,77,60,894 |
| अचल आस्तियां | 10 | 9,78,18,765 | 9,22,27,802 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 50,84,51,148 | 54,75,23,429 |
| | | **14,99,85,57,081** | **13,91,95,76,169** |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | 5,58,27,91,648 | 5,82,68,10,284 |
| संग्रहण के लिए बिल | | 50,91,34,855 | 50,25,28,601 |
| प्रमुख लेखा नीतियाँ | 17 | | |
| लेखा से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(प्रकाश चंद्र कंदपाल)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2025

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

| विवरण | अनुसूची क्रमांक | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| **I. आय** | | | |
| अर्जित ब्याज | 13 | 1,07,72,59,729 | 99,77,79,577 |
| अन्य आय | 14 | 19,81,29,144 | 16,08,01,941 |
| **कुल** | | **1,27,53,88,873** | **1,15,85,81,518** |
| **II. व्यय** | | | |
| व्यय किया गया ब्याज | 15 | 70,51,22,962 | 63,20,75,611 |
| परिचालन व्यय | 16 | 25,93,65,486 | 24,43,99,598 |
| प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | | 13,10,28,963 | 14,56,23,243 |
| **कुल** | | **1,09,55,17,411** | **1,02,20,98,452** |
| **III. वर्ष का लाभ/(हानि)** | | 17,98,71,462 | 13,64,83,066 |
| निवेश आरक्षित खाते से अंतरण | | - | - |
| जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि) | | 58,32,008 | 58,32,008 |
| **कुल** | | **18,57,03,470** | **14,23,15,074** |
| **IV. विनियोजन** | | | |
| सांविधिक आरक्षित में अंतरण | | 4,49,67,865 | 3,41,20,766 |
| पूंजी आरक्षित में अंतरण | | 33,97,295 | 16,32,611 |
| निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित में अंतरित | | - | 2,84,440 |
| राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | 8,84,13,653 | 6,47,57,402 |
| धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित में अंतरण | | 68,33,022 | 66,79,000 |
| निवेश आरक्षित खाता | | - | 15,27,866 |
| प्रस्तावित लाभांश | | 3,62,59,627 | 2,74,80,980 |
| पीएनसीपीएस पर लाभांश हेतु प्रावधान | | - | - |
| लाभांश कर | | - | - |
| लाभ एवं हानि लेखे में शेष | | 58,32,008 | 58,32,008 |
| **कुल** | | **18,57,03,470** | **14,23,15,074** |
| प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य ₹ 10) | | 23.56 | 18.95 |
| प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| लेखा से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(प्रकाश चंद्र कंदपाल)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2025

# स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2025

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | यथा 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1 - पूंजी :** | | |
| **I. प्राधिकृत:** | | |
| ₹10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर) | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| **II. निर्गमित, अभिदत्त, कॉल्ड अप एवं प्रदत्त:** | | |
| i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर) | 5,70,66,609 | 5,70,66,609 |
| ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 112,80,86,616 इक्विटी शेयर) | 1,92,69,447 | 1,92,69,447 |
| घटाएँ: काल्स अप्रदत्त | - | - |
| जोड़ें: जब्त शेयर | - | - |
| **कुल** | **7,63,36,056** | **7,63,36,056** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षित:** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 20,14,92,862 | | 16,73,72,095 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 4,49,67,865 | 24,64,60,727 | 3,41,20,766 | 20,14,92,861 |
| **II. पूंजी आरक्षित:** | | | | |
| i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 5,64,44,174 | | 6,13,24,225 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,06,150 | | 81,343 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 19,97,709 | | 49,61,394 | |
| | **5,46,52,615** | | **5,64,44,174** | |
| ii) पूंजी आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 6,15,02,911 | | 5,98,70,300 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 33,97,295 | | 16,32,611 | |
| | **6,49,00,206** | | **6,15,02,911** | |
| iii) पूंजी आरक्षित - ट्रेजरी | | | | |
| प्रारंभिक शेष | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| | **-** | | **-** | |
| iv) समामेलन समायोजन आरक्षित | **1,30,95,979** | **13,26,48,800** | **1,30,95,979** | **13,10,43,064** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **III. शेयर प्रीमियम :** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 25,51,31,787 | | 18,34,11,800 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 7,20,11,419 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | 25,51,31,787 | 2,91,432 | 25,51,31,787 |
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित:** | | | | |
| i) राजस्व आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 21,18,22,302 | | 14,48,53,976 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 9,37,08,232 | | 6,69,68,326 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,06,150 | | - | |
| **कुल** | **30,53,24,384** | | **21,18,22,302** | |
| ii) राजस्व आरक्षित - ट्रेजरी: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,59,33,407 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| **कुल** | **1,59,33,407** | | **-** | |
| iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 7,29,77,789 | | 6,62,98,789 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 68,33,022 | | 66,79,000 | |
| **कुल** | **7,98,10,811** | | **7,29,77,789** | |
| iv) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि | | | | |
| प्रारंभिक शेष | -21,15,587 | | -24,21,580 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 7,358 | | 6,05,047 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 4,55,303 | | 2,99,054 | |
| **कुल** | **-25,63,532** | | **-21,15,587** | |
| v) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 1,38,14,014 | | 1,35,29,575 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 2,84,440 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **1,38,14,014** | | **1,38,14,015** | |
| vi) निवेश आरक्षित खाता | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 32,96,872 | | 17,69,006 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 15,27,866 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 32,96,872 | | - | |
| | **-** | | **32,96,872** | |
| **V. एफ़एक्स स्वैप पर विशेष आरक्षित लाभ** | 58,485 | 41,23,77,569 | 58,485 | 29,98,53,876 |
| **VI. एएफ़एस आरक्षित** | | 9,65,116 | | - |
| **VII. लाभ हानि खाते में शेष** | | 58,32,008 | | 58,32,008 |
| **कुल** | | **1,05,34,16,007** | | **89,33,53,596** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 3 - जमाराशियां :** | | | | |
| **ए.** | | | | |
| **I. मांग जमाराशियां** | | | | |
| i) बैंकों से | 1,01,66,991 | | 74,28,822 | |
| ii) अन्य से | 85,39,28,924 | 86,40,95,915 | 73,04,19,109 | 73,78,47,931 |
| **II. मीयादी जमाराशियां** | | 3,39,91,58,683 | | 3,36,34,89,147 |
| **III. Term Deposits** | | | | |
| i) बैंकों से | 38,09,47,206 | | 24,66,77,161 | |
| ii) अन्य से | 8,45,32,93,374 | 8,83,42,40,580 | 7,86,72,69,501 | 8,11,39,46,662 |
| **कुल** | | **13,09,74,95,178** | | **12,21,52,83,740** |
| जमाराशियों में ₹ 99,40,717 की लियन मार्क की गई जमाराशियां शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 96,10,358) | | | | |
| **बी.** | | | | |
| i). भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 12,71,75,04,355 | | 11,99,19,73,942 |
| ii). भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 37,99,90,823 | | 22,33,09,798 |
| **कुल** | | **13,09,74,95,178** | | **12,21,52,83,740** |
| **अनुसूची 4 - उधार :** | | | | |
| **I) भारत में उधार** | | | | |
| ए. भारतीय रिजर्व बैंक | - | | - | |
| बी. अन्य बैंक | - | | 1,45,500 | |
| सी. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | 6,16,19,425 | | 4,81,69,788 | |
| डी. बेमीयादी बॉन्डस- टियर I | 9,68,80,000 | | 9,68,80,000 | |
| ई. गौण बॉन्डस- टियर II | 7,95,00,000 | 23,79,99,425 | 7,95,00,000 | 22,46,95,288 |
| **II) भारत से बाहर उधार** | | 3,54,18,455 | | 4,47,88,394 |
| **कुल** | | **27,34,17,880** | | **26,94,83,682** |
| उपर्युक्त I & II में सम्मिलित जमानती उधार | | - | | - |
| **अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :** | | | | |
| **I. देय बिल** | | 2,73,65,011 | | 2,60,52,539 |
| **II. उपचित ब्याज** | | 6,25,66,044 | | 5,25,15,587 |
| **III. अन्य* (प्रावधान सहित)** | | 40,79,60,905 | | 38,65,50,969 |
| **कुल** | | **49,78,91,960** | | **46,51,19,095** |
| *मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित ₹ 604,27,264 (पिछले वर्ष ₹ 597,73,786) | | | | |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 6 -नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:** | | | | |
| **I. धारित नकदी** | | | | |
| (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | | 1,73,93,979 | | 2,27,16,899 |
| **II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष** | | | | |
| ए) चालू खाते में | | 47,63,30,845 | | 50,62,58,125 |
| बी) अन्य खातों में | | 40,13,10,000 | | - |
| **कुल** | | **89,50,34,824** | | **52,89,75,024** |
| **अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि:** | | | | |
| **I. भारत में** | | | | |
| i) बैंकों में शेष | | | | |
| ए) चालू खातों में | 57,57,378 | | 35,53,325 | |
| बी) अन्य जमा खातों में | 75 | | 37,97,553 | |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | | | | |
| ए) बैंकों से | - | | - | |
| बी) अन्य संस्थाओं से | 49,95,224 | | 34,51,28,862 | |
| **कुल (i और ii)** | | **1,07,52,677** | | **35,24,79,740** |
| **II. भारत के बाहर** | | | | |
| i) चालू खातों में | 90,07,988 | | 50,93,983 | |
| ii) अन्य जमा खातों में | 39,85,44,281 | | 30,64,80,013 | |
| iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | - | | - | |
| **कुल (i, ii और iii)** | | **40,75,52,269** | | **31,15,73,996** |
| **कुल योग (I और II)** | | **41,83,04,946** | | **66,40,53,736** |
| **अनुसूची 8 - निवेश:** | | | | |
| **I. भारत में निवेश** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में | | 2,83,07,39,588 | | 2,73,25,02,480 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | | - | | - |
| iii) शेयरों में | | 3,83,09,403 | | 2,22,26,132 |
| iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड में | | 55,03,64,850 | | 56,24,84,247 |
| v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | | 52,68,212 | | 38,88,095 |
| vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में) | | 7,99,30,598 | | 2,73,38,680 |
| **कुल** | | **3,50,46,12,651** | | **3,34,84,39,634** |

(₹ 000' में)

| विवरण | | | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | **भारत से बाहर निवेश** | | | | | |
| | i) | सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | | 2,77,53,425 | | 1,91,46,683 |
| | ii) | विदेश में सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | | 1,14,42,315 | | 1,14,42,157 |
| | ii) | अन्य निवेश (बॉन्ड में) | | 5,572 | | 6,810 |
| | **कुल** | | | **3,92,01,312** | | **3,05,95,650** |
| | **कुल (I और II)** | | | **3,54,38,13,963** | | **3,37,90,35,284** |
| **III.** | **i)** | **भारत में निवेश** | | | | |
| | | सकल मूल्य | | 3,55,80,96,301 | | 3,43,56,28,809 |
| | | मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 5,34,83,650 | | 8,71,89,175 |
| | | निवल मूल्य | | 3,50,46,12,651 | | 3,34,84,39,634 |
| | ii) | भारत से बाहर निवेश | | | | |
| | | सकल मूल्य | | 3,93,28,284 | | 3,07,64,527 |
| | | मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 1,26,972 | | 1,68,877 |
| | | निवल मूल्य | | 3,92,01,312 | | 3,05,95,650 |
| | **कुल (III)** | | | **3,54,38,13,963** | | **3,37,90,35,284** |

(₹ 000' में)

| विवरण | | | यथा 31 मार्च 2025 | यथा 31 मार्च 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)** | | | | |
| **ए.** | | | | |
| | i) | खरीदे और भुनाए गए बिल | 3,66,35,915 | 3,59,04,447 |
| | ii) | कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती ऋण | 4,84,73,49,758 | 4,33,95,85,805 |
| | iii) | मीयादी ऋण | 4,65,11,47,762 | 4,33,22,70,642 |
| | **कुल** | | **9,53,51,33,435** | **8,70,77,60,894** |
| **बी.** | | | | |
| | i) | मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* | 7,87,40,16,588 | 7,21,91,31,031 |
| | ii) | बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत | 10,94,66,032 | 5,92,61,079 |
| | iii) | प्रतिभूत-रहित | 1,55,16,50,815 | 1,42,93,68,784 |
| | **कुल** | | **9,53,51,33,435** | **8,70,77,60,894** |
| | * बही ऋण के सापेक्ष के अग्रिम सहित | | | |
| **सी.** | **अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण** | | | |
| | C.I. | भारत में अग्रिम: | | |
| | | i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 3,16,37,65,065 | 3,19,08,13,692 |
| | | ii) सार्वजनिक क्षेत्र | 1,01,80,99,768 | 1,23,56,53,929 |
| | | iii) बैंक | 1,29,342 | 8,66,18,664 |
| | | iv) अन्य | 5,02,63,01,981 | 3,90,54,46,869 |
| | **कुल** | | **9,20,82,96,156** | **8,41,85,33,154** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2025 | यथा 31 मार्च 2024 |
|---|---|---|
| C.II. भारत के बाहर अग्रिम: | | |
| i) बैंकों से प्राप्य | 6,24,67,883 | 6,14,80,610 |
| ii) अन्य से प्राप्य | - | - |
| ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल | 5,24,875 | 4,31,509 |
| बी) सिंडीकेटेड ऋण | - | - |
| सी) अन्य | 26,38,44,521 | 22,73,15,621 |
| **कुल सी.(I)+सी(II)** | **32,68,37,279** | **28,92,27,740** |
| **कुल** | **9,53,51,33,435** | **8,70,77,60,894** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2025 | | यथा 31 मार्च 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :** | | | | |
| **I. परिसर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 9,41,07,688 | | 9,58,10,991 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 14,35,351 | | 13,61,467 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,312 | | 30,64,770 | |
| | **9,55,40,727** | | **9,41,07,688** | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 3,14,52,020 | 6,40,88,707 | 2,95,87,143 | 6,45,20,545 |
| **II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)** | | | | |
| **ए. प्रकियाधीन पूंजीगत कार्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 3,47,034 | | 2,05,438 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 5,58,797 | | 3,10,576 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 3,29,475 | 5,76,356 | 1,68,980 | 3,47,034 |
| **बी. भूमि** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 35,19,663 | | 36,34,968 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,90,177 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | 1,15,305 | |
| | **37,09,840** | | **35,19,663** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधित | 13,96,816 | 23,13,024 | 11,56,731 | 23,62,932 |
| **सी. पट्टे पर दी गई आस्तियां** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 2,65,352 | | 2,65,352 | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 2,65,352 | - | 2,65,352 | - |
| **डी. अन्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 8,51,92,180 | | 7,43,75,518 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,08,00,394 | | 1,28,89,639 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 26,18,526 | | 20,72,977 | |
| | **9,33,74,048** | | **8,51,92,180** | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 6,71,83,971 | 2,61,90,077 | 6,24,37,938 | 2,27,54,242 |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2025 | | यथा 31 मार्च 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **ई. कंप्यूटर साफ्टवेयर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 1,23,36,473 | | 1,18,10,459 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 37,59,686 | | 17,41,470 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 4,27,130 | | 12,15,455 | |
| | **1,56,69,029** | | **1,23,36,474** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधन | 1,10,18,428 | 46,50,601 | 1,00,93,425 | 22,43,049 |
| **कुल (I और II)** | | **9,78,18,765** | | **9,22,27,802** |
| **अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :** | | | | |
| I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल) | | 2,93,44,287 | | 1,70,28,198 |
| II. उपचित ब्याज | | 10,98,09,146 | | 10,73,45,648 |
| III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(प्रावधान का निवल) | | 3,45,56,335 | | 7,10,21,069 |
| IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप | | 64,823 | | 61,852 |
| V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | | 1,334 | | 1,334 |
| VI. अन्य* | | 30,72,81,394 | | 31,49,60,381 |
| VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | | 2,73,93,829 | | 3,71,04,947 |
| VIII. एमएटी क्रेडिट पात्रता | | - | | - |
| **कुल** | | **50,84,51,148** | | **54,75,23,429** |
| *नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी राशि ₹ 660,62,870 (पिछले वर्ष ₹ 874,69,761) | | | | |
| **अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं:** | | | | |
| I. बैंक के सापेक्ष दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | | 10,67,392 | | 2,06,75,020 |
| II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | | - | | - |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | | 3,68,03,02,111 | | 3,71,46,30,000 |
| IV. घटकों की ओर दी गयी गारंटी | | | | |
| ए) भारत में | 70,73,94,487 | | 69,48,36,138 | |
| बी) भारत से बाहर | 1,04,51,784 | 71,78,46,271 | 67,39,785 | 70,15,75,923 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व | | 84,54,50,523 | | 1,06,65,96,474 |
| VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक देय है | | | | |
| i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | | 29,36,49,416 | | 28,74,07,271 |
| ii) पूंजी प्रतिबद्धता | | 35,74,605 | | 13,26,533 |
| iii) डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि | | 4,09,01,330 | | 3,45,99,063 |
| **कुल** | | **5,58,27,91,648** | | **5,82,68,10,284** |
| * इसमें अस्थिर/स्थिर ब्याज दर स्वैप, प्रतिभूतियों की स्वीकृतियों हेतु दायित्व, मुद्रा स्वैप प्राप्य राशि तथा देय हेतु दायित्व, विक्रीत स्वामित्व मुद्रा फ्यूचर हेतु दायित्व, मंदड़िया विक्रीत प्रतिभूतियों हेतु दायित्व, रिर्वस रिपो के अंतर्गत सुपुर्द प्रतिभूतियों हेतु दायित्व भी शामिल हैं. | | | | |
| **उगाही हेतु बिल** | | **50,91,34,855** | | **50,25,28,601** |

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :** | | |
| I. अग्रिमों पर ब्याज/बिलों पर बट्टा | 79,06,69,113 | 71,97,10,273 |
| II. निवेशों से आय | 23,18,41,928 | 22,46,74,253 |
| III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | 5,08,83,686 | 4,85,48,649 |
| IV. अन्य | 38,65,002 | 48,46,402 |
| **कुल** | **1,07,72,59,729** | **99,77,79,577** |
| **अनुसूची 14 - अन्य आय :** | | |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली | 2,70,78,690 | 2,38,03,148 |
| II. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल) | 2,10,33,652 | 1,63,79,176 |
| III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) | 1,17,54,139 | 29,23,962 |
| IV. भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल) | 22,124 | 21,653 |
| V. विनिमय लेनदेन से लाभ (निवल) | 82,57,656 | 91,88,081 |
| VI. विदेश / भारत में सहायक कंपनियों और /या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | 20,419 | 15,314 |
| VII. विविध आय | 12,99,62,464 | 10,84,70,607 |
| **कुल** | **19,81,29,144** | **16,08,01,941** |
| **अनुसूची 15 -व्यय किया गया ब्याज :** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज | 66,22,54,417 | 58,50,43,934 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज | 2,74,66,175 | 2,98,09,349 |
| III. अन्य | 1,54,02,370 | 1,72,22,328 |
| **कुल** | **70,51,22,962** | **63,20,75,611** |
| **अनुसूची 16 - परिचालन व्यय:** | | |
| I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | 14,66,76,421 | 14,37,71,789 |
| II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था | 1,18,00,083 | 1,09,02,546 |
| III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी | 13,35,117 | 12,56,808 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार | 12,38,412 | 14,21,651 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 1,07,10,161 | 89,09,763 |
| VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | 20,465 | 20,219 |
| VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | 6,47,450 | 6,29,968 |
| VIII. विधिक प्रभार | 16,25,917 | 17,35,407 |
| IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | 42,74,509 | 39,78,948 |
| X. मरम्मती एवं रखरखाव | 41,00,556 | 34,49,821 |
| XI. बीमा | 1,73,80,883 | 1,41,96,102 |
| XII. अन्य व्यय | 5,95,55,512 | 5,41,26,576 |
| **कुल** | **25,93,65,486** | **24,43,99,598** |

# वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(तुलन पत्र के भाग के प्रारूपण हेतु अनुसूची 17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए)

**पृष्ठभूमि**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई या बैंक) एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में लगा हुआ है. बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है. निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां हैं अर्थात, विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत और बैंक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके निम्नलिखित हैं.

## 1. प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण एतिहासिक सम्मेलन, लेखांकन के संचयी आधार के अंतर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और कार्यशील संस्था की अवधारणा का अनुपालन किया गया हो. वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय आरक्षित निधि बैंक(आरबीआई), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है.

विदेशी कार्यालयों के मामले में, यदि संबंधित विदेशी देश के स्थानीय कानूनों के सांविधिक प्रावधान और प्रथाएं अधिक विवेकपूर्ण हैं तब उनका पालन किया जाता है.

## 2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/ आकलन लगाएं. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है.

## महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

## 3. राजस्व का निर्धारण

3.1. जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

3.2. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से संबंधित आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार वसूल की गई सीमा तक की गई है. पिछले वर्ष में हुई आय और शेष अवसूल आय की वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के संबंध में मान्यता रद्द कर दी गई है.

3.3. साख पत्र (एलसी) / बैंक गारंटी (बीजी), आस्थगित भुगतान गारंटी और सरकारी कारोबार पर कमीशन को अवधि के दौरान उपचय एवं आनुपातिक आधार पर गणना की गई है.

3.4. विनिमय एवं ब्रोकरेज, सेफ जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

3.5. निम्नलिखित निवेशों के लिए उपचय आधार पर आय का निर्धारण:

3.5.1. सरकारी प्रतिभूतियां, बांड और कॉर्पोरेट निकायों के डिबेंचर, जहां इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते ब्याज भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा हो और बकाया न हो.

3.5.2. लाभांश प्रदान करने वाले कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों को कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में घोषित किया गया है और भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वामी का अधिकार स्थापित किया गया है.

3.5.3. म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वैकल्पिक निवेश फंडों और ऐसे अन्य पूल/ सामूहिक निवेश निधि से आय को नकद आधार पर निर्धारित की जाती है.

3.5.4. उपर्युक्त उपखंड (3.5.2) के अधीन, एएफएस के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभ और हानि खाते में किया जाता है.

3.5.5. खंडित अवधि ब्याज के लिए लेखांकन:

बैंक, विक्रेता को लागत के भाग के रूप में भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज का पूंजीकरण नहीं कर रहा है और इसे प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में मानता है.

3.6. भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है.

3.7. आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की गई है.

## 4. वसूली का विनियोजन

ओटीएस / एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से वसूली निम्नानुसार विनियोजित होगी:

4.1. जब देनदार और लेनदार के बीच कोई समझौता नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा:

मियादी ऋण हेतु :

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज).
- वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए.
- चल रहे खाता-बही शेष के लिए.

चल रहे खातों के लिए:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) सहित एनपीए की तिथि को प्रत्यावर्तित न वसूले गए ब्याज के लिए.
- मूलधन के लिए

4.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का अनुबंध करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा.

4.3. ओटीएस एवं सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, वसूली या संकल्प/ परिसमापन के माध्यम से वसूली का विनियोजन जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है :

यहाँ चर्चा के अनुसार या मंजूरी शर्तों के अनुसार किया जाना है.

- मूलधन के लिए
- एनपीए के समय प्रतिवर्ती ब्याज सहित खाता-बही (अप्रभारित ब्याज) में धारित ब्याज के लिए.
- व्यय और लागत आदि के लिए.

4.4. अनर्जक निवेशों के मामले में, वसूली को नीचे उल्लिखित के अनुसार विभाजित किया गया है:

a. व्यय एवं लागत आदि के लिए.
b. एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
c. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज)
d. वसूली की तिथि तक मूलधन/ ईएमआई की बकाया राशि के लिए
e. चल रहे खाता-बही शेष के लिए

## 5. नकदी प्रवाह विवरण

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण, एएस-3 के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

5.1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह शामिल है.

5.2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में निवेश द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह शामिल है.

5.3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में वित्तीय साधनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह शामिल है.

5.4. नकद और नकद समतुल्य में आरबीआई के साथ नकदी और शेष, बैंकों के साथ मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल हैं.

## 6. निवेश

### 6.1. निवेश का वर्गीकरण

ए) बैंक ने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया, अर्थात, परिपक्वता के लिए आयोजित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल). ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप श्रेणी है.

बी) बैंक बीआर अधिनियम (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र में निवेश को निम्नानुसार प्रस्तुत करना जारी रखता है:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
iii. शेयर
iv. डिबेंचर और बॉन्ड
v. सहायक और / या संयुक्त उद्यम
vi. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)

सी) मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ से, निवेश निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(i) वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 1" वे इनपुट हैं जो समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य

(असमायोजित) हैं जिन्हें बैंक माप तिथि पर एक्सेस कर सकता है. एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट नहीं होता है.

(ii) किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 2" वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं. एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई स्तर 3 महत्वपूर्ण इनपुट नहीं होता है.

(iii) वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 3" अप्राप्य इनपुट हैं. एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें एक महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट होता है.

6.1.1.एचटीएम

ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(i) प्रतिभूति को परिपक्वता तक रखने के इरादे और उद्देश्य के साथ प्राप्त किया जाता है, अर्थात, वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से रखा जाता है; और

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो निर्दिष्ट तिथियों पर मूल बकाया ('एसपीपीआई मानदंड') पर "पूरी तरह से मूलधन और ब्याज का भुगतान" है.

बी) इस आशय के बावजूद कि निम्नलिखित प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया जाता है, वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे और इसलिए एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे:

(i) अनिवार्य, वैकल्पिक या निरंतर परिवर्तनीय सुविधाओं वाले लिखत.

(ii) संविदात्मक हानि अवशोषण सुविधाओं वाले लिखत जैसे कि बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करना.

(iii) ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई के "मास्टर डायरेक्शन – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023" दिनांक 12-09-2023 के खंड 4(ए)(xviii) में परिभाषित ब्याज की प्रकृति में नहीं हैं, जिनका उल्लेख यहां "आरबीआई मास्टर परिपत्र" के रूप में किया गया है.

(iv) अधिमान शेयर और इक्विटी शेयर.

सी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करने के लिए माना जाता है यदि वह अंश जिसमें निवेश किया गया है निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

(i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जोकि बकाया मूल राशि पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान मात्र हैं.

(ii) वित्तीय साधनों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करता है.

(iii) अंश का ऋण जोखिम आस्तियों के संयुक्त अंतर्निहित पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है.

6.1.2.एएफएस

ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(i) प्रतिभूति एक उद्देश्य के साथ प्राप्त की जाती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने, दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है; और

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं जैसा कि आरबीआई मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 6.1(ए)(ii) में दिया गया है.

बशर्ते कि प्रारंभिक निर्धारण पर, एक बैंक एक इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकता है जो एएफएस के अंतर्गत कारोबार के उद्देश्य से आयोजित नहीं किया गया है (अर्थात, आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक I के पैराग्राफ 4 में सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए आयोजित नहीं किया गया है).

बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रयोजनों के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जहां

परिपक्वता से पहले परिपक्वता को धारित करने या बेचने के संबंध में बैंक की मंशा लचीली है.

6.1.3. एफवीटीपीएल:

ए) जो प्रतिभूतियां एचटीएम या एएफएस में शामिल करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्न शामिल हैं:

(i) इक्विटी शेयर, (a) सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (b) इक्विटी शेयरों के अलावा, जहां प्रारंभिक निर्धारण पर, एएफएस में वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है.

(ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, अवसंरचना निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश की योजना है.

(iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन की इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करता है. आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 6.1 (सी) में बताए गए एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ श्रृंखला में निवेश की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी.

(iv) बॉन्ड, डिबेंचर इत्यादि जहां भुगतान किसी विशेष सूचकांक में संचलन से जुड़ा होता है जैसे कि ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय इक्विटी सूचकांक.

(v) उप-खंड 6.1 (बी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियां, आरबीआई मास्टर परिपत्र के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट इक्विटी के अपवाद के अधीन..

6.1.4. एचएफटी:

बैंक एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नामक एक अलग उप-श्रेणी बनाता है.

6.1.5. सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश स्वतः जेनेरिस अर्थात अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग ऐसे निवेशों के लिए एक अलग श्रेणी में आयोजित किए जाते हैं.

**6.2. प्रारंभिक निर्धारण**

6.2.1. सभी निवेशों को प्रारंभिक निर्धारण पर उचित मूल्य पर मापा जाता है. जब तक तथ्य और परिस्थितियां यह नहीं बताती हैं कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत उचित मूल्य है.

जिन स्थितियों में अनुमान का परीक्षण किया जाता है, उनमें शामिल हैं:

ए) लेन-देन संबंधित पक्षों के बीच है.

बी) लेन-देन दबाव में हो रहा है जहां एक पक्ष को लेनदेन में कीमत स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है.

सी) लेनदेन प्रतिभूतियों के उस वर्ग के लिए मूल बाजार के बाहर किया जाता है.

डी) अन्य स्थितियां, जहां पर्यवेक्षक की राय में, तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमान का परीक्षण किया जाता है.

6.2.2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (अंतरण सहित), स्विच प्रचालनों और खुले बाजार प्रचालनों (ओएमओ) के माध्यम से अर्जित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है वह प्रारंभिक निर्धारण प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य होता है.

6.2.3. जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकन योग्य इनपुट (जैसे उपज वक्र, क्रेडिट प्रसार, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी प्रथम दिन लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है, अनुसूची 14 : 'अन्य आय' के अंतर्गत: उप-शीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के भीतर, जैसा भी मामला हो.

6.2.4. स्तर 3 निवेश से उत्पन्न होने वाले किसी भी 1 दिन हानि को तुरंत पहचाना जाता है.

6.2.5. स्तर 3 निवेश से उत्पन्न होने वाले किसी भी 1 दिन लाभ को स्थगित कर दिया जाता है. ऋण लिखतों के मामले में, प्रथम दिन लाभ परिपक्वता तिथि (या स्थायी लिखतों के लिए सबसे पहली कॉल की तारीख) तक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधन किया जाता है, जबकि न क्वोट की गई इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध नहीं की जाती अथवा उसका निर्धारण रद्द नहीं किया जाता.

**6.3. अनुवर्ती माप**

6.3.1. एचटीएम

ए) एचटीएम में धारण की गई प्रतिभूतियों को लागत पर वहन किया जाता है और उन्हें प्रारंभिक निर्धारण के बाद बाजार हेतु चिह्नित (एमटीएम) नहीं किया जाएगा. तथापि, वे भारतीय रिजर्व बैंक के

मास्टर परिपत्र के अध्याय X में यथा विनिर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन हैं.

बी) एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधन किया जाता है. परिशोधित राशि, अनुसूची 8 के एक कोंट्रा: 'निवेश' सहित अनुसूची 13 की मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई गयी है.

6.3.2. एएफएस

ए) एएफएस में धारण की गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर एक बार अवश्य किया जाता है. एएफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधन किया जाता है. परिशोधन राशि, अनुसूची 8 में एक कोंट्रा: 'निवेश' सहित अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी है.

बी) एएफएस के अंतर्गत आयोजित वर्गीकरण (यानी, सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, बांड और डिबेंचर, आदि) के बावजूद सभी निष्पादनकारी निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है. निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास सीधे लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना एएफएस आरक्षित नामक आरक्षित में जमा या डेबिट किया जाता है.

सी) एएफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियां, आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय X में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन होंगी.

डी) एएफएस-रिजर्व को भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र के खंड 28 के अध्यधीन सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा. एएफएस-रिजर्व को हस्तांतरित अप्राप्त लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

ई) एएफएस श्रेणी में किसी कर्ज लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ / हानि को एएफएस आरक्षित से स्थानांतरित किया जाता है और अनुसूची 14-अन्य आय के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है.

एफ) प्रारंभिक निर्धारण के समय एएफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता है. इसके बजाय, इस तरह के लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व से आरक्षित पूंजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

6.3.3. एफवीटीपीएल

ए) एफवीटीपीएल में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन होता हैं और ऐसे मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है. एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल की अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन, यदि प्रायः नहीं तो कम से कम त्रैमासिक आधार पर अवश्य होता है.

बी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि में परिशोधन किया जाता है. परिशोधन राशि, अनुसूची 8 में एक कोंट्रा: 'निवेश' सहित अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है.

सी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियां आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय X में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन हैं.

6.3.4. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

ए) सभी निवेश, सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में (अर्थात ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर आयोजित किए जाते हैं, जो आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय IV की आवश्यकताओं के अधीन हैं.

बी) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधन किया जाता है. परिशोधन राशि, अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है.

सी) ऐसे मामले में, जहां पहले से ही एक इकाई में निवेश है जो एक सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेश प्राप्तकर्ता इकाई एक सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, वहाँ ऐसी निवेशग्राही इकाई के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख के अनुसार संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

(i) जहां निवेश एचटीएम के अंतर्गत धारण किया जाता है, किसी भी स्थायी हानि को कम करने वाला मूल्य संशोधित वहन मूल्य है.

(ii) जहां एएफएस के अंतर्गत एक निवेश धारित किया जाता है, एएफएस-रिजर्व में पूर्व निर्धारित संचयी लाभ और हानि को उलट दिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य पर पहुंचने के लिए निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाता है.

(iii) जहां एफवीटीपीएल में निवेश किया जाता है, वहां निवेशग्राही के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख को उचित मूल्य को वहन मूल्य के रूप में लिया जाता है.

डी) जब एक निवेशग्राही, एक सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है:

(i) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता है और परिणामस्वरूप लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है.

(ii) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है. संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को क्रमशः एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

ई) किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में किसी निवेश के पुनर्वर्गीकरण/विक्रय पर उत्पन्न होने वाले किसी लाभ/लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में निर्धारित की जाती है और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है. इस प्रकार विनियोजित राशि करों से मुक्त होती है और राशि सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित कर दी जाती है.

एफ) बैंक सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यमों में हानि के लिए निवेश का मूल्यांकन यदि प्रायः नहीं तो कम से कम त्रैमासिक आधार पर करता है. संभावित हानि के संकेतकों की एक गैर-व्यापक सूची निम्नानुसार है:

i) संस्था ने अपने ऋण दायित्वों के चुकौती में चूक की है.

ii) किसी बैंक के साथ संस्था की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है.

iii) कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है.

iv) इकाई को लगातार तीन वर्ष तक घाटा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप निवल मालियत में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है.

v) छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है. इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण" शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाएगी. बैंक, अपने बोर्डों के अनुमोदन के साथ और भी अधिक परिमित प्रारंभिक सीमा लागू कर सकते हैं.

vi) किसी भी या सभी इकाई की बकाया प्रतिभूतियों को हटा दिया गया है, असूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्ध आवश्यकताओं के साथ गैर-अनुपालन या वित्तीय कारणों के कारण विनियम से असूचीबद्ध होने का खतरा है.

किसी नई इकाई/ परियोजना के मामले में जहां ब्रेक-ईवन बिंदु प्राप्त करने की मूल अनुमानित तारीख बढ़ा दी गई है अर्थात् इकाई/ परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित परिपक्वता अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है.

जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि तो सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के संबंध में हानि हुई है, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करता है और हानि, यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान करता है. इस तरह की कमी, लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित की जाती है. यदि कमी का उत्क्रमण होता है तो इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से उत्क्रमित किया जा सकता है.

### 6.4. श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

6.4.1. इस ढांचे में परिवर्तन के बाद, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना श्रेणियों (अर्थात एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच निवेश का पुनर्वर्गीकरण नहीं कर रहा है. इसके अतिरिक्त, पुनर्वर्गीकरण के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन भी अपेक्षित है

6.4.2. पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण की तारीख से भावी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए.

6.4.3. जब बैंक निवेश को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करता है, तो लेखांकन सुविधा नीचे दी गई तालिका में गई है. बैंक वित्तीय विवरणों के लिए नोटों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित इस तरह के पुनर्वर्गीकरण के विवरण प्रकट करता है:

| क्र. | पूर्व श्रेणी | पुनर्वर्गीकृत श्रेणी | लेखांकन सुविधा |
|---|---|---|---|
| ए | एचटीएम | एएफएस | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर आकलित उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य होगा.<br><br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में निर्धारित किया जाएगा. |
| बी | | एफवीटीपीएल | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर आकलित उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य होगा.<br><br>संशोधित वहन मूल्य और निवेश के पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा. |
| सी | एएफएस | एचटीएम | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों को उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है. तथापि, एएफएस-रिजर्व में पहले निर्धारित संचयी लाभ/हानि को उसमें से वापस ले लिया जाएगा और संशोधित वहन मूल्य पर पहुंचने के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाएगा. इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वही होगा जैसे बैंक ने एचटीएम में निवेश को शुरू से ही वर्गीकृत किया था.<br><br>इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वही होगा जैसे बैंक ने एचटीएम में निवेश को शुरू से ही वर्गीकृत किया था. |
| डी | | एफवीटीपीएल | निवेश को उचित मूल्य पर आकलित करना जारी रहेगा. एएफएस आरक्षित निधि में पहले से निर्धारित संचयी लाभ या हानि को उसमें से वापस ले लिया जाएगा और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में गणना होगी. |
| ई | एफवीटीपीएल | एचटीएम | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली वहन राशि अपरिवर्तित रहती है. |
| एफ | | एएफएस | |

## 6.5. निवेश की बिक्री

6.5.1. एएफएस इक्विटी निवेश को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में निर्धारित की जाती है. एएफएस इक्विटी निवेश पर प्राप्त लाभ या हानि को एएफएस आरक्षित निधि में निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, एचटीएम निवेशों की बिक्री, सहायक कंपनियों में निवेश, संयुक्त उद्यम और सहयोगी और इक्विटी एएफएस निवेश, करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण से लाभ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार "आरक्षित पूंजी" में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

6.5.2. एचटीएम से कोई भी बिक्री, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होती है. एचटीएम में से बिक्री का विवरण, आरबीआई के दिनांक 12 सितंबर 2023 के मास्टर निर्देशों के अनुलग्नक II में निर्दिष्ट प्रारूप में वित्तीय विवरणों के खातों के नोट में प्रकट किया गया है.

6.5.3. किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है. इस सीमा से अधिक बिक्री के लिए अंतरिक्ष विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है.

6.5.4. नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री को आरबीआई मास्टर निदेशों के खंड 20 में निर्धारित पांच प्रतिशत की विनियामक सीमा से बाहर रखा गया है:

ए) आरबीआई को खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) जैसे चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के अंतर्गत आरबीआई को बिक्री.

बी) वापसी खरीद या स्विच ऑपरेशन के अंतर्गत बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद.

सी) वापसी खरीद या स्विच ऑपरेशन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद.

डी) जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, वापसी खरीद या कॉल विकल्प का प्रयोग.

ई) क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री.

एफ) वित्तीय विपदा का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री.

जी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री.

6.5.5. एचटीएम में निवेश की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' की मद II के अंतर्गत लाभ और हानि

खाते में निर्धारित किया गया है. एचटीएम में निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाता' में विनियोजित किया जाता है. इस प्रकार विनियोजित राशि कर घटाकर प्राप्त होती है तथा इस राशि को सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक होता है.

6.5.6. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| ए) | भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार प्रतिभूतियां) | फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा दिए गए कोटेशन के अनुसार |
| बी) | राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार प्रतिभूतियां, केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड | एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता के आधार पर उचित प्रतिफल पर |
| सी) | इक्विटी शेयर | नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अन्यथा ब्रेक-अप मूल्य पर. दोनों की अनुपस्थिति में, ₹ 1/- प्रति कंपनी की दर से. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाती है. |
| डी) | अधिमान शेयर | बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अथवा उपयुक्त प्रतिफल से परिपक्वता आधार पर एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक न हो. |
| ई) | डिबेंचर/ बांड | एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा उपयुक्त उपज से परिपक्वता आधार पर बाजार दरों के अनुसार, |
| एफ) | म्यूचुअल फंड (एमएफ) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो. अन-उद्धृत इकाईयों के मामले में, संबंधित एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. ऐसे मामलों में जहां नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार. |
| जी) | ट्रेजरी बिल/ जमा का प्रमाण पत्र/ वाणिज्यिक पत्र | वहन लागत पर |
| एच) | उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) | लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या ब्रेकअप एनएवी पर जो 18 महीने से अधिक पुराना नहीं है. यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 महीने से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ पर. |
| आई | प्रतिभूति रसीदें | इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/ डीओआर2021-22/81 डीओआर. एमजीआर.42/21.04.141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 और समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार किया जाएगा. सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा, जो आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग पर आधारित होगा. |

6.5.7. इंटरबैंक/ आरबीआई रेपो और इंटरबैंक/ आरबीआई रिवर्स रेपो लेनदेन आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं.

6.5.8. प्रतिभूतियों पर कमीशन, ब्रोकरेज, टूटी अवधि का ब्याज आदि लाभ-हानि खाते में नामे / जमा किए जाते हैं.

6.5.9. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान की गई ब्रोकरेज और एसटीटी को सौदे की कीमत के हिसाब से माना जाता है.

6.5.10. बैंक निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए भारित औसत मूल्य (डब्ल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.

6.5.11. भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक निवेश लेनदेन के लेखांकन के लिए 'निपटान तिथि' का पालन करता है

### 6.6. अनर्जक निवेश (एनपीआई)

ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) संबंधी वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त मानदंड का प्रयोग किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है. इसी तरह, एक एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाता है जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है.

(i) बांड या डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, एनपीआई वह है जहां ब्याज/ किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है.

(ii) ऊपर उप-खंड (ए) (i), यथोचित परिवर्तनों सहित ऐसे अधिमानी शेयरों पर लागू होता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है. यदि अधिमान शेयरों पर लाभांश (संचयी या गैर-संचयी) किसी भी वर्ष में घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया राशि में देय/भुगतान न किया गया माना जाता है और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता के तुलन पत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए नियत तारीख के रूप में माना जाता है. ऐसे निवेश को गैर-संचयी अधिमान शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और बकाया में लाभांश के भुगतान पर और संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में वर्तमान अवधि के लिए बाद में उन्नयन किया जा सकता है.

(iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 26.3 के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य ₹ 1 प्रति कंपनी है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गिना जाता है. बाद में लेखापरीक्षित तुलन-पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई का उन्नयन किया जाता है.

(iv) यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा, बैंक की बहियों में एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमान शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और इसका उल्टा माना जाता है. तथापि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निष्पादन प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादन ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है.

(v) मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में बदलने के मामले में, ऐसे लिखतों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और प्रावधान मानदंडों के अनुसार किया जाता है. परिवर्तन के बाद के मामले में, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय III की आवश्यकताओं के अनुसार एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है.

बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे बाकी पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है और लाभ और हानि का मूल्यन करने के लिए उसपर विचार नहीं किया जाता है.

सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं कर रहा है. आय केवल वसूली के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसके अलावा, प्रतिभूति में किसी भी एमटीएम मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की जा रही है.

डी) श्रेणी पर ध्यान दिए बिना, (अर्थात, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)) जिसमें निवेश रखा गया है, हानि के प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है. निम्न राशियों में से एनपीआई पर धारित प्रावधान उच्चतर है:

(i) एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना किए गए आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; और

(ii) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तारीख को निवेश का उसके वहन मूल्य के संदर्भ में मूल्यह्रास.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ऊपर विनिर्दिष्ट एनपीआई के प्रावधान के अलावा मूल्यह्रास के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है.

बशर्ते, एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश के मामले में, जिसके खिलाफ एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, आवश्यक प्रावधान ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक एएफएस-रिजर्व को प्रभारित करके बनाया जा सकता है.

बशर्ते कि एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश के मामले में, जिसके सापेक्ष एएफएस-रिजर्व में संचयी हानियां हैं, संचयी हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं.

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार किसी खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से निर्धारित किसी भी प्रावधान को उलट दिया जाता है और एमटीएम लाभ और हानि का सममित निर्धारण फिर से शुरू हो सकता है.

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश में निवेश:

(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

(ii) जब तक केंद्र सरकार गारंटी सक्रियण का निराकरण नहीं करती है तब तक केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है. एएफएस और एफवीटीपीएल में धारित ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक ने क्रमशः एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि में एमटीएम लाभ/ हानि को निर्धारित करना जारी रखा है. तथापि, कोई भी आय केवल वसूली के आधार पर निर्धारित की जाती है.

(iii) जब मूलधन (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय किसी अन्य राशि का ब्याज/ किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है तब राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू होते हैं.

6.7. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

ए) जब तक कि आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो, बैंक सतत् आधार पर, आईएफआर को वह राशि अंतरित करके, जो निम्नलिखित से कम न हो, एक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि(आईएफआर) बनाता है:

i. वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ .

ii. वर्ष के लिए निवल लाभ, कम अनिवार्य विनियोजन.

बी) आईएफआर टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र है. टियर II पूंजी के रूप में सामान्य प्रावधानों और हानि आरक्षित निधियों के निर्धारण पर लागू सीमा, आईएफआर पर लागू नहीं है.

सी) बैंक को आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि को अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आहरित करने की अनुमति है, ताकि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में यथा प्रकट लाभ/ हानि के शेष में जमा किया जा सके.

डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन ड्रॉ डाउन की अनुमति है:

I. निकाली गई राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/ टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो मुक्त आरक्षित निधियों के लिए विनियोग या हानि के संतुलन को कम करता है.

II. आहरित राशि उस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां तक उपर्युक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधान/ हानियां उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक हों.

6.8. डेरिवेटिव

6.8.1. बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट के पैराग्राफ 63 को छोड़कर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है. यह उनकी व्युत्पन्न संपत्ति और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य संपत्ति' और अनुसूची 5: 'अन्य देनदारियों' के अंतर्गत अलग-अलग लाइन मदों के रूप में प्रस्तुत करता है. बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट की हेज लेखांकन आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकते हैं.

6.8.2. बैंक अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करते हैं अर्थात आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 4 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 को परिभाषित किया गया है और प्रकटीकरण टेम्पलेट में निर्दिष्ट टेम्पलेट के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों के खातों में नोट में इसका खुलासा करता है.

6.8.3. बैंक अपने तुलन पत्र पर स्तर 3 डेरिवेटिव्स आस्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल अवास्तविक लाभों में से लाभांश का भुगतान नहीं करता है. इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में निर्धारित स्तर 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ सीईटी 1 पूंजी से घटाए जाते हैं.

6.9. परिवर्तित लेखा समायोजन:

6.9.1. आरबीआई निर्देशों में परिवर्तन के समय (अर्थात, 1 अप्रैल, 2024 को संशोधित फ्रेमवर्क), बैंक ने आरबीआई निर्देशों के अध्याय III में निर्धारित निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्वर्गीकृत किया. 31 मार्च, 2024 को मूल्यह्रास के प्रावधान में शेष राशि को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में उलट दिया गया है. 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षित निधि खाते (आईआरए) में शेष राशि को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि बैंक आईएफआर की न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है. पिछले वर्ष से संशोधित ढांचे में संक्रमण के लिए विशिष्ट उपाय नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

| पूर्व ढांचा | संशोधित ढांचा | दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभिक लेखा समायोजन |
|---|---|---|
| एचटीएम | एचटीएम | अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधन किए गए किसी भी प्रीमियम/ छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य है.<br><br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| | एएफएस | संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है.<br><br>इसके अतिरिक्त, एएफएस के अंतर्गत निर्दिष्ट इक्विटी लिखतों के मामले में संशोधित और पूर्व वहन मूल्य के बीच अंतर को एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाता है. |
| | एफवीटीपीएल | मार्च 31, 2024 को उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है.<br><br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| एएफएस | एचटीएम | अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधन किए गए किसी भी प्रीमियम/ छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य है.<br><br>संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| | एएफएस | संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है.<br><br>इसके अतिरिक्त, एएफएस के अंतर्गत निर्दिष्ट इक्विटी लिखतों के मामले में संशोधित और पूर्व वहन मूल्य के बीच अंतर को एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाता है. |
| | एफवीटीपीएल | मार्च 31, 2024 को उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य है.<br><br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| एचएफटी | एचटीएम | अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किए गए किसी भी प्रीमियम/ छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य है.<br><br>संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| | एएफएस | संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है.<br><br>इसके अतिरिक्त, एएफएस के अंतर्गत निदष्ट इक्विटी लिखतों के मामले में संशोधित और पूर्व वहन मूल्य के बीच अंतर को एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाता है. |
| | एफवीटीपीएल | मार्च 31, 2024 को उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य है.<br><br>संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/ सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |

6.10. बैंक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के अपने नोट्स में किए गए परिवर्ती समायोजन का उपयुक्त प्रकटीकरण करता है.

## 7. अग्रिम

7.1. सभी अग्रिमों को 4 श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है :

7.1.1 मानक

7.1.2 अवमानक

7.1.3 संदिग्ध एवं

7.1.4 हानि आस्तियां

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र आरबीआई_2024-2025/12डीओआर.एसटीआर. आरईसी.8/21.04.048/2024-25 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 के शर्तानुसार वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.

7.2. भारिबै द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैर-निष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है. ऋण आस्तियां गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

7.2.1. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/ अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

7.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता "अनियमित रहता" है यथा

7.2.2.1. यदि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो

7.2.2.2. यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों, या

7.2.2.3. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से कम हो लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो.

7.2.3. खरीदे गए/ रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहते हैं.

7.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

7.2.5. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

7.2.6. एक कार्यशील पूंजी उधार खाता एनपीए हो जाएगा यदि खाते में इस तरह के अनियमित आहरण को 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अनुमति दी गई हो भले ही इकाई कार्यशील हो, या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो.

7.2.7. एक खाता जहां नियत तिथि / तदर्थ मंजूरी की तिथि से 180 दिनों के भीतर नियमित / तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा / नवीकरण नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाएगा.

7.2.8. भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) के निर्देश 2021 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है.

7.2.9. डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, यदि भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि से 90 दिनों की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया है.

7.2.10. ऐसे खाते जहां उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूति के मूल्य में कमी / धोखाधड़ी की गई है.

7.2.10.1. उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी जैसे अन्य कारणों की मौजूदगी के कारण वसूली के लिए संभावित खतरे हैं उन खातों को आस्ति वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरना विवेकपूर्ण नहीं होगा. ऐसी गंभीर ऋण हानि के मामलों में आस्ति को सीधे तौर पर उपयुक्त रूप में संदिग्ध या हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

7.2.10.2. प्रतिभूति के मूल्य में कमी को महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा मूल्यांकित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार अंतिम निरीक्षण जैसा भी मामला हो, के समय निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो, जैसा भी मामला हो. ऐसे एनपीए को सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.2.10.3. यदि बैंक / अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे तौर पर हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

7.2.11. एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर. सं. बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और परिपत्र क्र. डीबीआर. सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में जारी परिपत्र क्र. डीओआर.सं.बीपी. बीसी.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, बैंक पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बनाए रखेगा. उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा.

7.2.12. आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर कोविड 19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 एवं परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी /4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020, डीओआर. एसटीआर. आर ईसी12/21.04.048/2021-22 एवं डीओआर. एसटीआर. आरईसी 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कॉर्पोरेट एवं रिटेल ऋण के पुनर्गठन के संदर्भ में बैंक इस संबंध में आवश्यक प्रावधान बनाए रखेगा.

7.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है :

7.3.1. अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है.

7.3.2. संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.

7.3.3. हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

7.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है :

| | | |
|---|---|---|
| अवमानक आस्तियां: | i. | कुल बकाया राशि का सामान्य 15% |
| | ii. | ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही अप्रतिभूत हों |
| | iii. | तथापि, आरंभ से, अवसंरचना ऋण खातों के संबंध में अप्रतिभूत एक्सपोज़र जहां एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट रक्षोपाय उपलब्ध हों - 20% (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर) |
| संदिग्ध-प्रतिभूत भाग | i. | एक वर्ष तक– 25% |
| | ii. | एक से तीन वर्ष– 40% |
| | iii. | तीन वर्ष से अधिक– 100% |
| संदिग्ध-अप्रतिभूत भाग | 100% | |
| हानि आस्ति | 100% | |

7.5. अतिरिक्त प्रावधान:

कोविड-19 महामारी के प्रभाव और उभरते आर्थिक परिदृश्य के बाद, बैंक कुछ विशिष्ट आस्तियों/आस्तियों के पोर्टफोलियो (निष्पादन/ गैर-निष्पादन) के सापेक्ष विवेक के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान प्रदान करता है, जो विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम से अधिक हो या जैसा कि बैंक उचित समझे और प्रत्येक तिमाही आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी.

7.6. अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएफ़)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

7.7. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.

7.8. पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.

7.9. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता विनियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.10. पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि, वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

7.11. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है. मानक आस्ति प्रावधान आईआरएसी आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2024-2025/12 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 48/21.04.048/2024-25 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 एवं तदनंतर समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार बनाए गए हैं.

7.12. छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर सरकार / सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले दावे जैसे फसल ऋण / निर्यात अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी, प्राप्य पेंशन आदि को छोड़कर 100% पर प्रावधान किया गया है.

## 8. संपत्ति, प्लांट और उपस्कर

8.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास का निवल और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए आस्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है. उपयोग में लाई गई आस्तियों पर किया गया परवर्ती-व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है. भूमि और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है. "संपत्ति, प्लांट और उपस्कर" पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे राजस्व आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाता है.

8.2. बैंक की व्यय नीति में समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं :

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग के वर्ष(वर्ष) | % में दर |
|---|---|---|---|
| 1 | अचल संपत्ति- भूमि | गैर निर्दिष्ट; अतः, कोई मूल्यह्रास नहीं | शून्य |
| 2 | आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों) | 60 | 1.67 |
| 3 | फिक्सचर | 10 | 10.00 |
| 4 | स्टाफ फर्नीचर सहित फर्नीचर | 5 | 20.00 |

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग के वर्ष(वर्ष) | % में दर |
|---|---|---|---|
| 5 | वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/ वातानुकूलित डक्टेबल) | 10 | 10.00 |
| 6 | स्प्लिट एवं विंडो(एकल इकाइयां) वातानुकूलन | 5 | 20.00 |
| 7 | विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण | 5 | 20.00 |
| 8 | सौर ऊर्जा उपकरण | 15 | 6.67 |
| 9 | एलिवेटर एवं लिफ्ट | 15 | 6.67 |
| 10 | पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य | 5 | 20.00 |
| 11 | दूरभाष उपकरण | 5 | 20.00 |
| 12 | मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड | 10 | 10.00 |
| 13 | मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईधन सेल संचालित वाहन | 8 | 12.50 |
| 14 | मोबाइल फोन | 3 | 33.33 |
| 15 | जेनेरेटर | 15 | 6.67 |
| 16 | कार्यालय उपस्कर/उपकरण | 5 | 20.00 |
| 17 | एसडीवी लॉकर, स्ट्रांग रूम, कैश सेफ, गोल्ड सेफ आदि. | 20 | 5.00 |
| 18 | कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 | 33.33 |
| 19 | कम्प्यूटर - अंतिम प्रयोक्ता उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आदि | 3 | 33.33 |
| 20 | एटीएम एवं संबद्ध मदें | 5 | 20.00 |
| 21 | यूपीएस एवं संबद्ध मदें | 5 | 20.00 |
| 22 | सर्वर एवं नेटवर्क | 6 | 16.66 |

8.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यह्रास समिश्र लागत पर लगाया गया है.

8.4. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

## 9. आस्तियों में क्षति

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित आस्ति सहित) पर ह्रास हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी "आस्तियों की क्षति" पर एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है. आंतरिक/ बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि मानी जाती है. क्षति हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. ह्रास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षति हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो ह्रास न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती है.

## 10. प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

## 11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है. एएस-11 की शर्तों के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को ए) एकीकृत परिचालन एवं बी) गैर एकीकृत परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, अंतर्देशीय सहायक संस्थाओं को गैर एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है एवं विदेशी विनिमय और प्रतिनिधि कार्यालयों में घरेलू परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है.

**ए. एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :**

- वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को संशोधित किया जाता है और परिणामी लाभ/ हानि को लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया जाता है.
- आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर, वर्तमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.
- वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. एफईडीएआई द्वारा 'इन-बिट्वीन' परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा

विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है.

- गारंटी, स्वीकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं.

**बी. गैर एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :**

- राजस्व निर्धारण:

  संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है.

- आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण:

  आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं

- अचल आस्ति और मूल्यह्रास:

  अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है.

  संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है.

- आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक के साथ आकस्मिक देयताएं) वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है.

- आय एवं व्यय, संबंधित तिमाही के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर परिवर्तित की जाती है.

- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को 'विदेशी मुद्रा अंतरण रिज़र्व' में संचित किया जाता है.

## 12. कर्मचारी लाभ :

12.1. अल्पावधि रोजगार लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है

कार्यनिष्पादन आधारित पुरस्कारों की प्रकृति में अल्पावधि कर्मचारी लाभ, पुरस्कार के वर्ष में खर्च के रूप में मान्य हैं.

12.2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

12.2.1. निर्धारित अंशदान योजनाएं :

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी वर्तमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

12.2.2. निर्धारित लाभ योजना :

उपदान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

## 13. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17-"खंडवार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में निर्धारित करता है. कारोबार खंडों को वर्गीकृत किया गया है

13.1. ट्रेजरी परिचालन,

13.2. कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

13.3. रिटेल बैंकिंग परिचालन और

(जिसमें डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट है)

13.4. अन्य बैंकिंग परिचालन

## 14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में स्ट्रेट लाइन के आधार पर खर्च के रूप में निर्धारित किया जाता है.

## 15. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है. प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है.

प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित

होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

### 16. कराधान :

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या ऋण (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक 'उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. अनवशोषित-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

### 17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार, बैंक तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसा संभाव्य है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता तब पड़ सकती है जब, देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो.

तुलन पत्र की तारीख पर देयता का निपटान करने के लिए आवश्यक प्रबंधन आकलन के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं, जो समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरित किए जाते हैं. प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलनों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है.

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब वहाँ निम्नलिखित होते हैं;

- किसी पिछली घटना से उत्पन्न होने वाली कोई संभावित देयता, जिसके अस्तित्व की पुष्टि बैंक के नियंत्रण में न होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों के होने अथवा न होने से की जाएगी; अथवा
- किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसे निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह संभाव्य नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है.

  जब कोई संभावित देयता या वर्तमान देयता होती है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

  आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय निर्धारित हो सकती है जिसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता हो.

### 18. शेयर निर्गम व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं.

### 19. डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स:

बैंक के पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स के उपचय और मोचन की प्रणाली है. बैंक एक बीमांकिक पद्धति का उपयोग करके डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स और लागत प्रति पॉइंट के संभावित मोचन का अनुमान लगाता है और बकाया रिवॉर्ड पॉइंट्स पर देयताओं के लिए प्रदान करता है.

# अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स (स्टैंडअलोन): भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन

## 1. विनियामक पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में 01 अक्तूबर, 2021 तक बासेल III कार्यान्वयन के लिए दी गयी है. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III को दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 से पूर्णत: कार्यान्वित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूँजी, सामान्य इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर- I पूंजी (एटी 1) से बनी है.

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2025 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम 8.00% सीईटी I के और न्यूनतम 9.50% टियर I सीआरएआर के (दोनों में 2.50% पूंजी संरक्षण बफर को शामिल करते हुए) तक बनाए रखना आवश्यक है.

### ए) नियामक पूंजी का विन्यास:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|---|
| i. | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों का निवल, यदि कोई हो) | 1,05,464.73 | 90,693.16 |
| ii. | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 8,871.18 | 8,928.65 |
| iii. | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 1,14,335.91 | 99,621.81 |
| iv. | टियर 2 पूंजी | 12,489.05 | 13,066.90 |
| v. | कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) | 1,26,824.96 | 1,12,688.71 |
| vi. | कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए) | 7,03,919.88 | 6,64,188.12 |
| vii. | सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीई 1) | 14.98 | 13.65 |
| viii. | टियर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1) | 16.24 | 15.00 |
| ix. | टियर 2 अनुपात (आरडब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 2) | 1.77 | 1.97 |
| x. | जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी) | 18.02 | 16.97 |
| xi. | लीवरेज अनुपात | 6.99 | 6.56 |
| xii. | शेयरधारिता का प्रतिशत | | |
| | ए. भारत सरकार | 74.76 | 74.76 |
| | बी. राज्य सरकार | -- | -- |
| | सी. प्रायोजक बैंक | -- | -- |
| xiii. | वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता पूंजी की राशि | -- | 8,000.00 |
| xiv. | वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूँजी की राशि, जिसमें से: | | |
| | ए. बासेल III अनुपालक स्थायी गैर-संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | बी. बासेल III अनुपालक जारी ऋण लिखतें | -- | -- |
| xv. | वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से | | |
| | ए. स्थायी संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | बी. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | सी. बासेल III अनुपालक प्रतिदेय अपरिवर्तनीय टीयर 2 बॉण्ड | -- | -- |

### बी. आरक्षित निधियों से आहरण:

वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली है.

## 2. आस्ति देयता प्रबंधन

### ए. आस्तियों तथा देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न

**31 मार्च, 2025 तक**

(₹ करोड़ में)

| | 1 दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दिन -2 महीने | >2-3 महीने | >3-6 महीने | >6 महीने -1 वर्ष | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा राशि | 23,914.44 | 44,353.64 | 24,317.18 | 34,228.26 | 53,530.95 | 56,265.59 | 1,41,776.30 | 2,20,469.72 | 1,36,118.37 | 80,833.79 | 4,93,941.29 | 13,09,749.52 |
| अग्रिम | 12,903.67 | 21,775.32 | 13,291.13 | 25,011.78 | 37,646.00 | 47,720.37 | 80,590.91 | 90,288.04 | 3,46,062.79 | 97,175.66 | 1,81,047.67 | 9,53,513.34 |
| निवेश | 69,461.83 | 8,153.22 | 250.01 | 156.14 | 2,191.50 | 20,634.69 | 3,728.29 | 22,655.66 | 42,046.56 | 33,955.70 | 1,51,147.81 | 3,54,381.40 |
| उधार | 437.39 | -- | 21.76 | -- | 849.59 | 119.28 | 164.03 | 1,556.76 | 7,257.10 | 1,032.98 | 15,902.89 | 27,341.79 |
| विदेशी मुद्रा की आस्तियां | 4,612.86 | 11,748.42 | 980.88 | 6,216.13 | 6,934.67 | 10,509.04 | 14,128.09 | 11,889.51 | 7,332.49 | 15,082.23 | 5,178.38 | 94,612.70 |
| विदेशी मुद्रा की देयताएं | 871.34 | 2,441.41 | 219.07 | 3,213.85 | 5,099.82 | 5,818.45 | 9,264.51 | 11,682.65 | 8,493.59 | 7,031.03 | 4,257.41 | 58,393.13 |

**31 मार्च, 2024 तक**

(₹ करोड़ में)

| | 1 दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दिन -2 महीने | >2-3 महीने | >3-6 महीने | >6 महीने -1 वर्ष | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा राशि | 19,410.10 | 33,208.26 | 22,143.36 | 25,751.19 | 42,907.50 | 51,874.76 | 1,03,759.29 | 2,16,081.39 | 1,45,106.60 | 78,448.20 | 4,82,837.71 | 12,21,528.37 |
| अग्रिम | 13,285.99 | 14,564.07 | 8,913.90 | 30,508.21 | 5,135.11 | 32,215.53 | 61,063.28 | 1,15,928.51 | 3,74,856.25 | 90,661.97 | 1,23,643.26 | 8,70,776.09 |
| निवेश | 79,848.28 | 12,924.06 | 1,247.76 | 2,707.86 | 6,481.38 | 24,894.11 | 7,995.66 | 12,778.18 | 39,693.86 | 33,590.35 | 1,15,742.03 | 3,37,903.53 |
| उधार | 448.60 | 670.18 | 41.18 | 12.95 | 936.64 | 60.47 | 1148.71 | 209.15 | 6,509.99 | 15.07 | 16,895.43 | 26,948.37 |
| विदेशी मुद्रा की आस्तियां | 3,475.74 | 3,916.55 | 425.06 | 2,638.65 | 1,989.97 | 8,240.88 | 21,408.96 | 11,856.16 | 17,711.70 | 6,975.90 | 2,492.31 | 81,131.87 |
| विदेशी मुद्रा की देयताएं | 805.73 | 3,088.91 | 160.77 | 555.08 | 2,440.51 | 3,365.04 | 8,360.78 | 8,613.80 | 10,801.49 | 3,503.01 | 3,027.12 | 44,722.23 |

### बी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर चलनिधि दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

**एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का निवल नकदी बहिर्वाह है.**

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{\text{30 दिनों में निवल नकद बहिर्वाह}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता कैलेंडर वर्ष 2019 के बाद के लिए 100% है. एलसीआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है.

**उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए):**

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रुप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार-रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालानात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती है, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं. एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को चलनिधि एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में पुन: विभाजित किया जाता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रुप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) का आधिक्य, सीमांत स्थायी सुविधा (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी निवल मांग एवं मियादी देयताओं का 2%) एवं एफएएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताओं का 16%) शामिल है.

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद मार्जिन लागू है. स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भार के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% मार्जिन लागू है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्तर 2बी आस्तियां मुख्य रुप से 20% से ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं, जिनका जोखिम भार अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है.

**निवल नकदी बहिर्वाह**

कुल अनुमानित नकदी बहिर्वाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्वाह को घटाने पर कुल निवल नकदी प्रवाह परिभाषित होता है. नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे खुदरा (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधीयन ₹ 7.5 करोड़ तक है) एवं गैर वित्तीयन ग्राहकों (एनएफ़सी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को अलग करता है. कुल अनुमानित नकदी बहिर्वाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्वाह का आकलन किया जाता है.

**बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी**

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्ति तीन महीने के दौरान बैंक ने ₹ 2,84,439.29 करोड़ औसत एचक्यूएलए बनाए रखा है. बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं. एचक्यूएलए के कुल स्टॉक 8% योगदान है. दिनांक 31 मार्च, 2025 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए इनका अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 68% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि की सुविधा हेतु उपलब्ध है. स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, 40% की अधिकतम स्वीकार्य /अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 2% है.

बैंक का एक्सपोजर मुख्यत: भारतीय रूपए में है. कुल निधीयन स्रोतों का बड़ा भाग बेजमानती थोक निधीयन से बना है. खुदरा जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमश: लगभग 20% और 4% है. कुल भारित नकदी बहिर्वाह का लगभग 30% गैर वित्तीय कॉर्पोरेट से जमा है. बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलत: बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साख पत्र (एलसी) शामिल हैं. कुल भारित नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 75% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्वाह का योगदान है.

बैंक ने 31 मार्च, 2025 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है. 68 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है. 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 130.61% औसत एलसीआर के सापेक्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 130.67% है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता 100% से काफी अधिक है.

### वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन

(₹ करोड़ में)

| अवधि | तिमाही | | | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
| एलसीआर अनुपात | 138.45 | 144.12 | 130.61 | 130.67 | 135.84 | 141.10 |

### मात्रात्मक प्रकटीकरण (तिमाही वार)

((₹ करोड़ में)

| | 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| **उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां** | | | | | | | | | | |
| 1. कुल उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियां (एचक्यूएलए) | 2,76,525.16 | 2,75,225.07 | 285,796.43 | 284,638.08 | 299,634.15 | 298,539.12 | 282,911.73 | 281,873.01 | 2,85,488.99 | 2,84,439.29 |
| **नकदी बहिर्वाह** | | | | | | | | | | |
| 2. खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से: | 6,88,810.91 | 59,623.04 | 710,049.41 | 61,305.86 | 713,692.91 | 61,509.04 | 727,043.74 | 62,608.22 | 7,32,918.63 | 63,012.35 |
| i. स्थिर जमा राशियां | 1,85,160.97 | 9,258.05 | 193,981.66 | 9,699.08 | 197,204.99 | 9,860.25 | 201,922.99 | 10,096.15 | 2,05,590.31 | 10,279.52 |
| ii. कम स्थिर जमा राशियां | 5,03,649.94 | 50,364.99 | 516,067.76 | 51,606.78 | 516,487.92 | 51,648.79 | 525,120.75 | 52,512.07 | 5,27,328.32 | 52,732.83 |
| 3. बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से: | 2,82,702.34 | 1,48,709.89 | 277,673.41 | 143,738.83 | 275,806.93 | 145,268.70 | 270,604.68 | 147,823.22 | 2,77,289.57 | 1,58,676.28 |
| i. परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षी निधीयन) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| ii. गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षी निधीयन) | 2,82,702.34 | 1,48,709.89 | 277,673.41 | 143,738.83 | 275,806.93 | 145,268.70 | 270,604.68 | 147,823.22 | 2,77,289.57 | 1,58,676.28 |
| iii. बेजमानती ऋण | | | | | | | | | | |
| 4. जमानती थोक निधियां | 8,195.96 | -- | 2,805.00 | -- | 192.99 | -- | 1,582.76 | 29.13 | 3,075.97 | 5.04 |

((₹ करोड़ में)

| | 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही तक | | 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| 5. अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से | 2,31,221.16 | 26,709.58 | 167,955.38 | 19,093.06 | 175,366.00 | 22,076.15 | 221,751.51 | 28,875.20 | 2,00,018.74 | 24,388.14 |
| i. डेरीवेटिव एक्सपोज़र एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह | 88.38 | 88.38 | -- | 88.39 | 81.64 | 81.64 | 115.30 | 115.30 | 151.22 | 151.22 |
| ii. ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्वाह | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| iii. ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं | 2,31,132.79 | 26,621.20 | 167,866.98 | 19,004.66 | 175,284.36 | 21,994.52 | 221,636.21 | 28,759.89 | 1,99,867.52 | 24,236.92 |
| 6. अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता | 4,227.18 | 4,227.18 | 15,987.64 | 15,987.64 | 13,381.05 | 13,381.05 | 12,572.04 | 12,572.04 | 13,615.25 | 13,615.25 |
| 7. अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता | 92,549.25 | 2,776.48 | 93,038.06 | 2,791.14 | 91,794.03 | 2,753.82 | 92,278.44 | 2,768.35 | 93,706.21 | 2,811.19 |
| 8. कुल नकदी बहिर्वाह | 13,07,706.80 | 2,42,046.16 | 12,67,508.90 | 242,916.52 | 12,70,233.90 | 244,988.76 | 1,325,833.16 | 254,676.17 | 13,20,624.37 | 2,62,508.25 |
| **नकदी अंतर्वाह** | | | | | | | | | | |
| 9. जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो) | 3,346.50 | -- | 7,680.29 | -- | 10,219.04 | -- | 2,954.05 | -- | 3,375.17 | 0.00 |
| 10. पूर्णत: अर्जक एक्सपोज़र से अंतर्वाह | 39,303.74 | 25,766.50 | 45,907.06 | 30,676.06 | 41,499.69 | 28,813.49 | 41,376.19 | 29,322.40 | 47,405.36 | 35,626.41 |
| 11. अन्य नकद अंतर्वाह | 7,618.29 | 7,618.29 | 6,645.09 | 6,645.09 | 9,034.70 | 9,034.70 | 9,538.40 | 9,538.40 | 9,208.66 | 9,208.66 |
| **12. कुल नकद अंतर्वाह** | 50,268.53 | 33,384.80 | 60,232.43 | 37,321.15 | 60,753.44 | 37,848.20 | 53,868.64 | 38,860.80 | 59,989.19 | 44,835.07 |
| **13. कुल एचक्यूएलए** | | 2,75,225.07 | | 284,638.08 | | 298,539.12 | | 281,873.01 | | 2,84,439.29 |
| 14. कुल निवल नकद बहिर्वाह | | 2,08,661.36 | | 205,595.38 | | 207,140.56 | | 215,815.37 | | 2,17,673.19 |
| 15. चलनिधि कवरेज अनुपात (%) | | 131.90% | | 138.45% | | 144.12% | | 130.61% | | 130.67% |

## सी. निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)

**गुणानात्मक प्रकटीकरण:**

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) का उद्देश्य बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफ़ाइल की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना तथा लंबे समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिरोध क्षमता को और अधिक संवर्धित करना है. एनएसएफ़आर के अनुसार बैंकों को उनके तुलन पत्रेत्तर गतिविधियों के विन्यास संबंधी पूंजी तथा आस्तियों के रूप में स्थिर निधीयन प्रोफ़ाइल को बनाए रखने की आवश्यकता है.

एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है.

$$\text{एनएसएफ़आर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़)}} > 100\%$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2018 में लगभग 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधीयन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियमों को जारी किया. यह कार्यान्वयन 1 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी है. एनएसएफ़आर बैंक के देशी परिचालनों के साथ ही विदेशी परिचालनों में भी लागू है तथा स्टैंडअलोन तथा समेकित स्तर पर इसका परिचालन किया जाता है.

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) को विश्वास करने योग्य पूंजी तथा देयताओं के अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 100 % भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले देयताओं सहित उनके प्रकार तथा देयताओं की परिपक्वता के अनुसार विविध कारक भारांकों द्वारा निर्धारित किया जाता है.

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) को तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेत्तर के एक्सपोजरों के अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर निधीयन की आवश्यकता है. स्थिर निधीयन आवश्यकता की राशि, धारित विविध आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वताओं पर आधारित है.

**बैंक के एनएसएफ़आर का संक्षिप्त परिचय**

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) के मुख्य घटक पूंजी आधार, खुदरा जमाराशि आधार तथा गैर-वित्तीय कंपनियों से निधीयन तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घ-अवधि निधीयन है. संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल उपलब्ध स्थिर निधीयन का पूंजी आधार लगभग 12%, खुदरा जमा (लघु आकार के कारोबार ग्राहकों से जमाराशि सहित) 71% तथा थोक निधीयन 16% हुआ है.

आवश्यक स्थिर निधीयन में प्रारम्भ में कॉर्पोरेट, खुदरा ग्राहकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करना शामिल है, जिसमें संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल आरएसएफ़ का 89% होता है. उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और आरक्षित निधि शेषराशि भी शामिल हैं. सरकारी ऋण निर्गम उनके उच्च गुण तथा तरल विशेषता के कारण शून्य या निम्न राशि की स्थिर निधीयन को आकर्षित करती है. तदनुसार, संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात एचक्यूएलए में आवश्यक स्थिर निधीयन का केवल 2% शामिल है. आवश्यक स्थिर निधीयन में अन्य आस्तियों तथा आकस्मिक निधीयन दायित्व जैसे समर्पित ऋण सुविधाएं, गारंटी तथा साख पत्र के 9% शामिल हैं.

बैंक ने आवश्यकता स्थिर निधीयन के रु. 10,17,065.46 करोड़ के सापेक्ष समेकित स्तर के रु. 8,12,945.81 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधीयन सहित संतोषजनक स्थिर निधीयन बफर को बनाए रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 2024 तक समेकित एनएसएफ़आर 125.11% हुआ है.

**मात्रात्मक प्रकटीकरण: चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च, 2025 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | |
| | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारांकित मूल्य |
| **एएसएफ़ मद** | | | | | |
| 1. पूंजी: (2+3) | 1,08,430.91 | -- | -- | 18,602.11 | 1,27,033.02 |
| 2. विनियामक पूंजी | 1,08,430.91 | -- | -- | 964.11 | 1,09,395.02 |
| 3. अन्य पूंजी लिखतें | -- | -- | -- | 17,638.00 | 17,638.00 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च, 2025 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | |
| | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारांकित मूल्य |
| 4. छोटे कारोबार ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशि: (5+6) | 3,43,565.17 | 1,87,586.21 | 1,60,183.72 | 96,579.75 | 7,18,218.95 |
| 5. स्थिर जमा | 73,310.78 | 44,317.37 | 60,061.25 | 1,848.27 | 1,70,653.20 |
| 6. कम स्थिर जमा | 2,70,254.39 | 1,43,268.85 | 1,00,122.48 | 94,731.48 | 5,47,565.75 |
| 7. थोक निधीयन: (8+9) | 82,803.91 | 2,41,245.60 | 1,90,003.91 | 10,660.95 | 1,64,480.14 |
| 8. परिचालनात्मक जमा | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. अन्य थोक निधीयन | 82,803.91 | 2,41,245.60 | 1,90,003.91 | 10,660.95 | 1,64,480.14 |
| 10. अन्य देयताएं:(11+12) | 68,561.20 | 1,592.05 | 1,556.76 | 6,554.97 | 7,333.35 |
| 11. एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी | 68,561.20 | 1,592.05 | 1,556.76 | 6,554.97 | 7,333.35 |
| 13. कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) | | | | | **10,17,065.46** |
| **आरएसएफ़ मद** | | | | | |
| 14. उच्च गुणवत्ता युक्त चलनिधियां एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए) | | | | | 14,254.77 |
| 15. परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि | 1,503.05 | -- | -- | -- | 751.53 |
| 16. अर्जक ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) | 1,837.18 | 2,78,751.02 | 75,390.74 | 7,36,037.35 | 7,23,150.86 |
| 17. स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण | -- | 499.52 | -- | -- | 49.95 |
| 18. गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण | -- | 1,61,066.20 | 17,204.84 | 82,089.12 | 1,08,831.82 |
| 19. गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से: | -- | 1,13,930.10 | 51,517.09 | 6,01,671.95 | 5,64,449.61 |
| 20. ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | -- | 29,611.69 | 2,119.77 | 1,46,712.09 | 1,11,228.59 |
| 21. अर्जक आवसीय बंधक, जिनमें से: | -- | 0.96 | 7.78 | -- | 4.37 |
| 22. ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | -- | 0.96 | 7.78 | -- | 4.37 |
| 23. एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं | 1,837.18 | 3,254.23 | 6,661.03 | 52,276.27 | 49,815.11 |
| 24. अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग) | 33,046.90 | 36,732.45 | 157.42 | 291.36 | 59,821.68 |
| 25. स्वर्ण सहित भौतिक रुप से खरीदे-बेचे गए उत्पाद | -- | | | | -- |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च, 2025 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | |
| | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारांकित मूल्य |
| 26. व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के चूक निधि को अंशदान | | 22,467.05 | -- | -- | 19,096.99 |
| 27. एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 212.02 | -- | -- | 212.02 |
| 28. पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 138.04 | -- | -- | 138.04 |
| 29. उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां | 33,046.90 | 13,915.34 | 157.42 | 291.36 | 40,374.63 |
| 30. तुलन पत्रेतर मदें | | 3,37,064.13 | -- | 2.19 | 14,966.97 |
| 31. कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) | | | | | 8,12,945.81 |
| 32. निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) | | | | | 125.11% |

**मात्रात्मक प्रकटीकरण: विगत वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च, 2024 तक समेकित एनएसएफ़आर टेम्पलेट का प्रकटीकरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | |
| | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारांकित मूल्य |
| **एएसएफ़ मद** | | | | | |
| 1. पूंजी: (2+3) | 91,996.45 | - | - | 18,613.20 | 1,10,609.65 |
| 2. विनियामक पूंजी | 91,996.45 | - | - | 975.20 | 92,971.65 |
| 3. अन्य पूंजी लिखतें | - | - | - | 17,638.00 | 17,638.00 |
| 4. छोटे कारोबार ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशि: (5+6) | 3,41,501.15 | 1,42,921.67 | 2,63,747.55 | 2,592.61 | 6,88,497.49 |
| 5. स्थिर जमा | 44,165.68 | 35,474.14 | 1,71,391.45 | 1,948.16 | 2,40,427.87 |
| 6. कम स्थिर जमा | 2,97,335.47 | 1,07,447.53 | 92,356.10 | 644.45 | 4,48,069.63 |
| 7. थोक निधीयन: (8+9) | 64,140.06 | 1,87,731.33 | 2,13,924.89 | 8,095.20 | 2,01,296.88 |
| 8. परिचालनात्मक जमा | - | - | - | - | - |
| 9. अन्य थोक निधीयन | 64,140.06 | 1,87,731.33 | 2,13,924.89 | 8,095.20 | 2,01,296.88 |
| 10. अन्य देयताएं: (11+12) | 52,122.10 | 3,318.73 | 209.15 | 5,782.49 | 5,782.49 |
| 11. एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं | 299.96 | - | - | - | - |
| 12. उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी | 51,822.14 | 3,318.73 | 209.15 | 5,782.49 | 5,782.49 |
| 13. कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) | | | | | 10,06,186.51 |
| **आरएसएफ़ मद** | | | | | |
| 14. उच्च गुणवत्ता युक्त चलनिधियां एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए) | | | | | 13,698.71 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च, 2024 तक समेकित एनएसएफ़आर टेम्पलेट का प्रकटीकरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | |
| | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारांकित मूल्य |
| 15. परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि | 31.70 | - | - | - | 15.85 |
| 16. अर्जक ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) | 1,051.84 | 2,06,640.59 | 70,297.20 | 7,20,266.39 | 6,85,413.95 |
| 17. स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण | - | - | - | - | - |
| 18. गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण | - | 1,03,910.33 | 12,430.86 | 48,440.81 | 65,065.86 |
| 19. गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से: | - | 1,00,942.14 | 55,664.22 | 5,36,577.45 | 5,16,020.79 |
| 20. ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | - | 47,632.78 | 7,032.60 | 1,38,815.57 | 1,17,562.81 |
| 21. अर्जक आवसीय बंधक, जिनमें से: | - | 318.84 | 111.31 | 68,149.95 | 44,512.54 |
| 22. ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | - | 318.84 | 111.31 | 68,149.95 | 44,512.54 |
| 23. एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं | 1,051.84 | 1,469.28 | 2,090.82 | 67,098.19 | 59,814.75 |
| 24. अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग) | 56,161.74 | 16,118.93 | - | 2,048.80 | 67,566.63 |
| 25. स्वर्ण सहित भौतिक रुप से खरीदे-बेचे गए उत्पाद | - | | | | - |
| 26. व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के चूक निधि को अंशदान | | 3,627.67 | - | - | 3,083.52 |
| 27. नएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | - | - | - | - |
| 28. पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 53.87 | - | - | 53.87 |
| 29. उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां | 56,161.74 | 12,437.38 | - | 2,048.80 | 64,429.24 |
| 30. तुलन पत्रेतर मदें | | 2,54,595.66 | 52.00 | - | 10,878.67 |
| 31. कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) | | | | | 7,77,573.81 |
| 32. निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) | | | | | 129.40% |

## 3. निवेश

### ए. निवेश संविभाग का विन्यास यथा 31.03.2025

(₹ करोड़ में)

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | कुल निवेश (भारत में+ भारत के बाहर निवेश) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर एवं बॉण्ड | सहायक संस्था और/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) | सहायक संस्था और/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | |
| **परिपक्वता तक धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 2,55,001.95 | -- | -- | 49,123.65 | -- | -- | 3,04,125.60 | -- | -- | -- | -- | 3,04,125.60 |
| कम: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) | -- | -- | -- | (218.45) | -- | -- | (218.45) | -- | -- | -- | -- | (218.45) |
| **निवल** | **2,55,001.95** | **--** | **--** | **48,905.20** | **--** | **--** | **3,03,907.15** | **--** | **--** | **--** | **--** | **3,03,907.15** |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 13,677.43 | -- | 56.73 | 5,412.96 | -- | 6,270.87 | 25,418.00 | 2,775.33 | -- | 12.70 | 2,788.03 | 28,206.03 |
| घटाएं: अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान | -- | -- | (56.73) | (1,392.16) | -- | (115.00) | (1,563.90) | -- | -- | (12.70) | (12.70) | (1,576.60) |
| **Net** | **13,677.43** | **--** | **--** | **4,020.80** | **--** | **6,155.87** | **23,854.10** | **2,775.33** | **--** | **--** | **2,775.33** | **26,629.43** |
| **FVTPL/Held for Trading** | | | | | | | | | | | | |
| निवल | 14,394.58 | -- | 6,297.89 | 2,338.85 | -- | 2,707.89 | 25,739.21 | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 25,739.77 |
| घटाएं: अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान | -- | -- | (2,466.95) | (228.37) | -- | (870.70) | (3,566.02) | -- | -- | -- | -- | (3,566.02) |
| **निवल** | **14,394.58** | **--** | **3,830.94** | **2,110.49** | **--** | **1,837.19** | **22,173.20** | **--** | **--** | **0.56** | **0.56** | **22,173.76** |
| कुल निवेश | 2,83,073.96 | -- | 6,354.62 | 56,875.46 | 526.82 | 8,978.76 | 3,55,809.63 | 2,775.33 | 1,144.23 | 13.26 | 3,932.82 | 3,59,742.45 |
| घटाएं: अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान | -- | -- | (2,523.68) | (1,838.98) | -- | (985.70) | (5,348.37) | -- | -- | (12.70) | (12.70) | (5,361.07) |
| **निवल** | **2,83,073.96** | **--** | **3,830.94** | **55,036.49** | **526.82** | **7,993.06** | **3,50,461.26** | **2,775.33** | **1,144.23** | **0.56** | **3,920.12** | **3,54,381.38** |

**नोट:**

1. एएफएस और एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो का सकल मूल्य निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि यानी निवेश के उचित मूल्य को शामिल करता है, जबकि एचटीएम और सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम केवल बही मूल्य को दर्शाती है.
2. आरबीआई परिपत्र के अनुसार सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से भिन्न एक अलग श्रेणी में रखे जाते हैं.

**निवेश संविभाग का संगठन यथा 31.03.2024**

(₹ करोड़ में)

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर एवं बॉन्ड | सहायक संस्था और/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) | सहायक संस्था और/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | (भारत में+ भारत के बाहर निवेश) |
| **परिपक्वता तक धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 2,29,580.78 | -- | -- | 44,183.32 | 393.81 | 335.18 | 2,74,493.09 | -- | 1,148.71 | 0.40 | 1,149.11 | 2,75,642.20 |
| कम: अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान | -- | -- | -- | (218.45) | (5.00) | -- | (223.45) | -- | (4.50) | -- | (4.50) | (227.95) |
| **निवल** | **2,29,580.78** | **--** | **--** | **43,964.87** | **388.81** | **335.18** | **2,74,269.64** | **--** | **1,144.22** | **0.40** | **1,144.62** | **2,75,414.26** |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 43,684.76 | -- | 4,997.56 | 15,141.69 | -- | 4,843.90 | 68,667.91 | 1,914.67 | -- | 12.67 | 1,927.34 | 70,595.25 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | (122.17) | -- | (2,774.95) | (3,153.13) | -- | (2,445.21) | (8,495.47) | -- | -- | (12.39) | (12.39) | (8,507.86) |
| **निवल** | **43,562.59** | **--** | **2,222.61** | **11,988.56** | **--** | **2,398.69** | **60,172.44** | **1,914.67** | **--** | **0.28** | **1,914.95** | **62,087.39** |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 106.88 | -- | -- | 295.00 | -- | -- | 401.88 | -- | -- | -- | -- | 401.88 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **निवल** | **106.88** | **--** | **--** | **295.00** | **--** | **--** | **401.88** | **--** | **--** | **--** | **--** | **401.88** |
| कुल निवेश | 2,73,372.42 | -- | 4,997.56 | 59,620.01 | 393.81 | 5,179.08 | 3,43,562.88 | 1,914.67 | 1,148.71 | 13.07 | 3,076.45 | 3,46,639.33 |
| घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान | -- | -- | -- | (218.45) | (5.00) | - | (223.45) | -- | (4.50) | -- | (4.50) | (227.95) |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | (122.17) | -- | (2,774.95) | (3,153.13) | - | (2,445.21) | *(8,495.47) | -- | -- | (12.39) | (12.39) | (8,507.86) |
| **निवल** | **2,73,250.25** | **--** | **2,222.61** | **56,248.42** | **388.81** | **2,733.87** | **3,34,843.96** | **1,914.67** | **1,144.22** | **0.68** | **3,059.57** | **3,37,903.53** |

*आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2023-24/90डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19.12.2023 में ₹ 19.54 करोड़ का आकस्मिक प्रावधान ₹ 8495.47 करोड़ की प्रावधान राशि में शामिल है.

नोट: 1. सहायक कंपनियों और /या संयुक्त उद्यम (भारत में एवं भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.

2. अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.

3. मूल्यह्रास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.

## बी. मूल्यह्रास तथा निवेश अस्थिर आरक्षित के लिए प्रावधानों का विचलन

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | निवेशों पर मूल्यह्रास के धारित प्रावधान का विचलन | | |
| | ए. प्रारम्भिक शेष | 8,735.80 | 7,855.57 |
| | बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 279.72 | 1,935.92 |
| | सी. घटाएँ: वर्ष के दौरान आधिक्य प्रावधान को बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन# | 1,643.70 | 1,055.69 |
| | डी. घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना t ## | 3,126.25 | -- |
| | ई. अंतिम शेष | 4,245.57 | 8,735.80 |
| ii. | निवेश अस्थिर आरक्षित का विचलन | | |
| | ए. प्रारम्भिक शेष | 1,381.40 | 1,352.96 |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि | -- | 28.44 |
| | सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी | -- | -- |
| | डी) अंतिम शेष | 1,381.40 | 1,381.40 |
| iii. | एएफ़एस तथा एएफ़टी/वर्तमान श्रेणी में निवेशों की अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफ़आर में अंतिम शेष | 2.70 | 2.00 |
| iv. | निवेश आरक्षित निधि का प्रवाह | | |
| | ए. प्रारम्भिक शेष | 329.69 | 176.90 |
| | बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि | -- | 152.79 |
| | सी. घटाएं: आहरण द्वारा कमी | 329.69 | -- |
| | डी. अंतिम शेष | -- | 329.69 |

**चालू वर्ष के लिए नोट**

# इसमें आरबीआई मास्टर निर्देश वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो पर परिचालन सितंबर 2023 तथा एनपीआई प्रावधान के प्रतिवर्तन के अनुपालन में निवेश पर पुनर्मूल्यांकन लाभ शामिल है.

## आरबीआई मास्टर निर्देश वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो पर परिचालन सितंबर 2023 के अनुपालन में, 31 मार्च, 2024 तक मूल्यह्रास के लिए प्रावधान का शेष राजस्व/सामान्य रिजर्व में प्रतिवर्तित किया जाता है.

## सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक के बही मूल्य के निवेश का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. उपर्युक्त से 5% प्रारंभिक सीमा अलग होगी:

i) लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा निदेशक मण्डल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के एकबारगी अंतरण की जाने की अनुमति है.

ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में अधोगामी संशोधन के तदनुसार एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कम करने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष विक्रय.

iii) भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-सैप) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय.

iv) भारत सरकार द्वारा वापस खरीदने/परिचालन अंतरण के अंतर्गत बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों को पुन: खरीदना.

v) बायबैक/स्विच परिचालन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों को पुन: खरीदना.

vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण.

## डी. गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

### i) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए. | प्रारंभिक शेष | 5,873.53 | 5,925.60 |
| बी. | 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि | 247.28 | 906.97 |
| सी. | उपरोक्त अवधि के दौरान कमी | 548.04 | 959.04 |
| डी. | अंतिम शेष | 5,572.77 | 5,873.53 |
| ई. | उपरोक्त पर कुल धारित प्रावधान | 5,348.37 | 5,597.16 |

### ii) गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| जारीकर्ता | | राशि | | निजी आबंटन की मात्रा | | निवेश स्तर से नीचे' प्रतिभूतियों की मात्रा | | 'गैर- निर्धारित' प्रतिभूतियों की मात्रा | | 'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 |
| ए. | पीएसयू | 3,883.37 | 3,146.01 | 2,332.36 | 926.13 | -- | -- | 2,303.37 | 2,661.74 | 0.58 | 0.58 |
| बी. | वित्तीय संस्थाएं | 2,528.81 | 2,032.00 | 1,799.19 | 611.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| सी. | बैंक | 6,195.90 | 1,641.16 | 1,445.40 | 1,016.68 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| डी. | निजी कॉर्पोरेट | 12,588.01 | 15,070.88 | 9,591.64 | 12,946.07 | 24.34 | 18.45 | 226.80 | 426.91 | 369.45 | 125.70 |
| ई. | सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम | 1,671.05 | 1,542.52 | 1,671.05 | 1,542.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| एफ़. | अन्य | 49,801.34 | 49,834.33 | 45,611.23 | 46,438.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| जी. | घटाएँ: गैर-एसएलआर निवेश पर मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान | (5,361.07) | (8,613.63) | -- | -- | -- | -- | -- | (0.69) | -- | (13.08) |
| **कुल** | | **71,307.43** | **64,653.27** | **62,450.87** | **63,481.50** | **24.34** | **18.45** | **2535.17** | **3,092.96** | **370.03** | **113.20** |

## ई. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में संव्यवहार सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदी एवं बेची गई प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए है.

**चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | | दिनांक 31.03.2025 को बकाया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | | | | | | |
| **ए.** | **रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | **एमवी** | **एफ़वी** | **एमवी** | **एफ़वी** | **एमवी** | **एफ़वी** | **एमवी** | **एफ़वी** |
| | i. सरकारी प्रतिभूतियां | -- | -- | 14,086.83 | 13,810.74 | 1,068.37 | 1,050.64 | -- | -- |
| | ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **बी.** | **रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां** | एमवी | एफ़वी | एमवी | एफ़वी | एमवी | एफ़वी | एमवी | एफ़वी |
| | i. सरकारी प्रतिभूतियां | -- | -- | 30,377.14 | 30,377.14 | 3,743.38 | 3,799.22 | -- | -- |
| | ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | -- | -- | 49.99 | 50.00 | 1.05 | 1.05 | -- | -- |
| | iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

#एमवी बाजार मूल्य के लिए

##एफ़वी अंकित मूल्य के लिए

**विगत वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | दिनांक 31.03.2024 को बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| **रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | | |
| **ए.** | **रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| | i. सरकारी प्रतिभूतियां | -- | 24,370.64 | 4,530.91 | -- |
| | ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |
| | iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां | -- | 10.33 | 0.17 | -- |
| **बी.** | **रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| | i. सरकारी प्रतिभूतियां | -- | 17,048.62 | 3,303.65 | 9,277.25 |
| | ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |
| | iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |

## एफ़. सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाज़ार मूल्य के अनुसार)

**चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा | दिनांक 31.03.2025 को बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |

**विगत वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा | दिनांक 31.03.2024 को बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- | -- |

I) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी की प्रतिभूतियों के बिक्री पर ₹ 605.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 290.89 करोड़) के लाभ को शुरुआत में लाभ तथा हानि खाते में लिया गया.

II) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के संबंध में, वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत के अतिदेय ₹ 496.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 684.19 करोड़) हुआ है.

नोट: पिछले वर्ष के दौरान, केवल प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत की अधिकता को वर्ष के दौरान परिशोधित किया गया. हालाँकि, आरबीआई मास्टर निर्देश - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन सितंबर 2023 के अनुसार, 01.04.2024 से बही में अधिग्रहण लागत पर अंकित मूल्य की अधिकता को भी अर्जित किया जाना चाहिए.

III) शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर तथा म्यूचुअल फ़ंड/वेंचर पूंजी फ़ंड इक्विटी की इकाइयों और साथ ही अग्रिमों में भी किए गए कुल निवेश के सापेक्ष शेयर का योग ₹ 3837.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4373.62 करोड़ है).

IV) आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2023-24/90 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19 दिसंबर, 2023 और आरबीआई/2023-24/140 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2023-24 दिनांक 27 मार्च, 2024 के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश के संबंध में रू. 15.20 करोड़ का प्रावधान किया है और पिछले वर्ष के लिए रू. 19.54 करोड़ अर्थात 31 मार्च, 2024 को प्रदान किए गए थे.

जी. केंद्र सरकार ने 07 अप्रैल, 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई07042025-262339 के माध्यम से चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित), आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित), सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) को एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय करने की अधिसूचना जारी की, जिसे यूनियन बैंक ऑफ

इंडिया के प्रायोजक के तहत आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक कहा जाएगा। तदनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक को 01 मई, 2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ) में विलय कर दिया जाएगा.

एच. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों में परिवर्तनों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है, जैसा कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाया गया था, निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के अलावा, जो कि 1 अप्रैल, 2024 से लागू होने वाले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 पर 12 सितंबर, 2023 के मास्टर निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 के अनुसार है.

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में क्रमशः संबंधित पिछली अवधि और पिछले वार्षिक आंकड़े तुलनीय नहीं हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2023 को जारी निर्देशों के अनुसार, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) और कारोबार के लिए धारित उचित मूल्य (एफवीएचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों (सुरक्षा प्राप्तियों सहित) के पुनर्मूल्यांकन के कारण आय में ₹ 1,175.41 करोड़ की निवल वृद्धि हुई है और 31 मार्च, 2025 तक सामान्य आरक्षित और एएफएस रिजर्व में क्रमशः ₹1,593.34 करोड़ और ₹96.51 करोड़ की वृद्धि (करों का निवल) हुई है.

## 4. आस्ति गुणवत्ता

### ए. अग्रिम एवं धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

| चालू वर्ष | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैर-निष्पादित अग्रिम | |
| **सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 8,61,786.17 | 7,900.42 | 24,833.99 | 10,363.31 | 43,097.73 | 9,04,883.90 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि | | | | | 12,073.93 | |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी* | | | | | 19,821.28 | |
| अंतिम शेष | 9,47,544.05 | 8,616.42 | 19,807.64 | 6,926.32 | 35,350.38 | 9,82,894.43 |
| *सकल एनपीए में कमी के कारण: | | | | | 19,821.28 | |
| I. उन्नयन | | | | | 3,262.63 | |
| II. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर) | | | | | 4,925.27 | |
| III. तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना | | | | | 8,792.52 | |
| IV. उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अतिरिक्त अन्य को बट्टे खाते में डालना | | | | | 2,840.86 | |
| **प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधान का प्रारंभिक शेष | 5,977.38 | 2,181.45 | 21,392.83 | 10,214.69 | 33,788.97 | 39,766.35 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | 81.28 | | | | 7,308.49 | 7,389.77 |
| घटाएँ: वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते में डाले गए ऋण | 15.93 | | | | 11,881.14 | 11,897.07 |
| धारित प्रावधान का अंतिम शेष | 6,042.73 | 3,355.94 | 18,965.70 | 6,894.68 | 29,216.32 | 35,259.05 |
| विविध जमाराशि में रखी गई राशि - प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि | | | | | 164.76 | 164.76 |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | 5,702.09 | 3,287.83 | - | 8,989.92 | 8,989.92 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि | | | | | 4,765.44 | 4,765.44 |
| घटाए: वर्ष के दौरान कमी | | | | | 7,786.07 | 7,786.07 |
| अंतिम शेष | | 5,260.14 | 709.15 | - | 5,969.29 | 5,969.29 |

## अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

| विगत वर्ष | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैर-निष्पादित अग्रिम | |
| **सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 7,48,918.02 | 7,118.16 | 34,950.72 | 18,918.41 | 60,987.29 | 8,09,905.31 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 11,876.65 | |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी* | | | | | 29,766.01 | |
| अंतिम शेष | 8,61,786.17 | 7,900.43 | 24,833.99 | 10,363.31 | 43,097.73 | 9,04,883.90 |
| *सकल एनपीए में कमी के कारण: | | | | | 29,766.01 | |
| I. उन्नयन | | | | | 4,212.51 | |
| II. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर) | | | | | 7,289.49 | |
| III. तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते में डालना | | | | | 15,457.95 | |
| IV. उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अतिरिक्त अन्य को बट्टे खाते में डालना | | | | | 2,806.06 | |
| **प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधान का प्रारंभिक शेष | 5,579.56 | 1,892.61 | 27,035.25 | 18,701.32 | 47,629.18 | 53,208.74 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि | 700.73 | | | | 6,387.29 | 7,088.02 |
| घटाएँ: वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते में डाले गए ऋण | 302.91 | | | | 20,227.50 | 20,530.41 |
| धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि | 5,977.38 | 2,181.45 | 21,392.83 | 10,214.69 | 33,788.97 | 39,766.35 |
| विविध जमाराशि में रखी गई राशि - प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि | | | | | 318.841 | 318.84 |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | 5,199.52 | 7,727.92 | | 12,927.44 | 12,927.44 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि | | | | | 5,489.36 | 5,489.36 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कमी | | | | | 9,426.88 | 9,426.88 |
| अंतिम शेषराशि | | 5,702.09 | 3,287.83 | | 8,989.92 | 8,989.92 |

### अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | -- | -- |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान | -- | -- |
| घटाए: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि | -- | -- |
| अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेष | -- | -- |

**तकनीकी कारणों से बट्टे-खाते में डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| तकनीकी कारणों से बट्टे-खाते में डाले गए/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष | 79,837.43 | 72,791.95 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण कारणों से बट्टेखाते में डालना | 8,792.52 | 15,458.72 |
| घटाए: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण कारणों से बट्टेखाते में डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ | 13,214.98 | 8,413.24 |
| अंतिम शेष | 75,414.97 | 79,837.43 |

**आस्ति गुणवत्ता अनुपात (प्रतिशत में)**

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| सकल एनपीए से सकल अग्रिमों | 3.60% | 4.76% |
| निवल एनपीए से निवल अग्रिमों | 0.63% | 1.03% |
| प्रावधान कवरेज अनुपात | 94.61% | 92.69% |

## बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. क्षेत्र | चालू वर्ष | | | विगत वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| 1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | | | | | | |
| ए. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 1,68,978.17 | 13,914.93 | 8.23 | 1,73,138.68 | 15,031.40 | 8.68 |
| बी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रुप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को अग्रिम | 42,705.68 | 2,017.38 | 4.72 | 41,374.13 | 3,781.99 | 9.14 |
| सी. सेवाएं | 96,414.80 | 3,698.75 | 3.84 | 94,445.45 | 7,720.82 | 8.17 |
| डी. वैयक्तिक ऋण | 28,386.55 | 1,030.89 | 3.63 | 30,772.63 | 1,684.84 | 5.48 |
| उप-योग (1) | 3,36,485.20 | 20,661.95 | 6.14 | 3,39,730.89 | 28,219.05 | 8.31 |
| 2. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | | | | | | |
| ए. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 9,501.17 | 440.62 | 4.64 | 10,694.41 | 613.43 | 5.74 |
| बी. उद्योग | 1,15,612.50 | 1,961.20 | 1.70 | 1,22,499.97 | 5,988.25 | 4.89 |
| सी. सेवाएं | 2,86,940.85 | 4,736.72 | 1.65 | 2,46,442.97 | 2,179.82 | 0.88 |
| डी. वैयक्तिक ऋण | 2,34,354.71 | 7,549.89 | 3.22 | 1,85,515.66 | 6,097.18 | 3.29 |
| उप-योग (2) | 6,46,409.23 | 14,688.43 | 2.27 | 5,65,153.01 | 14,878.68 | 2.63 |
| **कुल (1+2)** | **9,82,894.43** | **35,350.38** | **3.60** | **9,04,883.90** | **43,097.73** | **4.76** |

उद्यमों के विवरण, जिसमें उप-क्षेत्र अग्रिम उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 10% से अधिक है:

**क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए**

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र | चालू वर्ष | | |
|---|---|---|---|
| | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| I. अवसंरचना | 1,04,051.94 | 4,776.78 | 4.59 |
| II. खाद्य विनिर्माण एवं प्रसंस्करण | 26,209.14 | 1,605.32 | 6.13 |

**क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए**

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र | विगत वर्ष | | |
|---|---|---|---|
| | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| I. मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद | 24,194.02 | 867.80 | 3.59 |
| II. अवसंरचना | 98,816.34 | 3,752.19 | 3.80 |
| III. खाद्य विनिर्माण एवं प्रसंस्करण | 29,705.32 | 1,936.86 | 6.52 |

### सी. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| कुल आस्तियां | 57,780.41 | 42,411.89 |
| कुल एनपीए | 2,353.28 | 2,329.15 |
| कुल राजस्व | 2,938.26 | 2,137.03 |

### डी. आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/ 21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के तहत:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | खातों की संख्या | निवेश मूल्य | धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|
| **आरबीआई जून, 2019 परिपत्र के आधार पर,चालू वर्ष के दौरान ऋण का इक्विटी में परिवर्तन – पूंजी बाज़ार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंत:-समूह एक्सपोजर से संबंधित है** | शून्य | शून्य | शून्य |

नोट: उपर्युक्त डाटा में डिबेंचर का इक्विटि में रूपांतरण शामिल नहीं है.

### ई. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निदेश – प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/83डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22, दिनांक 30 अगस्त, 2021 (समय-समय पर अद्यतित) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है.

### एफ़. ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:

i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने किसी भी ऋण के चूक में अंतरित नहीं किया है.

ii) समनुदेशन के माध्यम से प्राप्त उन ऋणों के विवरण जिन्हें चूक में शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| अर्जित ऋणों की कुल राशि* | 4,849.49 | 244.34 |
| भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता(माह में) | 156.79 | 126.34 |
| प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारित अवधि (माह में) | 29.00 | 11.26 |
| प्रवर्तक द्वारा लगभग आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण | 10% | 10% |
| मूर्त प्रतिभूति कवरेज | 180.70% | 272.14% |

*प्राप्त ऋणों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए है.

नोट: बाध्यताकारी खातों की रेटिंग लागू नहीं है, क्योंकि बाध्यताकारी समूहों में अधिकतम एक्सपोजर ₹ 25 करोड़ है.

iii) बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी गैर-निष्पादित आस्ति प्राप्त नहीं की है.

iv) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी ऋण जो चूक और एसएमए श्रेणी में नहीं है, उनका अंतरण नहीं किया है.

v) अंतरित किए गए गैर-निष्पादित ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

| चालू वर्ष | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 17* | 1 | -- |
| अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन | 1,544.02 | 9.14 | -- |
| अंतरित किए गए ऋणों के भारित औसत अवशिष्ट अवधि (माह) | 16.83 | -- | -- |
| अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | -- | -- | -- |
| कुल प्रतिफल | 773.50 | 14.74 | -- |
| पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल | -- | -- | -- |
| **एसएमए** | -- | -- | -- |
| **वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण** | -- | -- | -- |
| प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन | -- | -- | -- |
| भुगतान किया गया कुल प्रतिफल | -- | -- | -- |
| अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | -- | -- | -- |

* 4 खाते ₹ 76.91 करोड़ की कुल बिक्री राशि के साथ एनएआरसीएल को हस्तांतरित किए गए

(₹ करोड़ में)

| विगत वर्ष | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 17 | 1 | -- |
| अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन | 2,098.81 | 37.24 | -- |
| अंतरित किए गए ऋणों के भारित औसत अवशिष्ट अवधि(माह) | 12.80 | 1 | -- |
| अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | 8.16 | -- | -- |
| कुल प्रतिफल | 805.21 | 23.00 | -- |
| पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल | 45.09 | -- | -- |

(₹ करोड़ में)

| विगत वर्ष | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को |
|---|---|---|---|
| **एसएमए** | -- | -- | -- |
| **वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण** | -- | -- | -- |
| प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन | -- | -- | -- |
| भुगतान किया गया कुल प्रतिफल | -- | -- | -- |
| अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | -- | -- | -- |

दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा 5 खातों में ₹ 172.76 करोड़ है.

vi) 31 मार्च, 2025 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| वसूली रेटिंग बैंड | अंकित मूल्य | बाज़ार मूल्य | बही मूल्य | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | चालू वर्ष | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| आरआर 1+ | 139.31 | -- | -- | 104.51 |
| आरआर 1 | 672.05 | 723.40 | -- | 576.56 |
| आरआर 2 | 262.02 | -- | -- | 239.19 |
| आरआर 3 | 75.36 | -- | -- | 93.49 |
| आरआर 4 | 48.14 | -- | -- | 4.01 |
| आरआर 5 | 258.88 | -- | 94.60 | 247.23 |
| अनरेटेड | 984.57 | 64.00 | 776.10 | 974.15 |
| **कुल** | **2,440.32** | **787.40*** | **870.70** | **2,239.14** |

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद रेटिंग लागू नहीं होगी. प्रतिभूति रसीद के बही मूल्य पर 100% प्रावधान किया गया है.

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई मास्टर निर्देश (निर्देश), 2023 दिनांक 12 सितंबर 2023 के अनुसार, मानक प्रतिभूति रसीदें 01 अप्रैल 2024 से @ 1.00 रुपये पर नियंत्रित की जाती हैं.

*आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29.03.2025 के अनुसार, सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके समय-समय पर किया जाएगा, जो ऐसे उपकरणों के लिए 29.03.2025 से प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होगा.

हम आगे सूचित करते हैं कि 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान एसआर पोर्टफोलियो में नौ नई प्रतिभूति रसीद जोड़ी गई हैं.

## जी. धोखाधड़ी खाते

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या | 282 | 3,168 |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि # | 4,598.71 | 2,321.61 |
| धोखाधड़ी खातों में बकाया राशि | 2,784.20 | 2,126.93 |
| ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि | 2,784.20 | 2,126.93 |
| वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षित" से आहरित की गई अपरिशोधित प्रावधान की गई राशि. | -- | -- |

# वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राशि रू. 885.40 करोड़ के केवल 187 नए मामलें धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं. (शेष 95 मामले राशि ₹ 3713.31 करोड़ के हैं, जो क्रेडेंशियल को साझा करने के और पुनः जांच किए गए मामले हैं)

**एच. कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान ढांचे के अनुसार आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 तथा 05 मई, 2021 के अंतर्गत कार्यान्वित की गई समाधान योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:**

**चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| उधारकर्ता का प्रकार | (ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) – 30.09.2024 तक स्थिति | (बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण | (सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बट्टेखाते डाली गई राशि | (डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि# | (ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर – 31.03.2025 तक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| वैयक्तिक ऋण | 3,555.76 | 67.33 | -- | 312.65 | 3,175.78 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* | 1,747.05 | -- | -- | 1,494.61 | 252.44 |
| जिसमें से, एमएसएमई | 120.70 | -- | -- | 64.67 | 56.03 |
| अन्य | 61.65 | 3.61 | -- | 9.70 | 48.34 |
| **कुल** | **5,364.46** | **70.94** | **--** | **1,816.96** | **3,476.56** |

**विगत वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| उधारकर्ता का प्रकार | (ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) – 30.09.2023 तक स्थिति | (बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण | (सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बट्टेखाते डाली गई राशि | (डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि# | (ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर – 31.03.2024 तक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| वैयक्तिक ऋण | 5,168.53 | 162.46 | -- | 453.08 | 4,552.99 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* | 2,487.47 | -- | -- | 708.41 | 1,779.06 |
| जिसमें से, एमएसएमई | 184.05 | -- | -- | 50.27 | 133.78 |
| अन्य | 147.89 | 15.75 | -- | 15.73 | 116.41 |
| **कुल** | **7,803.89** | **178.21** | **--** | **1,177.22** | **6,448.46** |

* निवेश एक्सपोजर शामिल है.

# इसमें मौजूदा खातों, बंद खातों और अवधि के दौरान पुनर्रचना से बाहरआ चुके खातों के एक्सपोजर में निवल परिवर्तन शामिल है.

**आई. "अग्रिमों की पुनर्संरचना– सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एकबारगी पुनर्संरचना) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.एसटीआर.आरईसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 तथा डीओआर.एसपीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के क्रम में बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ता खातों को निम्नानुसार पुनर्संरचित किया है:**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | पुनर्संरचित किए गए उधार खातों की संख्या | राशि |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 72,485 | 2,027.16 |
| 2023-2024 | 1,01,642 | 3,704.38 |

**जे. वैयक्तिक तथा छोटे करोबार के लिए समाधान ढांचा 2.0 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में, विवरण निम्नानुसार है:**

**चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र | यथा 31.03.2025 तक स्थिति | | यथा 31.03.2024 तक स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | उधारकर्ताओं की संख्या | राशि | उधारकर्ताओं की संख्या | राशि |
| वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार | 20,425 | 3,223.60 | 28,057 | 4,128.02 |
| कृषि/संबद्ध | 1,858 | 120.06 | 2,658 | 198.82 |
| **कुल** | **22,283** | **3,343.66** | **30,715** | **4,326.84** |

**के. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के क्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक 11 खातों में प्रावधान धारित किया है, जो निम्नानुसार है :**

**चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| आरबीआई परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि | एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि | (बी) में से यथा 31.03.2025 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि | (ए) में से आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए अपेक्षित प्रावधान | 31.03.2025 तक धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) |
| 4,463.18 | 4,459.50 | 4,459.50 | 784.90 | 784.90 |

**एल. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआरक्र.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआरक्र.बीपी. 1906/21.04.048/2016-17 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बैंक ने 100% शेष राशि ₹ 8171.04 करोड़ (तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ₹ 8171.04 करोड़ के खातों सहित) का प्रावधान किया है.**

## 5. एक्स्पोज़र

**बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है जो आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है.**

### ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्स्पोज़र r

(₹ करोड़ में)

| वर्ग | | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| **ए.** | **प्रत्यक्ष एक्सपोजर** | 1,19,445.31 | 1,05,212.15 |
| | i. आवासीय बंधक - | | |
| | आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं; | 1,03,176.00 | 91,105.00 |
| | - उपर्युक्त में से, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण. गैर निधि आधारित सीमाएं एक्सपोजर में शामिल हैं. | 23,649.00 | 24,431.00 |
| | ii. वाणिज्यिक रियल इस्टेट – | | |
| | वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि )के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं. | 16,269.31 | 14,107.15 |
| | iii. बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र – | | |
| | ए. आवासीय, | -- | -- |
| | बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट. | -- | -- |
| **बी.** | **अप्रत्यक्ष एक्स्पोज़र** | | |
| | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र | 34,547.14 | 39,321.31 |
| **रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र** | | **1,53,992.45** | **1,44,533.46** |

## बी. पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है. | 974.34 | 1,189.35 |
| ii. | शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम; | 1.56 | 1.86 |
| iii. | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है; | 292.39 | 292.53 |
| iv. | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम,जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉन्ड्स /परिवर्तनीय डिबेचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है | 1,908.99 | 2,090.01 |
| v. | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां; | 2,670.13 | 1,279.99 |
| vi. | शेयरों/ बॉन्डो /डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण; | -- | -- |
| vii. | संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण; | -- | -- |
| viii. | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना; | -- | -- |
| ix. | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण; | -- | -- |
| x. | वेंचर पूंजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा** | 954.79 | 1,099.15 |
| **पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर** | | **6,802.20** | **5,952.89** |

** ₹ 318.81 करोड़ राशि की अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताओं सहित.

पूंजी बाजार में ₹ 6,802.20 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 35,040.53 करोड़ (अर्थात 31 मार्च, 2024 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹ 87,601.32 करोड़ का 40% है) की सीमा के भीतर है

पूंजी बाजार में ₹ 1,929.13 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹ 17,520.26 करोड़ (यानी 31 मार्च, 2024 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹ 87,601.32 करोड़ का 20% है) की सीमा के भीतर है.

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि की पुनर्रचना के लिए, ऋणदाताओं को मौजूदा विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी की इक्विटी जारी करके उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए आरंभिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है.

- यदि इक्विटी शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा पार हो जाती है, तो इसका विवरण निम्नानुसार है: लागू नहीं.
- कार्यनीति ऋण पुनर्रचना के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का विवरण जिनको सीएमई सीमाओं से छूट प्राप्त है, दिनांक 31.03.2025 तक निम्नानुसार है:

| खातों की संख्या | राशि करोड़ में (31.03.2025 तक बही मूल्य) |
|---|---|
| 12 | 2,145.26 |

### सी. जोखिम संवर्ग वार कंट्री एक्स्पोज़र

(₹ करोड़ में)

| जोखिम संवर्ग | चालू वर्ष | | विगत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | निवल एक्स्पोज़र | धारित प्रावधान | निवल एक्स्पोज़र | धारित प्रावधान |
| अपर्याप्त | 41,393.64 | -- | 33,279.81 | -- |
| अल्प | 11,853.41 | -- | 10,850.77 | -- |
| सामान्य रूप से अल्प | 1,423.78 | -- | 655.20 | -- |
| सामान्य | 174.17 | -- | 5.97 | -- |
| सामान्य रूप से उच्च | 471.48 | -- | 475.95 | -- |
| उच्च | 72.42 | -- | 7.64 | -- |
| अत्यधिक उच्च | 27.40 | -- | 45.21 | -- |
| **कुल** | **55,416.30** | **--** | **45,320.55** | **--** |

देश जोखिम नीति 2024-25 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी देश जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है..

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही देश जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है.

### डी. बेजमानती अग्रिम

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| बैंक के कुल बेजमानती अग्रिम | 1,55,165.08 | 1,42,936.88 |
| उपर्युक्त में से, अग्रिम राशि जिसके लिए, अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार लिया गया है. | -- | -- |
| उक्त अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का कल्पित मूल्य | -- | -- |

सड़क / राजमार्ग / परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी द्वारा समर्थित अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र ओडी.बीपी.बीसी.न. 83/08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सुरक्षित माना गया है.

### ई. फैक्टरिंग एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| डीबीआर.नं.एफ़एसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडी एक्सपोजर. | 1,408.72 | 1,018.86 |

### एफ़. अन्तः समूह एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 653.72 | 624.98 |
| 20 बड़े इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 653.72 | 624.98 |
| बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्स्पोज़र में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत | 0.05 | 0.05 |
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं विनियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई. यदि कोई हो | -- | -- |

**जी. अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र**

यू.एफ़.सी.ई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाली ऋण जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोज़र के लिए कुल प्रावधान ₹ 90.11 करोड़ किया गया.

## 6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण :

### ए. जमाराशियों का केन्द्रीकरणs

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि (₹ करोड़ में) | 87,108.19 | 84,511.79 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत. | 6.65 % | 7.05 % |

### बी. अग्रिमों का केन्द्रीकरण

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम (₹ करोड़ में) | 1,55,012.76 | 1,37,764.66 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत. | 11.75% | 11.59% |

### सी. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में) | 1,57,809.54 | 1,39,678.91 |
| बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत | 11.31% | 11.07% |

### डी. एनपीए का केन्द्रीकरण

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| बीस बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में) | 7,690.61 | 6,079.06 |
| कुल सकल एनपीए में अधिकतम बीस एनपीए के एक्सपोजर का प्रतिशत | 21.76% | 13.38% |

**ए भारतीय रिजर्व बैंक के वृहद जोखिम ढांचा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण.**

बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक का विवरण;

(₹ करोड़ में)

| क्र सं. | उधारकर्ता | उधारकर्ता का नाम | एक्सपोज़र की अधिकतम सीमा (₹) | कुल एक्स्पोज़र (₹) | पूंजी निधि के % के रूप में एक्स्पोज़र | 31.03.25 को स्थिति | पूंजी निधि के % की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एकल उधारकर्ता | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | समूह उधारकर्ता | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

- आरबीआई एलईएफ़ के दिनांक 3 जून, 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एकल और समूह उधारकर्ता के लिए एक्सपोज़र सीमा बैंकों के टियर-1 पूंजी निधि के क्रमशः 20% और 25% के रूप में परिभाषित की गई है. असाधारण मामलों में, बैंकों का बोर्ड एकल उधारकर्ता को अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्सपोजर (बैंकों के उपलब्ध टियर-1 पूंजी निधि का) की अनुमति दे सकता है.
- 31.03.2025 तक, किसी भी एकल/समूह उधारकर्ता की निर्धारित सीमा को पार नहीं किया है.

## 7. डेरिवेटिव

### ए. वायदा दर अनुबंध(एफ़.आर.ए) / ब्याज दर स्वैप(आई.आर.एस)

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | स्वैप अनुबंध की कल्पित मूलधन | 41,780.69 | 46,078.83 |
| ii. | अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि | 212.64 | 141.77 |
| iii. | स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | -- | -- |
| iv. | स्वैप से आयी ऋण जोखिम का संकेन्द्रण | -- | -- |
| v. | स्वैप बही का उचित मूल्य | 1.02 | 4.51 |

**नोट:**

I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई

II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.

III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

### बी. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | | विगत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री |
| i. | वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार) – ब्याज दर फ्यूचर्स | | | | |
| | ए. 726GS2032 | -- | -- | 198.14 | 26.12 |
| | बी. 726GS2033 | -- | -- | 1,960.40 | 1,888.96 |
| | सी. 718GS2033 | -- | -- | 878.70 | 682.50 |
| | डी. 710GS2034 | 300.20 | 20.22 | -- | -- |
| | ई. 718GS2037 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| | एफ. 723GS2039 | 175.00 | 175.00 | -- | -- |
| ii. | 31 मार्च 2025 तक बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) | -- | -- | -- | -- |
| iii. | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) | -- | -- | -- | -- |
| iv. | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार) | -- | -- | -- | -- |

## सी. डेरीवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

**I) गुणात्मक प्रकटन:**

ए) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढाँचा के अधीन बैंक दो समूहो में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है

i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सजेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपौलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरेविटव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ब्याज दर फ्यूचर्स पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स में की जाती है. हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमें भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं.

आवश्यक मूलभूत संरचना के क्रम में ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है

I) फ्रंट ऑफिस- (डीलिंग रुम) बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड ऑफिस- जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है. मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है. आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं. आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है. ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव अनुबंध से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है. इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार

दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है. हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय- समय पर की जाती है.

डी) हेज्ड/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग अनुबंध मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है.

ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है. बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

**II मात्रात्मक प्रकटन :**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | करेंसी डेरीवेटिव्स | | ब्याज दर डेरीवेटिव्स | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष | विगत वर्ष | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **ए.** | **डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)** | | | | |
| | (i) हेजिंग के लिए | 6,665.31 | 6,778.84 | 380.00 | 2,644.94 |
| | (ii) ट्रेडिंग के लिए | 3,70,271.28 | 3,79,564.88 | 41,400.69 | 43,433.90 |
| **बी.** | **मार्क्ड टू मार्केट पोजीशन** | | | | |
| | (i) आस्तियां (+) | 2,145.05 | 641.93 | 212.64 | 141.77 |
| | (ii) देयताएं (-) | 2,010.67 | (626.56) | (211.61) | (136.92) |
| **सी.** | **ऋण एक्सपोज़र (*)** | 10,462.99 | 9,043.48 | 606.31 | 561.54 |
| **डी.** | **ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)** | | | | |
| | (i) हेजिंग डेरीवेटिव पर | (2.09) | (287.94) | (0.06) | 57.80 |
| | (ii) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर | 0.03 | (2.52) | (0.01) | 1.82 |
| **ई.** | **वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01** | | | | |
| | I. अधिकतम | | | | |
| | (i) हेजिंग पर | 2.63 | (169.41) | 41.45 | 53.03 |
| | (ii) ट्रेडिंग पर | 1.48 | 8.13 | 25.97 | 50.39 |
| | II. न्यूनतम | | | | |
| | (i) हेजिंग पर | (372.74) | (410.15) | 0.32 | 21.71 |
| | (ii) ट्रेडिंग पर | (227.60) | (4.20) | 0.03 | 0.12 |

*टिप्पणी:

1. मुद्रा डेरीवेटिव्स एवं ब्याज दर डेरीवेटिव्स के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग लेन-देन भी शामिल हैं.

## डी. क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप:

क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप (सीडीएस) स्थितियों के मूल्यांकन के लिए मालिकाना मॉडल का उपयोग करने वाले बैंकों को मालिकाना मॉडल के अनुसार मूल्यांकन का प्रकटीकरन करना होगा, जिसमें उस मॉडल का उपयोग करने का औचित्य और उनके वित्तीय विवरणों में नोट्स टू अकाउंट्स में मूल्यांकन पद्धति का स्पष्टीकरण शामिल होगा. प्रकटीकरण में फ़िक्स्ड इंकम मनी मार्केट एंड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित सीडीएस वक्र या एफ़आईएमएमडीए द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क के अनुसार मूल्यांकन भी शामिल होगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप लेनदेन दर्ज नहीं किया है.

## 8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण: शून्य

31 मार्च, 2025 तक, बैंक के पास प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए कोई विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) नहीं है.

## 9. बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी

बैंक ने कोई भी ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी को जारी नहीं किया है.

## 10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष | 3,459.91 | 3,198.83 |
| जोड़ा: वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित की गयी राशि | 792.92 | 604.24 |
| घटाया: डीईएएफ द्वारा दावे के रुप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि | 162.70 | 343.16 |
| डीईएएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष | 4,090.13 | 3,459.91 |

डी.ई.ए फंड में स्थानांतरित की गई राशि का अंतिम शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को भी 'अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएँ की अन्य मदें हैं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएँ – अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत शामिल किया गया है.

## 11. शिकायतों का प्रकटन:

### ए. बैंकों को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय (ओ.बी.ओ) से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| **बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें** | | | |
| 1. | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 6,331 | 527 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 5,66,215 | 3,20,495 |
| 3. | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 5,60,903 | 3,14,691 |
| | 3.1 जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए | 99,083 | 964 |
| 4. | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 11,643 | 6,331 |
| **ओबीओ से बैंक को प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें** | | | |
| 5. | बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या | 6,081 | 6,373 |
| | 5.1. 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 2,401 | 2,276 |
| | 5.2. 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 3,673 | 4,097 |
| | 5.3. 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें. | 7 | 0 |
| 6. | निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा) | 5 | 0 |

नोट:

- ग्राहक सेवा पर मास्टर निर्देशों के संदर्भ में, जिन शिकायतों का निवारण अगले कार्यदिवस के भीतर किया जाता है उन्हें शिकायत विवरण में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है. अतः शिकायतों का विश्लेषण करते समय टी+1 दिन के भीतर निवारण किए गए शिकायतों को विवरण से बाहर रखा जाता है.
- शिकायतकर्ता द्वारा अधिनिर्णयों को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण आर.बी.आई.ओ.एस खंड 15(7) के प्रावधानों के अनुसार जिसमें यह कहा गया गया है कि, "उप-खंड (1) के तहत पारित अधिनिर्णय समाप्त हो जाएगा, और उसका प्रभाव खत्म माना जाएगा जबतक कि शिकायतकर्ता दावा के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के संबंध में संबन्धित विनियामक संस्था को, अधिनिर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, एक स्वीकृति पत्र न दे".

- समाधान योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती है.

**बी. बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के शीर्ष 5 मुख्य आधार (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)**

(₹ करोड़ में)

| शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी % | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | उक्त 5 में से कितनी शिकायतें 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **चालू वर्ष** | | | | | |
| | **01.04.2024** | **2024-25** | **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025** |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 1,744 | 3,34,069 | 58.19% | 7,314 | 477 |
| इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग | 1,160 | 66,490 | 44.50% | 646 | 59 |
| बिना पूर्व सूचना के प्रभार/अत्यधिक प्रभार/ समय पूर्व बंद करने पर प्रभार लगाना | 189 | 8,130 | 11.19% | 135 | 18 |
| चेक/ड्राफ्ट/बिल | 147 | 4,694 | 8.11% | 137 | 15 |
| क्रेडिट कार्ड | 567 | 11,858 | 503.15% | 439 | 4 |
| अन्य | 2,524 | 1,40,974 | 183.78% | 2,972 | 655 |
| **कुल** | **6,331** | **5,66,215** | **76.67%** | **11,643** | **1,228** |
| **विगत वर्ष** | | | | | |
| | **01.04.2023** | **2023-24** | **31.03.2024** | **31.03.2024** | **31.03.2024** |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 98 | 2,11,184 | 3.80% | 1,744 | 299 |
| इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग | 50 | 46,013 | 96.37% | 1,160 | 196 |
| बिना पूर्व सूचना के प्रभार/अत्यधिक प्रभार/ समय पूर्व बंद करने पर प्रभार लगाना | 1 | 7,312 | 89.43% | 189 | 41 |
| चेक/ड्राफ्ट/बिल | 8 | 4,342 | 467.58% | 147 | 40 |
| क्रेडिट कार्ड | 0 | 1,966 | 3.91% | 567 | 219 |
| अन्य | 370 | 49,678 | 165.89% | 2,524 | 502 |
| **कुल** | **527** | **3,20,495** | **27.14%** | **6,331** | **1,297** |

## 12. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

| विनियामक का नाम | चालू वर्ष | | विगत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 | 1 | 1.06 | 1 | 1.00 |
| अन्य विनियामक | 1 | 0.54 | 0 | 0.00 |

**बैंक द्वारा चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:**

**भा.रि.बैं:**

**क्रिलिक रिपोर्टिंग:**

बैंक ने अक्टूबर 2022 के दौरान एक उपयुक्त एमआईएस को विकसित किया है, जिससे डाटा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है. डाटा की गुणवत्ता में और सुधार और क्रिलिक रिपोर्ट को त्रुटि मुक्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ने जून-2023 में मेसर्स आईआरआईएस बिजनेस सर्विसेज को ऑनबोर्ड किया.

**जोखिम वर्गीकरण:**

बैंक द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम:

शाखा कर्मचारियों द्वारा जोखिम श्रेणी को निर्धारित करने की पूर्ववर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष, बैंक ने ग्राहक के ऑनबोर्डिंग के समय ग्राहक जोखिम वर्गीकरण के स्वतः समनुदेशन को लागू किया है. यह नए ऑनबोर्ड किए गए ग्राहकों के लिए भी लागू है.

**एफआईयू-आईएनडी:**

**बैंक द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम:**

-> उन्नत ड्यू डिलिजेंस और केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना.

-> बैंक के सीबीएस में लाभार्थी स्वामी को शामिल करने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया.

-> बैंक ने विभिन्न दृष्टिकोण से लेनदेन की निगरानी के लिए विशेष लेनदेन निगरानी इकाई स्थापित की है जिसमें ईएफआरएमएस, ओटीएमएस, एएमएल शामिल हैं.

## 13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.63 | 0.40 |
| कार्यपालक निदेशकगण | 2.03 | 1.31 |
| **कुल** | **2.66** | **1.71** |

## 14. अन्य प्रकटीकरण

### ए. कारोबार अनुपात

| | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| I. | कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 7.57% | 7.51% |
| II. | कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 1.39% | 1.21% |
| III. | जमा राशि की लागत | 5.53% | 5.22% |
| IV. | निवल ब्याज मार्जिन (सकल आधारित) | 2.84% | 2.99% |
| V. | कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत | 2.18% | 2.12% |
| VI. | आस्तियों पर प्रतिफल | 1.26% | 1.03% |
| VII. | प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹ करोड़ में) | 28.02 | 25.37 |
| VIII. | प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में) | 0.24 | 0.18 |

## बी. बैंक-बीमा कारोबार:

**बैंक-बीमा कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है:**

(₹ करोड़ में)

| | आय का स्वरूप | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | जीवन बीमा पॉलिसी | 445.73 | 278.40 |
| 2. | गैर-जीवन बीमा पॉलिसी | 36.24 | 29.75 |
| 3. | स्वास्थ्य बीमा | 50.85 | 54.49 |

## सी. विपणन एवं संवितरण:

**विपणन तथा संवितरण के संदर्भ में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण (बैंक-बीमा कारोबार को छोड़कर)**

(₹ करोड़ में)

| आय का स्वरूप | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| म्यूचुअल फंड कारोबार का संवितरण | 27.48 | 20.80 |
| व्यापारी बैंकिंग अनुभाग | 7.45 | 5.00 |

## डी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र

बैंक की अन्य आय में अन्य विषयों के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र पीएसएलसी-एसएफ़एमएफ़ श्रेणी के तहत बिक्री से ₹955.08 करोड़(विगत वर्ष ₹581.88 करोड़) की कमीशन आय और पीएसएलसी-कृषि, माइक्रो और सामान्य श्रेणी के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से ₹236.70 करोड़ (विगत वर्ष ₹29.87 करोड़) का व्यय शामिल है.

### वर्ष के दौरान पीएसएलसी प्रमाणपत्र व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| पीएसएलसी-श्रेणी | बिक्री किए गए पीएसएलसी | खरीदे गए पीएसएलसी | उपार्जित कमीशन | चूकाए गए कमीशन* |
|---|---|---|---|---|
| पीएसएलसी-एसएफ़एमएफ़ | 50,000 | -- | 955.08 | -- |
| पीएसएलसी-कृषि | -- | 39,000 | -- | 231.43 |
| पीएसएलसी-सूक्ष्म | -- | 6,000 | -- | 0.67 |
| पीएसएलसी-सामान्य | -- | 41,000 | -- | 4.59 |
| **कुल** | **50,000** | **86,000** | **955.08** | **236.70** |

## ई. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

| लाभ एवं हानि मद में प्रदर्शित प्रावधान तथा आकस्मिकताओं का ब्रेक अप: | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| निवेश पर एनपीआई के लिए प्रावधान/(प्रवर्तन) | (101.28) | (354.75) |
| एनपीए पर प्रावधान | 7,308.49 | 6,387.29 |
| मानक आस्तियों पर प्रावधान/(प्रवर्तन) | 81.28 | 700.73 |
| आय कर (आईटी)/आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) पर किए गए निवल प्रावधान | 5,491.92 | 7,782.08 |
| अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं: | | |
| - स्थानांतरण हानि | -- | -- |
| - पुर्नसंरचित अग्रिम | (26.61) | (3.94) |
| - अन्य | 349.10 | 50.91 |
| **कुल** | **13,102.90** | **14,562.32** |

### एफ़. आईएफ़आरएस के तहत भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. इसके बाद भारिबैं द्वारा परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के माध्यम से आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन को आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया.

तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा, बैंक ने आवश्यक सॉफ्टवेयर खरीदे हैं एवं भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन हेतु वेंडर को शामिल किया है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है. तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के दिनांक 08 अगस्त, 2021 के मेल के क्रम में, बैंक को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफॉर्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया. 30 सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए पिछले प्रोफॉर्मा वित्तीय को भारतीय रिजर्व बैंक को 29 नवंबर, 2024 के पत्र के माध्यम से जमा किया गया.

### जी. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित) | 1,688.47 | 1,550.26 |
| डीआईसीजीसी प्रीमियमके भुगतान हेतु बकाया (जीएसटी सहित) | -- | -- |

### एच. बैंकों के कर्मचारियों की बढ़ी हुई पेंशन के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

फ़ैमिली पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में कोई परिशोधित व्यय नहीं है.

### आई. बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलसी) पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष में शुरुआत में बकाया चुकौती आश्वासन पत्र | -- | -- |
| जोड़े: वर्ष के दौरान निर्गत | -- | -- |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान अवधि-समाप्त | -- | -- |
| वर्ष के समाप्ति में बकाया | -- | -- |

आरबीआई/2017-18/139 ए.पी.(डीआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुसार भारत में आयात के लिए व्यापार क्रेडिट के लिए वचन पत्र (एलओयू) और चुकौती आश्वासन पत्र(एलओसी) जारी करना बंद कर दिया है.

### जे. हरित जमाराशियों से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी:

**हरित जमाराशियां**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वित्तीय वर्ष | विगत वित्तीय वर्ष | संचयी * |
|---|---|---|---|
| जुटाई गई कुल हरित जमा (ए) | 29.05 # | -- | 29.05 |
| **हरित जमा निधि का उपयोग** | | | |
| (1) नवीकरणीय ऊर्जा | 29.05 | -- | 29.05 |
| (2) ऊर्जा दक्षता | -- | -- | -- |
| (3) स्वच्छ परिवहन | -- | -- | -- |
| (4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन | -- | -- | -- |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वित्तीय वर्ष | विगत वित्तीय वर्ष | संचयी * |
|---|---|---|---|
| (5) संवहनीय जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन | -- | -- | -- |
| (6) प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण | -- | -- | -- |
| (7) हरित बिल्डिंग | -- | -- | -- |
| (8) जीवित प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग का संवहनीय प्रबंधन | -- | -- | -- |
| (9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण | -- | -- | -- |
| **आबंटित कुल हरित जमाराशि निधि (बी = 1 से 9 का योग)** | **29.05** | **--** | **29.05** |
| **आबंटित नहीं की गई हरित जमा निधि की राशि (सी = ए – बी)** | **--** | **--** | **--** |
| **पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए लंबित हरित जमाराशि आय के अस्थायी आवंटन का विवरण** | **--** | **--** | **----** |

**# नोट** – वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान जुटाई गई कुल हरित जमाराशि ₹29.05 करोड़ है. यूनियन हरित जमाराशि योजना के तहत कुल बकाया शेष 31.03.2025 तक ₹11.99 करोड़ है.

## 15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

### ए. अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस 5)

i) वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण और पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे.

ii) पिछले वित्तीय वर्ष में अपनाई गई नीतियों की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

### बी. राजस्व निर्धारण (एएस 9)

आय और व्यय का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया गया है, आय की कुछ मदों को छोड़कर जिनको लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 की लेखा नीति सं. 3.4 के अनुसार वसूली के आधार पर माना जाता है, हालांकि जिसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है.

### सी. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

**I. अल्पावधि रोजगार लाभ:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान निर्धारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

**II. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

**ए) निर्धारित अंशदान योजनाएं:**

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें शामिल किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान करते हैं तथा बैंक का 14% अंशदान जमा किया जाता है. संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को संबंधित वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक में 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में प्रोटियन ई-गवर्नेंस टेक्नोलोजीस (पूर्व में नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड) को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में ₹704.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹644.84 करोड़) का अंशदान किया है.

**बी) निर्धारित लाभ योजना:**

उपदान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल शामिल किया जाता है.

**निर्धारित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और उपदान योजना:**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए लेखांकन किया है.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पेंशन योजना | | ग्रेच्युटी (उपदान) योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन** | | | | |
| 1 अप्रैल तक प्रारंभिक निर्धारित लाभ दायित्व | 31,555.91 | 29,170.59 | 3,602.00 | 3,225.86 |
| ब्याज लागत | 2,284.65 | 2,196.55 | 259.70 | 241.62 |
| चालू सेवा लागत | 242.52 | 171.59 | 227.54 | 176.23 |
| पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | -- | -- | -- | -- |
| पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | -- | -- | -- | -- |
| देयता अंतरण आवक | -- | -- | -- | -- |
| देयता अंतरण जावक | -- | -- | -- | -- |
| प्रदत्त लाभ | (2,568.00) | (2,426.52) | (327.73) | (317.32) |
| **परिवर्तन के कारण - दायित्वों पर बीमांकिक (अर्जन)/ हानि** | | | | |
| वित्तीय धारणा में | 572.70 | (1,890.74) | 143.13 | 95.91 |
| भौगोलिक धारणा में | -- | -- | -- | -- |
| दायित्वों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 1,275.89 | 4,334.44 | 76.74 | 179.70 |
| 31 मार्च तक अंतिम निर्धारित लाभ दायित्व | 33,363.67 | 31,555.91 | 3,981.38 | 3,602.00 |
| **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:** | | | | |
| 1 अप्रैल तक प्रारंभिक योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 31,140.21 | 28,754.24 | 3,457.68 | 3,262.35 |
| योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 2,254.55 | 2,165.19 | 249.30 | 244.35 |
| अंशदान | 2,240.99 | 2,223.33 | 574.37 | 238.96 |
| अन्य कंपनी से अंतरण | -- | -- | -- | -- |
| अन्य कंपनी को अंतरण | -- | -- | -- | -- |
| प्रदत्त लाभ | (2,568.00) | (2,426.52) | (327.73) | (317.32) |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 278.76 | 423.97 | 41.13 | 29.34 |
| 31 मार्च को अंतिम योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 33,346.51 | 31,140.21 | 3,994.75 | 3,457.68 |
| अवधि के लिए बीमांकिक(अर्जन)/ दायित्वों पर हानि | 1,848.59 | 2,443.70 | 219.87 | 275.61 |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि) | (278.76) | (423.97) | (41.13) | (29.34) |
| कुल चिन्हित बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 1,569.83 | 2,019.73 | 178.74 | 246.27 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पेंशन योजना | | ग्रेच्युटी (उपदान) योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **संक्रमणकालीन देयता का निर्धारण:** | | | | |
| 1 अप्रैल को संक्रमणकालीन देयता | -- | -- | -- | -- |
| वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणकालीन देयता | -- | -- | -- | -- |
| 31 मार्च को संक्रमणकालीन देयता | -- | -- | -- | -- |
| **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:** | | | | |
| योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 2,254.55 | 2,165.19 | 249.30 | 244.35 |
| योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि) | 278.76 | 423.97 | 41.13 | 29.34 |
| योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ | 2,533.31 | 2,589.16 | 290.43 | 273.69 |
| **आय विवरण में चिन्हित व्यय:** | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 242.52 | 171.59 | 227.54 | 176.23 |
| ब्याज लागत | 30.10 | 31.36 | 10.40 | (2.73) |
| योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | -- | -- | -- | -- |
| पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | -- | -- | -- | -- |
| पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (संवर्धित पारिवारिक पेंशन का 1/5) | -- | -- | -- | -- |
| संक्रमण देयता की पहचान | -- | -- | -- | -- |
| बीमांकिक (लाभ) या हानि | 1,569.83 | 2,019.73 | 178.74 | 246.27 |
| लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित व्यय | 1,842.45 | 2,222.68 | 416.68 | 419.77 |
| **तुलन पत्र मिलान:** | | | | |
| प्रारंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि) | 415.70 | 416.35 | 144.32 | (36.49) |
| उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 1,842.45 | 2,222.68 | 416.68 | 419.77 |
| अन्य कंपनियों से अंतरित (निवल) | -- | -- | -- | -- |
| अन्य कंपनियों को अंतरित (निवल) | -- | -- | -- | -- |
| (नियोक्ता का अंशदान) | (2,240.99) | (2,223.23) | (574.37) | (238.96) |
| तुलन-पत्र में चिन्हित निवल (आस्ति)/ देयता राशि | 17.16 | 415.70 | (13.37) | 144.32 |
| अन्य विवरण: | | | | |
| तैंतीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी. | | | | |
| उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. | | | | |
| बीमांकिक लाभ/हानि की गणना घटित वर्ष में किया जाता है. | | | | |
| वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| सदस्यों की संख्या | 17,644 | 19,218 | 73,945 | 75,866 |
| वेतन प्रति माह | 183.07 | 185.19 | 621.38 | 584.18 |
| अगले वर्ष के लिए अंशदान | 258.97 | 600.03 | 199.04 | 371.87 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पेंशन योजना | | ग्रेच्युटी (उपदान) योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **आस्तियों का संवर्ग:** | | | | |
| भारत सरकार की आस्तियां | 474.05 | 479.80 | 27.95 | 27.56 |
| कॉर्पोरेट बॉन्ड/एफ़डीआर | 3,408.03 | 2,773.66 | 445.02 | 297.23 |
| विशेष जमा योजना | -- | -- | -- | -- |
| राज्य सरकार | 4,467.59 | 3,521.70 | 594.51 | 393.93 |
| संपत्ति | -- | -- | -- | -- |
| अन्य | 3,033.58 | 1,330.78 | 424.69 | 190.78 |
| बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 21,963.26* | 23,034.27* | 2,502.58* | 2,548.18* |
| म्युच्युअल फंड | -- | -- | -- | -- |
| **कुल** | **33,346.51** | **31,140.21** | **3,994.75** | **3,457.68** |

*नोट: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर पेंशन देयता और उपदान देयता निर्धारण के लिए एलआईसी में निवेश पर रिटर्न 8.11% है और अन्य बीमा कंपनियों में 7.50% होने की उम्मीद है,

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी : | उपदान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलन-पत्र में चिन्हित राशि | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 3,981.38 | 3,602.00 | 3,225.86 | 3,197.81 | 3,355.82 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,994.75 | 3,457.68 | 3,262.35 | 3,367.60 | 2,746.43 |
| अंतर | 13.37 | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) |
| अचिन्हित पूर्व सेवा लागत | -- | -- | -- | -- | -- |
| अचिन्हित संक्रमण देयता | -- | -- | -- | -- | -- |
| तुलन पत्र में चिन्हित राशि | 13.37 | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) |

(₹ करोड़ में)

| तुलन-पत्र में चिन्हित राशि | उपदान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुभव समायोजन | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि | 76.74 | 179.70 | 29.55 | 30.86 | 752.31 |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | 41.13 | 29.34 | (17.33) | 53.31 | 34.41 |

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/ कमी: | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलन-पत्र में चिन्हित राशि | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 33,363.67 | 31,555.91 | 29,170.59 | 28,650.99 | 26,011.41 |

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/ कमी: | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलन-पत्र में चिन्हित राशि | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 33,346.51 | 31,140.21 | 28,754.24 | 27,043.50 | 26,720.88 |
| अंतर | (17.16) | (415.70) | (416.35) | (1,607.49) | 709.47 |
| अचिन्हित पूर्व सेवा लागत | -- | -- | -- | 1,521.62 | -- |
| अचिन्हित संक्रमण देयता | -- | -- | -- | -- | -- |
| तुलन-पत्र में चिन्हित राशि | (17.16) | (415.70) | (416.35) | (85.87) | 709.47 |

(₹ करोड़ में)

| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुभव समायोजन | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि | 1,275.89 | 4,334.44 | 614.25 | 2,452.27 | 1,456.27 |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | 278.76 | 423.97 | 49.96 | 266.31 | 81.65 |

(₹ करोड़ में)

| मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%) | चालू वर्ष | | विगत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| पिछली छूट दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| पिछली पलायन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| चालू छूट दर | 6.85 | 7.05 | 7.21 | 7.24 |
| वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 6.85 | 7.05 | 7.21 | 7.24 |
| वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| वर्तमान पलायन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

**III. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:**

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| अन्य दीर्घकालिक लाभ | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| पेंशन | -- | -- |
| अवकाश यात्रा रियायत | 0.33 | (5.43) |
| अवकाश नकदीकरण | 343.33 | 350.14 |

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर मेडिकल अवकाश के लिए ₹281.10 करोड़ का प्रावधान किया है हालांकि इसमें कोई भुगतान नहीं है.

## डी. क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस 17)

(₹ करोड़ में)

| कारोबार क्षेत्र | स्टैंडअलोन | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| ट्रेजरी परिचालन | 32,848.45 | 30,682.09 |
| खुदरा बैंकिंग परिचालन | 45,091.87 | 40,076.17 |
| (ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन | 963.55 | 942.01 |
| (बी) अन्य खुदरा बैंकिंग परिचालन | 44,128.32 | 39,134.16 |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 46,021.85 | 42,224.34 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | 2,464.34 | 1,813.42 |
| गैर आबंटित | 1,112.38 | 1,062.13 |
| **कुल क्षेत्रवार राजस्व** | **1,27,538.89** | **1,15,858.15** |
| कमी अंतर-क्षेत्रवार राजस्व | - | - |
| परिचालन से आय | 1,27,538.89 | 1,15,858.15 |
| **क्षेत्रवार परिणाम** | | |
| ट्रेजरी परिचालन | 5,832.60 | 5,241.21 |
| खुदरा बैंकिंग परिचालन | 8,753.32 | 6,568.62 |
| (ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन | 735.45 | 749.60 |
| (बी) अन्य खुदरा बैंकिंग परिचालन | 8,017.87 | 5,819.02 |
| कॉर्पोरेट बैंकिंग | 6,437.21 | 7,586.79 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,343.55 | 971.64 |
| गैर आबंटित | 1,112.38 | 1,062.13 |
| **कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)** | **23,479.06** | **21,430.39** |
| कर हेतु प्रावधान | 5,491.92 | 7,782.08 |
| **कर के बाद निवल लाभ/(हानि)** | **17,987.14** | **13,648.31** |
| **क्षेत्रवार आस्तियां** | | |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,96,469.55 | 4,71,095.79 |
| खुदरा बैंकिंग परिचालन | 4,57,840.87 | 4,15,198.98 |
| (ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन | 3,228.60 | 2,602.62 |
| (बी) अन्य खुदरा बैंकिंग परिचालन | 4,54,612.27 | 4,12,596.36 |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 5,15,026.76 | 4,74,102.54 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित | 30,518.53 | 31,560.31 |
| **कुल** | **14,99,855.71** | **13,91,957.62** |
| **क्षेत्रवार देयताएं** | | |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,59,073.45 | 4,38,277.50 |
| खुदरा बैंकिंग परिचालन | 4,23,354.43 | 3,86,274.67 |
| (ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन | 2,985.40 | 2,421.32 |
| (बी) अन्य खुदरा बैंकिंग परिचालन | 4,20,369.03 | 3,83,853.35 |

(₹ करोड़ में)

| कारोबार क्षेत्र | स्टैंडअलोन | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 4,76,232.87 | 4,41,074.78 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित | 28,219.75 | 29,361.70 |
| **कुल** | **13,86,880.50** | **12,94,988.65** |
| **नियोजित पूंजी** | | |
| ट्रेजरी परिचालन | 37,396.10 | 32,818.29 |
| खुदरा बैंकिंग परिचालन | 34,486.43 | 28,924.32 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 243.19 | 181.32 |
| (बी) अन्य खुदरा बैंकिंग परिचालन | 34,243.24 | 28,743.00 |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 38,793.90 | 33,027.75 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित देयताएं | 2,298.78 | 2,198.61 |
| **कुल** | **1,12,975.21** | **96,968.97** |

**नोट:**

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, खुदरा, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 'डिजिटल बैंकिंग' को खुदरा बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है.
3. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य क्षेत्रवार आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.
4. क्षेत्र देयताएं और क्षेत्र पूंजी को उनके संबंधित क्षेत्र आस्तियों के अनुपात में वितरित किया गया है.
5. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

**IV. आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (समय-समय पर अद्यतित) के संदर्भ में, निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं:**

ए. अन्य देयताओं एवं प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,

बी. अन्य आस्तियों के मामले में, अन्य शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,

सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय" शीर्ष के अंतर्गत कोई मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

(₹ करोड़ में)

| अनुसूची | उप शीर्ष के अंतर्गत मद | ₹ करोड़ में | कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो |
|---|---|---|---|
| अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान (IV-अन्य (प्रावधान सहित)) | -- | -- | -- |
| अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां (VI-अन्य) | -- | -- | -- |
| अनुसूची 14 – अन्य आय (VII-अन्य विविध आय) | अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क | 1,672.77 | 1.31 |
| | बट्टे-खाते में वसूली | 4,311.24 | 3.38 |
| अनुसूची 16 – परिचालन खर्च (XII-अन्य व्यय) | -- | -- | -- |

## ई. संबंधित पक्षों का प्रकटन (एएस 18)

### I. संबंधित पक्षों की सूची

ए) सहायक कंपनियां

1. यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि.
2. यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
4. आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
5. यूबीआई सर्विसेस लि.

बी) संयुक्त उद्यम

1. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
2. एएसआरईसी (इंडिया) लि.
3. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बर्हाड

सी) सहयोगी इकाई

1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

| नाम | पदनाम | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक |
|---|---|---|
| सुश्री ए. मणिमेखलै | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.63 |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक | 0.65 |
| श्री रामसुब्रमणियन एस | कार्यपालक निदेशक | 0.59 |
| श्री संजय रुद्र | कार्यपालक निदेशक | 0.44 |
| श्री पंकज द्विवेदी | कार्यपालक निदेशक | 0.35 |

**संबंधित पक्षों के लेनदेन और संतुलन**

(₹ करोड़ में)

| संबंधित पार्टी | सहयोगी/ संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार | कुल | सहयोगी/संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **को बकाया** | **चालू वर्ष** | | | **विगत वर्ष** | | |
| उधार | 50.00 | -- | 50.00 | 50.05 | -- | 50.05 |
| जमा | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| जमा का स्थापन | 53.30 | -- | 53.30 | -- | -- | -- |
| अग्रिम | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| निवेश | -- | -- | -- | 13.99 | -- | 13.99 |
| गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएं | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| लीजिंग/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| लीजिंग/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **अधिकतम बकाया** | **चालू वर्ष** | | | **विगत वर्ष** | | |
| उधार | 98.00 | -- | 98.00 | 250.00 | -- | 250.00 |
| जमा | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| जमा का स्थापन | 697.00 | -- | 697.00 | -- | -- | -- |
| अग्रिम | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| निवेश | 80.00 | -- | 80.00 | 49.00 | -- | 49.00 |
| गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएं | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| लीजिंग/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| लीजिंग/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **वर्ष के दौरान** | **चालू वर्ष** | | | **विगत वर्ष** | | |
| अचल संपत्तियों की खरीद | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| अचल संपत्तियों की बिक्री | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| भुगतान किया गया ब्याज | 3.92 | -- | 3.92 | 6.90 | -- | 6.90 |
| प्राप्त ब्याज | 13.64 | -- | 13.64 | 2.36 | -- | 2.36 |
| सेवाओं का प्रतिपादन | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| सेवाओं की प्राप्ति | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| प्रबंधन अनुबंध | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**पक्ष, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पक्ष जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. इसके अतिरिक्त, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेनों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी सहायक कंपनियों तथा उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ अपने लेन-देनों का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है. वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटन पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

## एफ़. "लीज" (एएस 19)

**परिचालन लीज पर लिया गया परिसर:**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के पास कोई भी अस्वीकार किए जाने वाले परिचालन लीज नहीं है. अत: एएस-19 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है.

हालांकि, लाभ एवं हानि खाते में परिचालन लीज के लिए लीज भुगतान राशि ₹818.04 करोड़ (विगत वर्ष ₹801.99 करोड़) निर्धारित की गई है.

## जी. प्रति शेयर आय अर्जन (एएस 20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त निवल लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेट पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है.

**प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:**

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या | 7,63,36,05,607 | 6,83,47,47,466 |
| वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या | -- | 79,88,58,141 |
| वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 7,63,36,05,607 | 7,63,36,05,607 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन परिकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 7,63,36,05,607 | 7,20,31,48,214 |
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 7,63,36,05,607 | 7,20,31,48,214 |
| निवल लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में | 17,987.15 | 13,648.31 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) | 23.56 | 18.95 |
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹) | 23.56 | 18.95 |
| प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹) | 10.00 | 10.00 |

## एच. कर हेतु प्रावधान (एएस 22)

**आस्थगित कर आस्तियां** (₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| 1. कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 559.24 | 472.83 |
| 2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | 311.69 | 305.14 |
| 3. गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान | 4,264.21 | 5,584.95 |
| 4. विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष रिजर्व | (79.82) | (68.54) |
| 5. अन्य प्रावधान | 268.66 | 203.82 |
| 6. विशिष्ट मानक आस्तियों पर प्रावधान | 445.97 | -- |
| **कुल** | **5,769.95** | **6,498.20** |
| **आस्थगित कर देयताएं** | | |
| 1. प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज | 1,010.69 | 951.02 |
| 2. धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व | 2,008.68 | 1,836.70 |
| 3. प्रतिभूतियों पर एएफ़एस रिजर्व | 11.20 | -- |
| **कुल** | **3,030.57** | **2,787.72** |
| **निवल आस्थगित कर आस्तियां** | **2,739.38** | **3,710.48** |
| **निवल आस्थगित कर देयताएं** | -- | -- |

**प्रत्यक्ष कर**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 5,491.92 | 7,782.08 |

**कॉर्पोरेट कराधान:**

विद्यमान और आस्थगित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है. लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है. समयान्तर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनका निर्धारण लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है.

आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी की जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो. वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की समीक्षा की जाती है.

**आई. संयुक्त उद्यम में निवेश (एएस-27)**

निवेश के अंतर्गत ₹420.43 करोड़ (विगत वर्ष ₹286.88 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में बैंक की हित राशि है.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| **संयुक्त उद्यम (इक्विटी)** | | |
| 1. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.* | 253.25 | 115.20 |
| 2. एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड | 28.40 | 28.40 |
| 3. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) BHD | 138.78 | 143.28 |
| **कुल** | **420.43** | **286.88** |

* वर्ष के दौरान बैंक ने स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकार इश्यू में ₹301/- (एफवी के इक्विटी शेयर ₹291/- के प्रीमियम पर जारी किए गए) की कीमत पर 45,86,378 इक्विटी शेयरों के लिए ₹138.05 करोड़ की राशि का निवेश किया है.

**जे. आस्तियों की क्षति (एएस-28)**

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात यथा 31 मार्च, 2025 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षति होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एएस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है.

**के. आकस्मिक देयताएं (एएस-29)**

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमश: न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

चालू वर्ष के दौरान परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार).

**एल. डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स:**

वर्ष के दौरान बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के मोचन के लिए अपनी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया है, जिसे पहले 2023-24 तक वास्तविक मोचन आधार पर हिसाब दिया गया था. तदनुसार, शीर्ष प्रावधान और आकस्मिकताओं के तहत ₹63,26,71,344 की राशि दर्ज की गई है.

## 16. संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन

अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर 31.12.2022 को भूमि और भवन का अंतिम पुनर्मूल्यांकन किया गया है. एएस-10 (संशोधित) के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से पुनः प्राप्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 2024-25 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ₹ 179.16 करोड़ की कमी आई है.

## 17. जलवायु नियंत्रण:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की "संवहनीय विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति" नामक एक नीति है जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है. इस नीति के माध्यम से, बैंक पर्यावरण की रक्षा और बहाल करने के प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने विद्युत संरक्षण, बोतलबंद पेयजल के लिए प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग से बचने आदि जैसी विभिन्न पहलें की हैं. पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) और जलवायु जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, बैंक के बोर्ड ने "ईएसजी जोखिम फ्रेमवर्क, जलवायु जोखिम नीति और सतत वित्तपोषण ढांचा" रखा है. बैंक ने ईएसजी रणनीति तैयार करने और बैंक में परिवर्तन के लिए ईएसजी संचालन समिति का गठन किया है.

## 18. एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए है.

## 19. बहियों का मिलान, अंतर-शाखा/ बैंक लेनदेनों का समाधान

उचंत खाते, विविध जमा आदि और शाखाओं, नियंत्रण कार्यालय, प्रधान कार्यालयों एवं किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा प्रबंधन का यह मत है कि चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुन समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है. जिन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुसार पहली बार प्रकटन किया गया है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का विभिन्न अंग हैं

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(श्री संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(श्री रामसुब्रमणियन एस.)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(सुश्री ए मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**प्रीति जय राव**
निदेशक

**प्रकाश चन्द्र कंदपाल**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

दिनांक: 08 मई, 2025

स्थान: मुंबई

# स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| क्र सं | विवरण | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | 23,47,907 | 21,43,039 |
| | **निम्न के लिए समायोजन :** | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 1,07,102 | 89,098 |
| | निवेशों के लिए प्रावधान | (3,23,672) | 87,887 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 7,30,849 | 6,38,729 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 5,544 | 71,019 |
| | स्टाफ संबंधी व्ययों के लिए प्रावधान | - | - |
| | अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल) | 34,832 | 3,753 |
| | अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि | (221) | (217) |
| | उधारी पर ब्याज : पूंजीगत लिखत | 1,45,104 | 1,64,704 |
| | निवेशों से प्राप्त लाभांश | (2,809) | (2,541) |
| | आरक्षित से/में अंतरण | (1,98,090) | (2,98,441) |
| | **कुल योग** | **28,46,544** | **28,97,030** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | 88,22,115 | 1,03,81,205 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) | 5,62,157 | 6,25,016 |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | (13,24,114) | 51,665 |
| | अग्रिमों में वृद्धि / (कमी) | (90,04,570) | (1,15,31,792) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | (87,900) | (88,253) |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल) | (70,570) | (3,02,000) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)** | **17,43,663** | **20,32,870** |
| | | | |
| बी | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (1,64,149) | (1,61,342) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री / समायोजन के प्राप्तियां | 1,359 | 32,744 |
| | अनुषंगी कंपनी में निवेश में (वृद्धि) /कमी | - | - |
| | निवेशों से प्राप्त लाभांश | 2,809 | 2,541 |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)** | **(1,59,981)** | **(1,26,057)** |
| | | | |
| सी | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्तियां आगम | - | 7,97,085 |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से आगम राशि प्राप्ति | - | - |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | - | (2,00,000) |
| | पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि | 39,342 | (14,18,910) |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत | (1,45,104) | (1,64,704) |
| | वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश | (2,74,810) | (2,05,042) |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)** | **(3,80,572)** | **(11,91,571)** |

(₹ लाख में)

| क्र सं | विवरण | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)** | **12,03,111** | **7,15,242** |
| | वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य | 1,19,30,287 | 1,12,15,045 |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,31,33,398** | **1,19,30,287** |
| | | | |
| | **Components of Cash and Cash equivalents** | | |
| **डी** | **नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 52,89,750 | 50,25,427 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 66,40,537 | 61,89,618 |
| | **वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,19,30,287** | **1,12,15,045** |
| | | | |
| **ई** | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 89,50,348 | 52,89,750 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि | 41,83,050 | 66,40,537 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,31,33,398** | **1,19,30,287** |

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है.

आवश्यकतानुरूप, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(प्रकाश चंद्र कंदपाल)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2025

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

**प्रति**

**भारत के राष्ट्रपति /**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य**

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

## अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक'), इसकी सहायक कंपनियों, सहायक और संयुक्त नियंत्रित इकाइयां (सामूहिक रूप से इसके बाद "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

   ए. बैंक का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   बी. 4 घरेलू सहायक कंपनियों, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक), 1 विदेशी सहायक कंपनी, 1 घरेलू संयुक्त उद्यम और 1 विदेशी संयुक्त उद्यम का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण.

   सी. 1 घरेलू संयुक्त उद्यम का अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण.

   हमारी राय व सर्वोतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्नलिखित समाहित है:

   ए. 31 मार्च, 2025 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;

   बी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं

   सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

## अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

## मुख्य लेखापरीक्षा मामले

3. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

| क्र. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 1 | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधानीकरण तथा निवेश** | |
| | यथा 31 मार्च, 2025 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है एवं कुल आस्तियों का 87.25% है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधानीकरण आधारित है. हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानीकरण हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है.<br><br>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुरूप अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है. चूंकि गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण हेतु प्रबंधन आकलन के विचारणीय स्तर, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं के आवेदन और समग्र लेखापरीक्षा के लिए महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है. | हमारा लेखापरीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित था क्योंकि शेषराशि एवं संबंधित हानि प्रावधानों की भौतिकता थी.<br><br>हमारे लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में ऋणों की स्वीकृति, संवितरण एवं निगरानी पर नियंत्रण का आकलन और आईआरएसी तथा प्रावधानीकरण मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के अनुपालन के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में उपयोग किए गए तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा शामिल है.<br><br>इनमें निम्नलिखित मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:<br>• आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों/निवेशों से संबंधित प्रावधान के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्राणली.<br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) की समय पर पहचान पर प्रणाली नियंत्रण और मैनुअल नियंत्रण<br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधानीकरण गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br>• अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीद, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण.<br>• हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने समयानुसार गैर-निष्पादित के रूप में पहचाना, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण किया.<br>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की भी समीक्षा की है.<br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखापरीक्षा का उपयोग कर रहा है.<br>• हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की भी समीक्षा की है.<br>• इसके अतिरिक्त, हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. . |

| क्र. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| | | • परीक्षा जांच के आधार पर, बड़े ऋणों पर भारिबैं के सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ('सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों ('एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया.<br>• हमने बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है<br>• अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण एवं निवेश की आय निर्धारण का सत्यापन.<br>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है. |
| **2** | **वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण** | |
| | वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ़्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं. प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं. बैंक के पास सूचना और प्रौद्योगिकी (डीआईटी) का एक आंतरिक विभाग है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है. तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है. | हमने मूल्यांकन किया और उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचान की है. सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली जिनका उपयोग लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए किया जाता है, हमारे लेखापरीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिक्योरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे. विशेषत: -<br>• हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं.<br>• हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त की गई रिपोर्ट शामिल है. इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए /संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था.<br>• हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैन्युअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूरक नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा. |

| क्र. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 3 | **आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना** | |
| | बैंक ने यथा 31 मार्च, 2025 को रु.3,71,39,447 ('000 में) के निवल आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में हाल ही में कमी ने लंबे समय तक लाभ की उपलब्धता एवं पूर्वानुमान को माना है, जिससे अनिश्चितता एवं उक्त आस्ति की अनुचित पहचान के अंतर्निहित जोखिम में कमी आई है. | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों जाँचों का कार्यनिष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है: |
| | | आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;<br><br>एकरूपता, प्रबंधन प्रतिनिधित्व, स्थिरता एवं निरंतरता के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली विधि, मान्यताओं और अन्य मापदंडों का आकलन किया जैसे कि प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए बजट एवं मध्यावधि अनुमान जिसमें आय वृद्धि एवं लागू कर दरें शामिल हैं और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया.<br><br>लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे बैंक भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा. |
| 4 | **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे** | |
| | अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 के नोट सं. 17 और अनुसूची 18 के नोट सं. 9.2). प्रावधानीकरण के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है. प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के सापेक्ष कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं मुकदमेबाजी अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे. हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अविश्वनीय है. इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है. | हमने लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों. हमने मोटेतौर पर प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, चूंकि प्रभाव का परिणाम भविष्य के विवरण पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं. हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/मुकदमों के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में परिवर्तित होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है. |

## समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में बैंक की निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में परिशिष्ट, यदि

कोई हो, शामिल हैं, जो इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त चिन्हित अन्य जानकारी को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गई है.

जब हम बैंक के निदेशक की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्टों सहित, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, तो यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें यह बात गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

## समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस द्वारा प्रभारित की जिम्मेदारियां

5. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरणों", लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 29 के प्रासंगिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप इसके एसोसिएट एवं संयुक्त नियंत्रित इकाई सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है.

इस ज़िम्मेदारी में उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव शामिल हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमियतताओं की पहचान एवं बचाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं एप्लिकेशन; ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित समूह इकाई की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों को प्रकट करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है.

उन समूह संस्थाओं के निदेशक मंडल भी संबंधित समूह संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेदार होंगे.

## समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. साथ ही:

- समेकित वित्तीय विवरणों की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपटसंधि, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें.
- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की समार्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, यदि हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर

आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है.

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रस्तुति प्राप्त करें.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या कारोबारी गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पूर्णत: जिम्मेदार हैं

तथ्यात्मक समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तथ्यात्मक एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बारे में, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेंस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं.

हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

गवर्नेंस से प्रभारित के साथ संप्रेषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो.

## अन्य मामले

7. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 5 सहायक कंपनियां एवं 2 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखापरीक्षण शामिल नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2025 को कुल आस्ति ₹36,94,95,512 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष में कुल राजस्व ₹10,72,54,947 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद निवल हानि ₹1,53,681 (हज़ार में) समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शेयर का निवल लाभ राशि ₹30,22,525 (हज़ार में) भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है, एक सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारा यह मत है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों में 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को कुल आस्ति ₹26,42,652 (हजार में) समूह के शेयर को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शेयर का कुल राजस्व ₹8,42,213 (हज़ार में) एवं कर पश्चात कुल निवल लाभ ₹3,89,713 (हजार में) समूह के शेयर को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है. ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी पर आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के महत्व लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

उक्त मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें आशोधित नहीं है.

8. एक संयुक्त उद्यम, स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, लेखापरीक्षकों ने, 29 अप्रैल, 2025 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से एक असंशोधित राय व्यक्त की है और 'अन्य मामले' अनुभाग में रिपोर्ट किया है कि "प्रवृत्त जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, कंपनी के नियुक्त बीमांकक की जिम्मेदारी है" ("नियुक्त बीमांकक"). प्रवृत्त जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए इन देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया

गया है, लेकिन देनदारी 31 मार्च, 2025 तक मौजूद है, नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, ऐसे मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और आईआरडीएआई की सहमति के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश और मानदंड के अनुसार हैं. हमने कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय बनाने में नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र पर भरोसा किया है."

## अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

   उपर्युक्त पैराग्राफ 5, 6 और 7 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर एवं अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों, एसोसिएट और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि "अन्य मामले" पैराग्राफ में उल्लेखित है, जहां तक लागू हो तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन है, और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

   बी) बैंक के लेनदेन, जो हमारी जानकारी में आए, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा

   सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 द्वारा अपेक्षित है, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व", भारिबैं द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

   ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बही रखी गई हैं, उन बहियों की जांच एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है;

   बी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त प्रतिफल के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

   सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा और कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें प्रेषित कर दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है;

   डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है व आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

   ई) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने से निरर्हता बैंक पर लागू नहीं होती हैं.

   भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य सहायक कंपनियों, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक कंपनियों, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से निरर्हता नहीं ठहराया गया है.

   एफ़) लेखों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई शर्त, निग्रह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

   जी) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है.

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYD4351

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 251336169BMJEZV3569

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVU3666

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXZ9278

स्थान: मुंबई
दिनांक: 8 मई 2025

# समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2025

(₹ 000' में)

| पूंजी एवं देयताएं | अनुसूची क्रमांक | यथा 31 मार्च, 2025 | यथा 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|---|
| पूंजी | 1 | 7,63,36,056 | 7,63,36,056 |
| सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमान्य शेयर पूंजी | 1ए | 10,40,035 | 10,40,035 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 2 | 1,06,09,64,691 | 89,86,00,469 |
| अल्पांश हित | 2ए | - | - |
| जमाराशियाँ | 3 | 13,12,29,13,650 | 12,24,59,33,559 |
| उधार | 4 | 27,48,97,937 | 26,97,42,680 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 5 | 57,71,41,863 | 52,83,06,310 |
| **कुल** | | **15,11,32,94,233** | **14,01,99,59,109** |
| **आस्तियां** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष | 6 | 89,50,84,967 | 52,90,15,436 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 7 | 42,17,52,358 | 66,74,43,018 |
| निवेश | 8 | 3,61,90,33,568 | 3,43,95,28,617 |
| अग्रिम | 9 | 9,56,72,86,757 | 8,74,07,97,404 |
| अचल आस्तियां | 10 | 9,82,40,935 | 9,25,98,061 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 51,18,95,648 | 55,05,76,573 |
| समेकन पर साख | | - | - |
| **कुल** | | **15,11,32,94,233** | **14,01,99,59,109** |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | 5,59,28,01,054 | 5,83,38,30,501 |
| संग्रहण के लिए बिल | | 47,61,66,847 | 50,25,28,601 |
| प्रमुख लेखा नीतियाँ | 17 | | |
| लेखा से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(प्रकाश चंद्र कंदपाल)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2025

# समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

| | विवरण | अनुसूची क्र. | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | 1,08,41,72,650 | 1,00,37,55,708 |
| | अन्य आय | 14 | 21,56,19,834 | 17,81,27,884 |
| | **कुल** | | **1,29,97,92,484** | **1,18,18,83,592** |
| **II.** | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | 70,73,33,117 | 63,36,37,017 |
| | परिचालन व्यय | 16 | 28,04,41,964 | 26,50,58,274 |
| | प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | | 13,28,05,780 | 14,60,98,815 |
| | **कुल** | | **1,12,05,80,860** | **1,04,47,94,106** |
| **iii.** | **सहायक कंपनियों में अल्पांश से पूर्व समेकित निवल लाभ/(हानि) एवं अर्जन में हिस्सेदारी** | | 17,92,11,624 | 13,70,89,486 |
| | जोड़ें: सहायक कंपनियों में लाभ की हिस्सेदारी | | 10,57,884 | 8,81,701 |
| | अल्पांश हित का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) | | 18,02,69,508 | 13,79,71,187 |
| | (घटाएँ): अल्पांश हित | | - | - |
| | समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि) | | 18,02,69,508 | 13,79,71,187 |
| | निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित से अंतरण | | | - |
| | जोड़े: आगे लाया गया लाभ/(हानि) | | 58,32,043 | 58,32,043 |
| | **विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि** | | **18,61,01,551** | **14,38,03,230** |
| **IV.** | **विनियोजन** | | | |
| | सांविधिक आरक्षित में अंतरण | | 4,49,67,865 | 3,42,85,266 |
| | आरक्षित पूंजी में अंतरण | | 33,97,295 | 16,32,611 |
| | निवेश उतार चढ़ाव जोखिम आरक्षित में अंतरित | | - | 2,84,440 |
| | राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | 8,88,11,699 | 6,60,81,024 |
| | विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(I)(viii)] | | 68,33,022 | 66,79,000 |
| | निवेश आरक्षित खाते में अंतरण | | - | 15,27,866 |
| | प्रस्तावित लाभांश | | 3,62,59,627 | 2,74,80,980 |
| | लाभ हानि खाते में शेष | | 58,32,043 | 58,32,043 |
| | **कुल** | | **18,61,01,551** | **14,38,03,230** |
| प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक | | | 23.62 | 19.15 |
| प्रमुख लेखा नीतियां | | 17 | | |
| लेखा से संबंधित नोट्स | | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(प्रकाश चंद्र कंदपाल)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2025

# समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2025

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | यथा 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1 - पूंजी:** | | |
| **I. प्राधिकृत:** | | |
| ₹10 प्रति शेयर की दर से 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| **II. निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता:** | | |
| i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (विगत वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर) | 5,70,66,609 | 5,70,66,609 |
| ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (विगत वर्ष 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर) | 1,92,69,447 | 1,92,69,447 |
| **कुल** | **7,63,36,056** | **7,63,36,056** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | यथा 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1ए - सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित अधिमान्य शेयर पूंजी:** | | |
| 17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग इंक (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा निर्गत) को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- के 10,40,03,544 सहभागी अमोचनीय अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर | 10,40,035 | 10,40,035 |
| **कुल** | **10,40,035** | **10,40,035** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष:** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षित:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 20,21,90,115 | | 16,79,04,849 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 4,49,67,865 | 24,71,57,980 | 3,42,85,266 | 20,21,90,115 |
| **II. आरक्षित पूंजी:** | | | | |
| **ए) आरक्षित पूंजी:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 6,15,11,311 | | 5,98,78,700 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 33,97,295 | | 16,32,611 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **6,49,08,606** | | **6,15,11,311** | |
| **बी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 5,64,44,174 | | 6,13,24,225 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,06,150 | | 81,343 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 19,97,709 | | 49,61,394 | |
| | **5,46,52,615** | | **5,64,44,174** | |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **सी) समामेलन आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,30,95,979 | | 1,30,95,979 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **1,30,95,979** | **13,26,57,200** | **1,30,95,979** | **13,10,51,464** |
| **III) समेकन पर आरक्षित पूंजी** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,20,151 | | 1,20,151 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 45,864 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | 1,66,015 | - | 1,20,151 |
| **IV. शेयर प्रीमियम:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 25,59,48,045 | | 18,42,28,058 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 13,34,636 | | 7,20,11,419 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | **25,72,82,681** | 2,91,432 | **25,59,48,045** |
| **V. आरक्षित निधि राजस्व :** | | | | |
| **i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 21,32,94,527 | | 14,49,84,457 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 9,44,36,325 | | 6,83,15,558 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,06,150 | | 5,488 | |
| | 30,75,24,702 | | 21,32,94,527 | |
| घटाएँ:- अल्पांश हित | | | | |
| | **30,75,24,702** | | **21,32,94,527** | |
| **ii) राजस्व आरक्षित - ट्रेजरी:** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | - | | - | |
| अवधि / वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,59,33,407 | | - | |
| अवधि / वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| **कुल** | **1,59,33,407** | | | |
| **iii) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 7,29,77,789 | | 6,62,98,789 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 68,33,022 | | 66,79,000 | |
| अवधि / वर्ष के दौरान कमी | - | | | |
| | **7,98,10,811** | | **7,29,77,789** | |
| **iv) एफ़एक्स स्वैप पर विशेष आरक्षित लाभ** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 60,346 | | 59,328 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 1,018 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 1,861 | | - | |
| | **58,485** | | **60,346** | |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **v) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,38,14,015 | | 1,35,29,575 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 2,84,440 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **1,38,14,015** | | **1,38,14,015** | |
| **vi) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | -16,273 | | -4,08,905 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,98,432 | | 6,93,239 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 4,55,314 | | 3,00,607 | |
| | **-1,73,155** | | **-16,273** | |
| **vii) डिबेंचर मोचन आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 31,375 | | 31,375 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | | | | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | 31,375 | | 31,375 | |
| **कुल** | | 41,69,99,640 | | 30,01,61,779 |
| **VI. निवेश आरक्षित खाता** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 32,96,872 | | 17,69,006 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 15,27,866 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 32,96,872 | - | - | 32,96,872 |
| **VII. एएफ़एस आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 8,69,132 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | 8,69,132 | - | - |
| **VIII. लाभ हानि खाते में शेष** | | | | |
| लाभ हानि खाते में शेष | | 58,32,043 | | 58,32,043 |
| **कुल** | | **1,06,09,64,691** | | **89,86,00,469** |
| **अनुसूची 2 ए अल्पांश हित** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | - | | - |
| जोड़े/(घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/(घटाएँ) | | - | | - |
| | | | | |
| **कुल अल्पांश हित** | | - | | - |
| **अनुसूची 3 -जमाराशियां:** | | | | |
| **ए.** | | | | |
| **I. मांग जमाराशियां** | | | | |
| i) बैंकों से | 1,01,66,991 | | 74,28,822 | |
| ii) अन्य से | 85,28,05,074 | 86,29,72,065 | 73,03,00,019 | 73,77,28,841 |

(₹ 000' में)

| विवरण | | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | **बचत बैंक जमाराशियां** | | 3,39,92,44,413 | | 3,36,37,02,530 |
| **III.** | **मीयादी जमाराशियां** | | | | |
| | i) बैंकों से | 38,09,47,206 | | 24,66,77,161 | |
| | ii) अन्य से | 8,47,97,49,966 | 8,86,06,97,172 | 7,89,78,25,027 | 8,14,45,02,188 |
| | **कुल** | | **13,12,29,13,650** | | **12,24,59,33,559** |
| | भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 12,71,41,24,689 | | 11,98,98,18,547 |
| | भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 40,87,88,961 | | 25,61,15,012 |
| | **कुल** | | **13,12,29,13,650** | | **12,24,59,33,559** |
| | जमाराशियों में ₹ 99,40,717 (पिछले वर्ष ₹ 96,10,358) की ग्रहणाधिकार वाली जमाराशि शामिल है. | | | | |
| **अनुसूची 4 - उधार:** | | | | | |
| **I)** | **भारत में उधार** | | | | |
| | i. भारतीय रिजर्व बैंक | - | | - | |
| | ii. अन्य बैंक | - | | 1,72,263 | |
| | iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | 6,18,12,879 | | 4,84,02,023 | |
| | iv. बेमीयादी बॉन्डस - टियर I | 9,68,80,000 | | 9,68,80,000 | |
| | v. गौण बॉन्डस - टियर II | 7,95,00,000 | | 7,95,00,000 | |
| | vi 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्डस | - | 23,81,92,879 | - | 22,49,54,286 |
| **II)** | **भारत से बाहर उधार** | | 3,67,05,058 | | 4,47,88,394 |
| | **कुल** | | **27,48,97,937** | | **26,97,42,680** |
| | (ए) एवं (बी) में सम्मिलित जमानती उधार | | - | | - |
| **अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान:** | | | | | |
| **I.** | **देय बिल** | | 2,75,02,187 | | 2,64,14,133 |
| **II.** | **उपचित ब्याज** | | 6,36,11,186 | | 5,24,76,353 |
| **III.** | **अन्य (प्रावधान सहित)** | | 48,60,28,490 | | 44,94,15,824 |
| | **कुल** | | **57,71,41,863** | | **52,83,06,310** |
| **अनुसूची 6 -नकदी एवं भारतीय रिजर्व में जमा शेष:** | | | | | |
| **I.** | **धारित नकदी** | | | | |
| | (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | | 1,74,41,812 | | 2,27,52,570 |
| **II.** | **भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में शेष** | | | | |
| | चालू खाते में | | 47,63,30,845 | | 50,62,58,578 |
| | अन्य खाते में | | 40,13,12,310 | | 4,288 |
| | **कुल** | | **89,50,84,967** | | **52,90,15,436** |

(₹ 000' में)

| विवरण | | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि:** | | | | | |
| **I.** | **भारत में** | | | | |
| | i) बैंकों में जमा शेष | | | | |
| | ए) चालू खातों में | | 65,14,241 | | 37,61,219 |
| | बी) अन्य जमा खातों में | | 04,16,522 | | 44,34,026 |
| | ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | | | | |
| | ए) बैंकों से | | - | | - |
| | बी) अन्य संस्थाओं से | | 49,95,224 | | 34,51,28,862 |
| | | | 1,19,25,987 | | 35,33,24,107 |
| **II.** | **भारत के बाहर** | | | | |
| | i) चालू खातों में | | 92,72,430 | | 54,09,791 |
| | ii) अन्य जमा खातों में | | 39,94,91,434 | | 30,64,81,064 |
| | iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | | 10,62,507 | | 22,28,056 |
| | **कुल (i, ii और iii)** | | **40,98,26,371** | | **31,41,18,911** |
| | **कुल योग (I और II)** | | **42,17,52,358** | | **66,74,43,018** |
| **अनुसूची 8 - निवेश:** | | | | | |
| **I.** | **भारत में निवेश** | | | | |
| | i) सरकारी प्रतिभूतियों में | | 2,85,79,96,563 | | 2,75,55,86,019 |
| | ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | | 1,67,97,932 | | 1,51,16,121 |
| | iii) शेयरों में | | 4,66,33,695 | | 2,82,77,299 |
| | iv) डिबेंचर एवं बॉन्डस में | | 56,94,91,559 | | 57,90,91,160 |
| | v) एसोसिएट में | | 68,22,233 | | 43,83,850 |
| | vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में) | | 8,81,97,269 | | 3,16,62,055 |
| | **कुल** | | **3,58,59,39,251** | | **3,41,41,16,504** |
| **II.** | **भारत से बाहर निवेश** | | | | |
| | i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | | 3,04,57,290 | | 2,20,01,139 |
| | ii) शेयरों में | | 5,572 | | 6,810 |
| | iii) अन्य निवेश (बांडों में) | | 26,31,454 | | 34,04,164 |
| | iv) एसोसिएट में | | - | | - |
| | **कुल** | | **3,30,94,317** | | **2,54,12,113** |
| | **कुल** | | **3,61,90,33,568** | | **3,43,95,28,617** |
| **III.** | **भारत में निवेश** | | | | |
| | सकल मूल्य | | 3,63,94,22,901 | | 3,50,13,05,679 |
| | घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 5,34,83,650 | | 8,71,89,175 |
| | भारत में निवेश का निवल मूल्य | | 3,58,59,39,251 | | 3,41,41,16,504 |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **IV) भारत से बाहर निवेश** | | | | |
| सकल मूल्य | | 3,32,21,289 | | 2,55,80,990 |
| घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 1,26,972 | | 1,68,877 |
| भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य | | 3,30,94,317 | | 2,54,12,113 |
| **कुल** | | **3,61,90,33,568** | | **3,43,95,28,617** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | यथा 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)** | | |
| **I.** | | |
| i) खरीदे और भुनाए गए बिल | 3,66,35,915 | 3,59,44,611 |
| ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | 4,84,90,14,895 | 4,34,16,74,091 |
| iii) मीयादी ऋण | 4,68,16,35,947 | 4,36,31,78,702 |
| **कुल** | **9,56,72,86,757** | **8,74,07,97,404** |
| **II)** | | |
| i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* | 7,90,12,05,263 | 7,24,72,22,868 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत | 10,95,68,346 | 5,93,58,913 |
| iii) प्रतिभूति-रहित | 1,55,65,13,148 | 1,43,42,15,623 |
| **कुल** | **9,56,72,86,757** | **8,74,07,97,404** |
| *बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित | | |
| **ए. भारत में अग्रिम:** | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 3,16,37,65,065 | 3,19,08,13,692 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | 1,01,80,99,768 | 1,23,56,53,929 |
| iii) बैंक | 1,29,342 | 8,66,18,664 |
| iv) अन्य | 5,02,64,98,850 | 3,90,55,55,529 |
| **कुल** | **9,20,84,93,025** | **8,41,86,41,814** |
| **बी. भारत के बाहर अग्रिम:** | | |
| i) बैंकों से प्राप्य | 6,41,94,478 | 6,50,62,605 |
| ii) अन्य से प्राप्य | - | - |
| ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल | 5,24,875 | 4,71,673 |
| बी) सिंडीकेटेड ऋण | - | - |
| सी) अन्य | 29,40,74,379 | 25,66,21,312 |
| | **35,87,93,732** | **32,21,55,590** |
| **कुल** | **9,56,72,86,757** | **8,74,07,97,404** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 - अचल आस्तियां** | | | | |
| **I. परिसर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 9,43,18,359 | | 9,58,92,243 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 14,41,835 | | 15,38,029 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 7,522 | | 31,11,913 | |
| | **9,57,52,672** | | **9,43,18,359** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 3,15,25,932 | 6,42,26,740 | 2,96,49,050 | 6,46,69,309 |
| **II. अन्य अचल आस्तियां** (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित) | | | | |
| **(ए) भूमि** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 35,19,663 | | 36,34,968 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,90,177 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | 1,15,305 | |
| | **37,09,840** | | **35,19,663** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 13,96,816 | 23,13,024 | 11,56,731 | 23,62,932 |
| **(बी) अन्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 8,56,31,311 | | 7,48,07,497 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,08,80,835 | | 1,29,54,854 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 26,30,469 | | 21,31,040 | |
| | **9,38,81,677** | | **8,56,31,311** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 6,75,46,538 | 2,63,35,139 | 6,27,55,312 | 2,28,75,999 |
| **(सी) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 1,27,43,864 | | 1,21,64,227 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 39,34,823 | | 18,50,275 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 5,35,377 | | 12,70,638 | |
| | 1,61,43,310 | | 1,27,43,864 | |
| आज की तारीख तक परिशोधन | 1,13,64,559 | 47,78,751 | 1,04,12,985 | 23,30,879 |
| **(डी) पट्टे पर दी गई आस्तियां** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 3,126 | | 3,14,398 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | 3,11,272 | |
| | **3,126** | | **3,126** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 3,126 | - | 3,126 | 0 |
| **कुल (I और II)** | | 9,76,53,654 | | 9,22,39,119 |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2025 | | यथा 31 मार्च, 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| **III. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 3,58,942 | | 2,21,629 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **6,23,640** | | **3,58,196** | |
| वर्ष के दौरान कमी | 3,95,301 | 5,87,281 | 2,20,883 | 3,58,942 |
| **कुल (I,II और III)** | | **9,82,40,935** | | **9,25,98,061** |
| **अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां:** | | | | |
| I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल) | | 2,93,44,287 | | 1,70,28,198 |
| II. उपचित ब्याज | | 11,10,10,044 | | 10,87,38,067 |
| III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(प्रावधान का निवल) | | 3,48,23,414 | | 7,12,98,680 |
| IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप | | 64,823 | | 61,852 |
| V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | | 1,334 | | 1,334 |
| VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | | 2,74,58,984 | | 3,71,39,447 |
| VII. अन्य | | 30,91,92,761 | | 31,63,02,660 |
| VIII. एमएटी क्रेडिट | | 1 | | 6,335 |
| **कुल** | | **51,18,95,648** | | **55,05,76,573** |
| **अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं:** | | | | |
| I. बैंक के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | | 11,14,957 | | 2,06,76,800 |
| II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | | 68,322 | | 41,101 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | | 3,68,98,53,083 | | 3,72,06,07,588 |
| IV. घटकों की ओर दी गयी गारंटी | | | | |
| i) भारत में | | 70,73,94,487 | | 69,48,36,138 |
| ii) भारत से बाहर | | 1,04,77,141 | | 67,54,640 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व * | | 84,54,59,699 | | 1,06,71,64,155 |
| VI. आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें | | | | |
| i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | | 29,39,57,431 | | 28,77,80,965 |
| ii) पूंजी प्रतिबद्धता | | 35,74,605 | | 13,70,051 |
| iii) डीईएएफ योजना - 2014 में अंतरित राशि | | 4,09,01,330 | | 3,45,99,063 |
| **कुल** | | **5,59,28,01,054** | | **5,83,38,30,501** |
| * इसमें अस्थिर/स्थिर ब्याज दर स्वैप, प्रतिभूतियों की स्वीकृतियों हेतु दायित्व, मुद्रा स्वैप प्राप्य राशि तथा देय हेतु दायित्व, विक्रीत स्वामित्व मुद्रा फ्यूचर हेतु दायित्व, मंदड़िया विक्रीत प्रतिभूतियों हेतु दायित्व, रिर्वस रिपो के अंतर्गत सुपुर्द प्रतिभूतियों हेतु दायित्व भी शामिल हैं. | | | | |
| **उगाही हेतु बिल** | | **47,61,66,847** | | **50,25,28,601** |

# समेकित लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000') में

| विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज:** | | |
| I. अग्रिमों पर ब्याज/ बिलों पर बट्टा | 79,25,58,271 | 72,15,62,942 |
| II. निवेशों से आय | 23,63,07,856 | 22,82,90,420 |
| III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | 5,12,47,885 | 4,89,08,922 |
| IV. अन्य | 40,58,638 | 49,93,423 |
| **कुल** | **1,08,41,72,650** | **1,00,37,55,708** |
| **अनूसूची 14 - अन्य आय:** | | |
| I कमीशन, विनिमय और दलाली | 2,64,94,745 | 2,34,13,734 |
| II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल) | 2,23,23,612 | 1,79,15,613 |
| III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) | 1,14,91,455 | 33,03,246 |
| IV. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल) | 22,124 | 21,690 |
| V. विनिमय लेन-देन से लाभ - (निवल) | 82,59,537 | 91,90,006 |
| VI. ए) पट्टा वित्त आय | - | - |
| बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क | | |
| सी) अतिदेय शुल्क | | |
| डी) प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज | | |
| VII. विविध आय | 14,70,28,362 | 12,42,83,595 |
| **कुल** | **21,56,19,834** | **17,81,27,883** |
| **अनूसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज:** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज | 66,37,46,134 | 58,62,99,268 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज | 2,75,39,511 | 2,98,97,025 |
| III. अन्य | 1,60,47,472 | 1,74,40,724 |
| **कुल** | **70,73,33,117** | **63,36,37,017** |
| **अनुसूची 16 - परिचालन व्यय:** | | |
| I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | 14,99,63,027 | 14,59,32,289 |
| II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था | 1,20,08,086 | 1,10,42,764 |
| III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी | 13,53,106 | 12,70,045 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार | 14,34,981 | 14,53,822 |
| V. ए) पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 1,08,38,813 | 89,59,332 |
| बी) पट्टा आस्तियों वाली बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | - | - |
| VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | 83,598 | 70,104 |
| VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | 7,09,580 | 6,94,964 |
| VIII. विधिक प्रभार | 18,92,973 | 18,57,131 |
| IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | 42,91,758 | 39,88,329 |
| X. मरम्मती एवं रखरखाव | 42,68,410 | 35,46,826 |
| XI. बीमा | 1,41,63,925 | 1,26,35,105 |
| XII. साख पर परिशोधन, यदि कोई हो | - | -14,116 |
| XIII. अन्य व्यय | 7,94,33,707 | 7,36,21,679 |
| **कुल** | **28,04,41,964** | **26,50,58,274** |

# वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु समेकित आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

**(तुलन पत्र के भाग के प्रारूपण हेतु अनुसूची 17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए)**

## पृष्ठभूमि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई अथवा बैंक) एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में संलग्न है. बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है. बैंक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात, विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत और इन सिद्धांतों को लागू करने की पद्धति निम्नलिखित हैं.

## 1. प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत और लेखांकन के संचयी आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं. इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, कार्यशील संस्था की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

## 2. अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है.

## 3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है. इसका विवरण निम्नानुसार है: -

| क्र. | प्रकृति | संस्था | हिस्सेदारी |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक कंपनी | यूनियन आस्ति प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 100% |
| 2 | सहायक कंपनी | यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 100% |
| 3 | सहायक कंपनी | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड | 100% |
| 4 | सहायक कंपनी | आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड | 100% |
| 5 | सहायक कंपनी | यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड | 100% |
| 6 | संयुक्त उद्यम | स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 25.10% |
| 7 | संयुक्त उद्यम | एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड | 26.02% |
| 8 | संयुक्त उद्यम | इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | 25.00% |
| 9 | सहयोगी इकाई | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | 35% |

**समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:**

1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

2) सहायक कंपनियों का समेकन: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अन्तःसमूह लेन-देनों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मूल बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे.

3) सहयोगी इकाईयों का समेकन: एसोसिएट में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है.

4) संयुक्त उद्यमों का समेकन: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का

मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन की जा रही भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुई.

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी आरक्षित, जैसा भी मामला हो के रुप में पहचाना गया है.

डी) समेकित सहायक कंपनी के निवल आस्तियों में निम्न अल्पांश हित शामिल हैं:

i) सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पांश को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि

ii) मूल सहायक कंपनी का संबंध आस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व आरक्षित / हानि में अल्पांश शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी.

iii) अल्पांश को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुलांश हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पांश के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुक़सानों में अच्छा कर सकता है.

## 4. राजस्व निर्धारण

### ए) बैंकिंग संस्था

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. गत वर्ष में दर्ज की गई आय और वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियां के संबंध में शेष अप्राप्ति की मान्यता समाप्त कर दी गई है.

iii) ऋण पत्रों (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन, आस्थगित भुगतान गारंटी और सरकारी कारोबार को अवधि के दौरान आनुपातिक एवं उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

iv) अर्जित विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम जमाशेष आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

v) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया गया है.

vi) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया गया है.

viii) आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की जाती है.

### बी) गैर - बैंकिंग संस्था

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रुप में मान्य है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रुप में मान्य है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रुप में लिया जाता है. कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम के रुप में परिवर्तित किया गया है.

ii) लिंक्ड फंड से आय

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड कोष से वसूल किया गया है.

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल है, के लिए मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है. एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण की संबंधित योजना में गणना की जाती है. दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावें हैं.

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और

जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है.

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम आरक्षित पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है.

आस्ति प्रबंधन

i) निवेश प्रबंधन शुल्क को कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है.

iii) ब्याज आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है

iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

## 5. वसूली का विनियोजन:

ओटीएस/एनसीएलटी के अलावा अन्य वसूलियों को निम्नानुसार विनियोजित किया जाएगा:

5.1. जब देनदार और लेनदार के बीच इस बात पर कोई समझौता नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए पैसे को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम इस प्रकार है:

**मीयादी ऋण हेतु:**

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए की तिथि पर वसूल न किए गए ब्याज को वापस किए जाने के लिए.
- छद्म बही में रखा गया (अनुपयोजित ब्याज).
- वसूली की तारीख तक मूलधन/ईएमआई के बकाया के लिए.
- चालू बही शेष के लिए

**चल खातों हेतु:**

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए के समय लौटाए गए अनुपयोजित ब्याज सहित छद्म बही (अप्रभारित ब्याज) में रखे गए ब्याज के लिए.
- मूलधन के लिए

5.2. यदि उधारकर्ता उपरोक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तें निर्धारित करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन मंजूरी शर्तों के अनुसार होगा.

5.3. ओटीएस और सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, वसूली को संकल्प अथवा परिसमापन किसी भी माध्यम से:

वसूली का विनियोजन यहां निम्नानुसार अथवा मंजूर शर्तों के अनुसार किया जाएगा

- मूलधन के लिए
- छद्म बही में रखे गए (अप्रभारित ब्याज) ब्याज सहित
- एनपीए के समय लौटाए गए अप्राप्य ब्याज.
- व्यय एवं लागत आदि के लिए.

5.4. अनर्जक निवेश के मामले में वसूली निम्नानुसार विनियोजित किया जाएगा:

ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.

बी. एनपीए के समय लौटाए गए अप्राप्य ब्याज के लिए.

सी. छद्म बही में रखे गए (अप्रभारित ब्याज) ब्याज.

डी. वसूली की तिथि तक मूलधन/ईएमआई में अग्रिम के लिए.

ई. चालू बही शेष के लिए.

## 6. निवेश

### 6.1. निवेश का वर्गीकरण

ए) बैंक ने पूरे निवेश पोर्टफोलियो (अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल). व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उपश्रेणी है. निवेश की श्रेणी बैंक द्वारा अधिग्रहण से पहले या उसके समय तय की जाती है और इस निर्णय का उचित रूप से दस्तावेजीकरण किया जाएगा.

बी) बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) में निर्धारित निम्नानुसार तुलन पत्र में निवेश प्रस्तुत करना जारी रखा है:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
iii. शेयरों
iv. डिबेंचर और बांड
v. सहायक कंपनियां और/अथवा संयुक्त उद्यम

vi. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)

सी) मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त इनपुट के संदर्भ में, निवेश निम्नलिखित में से कोई एक है:

(i) वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 1" वे इनपुट हैं जो ऐसे समान लिखतों, जिन्हें बैंक माप तिथि पर एक्सेस कर सकता है, के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं. किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो मूल रूप से स्तर 1 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट नहीं होता है.

(ii) वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 2" वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से आस्ति या देयता के लिए प्रेक्षणीय हैं. किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट नहीं होता है.

(iii) वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 3" अप्राप्य इनपुट हैं. किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह ऐसे मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट होता है.

**6.1.1. एचटीएम**

ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

(i) प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारण करने के मंतव्य और उद्देश्य से अर्जित किया जाता है, अर्थात वित्तीय आस्तियों को संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है; तथा

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो निर्दिष्ट तिथियों पर बकाया मूलधन ('एसपीपीआई मानदंड') पर "केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान" होता है.

बी) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस मंतव्य से अधिग्रहित किया गया है, उसके बावजूद वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और इसलिए एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हैं:

(i) अनिवार्यतः, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय सुविधाओं वाले लिखत.

(ii) संविदागत हानि अवशोषण विशेषताओं वाले लिखत, जैसे कि बेसल III पूंजी विनियमन के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले लिखत.

(iii) ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई के "मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023" दिनांक 12-09-2023 के खंड 4(ए)(xviii) में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के नहीं हैं, जिन्हें आगे "आरबीआई मास्टर परिपत्र" के रूप में उल्लिखित किया गया है.

(iv) वरीयता शेयर और इक्विटी शेयर.

सी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाला माना जाता है, यदि वह अंश जिसमें निवेश किया गया है, निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

(i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकित किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तों (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित समूह को देखे बिना) से नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है.

(ii) वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है.

(iii) हिस्से का ऋण जोखिम संयुक्त अंतर्निहित आस्तियों के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम होता है.

**6.1.2. एएफएस**

(ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

(i) प्रतिभूति का अधिग्रहण एक ऐसे उद्देश्य से किया जाता है जो संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्रित करने और प्रतिभूतियों को बेचने, दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है; तथा

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें आरबीआई मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 6.1(ए)(ii) में दिए गए 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं.

बशर्ते कि, प्रारंभिक निर्धारण पर, बैंक किसी इक्विटी लिखत को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए अविकल्पी चुनाव कर सकता है, जिसे व्यापार के उद्देश्य से नहीं रखा गया है (अर्थात, आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक I के पैराग्राफ 4 में सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया है).

(बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रयोजनों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का इरादा परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला होता है.

**6.1.3 एफवीटीपीएल**

जो प्रतिभूतियाँ एचटीएम या एएफ़एस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:

(i) इक्विटी शेयर, (क) सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों

के इक्विटी शेयरों और (ख) इक्विटी शेयरों को छोड़कर, जहां प्रारंभिक निर्धारण पर, एएफएस में वर्गीकृत करने का अप्रतिसहंरणीय विकल्प प्रयोग किया गया है.

(ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश.

(iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं. वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंशों में निवेश की समीक्षा आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 6.1(सी) में बताए गए एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए की जानी चाहिए.

(iv) बांड, डिबेंचर आदि, जहां भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है.

(v) उप-खण्ड 6.1(बी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ, आरबीआई मास्टर परिपत्र के उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट इक्विटी के लिए अपवाद के अधीन.

**6.1.4 एचएफटी**

बैंक ने एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नामक एक अलग उप-श्रेणी बनाई है. बैंक एचएफटी के तहत निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक I में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं.

**6.1.5** सहायक कंपनियों, सहयोगी इकाइयों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगी इकाइयों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात ऐसे निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है.

**6.2 प्रारम्भिक निर्धारण**

6.2.1 सभी निवेशों को प्रारंभिक निर्धारण पर उचित मूल्य पर मापा जाता है. जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य, अधिग्रहण लागत से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है.

ऐसी स्थितियाँ जहाँ अनुमान का परीक्षण किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:

ए. लेन-देन संबंधित पक्षों के बीच है.

बी. लेन-देन दबाव में हो रहा है, जहां एक पक्ष को लेन-देन में कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

सी. लेनदेन उस वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है.

डी. अन्य परिस्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अनुमान का परीक्षण उचित हैं.

6.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच परिचालन और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक निर्धारण प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य है.

6.2.3 जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार प्रेक्षणीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहां किसी भी दिन 1 लाभ/हानि को अनुसूची 14 के तहत लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है: उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के अंतर्गत 'अन्य आय', जैसा भी मामला हो.

6.2.4. स्तर 3 निवेश से उत्पन्न किसी भी दिन 1 की हानि तुरंत निर्धारित हो जाती है.

6.2.5. लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिन 1 लाभ को स्थगित कर दिया जाता है. ऋण लिखतों के मामले में, दिन 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत लिखतों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि सुरक्षा सूचीबद्ध या निर्धारण रद्द नहीं हो जाता.

**6.3 अनुवर्ती माप**

6.3.1. एचटीएम

ए) एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है और प्रारंभिक निर्धारण के बाद उन्हें बाजार में अंकित (एमटीएम) नहीं किया जाता. हालांकि, वे आरबीआई मास्टर निर्देश के अध्याय X में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन हैं.

बी) एचटीएम के तहत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधित राशि, अनुसूची 8 में एक कोंट्रा: 'निवेश' सहित अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई गयी है.

6.3.2. एएफएस

ए) एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर किया जाता है,. एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधित राशि, अनुसूची 8 में एक कोंट्रा: 'निवेश' सहित अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी है.

बी) एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी प्रदर्शनकारी निवेशों, वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना (जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर इत्यादि) में मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है. निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस रिजर्व नामक आरक्षित निधि में जमा या उससे डेबिट किया जाता है.

सी) एएफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियां आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय X में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन होंगी.

डी) एएफएस-रिजर्व को आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 28 के अधीन सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाता है. एएफएस-रिजर्व में स्थानांतरित किए गए अप्राप्त लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

ई) एएफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से स्थानांतरित कर दिया जाता है और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है.

एफ) प्रारंभिक निर्धारण के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाती है. इसके बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से आरक्षित पूंजी में स्थानांतरित कर दी जाती है.

6.3.3. एफवीटीपीएल

ए) एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा. एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर किया जाता है.

बी) एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधित राशि, अनुसूची 8 में एक कोंट्रा: 'निवेश' सहित अनुसूची 13 के II मद 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी है.

सी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियां आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय X में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं.

6.3.4. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

ए) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर धारण किए जाते हैं, जो आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय IV की आवश्यकताओं के अधीन है.

बी) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत दर्शाया जाता है.

सी) ऐसे मामले में जहां पहले से ही किसी ऐसी इकाई में निवेश है जो सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित इकाई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

(i) जहां निवेश एचटीएम के तहत धारण किया जाता है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य ही संशोधित वहन मूल्य होता है.

(ii) जहां कोई निवेश एएफएस के अंतर्गत रखा जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पूर्व में प्राप्त संचयी लाभ और हानि को उलट दिया जाता है और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ निवेश के वहन मूल्य में समायोजित कर दिया जाता है, ताकि संशोधित वहन मूल्य प्राप्त हो सके.

(iii) जहां एफवीटीपीएल में निवेश किया जाता है, वहां निवेशग्राही के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि को उचित मूल्य, वहन मूल्य के रूप में लिया जाता है.

डी) जब कोई निवेशग्राही सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाता है:

i) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है और फलस्वरूप किसी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है.

ii) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहाँ ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि का उचित मूल्य ही, संशोधित वहन मूल्य होता है. एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

ई) किसी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को सबसे पहले लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है और फिर लाभ और हानि खाते से नीचे की रेखा में 'आरक्षित पूंजी खाते' में विनियोजित किया जाता है. इस प्रकार विनियोजित राशि, करों और सांविधिक आरक्षित निधियों में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर प्राप्त की जाती है.

एफ) बैंक सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश का मूल्यांकन यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर करता है. संभावित हानि के संकेतकों की एक गैर-संपूर्ण सूची इस प्रकार है:

(i) संस्था ने अपने ऋण दायित्वों के चुकौती में चूक की है.

(ii) किसी भी बैंक से संस्था की ऋण राशि की पुनर्संरचना की गई है.

(iii) संस्था की ऋण रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है.

(iv) संस्था को लगातार तीन वर्षों तक घाटा हुआ है और परिणामस्वरूप निवल मूल्य में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है.

(v) छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है. इस उप-खंड के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाएगी. बैंक, अपने बोर्ड की मंजूरी के साथ, और भी अधिक संतुलित सीमा लागू कर सकते हैं.

(vi) संस्था की कोई या सभी बकाया प्रतिभूतियाँ सूची से हटाई जा चुकी हैं, सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्ध करने की आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज की सूची से हटाए जाने के खतरे में हैं.

किसी नई संस्था/परियोजना के मामले में, जहां ब्रेक-ईवन बिंदु को प्राप्त करने की मूल रूप से अनुमानित तिथि को बढ़ा दिया गया है, अर्थात इकाई/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित उत्पादन-पूर्व अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है.

जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि किसी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के संबंध में हानि हुई है या नहीं, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करता है और यदि कोई हानि हुई है, तो उसके लिए प्रावधान करता है. इस तरह की कमी को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है. यदि कमी को उलट दिया जाता है, तो इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से उलट दिया जाता है.

### 6.4. श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

6.4.1. इस ढांचे में बदलाव के बाद, बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेश को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं कर सकता. इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी.

6.4.2. पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए.

6.4.3. जब बैंक निवेश को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करता है, तो लेखांकन उपचार नीचे दी गई तालिका में दिया गया है. बैंक वित्तीय विवरणों के नोट्स में पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण प्रकट करता है:

| क्रम सं. | पूर्व ढाँचा | संशोधित ढाँचा | लेखांकन उपचार |
|---|---|---|---|
| ए | एचटीएम | एएफएस | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा.<br><br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में निर्धारित किया जाएगा. |
| बी | | एफवीटीपीएल | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा.<br><br>निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा. |
| सी | एएफएस | एचटीएम | निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है. तथापि, एएफएस-रिजर्व में पहले से निर्धारित संचयी लाभ/हानि को उसमें से निकाल लिया जाएगा और संशोधित वहन मूल्य पर पहुँचने के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा. इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वैसा ही होगा जैसे कि बैंक ने एचटीएम में निवेश को आरंभ से ही वर्गीकृत किया हो. |
| डी | | एफवीटीपीएल | निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहेगा. एएफएस रिजर्व में पहले से निर्धारित संचयी लाभ या हानि को वहां से निकाल लिया जाएगा और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा. |

| क्रम सं. | पूर्व ढाँचा | संशोधित ढाँचा | लेखांकन उपचार |
|---|---|---|---|
| ई | एफवीटीपीएल | एचटीएम | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली वहन राशि अपरिवर्तित बनी रहती है. |
| एफ | | एएफएस | |

### 6.5. एचटीएम से निवेश की बिक्री

6.5.1. एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होती है. एचटीएम से बिक्री का विवरण आरबीआई के 12 सितंबर 2023 के मास्टर निर्देशों के अनुलग्नक II में निर्दिष्ट प्रारूप में वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में प्रकट किया गया है.

6.5.2 किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के आरंभिक वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. इस सीमा से अधिक किसी भी बिक्री के लिए डीओएस, आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है.

6.5.3. नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री को आरबीआई मास्टर निर्देशों के खंड 20 में निर्धारित पांच प्रतिशत की विनियामक सीमा से बाहर रखा गया है:

ए) आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों जैसे कि खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के अंतर्गत आरबीआई को बिक्री.

बी) भारत सरकार द्वारा बैंकों से बायबैक या स्विच परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद.

सी) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद.

डी) जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बायबैक, पुनर्खरीद या कॉल विकल्प का प्रयोग.

ई) क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री.

एफ) वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान योजना के भाग के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री.

जी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री.

6.5.4. एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि अनुसूची 14 के मद II: 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में जमा होती है.

6.5.5 एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से नीचे 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है. इस प्रकार विनियोजित निवल राशि करों और सांविधिक आरक्षित में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर प्राप्त की जाती है.

6.5.6. अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

| | | |
|---|---|---|
| ए | भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ) | फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) के कोटेशन के अनुसार |
| बी | राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉन्ड | एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर. |
| सी | इक्विटी शेयर | यदि उल्लेखित हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर. दोनों नहीं होने पर, रु.1/- प्रति कंपनी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाए. |
| डी | वरीयता शेयर | यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर अथवा एफआईएमएमडीए/ के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं. |
| ई | डिबेंचर्स/बॉन्ड्स | यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर अथवा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर. |
| एफ़ | म्युचुअल फंड (एमएफ़) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार. |
| जी | ट्रेजरी बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र | वहन लागत पर |

| | | |
|---|---|---|
| एच | उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ) | घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार ब्रेक-अप एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ. |
| आई | प्रतिभूति रसीदें | इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो केवर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/ डीओआर/2021-22/81 डीओआर. एमजीआर.42/21.04.141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 तथा समय-समय पर संशोधनों के अनुसार किया जाएगा. सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा, जो आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 और समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार ऐसी लिखतों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग पर आधारित होगा. |

6.5.7. अंतरबैंक भारतीय रिजर्व बैंक रेपो और अंतरबैंक/भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो लेनदेनों का लेखा-जोखा भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

6.5.8. प्रतिभूतियों पर कमीशन, ब्रोकरेज, खंडित अवधि का ब्याज आदि लाभ-हानि खाते में नामे / जमा किए जाते हैं.

6.5.9. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान की गई ब्रोकरेज और एसटीटी को सौदे की कीमत के हिसाब से माना जाता है.

6.5.10. बैंक निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए भारित औसत मूल्य (डब्ल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.

6.5.11. भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक निवेश लेनदेन के लेखांकन के लिए 'निपटान तिथि' का पालन करता है.

### 6.6. गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)

ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का उपयोग किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है. इसी तरह, एक एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाता है जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है.

i. बांड या डिबेंचर जैसे ऋण साधनों के संबंध में, एनपीआई वह है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है.

ii. उप-खंड (ए) (i) यथावश्यक परिवर्तनों के साथ उन वरीयता शेयरों पर लागू होता है, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है. यदि वरीयता शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश किसी वर्ष में घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया/अदत्त माना जाता है और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता की तुलन पत्र की तिथि को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से देय तिथि के रूप में माना जाता है. इस तरह के निवेश को बाद में गैर-संचयी वरीयता शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और संचयी वरीयता शेयरों के मामले में बकाया और चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान पर अपग्रेड किया जा सकता है.

iii. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य आरबीआई मास्टर सर्कुलर के खंड 26.3 के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण ₹1 प्रति कंपनी है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई माना जाता है. लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई को बाद में अपग्रेड किया जा सकता है.

iv. यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई भी ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए वरीयता शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई माना जाता है और इसके विपरीत. हालांकि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां केवल वरीयता शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधा को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

v. मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में बदलने के मामले में, ऐसे उपकरणों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. रूपांतरण के बाद, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अध्याय III की आवश्यकताओं के अनुसार एचटीएएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है.

बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है तथा मूल्यांकन लाभ और हानि को घटाने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाता है.

सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करता है. आय का निर्धारण केवल उसकी प्राप्ति पर किया जाता है. इसके अलावा, सुरक्षा में किसी भी एमटीएम मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाता है.

डी) चाहे जिस भी श्रेणी (जैसे, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में निवेश किया गया हो, हानि के लिए प्रावधान के लिए व्यय को हमेशा लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है. एनपीआई पर रखा जाने वाला प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर है:

(i) एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; तथा

(ii) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर इसके अग्रणीत मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ऊपर निर्दिष्ट एनपीआई के प्रावधान के अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं है.

बशर्ते कि एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किसी निवेश के मामले में, जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, अपेक्षित प्रावधान ऐसे उपलब्ध लाभ की सीमा तक एएफएस-रिजर्व पर प्रभारित करके बनाया जा सकता है.

बशर्ते कि एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किसी निवेश के मामले में, जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी घाटा है, संचयी घाटे को एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त कोई भी प्रावधान उलट दिया जाता है और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है.

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और सरकारी गारंटीकृत निवेश.

i. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है.

ii. केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को तब तक एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा गारंटी को अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है. एएफएस और एफवीटीपीएल में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक ने क्रमशः एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि में एमटीएम लाभ/हानि को निर्धारित करना जारी रखा है. तथापि, कोई भी आय केवल प्राप्ति के आधार पर निर्धारित जाती है.

iii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आकर्षित करता है, जब ब्याज / मूलधन की किस्त (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न की गई हो.

### 6.7. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

(ए) बैंक एक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि(आईएफआर) का निर्माण तब तक कर सकता है जब तक कि आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए, निरंतर आधार पर, आईएफआर में निम्न में से कम से कम राशि स्थानांतरित करके:

i. वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ.

ii. वर्ष के लिए निवल लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर.

(बी) आईएफआर टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र है. सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियों को टियर II पूंजी के रूप में मान्यता देने पर लागू सीमा आईएफआर पर लागू नहीं है.

(सी) बैंक को अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि को किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में बताए गए लाभ/हानि के शेष में जमा करने की अनुमति है.

(डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन निकासी की अनुमति है:

i) निकाली गई राशि का उपयोग केवल मुक्त आरक्षित निधियों में विनियोजन या हानि संतुलन को कम करने के माध्यम से न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है.

ii) आहरित की जाने वाली राशि उक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधानों/ घाटों की सीमा से अधिक नहीं होगी, जो उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक हो.

### 6.8. डेरिवेटिव

68.1. बैंक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, सिवाय उक्त मार्गदर्शन नोट के पैराग्राफ 63 के. बैंक अपनी डेरिवेटिव आस्ति और देयताओं को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के तहत अलग-अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत करेंगे. बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट की हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकते हैं.

68.2. बैंक अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करता है, अर्थात स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3, जैसा कि आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 4 में परिभाषित किया गया है और प्रकटीकरण टेम्पलेट में निर्दिष्ट टेम्पलेट के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों के खातों में नोट्स में इसका खुलासा करते हैं.

6.8.3. बैंक अपने तुलन पत्र पर लेवल 3 डेरिवेटिव आस्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल अवास्तविक लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करता है. इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में निर्दिष्ट लेवल 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अवास्तविक लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाता है.

### 6.9. संक्रमण लेखांकन समायोजन

6.9.1. आरबीआई के निर्देशों (यानी 1 अप्रैल, 2024 को संशोधित रूपरेखा) में परिवर्तन के समय, बैंक ने आरबीआई के निर्देशों के अध्याय III में निर्धारित निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्वर्गीकृत किया. 31 मार्च, 2024 तक मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में शेष राशि को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में वापस कर दिया गया है. 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षित खाते (आईआरए) में शेष राशि को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि बैंक ने आईएफआर की न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया है. पिछले वर्ष से संशोधित ढांचे में परिवर्तन के लिए विशिष्ट उपचार नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

| पिछला ढांचा | संशोधित ढांचा | 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभिक लेखांकन समायोजन |
|---|---|---|
| एचटीएम | एचटीएम | अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत, संशोधित वहन मूल्य है.<br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| | एएफएस | संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है.<br>इसके अलावा, एएफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाता है. |
| | एफवीटीपीएल | 31 मार्च 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है.<br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| एएफएस | एचटीएम | अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य है.<br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| | एएफएस | संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है.<br>इसके अलावा, एएफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाता है. |
| | एफवीटीपीएल | 31 मार्च 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है.<br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| एचएफटी | एचटीएम | अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च, 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य है.<br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |
| | एएफएस | संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है.<br>इसके अलावा, एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर को एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाता है. |
| | एफवीटीपीएल | 31 मार्च 2024 तक उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है.<br>संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है. |

6.10. बैंक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के अपने नोट्स में किए गए परिवर्ती समायोजन का उपयुक्त प्रकटीकरण करता है.

## 7. अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है

(ए) मानक,

(बी) अवमानक,

(सी) संदिग्ध तथा

(डी) हानि आस्तियां.

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र आरबीआई/2024-2025/12 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.8/21.04.048/2024-25 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 के अनुसार आवश्यक प्रावधान आवश्यक किया गया है. विदेशी शाखाओं के अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय कानूनों, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे.

ii) अग्रिमों में विशेष ऋण हानि के लिए प्रावधान, प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित विविध जमा में रखी अप्राप्य ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी न्यास(सीजीटीएमएसई)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को ''अन्य देयताओं और प्रावधानों'' में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है. आईआरएसी आरबीआई/2024-2025/12 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.8/21.04.048/2024-25 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 तथा उसके बाद समय-समय पर ज़ारी अन्य परिपत्र के अनुसार मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाना है.

iv) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाएगा.

v) सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/ निर्यात अग्रिम, पेंशन आदि को छोड़कर, छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100% किया गया है.

## 8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i) परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास के निवल तथा संचित हानि पर लिया गया है, यदि कोई है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और आस्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागत कम व्यापार छूट और रिबेट शामिल है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है और "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" पर संशोधित लेखा मानक-10 के अनुसार राजस्व आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा.

ii) बैंक की व्यय नीति में समय – समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 1 | अचल संपत्ति- भूमि | गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यह्रास नहीं | शून्य |
| 2 | आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों) | 60 | 1.67 |
| 3 | फर्नीचर | 10 | 10.00 |
| 4 | फिक्सचर | 10 | 10.00 |
| 5 | वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टेबल) | 10 | 10.00 |
| 6 | स्प्लिट एवं विंडो वातानुकूलन | 5 | 20.00 |
| 7 | विद्युत संस्थापन एवं उपकरण | 5 | 20.00 |
| 8 | सौर ऊर्जा उपकरण | 15 | 6.67 |
| 9 | एलिवेटर एवं लिफ्ट | 15 | 6.67 |
| 10 | पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य | 5 | 20.00 |
| 11 | दूरभाष उपकरण | 5 | 20.00 |
| 12 | मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड | 10 | 10.00 |
| 13 | मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईंधन सेल संचालित वाहन शामिल है. | 8 | 12.50 |
| 14 | मोबाइल फोन | 3 | 33.33 |
| 15 | जेनेरेटर | 15 | 6.67 |
| 16 | कार्यालय उपस्कर/उपकरण | 5 | 20.00 |
| 17 | कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 | 33.33 |
| 18 | एटीएम एवं संबद्ध मदें | 5 | 20.00 |

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 19 | यूपीएस एवं संबद्ध मदें | 5 | 20.00 |
| 20 | सर्वर एवं नेटवर्क | 6 | 16.66 |
| 21 | अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ियाँ आदि | 3 | 33.33 |
| 22 | एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉंग रूम डोर, कैश सेफ आदि (फिक्चर सहित). | 20 | 5.00 |
| 23 | फर्नीचर सहित स्टाफ को उपलब्ध कराई गई वस्तुएं (फर्नीचर/इलेक्ट्रिकल एवं आदि) —यूबीआई के मामले में | 5 | 20.00 |

iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास समिश्र लागत पर लगाया गया है.

iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर लगाया गया है.

v) देश के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/सहयोगियों की अचल सम्पत्तियों पर विनियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यह्रास लगाया गया है.

## 9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के वहन लागत की समीक्षा की जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन रिवर्सल के बाद भी, वहन मूल्य उस वहन मूल्य से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

## 10. प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर

प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है. प्रतिचक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

## 11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी सहायक कम्पनियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर लिया गया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गई हैं.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और "अंतरिम" परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का अंतरण प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा आकस्मिक देयताओं बकाया का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमश: फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नही की जाती है बल्कि निवल निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग ''विदेशी मुद्रा लेखा आरक्षित'' खाते में रखा जाता है

## 12. कर्मचारी लाभ

**(ए). अल्पकालिक रोजगार लाभ:**

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है उसे अल्पकालिक के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

प्रदर्शन आधारित पुरस्कारों की प्रकृति के अल्पकालिक कर्मचारी लाभ पुरस्कार के वर्ष में व्यय के रूप में निर्धारित हैं.

**(बी). दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

**i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:**

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी वर्तमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता का 14% बैंक अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

**ii. निर्धारित लाभ योजना:**

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

## 13. खंड-वार रिपोर्ट करना:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 "खंड-वार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक ने कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में माना है. कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) ट्रेजरी परिचालन,

बी) कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

सी) रिटेल बैंकिंग परिचालन और
(जिसमें से, डिजिटल बैंकिंग खंड )

डी) अन्य बैंकिंग परिचालन में

## 14. लीज़ संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय माना जाता है.

## 15. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर आय की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो किया जाता है यदि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम का अनुबंध अथवा परिवर्तित किया गया था. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या और बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है.

## 16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर कर नियमों के अनुसार वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं स्थापित कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक 'उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

## 17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं

एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी.

तुलन पत्र की तारीख पर देयता का निपटान करने के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं, जो समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक होते हैं. प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है.

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब वहाँ निम्नलिखित होता है;

- एक पिछली घटना से उत्पन्न होने वाली एक संभावित देयता, जिसके अस्तित्व की पुष्टि बैंक के नियंत्रण में न होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों की घटना या गैर-घटना से की जाएगी; या
- एक पिछली घटना से उत्पन्न एक वर्तमान देयता जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. .

जब कोई संभावित देयता या वर्तमान देयता होती है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण हो सकती है जिसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है.

## 18. शेयर निर्गम व्यय:

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

## 19. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3. के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है:

- परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

## अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स (समेकित)

1 बैंक (पैरेंट/मूल) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार है

| विवरण | निगमन का देश | यथा 31.03.2025 को पैरेंट द्वारा स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 100% |
| यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 100% |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड | यूनाइटेड किंगडम | 100% |
| आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. | भारत | 100% |
| यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड | भारत | 100% |

2 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

| विवरण | निगमन का देश | यथा 31.03.2025 को पैरेंट द्वारा स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग) | भारत | 25.10% |
| एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड | भारत | 26.02% |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | भारत | 25.00% |

3 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

| विवरण | निगमन का देश | यथा 31.03.2025 को पैरेंट द्वारा स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | भारत | 35% |

4 यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक द्वारा सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों एवं एसोसिएट में किए गए निवेश का मूल्य ₹1,671.05 करोड़ (वि.व. 2023-24 ₹1,533.02 करोड़) रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है.

5 केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई07042025-262339 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के माध्यम से चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित), आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित), सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) को एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजक के तहत आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक कहा गया है.

तदनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक को 01 मई, 2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ) में समामेलित किया जाएगा.

6 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च, 2025, तक के हैं परंतु इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2024 है.

7 समेकित वित्तीय विवरण यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड, आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, 31.12.2024 को समाप्त अवधि के लिए इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी और 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं.

8 उचंत खाते, विविध जमा आदि और शाखाओं, नियंत्रण कार्यालय, प्रधान कार्यालयों एवं किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा प्रबंधन का यह मत है कि चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है.

**9 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन**

**9.1 पूंजी**

बैंक दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 1 अक्तूबर, 2021 तक बासेल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन 1 अक्तूबर, 2021 से सुनिश्चित किया गया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी I) से बनी है.

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2025 तक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 8.00% और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक (दोनों 2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) बनाए रखना आवश्यक है.

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी (सीईटी 1) (निवल कटौती, यदि कोई हो) | 1,06,203.65 | 91,205.93 |
| i. | अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी | 8,871.18 | 8,928.65 |
| ii. | टीयर 1 पूंजी (i + ii) | 1,15,074.83 | 1,00,134.58 |
| iii. | टीयर 2 पूंजी | 12,489.05 | 13,066.90 |
| iv. | कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2) | 1,27,563.88 | 1,13,201.48 |
| v. | कुल जोखिम-भरित आस्तियां (आरडबल्यूए) | 7,07,869.38 | 6,68,083.61 |
| vii. | सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) | 15.00 | 13.65 |
| viii. | टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी) | 16.26 | 14.99 |
| xi. | टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी) | 1.76 | 1.96 |
| x. | जोखिम भारित आस्तियों हेतु पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 18.02 | 16.94 |
| xi. | लीवरेज अनुपात | 7.03 | 6.58 |
| xii | i. शेयरधारिता का प्रतिशत<br>ए) भारत सरकार<br>बी) राज्य सरकार<br>सी) प्रयोजक बैंक | 74.76 | 74.76 |
| xiii. | वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि | -- | 8,000.00 |
| xiv | i. वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटि टीयर 1 पूंजी की राशि, जिसमें:<br>ए) बासेल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर<br>बी) बासेल III अनुपालन शाश्वत कर्ज लिखत | <br><br>-- | <br><br>-- |
| xv | वर्ष के दौरान जुटाई गयी टीयर 2 पूंजी की राशि, जिसमें:<br>ए) शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर<br>बी) प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर<br>सी) बासेल III अनुपालित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय टियर 2 बॉण्ड | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |

### 9.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

**प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप. लाभ एवं हानि में डेबिटेड:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| निवेशों पर एनपीआई हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि) | (95.96) | (355.20) |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 7426.40 | 6,409.60 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रति प्रविष्टि) | 81.47 | 701.20 |
| आयकर (आईटी) / आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) के लिए निवल प्रावधान | 5502.71 | 7,799.28 |
| अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं: | 365.95 | 55.00 |
| **कुल** | **13280.58** | **14,609.88** |

### 9.3 काउंटर साईक्लिकल प्रावधान बफर / अस्थायी प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| i. प्रारंभिक शेष | -- | -- |
| ii. लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | -- | -- |
| iii. लेखा वर्ष के दौरान ड्राडाउन की गई राशि | -- | -- |
| iv. अंतिम शेष | -- | -- |

### 10 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित) (मूल बैंक)

**10.1 अल्पावधि रोजगार के लाभ:**

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी.

**10.2 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

**1021 सुनिश्चित अंशदान योजनाएं:**

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है जो एक सुनिश्चित अंशदान योजना है, इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले मौजूदा पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार, इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान के साथ 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अधिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक ( पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फ़ंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में प्रोटीन ईगाव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉज़िटरी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को नियुक्त किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में ₹704.53 करोड़ (विगत वर्ष ₹644.84 करोड़) का अंशदान किया है.

**1022 सुनिश्चित लाभ योजना:**

उपादान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण सुनिश्चित लाभ योजनाएं हैं. इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक -15 “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

**सुनिश्चित लाभ योजनाएं – कर्मचारियों का पेंशन योजना एवं उपादान योजना:**

बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी लाभों का हिसाब किया है.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पेंशन योजनाएं | | उपादान योजनाएं | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **सुनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:** | | | | |
| 1 अप्रैल को प्रारंभिक सुनिश्चित लाभ दायित्व | 31,555.91 | 29,170.59 | 3,602.00 | 3,225.86 |
| ब्याज लागत | 2,284.65 | 2,196.55 | 259.70 | 241.62 |
| चालू सेवा लागत | 242.52 | 171.59 | 227.54 | 176.23 |
| विगत सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | -- | -- | -- | -- |
| विगत सेवा लागत (निहित लाभ) | -- | -- | -- | -- |
| देयता अंतरण आवक | -- | -- | -- | -- |
| देयता अंतरण जावक | -- | -- | -- | -- |
| प्रदत्त लाभ | (2,568.00) | (2,426.52) | (327.73) | (317.32) |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि - परिवर्तन के कारण | | | | |
| वित्तीय धारणा में | 572.70 | (1,890.74) | 143.13 | 95.91 |
| जनांकिक धारणा में | -- | -- | -- | -- |
| दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि | 1,275.89 | 4,334.44 | 76.74 | 179.70 |
| 31 मार्च को अंतिम सुनिश्चित लाभ दायित्व | 33,363.67 | 31,555.91 | 3,981.38 | 3,602.00 |
| **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:** | | | | |
| 1 अप्रैल को योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य | 31,140.21 | 28,754.24 | 3,457.68 | 3,262.35 |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 2,254.55 | 2,165.19 | 249.30 | 244.35 |
| अंशदान | 2,240.99 | 2,223.33 | 574.32 | 238.96 |
| अन्य कंपनी से अंतरण | -- | -- | -- | -- |
| अन्य कंपनी को अंतरण | -- | -- | -- | -- |
| प्रदत्त लाभ | (2568) | (2,426.52) | (327.73) | (317.32) |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | 278.76 | 423.97 | 41.13 | 29.34 |
| 31 मार्च को योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 33,346.51 | 31,140.21 | 3,994.75 | 3,457.68 |
| अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | 1,848.59 | 2,443.70 | 219.87 | 275.61 |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | (278.76) | (423.97) | (41.13) | (29.34) |
| पहचान किया जाने वाला कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि | 1,569.83 | 2,019.73 | 178.74 | 246.27 |
| **संक्रमणकालीन देयता की पहचान:** | | | | |
| 1 अप्रैल को संक्रमणकालीन देयता | -- | -- | -- | -- |
| वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता | -- | -- | -- | -- |
| 31 मार्च को संक्रमणकालीन देयता | -- | -- | -- | -- |
| **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:** | | | | |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 2,254.55 | 2,165.19 | 249.30 | 244.35 |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 278.76 | 423.97 | 41.18 | 29.34 |
| योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ | 2,533.31 | 2,589.16 | 290.48 | 273.69 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पेंशन योजनाएं | | उपादान योजनाएं | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **आय विवरण में चिन्हित व्यय:** | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 242.52 | 171.59 | 227.54 | 176.23 |
| ब्याज लागत | 30.10 | 31.36 | 10.40 | (2.73) |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | -- | -- | -- | -- |
| पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | -- | -- | -- | -- |
| पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5) | -- | -- | -- | -- |
| संक्रमण देयता की पहचान | -- | -- | -- | -- |
| बीमांकिक (लाभ) या हानि | 1,569.83 | 2,019.73 | 178.69 | 246.27 |
| लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय | 1,842.45 | 2,222.68 | 416.63 | 419.77 |
| **तुलन पत्र समाधान:** | | | | |
| प्रारंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित निवल राशि) | 415.70 | 416.35 | 144.32 | (36.49) |
| उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 1,842.45 | 2,222.68 | 416.63 | 419.77 |
| अन्य कंपनियों से अंतरित (निवल) | -- | -- | -- | -- |
| अन्य कंपनियों को अंतरित (निवल) | -- | -- | -- | -- |
| (नियोक्ता का अंशदान) | (2,240.99) | (2,223.23) | (574.32) | (238.96) |
| **तुलन-पत्र में चिन्हित निवल (आस्ति)/देयता राशि** | 17.16 | 415.70 | (13.37) | 144.32 |
| **अन्य विवरण:** | | | | |
| तैतीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी. | | | | |
| उपादान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. | | | | |
| बीमांकिक लाभ/हानि की गणना घटना के वर्ष में किया जाता है. | | | | |
| वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| सदस्यों की संख्या | 17,644 | 19,218 | 73,945 | 75,866 |
| वेतन प्रति माह | 183.07 | 185.19 | 621.38 | 584.18 |
| आगामी वर्ष के लिए अंशदान | 258.97 | 600.03 | 199.04 | 371.87 |
| **आस्तियों का संवर्ग:** | | | | |
| भारत सरकार की आस्तियां | 474.05 | 479.80 | 27.95 | 27.56 |
| कॉर्पोरेट बांड/एफ़डीआर | 3,408.03 | 2,773.66 | 445.02 | 297.23 |
| विशेष जमा योजना | -- | -- | -- | -- |
| राज्य सरकार | 4,467.59 | 3,521.70 | 594.51 | 393.93 |
| सम्पत्ति | -- | -- | -- | -- |
| अन्य | 3,033.58 | 1330.78 | 424.69 | 190.78 |
| बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 21,963.26* | 23,034.27* | 2,502.58* | 2,548.18* |
| म्यूचुअल फंड | -- | -- | -- | -- |
| **कुल** | **33,346.51** | **31,140.21** | **3,994.74** | **3,457.68** |

*नोट: एलआईसी में निवेश पर प्रतिफल 8.11% है और अन्य बीमा कंपनियों में 7.50% प्रत्याशित है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर पेंशन देयता और उपादान देयता का निर्धारण किया गया है.

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी: | उपादान योजनाएं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलन पत्र में पहचानी गई राशि | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| वर्ष के अंत में देयता | 3,981.38 | 3,602.00 | 3,225.86 | 3,197.81 | 3,355.82 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,994.75 | 3,457.68 | 3,262.35 | 3,367.60 | 2,746.43 |
| अंतर | 13.37 | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) |
| पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत | -- | -- | -- | -- | -- |
| पहचान न की गई संक्रमण देयता | -- | -- | -- | -- | -- |
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | 13.37 | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) |

(₹ करोड़ में)

| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | उपादान योजनाएं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुभव समायोजन | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| योजना देयता पर (लाभ)/हानि | 76.74 | 179.70 | 29.55 | 30.86 | 752.31 |
| योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ | 41.13 | 29.34 | (17.33) | 53.31 | 34.41 |

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी: | पेंशन योजनाएं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 33,363.67 | 31,555.91 | 29,170.59 | 28,650.99 | 26,011.41 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 33,346.51 | 31,140.21 | 28,754.24 | 27,043.50 | 26,720.88 |
| अंतर | (17.16) | (415.70) | (416.35) | (1,607.49) | 709.47 |
| पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत | -- | -- | -- | 1,521.62 | -- |
| पहचान न की गई संक्रमण देयता | -- | -- | -- | -- | -- |
| तुलन पत्र में पहचानी गई राशि | (17.16) | (415.70) | (416.35) | (85.87) | 709.47 |

(₹ करोड़ में)

| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | पेंशन योजनाएं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुभव समायोजन | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| योजना देयता पर (लाभ)/हानि | 1,275.89 | 4,334.44 | 614.25 | 2,452.27 | 1,456.27 |
| योजना आस्तियों पर (हानि)/लाभ | 278.76 | 423.97 | 49.96 | 266.31 | 81.65 |

(₹ करोड़ में)

| मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%) | चालू वर्ष | | विगत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | उपादान | पेंशन | उपादान | पेंशन |
| पिछली छूट दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| पिछली एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| वर्तमान छूट दर | 6.85 | 7.05 | 7.21 | 7.24 |
| वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर | 6.85 | 7.05 | 7.21 | 7.24 |
| वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| वर्तमान एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

**10.3 अन्य दीर्घ-कालिक कर्मचारी लाभ:**

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घ-कालिक कर्मचारी लाभ के लिए तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| अन्य दीर्घ-कालिक कर्मचारी लाभ | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| पेंशन | -- | -- |
| अवकाश किराया रियायत | 0.33 | (5.43) |
| अवकाश नकदीकरण | 343.33 | 350.14 |

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए रु.281.10 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है. असंशोधित पारिवारिक पेंशन और उपादान देयताएं – शून्य.

10.4 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83डीओआर.एसीसी.आरईसी.न.45/ 21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 के संदर्भ में (समय-समय पर अद्यतित), निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं:

ए. अन्य देनदारियों और प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक है,

बी. अन्य आस्तियों के मामले में, "अन्य" शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है,

सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय" के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है.

| अनुसूची | उप शीर्ष के अंतर्गत मद | ₹ करोड़ में | कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो |
|---|---|---|---|
| अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान (IV-अन्य (प्रावधान सहित)) | - | - | - |
| अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां (VI-अन्य) | - | - | - |
| अनुसूची 14 – अन्य आय (VII-अन्य विविध आय) | अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क | 1,672.77 | 1.29 |
| | बट्टे खाते में वसूली | 4,311.24 | 3.32 |
| अनुसूची 16 – परिचालन व्यय (XII-अन्य व्यय) | - | -- | -- |

**11 क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)**

**11.1. कारोबार क्षेत्र:**

(₹ करोड़ में)

| कारोबार क्षेत्र | समेकित | |
|---|---|---|
| | समाप्त वर्ष | |
| | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
| **ए. क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| 1. ट्रेजरी परिचालन | 32,848.45 | 30,682.09 |
| 2. रिटेल बैंकिंग परिचालन | 45,091.87 | 40,076.17 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 963.55 | 942.01 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 44,128.32 | 39,134.16 |
| 3. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 46,021.85 | 42,224.34 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. अन्य बैंकिंग परिचालन | 2,464.34 | 1,813.42 |
| 5. **गैर आबंटित** | 3,552.74 | 3,392.33 |
| **कुल क्षेत्रवार राजस्व** | 1,29,979.25 | 1,18,188.35 |
| घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व | - | - |
| **परिचालन से आय** | **1,29,979.25** | **1,18,188.35** |
| | | |
| **बी. क्षेत्रवार परिणाम** | | |
| 1. ट्रेजरी परिचालन | 5,832.60 | 5,241.21 |
| 2. रिटेल बैंकिंग परिचालन | 8,753.32 | 6,568.62 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 735.45 | 749.60 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 8,017.87 | 5,819.02 |
| 3. कॉर्पोरेट बैंकिंग | 6,437.21 | 7,586.79 |
| 4. अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,343.55 | 971.64 |
| 5. गैर आबंटित | 1,057.19 | 1,139.96 |
| **कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)** | **23,423.87** | **21,508.22** |
| कर हेतु प्रावधान | 5,502.71 | 7,799.28 |
| **कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)** | **17,921.16** | **13,708.94** |
| जोड़ा: एसोसिएट में लाभ का शेयर | 105.79 | 88.17 |
| **समेकित निवल लाभ/(हानि)** | **18,026.95** | **13,797.11** |
| | | |
| **सी. क्षेत्रवार आस्तियां** | | |
| 1. ट्रेजरी परिचालन | 4,96,469.55 | 4,71,095.79 |
| 2. रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,57,840.87 | 4,15,198.98 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 3,228.60 | 2,602.62 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,54,612.27 | 4,12,596.36 |
| 3. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 5,15,026.76 | 4,74,102.54 |
| 4. अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5. गैर आबंटित | 41,992.24 | 41,598.61 |
| **कुल** | **15,11,329.42** | **14,01,995.92** |
| | | |
| **डी. क्षेत्रवार देयताएं** | | |
| 1. ट्रेजरी परिचालन | 4,59,073.45 | 4,38,277.50 |
| 2. रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,23,354.43 | 3,86,274.67 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 2,985.40 | 2,421.32 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,20,369.03 | 3,83,853.35 |
| 3. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 4,76,232.87 | 4,41,074.78 |
| 4. अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5. गैर आबंटित | 38,834.59 | 38,771.31 |
| **कुल** | **13,97,495.34** | **13,04,398.26** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ई.** | **नियोजित पूंजी** | | |
| 1. | ट्रेजरी परिचालन | 37,396.10 | 32,818.29 |
| 2. | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 34,486.43 | 28,924.32 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 243.19 | 181.32 |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 34,243.24 | 28,743.00 |
| 3. | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 38,793.90 | 33,027.75 |
| 4. | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5. | गैर आबंटित | 3,157.65 | 2,827.30 |
| **कुल** | | **1,13,834.08** | **97,597.66** |

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं, अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य क्षेत्र केवल एक ही है.
2. बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 'डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है.
3. क्षेत्र वार आय और व्यय, जो सीधे आबंटित नहीं हैं, उन्हें प्रबंधन द्वारा उचित समझे गए अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.
4. क्षेत्र देयताएं और क्षेत्र पूंजी उनके संबंधित क्षेत्र आस्तियों के अनुपात में वितरित की जाती है.
5. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

## 12 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18) (मूल बैंक)

### 12.1 संबंधित पार्टियों की सूची

**ए) सहायक कंपनियां**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
- यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड

**बी. संयुक्त उपक्रम**

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

**सी. एसोसिएट**

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

### 12.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

| नाम | पदनाम | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक |
|---|---|---|
| सुश्री ए मणिमेखलै | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.63 |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक | 0.65 |
| श्री रामसुब्रमणियन एस. | कार्यपालक निदेशक | 0.59 |
| श्री संजय रुद्र | कार्यपालक निदेशक | 0.44 |
| श्री पंकज द्विवेदी | कार्यपालक निदेशक | 0.35 |

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. इसके अतिरिक्त, एएस 18 के पैराग्राफ 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

### 13 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त निवल लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. विघटित अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया विघटित संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या | 7,63,36,05,607 | 6,83,47,47,466 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या | -- | 79,88,58,141 |
| वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 7,63,36,05,607 | 7,63,36,05,607 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या | 7,63,36,05,607 | 7,20,31,48,214 |
| विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या | 7,63,36,05,607 | 7,20,31,48,214 |
| निवल लाभ/(हानि) रुपए करोड़ में | 18,026.95 | 13,797.11 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर (रु) | 23.62 | 19.15 |
| विघटित अर्जन प्रति शेयर (रु) | 23.62 | 19.15 |
| मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (रु) | 10 | 10 |

### 14 करों के लिए प्रावधान:

**आस्थगित कर (एएस-22)**

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| | **आस्थगित कर आस्तियां** | | |
| 1 | कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 559.46 | 472.83 |
| 2 | स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास | 311.32 | 305.11 |
| 3 | गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान | 4270.51 | 5,588.40 |
| 4 | विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित | -79.82 | (68.54) |

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|---|
| 5 | अन्य प्रावधान | 269.02 | 203.85 |
| 6 | विशिष्ट मानक आस्तियां | 445.97 | -- |
| | **कुल** | **5776.47** | **6,501.65** |
| | **आस्थगित कर देयताएं** | | |
| 1 | प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज | 1010.69 | 951.02 |
| 2 | 36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | 2008.68 | 1,836.70 |
| 3 | प्रतिभूतियों पर एएफएस आरक्षित | 11.20 | -- |
| | **कुल** | **3030.57** | **2,787.72** |
| | **निवल आस्थगित कर आस्ति** | **2745.90** | **3,713.93** |

**प्रत्यक्ष कर**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| आय कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 5,502.71 | 7,799.28 |

**15. आस्तियों की हानि (एएस-28)**

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात यथा 31 मार्च, 2025 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षतिग्रस्त होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एएस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है.

मूल एवं सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और कार्यशील संस्था अवधारणा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है. ऐसे मामलों में जहां आरबीआई के दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुसार पहली बार प्रकटीकरण किया गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का विभिन्न अंग हैं

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(श्री संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(श्री रामसुब्रमणियन एस.)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(सुश्री ए मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**प्रीति जय राव**
निदेशक

**प्रकाश चन्द्र कंदपाल**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

दिनांक: 08 मई, 2025

स्थान: मुंबई

# समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| क्र सं | विवरण | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | 23,42,388 | 21,50,822 |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 1,08,388 | 89,593 |
| | निवेशों के लिए प्रावधान | (3,37,474) | 88,070 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 7,30,849 | 6,40,960 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 5,544 | 71,067 |
| | अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल) | 51,522 | 4,482 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि | (221) | (217) |
| | उधारी पर ब्याज: पूंजीगत लिखत | 1,45,104 | 1,64,704 |
| | एसोसिएट में लाभ की हिस्सेदारी | 10,579 | 8,817 |
| | आरक्षित से/में अंतरण | (1,92,399) | (2,97,383) |
| | **कुल योग** | **28,64,279** | **29,20,915** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | 87,69,801 | 1,04,27,144 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) | 7,06,100 | 7,63,049 |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | (14,33,192) | (1,01,844) |
| | अग्रिमों में वृद्धि / (कमी) | (89,95,743) | (1,16,21,266) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | (92,736) | (93,029) |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल) | (70,570) | (3,02,000) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)** | **17,47,938** | **19,92,969** |
| | | | |
| बी | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (1,66,917) | (1,64,880) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन की प्राप्तियां | 2,164 | 34,320 |
| | सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी | (24,383) | (8,817) |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)** | **(1,89,135)** | **(1,39,377)** |
| | | | |
| सी | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमान शेयर पूंजी को जारी करने से प्राप्तियां | - | - |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्तियां | 13,346 | 7,97,085 |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्तियां | - | - |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | - | (2,00,000) |
| | पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि | 51,553 | (13,76,233) |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज: पूंजीगत लिखत | (1,45,104) | (1,64,704) |
| | वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश | (2,74,810) | (2,05,042) |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)** | **(3,55,014)** | **(11,48,894)** |

(₹ लाख में)

| क्र सं | विवरण | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)** | 12,03,790 | 7,04,698 |
| | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | 1,19,64,584 | 1,12,59,886 |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,31,68,374** | **1,19,64,584** |
| | | | |
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक** | | |
| **डी** | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 52,90,154 | 50,25,811 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि | 66,74,430 | 62,34,076 |
| | **वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,19,64,584** | **1,12,59,887** |
| | | | |
| **ई** | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 89,50,850 | 52,90,154 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि | 42,17,524 | 66,74,430 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,31,68,374** | **1,19,64,584** |

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है.

जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(मुनीश कुमार चोपड़ा)**
उप महाप्रबंधक

**(हर मोहन साहू)**
महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(प्रकाश चंद्र कंदपाल)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते जी एस माथुर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**कृते छाजेड एंड डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 25091007BMMLYC6080

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 25136169BMJEZU3911

**सीए लक्ष्मी चंद्रशेखरन**
भागीदार
सदस्यता सं. 028508
यूडीआईएन: 25028508BMKZVT3238

**सीए सुनीता पाण्डेय**
भागीदार
सदस्यता सं. 076989
यूडीआईएन: 25076989BMLJXY7800

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2025

# बासेल III पूंजी नियमन के
# अंतर्गत प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 1 अप्रैल, 2024 यथा संशोधित के अनुसार, बैंकों के लिए बासेल III, पूंजी अपेक्षाओं के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Final-Disclosure-March-2025.pdf

# कारोबारी उत्तरदायित्व और **संवहनीयता रिपोर्ट**

सेबी द्वारा आवश्यक कारोबारी उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

# INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

To,
The Board of Directors of
Union Bank of India,
Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point,
Mumbai – 400021, India.

Union Bank of India (hereinafter referred to as "UBI" or Reporting Organization) engaged TUV India Private Limited (TUVI) to perform an independent external assurance of the Business Responsibility and Sustainability Report (hereinafter 'the BRSR') Core disclosures. UBI developed the Annual Report which also contains the disclosures of BRSR Core ("the 09 attributes") for the period April 01, 2024, to March 31, 2025. following frameworks and guidelines are refereed during assurance process:

i. *The Industry Standards on Reporting of BRSR Core, as per SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, dated 20 December 2024;*
ii. *SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562, dated 10 May 2021;*
iii. *The SEBI notification SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131, dated 14 June 2023, related to BRSR reporting requirements;*
iv. *The BRSR Core – Framework for Assurance and ESG Disclosures for the Value Chain, as stipulated by SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated 12 July 2023;*

The assurance engagement for BRSR Core disclosures was conducted with reasonable assurance engagement, following the requirements of International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised).

## Management's Responsibility

UBI developed its sustainability information forming part of the Annual Report (based on BRSR framework) and holds full responsibility for the collection, analysis, preparation, and disclosure of the information presented in the Annual Report, including its availability in both web-based and printed formats. This responsibility also extends to the maintenance and integrity of the website where the Annual Report is published. Management is responsible for ensuring the disclosed data is accurate, reliable, and free from material misstatements, as per the BRSR criteria. Additionally, UBI is responsible for the archiving and reproduction of the disclosed information and for ensuring that such data is made available to relevant stakeholders and regulatory authorities upon request. The Reporting Organization is responsible for complying with applicable laws.

## Scope and Boundary

The scope of this assurance engagement conducted by TUVI covered the verification of BRSR core disclosures made by UBI in its Annual Report, The Annual Report represent key disclosures related to the organization's Environmental, Social, and Governance (ESG) performance, as mandated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The assurance engagement included the following activities:

1. Review of General Disclosures, Management and Process Disclosures, and UBI's responses to all nine attributes specified under Annexure I – Format of BRSR Core, as disclosed in the BRSR;
2. Assessment of the quality, clarity, and completeness of the reported information; and Verification of supporting evidence on a sample basis, involving: Reasonable assurance for the nine attributes as per the BRSR Core framework.

This approach ensured an assessment aligned with the principles of ISAE 3000 (Revised), providing an independent and objective evaluation of the reliability and accuracy of UBI's ESG disclosures.

TUVI has verified the below *09 attributes as per Annexure I - Format of BRSR Core* disclosed in the BRSR

| Attributes | KPI |
|---|---|
| Green-house gas (GHG) footprint | Total Scope 1 emissions (with breakup by type) - GHG ($CO_2e$) Emission in MT - Direct emissions from organization's owned- or controlled sources (estimated KPI) |
| | Total Scope 2 emissions in MT - Indirect emissions from the generation of energy that is purchased from a utility provider (estimated KPI) |
| | GHG Emission Intensity (Scope 1+2) - (Total Scope 1 and Scope 2 emissions (MT) / Total Revenue from Operations – Calculated |
| | GHG Emission Intensity (Scope 1+2) - (Total Scope 1 and Scope 2 emissions (MT) / Total Revenue from Operations adjusted for PPP - Calculated |
| Water footprint | Total water withdrawal by sources (in kL) (estimated KPI) |
| | Total water consumption (in kL) (estimated KPI) |

| | | |
|---|---|---|
| | Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Total Revenue from Operations – Calculated | |
| | Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Total Revenue from Operations adjusted for PPP – Calculated | |
| | Water consumption intensity - Water Consumption (kL) / Product or Service – Calculated | |
| | Water Discharge by destination and levels of Treatment (kL) – Reported NIL | |
| Energy footprint | Total energy consumed in GJ (estimated KPI) | |
| | % of energy consumed from renewable sources - In % terms (estimated KPI) | |
| | Energy intensity - energy consumed (GJ)/ Total Revenue from Operations – Calculated | |
| | Energy intensity - energy consumed (GJ)/ Total Revenue from Operations adjusted for PPP – Calculated | |
| | Energy intensity - energy consumed (GJ)/ Product or Service – Calculated | |
| Embracing circularity - details related to waste management by the entity | Plastic waste (A) (MT) – Reported as NIL | |
| | E-waste (B) (MT) – Reported | |
| | Bio-medical waste (C) (MT) – Reported as NIL | |
| | Battery waste (D) (MT) – Reported as NIL | |
| | Other Hazardous waste (E)(MT) – Reported as NIL | |
| | Other non-hazardous waste (F)(MT) – Reported as NIL | |
| | Total waste generated (A + B + C + D + E + F) (MT) | |
| | Waste intensity<br>• MT /Revenue from Operations – Reported<br>• MT /Revenue from Operations adjusted for PPP – Reported<br>• MT /Product or Service – Reported | |
| | Each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (MT) – Reported | |
| | Each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (Intensity)<br>✓ kg of Waste Recycled Recovered /Total Waste generated – Reported | |
| | For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (MT) – Reported as NIL | |
| | For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (Intensity)<br>✓ kg of Waste Recycled Recovered /Total Waste generated – Reported as NIL | |
| Enhancing Employee Wellbeing and Safety | Spending on measures towards well-being of employees and workers – cost incurred as a % of total revenue of the co - In % terms – Reported | |
| | Details of safety related incidents for employees and workers (including contract-workforce e.g. workers in the company's construction sites)<br>1) Number of Permanent Disabilities – Reported as NIL<br>2) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) – Reported as NIL<br>3) No. of fatalities – Reported as NIL | |
| Enabling Gender Diversity in Business | Gross wages paid to females as % of wages paid - In % terms | |
| | Complaints on POSH | 1) Total Complaints on Sexual Harassment (POSH) – Reported |
| | | 2) Complaints on POSH as a % of female employees / workers – Reported |
| | | 3) Complaints on POSH upheld – Reported` |
| Enabling Inclusive Development | Input material sourced from following sources as % of total purchases – Directly sourced from MSMEs/ small producers and from within India - In % terms – As % of total purchases by value is not Reported | |
| | Job creation in smaller towns – Wages paid to persons employed in smaller towns (permanent or non-permanent /on contract) as % of total wage cost - In % terms – As % of total wage cost – Reported | |
| Fairness in Engaging with Customers and Suppliers | Instances involving loss / breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events - In % terms – Reported as NIL | |
| | Number of days of accounts payable - (Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured – Reported as not applicable | |
| Open-ness of business | Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers, and related parties Loans and advances & investments with related parties: | 1) Purchases from trading houses as % of total purchases |
| | | 2) Number of trading houses where purchases are made from |
| | | 3) Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses |
| | | 1) Sales to dealers / distributors as % of total sales |
| | | 2) Number of dealers / distributors to whom sales are made |
| | | 3) Sales to top 10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors |

| | | |
|---|---|---|
| | Reported as not applicable | Share of RPTs (as respective %age) in |
| | | • Purchases |
| | | • Sales |
| | | • Loans & advances |
| | | • Investments |

Greenhouse gas (GHG) and Energy footprint

i. Emissions from Fuel Consumption (Diesel, Petrol, CNG): Fuel consumption was estimated using a spend-based methodology. Where specific fuel types were not specified, average emission factors and fuel prices were applied based on a blended mix of diesel, petrol, and CNG. Fuel prices were sourced from BRSR Industry Standards 2024.
ii. Emissions from $CO_2$ Fire Extinguishers: All fire extinguishers were assumed to contain $CO_2$ (GWP = 1) with an average charge of 3 kg per cylinder.
iii. Emissions from Refrigerants: For leased properties, cooling tonnage was estimated based on total area and standard sq. ft. per ton assumptions. For 84 owned sites, tonnage was based on employee count per site. A refrigerant charge of 1.35 kg per ton of air conditioning was assumed.
iv. Emissions from Electricity Consumption (Scope 2): Electricity usage was calculated using a spend-based approach per BRSR Core guidelines. The unit price of electricity was used to derive total consumption in kWh, from which Scope 2 emissions were calculated.

Water footprint: The raw water consumption is estimated based on the per day per employee water consumption as per CWGA guidelines.

The reporting boundaries for the above attributes include all the branches and offices of UBI in India. An on-site verification was conducted at UBI Corporate Office, Union Bank Bhavan, Nariman Point, Mumbai on 20th, 23th and 24th June 2025. The assurance activities were carried out together with a desk review as per reporting boundary.

## Limitations

TUVI did not perform any assurance procedures on the prospective information disclosed in the Report, including targets, expectations, and ambitions. Consequently, TUVI draws no conclusion on the prospective information. During the assurance process, TUVI did not come across any limitation to the agreed scope of the assurance engagement. TUVI did not verify any ESG goals and claim through this assignment. TUVI has taken reference of the financial figures from the audited financial statements. UBI will be responsible for the appropriate application of the financial data. The application of this assurance statement is limited w.r.t *SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated Jul 12, 2023 and Industry Standards on Reporting of BRSR Core, circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, dated 20/12/2024)*. TUVI disclaims liability for decisions or consequences arising from this assurance statement or from inaccurate data, relying on the completeness and accuracy of information provided by UBI. The responsibility for the authenticity of the data is confirmed by UBI. Any reliance placed by any person or third party on disclosed KPI is entirely at their own risk. This assurance statement does not validate any environmental or social claims, nor it's intended to mislead or contribute to greenwashing.

## TUVI's Responsibility

TUVI's responsibility in relation to this engagement is to perform a reasonable level of BRSR Core assurance of Annual Report and to express a conclusion based on the work performed. Our engagement did not include an assessment of the adequacy or the effectiveness of UBI's strategy, management of ESG-related issues or the sufficiency of the Report against BRSR reporting principles, other than those mentioned in the scope of the assurance. TUVI's responsibility regarding this verification is in reference to the agreed scope of work, which includes assurance of non-financial quantitative and qualitative information disclosed by UBI. Reporting Organization is responsible for archiving the related data for a reasonable time period. The primary intended user of this assurance statement is UBI; however, the client may use it at their own discretion in accordance with their specific requirements. This assurance engagement is based on the assumption that the data and information provided to TUVI by UBI are complete and true.

## Assurance Methodology

During the assurance engagement, TUVI adopted a risk-based approach, focusing verification efforts on disclosures and issues of high material relevance to UBI and its stakeholders. The objective was to assess the reliability and accuracy of the non-financial information disclosed, with emphasis on the robustness of data management systems, internal controls, and information flows. TUVI's assurance activities included:

1. Document and Data Review
   i. Examination of documents, datasets, and supporting evidence provided by UBI for Section A and B of the BRSR, covering all nine core attributes listed in Annexure I – Format of BRSR Core (non-financial disclosures).
   ii. Evaluation of disclosures related to Management Approach and performance indicators.

2. Stakeholder Interviews
   i. Conducted interviews with key representatives, including data owners, process managers, and decision-makers across various departments.
   ii. Reviewed UBI's approach to stakeholder engagement and materiality determination to validate qualitative statements included in the Annual Report.
   iii. Interviews were conducted through both onsite visits and remote assessments, as applicable.

3. Process and System Assessment
   i. Review of systems and processes for:
      a) Implementing ESG and sustainability-related policies, as described in the BRSR; and
      b) Collecting, managing, and reporting both quantitative data and qualitative information for the reporting period.
   ii. Assessment of the internal controls supporting data accuracy, traceability, and consistency.

4. Reporting Framework Adherence: Verified UBI's adherence to reporting requirements under SEBI's BRSR guidelines.

**Action Plan**

UBI is in the process of developing an action plan for the following focus areas, which are well-aligned with the management's existing objectives and programs. These areas have already been identified by UBI, and the assurance team confirm their continued implementation to help advance the organization's sustainability goals.

1. UBI may consider enhancing internal data tracking through periodic cloud-based systems for improved monitoring.
2. Data collection for parameters such as waste disposal (paper, plastic, food, metal, oil, etc.) can be further improved through strengthened engagement with relevant vendors and service providers.
3. UBI may explore implementing a formal system for managing key resources such as emissions and water.

**Conflict of Interest**

In the context of BRSR requirements set by SEBI, addressing conflict of interest is crucial to maintain high integrity and independence of assurance engagements. As per SEBI guidelines, assurance providers need to disclose any potential conflict of interest that could compromise the independence or neutrality of their assessments. TUVI diligently identifies any relationships, affiliations, or financial interests that could potentially cause conflict of interest. We proactively implement measures to mitigate or manage these conflicts, ensuring independence and impartiality in our assurance engagements. We provide clear and transparent disclosures about any identified conflicts of interest in our assurance statement. We recognize that failure to address conflict of interest adequately could undermine the creditability of the assurance process and the reliability of the reported information. Therefore, we strictly adhere to SEBI guidelines and take necessary measures to avoid, disclose, or mitigate conflicts of interest effectively.

**Our Conclusion**

In our opinion, and based on the scope of this assurance engagement, the disclosures related to the BRSR Core KPIs, as presented in the Annual Report along with the referenced information, provide a fair representation of the nine attributes and adequately meet the general content and quality requirements of the BRSR framework.

TUVI affirms its competency to conduct this assurance engagement in alignment with SEBI guidelines. Our team brings relevant expertise in ESG verification, assurance methodologies, and regulatory standards. We uphold the principles of independence, apply robust assurance processes, and are committed to continuous improvement to ensure the delivery of reliable and credible assessments.

Disclosures: TUVI is of the view that the reported disclosures broadly align with the requirements of the BRSR framework. UBI has provided contextual information under the General Disclosures, while the Management and Process section outlines the organization's approach to managing each of the nine attributes specified in Annexure I – Format of BRSR Core.

Reasonable Assurance: As per SEBI's reasonable assurance requirements—including defined scope, assurance methodologies (such as risk-based approach and data validation techniques), conflict of interest mitigation, evidence documentation, and communication of findings—TUVI is well-positioned to effectively validate the accuracy and reliability of the information disclosed in the BRSR. This process supports stakeholder confidence and enhances transparency and credibility in ESG reporting practices.

UBI BRSR complies with the below requirements

1. Governance, Leadership, and Oversight: The report appropriately presents top management's messages, the business model supporting inclusive growth, environmental strategies, risk management, and organizational priorities.
2. Connectivity of Information: UBI has disclosed the nine attributes as per Annexure I of the BRSR Core, along with their interlinkages and dependencies that influence long-term value creation.
3. Stakeholder Responsiveness: The report outlines mechanisms for stakeholder engagement, addressing key concerns and informing strategic planning. It also reflects the organization's awareness and responsiveness to the legitimate interests of its stakeholders.
4. Materiality: Material issues and corresponding KPIs within the nine attributes are identified and reported in line with BRSR Core requirements.
5. Conciseness: The report maintains clarity and brevity while ensuring continuity and completeness of information across disclosures.
6. Reliability and Completeness: UBI has internal systems for data aggregation and validation. Data provided to TUVI was reviewed by the concerned authorities and verified on a sample basis, and was found to be transparently reported and free from material misstatement.

7. Consistency and Comparability: Information is consistently presented year-on-year, supporting reliable comparison and demonstrating adherence to this principle.

Independence and Code of Conduct: TUVI follows IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) Code which, adopts a threats and safeguards approach to independence. We recognize the importance of maintaining independence in our engagements and actively manage threats such as self-interest, self-review, advocacy, and familiarity. The assessment team was safeguarded from any type of intimidation. By adhering to these principles, we uphold the trust and confidence of our clients and stakeholders. In line with the requirements of the SEBI *circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated 12/07/2023*, TUVI confirms that there is no conflict of interest with UBI. TUVI solely focuses on delivering verification and assurance services and does not engage in the sale of service or the provision of any non-audit/non-assurance services, including consulting.

Quality control: The assurance team complies with quality control standards, ensuring that the engagement partner possesses requisite expertise and the assigned team collectively has the necessary competence to perform engagements in reference with standards and regulations. Assurance team follows the fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality and professional behaviour. In accordance with International Standard on Quality Control, TUVI maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

**Independence and Impartiality Statement**

TUVI is an independent and neutral third-party provider of ESG assurance services, supported by a team of qualified environmental and social specialists. We affirm our independence and impartiality in conducting this assurance engagement and confirm that there is no conflict of interest with UBI. During the reporting period, TUVI did not undertake any assignments with UBI that could compromise the integrity, independence, or objectivity of our findings, conclusions, or observations. TUVI was not involved in the preparation of any content or data presented in the BRSR, other than this assurance statement. Throughout the assurance process, TUVI remained fully impartial and objective, including during all interviews conducted as part of the engagement.

For and on behalf of TUV India Private Limited



Manojkumar Borekar
Product Head – Sustainability Assurance Service
TUV India Private Limited




Date: 23/06/2025
Place: Mumbai, India
Project Reference No: 8123989000

# हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य संप्रेषण
ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

**डीमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डीमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करवाएँ.**

**भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि**

कृपया फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर और हस्ताक्षर करके संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इकाई:
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32
फाईनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा
हैदराबाद – 500032
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री: 1800 309 4001
वेबसाइट: www.kfintech.com

उक्त आईएसआर-1 फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/shareholders-information

आईएसआर-1 फॉर्म प्राप्त करने हेतु क्यूआर कोड

**लाभांश अधिदेश:**

**डीमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि:**

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत/ अद्यतन करें.

**भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि:**

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, संबंधित दस्तावेजों के साथ उक्त फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत/अद्यतन करें.

Union Bank of India
Good people to bank with

# Wellness for Priceless Togetherness



*Terms & Conditions Apply

UNION WELLNESS DEPOSIT

With ₹5 lac Super Top-up **HEALTH INSURANCE** and **LIFESTYLE BENEFITS**

For **375** days

6.60% p.a. Attractive ROI (0.50% extra for Senior Citizens)

Download Now

(Toll Free No.) 1800 222 244 / 1800 222 243 / 1800 425 1515 / 1800 208 2244 | www.unionbankofindia.co.in

unionbankofindia | UnionBankTweets | unionbankinsta | UnionBankofIndiaUtube | unionbankofIndia | unionbankinsta

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

Design & Printed by: Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd.

हेल्पलाईन नंबर / Helpline Nos.: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555
www.unionbankofindia.co.in

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25
डाउनलोड करने हेतु क्यूआर कोड को स्कैन करें
Scan the QR Code to download
Integrated Annual Report 2024-25

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

अवांछित ईमेल से सतर्क रहे जो तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं
Be wary and cautious of unsolicited emails that demand immediate action